

Ref :: SD:101/102/11/12::2025-26

Date: 30.05.2025

The Vice President BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai - 400 001 Scrip Code: 532483	The Vice President Listing Department National Stock Exchange of India Ltd Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051 Scrip Code: CANBK

Dear Sir/Madam,

Sub: Annual Report of the Bank for the Financial Year 2024-25.

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed Annual Report (including Notice of the 23rd Annual General Meeting) of the Bank for the financial year 2024-25. The Annual Report of the Bank for the financial year 2024-25 is also available on the Bank's website www.canarabank.com.

This is for your information and records.

Yours faithfully,

SANTOSH
KUMAR
BARIK

Digitally signed by
SANTOSH KUMAR
BARIK
Date: 2025.05.30
16:57:24 +05'30'

**SANTOSH KUMAR BARIK
COMPANY SECRETARY**

सचिवीय विभाग

प्रधान कार्यालय

112, जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002

E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

Secretarial Department

Head Office

112 J C Road, Bengaluru - 560002

www.canarabank.com

F +91 80 22248831

T +91 80 22100250



प्रगति को
सशक्त करना
**Empowering
PROGRESS**

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2024-25



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री विजय श्रीरंगन
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
Shri VIJAY SRIRANGAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN



श्री के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER



श्री देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक
Shri HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री एस. के. मजुमदार
कार्यपालक निदेशक
Shri S.K. MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री प्रशांत कुमार गोयल
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA



श्री रोहित दास
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri ROHIT DAS
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA



सुश्री नलिनी पद्मनाभन
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Ms. NALINI PADMANABHAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR



श्री बिमल प्रसाद शर्मा
शेयरधारक निदेशक
Shri BIMAL PRASAD SHARMA
SHAREHOLDER DIRECTOR



सुश्री आभा सिंह यदुवंशी
शेयरधारक निदेशक
Ms ABHA SINGH YADUVANSHI
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री हेमंत बुच
शेयरधारक निदेशक
Shri HEMANT BUCH
SHAREHOLDER DIRECTOR

निदेशक जो अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period



श्री आर. केशवन
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA



श्री करुणाकर शेट्टी
शेयरधारक निदेशक
Shri KARUNAKARA SHETTY
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक
Shri ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR



अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

मैं आप सभी के समक्ष वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हमारे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा हूँ - यह एक और उल्लेखनीय वर्ष है, जो उत्कृष्टता, नवाचार और हमारे प्रत्येक हितधारक के लिए मूल्य सृजन के प्रति अटूट समर्पण हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

केनरा बैंक के साथ आपकी अमूल्य साझेदारी के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने बैंक को आज के चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में सफलतापूर्वक आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके निरंतर समर्थन से हमारा बैंक एक वित्तीय समूह के रूप में उभरा है, जिसकी झलक प्रमुख वित्तीय संकेतकों में स्पष्ट रूप से दिखती है। आपके पूर्ण समर्थन से हमें विश्वास है कि हम देश और विश्व स्तर पर किसी भी उतार-चढ़ाव के निरपेक्ष आगामी वित्त वर्ष की चुनौतियों का भी सफलतापूर्वक सामना करेंगे।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की मिश्रित स्थिति: वर्ष 2024-25 के वैश्विक बृहद आर्थिक परिदृश्य की दूसरी छमाही अभूतपूर्व रही है। आईएमएफ के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य - अप्रैल 2025 के अनुसार, 2025 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3.1% से घटाकर 2.8% कर दिया गया है, जो जनवरी 2025 के अद्यतन से 30 आधार अंकों की कमी दर्शाता है। हालाँकि, अमेरिका द्वारा शुरू किए गए पारस्परिक टैरिफ और चीन के साथ संबंधित गतिरोध कम होते दिख रहे हैं, अगर उनके बीच सही सहमति बनी है, तो यह कोई संकेत है। यदि ट्रेड वार की आशंकाएँ कम हो जाती हैं और स्थिरता लौटती है, तो वैश्विक जीडीपी वृद्धि आईएमएफ के पूर्वानुमान से अधिक हो सकती है।

आंतरिक अर्थव्यवस्था में लचीलापन: इस वैश्विक पृष्ठभूमि के बीच, घरेलू आर्थिक गतिविधि का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है, जो सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में निरंतर वृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में गतिशीलता, व्यापार भावना में सुधार और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अप्रैल 2025 अपडेट में, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.3% पर बनाए रखा है। इसी तरह, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को 6.3% पर आंका है, जो अपने पिछले अनुमान 6.7% से कम है, लेकिन अभी भी यह पूर्वानुमान हमें सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के टैग को बनाए रखने में मदद कर रहा है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) निर्यात और आर्थिक विकास को और गति प्रदान करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमान के अनुसार, सामान्य मानसून की स्थिति में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% और मुख्य मुद्रास्फीति दर 4% रहने का अनुमान है।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

I am honoured to present the Annual Report of our Bank for the Financial Year 2024-25 - yet another remarkable year, that stands as a testament to our commitment to excellence, innovation and unwavering dedication to create value for each of our stakeholders.

I express my heartfelt gratitude to each one of you for the invaluable partnership with Canara Bank, which has been instrumental in guiding the Bank through the current landscape. Your steadfast support over the years has facilitated our Bank's evolution as a Financial Conglomerate, ensuring our continued prominence within the industry as reflected in the key financial metrics. With your full support, we are confident of navigating the ensuing financial year as well, even amidst a volatile and dynamic turn of events on the domestic front and across the globe.

Global economy a mixed bag: On the global macroeconomic front, the latter half of 2024-25 has been unprecedented. As per the latest IMF World Economic Outlook - April 2025, the global growth forecast for 2025 has been revised downwards from 3.1% to 2.8%, marking a 30 basis points decrease from its January 2025 update. However, reciprocal tariffs initiated by the US and the related standoff with China seems to be ebbing if the truce agreed between them, is any indication. If trade war fears recede and stability returns global GDP growth might exceed IMF forecast.

Domestic economy displays resilience: Amidst this global backdrop, the outlook for domestic economic activity remains relatively robust, driven by sustained push in public capex, momentum building up in the manufacturing and services sectors, improving business sentiment and healthy Corporate & Bank balance sheets. In its April 2025 update to the World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) has maintained India's growth projection for FY 2025-26 at 6.3%. The World Bank has pegged its growth forecast for the Indian economy for FY 2025-26 at 6.3%, down from its previous estimate of 6.7%, but still helping us to retain the fastest growing economy tag. The Free Trade Agreement (FTA) with the UK and the impending bilateral trade agreement with US will provide further impetus to exports and economic growth. As per Reserve Bank of India (RBI) forecast, India's economic growth at 6.5% for FY 2025-26 and headline inflation at 4% assuming a normal monsoon.

बैंकिंग क्षेत्र का परिदृश्य: अनुकूल घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों ने वित्त वर्ष 2025 में बैंकों की ऋण वृद्धि का समर्थन किया। हालांकि, वर्ष के अधिकांश समय बैंकिंग प्रणाली में तरलता मंद रही, तथा आरबीआई द्वारा समायोजन वापस लेने पर ध्यान केन्द्रित किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप बनी रहे तथा विकास को समर्थन मिले। जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि में कमी के परिणामस्वरूप तरलता की कमी के कारण संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे मार्जिन पर दबाव पड़ा। हालांकि, फरवरी 2025 से आरबीआई ने 25 बीपीएस की रेपो दर कटौती के साथ सहजता चक्र शुरू किया, जिसके बाद 9 अप्रैल, 2025 को 25 बीपीएस की और कटौती की गई। आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में एनडीटीएल के 1% की तरलता अधिशेष को बनाए रखने की वचनबद्धता एक अन्य महत्वपूर्ण पहल थी। कम मुद्रास्फीति और वायदा बॉण्ड की शुरुआत जैसे अन्य कारकों ने केंद्र और राज्य सरकार के बॉण्ड प्रतिफल को उचित रहने में मदद की।

हमारे बैंक ने मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए शानदार वित्तीय परिणाम प्राप्त किए। चुनौतियों के बावजूद, मार्च 2025 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए परिसंपत्तियों पर अर्जन 8 बीपीएस बढ़कर 1.09% हो गया, जबकि वर्ष-दर-वर्ष 16.99% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹17,026.7 करोड़ के निवल लाभ के साथ वैश्विक कारोबार ₹25.30 लाख करोड़ रहा। मार्च 2025 में 2.94% के सकल एनपीए अनुपात में वर्ष-दर-वर्ष 129 बीपीएस की गिरावट के साथ परिसंपत्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। वित्तीय समावेशन पर सरकार के ध्यान संकेंद्रण के अनुरूप, बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के तहत अनिवार्य लक्ष्यों को तत्परतापूर्वक प्राप्त किया।

इसके साथ ही बैंकों की मजबूत आर्थिक वृद्धि और लाभप्रद तुलन-पत्र, वित्त वर्ष 2026 में ऋण वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। इन सबके बावजूद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआई) डेटा एनालिटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डिजिटल रुपया अनुप्रयोग में प्रयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी और उन्नत साइबर सुरक्षा ढांचे के विकास के साथ बैंकिंग परिदृश्य बदल रहा है।

प्रमुख डिजिटल पहलें:

- बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स में सबसे आगे है और एक स्तर आगे जाकर दोनों जेन एआई और एजेंटिक एआई इस्तेमाल करने वाले तंत्र को लागू किया है। बैंक के पास परिचालन दक्षता, बेहतर ग्राहक अनुभव, डेटा संचालित निर्णयन व बेहतर अनुपालन एवं लेखापरीक्षा कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए जेन एआई इस्तेमाल करने वाले तंत्र हैं। एजेंटिक एआई उपयोग करने वाले मामलों में निरीक्षण, आंकड़ा गुणवत्ता प्रबंधन और ग्राहकों के लिए संवर्धित वर्चुअल रियलिटी सहायता शामिल है। कर्मचारी और ग्राहक अनुभव से जुड़ी कुछ परियोजनाएं क्रियाशील हैं, जबकि परिचालन दक्षता से जुड़ी अन्य परियोजनाएं अन्वेषण / अवधारणा प्रमाण के चरण में हैं।

Banking sector landscape: Favourable domestic macroeconomic conditions supported credit growth of banks in FY25. However, banking system liquidity remained tight for most part of the year amidst focus on withdrawal of accommodation by RBI to ensure that inflation progressively aligns with the target. Tight liquidity, as an outcome of deposit growth lagging credit growth, led to competition for resources leading to pressure on margins. However since February 2025, RBI started the easing cycle with a repo rate cut of 25 bps followed by another 25 bps on April 9, 2025. Another significant development was the commitment by RBI to maintain a liquidity surplus of 1% of NDTL in the banking system. Other factors like low inflation and the introduction of bond forwards helped Central and State Government bond yields to stay benign.

Our Bank achieved spectacular results for the year ended March 2025. Despite challenges, Return on Assets increased by 8 bps to 1.09% for the full year ended March 2025, while global business was ₹25.30 lakh Crore accompanied by a 16.99% year-on-year growth in Net Profit to ₹17,026.7 Crore. Asset quality improved substantially with a 129bps y-o-y decline in Gross NPA ratio to 2.94% in March 2025. Aligned with the Government's focus on financial inclusion, the Bank diligently achieved the mandated targets under priority sector lending.

Robust economic growth and healthy balance sheets of banks bode well for credit growth in FY26. Nevertheless, the banking landscape is changing with the evolution of Artificial Intelligence (AI), Data Analytics, Internet of Things (IoT), Advanced Technology used in Digital Rupee Application and enhanced Cyber Security frameworks.

Key digital initiatives:

- Bank is at the forefront in Artificial Intelligence and has implemented both Gen AI and Agentic AI use cases, by going a level further. The Bank has Gen AI use cases to ensure operational efficiency, better customer experience, data driven decision making, better compliance and audit functions. Agentic AI use cases include inspection, data quality management and augmented virtual reality assistance for customers. A couple of projects involving employee and customer experience are live while others involving operational efficiency are in exploration / proof of concept stages.

- बैंक एटीएम से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए एटीएम की ई-निगरानी, टैप एंड पे सेवाएं, संभावित व्यवसाय पहचान आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए आईओटी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) और जियोस्पेशियल तकनीक जैसी अन्य उन्नत नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है।
- बैंक ने अपने ग्राहकों को डिजिटल रुपया एप्लीकेशन प्रदान करने के लिए अनुमत उन्नत तकनीक का उपयोग किया है। बैंक ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम (डीपीडीपीए) का अनुपालन करते हुए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नीति और सहमति प्रबंधन ढांचा बनाने हेतु मेसर्स डेलोइट को शामिल किया है। बैंक ने इस संबंध में प्रमुख नीतियों का मसौदा तैयार किया है और एक डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है। बैंक पूर्ण उपकरण एकीकरण, कर्मचारी प्रशिक्षण और लेखापरीक्षा तत्परता पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- बैंक अपने संचालन में गोपनीयता को शामिल कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हितधारक डेटा को जिम्मेदारी और सुरक्षित रूप से संभाला जाए। बैंक ने डिजिटल ऋण प्रदान करने में अधिक गतिशीलता लाने के लिए आरबीआई नवोन्मेषण केंद्र द्वारा विकसित यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) के साथ अपने प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया है। यह सहभागिता वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष भूमि खोज एपीआई के साथ एंड-टू-एंड एकीकरण का उपयोग करने वाले, ₹1.6 लाख से कम के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के साथ शुरू हुआ। यूएलआई, एमएसएमई ऋणों के लिए जीएसटी विवरण, खाता एग्रीगेटर डेटा और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) पात्रता जैसे एपीआई की एक श्रृंखला भी प्रदान करता है। इसे अपनाते से न्यूनतम ग्राहक व्यवधान के साथ तेजी से ऋण अनुमोदन होने लगा है।
- बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित फिनटेक नीति कार्यरत है। बैंक ने एपीआई आधारित फिनटेक कंपनियों जैसे पर्फियोस, स्कोरमी और अन्य के साथ साझेदारी की है जो निर्बाध डेटा सत्यापन और डिजिटल उधार प्रक्रियाओं को सक्षम करती हैं, जिससे ग्राहकों के लिए ऋण अधिक सुलभ हो जाता है। बैंक ने कानूनी औपचारिकताओं को सरल और त्वरित करके दस्तावेज निष्पादन को डिजिटल बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ भी समझौता किया है। बैंक एसएमए (विशेष उल्लेख खाता) निगरानी और संग्रहण को मजबूत करने के लिए सीसमी सॉफ्टवेयर समाधान का भी लाभ उठा रहा है, जिससे जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूती प्रदान की जा सके।
- Bank is leveraging other advanced new-age technologies such as IoT, Near Field Communication (NFC) and Geospatial technology for providing services such as e-Surveillance of ATMs to prevent ATM related frauds, Tap & Pay services, potential business identification etc.
- Bank has made use of permitted advanced technology for providing Digital Rupee Application to its customers. Bank has onboarded M/s. Deloitte to enable it to build the Digital Personal Data protection policy and Consent Management Framework to comply with the Digital Personal Data Protection Act (DPDPA). The bank has drafted key policies in this regard and has appointed a Data Protection Officer. The bank will also focus on full tool integration, employee training and audit readiness. The bank is embedding privacy into its operations ensuring that stakeholder data is handled responsibly and securely.
- The Bank has integrated with the Unified Lending Interface (ULI) developed by RBI Innovation Hub, to enhance digital lending journeys. This collaboration began in 2022 with Kisan Credit Card (KCC) loans below INR 1.6 lakh, utilizing end-to-end integration with direct land search APIs. ULI also offers a range of APIs for MSME loans, including access to GST details, account aggregator data, and Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) eligibility. Its adoption has led to faster loan approvals with minimal customer disruption.
- The Bank has a board-approved fintech policy. The Bank has partnered with API-based fintech companies such as Perfios, ScoreMe and others that enable seamless data verification and digital lending processes, making credit more accessible to customers. The Bank has also tied up with National E-governance Services Ltd. (NeSL) to digitize document execution by simplifying and accelerating legal formalities. Bank is also leveraging solutions from Sesame Software to strengthen SMA (Special Mention Account) monitoring and collections, thereby strengthening risk management frameworks.

- इस क्षेत्र में नवीनतम रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर आधार पर विभिन्न साइबर सुरक्षा संबंधी पहल की गई हैं। हर महीने के प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल, अक्टूबर महीने को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएएम) के रूप में मनाया जा रहा है जिसका लक्षित समूह कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेता भागीदारों आदि सहित सभी हितधारक हैं।

पुरस्कार व प्रशस्तियाँ:

बैंक ने कई पुरस्कार और प्रशस्तियाँ प्राप्त की हैं जिसमें शामिल हैं:

- “प्रशिक्षण में उत्कृष्टता” के लिए विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा प्रदान किया जाने वाला गोल्डन ग्लोब टाइटल पुरस्कार।
- बैंक को “पीएसयू डेटा गुणवत्ता चैंपियन – वित्त वर्ष 25” से सम्मानित किया गया और ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच समग्र सर्वोत्तम डेटा गुणवत्ता के लिए पुरस्कार जीता।
- स्वर्ण ऋण में डिजिटल और कागज़रहित प्रलेखीकरण के निष्पादन के लिए एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा शुरू किया गया वॉरियर पुरस्कार।
- बैंक की त्रैमासिक गृह पत्रिका ‘केनरा ज्योति’ को क्षेत्र ‘ग’ के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार।
- केनरा बैंक की गृह पत्रिका “श्रेयस” और हिंदी पत्रिका “केनरा ज्योति” ने विश्व ब्रांड कांग्रेस द्वारा शुरू किये गए ग्लोबल ब्रैंड उत्कृष्टता पुरस्कारों के 32वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका श्रेणी के तहत पुरस्कार जीते।
- दिनांक 30 नवंबर 2024 को स्काँच पुरस्कार समारोह में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई) श्रेणी के तहत एपीआई बैंकिंग के लिए रजत पुरस्कार और एक पुरस्कार।
- आईबीएस इंटेलेजेंस (आईबीएसआई) ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स – एमएल का उपयोग करके म्यूल का पता लगाने के लिए।
- भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने दिनांक 14-16 नवंबर 2024 को बेंगलुरु में आयोजित 22वें विश्व ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (जीबीसी) सम्मेलन के दौरान ग्रीन बैंक शाखाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के उद्यमों की श्रेणी में केनरा बैंक को आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया।
- दूसरे इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2024 में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) पहल को अपनाने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कार और दिनांक 19 जून 2024 को ‘केनरा डिजिटल रुपया’ एप्लिकेशन के लिए फिनोविटी अवार्ड।

- Various cyber security related initiatives have been undertaken on a continuous basis to create awareness about recent trends in this domain. Cyber Jagrukta Diwas is being celebrated on first Wednesday of every month. Every year, October is being celebrated as National Cyber Security Awareness Month (NCSAM), the target audience being all stakeholders including employees, customers, vendor partners etc.

Awards and recognitions:

Bank is a recipient of several awards and accolades. These include:

- The Golden Globe Tiger Award for “Excellence in Training” initiated by World HRD Congress.
- Conferred with the “PSU Data Quality Champion – FY 25” and won the Award for overall Best Data Quality amongst all Public Sector Banks by TransUnion CIBIL.
- Warrior Award for Execution of Digital & Paperless documentation in Gold Loans organized by the NeSL.
- Prestigious Rajbhasha Kirti Puraskar in region ‘C’ for the bank’s quarterly in-house magazine ‘Canara Jyoti’.
- Canara Bank In-House Magazine “Shreyas” and Hindi Magazine “Canara Jyoti” won awards under the Best In-House Magazine category in the 32nd Edition of Global Brand Excellence Awards conducted by World Brand Congress.
- Silver Award and an award for API Banking under Banking, Financial Services and Insurance (BFSI) Category at Skoch Award ceremony on 30th November 2024.
- IBS Intelligence (IBSi) Global Fintech Innovation Awards - Mule Detection using ML.
- Indian Green Building Council (IGBC) felicitated Canara Bank with IGBC Green Champion Award 2024 in the category of financial sector enterprises with large-scale adoption of green bank branches during the 22nd World Green Building Council (GBC) conference on 14-16 November 2024 at Bengaluru.
- Excellent practices under adoption of Environmental, Social and Governance (ESG) Initiatives award at the 2nd Indian Chamber of Commerce (ICC) Emerging Asia Banking Conclave 2024 and Finnoviti Award for ‘CANARA Digital Rupee’ application on 19th June 2024.

- पीएम स्वनिधि 2023-24 के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋणदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों) की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार

वित्तीय समावेशन और सामाजिक उत्तरदायित्व: प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बैंक ने 2.16 करोड़ खाते खोले हैं। बैंक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (71.89 लाख), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (231.96 लाख) और अटल पेंशन योजना (49.68 लाख) जैसी योजनाओं में भी नामांकित है। बैंक बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्राओं को छात्रवृत्ति, विद्यालयों का नवीनीकरण, जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, सामुदायिक विकास, स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सामुदायिक पहलों में भी अग्रणी है।

संपोषणीयता और ईएसजी पहल: बैंक संपोषणीयता लक्ष्यों पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक ने अपनी स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करने, जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करने, जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की पहचान करने और ईएसजी जोखिमों की जांच करने के लिए कदम उठाने के लिए एक उद्योग विशेषज्ञ के साथ भागीदारी की है। बैंक ने आरबीआई के ग्रीन बॉन्ड जारी करने के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

प्राथमिकता क्षेत्र की पहल: बैंक प्राथमिकता क्षेत्र की पहल में सबसे आगे है और वित्त वर्ष 25 के दौरान की गई प्रमुख पहलें इस प्रकार थीं:

- पूरे भारत में डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएचजी ऋण वितरित करना
- कृषि वसंत कोर एग्री फ्रेश डिस्बर्समेंट अभियान शुरू किया, जिसमें लक्ष्य का 115% हासिल किया गया
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'प्रगति' और 'अराइज' अभियान के तहत सक्रिय रूप से भाग लिया और आवंटित लक्ष्यों को हासिल किया।
- जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से चलने वाली सभी ऋण से जुड़ी सरकार प्रायोजित योजनाओं को व्यवसाय में रूपांतरित किया गया।
- सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पीएम कुसुम, संपीड़ित बायोगैस और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के तहत बैंक ने क्रमशः 44%, 66% और 30% की वार्षिक वृद्धि हासिल की।
- बैंक महिलाओं, कमजोर वर्गों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न अन्य प्राथमिकता क्षेत्र पहलों के माध्यम से पहल कर रहा है जो वित्तीय समावेशन एजेंडे का भी हिस्सा है।

- First Prize under category of Best Lenders (both Public & Private sector) for outstanding achievement under PM SVANidhi 2023-24.

Financial inclusion and social responsibility: Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) Bank has opened 2.16 Crore accounts. The Bank has also enrolled in schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojna (71.89 Lakh), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (231.96 lakh) and Atal Pension Yojna (49.68 lakh). Bank is active in community initiatives through various activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, renovation of schools, provision of infrastructure facilities to needy educational institutes, provision of primary health care, community development, Swachh Bharat Mission etc.

Sustainability and ESG initiatives: The Bank is actively focussed on sustainability goals. Bank has partnered with an industry expert to publish its Sustainability reports, establish a Climate Risk Management Framework, identify the risks associated with climate change and take steps to scrutinise ESG risks. Bank has actively participated in the RBI's Green Bond Issuance programme.

Priority sector initiatives: Bank is at the forefront in priority sector initiatives and major initiatives during FY25 were as below:

- Rolling out SHG loans through digital lending platforms pan-India.
- Launched Kishi Vasant Core Agri Fresh Disbursement campaign, achieving 115% of the target.
- Actively participated and achieved allotted targets under 'Pragati' and 'Arise' campaign launched by Ministry of Agri and Farm Welfare.
- All credit linked govt sponsored schemes received through Jan Samarth portal have been converted into business.
- Under Govt sponsored schemes PM Kusum, Compressed Biogas and ethanol blended petrol, bank achieved yearly growth of 44%, 66% and 30% respectively.
- Bank is also undertaking initiatives to empower women, weaker sections and farmers through various other priority sector initiatives which also form part of the financial inclusion agenda.

भौगोलिक विस्तार: यथा 31.03.2025 तक, ग्रामीण श्रेणी में बैंक की 3139 शाखाएं थीं। प्रत्येक वर्ष बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोले जाते हैं। वित्त वर्ष 25 में बैंक ने 270 शाखाएं (250 सामान्य और 20 विशेषीकृत) खोलीं, जिनमें से 38 बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में थीं।

भविष्य की योजनाएं: बैंक, संवर्धित तकनीकी क्षमता और मजबूत मूलतत्वों का लाभ उठाते हुए, एक गतिशील परिदृश्य में कारोबारिक अवसरों को विकसित करने के लिए अच्छी स्थिति में है। बैंक प्रभावी रणनीति तैयार करने और सभी हितधारकों के बीच अपने दृष्टिकोण के साथ संरेखण को बढ़ावा देने के लिए "रणनीति बैठकें" आयोजित कर रहा है। बैंक बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के अपने स्थापना सिद्धांतों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध है।

मैं श्रेयधारकों और ग्राहकों सहित सभी हितधारकों के प्रति उनके दृढ़ समर्थन और संरक्षण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा, मैं सभी केनराइट्स को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका योगदान बैंक को उत्कृष्ट बनाने और निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

हमें प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन के लिए मैं भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं केनरा बैंक की पेशेवर क्षमता और योग्यता में विश्वास जताने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और अन्य प्रमुख संस्थानों एवं विनियामक निकायों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो समर्थन का एक प्रमुख स्तंभ रहा और बैंकिंग क्षेत्र, विनियामक निकायों और मंत्रालयों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाई। मैं निवेशक समुदाय और मीडिया को उनके रचनात्मक कवरेज के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बोर्ड के सम्मानित सदस्यों और प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व वाली कार्यपालक टीम, लेखा परीक्षकों और कानूनी सलाहकारों के प्रति उनके मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

हम वित्त वर्ष 26 और भविष्य में भी हमारे बैंक को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में आपके निरंतर समर्थन, संरक्षण और सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

सादर,

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

दिनांक: 30.05.2025

Geographic expansion: As on 31.03.2025, Bank had 3139 branches in rural category. Each year a good number of banking outlets are opened in Unbanked Rural Centres (URC). In FY25, the bank opened 270 branches (250 General & 20 Specialised) out of which 38 were in unbanked rural areas.

Way forward: The Bank is well-positioned to capitalize evolving business opportunities in a dynamic landscape. Bank has been conducting "Strategy meetings" for effective strategy formulation and fostering alignment with its vision among all stakeholders. The bank is steadfast in its commitment to its founding principles of serving the society at large.

I extend my heartfelt gratitude to all stakeholders - including shareholders and customers - for their unwavering support and patronage. Further, I extend genuine gratitude to all Canarites, whose contribution has been pivotal to the Bank's excellence and continued growth.

I acknowledge with gratitude the support and guidance received from the Government of India and the RBI. I thank the Securities & Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Payment Corporation of India (NPCI), National Housing Bank (NHB) and other key institutions and regulatory bodies for reposing faith in Canara Bank's professional prowess and capabilities. My gratitude is also due to the Indian Banks' Association (IBA) which has been a key pillar of support and a bridge between banking sector, regulatory bodies and Ministries. I also thank the investor community and media for their constructive coverage. My appreciation is due to the esteemed members of the Board and the Executive team led by the Managing Director & Chief Executive Officer, the Auditors and the Legal Advisors for their unstinted guidance, support and co-operation.

We look forward to your continued support, patronage and inputs in taking our Bank to new heights during FY26 and beyond.

Yours sincerely,

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

Date: 30.05.2025



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

मैं अत्यंत हर्ष और अपार कृतज्ञता के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन के मुख्य बिन्दु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

सर्वप्रथम मैं आपके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए आप सभी के प्रति अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वर्षों से हमारे बैंक की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास, नवाचार और निरंतर मूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के बल पर हमें इस वर्ष भी महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल करने में सक्षम बनाया है। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।

जहाँ तक वैश्विक समष्टि आर्थिक परिदृश्य का संबंध है, वित्त वर्ष 2024-25 चुनौतियों और अवसरों का मिला-जुला वर्ष रहा। सकारात्मक पहलू यह रहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष के उत्तरार्ध तक लचीलापन दिखाया और पुरानी क्षीण अवस्था से मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के साथ विकास की गति में क्रमिक मजबूती भी देखने को मिली। फिर भी, मुख्य रूप से भू-राजनीतिक संघर्ष, व्यापार मार्गों में व्यवधान और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा बनाए गए सतर्क मौद्रिक नीति रुख के कारण चुनौतियाँ बनी रहीं। हालांकि, वर्ष का उत्तरार्ध विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि अमेरिका में नई सरकार ने मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटते हुए संरक्षणवाद को अपनाया और अपने व्यापारिक साझेदारों पर पारस्परिक शुल्क लगा दिए। इससे वैश्विक स्तर पर 'ट्रेड वार' और 'प्रतिकारात्मक शुल्कों' का खतरा मंडराने लगा है, जिससे स्थगन-मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ गई है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2025 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.8% कर दिया है, जो इसके पूर्व अनुमान से 30 आधार अंक कम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब वास्तव में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले मोड़ पर खड़ी है।

आंतरिक परिदृश्य पर, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही, कृषि और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, हालांकि विनिर्माण क्षेत्र में मामूली वृद्धि बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही के लिए सकल

MD & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

With great pleasure and immense gratitude, I present to you the highlights of our Bank's performance for the financial year 2024-25.

First and foremost, I extend my deepest appreciation to each of you for your unwavering support and trust, which has played a pivotal role in our Bank's distinguished journey over the years and has enabled us to achieve yet another year of significant achievements, driven by our commitment to sustainable growth, innovation, and continuous value creation. I wish you all the best of health and spirits.

FY 2024-25 was a mixed bag, as far as global macroeconomic landscape was concerned, presenting both challenges and opportunities in its wake. On the positive note, the global economy exhibited resilience till the latter half, displaying gradual strengthening of growth impulses accompanied by reduction in inflationary pressures from previous peaks. Nevertheless, challenges persisted, primarily driven by escalating geopolitical conflicts, disruptions in trade routes and cautious monetary policy stances maintained by global Central Banks. The latter half was quite challenging as the new regime in the US reneged on its commitment to free trade and adopted protectionism, imposing reciprocal tariffs on its trading partners. This has raised the spectre of 'trade wars and retaliatory tariffs', raising the prospects of stagflation across the globe. Considering these factors, the International Monetary Fund (IMF) has revised its global growth projection downward to 2.8% for 2025, 30 basis points lower than its just preceding forecast. Global economy is now truly at an 'inflection point'.

On the domestic front, the economy continued to remain robust, with real GDP growth set to touch 6.5% in FY25, buoyed by robust growth in agriculture and services sectors though growth in manufacturing sector continues to be modest. GDP growth rate for the last quarter of

घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7% को पार करने की उम्मीद है और मजबूत कर संग्रह इस तथ्य की पुष्टि करता है। निजी खपत, जो पहले चिंता का विषय थी, अब सुधार के संकेत दिखा रही है, जो खुदरा मुद्रास्फीति के लगभग 4% से नीचे आने के कारण क्रय शक्ति में वृद्धि से संभव हुआ है। निर्यात में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है तथा वस्तु एवं सेवा निर्यात 800 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।

व्यापार और टैरिफ युद्धों से उत्पन्न हुए वैश्विक प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य आशाजनक बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका को निर्यात हमारे सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2% है। हमारी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में मजबूती और कॉरपोरेट एवं बैंक बैलेंस शीट की अच्छी स्थिति से भी बल मिलता है। वैश्विक विनिर्माताओं द्वारा तेजी से अपनाई जा रही 'चाइना प्लस वन' रणनीति हमारे लिए एक और सकारात्मक संकेत है। कई प्रमुख निर्माता भारत में स्थानांतरित होने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इसके अलावा, भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों और डेटा केंद्रों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहाँ लगभग 1.3 करोड़ भारतीय कार्यरत हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इस बदलाव से कपड़ा, अर्धचालक, ऑटो कलपुर्जे, दवाइयाँ, फुटवियर और खिलौने जैसे क्षेत्रों को भारी लाभ होने की संभावना है। ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता निर्यात को और बढ़ावा देगा और जीडीपी में योगदान देगा। वहीं, सामान्य मानसून का पूर्वानुमान कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति निजी खपत को समर्थन देगी। इन घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तवर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है।

वित्तवर्ष 2025 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और लचीला बना रहा, जिसमें आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, अशोध्य ऋणों के लिए बेहतर प्रावधान, सतत पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि देखने को मिली। अनुकूल घरेलू समष्टि आर्थिक परिस्थितियों ने ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया। हालांकि, जमा वृद्धि दर ऋण विस्तार के पीछे रहने के कारण बाधाएं बनी रहीं, जिससे बैंकों के बीच जमा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। वित्तवर्ष 25 के अधिकांश भाग में बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तंगी बनी रही, जिससे बैंकों के मार्जिन पर दबाव पड़ा, क्योंकि उन्हें उच्च लागत पर धन जुटाना पड़ा।

FY25 is expected to cross 7% and the robust tax collections bear testimony to this fact. Private consumption which was a major cause for worry, has begun showing green shoots facilitated by rise in purchasing power on account of retail inflation trending below 4%. Exports have also done well, with merchandise and services exports crossing the \$800 billion mark.

Despite global headwinds on account of trade and tariff wars, outlook for the Indian economy remains promising as exports to US constitute only 2% of our GDP. Our economy also draws strength from robust public capital expenditure and healthy corporate & Bank balance sheets. The increasing adoption of 'China plus one' strategy by global manufacturers is yet another positive for us. Many leading manufacturers have started seriously thinking about relocating to India. Moreover, India is fast emerging as a global hub for global capability centres and data centres and there is an estimated 13 million Indians employed with them. The shift in global economic landscape is set to immensely benefit sectors like textiles, semi-conductors, auto components, pharmaceuticals, footwear and toys. The Free Trade Agreement signed with UK will further aid exports and contribute to GDP. Meanwhile the forecast of a normal monsoon bodes well for agricultural output, while sustained momentum in the manufacturing and services sectors is poised to support private consumption. Considering these domestic and global macroeconomic factors, the Reserve Bank of India (RBI) has projected real GDP growth at 6.5% for FY 2026.

The Indian Banking sector remained sound and resilient in FY 2025 with continued improvement in asset quality, enhanced provisioning for bad loans, sustained capital adequacy and rise in profitability. Favourable domestic macroeconomic conditions fuelled credit growth. However, headwinds remained from deposit growth lagging behind credit expansion, thereby intensifying competition for deposits among banks. Tight liquidity conditions in the banking system for the most part of FY25 also constrained margins of banks as they had to endure higher cost of funds.

मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि, चुनौतियों के बावजूद यथा मार्च 2025 तक हमारा निवल ब्याज मार्जिन 2.80% रहा, जबकि वैश्विक व्यवसाय में 11.32% वर्ष-दर-वर्ष की मजबूत वृद्धि करते हुए ₹17,027 करोड़ के निवल लाभ के साथ हमने ₹25 लाख करोड़ के प्रमुख मील के पत्थर को पार कर लिया है।

इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों को ₹2/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹4/- (अर्थात, 200%) के लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर वितरित ₹16.1/- और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रति इक्विटी शेयर वितरित ₹12/- के लाभांश के अनुरूप है और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के लिए मूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मुझे वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हमारे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और शुरू की गई पहलों के विवरण के साथ हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य झलकियाँ आपके समक्ष रखते हुए अत्यंत प्रसन्नता है।

बैंक का प्रमुख कार्य निष्पादन

कारोबार

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष दर वर्ष 11.32% बढ़कर ₹25,30,215 करोड़ हो गया, वैश्विक जमा वर्ष दर वर्ष 11.01% की गति से बढ़कर ₹14,56,883 करोड़ हो गया और वैश्विक अग्रिम वर्ष दर वर्ष 11.74% बढ़कर ₹10,73,332 करोड़ हो गया। घरेलू कारोबार पर दिए गए जोर के परिणामस्वरूप यह वर्ष-दर-वर्ष 10.21% बढ़कर ₹23,39,808 करोड़ हो गया, जिसमें घरेलू जमा वर्ष दर वर्ष 9.56% बढ़कर ₹13,31,137 करोड़ हो गया और घरेलू अग्रिम वर्ष दर वर्ष 11.06% बढ़कर ₹10,08,671 करोड़ हो गया। यथा मार्च 2025 तक, खुदरा सावधि जमा वर्ष-दर-वर्ष 6.14% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹5,32,187 करोड़ हो गई। इसके अलावा, यथा मार्च 2025 तक, कासा जमा ₹4,14,976 करोड़ रहा, जिसमें बचत जमा ₹3,37,135 करोड़ है और चालू जमा ₹77,841 करोड़ है। यथा मार्च 2025 तक लगभग 11.67 करोड़ के मजबूत जमा ग्राहक आधार के साथ बैंक का घरेलू कासा अनुपात 31.17% रहा।

बैंक, कृषि और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्र के साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमेशा एक सुसंतुलित आस्ति मिश्रण बनाए

Despite the challenges, I am delighted to announce that our Net Interest Margin stands comfortably at 2.80% as on March 2025, while global business surpassed the key milestone of ₹25 lakh Crore with a robust 11.32% y-o-y growth in Net Profit to ₹17,027 Crore.

Further, the Board of Directors of the Bank have recommended a dividend of ₹4/- per equity share (i.e., 200%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the Annual General Meeting (AGM). This is as compared to the dividend of ₹16.1/- per equity share distributed for FY 2023-24 and ₹12/- per equity share distributed for FY 2022-23 and is testimony to our commitment to value creation for our esteemed shareholders.

I am delighted to place before you the highlights of our Bank's performance during FY 2024-25, accompanied by details regarding the achievements and initiatives undertaken by our esteemed institution.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

During FY 2024-25, the global business of the Bank grew to ₹25,30,215 Crore, up by 11.32% y-o-y with global deposits growing at a pace of 11.01% y-o-y to ₹14,56,883 Crore and global advances growing by 11.74% y-o-y to ₹10,73,332 Crore. The enhanced thrust on domestic business resulted in the growth of 10.21% y-o-y to ₹23,39,808 Crore with domestic deposits growing by 9.56% y-o-y to ₹13,31,137 Crore and domestic advances growing by 11.06% y-o-y to ₹10,08,671 Crore. As at March 2025, Retail Term deposits registered a growth of 6.14% y-o-y to ₹5,32,187 Crore. Also as at March 2025, CASA deposits are at ₹4,14,976 Crore with savings deposits at ₹3,37,135 Crore and current deposits at ₹77,841 Crore. The domestic CASA ratio of Bank stood at 31.17% as on March 2025, while maintaining a strong deposits clientele base of around 11.67 Crore.

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

रखने के लिए प्रयासरत है। इस वर्ष हमारे बैंक का खुदरा संविभाग वर्ष-दर-वर्ष 42.80% बढ़कर ₹2,23,366 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण वर्ष-दर-वर्ष 13.57% बढ़कर ₹1,06,167 करोड़ हो गया, वाहन ऋण वर्ष-दर-वर्ष 19.63% बढ़कर ₹20,637 करोड़ हो गया और शिक्षा ऋण वर्ष-दर-वर्ष 10.79% बढ़कर ₹17,423 करोड़ हो गया। यथा मार्च 2025 तक वर्ष-दर-वर्ष 8.23% की वृद्धि के साथ एमएसएमई क्षेत्र को अग्रिम ₹1,39,857 करोड़ रहा। यथा मार्च 2025 तक उधारकर्ता ग्राहकों की संख्या 1.20 करोड़ रही।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, बैंक की कुल आय वर्ष-दर-वर्ष 11.40% बढ़कर ₹1,42,208 करोड़ हो गई और निवल ब्याज आय, बैंक द्वारा भुगतान किए गए ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर वर्ष-दर-वर्ष 1.38% बढ़कर ₹37,072 करोड़ हो गया। इसके अलावा, अग्रिमों पर प्रतिफल 12 बीपीएस बढ़ गया है, जो मार्च 2024 के 8.71% से बढ़कर मार्च 2025 को 8.83% हो गया है। सकल एनपीए अनुपात वर्ष दर वर्ष 129 बीपीएस से घटकर इस वर्ष 2.94% हो गया और निवल एनपीए वर्ष दर वर्ष 57 बीपीएस से घटकर इस वर्ष 0.70% हो गया। यथा मार्च 2025 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वर्ष दर वर्ष 360 बीपीएस बढ़ोत्तरी के साथ 92.70% हो गया।

लाभप्रदता

बैंक का निवल लाभ वर्ष दर वर्ष 16.99% बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ₹17,027 करोड़ हो गया है, जिससे परिचालन लाभ वर्ष दर वर्ष 6.72% बढ़कर ₹31,391 करोड़ हो गया है। मार्च 2025 में बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च 2024 के 3.05% से 25 बीपीएस घटकर 2.80% हो गया। बैंक की आस्तियों पर अर्जन (आरओए) मार्च 2024 के 1.01% से 8 बीपीएस बढ़कर मार्च 2025 में 1.09% हो गया।

यथा मार्च 2025 तक हमारे बैंक में बासेल III के तहत 11.5% की नियामक आवश्यकता की तुलना में 16.33% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ एक मजबूत पूंजी सुरक्षा है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड और टियर 2 बॉन्ड के माध्यम से क्रमशः 8.27% के कूपन पर ₹3,000 करोड़ और 7.46% के कूपन पर ₹4,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। यथा 31.03.2025 को बैंक में भारत सरकार की शेरधारिता 62.93% है। वित्त वर्ष 2024-25 में, बैंक ने 7.40% की दर से ₹10,000 करोड़ के बुनियादी ढांचा बॉण्ड जुटाए हैं।

as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education and Vehicle loans. This year our Bank's retail portfolio grew by 42.80% y-o-y to ₹2,23,366 Crore with Housing loans growing by 13.57% y-o-y to ₹1,06,167 Crore, Vehicle loans growing by 19.63% y-o-y to ₹20,637 Crore and Education loans growing by 10.79% y-o-y to ₹17,423 Crore. Advances to MSME segment stood at ₹1,39,857 Crore, a y-o-y growth of 8.23% as at March 2025. The number of borrowal clientele stood at 1.20 Crore as at March 2025.

FINANCIAL PERFORMANCE

For FY 2024-25, the total income of the Bank increased by 11.40% y-o-y to ₹1,42,208 Crore and the Net Interest Income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, grew by 1.38% y-o-y to ₹37,072 Crore. Also, the yield on advances have gone up by 12 bps, increasing from 8.71% in March 2024 to 8.83% in March 2025. The Gross NPA ratio declined by 129 bps y-o-y to 2.94% this year and Net NPA declined by 57 bps y-o-y to 0.70%. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 360 bps y-o-y to 92.70% as at March 2025.

PROFITABILITY

The Bank has growth of 16.99% y-o-y in net profit to ₹17,027 Crore in FY 2024-25 with operating profit growing by 6.72% y-o-y to ₹31,391 Crore. Net Interest Margin (NIM) of the Bank declined by 25 bps at 2.80% in March 2025 from 3.05% in March 2024. Return on Assets (RoA) of the Bank improved by 8 bps to 1.09% in March 2025 from 1.01% in March 2024.

Our Bank has a comfortable capital cushioning with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 16.33% as at March 2025 against the regulatory requirement of 11.5%.

During the Financial Year 2024-25, Bank has raised capital via Basel III compliant Additional Tier 1 Bond and Tier 2 Bond amounting to ₹3,000 Crore at a coupon of 8.27% and ₹4,000 Crore at a coupon of 7.46% respectively. The Government of India's shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2025. In FY 2024-25, Bank has raised infrastructure Bonds for ₹10,000 Crore at a rate of 7.40%.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

हमारा बैंक वित्तीय समावेशन अभियान के तहत अग्रणी रहा है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिकता दे रहा है। हमारे बैंक ने अनिवार्य लक्ष्यों को निष्ठा के साथ निम्नानुसार प्राप्त किया है:

- ✓ कुल प्राथमिकता के तहत 40% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 42.36%
- ✓ कृषि ऋण में 18% मानदंड की तुलना में सनिबैन्क (एएनबीसी) का 20.05%
- ✓ छोटे व सीमांत किसानों के ऋण में 10.00% मानदंड की तुलना में एएनबीसी का 13.42%
- ✓ कमजोर वर्ग के ऋण में 12.00% मानदंड की तुलना में सनिबैन्क (एएनबीसी) का 19.25%
- ✓ सूक्ष्म उद्यमों के ऋण में 7.50% मानदंड की तुलना में सनिबैन्क (एएनबीसी) का 9.73%

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹75,700 करोड़ की पीएसएलसी (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र) का क्रय किया है जिसमें 3,02,800 इकाइयाँ शामिल हैं।

ये उपलब्धियाँ सतत विकास की दिशा में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करके हमारे देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति हमारे बैंक के समर्पण को दर्शाती हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हमारे बैंक के कार्य निष्पादन की मुख्य झलकियाँ वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक लागू की गई प्रमुख पहल:

बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में कई नए उत्पादों / सेवाओं की घोषणा की है, जो निम्नवत हैं:

- ❖ **केनरा क्रेस्ट:** एक प्रीमियम बैंकिंग सदस्यता कार्यक्रम, साथ ही एक नया प्राथमिकता बचत खाता उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो ₹10.00 लाख रुपये और उससे अधिक का औसत शेष राशि बनाए रखते हैं।
- ❖ **केनरा एस्पिर:** 17-28 वर्ष के युवाओं के लिए एक विशेष बचत खाता, जिसमें ₹5000 की त्रैमासिक औसत शेष (क्यूएबी) रखने

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has been proactive in financial inclusion drive and prioritises to meet various goals under national priorities. Our Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- ✓ 42.36% of the adjusted net bank credit against 40% norm in total priority.
- ✓ 20.05% of the adjusted net bank credit against 18% norm in lending to agriculture.
- ✓ 13.42% of the adjusted net bank credit against 10.00% norm in lending to small and marginal farmers.
- ✓ 19.25% of the adjusted net bank credit against 12.00% norm in lending to weaker section.
- ✓ 9.73% of the adjusted net bank credit against 7.50% norm in lending to micro enterprises.

The Bank has sold PSCL to the tune of ₹75,700 Crore in FY 2024-25 encompassing 3,02,800 units (PSCL: Priority Sector Lending Certificate).

These achievements demonstrate our Bank's dedication to foster inclusive growth of our country by supporting the critical sectors of the economy towards sustainable growth.

The highlights of our Bank's performance for the year FY 2024-25 have been given in the Annual Report.

Key Initiatives Implemented in FY 2024-25 so far:

Bank has announced a host of new products / services in the current financial year 2024-25 as well, as listed below:

- ❖ **Canara Crest:** A Premium Banking membership Program along with a new priority saving account curated for Individuals maintaining average balance of ₹10.00 Lakh and above.
- ❖ **Canara ASPIRE:** An exclusive saving account for youth between the age of 17-28 years, having features

वाले ग्राहकों के लिए कोर्सेरा से एक निःशुल्क सर्टिफिकेट कोर्स जैसी सुविधाएं और अमेज़न, स्विगी वन, बुकमायशो व गाना, एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस जैसे कार्ड आधारित ऑफर भी हैं।

- ❖ **प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना:** शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा चिह्नित किये गए भारत के चुनिंदा शीर्षस्थ 860 गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एक नया शिक्षा ऋण उत्पाद पेश किया गया है।

- ❖ **रूफटॉप सोलर योजनाएं:** खुदरा खंड के तहत ऑन ग्रीड आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए दो नई रूफटॉप सोलर योजनाएं शुरू की गई हैं।

केनरा रूफटॉप सोलर (सीआरटीएस) - पीएम सूर्य घर योजना (पीएमएसजीवाई) (ऋण मात्रा: सब्सिडी सहित अधिकतम ₹6.00 लाख)।

- ❖ **सॉफ्ट पीओएस - पीओएस का एक नया संस्करण** (बिक्री बिंदु) लॉन्च किया गया है। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो एमईएस (मर्चेन्ट एस्टाब्लिशमेंट) को रुपये, वीजा और मास्टरकार्ड संपर्क रहित कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि से एनएफसी सक्षम एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है।

नए युग की प्रौद्योगिकियों की दिशा में बैंक की पहल:

- ❖ **पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक:** पीएम विद्यालक्ष्मी, शिक्षा ऋण लेने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध एक पोर्टल है। यह पोर्टल उच्च शिक्षा विभाग (डीओएचई), शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस पोर्टल को पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन और समर्थन के लिए नोडल बैंक के रूप में केनरा बैंक द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जा रहा है। यह पोर्टल छात्रों के लिए अपनी पसंदीदा बैंकों से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही ब्याज अनुदान प्रक्रिया के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- ❖ **जीएसटीएन के तहत क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड और यूपीआई का एकीकरण:** हमने जीएसटी भुगतान के लिए मौजूदा इंटरनेट बैंकिंग व काउंटर (ओटीसी) विकल्पों के अलावा केनरा बैंक

like - Free one certificate course from Coursera for customers maintaining a Quarterly Average Balance (QAB) of ₹5,000 card based offers on Amazon, Swiggy One, BookMyShow, Gaana and Airport Lounge Access.

- ❖ **Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme:** A New Education Loan Product has been introduced for pursuing higher education in India in selected top 860 Quality Higher Educational Institutions (QHEIs) identified by Ministry of Education (MOE).

- ❖ **Rooftop Solar Schemes:** A new rooftop solar scheme was introduced for installation of On Grid Residential Rooftop Solar System under retail segment.

Canara Rooftop Solar (CRTS) - PM Surya Ghar Yojana (PMMSGY) (Loan quantum: Maximum upto ₹6.00 lakh including subsidy)

- ❖ **Soft PoS - A new variant of PoS (Point of Sale) is launched.** It is a mobile application that facilitates Merchant Establishment (MEs) to accept digital payment through NFC enabled android mobiles from RuPay VISA & MasterCard contactless cards, UPI, Wallets etc.

Bank's Initiatives towards New Age Technologies:

- ❖ **Nodal Bank for PM Vidyalaxmi Scheme implementation:** PM Vidyalaxmi is a portal for students seeking Education Loan. This portal has been developed under the guidance of DoHE, Ministry of Education. The portal has been developed and being maintained by Canara Bank as the Nodal Bank for implementation and support of PM Vidyalaxmi scheme. This portal acts as an end-to-end digital system for students to apply for education loan from the banks of their choice as well as for interest subvention process.
- ❖ **Credit Card / Debit Card & UPI integration under GSTN:** We have enabled GST payment using Credit Card, Debit Card and UPI for all the Bank customers who choose to make payment through

यूपीआई/ भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करने के लिए इच्छुक सभी ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई भुगतान को सक्षम किया है।

- ❖ **एनएसीएच ई-मैण्डेट:** बैंक ने प्रायोजक डेबिट ई-मैण्डेट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ग्राहक की ऋण किस्त, आरडी किस्त आदि के भुगतान के लिए आसानी से अन्य बैंक खातों को डेबिट करने के लिए और केनरा बैंक खाते में क्रेडिट करने के लिए मैण्डेट को पंजीकृत कर सकता है।
- ❖ **एसएचजी दोहरा प्रमाणीकरण:** यह बीसी टर्मिनलों पर सक्षम किया गया है जिसके माध्यम से एसएचजी ग्राहक नकद जमा, नकद निकासी और निधि अंतरण लेनदेन कर सकते हैं।
- ❖ **एईपीएस के लिए फेस ऑथेंटिकेशन:** इसे एईपीएस लेनदेन और ई-केवाईसी खाता खोलने के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त मोड के रूप में सक्षम किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कारक के रूप में जीवन्तता का पता लगाने के साथ फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकता है।
- ❖ **एईपीएस को सक्षम / अक्षम करने की सुविधा:** बैंक ने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप, आईवीआरएस, एसएमएस बैंकिंग, कॉल सेंटर और शाखा के माध्यम से एईपीएस (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) को सक्षम / अक्षम करने की सुविधा प्रदान की है। यह ग्राहकों को खाता गतिविधियों पर अतिरिक्त नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।
- ❖ **बीएसई (बेस) एकीकरण:** डीबीटी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को परेशानी मुक्त तरीके से जमा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु, ग्राहकों को डिजिटल माध्यम से आधार सीडिंग / डी-सीडिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनपीसीआई ने भारत आधार सीडिंग इनेबलर (बेस) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। निम्न विकल्पों को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक को एनपीसीआई के बेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है: हमारा बैंक उत्पाद विपणन में सुधार के साथ-साथ निरंतर आधार पर हमारी ग्राहक सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे में नई युग की प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- ✓ आधार सीडिंग स्थिति का पता लगाना
- ✓ आधार सीडिंग
- ✓ आधार डी-सीडिंग
- ✓ आधार को एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाएँ (लिंक करें)

इसके अलावा, यह सुविधा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से हमारे सभी बैंक ग्राहकों को भी उपलब्ध कराई गई है।

Canara Bank UPI / Payment Gateway, in addition to existing options of Internet Banking and Over the Counter (OTC).

- ❖ **NACH E- Mandate:** Bank has launched Sponsor Debit E-mandate application where customers can easily register mandates to debit other bank accounts and credit Canara Bank account for various purposes such as Loan instalment, RD instalment etc.
- ❖ **SHG Dual Authentication:** It is enabled at BC Terminals through which SHG Customers can initiate cash deposit, cash withdrawal and fund transfer transactions.
- ❖ **Face Authentication for AePS:** It has been enabled as an additional mode of authentication for AePS transactions and eKYC account opening. Face authentication with liveness detection can be used as an additional factor to increase security.
- ❖ **Facility of Enabling / Disabling of AePS:** Bank has provided customers with the facility of Enabling/ Disabling of Aadhaar Enabled Payment System (AePS) through mobile banking, WhatsApp, IVRS, SMS banking, call centre and branch channels. This enables customers with additional control on account activities.
- ❖ **BASE Integration:** To ensure that the benefits of DBT schemes are credited to the beneficiary in a hassle-free manner, NPCI has launched Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE) platform to facilitate the citizens to carry out Aadhaar seeding / deseeding in digital modes. Bank is integrated with the BASE platform of NPCI, to facilitate the below options:
 - ✓ Checking the Aadhaar seeding status
 - ✓ Aadhaar seeding
 - ✓ Aadhaar de-seeding
 - ✓ Move Aadhaar from one bank to another

In addition, the facility has also been enabled to all our customers through Bank's website.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मौजूदा बैंकिंग सुविधाओं में जोड़ी गई प्रमुख सुविधाएं:

- ❖ **इंटरनेट बैंकिंग:** डिजिटल ऋण मंच, लॉगिन पृष्ठ में चैट बॉट एकीकरण, आधार डेटा वॉल्ट (आधार के माध्यम से आधार विवरण प्राप्त करने और संग्रहीत करने की सुविधा), सीवीवी सत्यापन, आदि।
- ❖ **मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनरा एआई1):** ट्रेन टिकट बुकिंग, लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना, औसत मासिक शेष पूछताछ, नई हरित सावधि जमा, अंतर्राष्ट्रीय नकद निकासी पर प्रतिबंध आदि।
- ❖ **यूपीआई:** यूपीआई टैप और पे, यूपीआई के लिए यूआई/यूएक्स संवर्धन, यूपीआई वैश्विक लेनदेन के लिए पैन सत्यापन, यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक / अन-ब्लॉक करें आदि।
- ❖ **एटीएम:** आधार डेटा वॉल्ट सुविधा, एटीएम के पावर शेल को अक्षम करना, कैश रिसाइकल्स में कार्ड नंबर की मास्किंग, ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ई-मेल सत्यापन आदि।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमारे बैंक की कारोबारिक प्रक्रियाओं में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के सिद्धांत गहराई से अंतर्निहित हैं। बैंक, सीएसआर के तहत, समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक उद्देश्यों को एकीकृत करने और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करता है। बैंक की सीएसआर पहलों में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति, महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपने उत्पादों का विपणन करने में सहायता करना, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करना, डिजिटल कक्षाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय आदि की स्थापना, दूर दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना, असुविधाग्रस्त इलाकों के वंचित लोगों को भोजन और पोषण प्रदान करने की पहल, स्वच्छ भारत, खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी अन्य सामाजिक पहल गतिविधियां शामिल हैं।

Major features added in Existing Banking Facilities in FY 2024-25:

- ❖ **Internet Banking:** Digital Lending Platform, Chat Bot Integration in login page, Aadhaar Data Vault (Facility to fetch and store Aadhaar details through Aadhaar), CVV validation, etc.
- ❖ **Mobile Banking application (CANARA Ai1):** Train Ticket Booking, Target-based financial planning, Average Monthly Balance enquiry, New Green Term Deposit, Restriction on International Cash Withdrawal etc.
- ❖ **UPI:** UPI Tap & Pay, UI / UX Enhancements for UPI, PAN validation for UPI Global transactions, Block / Unblock RuPay Credit Card on UPI etc.
- ❖ **ATMs:** Aadhaar Data Vault feature, Disabling PowerShell in ATMs, Masking of card number in Cash Recyclers, Mobile number and e-mail validation through OTP etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The principles of Corporate Social Responsibility (CSR) are deeply ingrained in the business processes of our Bank. Under CSR, the Bank endeavours to integrate environmental, social and governance objectives, aligning them with national priorities for inclusive development. CSR initiatives of the Bank cover activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, assisting women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products, providing infrastructure to schools, setting up of Digital classrooms, computer labs, libraries etc, especially in the rural areas of our country, providing basic healthcare facilities in hinterland and rural areas, initiatives to provide food & nutrition to underprivileged people, Swachh Bharat, sports and other social initiatives.

इसके अलावा, बैंक ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि में सौर पैनलों, सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रिड, जल संचयन प्रणाली, बायो गैस संयंत्र आदि की स्थापना जैसी हरित पहलों को लागू किया है।

भविष्य की योजनाएं

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आशावादी दृष्टिकोण बना हुआ है, जो सतत घरेलू विकास संवेग, नियामक से तरलता समर्थन, आस्ति गुणवत्ता में सुधार और लाभप्रद पूंजी बफर से समर्थित है। इस पृष्ठभूमि में, वित्त वर्ष 26 में भी ऋण वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2025 में शुरू किए गए हमारे कासा अभियान की सफलता के पश्चात अब बैंक नवीन और ग्राहक अनुकूलित उत्पादों के माध्यम से ग्राहक आधार का विस्तार करने के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ फिर से जुड़कर वित्त वर्ष 2025-26 में कम लागत वाले जमा आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करना हमारे प्रयासों का आधार होगा। बैंक मार्जिन बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट संविभाग का पुनर्मूल्यांकन करते समय सामरिक रूप से आरएएम क्रेडिट पोर्टफोलियो (खुदरा, कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ और एमएसएमई) पर जोर देकर अपनी आधार-रेखा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उद्योग की उभरती गतिशीलता और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी मजबूतियों का लाभ उठाने तथा अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने हेतु बैंक निरंतर नवोन्मेषण के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक प्रबंधन अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में योगदान करते हुए, “बैंकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक” बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप, वित्त वर्ष 2025-26 और उससे आगे भी, मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ नए युग की डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी कारोबारिक क्षेत्रों में संवर्धित विकास हासिल करने को लेकर पूर्णतयः आश्वस्त है।

मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके अमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के बल पर हम सफल हो

Besides this, the Bank has implemented green initiatives, such as installation of solar panels, solar power plants, grids, water harvesting systems, biogas plants in Government Schools, Universities, Panchayats etc. to promote environment protection.

WAY FORWARD

The outlook for FY 2025-26 remains optimistic, bolstered by sustained domestic growth momentum, liquidity support from the regulator, improving asset quality and healthy capital buffers. In this backdrop, credit growth is anticipated to remain robust in FY26 as well.

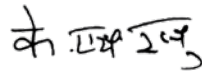
Building on the success of our CASA campaign launched in fiscal 2025, the Bank remains focussed to significantly enhance the low-cost deposits base in FY 2025-26 by expanding the customer base through innovative and customized products as well as reconnecting with existing customers. Strengthening digital capabilities to offer secure, fast and seamless customer experience will be the cornerstone of our efforts. Bank also remains focussed on enhancing its bottom line by strategically emphasizing on RAM credit portfolio (Retail, Agriculture & Allied activities and MSME) while reassessing the corporate portfolio with the aim of enhancing margins. The Bank remains committed to continuous innovation, leveraging its strengths in response to evolving industry dynamics and shifting customer preferences and generate enduring value for all its stakeholders.

The Bank's management is confident about achieving augmented growth across all business segments by harnessing new age digital technology with strengthened fundamentals in FY 2025-26 and beyond, aligning with the vision to become the "Best Bank to Bank With", while contributing to the inclusive growth of the economy.

I extend my gratitude to all members of the Board for their invaluable support, guidance and insights provided to the management. I also express appreciation to the Department of Financial Services,

सके। मैं, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपने समर्थन और मार्गदर्शन से हमारा पथ प्रदर्शित किया। कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के लिए हमारे सभी कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद। इस विकास यात्रा में सभी ग्राहकों और हितधारकों का स्पष्ट समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हम भविष्य में सफलता के नए आयाम छू सकें इसके लिए आपका निरंतर संरक्षण, समर्थन और आपकी सद्भावना अपेक्षित है।

Ministry of Finance and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. Heartfelt thanks are extended to all our employees for their hard work, dedication and unwavering commitment. The unequivocal support of all customers and stakeholders in this growth journey has been extremely important for us. We look forward to your continued patronage, support and goodwill as we strive to reach new heights.



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक: 30.05.2025



K. Satyanarayana Raju
Managing Director & CEO

Date: 30.05.2025





वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025
ANNUAL REPORT



वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025

विषयवस्तु

1. सूचना	2
2. प्रगति की एक झलक	54
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2024-2025	55
• प्रबंधन विचार – विमर्श और विश्लेषण	58
• कारोबार निष्पादन	62
• वित्तीय निष्पादन	63
• वित्तीय समावेशन	86
• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस का कल्याण	107
• निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य	137
• सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	139
4. कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)	145
5. कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	268
• निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र	347
6. कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र	350
7. एकल वित्तीय विवरण	
• स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	370
• असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	374
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)	375
• तुलन-पत्र	377
• लाभ व हानि लेखा	378
• तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां	379
• लाभ व हानि लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां	387
• महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	389
• लेखा संबंधी टिप्पणियां	409
• पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)	512
• नकद प्रवाह विवरणी	514
8. समेकित वित्तीय विवरण	
• स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	519
• असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा	535
• सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)	536
• समेकित तुलन पत्र	538
• समेकित लाभ व हानि खाता	539
• समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां	541
• समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां	548
• लेखांकन नीतियां	551
• समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां	576
• समेकित नकद प्रवाह विवरणी	591
9. लाभांश वितरण नीति	610
10. हरित पहल - शेयरधारकों से अपील	617

ANNUAL REPORT 2024-2025

CONTENTS

1. NOTICE	2
2. PROGRESS AT A GLANCE	54
3. DIRECTORS' REPORT 2024-2025	55
• MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS	58
• BUSINESS PERFORMANCE	62
• FINANCIAL PERFORMANCE	63
• FINANCIAL INCLUSION	86
• Welfare of SC / ST / OBC / EWS	107
• DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT	137
• SECRETARIAL AUDIT REPORT	139
4. BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING (BRSR)	145
5. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	268
• CERTIFICATE OF DISQUALIFICATION OF DIRECTORS	348
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE	350
7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS	
• INDEPENDENT AUDITORS' REPORT	370
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	374
• CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	375
• BALANCE SHEET	377
• PROFIT AND LOSS ACCOUNT	378
• SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET	379
• SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT	387
• SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	389
• NOTES ON ACCOUNTS	409
• PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED)	513
• CASH FLOW STATEMENT	514
8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	
• INDEPENDENT AUDITORS' REPORT	519
• DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION	535
• CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015	536
• CONSOLIDATED BALANCE SHEET	538
• CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	539
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET	541
• SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT	548
• ACCOUNTING POLICIES	551
• NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	577
• CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT	591
9. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY	610
10. GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS	618

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की तेईसवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 26 जून, 2025 को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी :

1. यथा 31 मार्च 2025 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि खाता, तुलन पत्र खाता पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट ।
2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश घोषित करना ।
3. बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एस के मजुमदार की नियुक्ति।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 4/5(i)/2023-बीओ.आई. दिनांक 24 मार्च, 2025 के माध्यम से, पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, यानी 24 मार्च, 2025 से 23 मार्च, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एस के मजुमदार की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाता है।

4. वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 92897), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मुंबई को वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पांच

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-Third Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Thursday, the 26th June 2025 at 11 A.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means**, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2025, Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2025, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2024-25.
3. To appoint Shri. S K Majumdar as an Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the appointment of Shri. S K Majumdar as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Notification Ref. eF.no. 4/5(i)/2023- BO.I dated 24th March, 2025 issued by Gol, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from March 24, 2025 to March 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.”

4. To appoint Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years commencing from the FY 2025-26.

To consider and if thought fit, to pass the following as an ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT M/s. Ragini Chokshi & Co. (Firm Registration Number 92897), Practicing Company Secretaries, Mumbai, is hereby appointed as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five

वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

5. सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना।

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को विशेष संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए :

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) और 9(2)(बी) के साथ पठित, अधिसूचना संदर्भ ईएफ.सं. 6/1(i)/2024-बीओ.आई दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 11 अप्रैल, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एतद्वारा बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में सुश्री नलिनी पद्मनाभन की पुनः नियुक्ति की जाती है।

6. केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना, जिनके संबंध में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बीआर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, जैसा कि संशोधित किया गया है (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 और भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'योग्य और उचित' मानदंड) निदेश, 2019 के अनुसार जारी किए गए आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निर्देश डीबीआर एपीपीटी संख्या: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 और इसके आगे संशोधन, यदि कोई हो (इसके बाद "आरबीआई निर्देश" के रूप में संदर्भित) और भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई

consecutive Financial Years commencing from the FY 2025-26 till FY 2029-30."

5. To reappoint Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 (1C) of SEBI (LODR), Regulations, 2015 and other applicable regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the reappointment of Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank in exercise of powers under clause (h) of subsection (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 vide Notification Ref. eF.No 6/1(i)/2024- BO.I dated 11th April, 2025 issued by Gol, for a term of one year, from the date of notification, i.e., from April 11, 2025 to April 10, 2026, or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved.”

6. To elect two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (hereinafter referred to as “the Act”) read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as “the B R Act”) and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as “the Scheme”) and Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, as amended (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India (‘Fit and Proper’ Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI Circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto,

दिनांक 3 सितंबर 2013, एफ.सं.16/51/2012-बीओआई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और 20 जुलाई 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 मार्च 2015, 08 जुलाई 2016 और उसमें किसी भी आगे संशोधन, (जिसे आगे "भारत सरकार के दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को निर्धारित मानदंडों के साथ पढ़ा जाए और संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, संबंधित योजना, इसके तहत बनाए गए विनियमन, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने गए दो निदेशकों को बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे 27 जुलाई, 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि पूरी होने तक (यानी, 26 जुलाई, 2028 तक) पद पर बने रहेंगे।”

उपर्युक्त चुनाव और संकल्प को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भी माना जाएगा।

if any (hereinafter referred to as “RBI Directions”) and Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the “GOI Guidelines”) and to pass the following resolution with or without modification(s):

“RESOLVED THAT two Directors elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Directions and GOI Guidelines, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 27th July, 2025 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption (i.e., up to 26th July, 2028)”.**”**

The aforesaid Election and the Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25(2A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2025

By Order of the Board of Directors

के. सत्यनारायण राजु

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2025

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3,4,5 व 6 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वर्ष 2025 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को छूट दी है, जो **30 सितंबर, 2025** को या उससे पहले सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 23rd एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।

बैंक ने ई-एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और परिचर एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त किया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

- वीसी / ओएवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमति देगा।
- बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटरों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।
- ई-एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना बैठक के कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।
- शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।
- शेयरधारक रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> / शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3, 4, 5 & 6 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide various circulars issued from time to time has extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2025 to conduct their AGMs on or before **30th September, 2025** in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 23rd AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- The VC / OAVM would allow participation of at least 1000 Shareholders on first-come-first-serve basis.
- No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.
- The attendance of Shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.
- The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.
- Shareholders may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com> / under Shareholders/

कर सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

- च) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- छ) इसके अलावा, शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति देने की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करें।
- ज) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
- झ) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, उनके नाम, फोलियो / डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" पटल को 23 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 24 जून 2025 को शाम 5 बजे तक सक्रिय किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा, जब, शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 19 जून 2025 तक शेयरों को धारण करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक "स्पीकर पंजीकरण" के तहत उसी पटल में

members login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in Shareholder / members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

- f) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.
- g) Further, Shareholders will be required to allow camera, if any, and hence use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- i) The stakeholders may contact RTA / Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The Shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail id and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from 10 A.M. IST on 23rd June 2025 till 5 P.M. IST on 24th June 2025.

Please note that, Shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the Shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 19th June 2025.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload

दिए गए विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़नेवाले वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेयरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेयरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

5. प्रॉक्सी की नियुक्ति

प्रॉक्सी को शेयरधारक की ओर से आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति है जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। चूंकि यह बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेयरधारक द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जो बैंक का शेयरधारक है, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् शनिवार, 21 जून, 2025 को बैंक के बंद होने के समय पर या उससे पहले जमा किया जाना होगा।

their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."

Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of Kfintech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / OAVM, where the physical attendance of the Shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him / her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the 21st June, 2025.

7. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

इकाई : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर अंतरण एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों / ई-मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

8. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर ₹4/- (अर्थात 200%) के लाभांश को प्रत्येक शेयरधारकों को ₹2/- अंकित मूल्य का वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन देने हेतु सिफारिश की है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन शेयरधारकों के नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा 13 जून 2025 (आगे से रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किए गए शेयरधारकों / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाए। लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (26 जून 2025) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। बैंक जहां भी संभव हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएसएस के माध्यम से जमा लाभांश राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क कर सकते हैं।

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited

Unit: Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32,

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the Shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. RECORD DATE

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4/- per equity share (i.e. 200%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the financial year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 13th June 2025 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (26th June 2025). The Bank will credit the dividend amounts to the Bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and Bank mandate details (including new account number, if any, Bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक अधिदेश का विवरण बैंक के सचिवालय विभाग या इस नोटिस में दिए गए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पते पर प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

9. लाभांश भुगतान पर कर

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय पर कर योग्य है और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक/आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।

ख) वैध पैन के साथ निवासी व्यक्ति शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्रोत पर कर की कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म नंबर 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जैसे आवश्यक दस्तावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जिसे संबंधित दस्तावेजों / घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों / प्रपत्रों को अपलोड करके या ईमेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों / प्रपत्रों की मूल प्रति जो आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध हैं।

ग) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस/रोक कर दर पर कर निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर 16 जून 2025 को शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), पर अपलोड करें या einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल करें।

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice in order to receive dividend. No Dividend warrant will be issued to them.

9. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of Shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the Shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The Shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual Shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate. Non-resident Shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).

c) The Shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 P.M. (IST), 16th June 2025 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15> or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

घ) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल मूल प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 16 जून 2025 के बाद कर निर्धारण / कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever Shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 16th June 2025.

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधि अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे खातों में लाभांश के प्रत्यक्ष जमा हेतु बैंक खातों के अद्यतन के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात् www.canarabank.com पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर अंतरण एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी / 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से संबंधित अप्रदत्त लाभांश पहले ही आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में उन सभी शेयरों को स्थानांतरित करेगा जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, साथ ही उक्त नियमों में निर्दिष्ट विवरणों वाले विवरण भी होंगे;

कोई भी व्यक्ति जिसके शेयर या अदावाकृत या अप्रदत्त धन को उपधारा (3) के अधीन निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया गया है, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the financial years 2021-22, 2022-23 and 2023-24, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Bank for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C / 125 of the Companies Act, 1956/2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is already transferred to IEPF.

Further, in terms of The Banking Laws (Amendment) Act, 2025, the Bank shall transfer, in accordance with the rules made under Section 124 of the Companies Act, 2013, to the Investor Education and Protection Fund established under Section 125 of the said Act, all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven consecutive years, along with a statement thereof containing the details specified in the said rules;

Any person whose shares or unclaimed or unpaid money has been transferred to the Investor Education and Protection Fund under sub section (3), shall be entitled to claim the transfer from the said fund,

124 और धारा 125 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उक्त निधि से अंतरण का दावा करने का हकदार होगा।

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजेगा, जो इसके लिए अनुरोध करेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और <https://evoting.kfintech.com/> पर भी देखा जा सकता है।

12. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को कैफ़ीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

कार्यसूची मद संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के संबंध में शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा गुरुवार, 19 जून 2025 को धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी तथा कार्यसूची मद संख्या 6 के संबंध में शुक्रवार, 23 मई 2025 को कट-ऑफ तिथि होगी। कट-ऑफ तिथियों पर बैंक के शेयरधारक जो भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, वे नोटिस के कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

in accordance with the rules made under Section 124 and Section 125 of the Companies Act, 2013.

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will send the physical copies of Annual Report to the Shareholders who request for the same. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, no Shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the Shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

With respect to agenda items No. 1, 2, 3, 4 and 5, the e-voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Thursday, 19th June 2025 and with respect to agenda item No. 6 as on Friday, 23rd May 2025 being the Cut-off date(s) respectively. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- क. ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें:
<https://evoting.kfintech.com>
- ख. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।
- ग. **जिन लोगों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:**

जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग नोटिस की सेवा नहीं दी जा सकी है, वे अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को भेज सकते हैं, इसके लिए लिंक <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> पर क्लिक करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

- घ. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
- ङ. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ए-जेड), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते

The instructions for e-Voting are as under:

- a. To use the following URL for e-voting:
<https://evoting.kfintech.com>
- b. Enter the login credentials Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.
- c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, Shareholders may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively, Shareholders may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

- d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc., on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost

हैं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

- च. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करना होगा।
- छ. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको इवेंट, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।
- ज. **मतदान पृष्ठ पर कार्यसूची मद सं 1, 2, 3, 4 व 5** के लिए निर्दिष्ट तिथि (19 जून, 2025) के अनुसार शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति / असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेयरों को दर्ज करें और जैसा भी मामला हो, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।
- झ. **कार्यसूची मद सं 6** के लिए इस कार्यसूची मद के संबंध में, निर्दिष्ट तिथि यानी शुक्रवार, 23 मई, 2025 को शेयर रखने वाले लोग, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से अधिकतम दो उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डाल सकते हैं, जिनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देंगे। दो से अधिक उम्मीदवारों को वोट देने पर आपका वोट अमान्य हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए ओके पर क्लिक करें अन्यथा संशोधित करने के लिए रद्द करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक चुनाव प्रस्ताव पर मतदान करने तक जितनी बार चाहें उतनी बार लॉगिन कर सकते हैं।
- ञ. ऐसे शेयरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

care to keep your password confidential.

- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.
- h. **For the Agenda items No. 1, 2, 3, 4 & 5** on the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the Cut-off Date (19th June, 2025) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items, then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.
- i. **For the Agenda item No. 6** In respect of this Agenda Item, those holding shares as on the specified date, i.e., Friday, 23rd May, 2025, can cast their vote in favour of maximum two candidates, out of the contesting candidates, whose names will appear on the screen. Casting Vote exceeding two candidates shall render your vote as invalid. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Election resolution.
- j. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, Shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no Shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

ट. संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।

ठ. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ड. रिमोट ई-वोटिंग अवधि :

यह पोर्टल सोमवार, 23 जून, 2025 को सुबह 9.00 बजे से बुधवार, 25 जून 2025 को शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) मतदान के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

ढ. किसी भी प्रकार के पृष्ठताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का उल्लेख कर सकते हैं या कैफ़रीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री एस वी राजू / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

ण. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

त. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

निक्षेपागार के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया:

k. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to : scrutinizer@snaco.net.

l. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

m. Remote e-Voting Period:

The portal will remain open for voting from: 9.00 A.M. on Monday, the 23rd June, 2025 to 5.00 P.M. on Wednesday, the 25th June, 2025 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.

n. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju / Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

o. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

p. The results of e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual Shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. आई डी ए एस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता: - यूआरएल: https://eservices.nsdl.com - आई डी ए एस के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। - नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi / Easiest का विकल्प चुना है। - यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com - नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें - यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। - बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। - अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. आई डी ए एस ई-सेवाओं के लिए प्रयोक्ता पंजीकृत नहीं है - रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com "रजिस्टर ऑनलाइन फॉर आई डी ई ए एस" का चयन करें - वैकल्पिक तौर पर आवश्यक विवरणी दर्ज करें। विकल्पतः, - पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp - आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।	2. प्रयोक्ता जो Easi / Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है - पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है - आवश्यक मदों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ - शेयरधारक/सदस्य भाग के तहत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। - यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में दर्ज 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करें। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। - रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर - यूआरएल: www.cdslindia.com - डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें - सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। - सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रहा होगा।
4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए डूआप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहां आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।	

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility: • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting” • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e-Services • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select “Register Online for IDeAS” • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields.	2. User not registered for Easi/Easiest • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields.
3. By visiting the e-Voting website of NSDL • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period	3. By visiting the e-Voting website of CDSL • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress
4. For OTP based login • You can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN No., Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on the company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-voting service provider website for casting your vote during the remote e-voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.	

महत्वपूर्ण सूचना: जो शेयरधारक प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगोट यूजर आईडी और फॉरगोट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL.

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 and 022-23058542-43
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

14. बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली

केवल उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत नहीं डाला है।

शेयरधारक बैठक के दौरान वीसी / एवीएम में लॉग इन करने के बाद उपलब्ध लिंक <https://emeetings.kfintech.com/> पर क्लिक करके पर क्लिक करके उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकते हैं।

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system.

The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link: <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. वोटिंग / पोल के समय संवीक्षक

मेसर्स एस एन अनंथसुब्रमण्यम एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव बैठक के सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टापोल दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग और सर्वेक्षण के परिणाम

रिमोट ई-वोटिंग और ई-एजीएम में मतदान के समेकित परिणाम दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में घोषित किए जाएंगे और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

व्याख्यात्मक वक्तव्य

मद संख्या 3

श्री एस के मजुमदार को बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त करना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर ली जाए, जो भी पहले हो। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, श्री एस के मजुमदार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 24 मार्च, 2025 से 23 मार्च, 2028 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार श्री एस के मजुमदार का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

श्री एस के मजुमदार, 56 वर्ष के हैं और बैंकिंग उद्योग में 25 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ एक कुशल बैंकिंग पेशेवर हैं। वे योग्यता से सनदी लेखाकार और लागत लेखाकार हैं।

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote e-voting and instapoll in respect of all the agenda items items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and Voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

EXPLANATORY STATEMENTS

ITEM No. 3

To appoint Shri. S K Majumdar as an Executive Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. S K Majumdar has been appointed as an Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from March 24, 2025 to March 23, 2028, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri. S K Majumdar in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri. S K Majumdar, aged 56 years, is an accomplished Banking professional with over 25 years of extensive experience in the industry. He is a Chartered Accountant and Cost Accountant by qualification.

वे जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं और उन्होंने शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है, जिसमें परियोजना वित्त भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं, जिसमें वृहद कॉर्पोरेट शाखाओं, न्यूयॉर्क शाखा और वृहद कॉर्पोरेट साख विभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने तक बैंक के समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ) का पदभार संभालने से पहले बैंक में दिल्ली अंचल प्रमुख, दिल्ली के रूप में भी कार्य किया है।

He has been associated with the Bank since January 2000 and has served in various capacities across branches and administrative offices which includes project finance. Over the years, he has held key leadership roles, heading Large Corporate Branches, New York branch and Large Corporate Credit Wing. He has also served the Bank as Circle Head, Delhi before taking charge as Group Chief Financial Officer (GCFO) of the Bank till his elevation as Executive Director.

मद संख्या 4

वित्त वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना।

सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 24ए के अनुसार भारत में निगमित प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई सचिवीय लेखा परीक्षा करेगी तथा सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, निर्दिष्ट प्रारूप में, अभ्यासरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करेगी। प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिनों के भीतर, शेयर बाजार को निर्दिष्ट प्रारूप में सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

01.04.2025 से, निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक सूचीबद्ध इकाई नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति करेगी: (i) एक व्यक्ति को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पाँच वर्षों की एक अवधि से अधिक नहीं के लिए; या (ii) एक सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में लगातार पांच वर्षों की दो अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। इसलिए पांच साल की अवधि के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक है।

बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति को मंजूरी दी और मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी (फर्म पंजीकरण संख्या 92897), अभ्यासरत कंपनी सचिव, मुंबई को बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होने वाले लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने का संकल्प लिया। सचिवीय लेखा परीक्षक को देय प्रस्तावित शुल्क जीएसटी को छोड़कर प्रति वर्ष 80,999 रुपये (प्रति वर्ष 10% वार्षिक वृद्धि के साथ) और जीएसटी को छोड़कर पांच वर्षों के लिए 4,94,499 रुपये निर्धारित किया गया है। नव नियुक्त सचिवीय लेखा

ITEM No. 4

To appoint Secretarial Auditor of the Bank for a term of five years commencing from the FY 2025-26.

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (LODR) Regulations 2015, every listed entity incorporated in India shall undertake secretarial audit and shall annex a secretarial audit report given by a company secretary in practice, in such form as specified, with the annual report of the listed entity. Every listed entity shall submit a secretarial compliance report in such form as specified, to stock exchanges, within sixty days from end of each financial year.

With effect from 01.04.2025, on the basis of recommendation of board of directors, a listed entity shall appoint or re-appoint: (i) an individual as Secretarial Auditor for not more than one term of five consecutive years; or (ii) a Secretarial Audit firm as Secretarial Auditor for not more than two terms of five consecutive years, with the approval of its Shareholders in its Annual General Meeting. Hence there is a requirement to appoint a Secretarial Auditor for a term of five years.

Board of Directors of the Bank approved the Appointment of Secretarial Auditor of the Bank and resolved to appoint M/s. Ragini Chokshi & Co. (Firm Registration Number 92897), Practicing Company Secretaries, Mumbai as the Secretarial Auditor of the Bank for a term of five consecutive years commencing from the FY 2025-26 subject to the approval of Shareholders of the Bank". The proposed fee payable to the Secretarial Auditor is fixed at ₹80,999/- per year excluding GST (with 10% annual increment per year) and ₹4,94,499/- for five years, excluding GST. There is no material change in the

परीक्षक को देय शुल्क में निवर्तमान लेखा परीक्षक को दिए जाने वाले शुल्क से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

मेसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी अभ्यासगत कंपनी सचिव, मुंबई को पात्रता मानदंड को पूरा करने के साथ-साथ सबसे कम बोली प्रस्तुत करने के आधार पर नियुक्त किया गया है। फर्म की वरिष्ठ और संस्थापक भागीदार श्रीमती रागिनी चोकशी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की फेलो सदस्य हैं और उन्हें कंपनी सचिव के रूप में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। पीसीएस वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं।

मद संख्या 5

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए श्रेयधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की समयावधि के भीतर, जो भी पहले हो, ली जाए। बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए श्रेयधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए।

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को 21 दिसंबर, 2021 से तीन साल की अवधि के लिए केनरा बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल दिनांक दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ।

केंद्र दिनांक द्वारा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के पैराग्राफ 5(1) और 9(2)(बी) का प्रयोग करते हुए, सुश्री नलिनी पद्मनाभन को अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 11 अप्रैल 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।

fee payable to the newly appointed Secretarial Auditor from that paid to the outgoing auditor.

M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai is appointed on the basis of fulfilling the eligibility criteria as well as submitting the lowest quote. Mrs. Ragini Chokshi, senior and founding partner of the firm, is a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and is having more than 30 years' experience as Company Secretary in practice. The PCS is currently serving as Secretarial Auditor of Public Sector Banks.

ITEM No.5

To reappoint Ms. Nalini Padmanabhan as Part-time Non-Official Director of the Bank.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the listed entity shall ensure that approval of Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a manager is taken at the next General Meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the Shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

Ms. Nalini Padmanabhan, was appointed as Part-Time Non-Official Director on the Board of Directors of Canara Bank, for the period of three years w.e.f. 21st December, 2021 and her tenure was completed on 20.12.2024.

In exercise of powers under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with paragraph 5(1) and 9(2)(b) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 by the Central Government, Ms. Nalini Padmanabhan has been reappointed as Part-time Non-Official Director on the Board of the Bank, for a term of one year, from the date of notification, i.e., from April 11, 2025 to April 10, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के अनुसार सुश्री नलिनी पद्मनाभन का संक्षिप्त परिचय, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित, इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दिया गया है।

60 वर्षीय सुश्री नलिनी पद्मनाभन बी.कॉम, एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की फेलो सदस्य हैं। वह एक अभ्यासगत सनदी लेखाकार हैं और बी. त्यागराजन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चेन्नई में वरिष्ठ भागीदार हैं। उनके पास लेखा, लेखा परीक्षा, बैंकिंग, वित्त और कई अन्य उद्योगों में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव और ज्ञान है। उन्होंने एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम किया है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (चेन्नई लोकल बोर्ड) में भी स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम किया है।

11 अप्रैल, 2025 को केनरा बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

बैंक में निदेशक पद/शेयरधारिता की सीमा तक के अलावा कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित/रुचि नहीं रखते हैं और एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

मद संख्या 6

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव करना

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, वर्तमान में हमारे बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित तीन निदेशक हैं।

01. श्री विमल प्रसाद शर्मा (पुनर्निर्वाचित यथा दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक)
 02. सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (यथा दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक)
 03. श्री हेमंत बुच (यथा दिनांक 30.11.2024 से 29.11.2027 तक)
- दो निर्वाचित शेयरधारक निदेशकों, अर्थात् श्री विमल प्रसाद शर्मा और सुश्री आभा सिंह यदुवंशी का कार्यकाल दिनांक 26.07.2025 को

Brief profile of Ms. Nalini Padmanabhan in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Ms. Nalini Padmanabhan, aged 60 years, is B.Com, FCA, DISA, CISA and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. She is a Practicing Chartered Accountant and a Senior Partner at B. Thiagarajan & Co., Chartered Accountants, Chennai. She is having more than three decades of work experience and knowledge in Accounting, Auditing, Banking, Finance and various other industries. She has served as an Independent Director in NLC India Limited, NLC Tamil Nadu Power Limited. and Indradhanush Gas Grid Limited. She has also served as an Independent Director in State Bank of India (Chennai Local Board).

Ms. Nalini Padmanabhan has taken charge as Part-Time Non-Official Director of Canara Bank on 11th April, 2025.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their directorship/ shareholding if any, in the bank are concerned / interested in the above resolution and are not related to each other.

ITEM No.6

To Elect Two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government

Pursuant to Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, at present, the Board of Directors of our Bank has the following three Directors representing Shareholders other than the Central Government.

01. Shri. Bimal Prasad Sharma (Re-elected w.e.f. 27.07.2022 to 26.07.2025).
 02. Ms. Abha Singh Yaduvanshi (w.e.f. 27.07.2022 to 26.07.2025).
 03. Shri. Hemant Buch (w.e.f. 30.11.2024 to 29.11.2027).
- The term of Two elected Shareholder directors, i.e., Shri. Bimal Prasad Sharma and Ms. Abha Singh Yaduvanshi ends on 26.07.2025. Accordingly, to fill in

समाप्त हो रहा है। तदनुसार, उक्त रिक्तियों को भरने के लिए, निदेशक मंडल ने बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चुनाव कराने का निर्णय लिया है।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना और दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं।

शेयरधारक निदेशकों का चुनाव शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए नामांकनों की जांच के बाद तथा बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उनकी 'उपयुक्त एवं योग्य' स्थिति के निर्धारण के बाद तथा उसके बाद वार्षिक आम बैठक में चुनाव के बाद किया जाएगा। इस प्रकार चुने गए शेयरधारक निदेशक 27 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण करेंगे तथा तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

इसलिए शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके प्रासंगिक उद्धरण/अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

the said vacancies, the Board of Directors have decided to conduct election of two directors from amongst Shareholders other than the Central Government at the ensuing AGM of the Bank.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act, Scheme, Regulations, Notification and Guidelines.

The Shareholder Directors will be elected after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of his / her 'Fit & Proper' Status by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors and subsequent election at the AGM. The Shareholder Directors so elected shall assume office from 27th July 2025 and shall hold office for a period of three years.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore, entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder.

क. विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं / अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को दर्शाती है:

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	- पर्याप्त रुचि - सामान्य निदेशकों का निषेध - अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3ए) & धारा 9(3बी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	- मताधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति वाला व्यक्ति न हो। भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। - निष्ठा और गोपनीयता के प्रति दायित्व
राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8) खंड 14ए, विशेष प्रावधान	- निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं - निदेशक का पद रिक्त होना - निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना - निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं। - यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि समिति में किसी रिक्त स्थान के होने या उसके किसी सदस्य के समिति से अलग हो जाने के कारण समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है, तो बोर्ड ऐसा कार्य या बात कर सकता है।

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Regulation / Scheme/ Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	- Substantial Interest - Prohibition of Common Directors - Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	- Restriction on voting rights - No. of directors to be elected by the Shareholders - Special knowledge in certain fields No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. - Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8) Clause 14A, Special provision	- Term of office of elected directors - Disqualifications from being elected as a Director of the Bank - Vacation of office of Director - Removal from office of an elected Director - Filling of casual vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested. - If the Board is satisfied that quorum for meeting of Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or refusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाएं	महत्वपूर्ण प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग • आम सभा में मतदान • निदेशकों का चुनाव आम बैठक में किया जाएगा • शेयरधारकों की सूची • चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकनों की संवीक्षा • चुनाव विवाद • मताधिकार का निर्धारण • विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान • प्रॉक्सी
आरबीआई अधिसूचना संख्या DBR. Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और अन्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3 एए) और धारा 9(3 एबी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त एवं उचित मानदंड
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 को भारत सरकार के पत्र एफ.सं.16/51/2012-बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के साथ पठित तथा दिनांक 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन और उसके पश्चातवर्ती संशोधन, यदि कोई हों, के साथ पठित।		बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्त और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करना
सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ-साथ आरबीआई अधिसूचना संख्या DBR.Appt. No : 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रासंगिक उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे उद्धरण इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात बुधवार, 11 जून, 2025 को या उससे पहले बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, केनरा बैंक को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर ईमेल भी किए जाएंगे।

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	IMPORTANT PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBR. Appt. No: 9/ 29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and others	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	'Fit and Proper' criteria for elected directors on the board of nationalized Banks
Revised Guidelines issued by the Government of India, approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part-time non-official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. dated 28 th April 2015 and dated 20 th July 2016 read with OM dated 3 rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.		These guidelines be kept in mind by the Nomination and Remuneration Committee of the Board while carrying out determination of 'Fit and Proper' Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
RBI Master Circular dated 1 st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (LODR) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme / Regulation as well as RBI Notifications No. DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and GOI Guidelines will be hosted in the Bank's website www.canarabank.com which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Canara Bank at their Head Office at Bengaluru on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e., Wednesday, June 11, 2025.

ख. चुनाव में भागीदारी:

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऐसे शेयरधारक जिनके नाम निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 23 मई, 2025 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / हिताधिकारी स्वामी के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में भाग लेने, अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के हकदार होंगे।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि केन्द्र सरकार निदेशकों के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है।

ग. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं

(क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा:

क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

ख) यदि वह विकृतचित्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

ग) यदि उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया हो; या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, सिवाय पूर्णकालिक निदेशक के पद को धारण करने के, जिसके अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक भी शामिल हैं।

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, such of those Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut- Off Date i.e., on Friday, May 23, 2025 shall be entitled to participate, i.e., nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Directors.

C. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

(ख) यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं डीबीआर आवेदन 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 और भारत सरकार के दिशा-निर्देश संख्या एफ नं 16/51/2012-बी ओ आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 को 3 सितम्बर 2013 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित अनुसार 'उपयुक्त और योग्य' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

घ. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा तथा पुनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

ङ. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

1. अधिनियम की धारा 9(3 ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक चुना जाता है,

क) निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:-

i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ii. बैंकिंग

iii. सह-परिचालन

iv. अर्थशास्त्र

v. वित्त

vi. विधि

vii. लघु उद्योग

viii. कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. आवेदन.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान

(B) If he / she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and Government of India guidelines No. F.No.16/51/2012-BO.I. dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013.

D. TENURE

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

E. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

a) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:

i. Agriculture and Rural Economy

ii. Banking

iii. Co-operation

iv. Economics

v. Finance

vi. Law

vii. Small Scale Industry

viii. Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

(RBI vide its circular no. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement

प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है)

क) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता है; या

ख) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है

2. अधिनियम की धारा 9(3 एए) और आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते, जो उम्मीदवार बैंक का निदेशक बनना चाहता है, उसके पास 'उपयुक्त और योग्य' स्थिति होनी चाहिए।

अधिनियम की धारा 9(3 एबी) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जाए।

इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को संविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

च. आरबीआई की 'उपयुक्त और उचित' मानदंड अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3 एए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा किए जाने वाले विशिष्ट "उपयुक्त और उचित" मानदंड निर्धारित करते हुए दिनांक 02 अगस्त 2019 को अधिसूचना डीबीआर.एण्ट.सं.9/29.67.001/2019-20 जारी की है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं:

"उपयुक्त और उचित" स्थिति आदि तय करने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकारी:

बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [जिसे आगे समिति कहा जाएगा] का गठन करना होगा जिसमें निदेशक मंडल [जिसे आगे बोर्ड कहा जाएगा] में से कम से कम तीन गैर-कार्यपालक

Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the Banks)

a) represents the interest of depositors; or

b) represents the interest of farmers, workers and artisans

2. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a Shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

F. RBI'S 'FIT AND PROPER' CRITERIA NOTIFICATION

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific 'Fit and Proper' Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970 / 1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner / Procedure and Criteria for deciding the 'Fit and Proper' status etc., are as under:

a) Authority:

The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee [hereinafter referred to as the Committee] consisting of a minimum of three

निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल होना चाहिए, ताकि एसबीआई अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (सी) / बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए उचित परिश्रम की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

ख) प्रणाली एवं प्रक्रिया:

बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेंगे। नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद समिति की बैठक होगी और नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। समिति की चर्चाओं को बैठक के औपचारिक मिनटों के रूप में उचित रूप से दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान हुआ है, तो उसे भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक समझा जाएगा, उचित प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भ देगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप है।

ग) मानदंड

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को प्रस्तावित अभ्यर्थियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर करना चाहिए:

- (i) आयु - चुनाव के लिए नामांकन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- (ii) शैक्षिक योग्यता - अभ्यर्थी कम से कम स्नातक होना चाहिए।

non-executive directors from amongst the Board of Directors [hereinafter referred to as Board], out of which, not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'Fit and Proper' status of the persons to be elected as directors under sub-section (c) of Section 19 of the SBI Act/clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

b) Manner and procedure:

The Banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

c) Criteria

The Nomination and Remuneration committee should determine the 'Fit and Proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.

(iii) अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र – उम्मीदवार के पास एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए(ए) / बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए) में उल्लिखित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, आरबीआई परिपत्र डीबीआर.आवेदन बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 के साथ पढ़ें।

(iv) अयोग्यताएं: एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 22 / राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/80 के खंड 10 में निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

(क) अभ्यर्थी किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, "बैंक" पद में बैंकिंग कंपनी, एक तत्स्थानी नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

(ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उन्हें उनमें कोई प्रबंधकीय नियंत्रण प्राप्त नहीं है।

(ग) किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित / पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, यदि उसने पूर्व में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक निदेशक के रूप में, चाहे वह लगातार हो या बीच-बीच में कार्य किया हो।

(iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in Section 19A(a) of the SBI Act / Section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR. Appt. BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "Bank" shall include a Banking company, a corresponding new Bank, State Bank of India, a co-operative Bank and a regional rural Bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para-Banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected / re-elected on the Board of a Bank if he / she has served as director in the past on the board of any Bank / FI / RBI / Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.



- (घ) अभ्यर्थी स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- (ङ) अभ्यर्थी संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- (च) अभ्यर्थी किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो।
- (छ) अभ्यर्थी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हो, जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हो, जिसके लिए चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है।
- (v) कार्यकाल - निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक पद पर नहीं रहेगा, चाहे वह लगातार या अन्तराल पर कार्यरत हो।
- (vi) व्यावसायिक प्रतिबंध -
- (क) अभ्यर्थी का संबंधित बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाएं, सलाहकार सेवाएं आदि सहित) नहीं होना चाहिए और न ही वह ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए, जिससे उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो।
- (ख) अभ्यर्थी का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली किसी गैर-संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ ऐसा कोई संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के तहत अपेक्षा को पूरा करने वाला माना
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised Bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank in which nomination for election is filed.
- (v) Tenure - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) Professional Restrictions -
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a Bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank.
- Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed

जाएगा, उम्मीदवार समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा, और निर्वाचित होने पर, बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसा संबंध समाप्त कर देगा।

(vi) ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा – अभ्यर्थी किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूचना के अंतर्गत नहीं होना चाहिए तथा किसी भी ऋणदाता संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

बैंक को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना होगा:

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध विलेख;

(ख) 31 मार्च को एक साधारण घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन हुआ है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नया अनुलग्नक प्राप्त करेगा।

छ. भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर 2013 को जारी अपने पत्र के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रख सकती है, जबकि शेयरधारक निदेशक की "उपयुक्त और उचित स्थिति" का निर्धारण भी किया जा सकता है। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 को जारी अपने पत्र के माध्यम से 8 जुलाई 2016 के संशोधनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 25 मार्च 2015 को संशोधित दिशा-निर्देश भेजे हैं, जिनका सार इस प्रकार है:

to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the Bank.

(vi) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The Banks shall obtain from the elected director:

(a) A Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of director;

(b) A simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the Bank shall obtain from such director a fresh Annexure incorporating the changes.

G. GoI GUIDELINES DATED 25TH MARCH 2015 & DATED 20TH JULY 2016

Further as advised by GoI, vide its letter dated 3rd September 2013 the Nomination and Remuneration Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non-Official Directors (NOD), while determining 'Fit and Proper' Status of the Shareholder Director also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 read with amendments dated 8th July 2016, the gist of which is as under:

क) सामान्य

1. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
2. नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, पिछला रिकार्ड, ईमानदारी आदि के आधार पर किया जा सकता है। ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए आपराधिक रिकार्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए की गई सिविल कार्रवाइयां, पेशेवर निकायों में प्रवेश से इनकार या निष्कासन, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक व्यवहार आदि पर भरोसा किया जाएगा।

ख) अनुभव

1. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। वरिष्ठ पद पर 20 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (किसी प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, असफल संगठन में सुधार लाया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जिनका कुल अनुभव 20 वर्ष का हो तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी, भूतपूर्व सीएमडी / ईडी को उस पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
3. शिक्षाविद, प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के निदेशक और प्रोफेसर जिनके पास 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

a) General

1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc., will be relied upon.

b) Experience

1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of Agriculture, Rural Economy, Banking, Co-operation, Economics, Business Management, Human Resources, Finance, Corporate Law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
2. Retired senior Government officials with a total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs / EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
3. Academicians, Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

4. 20 वर्ष के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले सनदी लेखाकार को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
5. तथापि, मामले की योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है।
6. जहां तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

ग) शिक्षा

एनओडी के लिए कम से कम किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए, अधिमानतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ।

घ) आयु

खोज/नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ) कार्य अनुभव

पेशेवरों / शिक्षाविदों को अपने विशेष क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए।

च) अयोग्यताएं

- i. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत बैंक / वित्तीय संस्थान (एफआई) / आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से कार्यरत निदेशक को किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ii. किराया खरीद, निवेश वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य पैरा- बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर बैंकों / वित्तीय संस्थाओं/ आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। किराया खरीद, निवेश वित्तपोषण, लीजिंग और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में लगे निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, अगर उनके पास ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।

4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases, based on merits of the case.
6. As far as possible, representation may also be given to women and the persons belonging to SC / ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination and Remuneration Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

- i. A director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI/Insurance Company.
- ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-Banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/ FIs/RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para-Banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

- iii. किसी भी व्यक्ति को किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो कार्यकाल या छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
- iv. एक सनदी लेखाकार, यदि उसकी फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- v. सनदी लेखाकार यदि उसकी फर्म वर्तमान में बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।

छ) कार्यकाल

किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक एनओडी / शेयरधारक-निदेशक रह चुका हो, चाहे लगातार या बीच-बीच में।

ज) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) स्कीम, 1970 के खंड 10(d) के अंतर्गत किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में लाभ के पद के संबंध में व्यावसायिक प्रतिबंध के मुद्दे की अलग से जांच की जा सकती है।

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल में देश के सभी छह क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व - का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

ज. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्य दिवसों (रविवार, दूसरे व चौथे शनिवार तथा बैंक अवकाशों को छोड़कर) पर अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि या कंप्यूटर प्रिंटआउट की आवश्यकता हो, तो उसे प्रति 1000 शब्द या प्रतिलिपि / मुद्रण के लिए आवश्यक उसके आंशिक भाग के लिए 5 रुपये की दर से पूर्व भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- iii. No person may be re-nominated as an NOD on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- iv. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- v. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank / FI / RBI / Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country - North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

H. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank holidays) between 3.00 P.M. & 5.00 P.M. If any Shareholder requires a copy or computer printout of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him / her on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied/printed.

झ. शेयरधारकों की सूची

शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में सक्षम बनाने के लिए, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2000 के विनियम 64 में उल्लिखित शेयरधारकों की सूची की एक प्रति, सोमवार 2 जून, 2025 से बैंक के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे शेयरधारकों द्वारा बेंगलूरु में देय केनरा बैंक के पक्ष में 50,000/- रुपये [केवल पचास हजार रुपये प्लस जीएसटी] के डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान पर खरीदा जा सकेगा।

ज. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार किया जाएगा बशर्ते:

- क) विनियमों के विनियमन 65 के अनुसार, वह एक शेयरधारक है, जिसके पास शुक्रवार, 23 मई 2025 को बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर हैं, जो चुनाव में भाग लेने के लिए निर्धारित/कट-ऑफ तिथि है और यदि वह निर्वाचित होता है, तो बैठक की तिथि तक और उसके बाद उसके कार्यकाल के अंत तक उसके पास न्यूनतम 100 शेयर बने रहेंगे।
- ख) अधिनियम के तहत निदेशकों को चुनने के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके विधिवत् गठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में वैध नामांकन, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा जो एक कंपनी है, उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां यह किया जाता है, बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की एक प्रति, जिसमें इसे पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय को कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय बेंगलूरु को संबोधित करके भेजी जाएगी और ऐसी प्रति को ऐसी कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- ग) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा वैध नामांकन के साथ उम्मीदवार द्वारा नामांकन के नमूना फॉर्म के अनुसार एक घोषणा और इस नोटिस में प्रस्तुत घोषणा के साथ एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एग्योरेंस या

I. LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000 will be made available at the Head office of the Bank, from Monday, 2nd June, 2025 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000/- [Rupees Fifty Thousand Only plus GST] by Demand Draft in favour of Canara Bank payable at Bengaluru.

J. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

The nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- a) In terms of Regulation 65 of the Regulations, he / she is a Shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Friday, 23rd May 2025 being the Specified / Cut-Off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he / she is elected.
- b) The valid nomination in writing signed by at least One Hundred Shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by Shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office, Bengaluru and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- c) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) are to be accompanied by a declaration by the candidate as per the

अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, और वह अधिनियम या विनियमन अधिनियम या योजना या विनियमों या लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत निदेशक होने से अयोग्य नहीं है, साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायो डेटा) को विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए तथा यह पुष्टि करते हुए कि उसके द्वारा प्रदान किए गए विवरण उसके सर्वोत्तम जानकारी और सहमति के अनुसार सत्य हैं तथा साथ ही वह यह वचन देता है कि वह घोषणा के बाद, सूचना से संबंधित ऐसी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सूचित करेगा।

- घ) 11 जून 2025 तक, जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत अयोग्य नहीं है और उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.संख्या : 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा "उपयुक्त और योग्य" पाया गया है, जिसे सरकार द्वारा गैर-आधिकारिक निदेशकों के लिए जारी 25 मार्च 2015 और 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा गया है। निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देश या ऐसे अन्य निर्देश का पालन करना होगा।
- ड) नामांकन प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार विनियमन द्वारा निर्धारित हैं (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट: www.canarabank.com पर भी उपलब्ध है)

specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio-data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

- d) As on 11th June, 2025, being the last date for receipt of nominations, he/she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "the Regulations") and thereafter has been found 'Fit and Proper' by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of the Notification No. DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 of Reserve Bank of India read with Guidelines dated 25th March 2015 and 20th July 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.canarabank.com)

ठ. नामांकन प्रपत्र जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों के बीच से बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में निम्नलिखित दस्तावेज एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "केनरा बैंक – निदेशकों का चुनाव – जून 2025" लिखा हो, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक / कूरियर के माध्यम से कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड बेंगलूरु – 560 002 को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि वे एजीएम के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चौदह दिन पहले अर्थात् बुधवार, 11 जून, 2025 को शाम 5.00 बजे तक या किसी भी कार्य दिवस पर पहुंच जाएं:

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- ख) वैध नामांकन प्रपत्र, चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारक;
- ग) नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनबद्धता, साथ में संबंधित दस्तावेज, प्रशंसापत्र, जैसे बायोडाटा की स्व-सत्यापित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, बैंक से संबंधित अनुभव आदि
- घ) उक्त नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए, अन्यथा नामांकन अस्वीकृत कर दिया जाएगा

ड. नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव:

- क) नामांकनों की जांच बुधवार, 12 जून 2025 को शुरू होगी, अर्थात् नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद पहला कार्य दिवस और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो कारणों को अभिलेख में दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा
- ख) वैध नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा या योजना के खंड 14ए के अनुसार बोर्ड द्वारा भी की जाएगी। चूंकि आरबीआई के निर्देश / अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों

K. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Canara Bank - Election of Directors - June 2025" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank Head Office 112, J C Road, Bengaluru - 560 002 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM, i.e., on or before 5.00 P.M. on Wednesday, 11th June, 2025:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nomination Forms - minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-Data, Certificate of Educational Qualifications, Experience relevant to the Bank, etc.
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

L. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on Thursday, the 12th June, 2025, i.e., the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of

द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का स्वरूप समान है, इसलिए बैंक उम्मीदवार (ओं) की योग्यता और उपयुक्तता की स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक कड़े प्रतिबंध पर विचार कर सकता है।

- ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी / बोर्ड के परामर्श के अनुसार उम्मीदवार से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी एवं दस्तावेज मांग सकता है।
- घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन हैं, तो इस प्रकार नामांकित और योग्य पाए गए उम्मीदवारों को तुरंत निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और पते इस प्रकार निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में कोई चुनाव/मतदान नहीं होगा। नव निर्वाचित निदेशक 27 जुलाई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे।
- ङ) यदि दो से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराया जाएगा तथा जिन उम्मीदवारों के पक्ष में बहुमत वोट प्राप्त होगा, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग और बैठक में मतदान का योग, उन्हें निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम की घोषणा की जाएगी तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित भी किए जाएंगे।

ढ. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बैंक के बंद होने के समय से पहले किसी भी समय यानी 20 जून 2025 को शाम 5.00 बजे तक कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलुरु - 560 002 को संबोधित एक हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या hosecretarial@canarabank.com पर ई-मेल द्वारा स्कैन और हस्ताक्षरित पत्र भेजकर ऐसा करने का हकदार होगा।

ण. मतभेद

यदि कोई मतभेद होता है, तो उसका निपटारा केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के संशोधित विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

the RBI Directions and GOI Guidelines or by Board in terms of Clause 14A of the Scheme. As the restrictions imposed by RBI Direction/ Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two, while determining the Fit & Proper status of the Candidate(s).

- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC / Board seek further information, documents from the candidate(s) in support of his / her candidature.
- d) If there are only two valid nominations for the two vacancies to be filled by the election, the candidates so nominated and found Fit & Proper, shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, there shall not be any election / voting. The newly elected directors will assume office on July 27, 2025.
- e) If there are more than two valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidates in receipt of the majority of the votes in their favour i.e., aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and also published in newspapers.

M. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his / her nomination, he / she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 P.M. on June 20, 2025 by sending a signed letter addressed to Company Secretary, Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002 or sending scanned and signed letter over e-mail at hosecretarial@canarabank.com.

N. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended.

त. उद्धरण

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रासंगिक भागों के अंश बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक इसे डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के कंपनी सचिव को सचिवालय विभाग, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु में लिखकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।

थ. निदेशकों का हित

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक तथा ऐसे निदेशक जो अपना नामांकन दाखिल करते हैं, उन्हें कारोबार की उपरोक्त मदों से संबंधित या हितबद्ध माना जाएगा।

द. निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि के उद्धरण

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या के संबंध में प्रावधान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में निहित हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के प्रासंगिक विनियमन, संशोधित रूप में, शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

पर्याप्त ब्याज - धारा 5(एनई):

- (i) किसी कंपनी के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, चाहे अकेले या दोनों मिलकर उसके शेयरों में लाभकारी हित धारण करना, जिस पर चुकता राशि पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो;

O. EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification / GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.canarabank.com for the benefit of the Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at Secretarial Department, Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru and obtain the same.

P. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

Q. ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, are reproduced below for the information of the Shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds Five Lakh of Rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less;

(ii) किसी फर्म के संबंध में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा उसमें धारित लाभकारी हित, चाहे अकेले या साथ में, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा सब्सक्राइब की गई कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

सामान्य निदेशकों का निषेध - धारा 16(1):

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसा कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध - धारा 20:

1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी—

क) अपने स्वयं के शोधों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना, या

ख) किसी को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम देने के लिए कोई प्रतिबद्धता दर्ज करना -

(i) इसके निदेशकों में से कोई भी

(ii) कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हितबद्ध है, या

(iii) कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी है, या कोई सरकारी कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी का बैंकिंग कंपनी का कोई भी निदेशक निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर है या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता है, या

(iv) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटर हो।

2) जहां किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया गया कोई ऋण या अग्रिम ऐसा है कि यदि उपधारा (1) का खंड (ख) उस दिनांक को प्रवृत्त होता, जिसको बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारम्भ के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा ऋण या

(ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall -

a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -

(i) any of its Directors

(ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or

(iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or

(iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.

2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan

अग्रिम दिया गया था या दिया जाता है, तो उसे देने की प्रतिबद्धता नहीं की जा सकती थी, किन्तु ऐसे प्रारम्भ से पूर्व की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में, बैंकिंग कंपनी को ऋण या अग्रिम के कारण देय राशियों को, उस पर देय ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऋण या अग्रिम प्रदान करने के समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, वहां उक्त धारा 5 के प्रारम्भ से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे; बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी मामले में बैंककारी कंपनी द्वारा इस संबंध में लिखित में आवेदन किए जाने पर, ऋण या अग्रिम की वसूली के लिए अवधि को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा, जो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की तारीख नहीं होगी और ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक ठीक समझे:

बशर्ते कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्त हो।

- 3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई ऋण या अग्रिम, या उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना विप्रेषित नहीं किया जाएगा, और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी छूट शून्य और प्रभावहीन होगी।
- 4) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा देय कोई ऋण या अग्रिम राशि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को वापस नहीं की गई है, वहां यदि वह उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो यह समझा जाएगा कि उसने उक्त दिनांक को अपना पद रिक्त कर दिया है।

इस धारा में स्पष्टीकरण:

- "ऋण या अग्रिम" में कोई भी लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक, लेनदेन की प्रकृति, उसके भीतर की अवधि, और तरीके और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। जिसमें, लेन-देन के कारण देय किसी भी राशि की वसूली होने की संभावना है, जमाकर्ताओं के ब्याज और

or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit :

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized,

अन्य प्रासंगिक विचार, इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम नहीं होने के रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट होते हैं।

- “निदेशक” में बैंकिंग कंपनी द्वारा उसके सभी या किसी भी मामले के प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन या सलाह देने के उद्देश्य से गठित भारत में किसी भी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है।

5) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेनदेन इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण या अग्रिम है, तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 से संबंधित उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत किए गए किसी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत किए गए संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई): केन्द्र सरकार के अलावा, तत्संबंधी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, तत्संबंधी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल की संरचना:

धारा 9(3)(आई): जहां धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी है:

- कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- दो निदेशकों की कुल चुकता पूंजी का सोलह प्रतिशत से अधिक, किन्तु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं।
- कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशक जो केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे।

the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section.

- “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.

5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3 (2E): No Shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3)(i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:

- not more than sixteen percent of the total paid-up capital, one Director
- more than sixteen percent, but not more than thirty-two percent of the total paid-up capital, two Directors.
- more than thirty-two percent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the Shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार संभालने पर, खंड (एच) के तहत नामित निदेशकों की समान संख्या योजना में निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले, किसी नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III) में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रारंभ से पहले चुने गए निदेशकों की ऐसी अतिरिक्त संख्या उस तरीके से सेवानिवृत्त हो जाएगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए): उक्त खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित होने वाले निदेशक -

(क) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थव्यवस्था
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग

viii. कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

(आरबीआई ने 24 नवंबर 2016 को जारी अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 के माध्यम से विशेषज्ञता के क्षेत्रों को बढ़ाकर इसमें (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल किया है, जो उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें बैंकों में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है)

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall -

(A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely:

- Agricultural and Rural Economy
- Banking
- Co-operation
- Economics
- Finance
- Law
- Small Scale Industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular No.DBR.Appt.BC.No.39/ 29.39.001/ 2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the Banks)

(ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना; या

(ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

धारा 9(3 एए): उप-धारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अधिनियम या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित अन्य मानदंडों के आधार पर 'योग्य और उचित स्थिति' वाला व्यक्ति न हो।

धारा 9(3 एबी): भारतीय रिजर्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले भी निर्दिष्ट कर सकता है, जिन्हें आवश्यक या उसके लिए प्रासंगिक माना जाए।

धारा 9(3 बी): जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय है कि उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित तत्स्थानी नए बैंक का कोई निदेशक उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, वहां वह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप-धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक कि अगली वार्षिक आम बैठक में तत्स्थानी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा किसी निदेशक का विधिवत चुनाव नहीं कर लिया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत चुना गया माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व:

धारा 13(2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या किसी नए बैंक का लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने कर्तव्यों का कार्यभार संभालने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having 'Fit and Proper' status based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the Shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल: खंड 9(4):

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर बना रहेगा और पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

निदेशकों का पद रिक्त होना :

खंड 11:

1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो जाता है या बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से अधिक में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तत्पश्चात उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है; और कोई अन्य निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।
3. पूर्वगामी उप-खण्डों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 के खण्ड (ई) या खण्ड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक का पद, जैसे ही निदेशक, उस राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी या कर्मचारी नहीं रह जाता है जिसका वह निदेशक है, रिक्त हो जाएगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के पद पर कोई रिक्ति होती है, तो उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना :

खंड 11ए :

केन्द्रीय सरकार के अलावा, शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, जो कुल मिलाकर ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के आधे से कम नहीं है, धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i)

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director: Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director:

Clause 11A :

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such Shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such

के अंतर्गत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं तथा उसके स्थान पर रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुन सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद पर रिक्ति को भरना:

खंड 11बी :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह माह से कम होने की संभावना हो, वहां रिक्ति को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकेगा।

2. उप-खण्ड (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

निदेशकों द्वारा रुचि का प्रकटीकरण:

खंड 12(8):

कोई निदेशक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या हितबद्ध है, प्रासंगिक परिस्थितियों के उसके ज्ञान में आने के पश्चात यथाशीघ्र बोर्ड के समक्ष अपने हित की प्रकृति का खुलासा करेगा और बोर्ड की बैठक में उस समय उपस्थित नहीं होगा जब किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही हो, जब तक कि अन्य निदेशकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो और कोई भी निदेशक, जिसकी इस प्रकार उपस्थिति अपेक्षित न हो, किसी ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा:

बशर्ते कि इस उप-खण्ड में निहित कोई भी बात ऐसे निदेशक पर केवल इस आधार पर लागू नहीं होगी कि वह:

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में उस समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, के साथ या जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया है या करने का प्रस्ताव किया है, दो प्रतिशत से अधिक चुकता पूंजी रखने वाला कोई शेयरधारक (निदेशक के अलावा); या

Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director:

Clause 11B :

1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors.

2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. A Shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or

- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक है।

विशेष प्रावधान:

खंड 14ए :

जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्य या बात करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा या किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में सुरक्षा धारकों की शिकायतों की सिफारिशों या अवधारण, या समाधान अपेक्षित है और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति की बैठक की गणपूर्ति ऐसी समिति में कोई रक्ति या उसके सदस्य द्वारा अलग होने पर, बोर्ड वह कार्य या बात कर सकता है।

केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000, यथा संशोधित:

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग:

विनियमन 10:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस की तामील और शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर केनरा बैंक से संबंधित सभी या किसी अन्य मामले के संबंध में एकमात्र धारक माना जाएगा।

विनियमन 61:

आम सभा में मतदान:

- किसी भी आम बैठक में, बैठक के वोट के लिए रखा गया एक संकल्प, जब तक कि मतदान की मांग नहीं की जाती है, हाथ दिखाने पर तय किया जाएगा।
- अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, सामान्य बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।
- जब तक उप-विनियमन (i) के तहत एक मतदान की मांग नहीं की जाती है, बैठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणा कि हाथ दिखाने पर

- an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Special provision:

Clause 14A:

Where a nationalised Bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

CANARA BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2000, AS AMENDED:

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Canara Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Regulation 61:

Voting at General Meeting:

- At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that

एक संकल्प या तो सर्वसम्मति से या किसी विशेष बहुमत द्वारा नहीं किया गया है और कार्यवाही के मिनट वाली पुस्तकों में उस प्रभाव की प्रविष्टि, तथ्य का निर्णायक सबूत होगा, ऐसे संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या या अनुपात के प्रमाण के बिना।

- (iv) हाथ उठाकर मतदान के किसी संकल्प पर मतदान के परिणाम की घोषणा से पहले या उसके बाद, बैठक के अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से मतदान कराने का आदेश दिया जा सकेगा, और मतदान कराने का आदेश उसके द्वारा किसी शेयरधारक या शेयरधारकों द्वारा उस निमित्त की गई मांग पर दिया जाएगा, जो व्यक्तिगत रूप से या परोक्ष रूप से उपस्थित हों और बैंक में ऐसे शेयर धारण करते हों, जो संकल्प पर मतदान करने की शक्ति प्रदान करते हों, जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान शक्ति के पांचवें भाग से कम न हो।
- (v) मतदान की मांग किसी भी समय उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मांग की थी।
- (vi) बैठक के सभापति के स्थगन या निर्वाचन के प्रश्न पर मांगे गए मतदान को तत्काल लिया जाएगा।
- (vii) किसी अन्य प्रश्न पर मांगे गए मतदान को ऐसे समय में लिया जाएगा जब मांग की गई थी, उस समय से अड़तालीस घंटे से अधिक नहीं किया जाएगा, जैसा कि बैठक का अध्यक्ष निर्देशित कर सकता है।
- (viii) किसी भी व्यक्ति की मतदान करने की योग्यता के बारे में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय, और मतदान के मामले में भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग करने के लिए सक्षम वोटों की संख्या के रूप में अंतिम होगा।

विनियम 63:

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक:

- i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के तहत निदेशक का चुनाव केंद्र सरकार से इतर रजिस्टर पर शेयरधारकों द्वारा केनरा बैंक की आम बैठक में स्वयं में से किया जाएगा।

a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.

- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any Shareholder or Shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- (vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- (vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- (viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63:

Directors to be elected at General Meeting:

- i) A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Canara Bank.

- ii) जहां किसी साधारण बैठक में निदेशक का निर्वाचन किया जाना हो वहां उसकी सूचना बैठक बुलाने वाली सूचना में सम्मिलित की जाएगी। ऐसी प्रत्येक सूचना में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या और उन रिक्तियों का विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिनके संबंध में चुनाव कराया जाना है।

विनियम 64:

शेयरधारकों की सूची:

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, उस रजिस्टर पर शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii) सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और निरूपित संख्या के साथ-साथ वे दिनांक जिस तारीख को शेयर पंजीकृत किए गए थे और मतों की संख्या जिसके वे उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख पर हकदार होंगे जिस पर चुनाव होगा और सूची की प्रतियां खरीद के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होंगी। प्रधान कार्यालय में आवेदन पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय की जाने वाली कीमत पर बैठक।

विनियम 67:

चुनाव संबंधी विवाद :

- i) यदि किसी निर्वाचित माने गए या घोषित किए गए व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के बारे में, या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है, तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में वोट देने का हकदार उम्मीदवार या शेयरधारक है, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से सात दिनों के भीतर, केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उन आधारों का पूरा विवरण देगा जिन पर उसे चुनाव की वैधता पर संदेह है या विवाद है।

- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64:

List of Shareholders:

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of Shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the Shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 67:

Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or Shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Canara Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.

ii) उप-विनियमन (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, केनरा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (ई) या (एफ) या (जी) या (एच) के तहत नामित निदेशकों में से किसी दो से मिलकर बनी समिति के निर्णय के लिए तुरंत भेजेंगे।

iii) उप-विनियमन (ii) में निर्दिष्ट समिति ऐसी जांच करेगी, जैसी वह आवश्यक समझे और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध था, तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध नहीं था, तो वह जांच शुरू होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा आदेश देगी और नए चुनाव कराने सहित ऐसे निर्देश देगी, जो परिस्थितियों में समिति को उचित प्रतीत हों।

iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निदेश निर्णायक होगा।

विनियम 68:

मताधिकार का निर्धारण:

i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो एक सामान्य बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर के बंद होने की तारीख को एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में, हाथ दिखाने पर एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा आयोजित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

ii) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, पूर्वोक्त के रूप में मतदान करने का हकदार प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं होने के नाते, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित है या जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है, या प्रॉक्सी द्वारा हाथ दिखाने पर एक वोट होगा और मतदान के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा जैसा कि ऊपर उप-विनियमन (i) में कहा गया है।

ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Canara Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (e) or (f) or (g) or (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Regulation 68:

Determination of Voting Rights:

i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each Shareholder who has been registered as a Shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i) Explanation - for this Chapter, "Company" means any body corporate.

स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए, "कंपनी" का अर्थ है कोई भी कॉर्पोरेट निकाया कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के संबंध में मतदान केवल दूरस्थ ई-वोटिंग और पोल द्वारा किया जाएगा।

iii) एक सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे शेयरधारक हों या नहीं) को अपने प्रॉक्सी के रूप में स्वयं के बजाय भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने के हकदार होंगे; लेकिन इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69:

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान:

- एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या एक कंपनी होने के नाते, एक संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति (इन नियमों में 'विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि' के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उसी शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वह केनरा बैंक का व्यक्तिगत शेयरधारक था। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी केंद्र सरकार / कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- कोई भी व्यक्ति केनरा बैंक के शेयरधारकों की किसी बैठक में, किसी कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक उपस्थित होने या मतदान करने का पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव की एक सत्य प्रतिलिपि, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त प्रस्ताव पारित किया गया था, बैठक की निर्धारित तिथि से न्यूनतम चार दिवस पूर्व केनरा बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न कर दी गई हो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 30.05.2025

PLEASE NOTE THAT THE VOTING IN RESPECT OF ELECTING SHAREHOLDER DIRECTORS SHALL ONLY BE DONE BY REMOTE e-VOTING AND POLL.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a Shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69:

Voting by Duly Authorised Representative:

- A Shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the Shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual Shareholder of Canara Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case, any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- No person shall attend or vote at any meeting of the Shareholders of Canara Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Canara Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

By Order of the Board of Directors

के. सत्यनारायण राजु

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 30.05.2025

प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ में / Amt. ₹ in Crore)

मापदंड / Parameters	2022-23	2023-24	2024-25
घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches	9706	9604	9849
एटीएम / रिसाइकलर की संख्या / Number of ATMs / Recyclers	12130	12155	11954
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	1814	1814	1814
आरक्षित निधियां / Reserves	71793	85140	98086
सकल जमा / Aggregate Deposits	1179219	1312366	1456883
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	62404	64875	67538
विदेशी कारोबार टर्नओवर / Foreign Business Turnover	201506	186479	209921
सकल अग्रिम / Gross Advances	862782	960602	1073332
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	140051	156414	223366
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	382595	423563	422761
कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	213327	253206	239977
कृषि अग्रिम (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal)	201425	248128	242764
एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	123627	129217	139857
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	73	68	55
अ.जा./अ.ज.जा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	16396	22028	22179
निर्यात ऋण / Export Credit	8978	8892	9648
कुल आय / Total Income	103187	127654	142208
कुल व्यय / Total Expenditure	75471	98241	110817
परिचालन लाभ / Operating Profit	27716	29413	31391
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	10604	14554	17027
लाभांश प्रति इक्विटी शेयर (₹ में) / Dividend per Equity Share (in ₹)	12.0	16.10	4
कर्मचारियों की कुल संख्या / Total Number of Staff	84978	82638	81260
बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित संचयी नकद वसूली Cumulative Cash Recovery including written-off accounts	13107	10038	11131
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	16.68	16.28	16.33
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात / Gross NPA Ratio	5.35	4.23	2.94
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात / Net NPA Ratio	1.73	1.27	0.70
आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets	0.81	1.01	1.09
इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity	19.49	22.06	21.28
बही मूल्य (₹ में) / Book Value (in ₹)	331.81	395.94	97.28
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.95	3.05	2.80



निदेशकों की रिपोर्ट
2024-2025
DIRECTORS' REPORT

निदेशक रिपोर्ट: 2024-25

निदेशक मंडल यथा 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते के साथ 56वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

बैंक के वित्तीय निष्पादन का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-24	मार्च-25	वृद्धि (%)
वैश्विक कारोबार	2272968	2530215	11.32%
जिसमें से- घरेलू कारोबार	2123133	2339808	10.21%
विदेशी कारोबार	149835	190407	27.08%
वैश्विक जमा	1312366	1456883	11.01%
जिसमें से- घरेलू जमा	1214951	1331137	9.56%
विदेशी जमा	97415	125746	29.08%
घरेलू जमा	1214951	1331137	9.56%
चालू खाता जमा	63949	77841	21.72%
बचत बैंक जमा	328378	337135	2.67%
कासा जमा	392327	414976	5.77%
घरेलू कासा से घरेलू जमा (%)	32.29	31.17	--
वैश्विक अग्रिम	960602	1073332	11.74%
जिसमें से - घरेलू अग्रिम	908182	1008671	11.06%
विदेशी अग्रिम	52420	64661	23.35%
कुल आस्ति	1491541	1682850	12.82%
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	36566	37072	1.38%
अन्य आय	18966	22453	18.39%
जिसमें से - शुल्क आय	7419	8866	19.50%
विदेशी मुद्रा आय	765	828	8.24%
ट्रेडिंग लाभ	1623	2666	64.26%
बढ़े खाते में डाले गए खातों से वसूली	5963	6828	14.51%
एनआईआई + अन्य आय	55532	59525	7.19%
परिचालन व्यय	26119	28134	7.71%
परिचालन लाभ	29413	31391	6.72%
प्रावधान	9708	8764	(10.48)%
जिसमें से - एनपीए और बढ़े खाते में डाले गए खराब ऋणों हेतु प्रावधान	9005	9586	6.45%
कर पूर्व लाभ	19705	22627	14.82%
कर हेतु प्रावधान	5151	5600	8.74%
निवल लाभ	14554	17027	16.99%

DIRECTORS' REPORT: 2024-25

The Board of Directors have pleasure in presenting the 56th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2025 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2025.

A snapshot of Bank's financial performance is given below:

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-24	Mar-25	Growth (%)
Global Business	2272968	2530215	11.32%
<i>of which - Domestic Business</i>	2123133	2339808	10.21%
Overseas Business	149835	190407	27.08%
Global Deposits	1312366	1456883	11.01%
<i>of which - Domestic Deposits</i>	1214951	1331137	9.56%
Overseas Deposits	97415	125746	29.08%
Domestic Deposits	1214951	1331137	9.56%
Current Account Deposits	63949	77841	21.72%
Savings Bank Deposits	328378	337135	2.67%
CASA Deposits	392327	414976	5.77%
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	32.29	31.17	--
Global Advances	960602	1073332	11.74%
<i>of which - Domestic Advances</i>	908182	1008671	11.06%
Overseas Advances	52420	64661	23.35%
Total Assets	1491541	1682850	12.82%
Net Interest Income (NII)	36566	37072	1.38%
Other Income	18966	22453	18.39%
<i>of which - Fee Income</i>	7419	8866	19.50%
Forex Income	765	828	8.24%
Trading Gains	1623	2666	64.26%
Recovery from written-off accounts	5963	6828	14.51%
NII + Other Income	55532	59525	7.19%
Operating Expenses	26119	28134	7.71%
Operating Profit	29413	31391	6.72%
Provisions	9708	8764	(10.48)%
<i>of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off</i>	9005	9586	6.45%
Profit Before Tax	19705	22627	14.82%
Provision for Tax	5151	5600	8.74%
Net Profit	14554	17027	16.99%

यथा मार्च 2025 को बैंक का वैश्विक कारोबार 11.32% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹25,30,215 करोड़ हो गया, जिसमें से घरेलू कारोबार 10.21% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹23,39,808 करोड़ हो गया। घरेलू कासा जमा ₹4,14,976 करोड़ रहा, जिसमें बचत खाता ₹3,37,135 करोड़ और चालू खाता ₹77,841 करोड़ रहा। इस प्रकार, यथा मार्च 2025 तक घरेलू कासा 31.17% रहा।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और रखरखाव के संबंध में कई कदम उठाए हैं। बैंक के निरंतर प्रयासों से आस्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर परिणाम सामने आए हैं, जिसमें सकल एनपीए में 129 बीपीएस की गिरावट के साथ 2.94% तथा निवल एनपीए में 57 बीपीएस की गिरावट के साथ 0.70% की सराहनीय गिरावट देखी गई। इसके अलावा प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 89.10% से सुधरकर 92.70% हो गया है। 16.33% का स्वस्थ सीआरएआर इस बात पर प्रकाश डालता है कि बैंक आने वाली तिमाहियों में सकारात्मक वृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक का परिचालन लाभ ₹31,391 करोड़ तथा निवल लाभ ₹17,027 करोड़ रहा।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों को ₹2 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹4 (अर्थात 200%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में लचीली रही है, किंतु धीमी वृद्धि, मुद्रास्फीति और अनिश्चित नीतिगत वातावरण (ओईसीडी अंतरिम आर्थिक आउटलुक, मार्च 2025) की पृष्ठभूमि में कमजोरी के कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। आउटलुक में वैश्विक विकास दर 2025 में 3.1% और 2026 में 3.0% रहने का अनुमान है, जिसमें देशों और क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जीडीपी वृद्धि 2025 में 2.2% रहने का अनुमान है, जो 2026 में धीमी होकर 1.6% हो जाएगी। यूरो क्षेत्र में, विकास 2025 में 1.0% और 2026 में 1.2% रहने का अनुमान है। चीन की वृद्धि इस वर्ष 4.8% से धीमी होकर 2026 में 4.4% होने का अनुमान है। श्रम बाजारों में तंगी के बीच सेवाओं की कीमतों में मुद्रास्फीति अभी भी ऊँची बनी हुई है और कुछ देशों में वस्तुओं की कीमतों में मुद्रास्फीति बढ़ने लगी है, हालाँकि यह निचले स्तर से शुरू हुई है। जी20 अर्थव्यवस्थाओं में वार्षिक शीर्ष मुद्रास्फीति 2025 में 3.8% और 2026 में 3.2% रहने का अनुमान है।

The global business of the Bank increased to ₹25,30,215 Crore, up by 11.32% y-o-y, out of which domestic business grew by 10.21% y-o-y to ₹23,39,808 Crore as at March 2025. Domestic CASA deposits stood at ₹4,14,976 Crore with Savings Account of ₹3,37,135 Crore and Current Account of ₹77,841 Crore. Thus, domestic CASA stood at 31.17% as at March 2025.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. The sustained efforts of the Bank has yielded results on the asset quality front which showed a commendable fall in Gross NPA by 129 bps to 2.94% and Net NPA to 0.70% down by 57 bps. Further the provision coverage ratio has improved to 92.70% from 89.10% in the previous year. The healthy CRAR of 16.33%, highlights that the bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY 2024-25, operating profit of the Bank stood at ₹31,391 Crore and net profit at ₹17,027 Crore.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4 per equity share (i.e., 200%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY

The global economy has been resilient in 2024, but some signs of weakness are appearing against a backdrop of slower growth, lingering inflation and an uncertain policy environment (OECD Interim Economic Outlook, March 2025). The Outlook projects global growth slowing to 3.1% in 2025 and 3.0% in 2026, with important differences across countries and regions. GDP growth in the United States is projected at 2.2% in 2025 before slowing to 1.6% in 2026. In the euro area, growth is projected to be 1.0% in 2025 and 1.2% in 2026. China's growth is projected to slow from 4.8% this year to 4.4% in 2026. Inflation is projected to be higher than previously expected, although still moderating as economic growth softens. Services price inflation is still elevated amidst tight labour markets and goods price inflation has begun picking up in some countries, although from low levels. Annual headline inflation in G20 economies is projected at 3.8% in 2025 and 3.2% in 2026.

आईएमएफ की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट (अप्रैल 2025) के अनुसार, वैश्विक वृद्धि 2025 में 2.8% और 2026 में 3.0% रहने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक (2009-19) औसत 3.7 प्रतिशत से कम है। वैश्विक मुद्रास्फीति 2025 में 4.3% और 2026 में 3.6% तक कम होने की उम्मीद है, हालांकि पहले से अनुमान से धीमी गति से, और कारोबार दबाव और अस्थिर वित्तीय बाजारों जैसे नकारात्मक जोखिम दृष्टिकोण पर दबाव डालना जारी रखते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

पिछला वित्तीय वर्ष आर्थिक परिदृश्य से काफी उल्लेखनीय रहा है। इस अस्थिर बाहरी वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, तथा 2024-25 की पहली छमाही के दौरान देखी गई गिरावट से उबरने के लिए विकास की स्थिति तैयार है। यद्यपि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कमजोर होने से कमजोर बाहरी मांग के माध्यम से समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, लेकिन भारत के घरेलू विकास इंजन, अर्थात् उपभोग और निवेश, बाहरी बाधाओं के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं।

भारत में बाह्य भेद्यता भी कम है, जैसा कि इसके 19 प्रतिशत के मामूली बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग 11 महीने के आयात कवर के बराबर) से पता चलता है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति, व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ मिलकर, इसे विकास मंदी और व्यापक कमजोरियों की विशेषता वाले विश्व में एक बेहतर निवेश गंतव्य बनाती है।

रिज़र्व बैंक प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कई उपाय कर रहा है, जिसमें खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी और डॉलर / रुपया खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी शामिल हैं। जनवरी 2025 के मध्य से किए गए इन उपायों ने दरों में नरमी के साथ मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने में मदद की है।

मार्च 2025 में मुख्य सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 67 महीने के निचले स्तर 3.3 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में निरंतर नरमी है। हालांकि, कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) 4.1 प्रतिशत पर स्थिर रही, जिसमें सोने का योगदान 22.8 प्रतिशत रहा। वैश्विक विकास में अपेक्षित मंदी के कारण वैश्विक कमोडिटी कीमतों में हाल ही में आई गिरावट ने आयातित मुद्रास्फीति

As per IMF's World Economic Outlook Report (April 2025), global growth is projected at 2.8% in 2025 and 3.0% in 2026, below the historical (2009-19) average of 3.7 percent. Global inflation is expected to decline to 4.3% in 2025 and to 3.6% in 2026, although at a slower pace than previously anticipated, and downside risks such as trade tensions and volatile financial markets continue to weigh on the outlook.

INDIAN ECONOMY

The past financial year has been quite eventful on the economic front. Amidst a myriad of challenges posed by this volatile external environment, the Indian economy has exhibited marked resilience, with growth poised to recover from the blip witnessed during H1:2024-25. Although the weakening of global economic outlook could impact overall growth through weaker external demand, India's domestic growth engines, viz., consumption and investment, are relatively less susceptible to external headwinds.

India also has a low external vulnerability as reflected in its modest external debt-GDP ratio of 19 per cent and substantial forex reserves (close to 11 months of imports cover). India's position as the fastest growing major economy, coupled with macroeconomic stability, makes it a preferable investment destination in a world characterised by growth slowdown and macro vulnerabilities.

The Reserve Bank has been proactively deploying a slew of measures, including open market operations (OMOs), daily variable rate repo (VRR) auctions, and dollar / rupee buy-sell swap auctions, to augment system liquidity. These measures, undertaken since mid-January 2025, have helped to maintain orderly conditions in the money market with softening rates.

Headline CPI inflation declined to a 67-month low of 3.3 per cent in March 2025, mainly due to the continued moderation in food prices. Core inflation (CPI excluding food and fuel), however, remained steady at 4.1 per cent, with gold contributing 22.8 per cent. Recent decline in global commodity prices on account of an expected slowdown in global growth has eased some

के कुछ दबावों को कम किया है। 2025 के लिए सामान्य से बेहतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है, जिससे कृषि आय में वृद्धि हो सकती है और खाद्य कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

2025-26 के लिए दृष्टिकोण

अनुमान है कि भारत 2025 और 2026 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसके प्रभुत्व की पुष्टि करता है। देश की अर्थव्यवस्था 2026 में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो इसके कई वैश्विक समकक्षों से आगे होगी। इसके विपरीत, आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि को बहुत कम, 2025 में 2.8 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत पर रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत के असाधारण बेहतर निष्पादन को दर्शाता है।

9 अप्रैल, 2025 को अपनी एमपीसी घोषणा में आरबीआई ने **2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है**, जो पिछले वर्ष 9.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के बाद 2024-25 के लिए अनुमानित दर के समान ही रहेगी। तिमाही अनुमान पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत है। यह फरवरी के अनुमान से 20 आधार अंकों की गिरावट को अंकित करता है, जो वैश्विक अस्थिरता को दर्शाता है। कृषि क्षेत्र सकारात्मक स्थिति में बना हुआ है, जिसे जलाशयों के स्वस्थ स्तर और मजबूत फसल उत्पादन से समर्थन मिल रहा है, जिससे ग्रामीण मांग बनी रहने की उम्मीद है। बेहतर कारोबारी भावना के बीच विनिर्माण क्षेत्र में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं तथा सेवा क्षेत्र में भी लचीलापन दिख रहा है।

इस बीच, आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 6 प्रतिशत कर दिया है, जिससे स्थिति 'तटस्थ' से 'समायोज्य' हो गई है और इस वित्त वर्ष में जून और अगस्त में 25 आधार अंकों की कटौती के साथ दर में कटौती का चक्र जारी रहने की संभावना है। आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती के बाद, बैंक ऋण वृद्धि में उछाल आने की उम्मीद है, जो पिछले वित्त वर्ष में 11-11.5% की तुलना में इस वित्त वर्ष में संभावित रूप से 11-13% तक पहुंच सकती है। हालांकि, रेपो दर में कटौती से सावधि जमा दरों में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि बैंक उधार लेने की कम लागत के अनुरूप अपनी दरों को समायोजित करते हैं।

मुद्रास्फीति अनुमान को भी 4.2% से घटाकर 4% कर दिया गया, जो खाद्य कीमतों में नरमी, मुद्रास्फीति की उम्मीद में सुधार के साथ-साथ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का परिणाम है, जो वित्त वर्ष 2025 में चार वर्षों में सबसे अधिक खुले बाजार परिलन के साथ

of the pressures from imported inflation. Prospects for the farm sector have been boosted by the forecast of an above normal southwest monsoon for 2025, which could augment farm incomes and keep food prices under check.

OUTLOOK FOR 2025-26

India is projected to remain the fastest-growing large economy for 2025 and 2026, reaffirming its dominance in the global economic landscape. The country's economy is expected to expand by 6.5 per cent in 2026 outpacing many of its global counterparts. In contrast, the IMF projects global economic growth to be much lower, at 2.8 percent in 2025 and 3.0 per cent in 2026, highlighting India's exceptional outperformance.

RBI in its MPC announcement on 9th April, 2025, has also projected real GDP growth at **6.5 per cent for 2025-26**, maintaining the same rate as estimated for 2024-25, following a strong expansion of 9.2 per cent in the preceding year. The quarterly projections stand at 6.5 per cent in Q1, 6.7 per cent in Q2, 6.6 per cent in Q3, and 6.3 per cent in Q4. This marks a downward revision of 20 basis points from the February estimate, reflecting heightened global volatility. Agriculture remains on a positive footing, supported by healthy reservoir levels and robust crop production, which is expected to sustain rural demand. Manufacturing is showing early signs of revival amid improved business sentiment, and the services sector continues to demonstrate resilience.

Meanwhile, the RBI also cut the repo rate for the second consecutive time by 25 bps to 6 per cent, changing the stance from 'neutral' to 'accommodative' and the rate cutting cycle is likely to continue, with a 25bps cut each in June & August in this FY. Following RBI's repo rate cut, bank credit growth is expected to rise, potentially reaching 11-13% this fiscal year, compared to 11-11.5% in the previous fiscal. However, repo rate cut is expected to lead to lower fixed deposit rates, as banks adjust their rates to align with the lower cost of borrowing.

Inflation estimate was also cut from 4.2% to 4% which is outcome of softening in food prices, correction in inflation expectation as well as decline in crude oil prices simultaneously ended FY2025 with the highest open market operation in four years, underscoring its active role in managing liquidity. The Indian banking

समाप्त हुआ, जो तरलता के प्रबंधन में इसकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित करता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में मार्च 2025 के अंत में ₹89,400 करोड़ रुपये का तरलता अधिशेष था, जबकि जनवरी 2025 में 3.3 लाख करोड़ रुपये का घाटा था। इसके अलावा, आरबीआई ने 6 मई से 19 मई 2025 के बीच चार चरणों में 1.25 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के साथ भारत सरकार की प्रतिभूतियों की ओएमओ (खुले बाजार परिचालन) खरीद नीलामी की घोषणा की है।

4 अप्रैल, 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो लगभग 11 महीने का आयात कवर प्रदान करता है और बाहरी क्षेत्र की ताकत को दर्शाता है।

हमारा बैंक अपने सभी ग्राहकों को नवीन और अनुकूलित उत्पाद और सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवाएँ प्रदान करके कम लागत वाली जमाराशि आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। अग्रिम मोर्चे पर, बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट ऋण के उचित मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि लाभप्रदता के साथ-साथ व्यवसाय में अधिक वृद्धि हासिल की जा सके। रणनीतिक ध्यान जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने पर भी होगा, जिसमें अनुपालन और प्रणालियों और प्रक्रियाओं के उचित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बैंक एनपीए प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रयास करता है, जिसमें ऋण की निगरानी, नए ऋणों पर अंकुश लगाना और वसूली प्रयासों को मजबूत करना शामिल है। बैंक ग्राहकों और उद्योग की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया और उत्पाद में सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। बैंक का लक्ष्य प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और समावेशी विकास के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन करके इष्टतम व्यावसायिक विकास और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दोनों के संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र में "सर्वोत्तम बैंक" बनना है।

2024-25 में केनरा बैंक

वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक का निवल लाभ 16.99% बढ़कर ₹17,027 करोड़ हो गया है, जबकि परिचालन लाभ 6.72% बढ़कर ₹31,391 करोड़ हो गया है। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च 2024 में 3.05% से 25 बीपीएस घटकर मार्च 2025 में 2.80% हो गया है। बैंक का आस्ति प्रतिफल (आरओए) मार्च 2024 में 1.01% से 8 बीपीएस बढ़कर मार्च 2025 में 1.09% हो गया है।

system had a liquidity surplus of ₹89,400 Crore. at the end of March 2025, compared to the deficit of ₹3.3 lakh Crore in January, 2025. Further, RBI has announced OMO (Open Market Operation) purchase auction of Govt. of India Securities, with a total value of ₹1.25 Crore. in four phases between May 6 and May 19, 2025.

As of April 4, 2025, India's foreign exchange reserves stood at USD 676.3 billion, offering an import cover of nearly 11 months and reflecting the strength of the external sector.

Our Bank will continue to focus on enhancing the low-cost deposits base by providing innovative and customized products and best-in-class customer services to all our customers. On the advances front, Bank focuses on a proper mix of retail, agriculture, MSME and corporate credit, with a view to achieve greater growth in business along with profitability. Strategic focus will also be on strengthening risk management framework with focus on compliance & proper implementation of systems and procedures.

The Bank takes adequate efforts for NPA management with ardent credit monitoring, containing fresh slippages and strengthening recovery efforts. The Bank will continue to strive for process and product improvements in view of evolving customers' and industry requirements. The Bank envisions to be the "Best Bank to Bank with" in the Banking sector, both in terms of optimum business growth and excellent customer service by leveraging technology and creating value for all stakeholders through inclusive growth.

CANARA BANK IN 2024-25

The Bank has growth of 16.99% y-o-y in net profit to ₹17,027 Crore in FY 2024-25 with operating profit growing by 6.72% y-o-y to ₹31,391 Crore. Net Interest Margin (NIM) of the Bank decline by 25 bps at 2.80% in March 2025 from 3.05% in March 2024. Return on Assets (RoA) of the Bank improved by 8 bps to 1.09% in March 2025 from 1.01% in March 2024.

हमारे बैंक के पास बेसल III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ मार्च 2025 तक नियामक आवश्यकता 11.5% की तुलना में 16.33% की आरामदायक पूंजी कुशनिंग है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड और टियर 2 बॉन्ड के माध्यम से क्रमशः 8.27% के कूपन पर ₹3,000 करोड़ और 7.46% के कूपन पर ₹4,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। यथा 31.03.2025 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है। वित्त वर्ष 2024-25 में, बैंक ने 7.40% की दर से ₹10,000 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाए हैं।

कारोबार निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार ₹22,72,968 करोड़ से, वैश्विक जमा 11.01% की वृद्धि के साथ ₹14,56,883 करोड़ और वैश्विक अग्रिम 11.74% की वृद्धि दर के साथ ₹10,73,332 करोड़, 11.32% की वृद्धि के साथ ₹25,30,215 करोड़ हो गया।

वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार वृद्धि का एक स्नैपशॉट

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-24	मार्च-25	संवृद्धि (%) वर्षानुवर्ष
वैश्विक जमा	1312366	1456883	11.01
जिसमें से- घरेलू जमा	1214951	1331137	9.56
विदेशी जमा	97415	125746	29.08
घरेलू जमा	1214951	1331137	9.56
चालू खाता जमा	63949	77841	21.72
बचत बैंक जमा	328378	337135	2.67
कासा जमा	392327	414976	5.77
घरेलू कासा से घरेलू जमा(%)	32.29	31.17	--
वैश्विक अग्रिम	960602	1073332	11.74
जिसमें से- घरेलू अग्रिम	908182	1008671	11.06
विदेशी अग्रिम	52420	64661	23.35
कुल आस्ति	1491541	1682850	12.82

BUSINESS PERFORMANCE

During FY 2024-25, the global business of the Bank stood at ₹25,30,215 Crore with a growth of 11.32% y-o-y from ₹22,72,968 Crore, with global deposits at ₹14,56,883 Crore with a growth of 11.01% y-o-y and global advances at ₹10,73,332 Crore with a growth rate of 11.74%.

A snapshot of business growth in FY 2024-25

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-24	Mar-25	Growth (%) y-o-y
Global Deposits	1312366	1456883	11.01
of which- Domestic Deposits	1214951	1331137	9.56
Overseas Deposits	97415	125746	29.08
Domestic Deposits	1214951	1331137	9.56
Current Account Deposits	63949	77841	21.72
Savings Bank Deposits	328378	337135	2.67
CASA Deposits	392327	414976	5.77
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	32.29	31.17	--
Global Advances	960602	1073332	11.74
of which- Domestic Advances	908182	1008671	11.06
Overseas Advances	52420	64661	23.35
Total Assets	1491541	1682850	12.82

जमा

मार्च 2024 तक कुल जमा राशि 11.01% बढ़कर ₹13,12,366 करोड़ से मार्च 2025 तक ₹14,56,883 करोड़ हो गई। मार्च 2025 तक बैंक की घरेलू कासा जमा राशि ₹4,14,976 करोड़ है, जिसमें बचत जमा राशि ₹3,37,135 करोड़ और चालू जमा राशि ₹77,841 करोड़ है। घरेलू जमा राशि में बैंक की घरेलू कासा जमा राशि की हिस्सेदारी 31.17% रही। 31 मार्च 2025 तक बैंक के कुल जमा ग्राहक 11.17 करोड़ रहे।

अग्रिम

बैंक ने कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विविध तरीके से अपने आस्ति आधार का विस्तार किया, साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

मार्च 2025 तक बैंक के अग्रिम (सकल) ₹10,73,332 करोड़ पहुँच गए। रैम (खुदरा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, एमएसएमई) पोर्टफोलियो मार्च 2025 तक 13.23% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹6,10,127 करोड़ हो गया, जिसमें खुदरा अग्रिम 42.80% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹2,23,366 करोड़ हो गया, कृषि और संबद्ध गतिविधियों को ऋण (2.50)% वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹2,46,888 करोड़ हो गया और एमएसएमई को ऋण 8.23% बढ़कर ₹1,39,857 करोड़ हो गया। रैम पोर्टफोलियो के भीतर, बैंक का स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो 19.60% की सालाना वृद्धि के साथ ₹1,81,351.26 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ गठजोड़ में स्वर्ण ऋण के लिए डिजिटल दस्तावेजीकरण (ई-साइन और ई-स्टैम्पिंग) सक्षम किया गया है और वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 10,77,987 स्वर्ण ऋण दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं।

मार्च 2025 तक उधारकर्ता ग्राहकों की संख्या 1.17 करोड़ थी। मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का कुल कारोबार बढ़कर ₹25,30,215 करोड़ हो गया।

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक का परिचालन लाभ ₹31,391 करोड़ रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹17,027 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक की निवल ब्याज आय ₹37,072 करोड़ रही। एनआईएम 2.80% और अग्रिम पर प्रतिफल 8.83% रहा।

Deposits

Total Deposits grew by 11.01% y-o-y from ₹13,12,366 Crore as on March 2024 to ₹14,56,883 Crore as on March 2025. Domestic CASA deposits of the Bank are at ₹4,14,976 Crore as on March 2025 with Savings deposits at ₹3,37,135 Crore and Current deposits at ₹77,841 Crore. The Bank's domestic CASA deposits share to domestic deposits stood at 31.17%. Total deposit clientele of the Bank stood at 11.17 Crore as at 31st March 2025.

Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans.

Advances (Gross) of the Bank reached ₹10,73,332 Crore as at March 2025. The RAM (Retail, Agriculture & allied activities, MSME) portfolio grew by 13.23% y-o-y to ₹6,10,127 Crore as at March 2025 with retail advances recording a growth of 42.80% y-o-y to ₹2,23,366 Crore, credit to Agriculture & allied activities recording a growth of (2.50)% y-o-y to ₹2,46,888 Crore and credit to MSMEs grew by 8.23% to ₹1,39,857 Crore. Within RAM portfolio, Bank's gold loan portfolio increased to ₹1,81,351.26 Crore with a y-o-y growth of 19.60%. During the year, digital documentation (eSign & e-Stamping) has been enabled for Gold loans in tie-up with National E-Governance Services Limited (NeSL) and total 10,77,987 Gold loan documents have been digitally signed in FY 2024-25.

The number of borrowal clientele stood at 1.17 Crore as at March 2025. Total business of the Bank increased to ₹25,30,215 Crore for the year ended March 2025.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹31,391 Crore for FY 2024-25. Bank reported a Net Profit of ₹17,027 Crore for FY 2024-25. Net Interest income of the Bank stood at ₹37,072 Crore. NIM stood at 2.80% and Yield on Advances at 8.83%.

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च-24	मार्च-25
निधियों पर लागत	5.00	5.28
निधियों पर प्रतिफल	7.54	7.65
जमा की लागत	5.50	5.74
अग्रिम राशि पर प्रतिफल	8.71	8.83
निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	3.05	2.80
आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए)	1.01	1.09
इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	22.06	21.28
लागत से आय अनुपात	47.03	47.27

आय एवं व्यय विश्लेषण:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की कुल आय ₹1,42,208 करोड़ रही, जिसमें अग्रिम से ₹87,789 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹24,596 करोड़ ब्याज, गैर-ब्याज आय से ₹22,453 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹7,370 करोड़ शामिल हैं।

बैंक का परिचालन निष्पादन

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-24	मार्च-25
अर्जित ब्याज	108688	119755
व्यय किया गया ब्याज	72122	82683
निवल ब्याज आय (एनआईआई)	36566	37072
अन्य आय	18966	22453
जिसमें से - शुल्क आय	7419	8866
विदेशी मुद्रा आय	765	828
ट्रेडिंग लाभ	1623	2666
बट्टे खाते में डाले गए खाते से वसूली	5963	8534
परिचालन आय (एनआईआई + अन्य आय)	55532	59525
परिचालन व्यय	26119	28134
कर्मचारी व्यय	16434	17856
अन्य परिचालन व्यय	9686	10278
परिचालन लाभ	29413	31391
प्रावधान	9708	8764

Key Financial Ratios (%)	Mar-24	Mar-25
Cost of Funds	5.00	5.28
Yield on Funds	7.54	7.65
Cost of Deposits	5.50	5.74
Yield on Advances	8.71	8.83
Net Interest Margin (NIM)	3.05	2.80
Return on Assets (RoA)	1.01	1.09
Return on Equity (RoE)	22.06	21.28
Cost to Income Ratio	47.03	47.27

Income and Expenditure Analysis:

Total income of the Bank stood at ₹1,42,208 Crore for the FY 2024-25, comprising ₹87,789 Crore interest from advances, ₹24,596 Crore interest from investments, ₹22,453 Crore from non-interest income and ₹7,370 Crore from other interest income.

Operating performance of the Bank

(₹ in Crore)

Particulars	Mar-24	Mar-25
Interest Earned	108688	119755
Interest Expended	72122	82683
Net Interest Income (NII)	36566	37072
Other Income	18966	22453
of which - Fee Income	7419	8866
Forex Income	765	828
Trading Gains	1623	2666
Recovery from Written Off Account	5963	8534
Operating Income (NII + Other Income)	55532	59525
Operating Expenses	26119	28134
Employee Expenses	16434	17856
Other Operating Expenses	9686	10278
Operating Profit	29413	31391
Provisions	9708	8764

जिसमें से – एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों के लिए प्रावधान	9005	9586
मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान	231	336
अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान	911	(1091)
अन्य प्रावधान	(439)	(68)
कर पूर्व लाभ	19705	22627
कर हेतु प्रावधान	5151	5600
निवल लाभ	14554	17027

बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप, गैर-ब्याज आय (ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर) ₹19,787 करोड़ है। ट्रेडिंग लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत, जैसे सेवा शुल्क (₹3,561 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1,699 करोड़), बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली (₹8,534 करोड़) और विनिमय लेनदेन से लाभ (₹828 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याज आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 15.78% रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 में बैंक का कुल व्यय ₹1,10,818 करोड़ रहा। बैंक का ब्याज व्यय ₹82,683 करोड़ है। परिचालन व्यय ₹28,134 करोड़ है, जिसमें ₹17,856 करोड़ की स्टाफ लागत और ₹10,278 करोड़ के अन्य परिचालन व्यय शामिल हैं।

बैंक की निवल ब्याज आय, भुगतान किए गए ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ₹37,072 करोड़ रहा।

पूंजी और आरक्षित:

मार्च 2025 तक बैंक की कुल संपत्ति 88,241 करोड़ रुपये थी। बैंक की कुल चुकता पूंजी 1,814.13 करोड़ रुपये थी, जबकि आरक्षित और अधिशेष 91,636 करोड़ रुपये (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और एफसीटीआर को छोड़कर) था।

पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)	मार्च 2024 बेसल III	मार्च 2025 बेसल III
जोखिम भारित आस्ति	669257	740322
सीईटी I	77529	89040
सीईटी I (%)	11.58	12.03
एटी I	15839	17339
एटी I (%)	2.37	2.34

of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off	9005	9586
Provision for Standard Advances	231	336
Provision for Non-Performing Investment	911	(1091)
Other Provisions	(439)	(68)
Profit Before Tax	19705	22627
Provision for Tax	5151	5600
Net Profit	14554	17027

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) is at ₹19,787 Crore. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹3,561 Crore), commission and exchange (₹1,699 Crore), recovery from written off accounts (₹8,534 Crore) and Profit from exchange transaction (₹828 Crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 15.78%.

Total expenditure of the Bank stood at ₹1,10,818 Crore in FY 2024-25. Interest expenses of the Bank is at ₹82,683 Crore. Operating expenses is at ₹28,134 Crore, comprising staff cost of ₹17,856 Crore and other operating expenses of ₹10,278 Crore.

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank stood at ₹37,072 Crore.

Capital and Reserves:

Net worth of the Bank, as at March 2025 stood at ₹88,241 Crore. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1,814.13 Crore, the reserves and surplus stood at ₹91,636 Crore (excl. Revaluation Reserve and FCTR).

Composition of Capital (₹ in Crore)	March 2024 Basel III	March 2025 Basel III
Risk Weighted Asset	669257	740322
CET I	77529	89040
CET I (%)	11.58	12.03
AT I	15839	17339
AT I (%)	2.37	2.34

टियर I पूंजी	93368	106379
सीआरएआर (%) (टियर I)	13.95	14.37
टियर II पूंजी	15599	14536
सीआरएआर (%) (टियर II)	2.33	1.96
कुल पूंजी	108967	120915
सीआरएआर (%)	16.28	16.33

बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2025 तक 16.33% रहा, जबकि नियामक आवश्यकता 11.50% थी, जिसमें 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर भी शामिल था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अंतर्गत, सीईटी I अनुपात 12.03% और टियर I पूंजी अनुपात 14.37% रहा।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से ₹3,000 करोड़ और टियर II के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की पूंजी जुटाई है। 31.03.2025 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है।

खुदरा ऋण परिचालन

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, बैंक के प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में खुदरा ऋण ने वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 42.80% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। 31 मार्च, 2025 तक बैंक का मुख्य खुदरा पोर्टफोलियो बढ़कर ₹2,23,366 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण ₹1,06,167 करोड़ और वाहन ऋण के तहत ₹20,637 करोड़ थे। 31 मार्च, 2025 तक घरेलू अग्रिमों (₹10,08,671 करोड़) में खुदरा ऋणों का हिस्सा 22.14% रहा। खुदरा पोर्टफोलियो की परेशानी मुक्त ऋण वितरण में की गई पहलों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 42.80% की वृद्धि हुई।

(₹ करोड़ में)

खुदरा खंड	यथा मार्च तक	
	2024 (लेखापरीक्षित)	2025 (लेखापरीक्षित)
1. आवास	93482	106167
2. वाहन	17251	20637
3. अन्य व्यक्तिगत	29954	79139
4. शिक्षा	15726	17423
कोर खुदरा ऋण (1+2+3+4)	156414	223285

आवासीय ऋण

मार्च 2025 तक बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹1,06,167 करोड़ हो गया। मार्च 2025 तक बैंक ने लगभग 6.03 लाख आवास ऋण वित्तपोषित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने

Tier I Capital	93368	106379
CRAR (%) (Tier I)	13.95	14.37
Tier II Capital	15599	14536
CRAR (%) (Tier II)	2.33	1.96
Total Capital	108967	120915
CRAR (%)	16.28	16.33

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 16.33% as at March 2025 against the regulatory requirement of 11.50%, including capital conservation buffer of 2.50%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 12.03% and Tier I capital ratio was at 14.37%.

During the Financial Year 2024-25, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier 1 Bond amounting to ₹3,000 Crore and Tier II amounting to ₹4,000 Crore. Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2025.

RETAIL LENDING OPERATIONS

For the FY 2024-25, Retail Lending as one of the thrust areas of the Bank had shown a considerable growth of 42.80% compared to FY 2023-24. The Core Retail Portfolio of the Bank increased to ₹2,23,366 Crore as on March 31, 2025 with Housing Loans at ₹1,06,167 Crore and ₹20,637 Crore under Vehicle Loans. The share of Retail Loans stood at 22.14% as of March 31, 2025 of Domestic Advances (₹10,08,671 Crore). The initiatives taken in the hassle free credit delivery of Retail Portfolio resulted in the growth of 42.80% over the previous year.

(₹ in Crore)

Retail Segments	As at March	
	2024 (Audited)	2025 (Audited)
1. Housing	93482	106167
2. Vehicle	17251	20637
3. Other Personal	29954	79139
4. Education	15726	17423
Core Retail Loans (1+2+3+4)	156414	223285

HOUSING LOAN

The Bank's Housing Loan Portfolio increased to ₹1,06,167 Crore as at March 2025. The Bank has financed around 6.03 lakh home loans as at March 2025. During

₹24,833 करोड़ के आवास ऋण वितरित किए हैं और ₹28,178 करोड़ की राशि के 74630 खातों को मंजूरी दी है। आवास ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹12,685 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 13.57% की वृद्धि है।

मेसर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और मेसर्स आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ गठजोड़ व्यवस्था के तहत सह-उधार मॉडल-II के माध्यम से प्रत्यक्ष असाइनमेंट के आधार पर आवास ऋण शुरू किया गया है।

सरकारी निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए, खुदरा खंड के अंतर्गत पीएमएवाई-यू (2.0) योजना के अंतर्गत आवास ऋण आवेदनों को पूरा करने के लिए लक्षित खंडों के लिए एक विशेष आवास ऋण उत्पाद- "प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0)" खुदरा पोर्टफोलियो के तहत नए आवास ऋण कारोबार को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।

वाहन ऋण

मार्च 2025 तक बैंक का वाहन ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹20,637 करोड़ हो गया। मार्च 2025 तक बैंक ने लगभग ₹3.61 लाख वाहनों को वित्तपोषित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ₹9,282 करोड़ के वाहन ऋण वितरित किए हैं और ₹9,565 करोड़ की राशि के 95059 खाते स्वीकृत किए हैं। वाहन ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹3,386 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 19.63% की वृद्धि है।

मेट्रो/शहरी केंद्रों में केनरा वाहन (4-व्हीलर-सभी वेरिएंट) ऋण लीड/कारोबार को हमारे बैंक तक पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट वाहन प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (सीवीडीएसए) के साथ गठजोड़ की व्यवस्था शुरू की गई है। मेसर्स गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड (जीएसपीएल) (कारोबार का नाम: कारदेखो) को केनरा वाहन (4-व्हीलर) ऋण लीड / कारोबार को पहुंचाने के लिए कॉर्पोरेट प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (सी-वीडीएसए) के रूप में गठजोड़ व्यवस्था के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

शिक्षा ऋण

पिछले कुछ वर्षों में, बैंक ने बड़ी संख्या में होनहार छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है। मार्च 2025 तक बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹17,423 करोड़ हो गया। मार्च 2025 तक बैंक ने लगभग 3.70 लाख छात्रों को वित्तपोषित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ₹4,338 करोड़ के शिक्षा ऋण वितरित किए हैं और ऑनलाइन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ₹5,731 करोड़ की राशि के 52847 खाते स्वीकृत किए हैं।

FY 2024-25, the Bank has disbursed housing loans worth ₹24,833 Crore and sanctioned 74630 number of accounts amounting to ₹28,178 Crore. Overall growth in housing loan portfolio is ₹12,685 Crore, growth of 13.57% compared to FY 2023-24.

Housing Loans on Direct Assignment basis through Co-Lending Model-II under tie-up arrangements with M/s Indiabulls Housing Finance Limited & M/s IIFL Home Finance Limited is introduced.

For implementation of Government Directives, an exclusive housing loan product to the targeted segments for catering the housing loan applications under PMAY-U (2.0) Scheme under Retail Segment - "Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0 (PMAY-U 2.0)" is introduced to augment fresh Housing Loan business under Retail Portfolio.

VEHICLE LOAN

The Bank's vehicle loan portfolio increased to ₹20,637 Crore as at March 2025. The Bank has financed around ₹3.61 lakh vehicles as at March 2025. During FY 2024-25, the Bank has disbursed Vehicle loans worth ₹9,282 Crore and sanctioned 95059 number of accounts amounting to ₹9,565 Crore. Overall growth in vehicle loan portfolio is ₹3,386 Crore, growth of 19.63% compared to FY 2023-24.

Tie-up arrangement with Corporate Vehicle Direct Selling Agents (CVDSA) is introduced to route Canara Vehicle (4-Wheeler-all variants) loan leads / business in Metro / Urban Centres to our Bank. M/s. Giranar Software Private Limited (GSPL) (Business Name: CarDekho) is empanelled under the tie-up arrangement as Corporate Direct Selling Agent (C-VDSA) to route Canara Vehicle (4-Wheeler) loan leads / business.

EDUCATION LOAN

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹17,423 Crore as at March 2025. The Bank has financed around 3.70 lakh students as at March 2025. During FY 2024-25, the Bank has disbursed education loans worth ₹4,338 Crore and sanctioned 52847 number of accounts amounting to ₹5,731 Crore through online Vidya Lakshmi portal.

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में से हमारा बैंक शिक्षा ऋण देने में सबसे आगे है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर भारी जोर को देखते हुए, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) की कौशल विकास पहलों का समर्थन करने के लिए “आईबीए कौशल ऋण योजना” लागू की गई है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा चिन्हित चयनित शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचआई) में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक नया शिक्षा ऋण उत्पाद – “प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” शुरू किया गया है।

हमारे बैंक ने केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के तहत ऋण सब्सिडी से जुड़े शिक्षा ऋण आवेदनों की सोर्सिंग के लिए डीएफएस पहल के एक भाग के रूप में जन समर्थ (राष्ट्रीय) पोर्टल को हमारी ऋण उत्पत्ति प्रणाली के साथ एकीकृत किया है।

अन्य व्यक्तिगत ऋण

मार्च 2025 तक बैंक का अन्य व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो (खुदरा स्वर्ण ऋण सहित) बढ़कर ₹79,139 करोड़ हो गया। मार्च 2025 तक बैंक ने लगभग 36.98 लाख अन्य व्यक्तिगत ऋण वित्तपोषित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने ₹59,002 करोड़ के अन्य व्यक्तिगत ऋण वितरित किए हैं और ₹59,124 करोड़ की राशि के 32.21 लाख खाते स्वीकृत किए हैं। इस पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹49,185 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 164.20% की वृद्धि है।

बैंक ने तीन नए खुदरा डिजिटल उत्पाद अर्थात् केनरा रेडी कैश, केनरा माय मनी और केनरा हील पेश किए हैं और ग्राहक के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने और टर्न अराउंड टाइम को कम करने के लिए बैंक ने केनरा बजट और केनरा पेंशन ऋण को डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म (डीएलपी) पर माइग्रेट कर दिया है।

इसके अलावा, भारत सरकार की पहल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नए खुदरा कारोबार को बढ़ावा देने के लिए खुदरा खंड के तहत ऑन-ग्रिड आवासीय रूफटॉप सौर प्रणाली की स्थापना के लिए नई रूफटॉप सौर योजनाएं शुरू की गई हैं।

केनरा रूफटॉप सोलर (सीआरटीएस) – पीएम सूर्य घर योजना (पीएमएसजीवाई) तक (ऋण मात्रा: सब्सिडी सहित अधिकतम 6.00 लाख रुपये तक)।

Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. Further, considering the huge thrust on skill development in recent years, “IBA Skill Loan Scheme” has been implemented to support skill development initiatives of Department of Financial Services (DFS).

A New Education Loan Product - “Pradhan Mantri Vidyalaxmi (PM-Vidyalaxmi) Scheme” has been introduced- for pursuing higher education in India in selected top 860 Quality Higher Educational Institutions (QHEIs) identified by MOE.

Our bank has integrated Jan Samarth (National) portal with our loan origination system as a part of DFS initiative for sourcing the credit subsidy linked education loan applications under Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS).

OTHER PERSONAL LOANS

The Bank's Other Personal Loan Portfolio (Including Retail Swarna Loan) increased to ₹79,139 Crore as at March 2025. The Bank has financed around 36.98 lakh other personal loans as at March 2025. During FY 2024-25, the Bank has disbursed other personal loans worth ₹59,002 Crore and sanctioned 32.21 lakh number of accounts amounting to ₹59,124 Crore. Overall growth in this portfolio is ₹49,185 Crore, growth of 164.20% compared to FY 2023-24.

Bank has introduced three new Retail Digital products i.e. Canara Ready Cash, Canara My Money and Canara Heal and to enhance the customer's digital experience and lower Turn Around Time Bank has migrated Canara Budget & Canara Pension Loans to the Digital Lending Platform (DLP).

Further, to augment fresh retail business under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, a Government of India initiative a new rooftop solar schemes was introduced for installation of On-Grid Residential Rooftop Solar System under Retail Segment.

Canara Rooftop Solar (CRTS) - PM Surya Ghar Yojana (PMSGY) (Loan quantum: Maximum upto ₹6.00 lakh including subsidy).

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता रहा है, जिनमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण शामिल हैं।

मार्च 2025 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹4,22,761 करोड़ तक पहुंच गया और 40% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 42.35% की वृद्धि हासिल की।

मार्च 2025 तक बैंक की कृषि प्राथमिकता अग्रिम राशि ₹2,39,977 करोड़ तक पहुंच गई और 18% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 20.05% की वृद्धि हासिल की है।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम डेटा:

(₹ करोड़ में)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च	
	2024	2025
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	423563	422761
कृषि (प्राथमिकता)	249688	239977

- कृषि पोर्टफोलियो के अंतर्गत बैंक का अग्रिम ऋण वर्ष दर वर्ष आधार पर 2.50% घटकर ₹2,46,888 करोड़ हो गया, जिसमें 1.11 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक का कृषि ऋण संवितरण ₹2,42,764 करोड़ है।
- मार्च 2025 तक लघु एवं सीमांत किसानों को अग्रिम राशि 10.00% (पीएसएलसी-एसएफ / एमएफ बिक्री का निवल) के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी को 13.47% प्राप्त हुई।
- वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने ₹37,664 करोड़ की राशि के 24.87 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं।
- मार्च 2025 तक केसीसी के तहत बकाया ऋण ₹49,606 करोड़ तक पहुंच गया।

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, micro credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2025 reached ₹4,22,761 Crore and achieved 42.35% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Agriculture priority advances of the Bank as at March 2025 reached ₹2,39,977 Crore and achieved 20.05% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 18% mandated norm.

Priority Sector Advances data:

(Amount ₹ in Crore)

Priority Sector Advances	As at March	
	2024	2025
Total Priority Sector	423563	422761
Agriculture (Priority)	249688	239977

- Bank's advances under agriculture portfolio decreased by 2.50% to ₹2,46,888 Crore on Y-O-Y basis, covering over 1.11 Crore farmers.
- During FY 2024-25, the Bank's Agriculture Credit Disbursal is ₹2,42,764 Crore.
- Advances to Small & Marginal Farmers achieved 13.47% to ANBC as against the mandatory Target of 10.00% (Net of PSLC-SF / MF sale) as at March 2025.
- During the year 2024-25 Bank has issued 24.87 Lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹37,664 Crore.
- The credit outstanding under KCCs reached ₹49,606 Crore as at March 2025.

- सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम राशि 79,764 करोड़ रुपये रही, जो एनबीसी के लिए 7.5% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 9.73% थी।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 से मार्च 2025 तक ₹75,700 करोड़ के बराबर पीएसएलसी (एसएफ / एमएफ के तहत) बेचकर ₹1,546.60 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की है।
- बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)।
- मार्च 2025 तक, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के अंतर्गत बकाया अग्रिम राशि ₹61,156 करोड़ थी, जिसमें लगभग 24.43 लाख लाभार्थी शामिल थे।

विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्य निष्पादन :

(वास्तविक खाते एवं राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च-25	
	खाते	राशि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	77652	3571
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम)	377244	21110
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम)	11527	456
ब्याज की विभेदक दर	68643	55
स्टैंड अप इंडिया	5251	975
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	1903468	34989
कुल	2443785	61156

- Advances to Micro Enterprises stood at ₹79,764 Crore achieving 9.73% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.
- Bank has earned ₹1,546.60 Crore fee based income by way of selling PSLCs (under SF / MF) to the tune of ₹75,700 Crore during FY 2024-25 till March 2025.
- The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).
- As at March 2025, the outstanding advances under the following Government Schemes aggregated to ₹61,156 Crore, involving around 24.43 Lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Accounts in actuals & Amount ₹ in Crore)

Scheme	Mar-25	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	77652	3571
Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission (DAY - NRLM)	377244	21110
Deendayal Antyodaya Yojana - National Urban Livelihoods Mission (DAY - NULM)	11527	456
Differential Rate of Interest	68643	55
Stand Up India	5251	975
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	1903468	34989
Total	2443785	61156

- डीआरआई को अग्रिम राशि ₹55 करोड़ दी गई, जिसमें 0.69 लाख लाभार्थी शामिल थे।
- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को बैंक की अग्रिम राशि मार्च 2025 तक ₹22,179 करोड़ थी, जिसमें 10.49 लाख उधारकर्ता शामिल थे।
- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 5.24% थे।
- कमजोर वर्गों को अग्रिम राशि 2,33,811 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो एनबीसी के लिए 12.00% के अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 19.29% है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान योजनाओं के तहत बैंक का कार्य निष्पादन:

(वास्तविक खाते एवं राशि ₹ करोड़ में)

योजना का नाम	मार्च-25	
	खाते	राशि
कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)	1851	3531
सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण (पीएम-एफएमई)	3942	314
कुल	5793	3845

मार्च 2025 तक कमजोर वर्गों को अग्रिम के विभिन्न घटक:

(वास्तविक खाते एवं राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	असाधारण	
	खाते	राशि
लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बटाईदार	10426174	186055
एससी / एसटी लाभार्थी	1049425	22179
डीआरआई ऋण	68643	55
स्वयं सहायता समूह	388771	21566
संयुक्त देयता समूह	75893	1699

- Advances to DRI stood at ₹55 Crore, consisting of 0.69 Lakh beneficiaries.
- In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's Advances to SCs / STs beneficiaries amounted to ₹22,179 Crore as at March 2025, covering 10.49 Lakh borrowers.
- The advances to SCs / STs comprised 5.24% of total priority sector advances.
- Advances to weaker sections reached ₹2,33,811 Crore, constituting 19.29% to ANBC against mandated norm of 12.00%.

Performance of Bank under ATMANIRBHAR BHARAT ABHIYAN Schemes:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crore)

Sector Name	Mar-25	
	Accounts	Amount
Agriculture Infrastructure Fund (AIF)	1851	3531
PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PM-FME)	3942	314
Total	5793	3845

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2025:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crore)

Sector Name	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	10426174	186055
SC / ST Beneficiaries	1049425	22179
DRI Loan	68643	55
Self Help Group	388771	21566
Joint Liability Group	75893	1699

यथा मार्च 2025 तक, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को कुल ₹63,330 करोड़ का अग्रिम दिया गया, जो वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 14.98% है।

As at March 2025, advances to specified minority communities aggregated to ₹63,330 Crore, accounting for 14.98% of the actual priority sector advances.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

- पीएम स्वनिधि - यह योजना जुलाई 2020 के दौरान 24.03.2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई है, जो कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पहचान मानदंडों के अनुसार है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार है। पीएम स्वनिधि के तहत, बैंक ने 31.03.2025 तक ₹1,123 करोड़ की राशि के 697938 खातों को मंजूरी दी। 31.03.2025 तक पीएम स्वनिधि के तहत ₹255 करोड़ बकाया है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹21,300 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹22,755 करोड़ की राशि संवितरित की है। मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृतियाँ और संवितरण निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25 (₹ करोड़ में)			
	खातों की संख्या	स्वीकृति राशि	संवितरण राशि	31.03.2025 तक संचयी बकाया राशि
शिशु (<50,000)	229873	767	760	1531
किशोर (50,000 से अधिक - 5 लाख)	346580	8730	8690	15726
तरुण (5 लाख से अधिक से 10 लाख तक)	152475	13186	13160	17630
तरुण प्लस (10 लाख से अधिक से 20 लाख तक)	833	145	145	102
कुल	729761	22828	22755	34989

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

- PM SVANidhi - This scheme has been introduced during July 2020 for all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24.03.2020 as per identification criteria stipulated in scheme guidelines of MoHUA. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the implementation partner of the MoHUA. Under PM SVANidhi, the Bank sanctioned 697938 accounts amounting to ₹1,123 Crore, since inception till 31.03.2025. Outstanding under the PMSVANidhi as on 31.03.2025 is ₹255 cr.
- Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank has disbursed an amount of ₹22,755 Crore against the Disbursement target of ₹21,300 Crore during FY 2024-25. Sanctions and disbursements under different categories of Mudra Yojana are as under:

Category	FY 2024-25 (₹ in Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbursement Amount	Cumulative Outstanding Amount as on 31.03.2025
Shishu (<50,000)	229873	767	760	1531
Kishore (Above 50,000 - 5 Lakhs)	346580	8730	8690	15726
Tarun (Above 5 Lakh to 10 Lakhs)	152475	13186	13160	17630
Tarun Plus (Above 10 lakhs to 20 Lakhs)	833	145	145	102
Total	729761	22828	22755	34989

प्रमुख विशेषताएं:

स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत, बैंक ने प्रारंभ से 31.03.2025 तक स्टैंड ऑफ इंडिया योजना की महिला श्रेणी के अंतर्गत 18281 खाते स्वीकृत किए हैं और 9208 के आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 199% उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, बैंक ने प्रारंभ से 31.03.2025 तक 9208 के स्वीकृत लक्ष्य के मुकाबले एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत 7260 खाते स्वीकृत किए हैं, यानी 31.03.2025 तक एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत 79% उपलब्धि, जबकि 31.03.2024 तक एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत 74% उपलब्धि है।

प्रायोजित आरआरबी सहित बैंक ने पीएमएमवाई के तहत ₹35,000 करोड़ के अनिवार्य संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹35,497 करोड़ (101%) हासिल किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएमईजीपी के तहत बैंक ने ₹1,030 करोड़ की राशि के 8730 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कुल मार्जिन राशि का दावा ₹186 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 15049 खातों की मंजूरी, ₹1,722 करोड़ की मंजूरी राशि और ₹538 करोड़ की मार्जिन राशि का दावा किया गया।

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

डिजिटल बैंकिंग एवं वैकल्पिक वितरण चैनल:

यथा 31.03.2025 तक एटीएम और कैश रिसाइकलर्स की कुल संख्या क्रमशः 8,824 और 2,320 है। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान हमारे एटीएम और कैश रिसाइकलर्स का औसत समय अपटाइम 90.92% रहा।

बैंक का डेबिट कार्ड आधार मार्च 2024 के 573.85 लाख से बढ़कर मार्च 2025 तक 599.79 लाख हो गया है, जिसमें वार्षिक आधार पर 4.52% की वृद्धि हुई है।

मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण 31.03.2025 तक 275.48 लाख तक पहुंच गया है, जिससे 31.03.2024 तक 221.05 लाख से 24.62% की वार्षिक वृद्धि हासिल हुई है।

इंटरनेट बैंकिंग (खुदरा और कॉर्पोरेट) पंजीकरण 31.03.2024 के 266.47 लाख से बढ़कर 31.03.2025 को 270.37 लाख तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.46% की वृद्धि दर्शाता है।

यूपीआई दिनांक 31.03.2024 के 280.17 लाख से बढ़कर दिनांक 31.03.2025 को 338.83 लाख तक पहुंच गया है, जिससे वर्ष दर वर्ष 20.94% की वृद्धि दर्ज की गई है।

Major Highlights:

Under Stand Up India scheme, Bank has sanctioned 18281 accounts under Women category of Stand of India scheme since inception till 31.03.2025 and has achieved 199% against the allotted target of 9208. Further, Bank Sanctioned 7260 accounts under SC / ST category against sanction target of 9208 since inception till 31.03.2025 i.e. 79% achievement under SC / ST category as on 31.03.2025 as against 74% achievement under SC / ST category as on 31.03.2024.

Bank including sponsored RRBs has achieved ₹35,497 Crore, (101%) against the mandatory disbursement target of ₹35,000 Crore under PMMY.

During FY 2024-25, under PMEGP the Bank sanctioned 8730 proposal amounting to ₹1,030 Crore, with Total Margin Money claimed stood at ₹186 Crore, as against sanction of 15049 accounts, sanction amount of ₹1,722 Crore and Margin Money claim of ₹538 Crore during FY 2023-24.

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS:

Total number of ATM's and Cash Recyclers as on 31.03.2025 is 8,824 and 2,320 respectively. Average overall uptime of our ATMs & Cash Recyclers during Q4, FY 2024-25 stood at 90.92%.

The Bank's Debit Card base has increased to 599.79 lakhs as on March 2025 from 573.85 lakhs as on March 2024 with Y-o-Y growth of 4.52%.

Mobile Banking Registration has reached 275.48 lakhs as on 31.03.2025, there by achieving the Y-o-Y growth of 24.62%, from 221.05 lakhs as on 31.03.2024.

Internet Banking (Retail & Corporate) Registration has reached 270.37 lakhs as on 31.03.2025 from 266.47 lakhs as on 31.03.2024, registering Y-o-Y growth of 1.46%.

UPI registration has reached 338.83 lakhs as on 31.03.2025 from 280.17 lakhs as at 31.03.2024, there by registering the Y-o-Y growth of 20.94%.

सभी मर्चेट चैनलों के अंतर्गत कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 31.03.2025 तक 38.07 लाख तक पहुंच गई है और कुल संचयी पीओएस टर्मिनल परिनियोजन 31.03.2025 तक 0.75 लाख है।

नए एपीआई गेटवे (एपीआईजीईई) में 435 एपीआई लाइव किए गए तथा 154 क्लाइंट लाइव हैं।

हमारा बैंक उन चुनिंदा बैंकों में से है जो आरबीआई द्वारा आयोजित कई वैश्विक कार्यक्रमों के दौरान भारतीय / विदेशी प्रतिनिधियों को अपना सीबीडीसी ऐप प्रदर्शित कर रहे हैं।

पुरस्कार:

हमारे बैंक को लगातार तीसरे वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24) एमईआईटीवाई द्वारा डिजिटल भुगतान लेनदेन और मर्चेट अधिग्रहण के तहत प्रथम स्थान दिया गया है।

30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित स्काॅच पुरस्कार समारोह में बीएफएसआई श्रेणी के अंतर्गत 'एपीआई बैंकिंग' के लिए हमारे बैंक को रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

19 जून 2024 को 'केनरा डिजिटल रुपया' के लिए फिनोविटी पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

डेबिट कार्ड में शामिल प्रमुख कार्यक्षमताएं:

- रुपये के अंतर्गत रुपये महिला प्लैटिनम (एंजेल) कार्ड के विभिन्न वैरिएंट की शुरुआत।
- हमारे बैंक में सभी कार्ड नेटवर्क के साथ डेबिट कार्ड के लिए आठ अंकों का बिन लागू किया गया है।
- शाखाओं में गैर-वितरित डेबिट कार्डों के प्रबंधन के लिए नई प्रक्रिया की शुरुआत।
- डेबिट कार्ड के माध्यम से आवर्ती लेनदेन के लिए ई-मैंडेट 24.10.2024 को एनपीसीआई और बिल डेस्क के साथ पूरा हो गया है।
- केनरा मास्टरकार्ड वर्ल्ड क्रेस्ट और केनरा मास्टरकार्ड वर्ल्ड क्रेस्ट प्लस का शुभारंभ।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कार्ड के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

ग्राहकों को डेबिट कार्ड के नवीनीकरण के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। यदि पते में कोई परिवर्तन होता है,

Total cumulative on-boarding under all Merchant channels has reached to 38.07 lakhs as on 31.03.2025 and total cumulative PoS terminal deployment is at 0.75 lakhs as on 31.03.2025.

435 APIs made live in new API gateway (APIGEE) and 154 clients are live.

Our Bank is among the selected banks showcasing our CBDC app to Indian / foreign delegates during multiple global events conducted by RBI.

Awards:

Our Bank has been ranked Number **ONE** under Digital Payment Transactions and Merchant Acquisition by **MEITY** for the **third consecutive year** (FY 2021-22, FY 2022-23 & FY 2023-24).

Our Bank has received **Silver Award** for 'API Banking' under BFSI Category at **Skoch Award** ceremony on 30th November 2024 at New Delhi.

Our Bank has received **Finnoviti Award** for 'CANARA Digital Rupee' on 19th June 2024.

Major functionalities introduced in Debit cards:

- Introduction of Rupay Women Platinum (Angel) Cards variants under Rupay.
- Eight-digit BIN for Debit card has been implemented in our Bank with all card networks.
- Introduction of new procedure for the management of Undelivered Debit Cards in branches.
- E-mandates for recurring transactions through debit card is completed with NPCI and Bill desk on 24.10.2024.
- Launching of Canara MasterCard World Crest and Canara MasterCard World Crest Plus.

Compliance of RBI guidelines for Cards during FY 2024-25:

Customers are intimated about renewal of debit cards through SMS. If there is any change in address, customers

तो ग्राहक पते के अद्यतन के लिए शाखा से संपर्क कर सकते हैं। यदि ग्राहक कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराना चाहते हैं, तो वे मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक कर सकते हैं।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड लेनदेन सुरक्षा हेतु उठाए गए सुरक्षा उपाय :

- डेबिट कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने और कार्डधारकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग से बचाने के लिए हमारे बैंक ने भुगतान कार्ड उद्योग डेटा सुरक्षा मानक (पीसीआई डीएसएस) प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है।
- आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेबिट कार्ड के लिए कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाना, ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को सक्षम और असक्षम करना सभी चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ईमेल और शाखा चैनल में सक्षम है। ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने के लिए ईएफआरएम नियमों को उद्योग के सर्वोत्तम अभ्यास के अनुसार संशोधित किया गया है।

एटीएम धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाएँ और आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन :

- आरबीआई द्वारा अनिवार्य सुरक्षा उपायों (अर्थात टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एंटी-स्किमिंग डिवाइस, ईएमवी अनुपालन) को समय-सीमा के भीतर हमारे सभी चालू एटीएम में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- एटीएम पारिस्थितिकी तंत्र में मैन इन द मिडिल हमले से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में ट्रांसपोर्ट लेयर सिम्योरिटी (टीएलएस) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।
- एटीएम पर साइबर हमले से बचने के लिए लैन/पावर केबल कनेक्शन को छुपा दिया गया है और जनता के लिए सुलभ नहीं है।
- एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में नकदी पुनःपूर्ति के लिए कैसेट स्वैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सभी एटीएम को केंद्रीकृत समाधान के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।
- 10,000 रुपये से अधिक की नकद निकासी के लिए कार्ड-रहित नकद निकासी और ओटीपी लागू किया गया है।

can contact the branch for address updation. In case customer do not want to renew the card, they can block the card permanently either through mobile banking or internet banking.

Security measures taken for Card transaction security for avoiding online frauds:

- To enhance the security of debit card transactions and to protect the cardholders against misuse of their personal information our bank has complied with the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) procedures.
- As per RBI guideline, Enhancing Security of Card transactions for Debit Card enabling and disabling card for online and international transactions is enabled in all channels like Internet Banking, Mobile Banking, ATM, EMAIL and branch channel. EFRM rules for mitigation of online frauds have been modified as per industry best practice.

Security features to arrest ATM frauds & Compliance of RBI guidelines::

- Safety measures mandated by RBI (i.e. Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATM's within the timelines.
- Implementation of Transport Layer Security (TLS) to mitigate risk arising from Man in The Middle attack in ATM ecosystem is completed in ATMs & Cash Recyclers.
- LAN / Power Cable connections are concealed and not accessible to public to avoid Cyber-attack on ATMs.
- Cassette swap for Cash replenishment is under implementation in ATMs & Cash Recyclers.
- All ATMs are migrated for centralized reconciliation.
- Implemented Card-less Cash Withdrawal and OTP for cash withdrawal above ₹10,000.

- बैंक ने जुर्माना से बचने के लिए एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी और हर समय नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए कई उपाय किए हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 में इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- **डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म:** डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म को नेट बैंकिंग पेज में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग में **केनरा हील, मर्चेंट क्यूआर और सेल्स फोर्स (लीड जनरेशन)** का एकीकरण।
- **चैटबॉट एकीकरण:** चैटबॉट विकल्प लॉगिन पृष्ठ में कार्यान्वित किया गया है।
- **आधार डेटा वॉल्ट:** आधार डेटा वॉल्ट के माध्यम से आधार विवरण प्राप्त करने और संग्रहीत करने की सुविधा लागू की गई है।
- **गिफ्ट सिटी आईबीयू ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा:** आईबीयू नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए वित्तीय अधिकार शुरू किए गए।
- इंटरनेट बैंकिंग में खाता उत्पाद पोर्टेबिलिटी सक्षम कर दी गई है।
- इंटरनेट बैंकिंग में एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के लिए लाभार्थी का नाम देखने की सुविधा सक्षम कर दी गई है।
- उच्च मूल्य के लेनदेन के लिए इंटरनेट बैंकिंग में सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना एकीकरण।
- अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड पिन रीसेट करने के लिए सीवीवी सत्यापन की सुविधा शुरू की गई है।
- आई-एसआईपी, इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड योजनाओं में ऑनलाइन एसआईपी स्थापित करने की एक कागज रहित और सुरक्षित विधि है।
- चयनित एचएनआई ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग में ग्राहक संबंध प्रबंधक का विवरण प्रदर्शित करना।
- एमटी 940 पास शीट (विदेशी मुद्रा लेनदेन) को नेट बैंकिंग पेज में सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।
- नेट बैंकिंग पेज में ईपीएस को सफलतापूर्वक एकीकृत कर दिया गया है।

- Bank has taken several measures to comply with the directives of RBI on Monitoring of availability of cash in ATMs and ensuring availability of cash at all times to avoid penalty.

Major features added in Internet Banking in FY 2024-25:

- **Digital Lending Platform:** Digital Lending Platform is successfully integrated in Net Banking page.
- Integration of **Canara Heal, Merchant QR and Sales force (Lead generation)** in internet banking.
- **Chat Bot Integration:** Chatbot option is implemented in Login page.
- **Aadhaar Data Vault:** Facility to fetch and store Aadhaar details through Aadhaar Data vault is implemented.
- **Internet Banking facility for Gift city IBU customers:** Financial Rights for IBU Net Banking customers introduced.
- Account product portability has been enabled in Internet Banking.
- Beneficiary name look up facility for NEFT / RTGS / IMPS has been enabled in Internet Banking.
- Public Key infrastructure integration in internet banking for high value transactions.
- CVV validation has been introduced for Debit Card / Credit Card PIN reset through Internet Banking as an additional security measure.
- I-SIP, a paperless and secure method of setting up an online SIP in Mutual Fund schemes in internet banking platform.
- Display of Customer Relationship Manager detail in internet banking for selected HNI customers.
- MT 940 pass sheet (Forex Transactions) is successfully integrated in Net Banking page.
- Enabling AePS is successfully integrated in Net Banking page.

वित्त वर्ष 2024-25 में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनरा एआई1) में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- **ट्रेन टिकट बुकिंग:** ग्राहक केनरा एआई1 मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन के ट्रेन टिकट विकल्प में सीट बुकिंग, पूछताछ, पीएनआर स्थिति, टिकट रद्द करने, बोर्डिंग बिंदु में परिवर्तन, बुकिंग इतिहास और अप्रयुक्त बुक की गई टीडीआर फाइल करने जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **नाबालिग (10-18 वर्ष) ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा:** सीमित पहुंच के साथ व्यक्तिगत नाबालिग ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा।
- **स्क्रैच कार्ड:** ग्राहक आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस और इंटर बैंक लेनदेन करने पर स्क्रैच कार्ड के ज़रिए पॉइंट / कूपन इकट्ठा कर सकते हैं। इन कूपन को संबंधित एप्लिकेशन में भुनाया जा सकता है, जबकि पॉइंट को एप्लिकेशन के स्टोर और ऑफ़र टैब में उपलब्ध ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए जमा किया जा सकता है।
- **लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना (लक्ष्य / लक्ष्य निर्धारित करने के विकल्प):** व्यय पैटर्न पर नज़र रखने के लिए व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन।
- **औसत मासिक शेष:** इस क्रियान्वयन में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ग्राहक अब औसत शेष देख और बनाए रख सकते हैं, जिससे सेवा प्रभार व्यय की बचत होगी।
- केनरा एआई1 में **नई ग्रीन सावधि जमा उपलब्ध** कराई गई है।
- **स्वीप-इन और स्वीप-आउट:** ग्राहक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में स्वीप-इन और स्वीप-आउट बैलेंस विवरण देख सकते हैं।
- **चैटबॉट:** ग्राहक एप्लिकेशन के प्री-लॉगिन पेज से खाते की शेष राशि, ईएमआई कैलकुलेटर, ऋण ब्याज दर आदि के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।
- **एफएक्स4यू लाभार्थी:** ग्राहक अपने एफएक्स4यू लाभार्थी विवरण को संशोधित कर सकते हैं।
- नए जोड़े गए लाभार्थी के लिए पहले लेनदेन के समय चेतावनी अलर्ट / पॉप-अप संदेश का क्रियान्वयन।
- **लाभार्थी खाता नाम लुकअप:** लाभार्थी को जोड़ते समय लाभार्थी के नाम का सत्यापन करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धनराशि इच्छित प्राप्तकर्ता को भेजी गई है।

Major features added in Mobile Banking application (CANARA Ai1) in FY 2024-25:

- **Train Ticket Booking:** Customers can enjoy the facilities of seat booking, enquiry, PNR status, cancelling ticket, change in boarding Point, booking history and File TDR of unavailed booked in Train Tickets option of Canara ai1 Mobile Banking application.
- **Mobile Banking Facility for Minor (10-18 yrs) customer:** Mobile banking facility for individual Minor customers enabled with limited access.
- **Scratch Cards:** Customers can collect points/ coupons through scratch cards on performing IMPS, NEFT, RTGS and Intra Bank transactions. These coupons can be redeemed in relevant applications while the points can be accumulated to avail offers available in Stores and Offers tab of the application.
- **Target based financial planning (Options to set Goal / targets):** Personal Finance Management for tracking of expenditure pattern.
- **Average Monthly Balance:** Customer can now view and maintain Average Balances based on the information provided in this implementation thus saving service charge expenses.
- **New Green Term Deposit** made available in Canara ai1.
- **Sweep-in & Sweep-out:** Customers can view the sweep-in and Sweep-out balance details in Mobile Banking application.
- **ChatBot:** Customers can make enquiries such as account balance, EMI calculator, Loan Interest Rated etc from Pre-login page of the application.
- **FX4U beneficiary:** Customers can modify their FX4U Beneficiary details.
- Implementation of warning alert / Pop-up message at the time of first transaction for newly added beneficiary.
- **Beneficiary Account Name Lookup:** Verifying beneficiaries' name while adding beneficiary to ensure that funds are remitted to the intended recipient.

- **अंतर्राष्ट्रीय नकद निकासी पर प्रतिबंध:** यदि ग्राहक का पासपोर्ट विवरण सीबीडीसी में नहीं रखा गया है तो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय नकद निकासी में किसी भी प्रकार के संशोधन को रोका जा सकेगा।

वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- **यूपीआई टैप एंड पे:** उपयोगकर्ता लाभार्थी के स्मार्ट क्यूआर / साउंड-बॉक्स / यूपीआई टैग / मोबाइल डिवाइस पर यूपीआई ऐप इंस्टॉल डिवाइस को टैप करके भुगतान कर सकते हैं।
- **यूपीआई पर क्रेडिट लाइन (जारीकर्ता):** उपयोगकर्ता अन्य यूपीआई ऐप्स में मर्चेन्ट लेनदेन (अस्पताल) करने के लिए यूपीआई पर पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन खाते (केनरा हील) को ऑन-बोर्ड कर सकते हैं।
- **केनरा एआई1 ऐप पर पोस्ट लॉगिन स्क्रीन पर यूपीआई स्कैन और भुगतान के लिए यूआई / यूएक्स संवर्द्धन –** यूपीआई लेनदेन करने के लिए यूपीआई स्कैन और भुगतान स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दर्ज करने का विकल्प प्रदान करना।
- **यूपीआई के माध्यम से पीपीएफ / एसएसवाई खातों में क्रेडिट सक्षम करना:** यूपीआई चैनल के माध्यम से पीपीएफ/एसएसवाई सदस्यता भुगतान का विकल्प प्रदान करना।
- **यूपीआई ग्लोबल लेनदेन के लिए पैन सत्यापन:** यूपीआई ग्लोबल लेनदेन के लिए पैन उपलब्धता जांच।
- **यूपीआई पर रुपये सीसी को ब्लॉक / अन-ब्लॉक करें:** केनरा एआई1 ऐप / एसएसएस भीम क्यूआर पोर्टल / एसएमएस के माध्यम से यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए रुपये सीसी की ब्लॉक / अन-ब्लॉक सुविधा को सक्षम करना।

वित्त वर्ष 2024-25 में सीबीडीसी एप्लीकेशन में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- **प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (पीसीबीडीसी) को एक विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए धन को रोककर रखने का प्रोग्राम किया जा सकता है।**
- **सीबीडीसी ऐप में भुगतान गेटवे का एकीकरण और सीबीडीसी की पासवर्ड नीति में भी बदलाव।**
- **पीएम विद्यालक्ष्मी ऐप:** एंड्रॉइड और आईओएस प्रोडक्शन बिल्ड को लाइव कर दिया गया है और सीबीडीसी वॉलेट रखने वाले 74 पात्र छात्रों को 26.03.2025 तक धनराशि वितरित कर दी गई है।
- **ओडिशा राज्य सरकार की सुभद्रा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता हमारे सीबीडीसी ऐप के माध्यम से वितरित की गई।**

- **Restriction on International Cash Withdrawal:** Preventing any modification in International Cash withdrawal through Mobile Banking in case passport details of the customer are not maintained in CBS.

Major features added in UPI in FY 2024-25:

- **UPI Tap & Pay:** Users can make payment by tapping the UPI app installed device on the beneficiary's smart QR / sound-box / UPI Tag / mobile device.
- **Credit Line on UPI (Issuer):** Users can on-board Pre-approved credit line accounts (Canara Heal) to UPI to perform Merchant transactions (Hospitals) in other UPI apps.
- **UI / UX Enhancements for UPI Scan & Pay in Post login screen on Canara ai1 app-** Providing an option to enter the mobile number on UPI Scan and pay screen to perform UPI transactions.
- **Enabling credit to PPF / SSY Accounts through UPI:** Providing an option to pay PPF / SSY subscription payments through UPI channel.
- **Pan validation for UPI Global transactions:** Pan availability check for UPI Global transactions.
- **Block / Un-block RuPay CC on UPI:** Enabling Block / Un-block feature of RuPay CC for UPI users through Canara ai1 app / SAS BHIM QR portal / SMS.

Major features added in CBDC Application in FY 2024-25:

- **Programable CBDC (PCBDC) can be programmed by tying the money to undertake a specific end use.**
- **Integration of Payment Gateway in CBDC app and also changes in Password Policy of CBDC.**
- **PM Vidyalaxmi App:** Android and iOS production builds have been made live and the disbursement to 74 eligible students who are having CBDC wallet was completed as on 26.03.2025.
- **Financial assistance to beneficiaries under Subhadra Yojana of Odisha State Government disbursed through our CBDC app.**

वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- **केनरा रेडी कैश:** डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के तहत स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड के माध्यम से हमारे बैंक के मौजूदा ग्राहकों (केनरा एसबी प्रीमियम पेरोल ग्राहकों) को 10.00 लाख रुपये तक का पूर्व-स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण उत्पाद।
- **केनरा माई मनी:** इंटरनेट / मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से खोले गए ऑनलाइन जमा के एक्ज में डिजिटल ऋण मंच के अंतर्गत स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड के माध्यम से 10.00 लाख रुपये तक का ऋण।
- **स्वर्ण ऋण (खुदरा और कृषि)** 17.09.2024 को डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक लाइव किया गया।
- **केनरा हील:** स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी) के माध्यम से टीपीए के माध्यम से स्वयं और / या आश्रितों के दावों का निपटान करते समय अस्पताल व्यय की कमी को वित्तपोषित करने के लिए एक विशेष योजना।
- **स्टाफ ऋण:** हमारे स्टाफ के लिए डीपीएन और ओडी ऋण।
- **पूर्व-स्वीकृत कारोबार ऋण:** हमारे बैंक के मौजूदा ग्राहकों को उनके लेनदेन के आधार पर कारोबार ऋण।
- **ई-मुद्रा:** डीएलपी के माध्यम से पीएमएमवाई के अंतर्गत ₹10 लाख तक के ऋण का वित्तपोषण।
- **ई-उद्यम:** डीएफएस के निर्देशानुसार डिजी क्रेडिट ऋण सुविधा के तहत ₹25 लाख तक की टीएल / डब्ल्यूसी सीमा के लिए वित्तपोषण।
- **जमाराशि के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट:** खुदरा, कृषि और एमएसएमई प्रयोजन के लिए डीएलपी के माध्यम से स्वयं की सावधि जमाराशि के एक्ज में ओवरड्राफ्ट सुविधा लागू की गई है।
- **₹2 लाख से अधिक केसीसी:** डीएलपी के माध्यम से ₹2 लाख से अधिक केसीसी ऋण का वितरण लागू किया गया है।
- **केसीसी समीक्षा एवं नवीकरण:** डीएलपी के माध्यम से केसीसी ऋणों का नवीकरण एवं समीक्षा।

वित्त वर्ष 2024-25 में एटीएम में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- आधार डेटा वॉल्ट सुविधा को सभी एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

Major features added in Digital Lending Platform in FY 2024-25:

- **Canara Ready Cash:** Pre-Approved Personal Loan product up to ₹10.00 Lakh to existing customers (Canara SB Premium Payroll Customers) of our Bank through Straight-through-Processing (STP) Mode under Digital Lending Platform.
- **Canara My Money:** Loan up to ₹10.00 Lakhs through Straight-through-Processing (STP) Mode under Digital Lending Platform against the online deposits opened through internet / mobile banking.
- **Gold Loan (Retail & Agriculture)** successfully live on Digital Lending Platform on 17.09.2024.
- **Canara Heal:** A special scheme for funding the shortfall of hospital expenditure while settling the claims of self and / or dependents through TPAs by way of Straight-through-Processing (STP).
- **Staff Loan:** DPN and OD Loan for our staff.
- **Pre-Approved business loan:** Business loan to existing customers of our bank based on their transactions.
- **E-Mudra:** Financing of loans up to ₹10 lakhs under PMMY through DLP.
- **E-Udyam:** Financing for TL / WC limit up to ₹25 lakhs under Digi Credit loan facility as directed by DFS.
- **OD Against Deposits:** Overdraft facility against own term deposits for Retail, Agricultural & MSME purpose through DLP has been implemented.
- **KCC above ₹2 lakhs:** Disbursement of KCC loan above ₹2 Lakh through DLP has been implemented.
- **KCC Review & Renewal:** Renewal & Review of KCC loans through DLP.

Major features added in ATMs in FY 2024-25:

- Aadhaar Data vault feature has been successfully implemented in all ATMs and Cash Recyclers.

- **पायलट ह्योसंग मशीनों में आईसीडी कार्यक्षमता :** यह सेवा कार्डधारकों को अपने स्वयं के खाते या तीसरे पक्ष के खाते में नकदी जमा करने के लिए भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के एनएफएस नेटवर्क वाले कैश रिसाइकलर्स / नकद जमा मशीनों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। बैंक ने 3 पायलट ह्योसंग कैश रिसाइकलर्स में विषय आईसीडी कार्यक्षमता को लागू किया है।
- **एटीएम में पावरशेल को अक्षम करना:** बैंक एटीएम में पावरशेल को अक्षम करने से सुरक्षा बढ़ जाती है।
- जमा लेनदेन के लिए कैश रिसाइकलर्स में कार्ड नंबर को छिपाना।
- जब भी कोई एटीएम / कैश रिसाइकलर बंद हो जाता है या काम नहीं करता है, तो समय पर कार्रवाई के लिए संबंधित शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और अंचल प्रमुख को एसएमएस भेज दिया जाता है।
- सुरक्षा और सटीकता बढ़ाने के लिए खाता खोलने वाले कियोस्क में ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ई-मेल सत्यापन की सुविधा शुरू की गई है।
- स्टाफ सत्यापन के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए प्रयुक्त नई एपीआई कुंजी सृजन को खाता खोलने वाले कियोस्क में सुरक्षित लॉगिन के लिए सक्षम किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) का नया संस्करण "सॉफ्ट पीओएस" लॉन्च किया गया, जो एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो एमई (व्यापारी प्रतिष्ठान) को रुपये, वीजा और मास्टरकार्ड संपर्क रहित कार्ड, यूपीआई, वॉलेट आदि से एनएफसी सक्षम एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- मेसकॉम और एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के साथ डायनामिक क्यूआर कोड का एकीकरण पूरा हो गया।
- "हाइब्रिड पीओएस" नामक कम लागत और नए युग के पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) का एक नया खुदरा संस्करण पेश किया गया है, जो एक नई डिजिटल भुगतान स्वीकृति सुविधा प्रदान करता है, जो एमई को डिवाइस पर / में कार्ड को टैप / लगाने या डायनेमिक भीम-क्यूआर को स्कैन करके डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है और सफल लेनदेन के लिए ध्वनि अधिसूचना के साथ ऑन-डिस्प्ले अलर्ट उत्पन्न करता है।

- **ICD functionality in Pilot Hyosung Machines:** service enables cardholders to use NFS networked Cash Recyclers / Cash Deposit Machines of participating member banks for depositing cash in their own account or third party account. Bank has implemented the subject ICD functionality in 3 pilot Hyosung Cash Recyclers.
- **Disabling PowerShell in ATMs:** Disabling PowerShell in Bank ATMs leads to enhanced security.
- Masking of card number in Cash Recyclers for deposit transactions.
- Whenever an ATM / Cash Recycler goes down or non-functional, a SMS is triggered to the concerned branch head, RO head and CO head for timely action.
- Mobile number and e-mail validation through OTP has been introduced in the account opening kiosk to enhance security and accuracy.
- New API Key generation used for biometric authentication of staff validation has been enabled for secure login in the account opening Kiosk.

Major features added in Merchant on-boarding in FY 2024-25:

- New variant of PoS (Point of Sale) launched namely "**Soft PoS**", a mobile application that facilitates MEs (Merchant Establishment) to accept digital payment through NFC enabled android mobiles from Rupay, VISA & MasterCard contactless cards, UPI, Wallets etc.
- Integration of Dynamic QR Code with MESCOM and HP OIL Gas Private Limited completed.
- A new retail variant of low cost & new age Point-of-Sale (PoS) named "**Hybrid PoS**" is introduced to serve Merchant Establishments (MEs) with an all-new Digital Payment acceptance facility that allows MEs to accept digital payments by just tapping / inserting the Card on / into the device or by scanning the Dynamic BHIM-QR and generates on-display alerts with voice notification for successful transactions.

वित्त वर्ष 2024-25 में एपीआई बैंकिंग में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- एपीआई बैंकिंग ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए, जिनके पास उचित ईआरपी समाधान नहीं है या जिनके पास एपीआई बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुँचने के लिए बैंक के एपीआई गेटवे से जुड़ने के लिए कोई ईआरपी समाधान नहीं है, कनेक्टेड बैंकिंग समाधान को सफलतापूर्वक विकसित और क्रियावित किया है। कनेक्टेड बैंकिंग टैली, ज़ोहोबुक, मार्ग ईआरपी आदि जैसे अकाउंटिंग एप्लिकेशन जैसे ईआरपी का उपयोग करने वाले ग्राहकों को बैंक के कनेक्टेड बैंकिंग पार्टनर द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक की प्रणाली से जुड़ने में मदद करेगी। कनेक्टेड बैंकिंग सेवाएँ बैंक के कनेक्टेड बैंकिंग पार्टनर के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने और नए कासा प्राप्त करने में मदद करेंगी।
- मेसर्स कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मायाकृष्णा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फिनटेक कंपनियों ने हमारे कनेक्टेड बैंकिंग सेवाओं के साथ अपने तकनीकी प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक परीक्षण और एकीकरण किया है और इन भागीदारों के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने का काम अंतिम चरण में है।

प्रमुख आगामी परियोजनाओं की सूची:

मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई:

- एनसीएमसी बैलेंस को रिचार्ज करने के लिए अधिदेश का निर्माण / देखना / हटाना।
- सीबीएस में मृत या अशिक्षित के रूप में चिह्नित उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल बैंकिंग लॉगिन सत्यापन।
- हमारी मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन यात्रा में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में, ओटीपी सत्यापन के अलावा बायोमेट्रिक्स (चेहरे की पहचान) पर आधारित प्रमाणीकरण शामिल किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि एक्टिवेशन में अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता शामिल हो। चेहरा प्रमाणीकरण यूआईडीईआई के पास उपलब्ध बायोमेट्रिक्स पर आधारित होगा।
- **जमा राशि में सुधार:** जमा मॉड्यूल में सुधार किया जा रहा है, ताकि विकल्पों में कमी आए और नई जमा राशि बनाने समय तथा अन्य संबंधित विकल्पों की खोज करते समय उपयोगकर्ताओं को अधिक संवादात्मक अनुभव मिले।

Major features added in API Banking in FY 2024-25:

- API Banking has successfully developed and Implemented Connected Banking Solution to corporate customers who do not have a proper ERP solution or do not have any ERP solution to connect with Bank's API Gateway to access various services through API Banking Services. The Connected Banking will help customers using ERP like Accounting Applications such as Tally, Zohobooks, Marg Erp etc. to connect with Bank's system through the technical platform provided by the Bank's Connected Banking Partner. The connected Banking Services will help in customer addition through the Bank's Connected Banking partner and garner fresh CASA.
- Fintech companies like M/s Cashfree Payments India Pvt. Ltd., M/s Viyona Fintech India Pvt. Ltd. & M/s Mayakrishna Sales Pvt. Ltd. have successfully tested and integrated their technical Platform with our Connected Banking Services and customer on-boarding through these partners are in final stage.

List of Major Upcoming Projects:

Mobile Banking & UPI:

- Creation / View / Deletion of Mandate for recharging of NCMC Balance.
- Mobile Banking Login Validation for Users marked as Deceased or illiterate in CBS.
- In our Mobile banking activation journey as an additional layer of security, authentication based on biometrics (face recognition) in addition to OTP verification will be included thus ensuring that the activation mandatorily involves the User. The face authentication will be based on biometrics available with UIDAI.
- **Deposit revamp:** The deposit module is being revamped to declutter the options and provide a more interacting journey for Users while creating a new deposit and exploring other related options.

- **मोबाइल बैंकिंग में सीमा वृद्धि:** अंतर-बैंक एवं अंतर-बैंक लेनदेन के लिए सीमा बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये की गई है।
- **यूपीआई पर अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर:** अनिवासी खातेधारक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से यूपीआई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- **यूपीआई पर क्रेडिट लाइन (अधिग्रहणकर्ता):** पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन सुविधा को केनरा एआई1 ऐप में यूपीआई से जुड़े खातों के लिए दिया गया है।
- **एकल ब्लॉक एकाधिक डेबिट:** उपयोगकर्ता द्वारा जनादेश तैयार किया जाएगा, जिसमें अवरुद्ध धनराशि को कई बार डेबिट किया जाएगा, जिसका उपयोग द्वितीयक बाज़ार और ऑनलाइन माल और डिलीवरी में किया जा सकता है।
- **यूपीआई सीमा पर रुपये सीसी सेटिंग:** उपयोगकर्ताओं को यूपीआई लेनदेन पर रुपये सीसी की उपयोग सीमा निर्धारित करने का विकल्प प्रदान किया गया है।
- **यूपीआई लाइट ऑटो टॉप अप:** यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को पूर्वनिर्धारित शर्तों के आधार पर अपने यूपीआई लाइट खाते को स्वचालित रूप से टॉप अप करने की अनुमति देगी।

पीओएस (बिक्री केंद्र):

- **डीटीसी-10,000 पीओएस:** दिनांक 10.09.2024 से पायलट परिनियोजन शुरू हो गई है और अब तक 345 पीओएस परिनियोजन किए जा चुके हैं। डीटीसी की आवश्यकताओं के अनुसार, 2 डिपो की 10 बसों पर पायलट के रूप में दिनांक 26.02.2025 को एनसीएमसी स्वीकृति भी लागू की गई। वर्ल्डलाइन को संशोधित पी.ओ. जारी किया जाएगा तथा डी.टी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा डी.टी.सी. से पुष्टि प्राप्त होने के बाद बैंक शेष पी.ओ.एस. टर्मिनलों की स्थापना के लिए आगे बढ़ेगा।
- **लक्षद्वीप - 250 पीओएस:** मेसर्स पेंटावाइब्स द्वारा विकसित भुगतान ऐप के एकीकरण और आईएस ऑडिट को शुरू करने के लिए 06.11.2024 को मेसर्स पेंटावाइब्स को जारी किया गया पीओ भी पूरा हो गया है। अब तक कुल 74 पीओएस स्थापित किए जा चुके हैं तथा शेष विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के बाद स्थापित किए जाएंगे।

डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म:

- **म्यूचुअल फंड पर ऋण:** डीएलपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड पर ऋण सुविधा।
- **कर्मचारियों की ओडी नवीकरण:** डीएलपी में कर्मचारियों की ओडी सुविधा के नवीकरण की एसटीपी प्रक्रिया।

- **Limit enhancement in Mobile Banking:** Limit enhancement to ₹7.50 lakhs for intra & interbank transactions.
- **International Mobile Numbers on UPI:** Non-Resident accounts can avail UPI services through International mobile numbers.
- **Credit Line on UPI (Acquirer):** Pre-approved credit line facility has been extended to accounts on-boarded to UPI in Canara ai1 app.
- **Single Block Multiple Debits:** Users will create mandate with funds blocked shall be debited multiple times which can be used in Secondary market and Online goods and delivery.
- **Rupay CC on UPI limit setting:** Users are been provided with an option to set the usage limits of Rupay CC on UPI transactions.
- **UPI Lite Auto Top Up:** This feature will allow users to automatically top up their UPI Lite account based on pre-defined conditions.

PoS (Point of Sale):

- **DTC-10,000 PoS:** Pilot deployment has been started from 10.09.2024 and 345 PoS has been deployed so far. NCMC acceptance also implemented on 26.02.2025 as pilot on 10 buses of 2 depots, as per DTC requirements. Revised PO to be issued to Worldline and MOU to be signed with DTC and Bank shall go ahead for deployment of remaining PoS terminals post confirmation received from DTC.
- **Lakshadweep - 250 PoS:** PO issued to M/s Pentavibes on 06.11.2024 for starting the integration & IS Audit of Payment App developed by M/s Pentavibes has also been completed. Total 74 PoS deployed till date and remaining will be deployed post confirmation received from the department.

Digital lending platform:

- **Loan Against Mutual Fund:** Credit Facility against Mutual Fund through DLP.
- **Staff OD Renewal:** STP journey for Renewal of staff OD facility in DLP.

- **हील फेज 2 (एनटीबी):** डीएलपी पर नए अधिग्रहीत ग्राहकों के लिए केनरा हील फेज 2 की शुरुआत और वर्तमान में यह विकासाधीन है।
- **आवासीय ऋण / गृह ऋण सुरक्षित:** डीएलपी पर गृह ऋण / गृह ऋण सुरक्षित (आवासीय ऋण ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत ऋण) की शुरुआत का कार्य विकासाधीन है।
- **शिक्षा ऋण:** डीएलपी में शिक्षा ऋण की शुरुआत और उत्पाद विकास प्रक्रियाधीन है।
- **₹10.00 लाख तक के कार्यशील पूंजी ऋण का नवीनीकरण:** मौजूदा ई-मुद्रा प्रवाह में उपयोगकर्ता विभाग के परामर्श से उत्पाद कॉन्फिगरेशन प्रक्रियाधीन है।
- **स्टाफ वीएल:** डीएलपी में स्टाफ वाहन ऋण की शुरुआत और उत्पाद एसआरएस को उपयोगकर्ता विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और विकास प्रक्रियाधीन है।

सीबीडीसी:

- कार्यान्वयन के लिए निश्चित मूल्यवर्ग परिवेश से मूल्य-आधारित यूटीएक्सओ परिवेश में अंतरण का कार्य प्रगति पर है।
- जैसा कि आरबीआई अन्य राज्यों में भी सीबीडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब्सिडी वितरित करने की योजना बना रहा है, इसलिए सुभद्रा योजना के समान, सीबीडीसी में बल्क अपलोड सुविधा सक्षम की गई है।
- सीबीडीसी ऐप में उपयोगकर्ता स्तरीय प्रोग्रामेबिलिटी का कार्यान्वयन उन्नत अनुकूलन को सक्षम बनाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मुद्रा परिस्थितिकी तंत्र के भीतर लेनदेन के लिए नियमों और शर्तों को परिभाषित करने की अनुमति मिलती है और परियोजना वर्तमान में सीयूजी चरण में है।

एपीआई बैंकिंग:

- बैंक के कारोबार में नए कासा को शामिल करने के लिए कनेक्टेड बैंकिंग और टैली प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- आरबीआई सीएसआईटीई-2024 अवलोकन के अनुसार ईएसबी एपीआई को एपीआईजीईई प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- दिनांक 30.06.2025 तक एपीआईजीईई में 500 एपीआई जारी किये जायेंगे।

- **Heal Phase 2 (NTB):** Introduction of Canara Heal Phase 2 for NTB customers on DLP and currently it is under development.
- **Housing Loan / Home Loan Secure:** Introduction of Home Loan / Home loan secure (personal loan to housing loan customers) on DLP under development.
- **Education Loan:** Introduction of Education loan in DLP and the product development is under process.
- **Renewal of Working Capital loan up to ₹10.00 lakhs:** Product Configuration is under process in consultation with user wing in the existing e-Mudra flow.
- **Staff VL:** Introduction of Staff Vehicle loan in DLP and the product SRS finalized by user wing and development is under process.

CBDC:

- The migration from fixed denomination environment to value based UTXO environment is under progress for implementation.
- As RBI is planning to disburse the subsidies through CBDC platform in other states similar to Subhadra Yojana, bulk upload facility has been enabled in CBDC.
- Implementation of User Level Programmability in the CBDC app enabling enhanced customization, allowing users to define rules and conditions for transactions within the digital currency ecosystem and the project is currently under CUG stage.

API banking:

- The focus will be on clients on boarding through Connected Banking & Tally platform for garnering fresh CASA to the Bank's business.
- The focus will be on ESB API migration to APIGEE platform as per RBI CSITE -2024 observation.
- 500 APIs will be configured in APIGEE by 30.06.2025.

- 31 यूएटी ग्राहकों के उत्पादन आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करना।

डेबिट कार्ड:

- सभी रुपये डेबिट कार्ड वेरिएंट में पूर्व प्राधिकरण कार्यक्षमता शुरू की जाएगी और इसके संबंध में ओआरएमसी समिति से अनुमोदन पहले ही ले लिया गया है।

बीबीपीएस

- पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल), एचपीए-मधुबन, पेमिया स्कूल और आनंद विलास चार बिलर्स हैं जिन्हें हमारे बीबीपीएस प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने की पहल की गई है।

एटीएम और सीआर:

- एटीएम पर सीकेवाईसी संदर्भ आईडी का प्रदर्शन।
- कर्मचारी सुझाव योजना (ईएसएस) से प्राप्त सुझावों के अनुसार, मेट्रो और गैर-मेट्रो शहरों में किए गए लेनदेन की संख्या की जानकारी देने वाला एसएमएस ग्राहकों को भेजा जाएगा।

प्रौद्योगिकी परिचालन

- पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल बैंक: पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण चाहने वाले छात्रों के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस पोर्टल को केनरा बैंक द्वारा विकसित किया गया है और पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन और समर्थन के लिए नोडल बैंक के रूप में इसका रखरखाव किया जा रहा है। यह पोर्टल छात्रों के लिए अपनी पसंद के बैंकों में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने के साथ-साथ ब्याज छूट प्रक्रिया के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्रणाली के रूप में कार्य करता है।
- जीएसटीएन के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड और यूपीआई एकीकरण: हमने उन सभी बैंक ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके जीएसटी भुगतान सक्षम किया है, जो इंटरनेट बैंकिंग और ओवर द काउंटर (ओटीसी) के मौजूदा विकल्पों के अलावा केनरा बैंक यूपीआई/ भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करना चुनते हैं।
- एनएसीएच ई-मैन्डेट: हमने प्रायोजक डेबिट ई-मैन्डेट एप्लीकेशन शुरू किया है। ग्राहक आसानी से अन्य बैंक खातों

- To focus on the production movement of 31 UAT clients.

Debit Cards:

- Pre authorization functionality in all the RuPay Debit Card Variants will be introduced and regarding the same already approval taken from the ORMC committee.

BBPS:

- Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL), HPA-Madhuban, Pemiya School & Anand Vilas are the four billers initiated to integrate in our BBPS Platform.

ATMs and CRs:

- Displaying of CKYC reference ID in ATMs.
- SMS will be sent to the customers informing number of transactions done in Metro and Non-Metro cities for ON US transactions as per the suggestion received from Employee Suggestion Scheme (ESS).

TECHNOLOGY OPERATION

- Nodal Bank for PM Vidyalaxmi Scheme implementation: PM Vidyalaxmi is a portal for students seeking Education Loan. This portal has been developed under the guidance of DoHE, Ministry of Education. The portal has been developed and being maintained by Canara Bank as the Nodal Bank for implementation and support of PM Vidyalaxmi scheme. This portal acts as an end-to-end digital system for students to apply for education loan to the banks of their choice as well as for interest subvention process.
- Credit Card / Debit Card & UPI integration under GSTN: We have enabled GST payment using Credit Card, Debit Card and UPI for all the Bank customers who choose to make payment through Canara Bank UPI / payment Gateway, in addition to existing options of Internet Banking and Over the Counter (OTC).
- NACH E-Mandate: We have launched Sponsor Debit E-mandate application Customer can

को डेबिट करने और केनरा बैंक खाते को विभिन्न उद्देश्यों जैसे कि ऋण किस्त, आरडी किस्त आदि के लिए क्रेडिट करने के लिए मैडेन पंजीकृत कर सकते हैं।

- बीसी टर्मिनलों पर एसएचजी दोहरी प्रमाणीकरण सक्षम है जिसके माध्यम से एसएचजी ग्राहक नकद जमा, नकद निकासी और निधि अंतरण लेनदेन शुरू कर सकते हैं।
- अन्य खाता में ईपीएस द्वारा नकद जमा को सक्षम किया गया है जो ग्राहकों को बीसी टर्मिनलों के माध्यम से अंतर-बैंक नकद जमा लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- ईपीएस लेनदेन और केवाईसी खाता खोलने के लिए प्रमाणीकरण के एक अतिरिक्त तरीके के रूप में फेस ऑथेंटिकेशन को सक्षम किया गया है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त कारक के रूप में सजीवता पहचान के साथ फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जा सकता है।
- बैंक ने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप, आईवीआरएस, एसएमएस बैंकिंग, कॉल सेंटर और शाखा चैनलों के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस) को सक्षम / अक्षम करने की सुविधा प्रदान की है। इससे सक्षम ग्राहक को खाता गतिविधियों पर अतिरिक्त नियंत्रण प्राप्त होता है।
- आधार एकीकरण: यह सुनिश्चित करने के लिए कि डीबीटी योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक परेशानी मुक्त तरीके से पहुंचे, एनपीसीआई ने नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने में सुविधा प्रदान करने के लिए भारत आधार सीडिंग इनेबलर (बेस) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजिटल मोड में सीडिंग / डीसीडिंग। बैंक को एनपीसीआई के बेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि नीचे दिए गए विकल्पों की सुविधा मिल सके:
 - आधार सीडिंग स्थिति की जांच करना
 - आधार सीडिंग
 - आधार डी-सीडिंग
 - आधार को एक बैंक से दूसरे बैंक में अंतरित करना

इसके अलावा, यह सुविधा बैंक की वेबसाइट के माध्यम से हमारे सभी बैंक ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।

easily register mandates to debit other bank accounts and credit Canara bank account for various purposes such as Loan instalment, RD instalment etc.

- SHG Dual Authentication enabled at BC Terminals through which SHG Customers can initiate cash deposit, cash withdrawal and fund transfer transactions.
- AePS OFF US Cash Deposit has been enabled which facilitates Customers to perform interbank cash deposit transactions through BC Terminals.
- Face authentication has been enabled as an additional mode of authentication for AePS transactions and eKYC account opening. Face authentication with liveness detection can be used as an additional factor to increase security.
- Bank has provided customers with the facility of Enabling / Disabling of Aadhaar Enabled Payment System (AePS) through mobile banking, WhatsApp, IVRS, SMS Banking, call centre and branch channels. This enables customer with additional control on account activities.
- BASE Integration: To ensure that the benefits of DBT schemes are credited to the beneficiary in a hassle free manner, NPCI has launched Bharat Aadhaar Seeding Enabler (BASE) platform to facilitate the citizens to carry out Aadhaar seeding/ de-seeding in digital modes. Bank is integrated with the BASE platform of NPCI, to facilitate the below options :
 - Checking the Aadhaar seeding status
 - Aadhaar seeding
 - Aadhaar de-seeding
 - Move Aadhaar from one bank to another

In addition, the facility has also been enabled to all our bank customer through bank website.

स्वर्ण ऋण प्रगति

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डाला गया

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	मार्च 24	दिसम्बर 2024	मार्च 25	तिमाही- दर-तिमाही वृद्धि	वर्ष दर वर्ष वृद्धि
स्वर्ण ऋण	1,51,638	1,70,402	1,81,352	10,950 (6.43%)	29,714 (19.60%)
निवल एनपीए	86.51	89.25	89.31	0.06	2.8
निवल एनपीए %	0.05%	0.05%	0.05%	-	-

- यथा 31.03.2025 तक स्वर्ण ऋण कारोबार 1,81,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है
- स्वर्ण ऋण खातों की संख्या 1.03 करोड़ के पार कर गया है
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कारोबार में 29,714 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है
- संपूर्ण वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निवल एनपीए समान स्तर पर बना रहेगा

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख पहल

- खुदरा खंड के अंतर्गत नया स्वर्ण ऋण उत्पाद - स्वर्ण मासिक ब्याज (उत्पाद कोड - 3027) शुरू किया गया।
- स्वर्ण ऋण स्वीकृति सह पास कार्ड की नई व्यवस्था शुरू की गई तथा ग्राहकों के लिए केएफएस (मुख्य तथ्य विवरण) उपलब्ध कराया गया।
- संतुलन और व्यवस्था प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्वर्ण ऋण पैकेटों के लिए अनुक्रम संख्या शुरू की गई।
- खुदरा स्वर्ण ऋण के लिए समेकित प्रसंस्करण प्रभार की शुरुआत।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अभियान के एक के रूप में, बैंक अपने उत्पादों व सेवाओं को समाज के वित्तीय रूप से बहिष्कृत और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक वित्तीय समावेशन प्रयासों में सक्रिय रहा है, जिसमें बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता की वकालत जैसे प्रमुख हस्तक्षेप शामिल हैं।

Gold Loan Progress

Performance highlights for FY2024-25

(₹ in Crore)

Parameter	Mar'24	Dec'24	Mar'25	QoQ Growth	YOY Growth
Gold Loans	1,51,638	1,70,402	1,81,352	10,950 (6.43%)	29,714 (19.60%)
Net NPA	86.51	89.25	89.31	0.06	2.8
Net NPA %	0.05%	0.05%	0.05%	-	-

- Gold loan business has crossed ₹1,81,000 Crore as at 31.03.2025
- Number of gold loan accounts crossed 1.03 Crore.
- Business has grown by ₹29,714 Crore during FY 2024-25
- Net NPA maintained at same level during entire FY2024-25

Key Initiatives during FY 2024-25

- New gold loan product -Swarna Monthly Interest (Product code - 3027) under retail segment launched.
- Revamped Gold loan sanction cum pass card introduced and KFS (Key Fact Statement) made available for customers.
- Sequence number introduced for gold loan packets to ease the balancing and arrangement process.
- Introduction of Consolidated processing charges for retail gold loans.

FINANCIAL INCLUSION

As a part of financial inclusion drive, the Bank makes its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

- बैंक ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमने 2.16 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं। इसके अतिरिक्त, हम पीएमजेडीवाई (71.89 लाख), पीएमएसबीवाई (231.96 लाख) और एपीवाई (49.68 लाख) जैसी योजनाओं में नामांकित हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और बढ़ गई है। केनरा बैंक की पहल वंचित समुदायों, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत 2.16 करोड़ खाते खोले हैं, जिनमें कुल बकाया राशि ₹14,231 करोड़ है, तथा प्रत्येक खाते में औसत शेष राशि ₹6,588 है।
- बैंक के पास 15000 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट स्थान हैं, जिनमें से 5483 उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) और 9517 गैर एसएसए स्थान हैं।
- बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ-साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा प्रवर्तित एफएलसी के मामलों की देखभाल करने के लिए प्रबंध ट्रस्टी और उप प्रबंध ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित 'केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट' का गठन किया। देश भर के जिलों और ब्लॉक स्तर पर बैंक के कुल 152 एफएलसी (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित 115 एफएलसी और आरआरबी द्वारा प्रायोजित 37 एफएलसी) हैं, जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं और सहायक परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। परामर्शदाताओं को बैंकिंग, विधि, वित्त, अपेक्षित संचार और टीम निर्माण कौशल आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कृषि में डोमेन ज्ञान रखने वाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, पूर्व सैनिक आदि जैसे व्यक्तियों को क्रेडिट परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एफएलसी का व्यापक उद्देश्य मुफ्त वित्तीय साक्षरता / शिक्षा और क्रेडिट परामर्श प्रदान करना होगा। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 22,660 एफएलसी शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 19,41,966 व्यक्तियों को शिक्षित किया गया और 1,36,773 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के डीईएफ और नाबार्ड के एफआईएफ के सहयोग से एनजीओ के सहयोग से 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 243 सीएफएल चल रहे हैं। फंडिंग एजेंसी दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कृत व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा प्रदान
- Bank has made significant efforts to empower underserved communities through the implementation of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). We have opened 2.16 Crore of PMJDY accounts. Additionally, we have been enrolled in schemes like PMJJBY (71.89 Lakh), PMSBY (231.96 lakh), and APY (49.68 lakh), further enhancing their financial security. Canara Bank's initiatives demonstrate their strong commitment to underserved communities, financial inclusion and socio-economic empowerment.
- Bank has opened 2.16 Crore accounts under PMJDY, having total outstanding balance of ₹14,231 Crore in those accounts with average balance of ₹6,588 per account.
- Bank has 15000 Business Correspondent locations out of which 5483 are Sub Service Area (SSA) and 9517 are NON SSA locations.
- Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' managed by Managing Trustee and Deputy Managing Trustee to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has total 152 FLCs (115 FLCs sponsored by Canara Bank and 37 FLCs sponsored by RRBs) in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors and Asst. Counsellors. Counsellors should have sound knowledge of banking, law, finance, requisite communication and team building skills, etc. Individuals such as retired Bank officers, with domain knowledge in agriculture, ex-servicemen, etc. may be engaged as credit counselors. The broad objective of the FLCs will be to provide free financial literacy / education and credit counseling. During FY 2024-25, 22,660 FLC camps were conducted wherein 19,41,966 persons were educated and 1,36,773 persons were counselled.
- As per RBI directions, 243 CFLs are running across 8 States and one Union Territory with funding from DEAF of RBI and FIF of NABARD collaboration with NGOs. Funding Agency is providing 90% of

करने के लिए सीएफएल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनजीओ को परिचालन व्यय का 90% और पूंजीगत व्यय का 100% प्रदान कर रही है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 5984 मृत्यु दावों का निपटारा किया, जिनकी कुल राशि ₹119.68 करोड़ थी, और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1914 मामले, जिनकी कुल राशि ₹38.28 करोड़ थी। अपनी स्थापना के बाद से, बैंक ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 43,063 मृत्यु दावों का निपटारा किया है, जिनकी कुल राशि ₹861.12 करोड़ थी, और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 10667 मामले, जिनकी कुल राशि ₹213.34 करोड़ थी।

मार्च 2025 तक नवीनीकरण सहित योजना नामांकन

(₹ लाख में)

नवीनीकरण सहित योजना नामांकन	मार्च 2025 तक
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई)	71.89
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	231.96
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सक्रिय नामांकन	49.68

आधार नामांकन अद्यतन केंद्र:

बैंक आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 796 एएसके स्थापित किए हैं, जिनमें बैंक के लिए 500 केंद्र और 4 प्रायोजित आरआरबी (केएजीबी 116, केजीबी 62, केवीजीबी 63 और एपीजीबी 55) के लिए 296 केंद्र शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण:

प्रधान कार्यालय में महिला सशक्तिकरण अनुभाग और देश भर में 26 अंचल कार्यालयों और 177 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडब्ल्यू) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। इन सीईडीडब्ल्यू ने संभावित उद्यमियों तक पहुँच बनाई है, परामर्श दिया है, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन किया है, वित्त प्रदान किया है और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीईडीडब्ल्यू द्वारा कुल 283 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

OPEX and 100% of CAPEX to NGOs for running CFLs smoothly to spread financial education to financial excluded persons in remote areas.

- During financial year 2024-25, the bank settled 5984 death claims under the PMJBY, totalling ₹119.68 Crore, and 1914 cases under PMSBY, amounting to ₹38.28 Crore. Since its inception, the bank has settled 43,063 death claims under the PMJBY scheme, totaling ₹861.12 Crore, and 10667 cases under PMSBY, amounting to ₹213.34 Crore.

Scheme Enrolments including Renewals as at March 2025

(₹ In Lakhs)

Scheme Enrolments including Renewal	As at March 2025
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJBY)	71.89
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	231.96
Atal Pension Yojana (APY) Active Enrollment	49.68

AADHAAR ENROLMENTS UPDATION CENTRES:

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines Bank has established 796 ASKs, comprising of 500 centres for the Bank and 296 centres for the 4 sponsored RRBs (KAGB 116, KGB 62, KVGB 63 & APGB 55).

EMPOWERING WOMEN:

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 26 Circle Offices and 177 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 283 Programmes were organized by the CEDWs during FY 2024-25.

महिला लाभार्थियों को ऋण का प्रवाह:

महिला लाभार्थियों को निवल ऋण के 5% की भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकता के मुकाबले, बैंक ने मार्च, 2025 तक निवल बैंक ऋण का 26.39% अग्रिम दिया है। 79,26,869 से अधिक महिलाओं को 2,06,652.12 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी:

31.03.2025 तक, हमारे बैंक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- दो राज्यों अर्थात कर्नाटक और केरल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजकता और लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) संयोजक।
- 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी अर्थात आंध्र प्रदेश (6), बिहार (1), दिल्ली (3), हरियाणा (3), लक्षद्वीप (1), कर्नाटक (15), केरल (7), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (4) और उत्तर प्रदेश (14)।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और कारोबार

बैंक की 4 विदेशी शाखाएँ हैं, अर्थात लंदन (यू.के.), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.), दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर – डी.आई.एफ.सी. (यू.ए.ई.) और आर्.बी.यू. गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात। उपरोक्त 4 शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यू.ए.ई.) में एक प्रतिनिधि कार्यालय और दार एस सलाम (तंजानिया) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड है।

मार्च 2025 तक विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹1,90,407 करोड़ (USD 22,276.34 Mn) है, जिसमें ₹1,25,746 करोड़ (USD 14,711.44 Mn) की जमा राशि और ₹64,661 करोड़ (USD 7,564.90 Mn) की अग्रिम राशि शामिल है। विदेशी कारोबार बैंक के वैश्विक कारोबार का 7.53% है।

तंजानिया में पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड ने अपनी आस्तियों और देयताओं को एक्विजम बैंक तंजानिया लिमिटेड को अंतरित कर दिया है और दिनांक 21.12.2024 से अपना परिचालन बंद कर दिया है। दिनांक 23.12.2024 को लाइसेंस बैंक ऑफ तंजानिया को सौंप दिया गया है। बैंक ऑफ तंजानिया ने बंद हो चुकी सीबीटीएल को बैंकिंग लाइसेंस सौंपे जाने की बात स्वीकार की है। इसके अलावा, उक्त इकाई की विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है और इस वर्ष के अंत तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

Flow of Credit to Women Beneficiaries:

As against RBI's requirement of 5% of Net Credit to women beneficiaries, the Bank has advanced 26.39% of Net Bank Credit as at March, 2025. Over 79,26,869 Women are assisted to the tune of ₹2,06,652.12 Crore.

Lead Bank Responsibility:

As on 31.03.2025, Our Bank has been assigned with:

- State Level Bankers Committee (SLBC) convenorship in two states i.e., Karnataka & Kerala and Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) convenorship in Lakshadweep.
- Lead Bank Responsibility in 61 Districts across 8 states and 2 Union Territories viz. Andhra Pradesh (6), Bihar (1), Delhi (3), Haryana (3), Lakshadweep (1), Karnataka (15), Kerala (7), Tamil Nadu (7), Telangana (4) & Uttar Pradesh (14).

INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

The Bank has 4 overseas branches, viz., London (UK), New York (USA), Dubai International Financial Center - DIFC (UAE) and IBU GIFT CITY Gandhinagar, Gujarat. Besides the above 4 branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE) and a wholly owned subsidiary; Viz Canara Bank (Tanzania) Limited at Dar Es Salam (Tanzania).

Total Business of the overseas branches aggregates to ₹1,90,407 Crore (USD 22,276.34 Mn) comprising deposits to the tune of ₹1,25,746 Crore (USD 14,711.44 Mn) and advances to the tune of ₹64,661 Crore (USD 7,564.90 Mn) as at March 2025. Overseas business constituted 7.53% of the Bank's global business.

Canara Bank (Tanzania) Limited, a wholly owned subsidiary in Tanzania, has transferred its assets and liabilities to Exim Bank Tanzania Limited and ceased its operations with effect from 21.12.2024. The license has been surrendered to Bank of Tanzania on 23.12.2024. Bank of Tanzania had acknowledged the receipt of surrender of banking license to defunct CBTL Further, the divestment process of said entity is under progress and is expected to be completed by the end of this year.

आस्ति गुणवत्ता

जोखिम को नियंत्रित करने पर निरंतर ध्यान, आर्थिक विकास में व्यापक आधार पर सुधार द्वारा समर्थित, ने वित्त वर्ष 2025 में आस्ति की गुणवत्ता को मजबूत रखा। आपके बैंक का सकल एनपीए 2.94% रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 129 बीपीएस का सुधार है, जबकि निवल एनपीए 0.70% रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 57 बीपीएस का सुधार है। सभी क्षेत्रों में आस्ति की गुणवत्ता में सुधार देखा गया। मार्च 2025 तक कुल सकल एनपीए घटकर ₹31,530 करोड़ रह गया, जो कि मार्च 2024 में ₹40,605 करोड़ था और निवल एनपीए घटकर ₹31,330 करोड़ रह गया। मार्च 2025 तक 7,353 करोड़ रुपये, जो मार्च 2024 में ₹11,823 करोड़ था। बढ़ते खाते में डाले गए खातों में वसूली सहित संचयी नकद वसूली वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹11,131 करोड़ और उन्नयन ₹672 करोड़ रही। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़ते खाते में डाले गए खातों में वसूली के तहत ₹8,534 करोड़ की वसूली की है। वर्ष के दौरान स्लिपेज ₹8,196 करोड़ तक सीमित रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में 360 बीपीएस का सुधार हुआ और यह मार्च 2024 के 89.10% के मुकाबले मार्च 2025 तक 92.70% रहा।

बैंक का मानना है कि निरंतर दिन-प्रतिदिन निगरानी गैर-निष्पादित ऋणों में कमी लाने और अच्छी वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। इसके लिए, बैंक ने वसूली बढ़ाने और स्लिपेज को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए और रणनीति तैयार की है। बैंक के पास प्रत्येक एनपीए खाते को वैज्ञानिक तरीके से छूने की रणनीति है।

बैंक ने 177 क्षेत्रीय कार्यालयों और 37 एआरएम और एसएएम शाखाओं में सरफैसी अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई को केंद्रीकृत किया है, जिसके परिणामस्वरूप बैंक की बिक्री के साथ-साथ सरफैसी कार्रवाई के माध्यम से समाधान कई गुना बढ़ गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सरफैसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के कारण ₹1,900 करोड़ की 2684 संपत्तियां बेची गईं और ₹1,522 करोड़ की राशि के 5168 खातों का निपटान/बंद / अपग्रेड किया गया। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन (सरफैसी) अधिनियम 2002 के तहत संपत्तियों को रखने के लिए एक ई-नीलामी साइट, बैंकनेट (बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क) पोर्टल का सदस्य होने के नाते, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक संख्या में संपत्तियों की नीलामी की है और सबसे अधिक बिक्री की है।

इसके अलावा, बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5454 वसूली बैठक आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹5,475 करोड़ की बही देयता को कवर करते हुए 401909 खातों का निपटान किया गया।

ASSET QUALITY

The sustained focus to contain risk, well supported by broad-based recovery in economic growth, kept the asset quality robust in FY2025. Gross NPA of your Bank stood at 2.94%, an improvement of 129 bps YoY while the net NPA stood at 0.70%, an improvement of 57 bps YoY. The improvement in asset quality was seen across all sectors. Overall Gross NPA declined to ₹31,530 Crore as of March 2025 from ₹40,605 Crore in March 2024 and Net NPA declined to ₹7,353 Crore as of March 2025 from ₹11,823 Crore in March 2024. The cumulative Cash Recovery including Recovery in written off accounts stood at ₹11,131 Crore and upgradation at ₹672 Crore during FY 2024-25. Bank has recovered ₹8,534 Crore under recovery in written off accounts during FY 2024-25. Slippage during the year has contained to ₹8,196 Crore. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 360 bps and stood at 92.70 % as at March 2025 against 89.10% as at March 2024.

The Bank believes that continuous day-to-day monitoring is the first step towards reduction in non-performing loans and in ensuring good recovery. For this, the Bank undertook various steps and formulated strategies to augment recoveries and reduce slippages. Bank has strategies to touch each and every NPA account in a scientific manner.

Bank has centralised actions under SARFAESI Act 2002 at 177 Regional Offices and 37 ARM & SAM Branches resulting Bank sales as well as resolution through SARFAESI actions increased manifold. During FY 2024-25, 2684 properties were sold amounting to ₹1,900 Crore and 5168 accounts were settled / closed / upgraded amounting to ₹1,522 Crore on account of initiating actions under the SARFAESI Act. Being a member of BAANKNET (Bank Asset Auction Network) Portal, an e-auction site for putting properties under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act 2002, Bank has put highest number of properties on auction and highest sales among PSBs during FY 2024-25.

Further, Bank had conducted 5454 Recovery Meets during FY 2024-25 that has resulted in settlement of 401909 accounts covering book liability of ₹5,475 Crore.

इसके साथ ही, बैंक ने गैर-विवेकाधीन गैर-भेदभावपूर्ण योजना के तहत छोटे मूल्य के एनपीए खातों के लिए हमारे बैंक की वेबसाइट में स्वचालित "इलेक्ट्रॉनिक वन टाइम सेटलमेंट (ई-ओटीएस)" पैकेज विकसित और शुरू किया है।

बैंक ने वसूली और चूक को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां भी अपनाई हैं:

1. कृषि, एमएसएमई और खुदरा ऋणों के पोर्टफोलियो की उचित निगरानी के लिए हमने समर्पित वसूली अधिकारियों के साथ एक क्लस्टर/क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाया है।
2. छोटे एनपीए खातों का वसूली एजेंटों को उचित आवंटन
3. बैंक ने लघु मूल्य कृषि, शिक्षा ऋण, एमएसएमई ऋण आदि के निपटान के लिए विभिन्न विशेष ओटीएस योजनाएं तैयार की हैं।
4. सभी राष्ट्रीय लोक अदालतों और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित साप्ताहिक केन-अदालतों और सभी अंचल कार्यालयों में मासिक मेगा केन-अदालतों में सक्रिय भागीदारी।
5. बैंक ने सभी पात्र एनपीए खातों में सरफैसी कार्रवाई शुरू कर दी है और खाते में आस्ति के समापन / निपटान और वसूली तक कार्रवाई जारी रहेगी। हम बैंक की वेबसाइट, समाचार पत्र आदि पर नीलामी संपत्ति का विवरण भी सूचीबद्ध / प्रकाशित कर रहे हैं।

यथा 31.03.2025 तक, 363 मामलों को आईबीसी के तहत समाधान के लिए एनसीएलटी को भेजा गया है, जिसमें हमारे बैंक का लगभग ₹34,508 करोड़ का बुक देयता जोखिम है। इनमें से 305 मामले एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए, जिनमें हमारे बैंक का कुल स्वीकृत दावा ₹29,219 करोड़ था। हमारा बैंक इन एनसीएलटी संदर्भित मामलों में समाधान/परिसमापन के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पर्याप्त वसूली की उम्मीद कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने एनसीएलटी को संदर्भित मामलों के माध्यम से ₹2,600 करोड़ की वसूली की है। मार्च 2025 तक, बकाया दबावग्रस्त संपत्ति पोर्टफोलियो (पुनर्गठित मानक खातों सहित) ₹56,602 करोड़ था, जो सकल अग्रिमों का 5.27% था।

जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक समर्पित जोखिम प्रबंधन विभाग है जो सभी प्रासंगिक जोखिमों की उचित पहचान, माप, निगरानी और शमन सुनिश्चित करता है और एक प्रभावी रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ अनुपालन संस्कृति को

Simultaneously, Bank has developed and deployed automated "Electronic One Time Settlement (e-OTS)" Package in our Bank's website for Small Value NPA accounts under Non-Discretionary Non-Discriminatory Scheme.

Bank has also adopted the following strategies for recoveries and reduce slippages:

1. To have a proper monitoring of the portfolio of Agriculture, MSME and Retail Loans we have taken a cluster / area approach with dedicated recovery officers.
2. Proper allocation of small NPA accounts to Recovery Agents.
3. Bank has formulated various special OTS Schemes for settlement of Small Value Agriculture, Education Loan, MSME Loans etc.
4. Active participation in all National Lok-Adalats & regular Weekly Can-Adalats at all Regional Offices and Monthly Mega Can-Adalats at all Circle Offices.
5. Bank has initiated the SARFAESI action in all eligible NPA accounts and continued the action till conclusion/ disposal of asset & recovery in the account. We are also listing/ publishing the auction property details on Bank's website, Newspaper etc.

As on 31.03.2025, 363 cases have referred to NCLT under IBC for resolution wherein our Bank is having Book liability exposure of around ₹34,508 Crore. Out of which, 305 cases admitted by NCLT with our Bank's aggregate admitted claim of ₹29,219 Crore. Our Bank is expecting substantial recovery during FY 2025-26 through resolution/liquidation in these NCLT referred cases. During FY 2024-25, Bank has recovered ₹2,600 Crore through cases referred to NCLT. As on March 2025, the outstanding Stressed Assets Portfolio (including restructured Standard Accounts) stood at ₹56,602 Crore, accounting for 5.27 % of Gross Advances.

RISK MANAGEMENT

Bank has a dedicated Risk Management Department which ensures proper identification, measurement, monitoring and mitigation of all pertinent risks and promotes compliance culture with an effective reporting

बढ़ावा देता है। जोखिम प्रबंधन बैंक की जोखिम क्षमता के अनुरूप प्रभावी संसाधन आवंटन की सुविधा प्रदान करके निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रणनीतिक निर्णय जोखिमों और अवसरों दोनों पर गहन विचार करके लिए जाएं। बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन और जोखिम और लाभ के बीच संतुलन प्राप्त करना है, साथ ही जोखिम और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

बैंक ने उद्योग जगत की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संरचना स्थापित की है, जो इसके सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। निदेशक मंडल सर्वोच्च शासी निकाय है और इसे बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और विभिन्न कार्यकारी स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियों जैसे उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) आदि द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की जाती है। बैंक में जोखिम प्रशासन और संस्कृति को अधिक व्यापक बनाने के लिए, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पूरे देश में प्रशासनिक इकाइयों में जोखिम प्रबंधन व अनुपालन समितियां भी बनाई गई हैं।

बैंक और उसके समूह निकायों में समग्र जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता की जिम्मेदारी समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) के पास है, जो सीधे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) को रिपोर्ट करता है। जीसीआरओ विभिन्न जोखिम रिपोर्टों के माध्यम से पूरे बैंक में जोखिम प्रबंधन की समग्र प्रभावशीलता की निगरानी करता है। इस संबंध में, बैंक सभी जोखिमों के एकीकृत अवलोकन के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान का उपयोग करता है।

इसके अलावा, बैंक ने एक आश्वासन समिति (एकल और समूह स्तर) भी स्थापित की है, जिसमें जोखिम, अनुपालन और निरीक्षण इकाइयां (रक्षा की तीनों पंक्तियों की तिकड़ी) शामिल हैं, ताकि विभिन्न रक्षा पंक्तियों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और प्रभावी जोखिम संस्कृति और अभिशासन संरचना को संस्थागत बनाया जा सके। बैंक ने कारोबार के प्रबंधन के लिए समावेशी और जोखिम उन्मुख दृष्टिकोण के लिए सभी कार्यात्मक इकाइयों के प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों को प्रमुख जोखिम संकेतकों के साथ संरेखित किया है।

system. Risk Management serves as a key enabler in decision making by facilitating effective resource allocation in line with the bank's risk appetite, ensuring that strategic decisions are made with thorough consideration of both risks and opportunities. The guiding principles to manage risk in the Bank is compliance of regulatory & legal requirements and achieving balance between risk and return, while ensuring independence of risk and business functions.

The Bank has put in place an independent Risk Governance Structure, in line with industry best practices, which clearly delineates roles and responsibilities of its members. Board of Directors is the highest governing body and is duly assisted by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and various executive level risk management committees viz., Enterprise Risk Management Committee (ERMC), Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), Group Risk Management Committee (GRMC) etc. To make risk governance and culture more pervasive across the Bank, risk management & compliance committees are also formed at administrative units throughout the country with active involvement of field functionaries.

Responsibility for the effectiveness of overall risk management throughout the Bank and its group entities lies with Group Chief Risk Officer (GCRO), who is directly reporting to Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO). GCRO monitors the overall effectiveness of risk management throughout the bank vide various risk reports. In this regard, the Bank utilizes Integrated Risk Management Solution for integrated overview of all the risks.

Further, the Bank has also set-up an Assurance Committee (Solo and Group Level) which comprises of Risk, Compliance & Inspection units (a trio of all the three lines of defense) to bolster collaboration across different lines of defense and to institutionalize effective risk culture and governance structure. The Bank has also aligned Key Performance Indicators of all the functional units with Key Risk Indicators for inclusive and risk oriented approach towards managing business.

बैंक की विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क) ऋण जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति और ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है जो ऋण जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण / शमन तथा सक्रिय रूप से प्रबंधन के लिए बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। बैंक ने आंतरिक ऋण रेटिंग, मूल्यांकन, अनुमोदन और निगरानी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू की है। बैंक उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। ये आंतरिक रूप से विकसित मॉडल हैं और सख्त सत्यापन व बैंक टेस्टिंग के कई दौर से गुजरते हैं, जिसमें आंतरिक मूल्यांकन और बाहरी समीक्षा दोनों शामिल हैं। साख समीक्षा और निगरानी की पूरी प्रक्रिया साख प्रशासन व निगरानी विभाग द्वारा विधिवत प्रशासित की जाती है। इसके अलावा, बैंक का जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण ढांचा ऋण जोखिमों का पर्याप्त मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है।

ख) बाजार जोखिम प्रबंधन:

बाजार जोखिम को एक अच्छी तरह से परिभाषित बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत कोष नीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो विभिन्न सीमाओं / ट्रिगर्स के माध्यम से प्राप्त बाजार जोखिम के प्रबंधन को नियंत्रित करती है। जोखिम प्रबंधन विभाग की मध्य कार्यालय इकाई समय पर शमन के लिए दैनिक आधार पर इन सीमाओं की निगरानी करती है। बाजार जोखिम सीमाओं और ट्रिगर्स की प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार किया गया है, जिसकी बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ग) परिचालन जोखिम प्रबंधन:

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा नैतिकता, संगठन संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल है। बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति अपनाई है, जिसमें परिचालन जोखिम प्रबंधन

A brief overview of various risk management processes of the Bank is furnished as under:

a) Credit Risk Management:

Bank has put in place a comprehensive Board approved Credit Policy and Credit Risk Management Policy which articulates Bank's approach to identify, measure, monitor & control / mitigate and actively manage Credit risk. Bank has in place a robust system for internal credit ratings, appraisal, approval and monitoring process. Bank utilizes robust internal Credit Risk assessment models and scorecards to assess credit worthiness of the borrowers. These are internally developed models and undergo multiple rounds of rigorous validation and back testing, which include both internal assessments & external reviews. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing. Moreover, the Bank's risk based pricing framework ensure adequate pricing of credit risks.

b) Market Risk Management:

Market risk is managed through a well-defined Board approved Market Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy, which governs the management of market risk captured through various limits / triggers. Mid Office Unit, Risk Management Wing monitors these limits on a daily basis for timely mitigation. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers which are being reviewed periodically based on the risk appetite of Bank.

c) Operational Risk Management:

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. The Bank has adopted policy for management of Operational

ढांचा, आउटसोर्सिंग गतिविधियां और कारोबार निरंतरता योजना, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाएं जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है ताकि परिचालन जोखिमों को मापा और प्रबंधित किया जा सके। इसके अलावा बैंक प्रभावी जोखिम प्रबंधन का समर्थन करने के लिए कर्मचारियों के लिए विभिन्न जोखिम संस्कृति और जोखिम जागरूकता मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करता है, जो उचित जोखिम लेने को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि जोखिम उठाने की क्षमता से परे उभरते जोखिमों या जोखिम लेने वाली गतिविधियों को समय पर पहचाना, मूल्यांकन, रिपोर्ट और उनका समाधान किया जाए।

घ) परिसंपत्ति देयता और चलनिधि जोखिम प्रबंधन:

बैंक अपनी तुलन पत्र प्रोफाइल के अनुसार एनआईएम को इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए सिस्टम में पर्याप्त चलनिधि रखने का प्रयास करता है। दीर्घावधि में, बैंक का लक्ष्य आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) में सुधार करके शेरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है।

बैंक चलनिधि जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न मानक उपकरण जैसे संरचनात्मक चलनिधि विवरण (एसएलएस), चलनिधि अनुपात, बेसल परिभाषित दबाव चलनिधि अनुपात जैसे चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधि अनुपात (एनएसएफआर) का उपयोग करता है। ब्याज दर संवेदनशीलता (आईआरएस) विवरण का उपयोग आस्तियों और देयताएं के पुनर्मूल्यन अंतराल और विभिन्न दर चक्र के उतार-चढ़ाव के तहत बैंक की कमाई (यानी जोखिम पर कमाई) पर इसके परिणामी प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। शेरधारक की निवल संपत्ति पर बाजार ब्याज दर में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव इक्विटी दृष्टिकोण के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम से मापा जाता है।

गंभीर तरलता संकट और प्रतिकूल ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के तहत बैंक के लचीलापन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न दबाव परीक्षण परिदृश्यों का उपयोग किया जाता है। बाजार चरों के संभावित प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के आधार पर – बैंक अंतर्निहित ट्रिगर बिंदुओं के साथ आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) विकसित करता है और विभिन्न कारोबार और प्रशासनिक इकाइयों में कार्रवाई योग्य परिभाषित करता है।

ड) साइबर / सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

बैंक के पास एक व्यापक "साइबर सुरक्षा नीति" है, जो बैंक के लिए विशिष्ट कारोबार की जटिलता और जोखिम के स्तर को देखते हुए साइबर खतरों से निपटने के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। बैंक की साइबर सुरक्षा और सूचना

Risk, which covers aspects, such as, Operational Risk Management framework, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self-Assessment (RCSA) workshops to measure and manage Operational Risks. Further the Bank conducts various Risk Culture & Risk Awareness Assessment programs for employees to support effective risk management, which promotes sound risk-taking and ensure that emerging risks or risk-taking activities beyond the risk appetite are recognized, assessed, escalated and addressed in a timely manner.

d) Assets Liability and Liquidity Risk Management:

The Bank endeavors to maintain adequate liquidity in the system while maintaining NIM at optimum level with given balance-sheet profile of the Bank. In the long run, the Bank aims to maximize shareholders' wealth by improving Return on Asset (RoA) and Return on Equity (RoE).

Bank deploys various standard tools viz., Structural Liquidity Statement (SLS), liquidity ratios, Basel defined stress liquidity ratios viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to measure and manage liquidity risk. Interest Rate Sensitivity (IRS) Statements are used to measure repricing gaps of assets and liabilities and its consequent impact on Bank's earning (i.e., Earning at Risk) under different rate cycle movement. A long term impact of change in market interest rate on shareholder's net-worth is measured through change in economic value of equity approach.

Different stress test scenarios are further used to evaluate the resilience of the Bank under severe liquidity run-off and adverse interest rate movement. Based on the probable adverse movement of market variables – the Bank develops Contingency Funding Plan (CFP) with inbuilt trigger points and defined actionable across different business and admin units.

e) Cyber / Information Security Risk Management

Bank has a comprehensive "Cyber Security Policy" to provide guidance and direction to combat cyber threats given the level of complexity of business and levels of risk, specific to the Bank. Cyber Security & Information Security of the Bank is managed by a separate division which is headed by Group Chief

सुरक्षा का प्रबंधन एक अलग प्रभाग द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (जीसीआईएसओ) करता है, जिसमें अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा उपकरण और 24x7 सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) है।

च) उद्यम जोखिम प्रबंधन:

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) एक एकीकृत और केंद्रीकृत ढांचे के भीतर बैंक के सभी जोखिमों के प्रबंधन की प्रक्रिया है। यह संगठन के समग्र रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रबंधन और संचार करने की एक सतत, सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। इस संबंध में, बैंक ने उच्च प्रबंधन को शामिल करते हुए एक उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी) का गठन किया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य उद्यम स्तर पर जोखिम का प्रबंधन और निगरानी करना है।

इसलिए, जोखिमों के प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, बैंक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत सभी भौतिक जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करता है, जो आनुपातिकता, निरंतरता, भौतिकता, दबाव परीक्षण, सुदृढ़ अभिशासन, पूंजी गुणवत्ता आदि के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा संचालित होता है।

यह समझते हुए कि उन्नत जोखिम प्रबंधन पद्धतियां निर्बाध डेटा प्रवाह और अखंडता पर निर्भर करती हैं, बैंक ने अपनी मुख्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जिससे समय पर और प्रभावी प्रबंधन कार्रवाई संभव हो सकी है।

छ) समूह जोखिम प्रबंधन:

बैंक ने समूह संस्थाओं के कामकाज में शामिल जोखिमों का प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी समूह संस्थाओं में पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां मौजूद हैं, समूह जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। बैंक का समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी कर रहा है।

ज) ईएसजी और जलवायु जोखिम प्रबंधन:

पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) बैंकों के लिए उभरते मामलों के क्षेत्रों में से एक है। इसके महत्व को देखते हुए, बैंक ने ईएसजी प्रथाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक ईएसजी समिति (सीजीएम / जीएम स्तर) और ईएसजी कार्य

Information Security Officer (GCISO), with state of the art cyber security tools and 24x7 Security Operation Centre (SOC).

f) Enterprise Risk Management:

Enterprise Risk Management (ERM) is the process of managing all of Bank's risks within an integrated and centralized framework. It is an on-going, proactive and dynamic process to identify, assess, manage and communicate risks that may impact objectives to meet the overall strategic goals of the organization. In this regard, Bank has constituted an Enterprise Risk Management Committee (ERMC) committee comprising of senior management formed with primary objective of management and monitoring of risk at an enterprise level.

Therefore, as a part of holistic approach towards managing risks, the Bank conducts a comprehensive assessment of all material risks under Internal Capital Adequacy Assessment Process, driven by the core guiding principles of proportionality, continuity, materiality, stress testing, sound governance, capital quality, etc.

Recognizing that advanced risk management practices rely on seamless data flow and integrity, the Bank has leveraged technology to automate its core risk management system and processes, enabling timely and effective management actions.

g) Group Risk Management:

The Bank has put in place a Board approved Policy on Group Risk Management to manage the risks involved in the functioning of the Group Entities and ensure that adequate risk management systems are in place in all the Group Entities. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

h) ESG & Climate Risk Management:

Environmental, Social and Governance (ESG) is one of the emerging concern areas for Banks. Envisaging the importance, Bank has formed a ESG Committee (CGM / GM level) & ESG Working Group (DGM / AGM level) for overall implementation of ESG practices and Board Level Sub Committee oversees the same.

समूह (डीजीएम / एजीएम स्तर) का गठन किया है और बोर्ड स्तर की उप समिति इसकी देखरेख करती है। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति लागू की है और वार्षिक आधार पर स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो बैंक की प्रतिबद्धता, पहल और कार्यों को रेखांकित करती है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित होकर इसके संस्थापक सिद्धांतों के आसपास निर्मित है।

झ) प्रकटीकरण

पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, बैंक अपने हितधारकों के समक्ष बैंक के कामकाज में सार्थक अंतर्दृष्टि के लिए सभी प्रासंगिक जोखिमों और शमन योजना का खुलासा करता है। इस संबंध में, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति है, जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

ज) बेसल मानदंड कार्यान्वयन:

बैंक बेसल III पूंजी विनियमन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूंजीकृत है। इसके अलावा, बैंक अच्छे स्थिति में है और एलसीआर, एनएसएफआर और लीवरेज अनुपात के मामले में भी विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक को डेटा सेंटर, नियर डेटा सेंटर, आपदा रिकवरी स्थल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए आईएसओ 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है।

बैंक ने आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन में अपग्रेड किया है। लेखापरीक्षण पूरा हो चुका है और बैंक को आईएसओ 27001:2022 से प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन 11/04/2026 तक वैध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और इसे आईएसओ 27001:2022 मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

एकीकृत कोष

मार्च 2025 तक बैंक का कुल घरेलू निवेश (निवल) ₹3,76,969.77 करोड़ रहा। निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) पोर्टफोलियो मार्च 2025 तक क्रमशः 4.60 और 5.72 रहा। 31 मार्च 2025 तक निवेश पर प्रतिफल 6.96% रहा।

Bank has in place the Board approved ESG Policy & publishes Sustainability Report on an annual basis, which outlines the Bank's commitment, initiatives & actions that are built around its founding principles, in alignment with the United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs).

i) Disclosures

To promote transparency, trust and accountability, Bank discloses all the relevant risks and mitigation plan to its stakeholders for meaningful insight into the functioning of the Bank. In this regard, the Bank has a board approved Disclosure Policy in place, which is being reviewed on an annual basis.

j) Basel Norms Implementation:

The Bank complies with RBI Guidelines on Basel III Capital Regulations and remains adequately capitalized as per the current requirements. Further, the Bank is comfortably placed and remains well above the regulatory requirements in terms of LCR, NSFR and Leverage Ratio as well.

COMPLIANCE TO INTERNATIONAL STANDARDS

Bank is certified with ISO 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery Site, Information Technology Wing and Technology Operations Wing.

Bank has undergone upgradation of ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022 certification. Audit has been completed and Bank is certified with ISO 27001:2022. The certification is valid till 11/04/2026.

It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001:2022 standard.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments Domestic (net) of the Bank stood at ₹3,76,969.77 Crore as at March 2025. Modified duration of the investment portfolio and Available for Sale (AFS) portfolio stood at 4.60 and 5.72 as at March

वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू कोष परिचालन के तहत व्यापार लाभ ₹2,664.45 करोड़ है, जिसमें 31.03.2025 तक एचएफटी और एफवीटीपीएल के लिए ₹399.65 करोड़ का पुनर्मूल्यांकन लाभ शामिल है।

बैंक प्राथमिक डीलर के रूप में सरकारी प्रतिभूति बाजार में सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है। हामीदारी के लिए प्रस्तुत बोलियों की कुल राशि ₹2,10,569 करोड़ थी, जिसमें से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत हामीदारी प्रतिबद्धता ₹76,044 करोड़ थी। पीडी कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में प्रत्येक छमाही में प्राप्त किए जाने वाले 40% के न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले, बैंक ने पहली छमाही के दौरान 45.19% और वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए 43.18% हासिल किया है।

मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी व्यापार कारोबार कुल मिलाकर ₹2,09,921 करोड़ रहा, जिसमें निर्यात के अंतर्गत ₹78,611 करोड़, आयात के अंतर्गत ₹47,209 करोड़ और प्रेषण के अंतर्गत ₹84,101 करोड़ शामिल हैं।

अन्य सेवाएँ

मर्चेन्ट बैंकिंग

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के मर्चेन्ट बैंकिंग प्रभाग

- 317 इक्विटी इश्यू, 48 डेट इश्यू और 166 राइट्स की निगरानी की गई तथा बैंक को एसबीए के माध्यम से 4-5 दिनों के लिए फ्लोट फंड लाभ मिला। बैंक ने एसबीए और सिंडिकेट एसबीए फॉर्म के संबंध में ₹1.51 करोड़ का कमीशन एकत्र किया।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) ने बैंक को 54ईसी पूंजीगत लाभ बॉन्ड इश्यू के निजी प्लेसमेंट के लिए “व्यवस्थापक और संग्रहकर्ता बैंकर” के रूप में कार्य करने का काम सौंपा है।
- वर्ष के दौरान, 54ईसी कैपिटल गेन बॉन्ड के लिए अरेंजर के रूप में हमारे बैंक द्वारा जुटाई गई/एकत्रित की गई धनराशि ₹740.12 करोड़ है और ₹79.04 लाख का कमीशन अर्जित किया है।
- वर्ष के दौरान, अनुभाग ने मेसर्स फॉसिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है और ₹3.25 लाख का कमीशन अर्जित किया है।

2025 respectively. The yield on investments stood at 6.96% as at 31st March 2025. The trading profit under domestic treasury operations during financial year is ₹2,664.45 Crore including revaluation gain of ₹399.65 Crore for HFT&FVTPL as on 31.03.2025.

The Bank continues to be an active player in Government securities market as a Primary Dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹2,10,569 Crore out of which the underwriting commitment accepted by RBI was ₹76,044 Crore. With regard to treasury bills under PD business as against minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has achieved 45.19% during the first half and 43.18 % for second half of Financial Year 2024-25.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹2,09,921 Crore, comprising ₹78,611 Crore under exports, ₹47,209 Crore under imports and ₹84,101 Crore under remittances during the year ended March 2025.

OTHER SERVICES

Merchant Banking

During the Financial year 2024-25 Merchant Banking Division of the Bank

- Monitored 317 Equity Issues, 48 Debt Issues and 166 Rights and Bank got float fund benefit for 4-5 days through ASBA. The Bank collected commission of ₹1.51 Crore in respect of ASBA.
- Rural Electrification Corporation Ltd (REC), Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) and Power Finance Corporation (PFC) have entrusted the Bank to act as “Arrangers and Collecting Bankers” for the Private Placement of 54EC Capital Gain Bond Issues.
- During the year, funds mobilized / Collected by our Bank as arranger for 54EC Capital Gain Bonds is ₹740.12 Crore and earned a commission of ₹79.04 Lakh.
- During the year, Section has prepared Share valuation report of M/s Fossil India PVT Ltd. and earned commission of ₹3.25 Lakh.

- वर्ष के दौरान हमने कंपनियों के बॉन्ड जारी करने के लिए अरेंजर के रूप में कार्य करने के लिए ₹53.66 लाख कमाए हैं (कोष विभाग द्वारा लिया गया)।

जीटीपीसी के अंतर्गत व्यापार और विदेशी मुद्रा परिचालन का केंद्रीकरण

परिचालन दक्षता बढ़ाने, विनियामक जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण केंद्र (जीटीपीसी) के तहत सभी विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) और घरेलू व्यापार लेनदेन को केंद्रीकृत कर दिया है।

जीटीपीसी एक केंद्रीकृत बैंक-ऑफिस हब के रूप में कार्य करता है, जो बैंक की शाखाओं से होने वाली सभी व्यापार वित्त गतिविधियों – विदेशी मुद्रा और अंतर्देशीय दोनों – को संसाधित करता है। जबकि जीटीपीसी प्रसंस्करण कार्यों को संभालता है, बैंक शाखाएँ ग्राहकों के लिए संपर्क के प्राथमिक बिंदु के रूप में काम करना जारी रखेंगी, जो नए कारोबार अधिग्रहण, ऋण – संबंधी मामलों, सलाहकार सहायता और दस्तावेजीकरण जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

जीटीपीसी के अंतर्गत सेवाओं का दायरा

जीटीपीसी व्यापार और विदेशी मुद्रा परिचालन की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रबंधन करता है, जिसमें शामिल हैं:

- विदेशी आवक और जावक प्रेषण
- विदेशी चेक संग्रहण और विदेशी मुद्रा लेनदेन
- आयात और निर्यात व्यापार लेनदेन
- व्यापार ऋण और विदेशी बैंक गारंटी
- अंतर्देशीय (घरेलू) साखपत्र और बैंक गारंटी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) शामिल है
- बिल डिस्काउंटिंग सेवाएँ

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पहल

1. FX4U प्लेटफॉर्म

बैंक ने विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए डिजिटल दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली FX4U लॉन्च की है। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्यात / आयात लेनदेन और विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है, साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से अपलोड करने की क्षमता भी देता है।

- During the year we have earned ₹53.66 Lakh for acting as Arranger for Bond issuance of Companies (Under taken by Treasury Wing).

Centralization of Trade and Forex Operations under GTPC

To enhance operational efficiency, manage regulatory risks effectively, and promote Ease of Doing Business, the Bank has centralized all foreign exchange (forex) and domestic trade transactions under the Global Trade Processing Centre (GTPC).

GTPC functions as a centralized back-office hub, processing all trade finance activities - both forex and inland - originating from branches across the Bank. While GTPC handles the processing operations, Bank branches will continue to serve as the primary point of contact for customers, providing services such as new business acquisition, credit-related matters, advisory support and documentation.

Scope of Services under GTPC

GTPC manages a wide range of trade and forex operations, including:

- Foreign inward and outward remittances
- Foreign cheque collection and foreign currency transactions
- Import and export trade transactions
- Trade credit and foreign bank guarantees
- Inland (domestic) Letters of Credit and Bank Guarantees, including electronic Bank Guarantees (e-BG)
- Bill discounting services

Digital Transformation Initiatives

1. FX4U Platform

The Bank has launched FX4U, a digital document management system for forex transactions. This platform enables customers to submit online requests for export / import transactions and forex remittances, with the ability to upload required documents digitally.

2. इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी)

बैंक ने पारंपरिक भौतिक गारंटी की जगह एक सहज डिजिटल प्रक्रिया के साथ एक पूर्ण डिजिटल ई-बीजी प्लेटफॉर्म लागू किया है। नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ एकीकृत, यह सिस्टम ई-स्टाम्पिंग, ई-साइनिंग और गारंटी की रीयल-टाइम होस्टिंग की अनुमति देता है। यह भौतिक बीजी के लिए आवश्यक 3-4 दिनों की तुलना में मिनटों के भीतर तत्काल जारी करने में सक्षम बनाता है। लाभार्थी तुरंत ई-बीजी तक पहुंच सकते हैं, जिससे अलग से प्रमाणीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और लेन-देन के समय में काफी तेजी आती है।

संगठन और सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क – अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार

सुगमता बढ़ाने के प्रयास में बैंक ने वर्ष के दौरान 270 घरेलू शाखाएं खोलीं। मार्च 2025 तक विशेषीकृत शाखाएं सहित बैंक की घरेलू शाखाओं की संख्या 9849 हो गई थी।

शाखा नेटवर्क की संरचना

वर्ग	शाखाओं की संख्या			वर्ष के दौरान खोला गया
	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	
महानगर	1925	1843	1866	30
शहरी	1991	1907	1944	50
अर्ध-शहरी	2742	2751	2900	152
ग्रामीण	3048	3103	3139	38
विदेशी*	3	4	4	
कुल घरेलू शाखाएँ	9706	9604	9849	270

नोट: वर्ष के दौरान घरेलू शाखाओं का विलय किया गया: 25 मार्च 2025 तक बैंक की कुल विशेषीकृत शाखाएं 625 थीं।

मानव संसाधन

कार्मिक प्रोफाइल:

31 मार्च 2025 तक बैंक में 81260 कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले 3 वर्षों में संवर्ग-वार जनशक्ति का ब्यौरा इस प्रकार है:

संवर्ग	मार्च 2023	मार्च 2024	मार्च 2025
अधिकारी	52241	52607	52652
लिपिक	21509	19651	19197

2. Electronic Bank Guarantee (e-BG)

The Bank has implemented a fully digital e-BG platform, replacing traditional physical guarantees with a seamless digital process. Integrated with National E-Governance Services Ltd (NeSL), the system allows for e-stamping, e-signing, and real-time hosting of guarantees. This enables instant issuance - within minutes - compared to the 3-4 days required for physical BGs. Beneficiaries can access the e-BG immediately, eliminating the need for separate authentication and significantly accelerating transaction turnaround times.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network - Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the Bank added 270 domestic branches during the year. As at March 2025, the Bank had 9849 domestic branches, including Specialized Branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches			Opened during the year
	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2025	
Metropolitan	1925	1843	1866	30
Urban	1991	1907	1944	50
Semi-urban	2742	2751	2900	152
Rural	3048	3103	3139	38
Overseas*	3	4	4	
Total domestic Branches	9706	9604	9849	270

Note: Domestic branches were merged during the year: 25 The total Specialized Branches of the Bank stood at 625 as at March 2025.

HUMAN RESOURCES

PERSONNEL PROFILE

As at 31st March 2025, the Bank had 81260 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower for the last 3 years are as under:

Cadre	March 2023	March 2024	March 2025
Officer	52241	52607	52652
Clerk	21509	19651	19197

अधीनस्थ कर्मचारी/ पीटीई	11228	10380	9411
कुल	84978	82638	81260

बैंक के कुल कर्मचारियों में 65% अधिकारी, 24% लिपिक और 11% अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई शामिल थे। बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 26006 थी जो कुल कर्मचारियों का 32% थी। मार्च 2025 तक भूतपूर्व सैन्यकर्मियों की कुल संख्या 5081 थी। बैंक के रोल में 2481 दिव्यांग व्यक्ति (डीएपी) थे।

आरक्षण नीति

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

31 मार्च 2025 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	दिव्यांग*
अधिकारी	9317	4155	17216	527	1547
लिपिक	3515	1230	6301	180	656
अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई	3754	692	2745	-	278
कुल	16586	6077	26262	707	2481
कुल कर्मचारियों का %	20.41	7.48	32.32	-	-

*इसके अलावा एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / यूआर श्रेणी से संबंधित है।

हमारे बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/दिव्यांगजनों/भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक बैंक के अधिकारियों को नामित किया है, जो बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हमारे बैंक ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/भूतपूर्व सैनिकों के कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण तथा अन्य मामलों की निगरानी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक आरक्षण कक्ष भी स्थापित किया है।

Sub Staff/ PTE	11228	10380	9411
Total	84978	82638	81260

Total staff strength of the Bank comprised of 65% Officers, 24% Clerks and 11% Sub Staff / PTE. The Women staff strength of the Bank was 26006 constituting 32% of the total employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2025 stood at 5081. There were 2481 Differently abled persons (DAPs) on the rolls of the Bank.

RESERVATION POLICY

The Bank has been adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), as per the Government of India guidelines.

The representation of SCs / STs / OBCs / EWS / PwBD employees as on 31st March 2025 is as under:

Grade	SCs	STs	OBCs	EWS	PWDs*
Officer	9317	4155	17216	527	1547
Clerk	3515	1230	6301	180	656
Sub Staff / PTE	3754	692	2745	-	278
Total	16586	6077	26262	707	2481
% to total Employees	20.41	7.48	32.32	-	-

* Also belongs to SC / ST / OBC / EWS / UR category.

Our Bank has nominated Executives in the rank of CGM/GM as Chief Liaison Officers for SCs/STs/PwBDs/ Ex-servicemen and for OBCs / EWS respectively who ensure compliance of various Government guidelines pertaining to implementation of Reservation Policy in the Bank. Our Bank has also set up a Reservation Cell under the direct control of Chief Liaison Officers for monitoring Reservation and other matters related to SC / ST / OBC/EWS / PwBDs / Ex-Servicemen employees.

भर्ती

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 1547 लोगों की भर्ती की। इनमें से 629 महिला कर्मचारी थीं, जो कुल भर्ती का 40.66% है। नवनियुक्त कर्मचारियों का श्रेणीवार प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	दिव्यांग*
1547	257	101	413	139	49

*इसके अलावा एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / यूआर श्रेणी से संबंधित है।

मानव संसाधन पहल:

- **स्नातक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति** – प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुपालन में, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति शुरू की है। वर्तमान में 2,797 प्रशिक्षु एक वर्ष की अवधि के लिए भारत भर में विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- **प्रोजेक्ट आरोहण** – मानव संसाधन: ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए मानव संसाधन कार्यों की पुनः कल्पना और पुनः डिजाइन करने के लिए चल रही है।
- कर्मचारियों के लिए कार्य जीवन संतुलन पर मासिक सत्र।
- **केनरा रिज्यूम** – मातृत्व/विश्राम अवकाश के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेबिनार सत्र।
- **फोकस (उत्कृष्ट ग्राहक सेवा को बढ़ावा देना)** – शाखाओं में ग्राहक सेवा को बढ़ाने के उद्देश्य से फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए उच्च प्रभाव बिक्री नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- **अपने परिपत्र को जानें (केवाईसी) प्रश्नोत्तरी:** सभी कर्मचारियों के लिए केवाईसी प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई तथा पात्र अधिकारियों के लिए इस वर्ष एपीएस में चार अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया।
- अधीनस्थ कर्मचारी से लेकर वेतनमान VI तक के पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया।
- **परिपत्र सारांश:** एक दिन में जारी परिपत्रों का विवरण अगले दिन ई-मेल के माध्यम से कर्मचारियों के साथ साझा किया जा रहा है।
- **सहयोग:** सीआईबीएम मणिपाल ने भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास सोसाइटी की सदस्यता भी ग्रहण की है। दिव्यांग (दृष्टि बाधित और वाणी एवं श्रवण बाधित) कर्मचारियों के

RECRUITMENT

During the FY 2024-25, Bank recruited 1547 persons in various cadres. Out of which, 629 were women employees, consisting of 40.66% of total recruitment. The category wise representation of newly recruited employees is as under:

Total	SCs	STs	OBCs	EWS	PwBDs*
1547	257	101	413	139	49

* Also belongs to SC / ST / OBC / EWS / UR category.

HR INITIATIVES

- **Engagement of graduate apprentices** - In compliance with the Apprentices Act, 1961, our Bank has initiated the engagement of Apprentices for the FY 2024-25. At present 2,797 Apprentices are undergoing Apprenticeship training in various Branches across India for a period of one year.
- **Project Aarohan** - HR Transformation Project is ongoing for reimagining and redesigning HR functions to align with Bank's strategic goals and objectives.
- Monthly sessions on Work Life balance for employees.
- **Canara Resume** - Monthly Webinar Session for Employees joining post Maternity / Sabbatical Leave.
- **FOCUS (Fostering Outstanding Customer Service)** - High impact Sales Leadership Training Programme for Frontline Staff has been launched aiming at enhancing Customer Service at Branches.
- **Know Your Circular (KYC) Quiz:** KYC Quizzes were conducted for all the employees and made mandatory for the eligible officers to get four marks in APAS this year.
- Conducted Pre-promotion training to eligible employees from Sub-staff to Scale VI.
- **Circular Synopsis:** The details of circulars issued in a day are being shared with the employees through e-mail on the subsequent day.
- **Collaborations:** CIBM Manipal has also taken the Membership of Indian Society for Training & Development. Collaboration with SBI Foundation for

प्रशिक्षण के लिए एसबीआई फाउंडेशन के साथ सहयोग भी किया गया है।

- **एआर / वीआर (संवर्धित वास्तविकता और आभासी वास्तविकता) प्रशिक्षण:** बैंक ने नए कर्मचारियों के लिए ऑन-बोर्डिंग अनुभव को बढ़ाने के लिए संवर्धित वास्तविकता (एआर) और आभासी वास्तविकता (वीआर) तकनीकों का उपयोग करके एक अभिनव प्रशिक्षण पद्धति विकसित की है, जिससे उन्हें पहले दिन से ही आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास से लैस किया जा सके।
- **डब्ल्यू.आई.टी.आई. (व्हाट्सएप इंटरैक्टिव प्रशिक्षण पहल):** बैंक द्वारा एक नए युग की प्रौद्योगिकी पहल, जिसमें बॉट 24x7 व्हाट्सएप के माध्यम से जेन-एआई तकनीक का उपयोग करके कर्मचारियों के प्रश्नों / शंकाओं के लिए प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है।
- **रेडियो सीआईबीएम:** यह बैंक द्वारा एक नई पहल है, जहां पॉडकास्ट के रूप में एपिसोड समय-समय पर जारी किए जाते हैं, जिसके माध्यम से बैंक के कर्मचारियों को बैंकिंग समाचार, नीतियों और नियामक दिशानिर्देशों, परिपत्रों और कार्यस्थल पर विभिन्न प्रक्रियाओं पर क्या करें और क्या न करें आदि के बारे में शिक्षित किया जाता है।
- **टी-सैट (तकनीकी कौशल मूल्यांकन परीक्षण):** ईज 7.0 सुधार के अनुसार, बैंक ने ग्राहक सेवा सहयोगी से लेकर वेतनमान-V तक के सभी कर्मचारियों के लिए उनकी नौकरी-भूमिकाओं के आधार पर टी-सैट आयोजित किया है।
- मृतक कर्मचारियों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान/निवास स्थान पर ले जाने की योजना शुरू की।
- वित्त वर्ष 2024-25 से कर्मचारियों के लाभों पर कर के अवशोषण की योजना शुरू की।
- वेल्लोर और मुंबई के अलावा दिल्ली में केनरा केयर होम खोला गया।
- आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा राज्य के 9 जिलों में अभूतपूर्व बाढ़ के कारण प्रभावित कर्मचारियों को राहत ऋण दिया गया।
- एचआरएमएस/एसएसएस पैकेज में उपलब्ध निम्नलिखित कर्मचारी लाभ पृष्ठों को मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट पर निम्नानुसार दोहराया गया:
 - शिशु देखभाल भत्ता
 - शोक अवकाश
 - केनराइट्स शिकायत निवारण प्रणाली पैकेज

the training of PwD (Visually Impaired and Speech and Hearing Impaired) employees has also been entered into.

- **AR / VR (Augmented Reality & Virtual Reality) Training:** Bank developed an innovative training methodology using Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies to enhance the on boarding experience for new staff, equipping them with necessary skills and confidence from day one.
- **WITI (WhatsApp Interactive Training Initiative):** A new-age technology initiative by the Bank, wherein the Bot generates responses for the queries / doubts of the employees using Gen-AI technology through WhatsApp 24x7.
- **Radio CIBM:** This is a new initiative by the Bank, where episodes in the form of podcasts are being released periodically through which the employees of the Bank are educated on Banking news, policies & regulatory guidelines, circulars and Do's & Don'ts on various procedures at workplace, etc.,
- **T-SAT (Technical Skill Assessment Test):** As per the EASE 7.0 reforms, Bank has conducted T-SAT to all the employees from CSA to Scale-V based on their job-roles.
- Introduced scheme of Transportation of Mortal remains of the deceased employees to native place / place of domicile.
- Introduced scheme of Absorption of Tax on Perquisites of employees from FY 2024-25.
- Opened Canara Care Home at Delhi in addition to Vellore and Mumbai.
- Extended relief loan to staff members affected due to unprecedented floods in 9 districts in the state of Andhra Pradesh and in the state of Tripura.
- Replicated the following staff benefits pages available in HRMS / SAS package to Mobile Banking / Internet as under:
 - Child Care Allowance
 - Bereavement Leave
 - Canarites Grievance Redressal System Package

- कुछ स्टाफ लाभों जैसे – त्यौहार अग्रिम, भोजन भत्ता और सफाई भत्ता के लिए (प्राधिकरण के बिना) स्वतः अनुमोदन सक्षम किया गया।
- द्विपक्षीय समझौते की तिथि से 6 माह के भीतर 12वें द्विपक्षीय समझौते के सभी लाभ / प्रावधानों को लागू किया गया (कर्मचारियों के लिए)।
- हमारे बैंक की हिंदी गृह पत्रिका 'केनरा ज्योति' और द्विभाषी गृह पत्रिका 'श्रेयस' को 20 फरवरी, 2025 को वर्ल्ड कांग्रेस ब्रांड के 32वें संस्करण में संबंधित श्रेणी में 'ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड' द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- केनरा बैंक की गृह पत्रिका 'केनरा ज्योति' को 09.11.2024 को पीआरसीआई द्वारा 18वें वैश्विक संचार कार्यक्रम में उत्कृष्टता पत्रिका की श्रेणी में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- 04 जनवरी 2025 को मैसूरु में आयोजित दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं बीमा), बेंगलूरु को उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार के "प्रथम" पुरस्कार से सम्मानित किया।
- केनरा बैंक को अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिका "केनरा ज्योति" के लिए क्षेत्र 'ग' में राजभाषा कीर्ति 'प्रथम' पुरस्कार से माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया।
- दिनांक 22.08.2024 और 23.08.2024 को सभी बैंकों / बीमा कंपनियों / वित्तीय संस्थानों के लिए दो दिवसीय संगोष्ठी / समीक्षा बैठक का आयोजन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में पंजाब नैशनल बैंक, चंडीगढ़ (नराकास बैंक) द्वारा किया गया। वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक को क्षेत्र 'ग' में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- Enabled Auto approval (without authorization) of certain staff benefits such as - Festival Advance, Lunch Allowance & Cleaning Expenses.
- Implemented all the benefits / provisions of 12th Bipartite Settlements within 6 months from the date of Bipartite Settlement (for workmen employees).
- Our Bank's Hindi in-house magazine 'Canara Jyoti' and bilingual in-house magazine 'Shreyas' were awarded with the Best in house magazine award for the year 2024-25 on 20th February, 2025 by 'Global Excellence Award' in the respective category in the 32nd edition of World Congress Brand.
- Canara Bank's in-house magazine 'Canara Jyoti' has been awarded the Silver Award in the category of Magazine of Excellence in the 18th Global Communication Programme by PRCI on 09.11.2024.
- During the Joint Regional Official Language conference of South and South West regions held at Mysore on 04th January 2025, the Honorable Governor of Bihar Shri. Arif Mohammad Khan & Union Minister of State for Home Affairs Shri. Nityanand Rai honored the Town Official Language Implementation Committee (Bank & Insurance), Bengaluru with the "First" prize of the Regional Official Language Award for excellent implementation.
- Canara Bank was awarded with the Rajbhasha Kirti 'First' Puraskar in Region 'C' for its quarterly in-house magazine 'Canara Jyoti' by Hon'ble Union Minister of Home Affairs and Co-operation Shri. Amit Shah during Hindi Diwas and 4th All India Official Language Conference on 14th September 2024 at Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi.
- Under the aegis of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, a two-day seminar / review meeting was organized by Punjab National Bank, Chandigarh (TOLIC Bank) on 22.08.2024 and 23.08.2024 for all banks / insurance companies / financial institutions. Canara Bank received the Third prize in 'C' Region for excellent official language implementation by the Department of Financial Services.

- केनरा बैंक की गृह पत्रिका “केनरा ज्योति” को 20.02.2025 को वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस एंड अवार्ड्स के 32वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का पुरस्कार दिया गया।
- वर्ष 2024 में “पेंटिंग और स्केचिंग” श्रेणी में (पहली बार) कर्मचारियों के बच्चों के लिए श्रेयस प्रतियोगिता आयोजित की गई (अपनी तरह की पहली)।
- श्रेयस पत्रिका को वर्ष 2024-25 के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स द्वारा आयोजित भारतीय जनसंपर्क परिषद, मंगलूरु और मुंबई में सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारतीय अंगदान दिवस के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
- प्रधान कार्यालय, अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों में पुस्तकालय दिवस का आयोजन।
- खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना: खिलाड़ियों को जिला / राज्य / क्षेत्र / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
- खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 75 दिनों की विशेष छुट्टी प्रदान की जाती है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में तैयारी/भागीदारी के लिए बिना किसी प्रतिबंध के आवश्यक छुट्टी प्रदान की जाती है।
- खेल श्रेणी के अंतर्गत भर्ती किए गए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर पाँच विशेष वेतन वृद्धि और तीन आउट ऑफ टर्न पदोन्नति से पुरस्कृत किया जाता है।
- खिलाड़ियों को खेल की चोट के लिए 100% चिकित्सा प्रतिपूर्ति और तेजी से ठीक होने के लिए फिजियोथेरेपी सहित पुनर्वास प्रदान किया जाता है।
- खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के दौरान आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओपीई) और आहार भत्ता प्रदान किया जाता है।
- एचआरएमएस पैकेज में ग्रेच्युटी कैलकुलेटर लागू किया गया।
- 2010 से सभी वित्तीय वर्षों के लिए एसपीएफ पासशीट जनरेशन (ई-सिंडिकेट कर्मचारियों के लिए 2020 से) एचआरएमएस पैकेज में उपलब्ध कराया गया।
- केनराइट्स मोबाइल ऐप में एसपीएफ और ग्रेच्युटी नामांकन के लिए आवेदन उपलब्ध कराया गया।
- Canara Bank’s in-house magazine “Canara Jyoti” was awarded the Best Magazine Award at the 32nd edition of World Brand Congress & Awards on 20.02.2025.
- Conducted Shreyas contest for kids of Staff in the category “Painting and Sketching” in 2024 (First of its Kind).
- Shreyas Magazine won the best in house magazine conducted by Public Relations Council of India, Mangalore and Global Excellence Awards at Mumbai for the year 2024-25.
- Conducted an Awareness campaign for Indian Organ Donation Day.
- Conduction of Library Day at Head Office, Circles and Regional Offices.
- Encouraging Sporting Activities: Facilities are provided to Sportspersons to participate in competitions at District / State / Zone / National/ International level competitions.
- Employees who are taking up sports activities are provided with 75 Days of Special Leave in a calendar year. Sportspersons are provided necessary leave without any restrictions towards preparations/ participation in competitions.
- Sportspersons recruited under sports category are rewarded with Five Special Increments & Three Out of Turn Promotions for having secured Medals in National / International level competitions.
- Sportspersons are provided with 100% medical reimbursement for sports injury & rehabilitation including physiotherapy for faster recovery.
- Sportspersons are provided with Out-of-Pocket Expenses (OPE) & Diet Allowance during their training camps & competitions.
- Gratuity calculator implemented in HRMS Package.
- SPF pass sheet generation for all financial years from 2010 (From 2020 for e-Syndicate employees) made available in HRMS Package.
- Applying for SPF & Gratuity nomination made available in Canarites Mobile App.

- एचआरएमएस पैकेज में पेंशन और कम्यूटेशन कैलकुलेटर पेश किया गया।
- वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए एचआरएमएस पैकेज में निम्नलिखित मॉड्यूल को मैनुअल से ऑनलाइन में विकसित / परिवर्तित किया गया।
 - विश्राम अवकाश मॉड्यूल
 - जेएआईआईबी / सीएआईआईबी मॉड्यूल
 - एचआरए मॉड्यूल
 - हवाई यात्रा / टैक्सी अनुमति मॉड्यूल
 - पुनिर्मित स्थानांतरण मॉड्यूल
 - कार्यकारी प्रतिक्रिया मॉड्यूल
 - ओडीआई अनुमोदित मॉड्यूल
 - मोबाइल हैंडसेट मॉड्यूल
 - त्यौहार अग्रिम ऑटो अनुमोदन
 - आश्रित संशोधन मॉड्यूल
 - स्टाफ डीपीएन / ओडी मॉड्यूल
 - न्यायालय समन मॉड्यूल
 - प्रतिपूरक ऑफ मॉड्यूल
 - पदोन्नति अपील पृष्ठ
 - अनुभव प्रमाणपत्र मॉड्यूल
 - वेतन विवरण पृष्ठ
 - शोक अवकाश पृष्ठ
 - क्वार्टर शिफ्टिंग मॉड्यूल
 - बैंक सिम मेकर / चेकर पृष्ठ
 - आरसी कॉपी अपलोड पृष्ठ
 - माइल स्टोन पुरस्कार पृष्ठ
 - सफाई, भोजन और मोबाइल कॉल शुल्क का स्वचालन
 - वार्षिक स्वास्थ्य और नेत्र जांच पृष्ठ
 - कर्मचारी कल्याण उपाय जैसे जन्मदिन उपहार, विवाह उपहार, दिवाली उपहार, जीवनसाथी स्वास्थ्य जांच, पूर्व कर्मचारियों के लिए अंतिम संस्कार व्यय।

कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन

- मानव संसाधन सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और सफलता उन्हें रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारों के रूप में कार्य करने के लिए विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में निहित है। लोगों को संसाधन के रूप में मानना, उन्हें समान रूप से पुरस्कृत करना और उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना "संगठनात्मक उत्कृष्टता" के वर्तमान मंत्र हैं। साथ ही, तेजी से बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ, अर्जित कौशल और योग्यताओं को निरंतर उन्नयन की

- Introduced pension and commutation calculator in HRMS package.
- The following modules were developed / converted from manual to online in HRMS package for FY 2024-2025.
 - Sabbatical leave module
 - JAIB / CAIB Module
 - HRA module
 - Air travel / taxi permissions module
 - Revamped transfer module
 - Executive feedback module
 - ODI agreed module
 - Mobile handset module
 - Festival advance auto approval
 - Dependent modification module
 - Staff DPN / OD module
 - Court summons module
 - Compensatory off module
 - Promotion appeal page
 - Experience certificate module
 - Salary extract page
 - Bereavement leave page
 - Shifting of quarters module
 - Bank sim maker / checker page
 - RC copy upload page
 - Mile stone award page
 - Automating of cleaning, lunch and mobile call charges
 - Annual health and eye check-up page
 - Staff welfare measures viz., Birthday gift, Marriage gift, Diwali gift, spouse health check-up, funeral expenses for ex staffs.

SKILL DEVELOPMENT & TALENT MANAGEMENT

- Human Resources are the most valued assets and success lies in developing, retaining and transforming them to act as strategic business partners. Treating people as resources, rewarding them equitably and integrating their goals with that of the organization through suitable HR policies are the present mantras to "Organizational Excellence". Also, with a fast-changing banking landscape, skills and qualifications acquired needs continued upgradation and there is need for employee

आवश्यकता है और उन्हें नवीनतम विकास से अवगत रखने के लिए समय-समय पर कर्मचारी प्रशिक्षण सहायता की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक के मानव संसाधन कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस नई परिवर्तनकारी भूमिका को निभाने के लिए अग्रसर है।

- बैंक ने नव नियुक्त परिविक्षाधीन अधिकारी और एसडब्ल्यूओ के लिए क्रमशः सीवीसी द्वारा अनुशंसित नए 52/26-सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण मॉड्यूल को अपनाया है। इसके अलावा, नव नियुक्त परिविक्षाधीन अधिकारी के लाभार्थ मेंटॉरिंग संकल्पना का भी अनुपालन किया जा रहा है ताकि उन्हें बैंक की संस्कृति, परंपरा और लोकाचार के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल सके।
- बैंक, मणिपाल में एक शीर्ष उत्कृष्टता केंद्र (सीआईबीएम-केनरा बैंक प्रबंधन संस्थान) और बागलुरु और गुरुग्राम में दो उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से क्षमताओं के निर्माण और उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिसे देश भर में स्थापित 26 केनरा शिक्षण एवं विकास केंद्रों का समर्थन प्राप्त है।
- अंचल कार्यालयों के परामर्श से प्रशिक्षण कैलेंडर बनाकर विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को कार्यात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4477 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 144122 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, वित्तीय वर्ष में कुल 80223 कर्मचारियों को कम से कम एक प्रशिक्षण मिला, जो बैंक की कुल कर्मचारी संख्या का लगभग 98.61 प्रतिशत है।
- कार्यपालकों को उनकी नई भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से परिचित कराने के लिए एएससीआई हैदराबाद, एमडीआई गुरुग्राम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी पदोन्नति पर कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 351 कार्यपालकगणों ने ईडीपी में भाग लिया है और 411 कार्यपालकगणों (सीजीएम, जीएम, डीजीएम और आरओ प्रमुख) के लिए अनुकूलित नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 54 कार्यपालकगणों ने आईडीआरबीटी में आईटी और साइबर सुरक्षा में आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्रमाणपत्र कार्यक्रम में भाग लिया है।
- बैंक वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) फ्लैगशिप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को तैयार कर रहा है। इसके अलावा, वित्त वर्ष

training support at periodical intervals to keep them abreast of the latest developments. Accordingly, the HR functions of the Bank are getting tuned in this direction and are moving ahead to do this new transformational role.

- Bank has adopted the new 52 / 26-week induction training module as recommended by the CVC for the newly recruited POs & SWOs respectively. In addition to this, mentoring concept is in place for the benefit of the newly recruited POs to help them to get acclimatized with Bank's culture, tradition and ethos.
- Bank is imparting training in various functional areas to build and upgrade competencies through the one Apex Centre of Excellence at Manipal (CIBM - Canara Institute of Banking & Management) and two Centres of Excellence at Bagaluru and Gurugram, supported by 26 Canara Learning & Development Centres established across the country.
- Functional trainings are imparted to staff members in various cadres by drawing training calendars in consultation with Circle Offices. In the Financial Year 2024-25, 4477 programmes were conducted in which 144122 employees were trained, a total of 80223 employees got at least one training in the Financial year which is almost 98.61 per cent of the total employee strength of the Bank.
- In order to acclimatize them with their new roles and responsibilities, Executive Development Programs (EDPs) is provided to Executives upon their promotion at institutes of repute like ASCI Hyderabad, MDI Gurugram. During FY 2024-25 around 351 executives have attended EDP & Customised Leadership Development Program was conducted for 411 Executives (CGMs, GMs, DGMs & RO Heads). 54 Executives have undergone the RBI mandated Certificate program in IT & Cyber Security at IDRBT.
- Bank is grooming its top leadership through the Financial Services Institution Bureau (FSIB) Flagship Leadership Development program. In

2024-25 के दौरान लगभग 44 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं दी गईं।

- बैंक कारोबार आउटलेट प्रमुखों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। (पहली बार अं.का./ क्षेत्र.का./ एमसीबी/ एलसीबी/ आरएच/ एसीसी/ शाखा प्रमुख)। इसके अलावा, बैंक अपने अधिकारियों के बीच प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व गुणों का निर्माण करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस संबंध में, बैंक क्रमशः पदोन्नत अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी) और प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित कर रहा है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को कवर करते हुए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उपस्थित अधिकारियों की संख्या
1	प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी)	1407
2	अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी)	742
3	भूमिका और जिम्मेदारी - पहली बार शाखा प्रमुख	1382
4	पहली बार क्षेत्रीय / एमसीबी / एलसीबी / एमएसएमई सुलभ / आरएच / एलडीएम / एसीसी और हार्ड-टेक कृषि वित्त शाखा प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम	305

- बैंक के पास एक ई-लर्निंग पोर्टल है - "कैंडल" (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) जो हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी और निरंतर ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

"अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी/ईडब्ल्यूएस का कल्याण"

आरक्षण नीति:

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

addition to this, around 44 officials were given Foreign Training Programmes / Workshop during FY 2024-25.

- Bank is providing focused training programme for the Business Outlet Heads so as to equip them well to focus on future challenges. (First Time CO / RO / MCB / LCB / RAH / ACC / Branch Head). Further, Bank is constantly striving to build effective Management and Leadership traits among its Officers. In this regard, Bank is conducting Officers' Development Program (ODP) and Managerial Development Program (MDP) for promotee Officers and Managers respectively.
- During the current FY following training programmes were conducted covering effective management and Leadership Development Programmes:

Sl. No	Programme Name	No. of Officers attended
1	Managerial Development Program (MDP)	1407
2	Officers' Development Program (ODP)	742
3	Role And Responsibility - First Time Branch Head	1382
4	1 st Time Regional / MCB / LCB / MSME Sulabh / RAH / LDMs / ACC & Hi-tech Agri Finance Branch Heads Training Programme	305

- Bank has a e-Learning portal - "CanDLE" (Canara Digital Learning Experience) facilitating effective and continuous online learning for our employees for enhancing their knowledge and skills.

"Welfare of SC / ST / OBC / EWS"

RESERVATION POLICY:

The Bank has been adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), as per the Government of India guidelines.

संस्थान में श्रेणीवार प्रतिनिधित्व:

31 मार्च 2025 तक हमारे बैंक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
अधिकारी	9317	4155	17216	527
लिपिकीय	3515	1230	6301	180
अधीनस्थ कर्मचारी	3754	692	2745	-
कुल	16586	6077	26262	707

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न स्तरों पर एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों का विवरण:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हमारे बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 1547 कर्मचारियों की भर्ती की। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

संवर्ग	कुल	जिसमें से			
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
अधिकारी	676	95	50	179	68
लिपिकीय	827	145	42	226	71
अधीनस्थ कर्मचारी	44	17	9	8	-
कुल	1547	257	101	413	139

स्नातक प्रशिक्षुओं की नियुक्ति:

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुपालन में, हमारे बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति शुरू की है। वर्तमान में 2,797 प्रशिक्षु एक वर्ष की अवधि के लिए भारत भर में विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

कुल	जिसमें से			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
2797	630	214	1089	248

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने तीव्र सेवा के प्रावधान, विविध उत्पादों और सेवाओं की पेशकश, कम से कम समय में ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब देने और

Category-wise representation in the organization:

The representation of SCs / STs / OBC / EWS employees in our Bank as on 31st March 2025 is as under:

Cadre	SCs	STs	OBCs	EWS
Officer	9317	4155	17216	527
Clerical	3515	1230	6301	180
Sub-Staff	3754	692	2745	-
Total	16586	6077	26262	707

Details of the posts filled up by the candidates of SC / ST / OBC / EWS during the FY 2024-25 at various levels:

During the FY 2024-25, our Bank recruited 1547 employees in various cadres. The category wise details are as under:

Cadre	Total	Out of which			
		SCs	STs	OBCs	EWS
Officer	676	95	50	179	68
Clerical	827	145	42	226	71
Sub-Staff	44	17	9	8	-
Total	1547	257	101	413	139

ENGAGEMENT OF GRADUATE APPRENTICES:

In compliance with the Apprentices Act, 1961, our Bank has initiated the engagement of Apprentices for the FY 2024-25. At present 2,797 Apprentices are undergoing Apprenticeship training in various Branches across India for a period of one year. The category wise details are as under:

Total	Out of which			
	SCs	STs	OBCs	EWS
2797	630	214	1089	248

CUSTOMER ORIENTATION

Bank has taken several initiatives to remain customer focused through provision of fast service, offering diversified products & services, responding to customers'

निर्धारित समय सीमा के भीतर ग्राहक शिकायतों का निवारण करके ग्राहक केंद्रित बने रहने के लिए कई पहल की हैं।

➤ बैंक ने एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है, जहाँ सभी सामान्य ग्राहक शिकायतों को, चाहे वे किसी भी मूल की हों, प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से संभाला जाता है, और विषय विशेषज्ञों द्वारा समाधान प्रदान किया जाता है। यह केंद्रीकृत दृष्टिकोण बैंक भर में शिकायतों के निपटान और समाधान में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।

क) केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र, एक परिष्कृत शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल को बैंक के सीआरएम के भीतर कार्यान्वित किया गया है, जो कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए नवीन कार्यात्मकताओं का लाभ उठाता है और इसमें उन्नत विशेषताएं जैसे कि आंतरिक लोकपाल के पास स्वचालित वृद्धि, असंतुष्ट शिकायतकर्ताओं के लिए शिकायत को पुनः खोलने का विकल्प, उच्च प्रबंधन द्वारा समीक्षा, फीडबैक संग्रह आदि शामिल हैं।

ख) समय-समय पर, हितधारकों के साथ समन्वय में शिकायतों की दोहरावदार प्रकृति/प्रकार पर मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) आयोजित करना, बैंक भर में समस्या के सटीक कारण की पहचान करना और उसका समाधान करना।

ग) बैंक और विनियामक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीड़ित ग्राहक को राहत प्रदान करना।

घ) शिकायत के अधिक सटीक और बेहतर निवारण के लिए शिकायत पोर्टल स्तर पर ग्राहक 360° दृश्य सक्षम करना।

ड.) ग्राहक के लिए शिकायत को फिर से खोलने की सुविधा सक्षम की गई है, जहाँ शिकायतकर्ता बैंक के समाधान से असंतुष्ट होने पर, बंद होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर शिकायत को पुनः खोला जा सकता है। सभी पुनः खोली गई शिकायतों को आंतरिक लोकपाल के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है और ग्राहक सेवा वर्टिकल प्रमुख की सहमति प्राप्त करने के बाद ही बंद किया जाता है।

च) उच्च प्रबंधन और ग्राहक सेवा वर्टिकल प्रमुख / कार्यकारी द्वारा शिकायत की समीक्षा – बैंक का उच्च प्रबंधन और वर्टिकल प्रमुख बंद शिकायतों की यादृच्छिक चयन के

queries in shortest possible time and redressal of customer complaints within the timelines stipulated.

➤ Bank has implemented a centralized grievance redressal mechanism where all general customer complaints, regardless of their origin, are handled at Head Office centrally, and resolution is being provided by subject experts. This centralized approach ensures consistent quality complaint handling and resolution across the Bank.

a) The centralized grievance redressal mechanism, a sophisticated complaint management module has been implemented within Bank's CRM, leveraging innovative functionalities designed to significantly enhance the efficiency and with enhanced features such as, automated escalation to the Internal Ombudsman, complaint reopening option to dissatisfied complainants, review by Top Management, feedback collection etc.

b) Periodically, conducting Root Cause Analysis (RCA) on repetitive nature/ type of complaints in coordination with stakeholders, identifying and fixing the exact cause of concern across the Bank.

c) Extending reliefs to the aggrieved customer as per Bank and Regulator's guidelines

d) Enabled customer 360° view at Grievance portal level for more precise & accurate redressal of complaint.

e) Enabled complaint re-open facility for customer where complaints can be reopened within 7 days from closure date, if complainant feels dissatisfied with Bank's resolution. All re-open complaints are placed before Internal Ombudsman for views and closed only after receiving concurrence of Customer Service Vertical head.

f) Complaint review by top management and Customer Service Vertical Head / executive - Bank's top management and Vertical head reviews closed complaints on a random selection basis to

आधार पर समीक्षा करते हैं, ताकि समाधान की गुणवत्ता को सत्यापित किया जा सके और आगे सुधार के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें, साथ ही यदि समाधान अपेक्षित न हो तो शिकायतों को पुनः खोला जा सके।

छ) सभी आंशिक / पूर्ण रूप से अस्वीकृत शिकायतें अंतिम निर्णय के लिए आंतरिक लोकपाल के पास स्वतः ही भेज दी जाती हैं तथा आंतरिक लोकपाल के निर्णय को विधिवत रूप से शामिल करते हुए शिकायतकर्ता को उत्तर दिया जाता है।

ज) शिकायतकर्ता से फीडबैक संग्रह: - निरंतर सुधार सुनिश्चित करने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए, बैंक ने शिकायतों को बंद करने के बाद ग्राहक फीडबैक एकत्र करने के लिए फीडबैक तंत्र लागू किया है। प्रत्येक शिकायत के बंद होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत समाधान पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध करने वाले एसएमएस और ईमेल को स्वचालित रूप से ट्रिगर करने के अलावा, हम सीधे अपने कॉल सेंटर और प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के माध्यम से शिकायतकर्ता को कॉल करते हैं ताकि उनकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड किया जा सके और यदि कोई कमी हो तो उसे पहचानने और दूर करने के लिए आगे विश्लेषण किया जा सके।

- ✓ ग्राहक सेवा वर्टिकल को नया रूप दिया गया है और एक टीम को मजबूत बनाया गया है, जो बैंक की निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ✓ शाखाओं में ग्राहक सेवा के स्तर को मापने के लिए व्यापक कर्मचारी विशिष्ट फीडबैक तंत्र लागू किया गया है। हमारा बैंक बैंकिंग उद्योग में ऐसा तंत्र लागू करने वाला पहला बैंक है। इस फीडबैक तंत्र का उद्देश्य शाखाओं में ग्राहकों द्वारा किए गए वास्तविक समय के लेन-देन पर उनके कर्मचारी-वार फीडबैक के लिए ग्राहकों तक पहुंचना है। ग्राहक की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्राहक फीडबैक प्राप्त करने के लिए कई चैनल शुरू किए गए हैं जैसे कि क्यूआर कोड, एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, कियोस्क।
- ✓ सीआरएम (ग्राहक संपर्क प्रबंधन) - केनरा रिश्ते को हमारे बैंक में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और व्यवसाय वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। बैंक ग्राहक डेटा को ट्रैक करने, व्यवहार का विश्लेषण करने और व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिए सीआरएम सिस्टम का उपयोग करता है, जो ग्राहक संतुष्टि और वफादारी को बढ़ाता है। बैंक ने अब तक सीआरएम के तहत 12 मॉड्यूल लॉन्च किए हैं।

verify the quality in resolution and issue necessary direction for further improvement beside re-opening of complaints if resolution is not upto to the mark.

g) All partially / fully rejected complaints are auto-escalating to the Internal Ombudsman for final decision and reply to the complainant provided duly incorporating decision of the Internal Ombudsman.

h) Feedback collection from complainant: - To ensure continuous improvement and enhance customer satisfaction, Bank has implemented feedback mechanism to collect customer feedback after closing complaints. Apart from auto-triggering SMS & email to complainant on closure of each complaint requesting for their feedback on grievance resolution, we also directly call to the complainant through our Call Center and HO officials to record their feedback responses, and further analysing to identify & address the gaps, if any.

- ✓ Customer Service Vertical has been revamped with a strengthened with a team, focussing on timely and quality resolution of public grievances within the Bank's prescribed timeline.
- ✓ Comprehensive Employee Specific Feedback Mechanism is implemented to gauge the level of customer service at branches. Our bank is the first in the banking industry to implement a such a mechanism. This Feedback mechanism aims to reach out to the customers for their employee wise feedback on real time transactions done customers at branches. A range of channels are introduced keeping customer ease in view for capturing customer feedback viz. QR code, SMS, Email, WhatsApp, KIOSK.
- ✓ CRM (Customer Relationship Management) - CANARA RISHTEY is introduced in our bank for improving service quality, and driving business growth. Bank use CRM systems to track customer data, analyze behavior, and offer personalized services, which enhances customer satisfaction and loyalty. Bank has launched 12 modules under CRM as of now.

- ✓ एक बैंक एक नंबर (टोल-फ्री नंबर 1800 1030) शुरू किया गया है, जहां ग्राहक 17 भाषाओं में 43 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- ✓ व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा शुरू की गई है, जिससे ग्राहक कहीं से भी, कभी भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सुविधानुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब तक व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से पाँच भाषाओं में 75 से अधिक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु।
- ✓ आम जनता के उपयोग के लिए चैट-बॉट बैंकिंग सेवा भी शुरू की गई है। अब तक 16 सेवाएँ पाँच भाषाओं में उपलब्ध हैं – अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु।
- ग्राहक सेवा वर्टिकल के अधिकारी तिमाही अंतराल पर गुप्त मोड के तहत चयनित अंचलों की शाखाओं में रहस्यमय खरीदारी का दौरा कर रहे हैं।
- हमारा बैंक पीएसबी एलायंस में भागीदार है, जिसने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज (डीएसबी) शुरू की है और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तिगत ग्राहकों के लाभ के लिए 4154 शाखाओं को कवर करते हुए 2572 केंद्रों में डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएँ विस्तारित की हैं। ग्राहक डीएसबी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके या डीएसबी वेबसाइट या विक्रेता के कॉल सेंटर के माध्यम से कई बैंकिंग सेवाओं को बुक कर सकते हैं। बैंक सभी चुनिंदा 1000 केंद्रों पर 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों के लिए प्रति माह 3 डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएँ बिल्कुल मुफ्त प्रदान करता है।
- ग्राहक सेवा पहलुओं पर अधिक जोर देने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम शीर्षस्थ उत्कृष्टता केंद्र, मणिपाल के समन्वय से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।
- नियामक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जागरूकता पहल के लिए किए गए मौजूदा प्रयासों को बढ़ाने के लिए पूरे भारत में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें तीन व्यापक पैरामीटर शामिल हैं – लक्ष्य समूह, विषय / फोकस क्षेत्र और प्रत्येक लक्ष्य समूह के लिए उपयुक्त वितरण चैनल।
- ✓ One Bank One Number (Toll-Free number 1800 1030) has been introduced where customers can avail 43 services in 17 languages.
- ✓ WhatsApp banking facility has been introduced allowing customers to avail banking services from anywhere, at any time and get information at their convenience. As of now 75 plus services are offered through WhatsApp banking in five languages Viz. English, Hindi, Marathi, Kannada & Telugu.
- ✓ Chat-bot Banking Service has also been introduced for General Public use. As of now 16 service are available in five languages viz., English, Hindi, Marathi, Kannada & Telugu.
- Executives from Customer Service Vertical are conducting mystery shopping visits in branches of selected Circles at quarterly intervals under Incognito mode.
- Our Bank is a partner in the PSB Alliance which has floated Door Step Banking Services (DSB) and extended Doorstep Banking Services 2572 Centres covering 4154 branches for the benefit of all the individual customers including Senior Citizens & Differently abled persons. Customers can book many of the banking services by downloading the DSB Mobile App, or through DSB Website or Vendor's Call Centres. Bank offers 3 Door Step Banking Services per month absolutely free for customers aged above 75 years at all the select 1000 centres.
- Training programmes with more emphasis on customer service aspects are being conducted regularly in coordination with Apex Centre of Excellence, Manipal.
- As per the directions issued by the Regulator a year-long action plan has been devised to conduct awareness programmes Pan India to augment existing efforts undertaken for awareness initiatives, covering three broad parameters viz. target group, theme / focus area and appropriate delivery channel for each target group.

- बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर एक विस्तृत नागरिक चार्टर उपलब्ध कराया गया है, ताकि आम जनता इसका उपयोग कर सके और अच्छे बैंकिंग व्यवहार को प्रोत्साहित कर सके।
- प्राप्त शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण के आधार पर, हमारे सुझावों के साथ विभिन्न बैंकों ने कई प्रणालीगत परिवर्तन अपनाए हैं / किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक सेवाओं में सुधार हुआ है। बैंक द्वारा किए गए प्रमुख प्रणालीगत सुधार इस प्रकार हैं:
 - (i) डिजिटल चैनलों के माध्यम से डेबिट कार्ड ग्रीन पिन जनरेट करना।
 - (ii) टी+1 दिनों के भीतर विफल यूपीआई लेनदेन राशि को वापस करना, और टर्न अराउंड समय के भीतर चार्जबैक बढ़ाना।
 - (iii) ऑफलाइन ओटीपी की शुरुआत की गई तथा ईमेल के माध्यम से ओटीपी की सुविधा सक्षम की गई।
 - (iv) मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग में लाभार्थी को जोड़ने के बाद विराम अवधि लागू की जाती है।
 - (v) प्रारंभिक निष्क्रिय स्थिति वाले खातों के लिए एसएमएस, तथा केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तिमाही एसएमएस।
 - (vi) ग्राहकों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर टीडीएस प्रमाणपत्र (फॉर्म 16ए) वितरित करना।
 - (vii) मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) कार्यात्मकता को कार्यान्वित किया गया है, जो ऋण राशि, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अनुसूची, शुल्क, प्रभार और कुल पुनर्भुगतान राशि आदि सहित ऋण के महत्वपूर्ण पहलुओं को सारांशित करता है। विवरण का यह स्तर उधारकर्ताओं को ऋण से जुड़े वित्तीय दायित्वों की स्पष्ट समझ प्रदान करता है और उन्हें सूचित वित्तीय निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।
 - (viii) बैंक ने ऋण खाता बंद होने पर चल / अचल संपत्ति के दस्तावेजों की रिहाई पर नज़र रखने के लिए दस्तावेज रिलीज ट्रैकिंग सिस्टम (डीआरटीएस) शुरू किया है, जो एक उन्नत निगरानी उपकरण है तथा रिकॉर्डों को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।
- A detailed Citizen Charter has been made available in the Bank's corporate Website to make use of the same for General Public encouraging good banking practices.
- Based on the Root cause analysis of complaints received, with our suggestions various Banks has adopted / made many systemic changes resulting in improved customer services. Prominent systemic reforms undertaken by the Bank are as follows:
 - (i) Debit Card Green PIN generation through digital channels.
 - (ii) Reversal of failed UPI transaction amount within T+1 days, & raising chargeback within Turn Around Time.
 - (iii) Introduced Offline OTP and enabled OTP through email facility.
 - (iv) Cooling period is implemented after addition of beneficiary in Mobile and Internet Banking.
 - (v) SMS to incipient inoperative status accounts, further quarterly SMS for KYC documents submission.
 - (vi) Delivering TDS Certificate (Form 16A) to customers on their registered email IDs.
 - (vii) Key Fact Statement (KFS) Functionality has been implemented which summarises the critical aspects of a loan including the loan amount, interest rate, repayment schedule, fees, charges and the total repayment amount etc. This level of detail provides borrowers with a clear understanding of the financial obligations associated with the loan and empowers them to make informed financial decisions.
 - (viii) Bank has Launched Documents Release Tracking System (DRTS) for tracking release of movable/ immovable property documents on closure of loan account as an enhanced monitoring tool and better up keeping of records.

- (ix) बैंक ने ग्राहकों की दावा न की गई जमा राशियों / डीईएएफ निधि तक आरबीआई के साथ आसान पहुंच के लिए यूडीजीएम पोर्टल को एकीकृत किया है।
- (x) ग्राहकों के लिए उनके फास्टैग बैलेंस की सीमा तक पहुंचने पर सूचना एसएमएस सुविधा की शुरुआत।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत की गई शिकायतों की समीक्षा करता है। आईओ शिकायतों के मूल कारण को दूर करने के लिए कार्रवाई करने हेतु शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आईओ की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं / दिशा-निर्देशों में जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ परिवर्तन भी किए गए हैं।

श्री उन्नम राघवेन्द्र राव ने पूर्व जांच अधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति पर 17.02.2025 से आंतरिक लोकपाल का पदभार ग्रहण कर लिया है।

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए लेखापरीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है:

जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए): आरबीआईए 7018 शाखाओं / इकाइयों में आयोजित किया गया था।

समवर्ती लेखापरीक्षा: इसमें सामूहिक रूप से 70% अग्रिम और संबंधित जमा राशियाँ शामिल हैं, जो बैंक के कुल कारोबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1528 शाखाओं / सेवा इकाइयों में मासिक समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षाएँ की गईं, जिनमें से 1139 शाखाओं में लेखापरीक्षा बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और 389 शाखाओं में लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।

आय लेखापरीक्षा: 4239 शाखाओं की तिमाही आधार पर आय / राजस्व लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख पहल और संवर्द्धन:

1. प्री-ऑडिट अभ्यास: पूर्व-लेखापरीक्षा अभ्यास के उद्देश्य को सुदृढ़ करने के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में सुधार किया गया, यानी आरबीआईए के दौरान प्रश्नों की संख्या को

- (ix) Bank has integrated UDGM Portal for easy access of Customer's unclaimed deposits / DEAF fund with RBI.
- (x) Introduction of intimation SMS facility for customers for reaching threshold limit in their FASTag balance.

INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO submits periodical report on its functions & activities to Customer Service Committee of the Board of the Bank, analyzing the pattern of complaints for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations.

Sri Unnam Raghavendra Rao has taken over as Internal Ombudsman with effect from 17.02.2025 on expiry of the term of the earlier IO.

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Details of audits conducted during the Financial Year 2024-25 are furnished below:

Risk Based Internal Audit (RBIA): RBIA was conducted in 7018 branches / units.

Concurrent Audit: It collectively covers 70% of advances and corresponding deposits, forming a significant portion of the Bank's total business. Monthly concurrent / continuous audits were carried out in 1528 branches / service units, out of which, in 1139 branches the audit was conducted by external auditors and in 389 branches audit was conducted by internal auditors.

Income Audit: 4239 branches underwent income / revenue audits on a quarterly basis

Key Initiatives and Enhancements in the Audit Process:

1. Pre-Audit Exercises: The procedure of pre-audit was revamped in order to strengthen the objective of pre-audit exercise i.e., reducing the number of

कम करना और शाखाओं को कम जोखिम ग्रेड प्राप्त करने में मदद करना। निरीक्षण विभाग जेडएसीई बैठकों के दौरान अगले 6 माह में आरबीआईए के लिए निर्धारित शाखाओं की सूची साझा करता है। तदनुसार, क्षेत्र.का. / अं.का. आरबीआईए के शुरू होने से कम से कम 3 महीने पहले पूर्व-लेखापरीक्षा अभ्यास के संचालन के संबंध में शाखाओं / इकाइयों को पायलट पत्र भेजेंगे।

- मध्यम जोखिम वाली शाखाएँ: मध्यम जोखिम वाली शाखाओं का हर 12 माह में ऑडिट किया जाता है और बेहतर नियंत्रण के लिए 6 से 9 माह के भीतर स्नैप ऑडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मध्यम जोखिम वाली शाखाओं में शाखा अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए सीआईबीएम के माध्यम से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आगामी आरबीआईए में उनकी जोखिम रेटिंग में सुधार करना था।
- विशेष मध्यम: लगातार तीन ऑडिट चक्रों के लिए मध्यम जोखिम के रूप में मूल्यांकन की गई शाखाओं को विशेष मध्यम शाखाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो अब सामान्य 12 माह के बजाय हर 9 माह में आरबीआईए से गुजरेंगी और मासिक समवर्ती ऑडिट के अधीन भी होंगी। जोखिम रेटिंग में सुधार के लिए शाखाओं का मार्गदर्शन करने के लिए दो ईडी स्तर की बैठकें आयोजित की गईं।
- निरीक्षण मामलों पर प्रथम पुस्तिका: निरीक्षण विभाग ने निरीक्षण मामलों पर पुस्तिका तैयार की है, जो निरीक्षण अधिकारियों को विभिन्न लेखापरीक्षा करने के लिए अपने ज्ञान को समृद्ध करने में सहायक है।
- सीआईबीएम संकायों के लिए प्रशिक्षण सामग्री: निरीक्षण विभाग ने सीआईबीएम संकायों के लिए मध्यम जोखिम वाली शाखाओं के शाखा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की, जिसे "नर्चर" नाम दिया गया, जो शाखा के आंतरिक नियंत्रण मामलों पर एक मार्गदर्शिका है।
- अचल प्रतिभूतियों का सत्यापन: निरीक्षण विभाग ने अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक आरएएच और एमएसएमई सुलभ में 1.00 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए बैंक के पास बंधक रखी गई अचल प्रतिभूतियों का एकमुश्त सत्यापन शुरू किया।
- समवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान सुरक्षा सत्यापन: अचल संपत्तियों के सत्यापन के निष्कर्षों के आधार पर, जोखिमों को कम करने के लिए नीति स्तर पर परिवर्तन लागू किए गए हैं। अब,

queries during RBIA and helping branches achieve a lower risk grade. Inspection Wing shares the list of branches due for RBIA in next 6 months during the ZACE meetings. Accordingly, RO / CO shall send Pilot letter to branches / units regarding conduct of pre-audit exercise at least 3 months prior to commencement of RBIA.

- Moderate-Risk Branches: Moderate-risk rated branches are audited every 12 months and are subjected to a Snap Audit within 6 to 9 months for better control. Additionally, a training program was initiated through CIBM to enhance the skills of branch officials at moderate-risk branches, aimed at improving their risk ratings in the ensuing RBIA.
- Special Moderate: Branches risk rated as Moderate risk for three consecutive audit cycles are categorized as Special Moderate branches, which will now undergo RBIA every 9 months instead of the usual 12 months and will also be subjected to monthly concurrent audits. Two ED level meetings were conducted to guide the branches for improving risk rating.
- First Handbook on Inspection Matters: Inspection Wing has designed Handbook on Inspection Matters, which is helpful to Inspecting Officials in enriching their knowledge for performing various audits.
- Training Material for CIBM Faculties: Inspection Wing designed training material for CIBM faculties to train branch officials of moderate risk-rated branches, named "Nurture," a guide on internal control matters of the branch.
- Verification of Immovable Securities: Inspection Wing initiated a one-time verification of immovable securities mortgaged to the Bank for loans above ₹1.00 Crore at RAHs and MSME Sulabhs from April 2024 to December 2024.
- Security Verification during Concurrent Audits: On the basis of the findings of verification of immovable properties, policy level changes have been implemented for mitigating risks. Now, the concurrent auditors are required to verify 25% of

समवर्ती लेखापरीक्षकों को महीने के दौरान स्वीकृत ऋणों के 25% का सत्यापन करना आवश्यक है, जिसमें न्यूनतम 20 प्रतिभूतियाँ (बंधक और गैर-बंधक) शामिल हैं। इसके अलावा, समीक्षा अवधि के दौरान सभी बंधक अचल प्रतिभूतियों का 100% सत्यापन, साथ ही ₹10 लाख और उससे अधिक के सभी एमएसएमई ऋणों का सत्यापन, इकाइयों के अस्तित्व और कामकाज और सरकारी सब्सिडी वाले सभी ऋणों की पुष्टि करना।

8. कानूनी लेखापरीक्षा का स्वचालन: प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, विभाग ने कानूनी लेखापरीक्षा के स्वचालन के लिए एसएसएस पोर्टल में एक पैकेज विकसित किया है। इस पैकेज का उद्देश्य कानूनी लेखापरीक्षा की दक्षता में सुधार करना और ऐसे मुद्दों की पुनरावृत्ति से बचना है।
9. नए क्षेत्रीय निरीक्षणालयों और इकाइयों का गठन: बैंक की कार्यकुशलता, परिचालन सुविधा बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिए 2 नए क्षेत्रीय निरीक्षणालयों (पटना और विजयवाड़ा), 18 नई इकाइयों का गठन और अंचलों का पुनः मैपिंग किया गया है।
10. एसीई बैठकों की आवृत्ति में वृद्धि: लेखापरीक्षा रिपोर्टों को समय पर बंद करने और कार्रवाई रिपोर्टों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अधिकारियों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) की बैठक की आवृत्ति में वृद्धि की गई है।
11. गुणवत्ता आश्वासन और सुधार कार्यक्रम (क्यूएआईपी): गुणवत्ता आश्वासन और सुधार कार्यक्रम (क्यूएआईपी) शाखाओं की लेखापरीक्षा समाप्ति की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश करने के लिए शुरू किया गया था।
12. क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा पैकेज: लेखा परीक्षा निष्कर्षों, अंकों के निर्धारण और लेखापरीक्षित द्वारा उत्तर के सभी विवरणों को शामिल करके क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधन लेखा परीक्षा के लिए एक व्यापक लेखा परीक्षा पैकेज का विकसित करना।
13. संशोधित आरबीआईए और समवर्ती लेखापरीक्षा पैकेज: लेखापरीक्षा टिप्पणियों की सटीकता बढ़ाने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए- शाखाएं / आरओ / सीओ) और समवर्ती लेखापरीक्षा पैकेजों की क्वेरी और चेकलिस्ट को संशोधित किया गया और संस्करण नियंत्रण और प्रभावी तिथि के साथ दर्पण पैकेज में लागू किया गया।
14. निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए लेखापरीक्षा मॉड्यूल: भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में एसएसएस मॉड्यूल के माध्यम से पुनः सक्रिय किए गए निष्क्रिय खातों की निरंतर लेखापरीक्षा के लिए एक लेखापरीक्षा मॉड्यूल लागू किया गया।

loans sanctioned during the month, with a minimum of 20 securities (mortgaged and non-mortgaged). Furthermore, 100% verification of all mortgaged immovable securities during review period, as well as verification of all MSME loans of ₹10 lakh and above, confirming the existence and functioning of units and all loans with government subsidies.

8. Automation of Legal Audit: To streamline the process, the Wing developed a package in the SAS portal for the automation of legal audits. This package aims to improve the efficiency of legal audits and avoid the recurrence of such issues.
9. Formation of New Zonal Inspectorates and Units: Formation of 2 new ZI (Patna & Vijayawada), 18 new units and remapping of Circles for increasing the efficiency, operational convenience and reduction of cost to the bank.
10. Increased Frequency of ACE Meetings: Frequency of Audit Committee of Executives (ACE) Meeting has been increased to ensure timely closure of audit reports and effective monitoring of Action Taken Reports.
11. Quality Assurance and Improvement Program (QAIP): Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) was introduced for recommending improvement in quality of audit closure of Branches.
12. Management Audit Package for Regional Office: Development of a comprehensive audit package for the Management Audit of Regional Office by capturing all the details of Audit Findings, Arrival of scores and Reply by Auditee.
13. Revamped RBIA and Concurrent Audit Packages: Revamped the Queries & checklists of Risk-Based Internal Audit (RBIA- Branches / RO / CO) and Concurrent audit packages to enhance accuracy of audit observations and implemented in Darpan package with version control and effective date.
14. Audit Module for Inoperative Account Reactivation: Implemented an audit module for continuous audit of Inoperative accounts which are reactivated, through SAS module in adherence to RBI guidelines.

15. केंद्रीकृत जेडएसीई बैठक पैकेज: द्वि-मासिक जेडएसीई बैठकों के एजेंडा, मिनट और एटीआर टिप्पणियों को अपलोड करने और रखरखाव के लिए केंद्रीकृत पैकेज, जिसे क्षेत्रीय कार्यालयों, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय निरीक्षणालयों द्वारा देखा जा सकता है।

16. निरीक्षण विभाग ने निम्नलिखित के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा शुरू की है:

क. निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय किया गया

ख. टैब बैंकिंग

ग. आरएम विभाग में तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) की गणना

बैंक ने क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड विभाग का अर्ध-वार्षिक ऑडिट भी शुरू किया है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्त वर्ष 2013-14 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एफआई) के बदले आरबीआई द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) व्यवस्था के तहत लाया गया था। वर्तमान में, बैंक ने आरबीएस का 11वां चक्र पूरा कर लिया है। आरबीएस ढांचे को जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) नाम दिया गया है। एसपीएआरसी के तहत, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और सूचनाओं के ऑफसाइट विश्लेषण के साथ-साथ पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण के निष्कर्षों के संयोजन के माध्यम से आरबीआई द्वारा बैंक के जोखिमों का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाता है।

पीडब्ल्यूडी ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:

दिव्यांग ग्राहकों के लिए शिकायत निवारण की स्थिति (08.08.2024 से 31.03.2025 तक):

क्रमांक	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	दिव्यांगजन ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	4606
2	समाधान की गई शिकायतों की संख्या	4560

15. Centralized ZACE Meeting Package: Centralised package for upload and maintenance of agenda, minutes and ATR observations of bi-monthly ZACE meetings which can be viewed by Regional Offices, Circle Offices, Zonal Inspectorates.

16. Inspection Wing has introduced concurrent audit for the following:

a. Re-activated Inoperative Accounts

b. TAB Banking

c. Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) calculation at RM Wing

Bank has also introduced Half-yearly audit of Credit and Prepaid Cards Wing.

RISK BASED SUPERVISION

The Bank was brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2013-14. Presently, the Bank has completed the 11th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by RBI on an on-going basis through a combination of offsite analysis of the data and information furnished by the Bank as well as the findings of the on-site Inspection for supervisory Evaluation (ISE).

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM FOR PwD CUSTOMERS:

Status of Grievance redressal for PwD Customers (from 08.08.2024 to 31.03.2025):

Sr. No	Particulars	No. of Complaints
1	Total Number of complaints received from PwD Customers	4606
2	Number of complaints resolved	4560

3	31.03.2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	46*
4	12.05.2025 तक लंबित शिकायतों की संख्या	0

*उल्लिखित 46 शिकायतें 21 दिनों की टीएटी के अंतर्गत हैं।

अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) / एएमएल / सीएफटी

बैंक केवाईसी / एएमएल / सीएफटी मानदंडों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-अनुपालन के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने मजबूत सिस्टम और प्रक्रियाएं लागू की हैं। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियमकों द्वारा जारी किए गए परामर्शों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। केवाईसी / एएमएल / सीएफटी से संबंधित मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन

हमारा बैंक राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन में कर्मचारियों को हिंदी सीखने और समझने तथा दैनिक बैंकिंग गतिविधियों में इसके उपयोग के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। जिन कर्मचारियों को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए नामांकित किया जाता है और उन्हें उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। हिंदी में दक्षता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बैंक कर्मचारियों को हिंदी में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी जैसी हिंदी डिग्री प्राप्त करने और हिंदी में रचनात्मक लेखन के लिए प्रेरित करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिसका साहित्यिक कार्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

बैंक ने ग्राहकों के उपयोग के लिए क्षेत्र 'क' में द्विभाषी तथा 'ख' और 'ग' क्षेत्र की शाखा काउंटर्स में त्रिभाषी फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय में सभी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद प्रदान करता है। अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित राजभाषा प्रकोष्ठ भी अपने-अपने

3	Number of complaints pending as on 31.03.2025	46*
4	Number of complaints pending as on 12.05.2025	0

*Mentioned 46 complaints are with in TAT of 21 days.

KNOW YOUR CUSTOMERS (KYC) / AML / CFT

The Bank is committed to implement the KYC / AML / CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the Bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals / entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Our Bank is ensuring compliance of Official Language Implementation as per Official Language Act 1963, Official Language Rules 1976, recommendations of Parliamentary Committee on Official Language, Annual programme of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and also as per the guidelines issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. OL Implementation encompasses teaching & training of Employees to learn and understand Hindi and its use in a day-to-day banking activities. Employees who do not possess working knowledge in Hindi are nominated for Prabodh, Praveen and Banking Pragya examinations conducted by Hindi Teaching Scheme, New Delhi and they are also incentivized on passing it. Incentives are also provided to employees for passing Parangat examination who aspires to obtain proficiency in Hindi. Bank provides cash incentives to motivate employees for obtaining Hindi Degrees like Graduation, Post-Graduation, M.Phil. and Ph.D in Hindi and also for creative writing in Hindi whose literary work is recognized by institutes of repute.

Bank has made available forms in Bilingual in Region 'A' and Trilingual in 'B' & 'C' Region branch counters for the use of customers. Official Language Section, Human Resources Wing provides translation from English to Hindi and vice versa to meet the requirements of all the Wings in Head Office. Official Language Cells established

क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में अपेक्षित अनुवाद प्रदान कर रहे हैं।

सभी स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, जहां तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। सीबीएस में हिंदी अंतर-अनुवादक प्रणाली शुरू की गई है, जिसके माध्यम से जमा रसीदें तथा डीडी तैयार करने, पासबुक / पासशीट हिंदी में प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। सीबीएस स्क्रीन (हिंदी में) बनाई गई हैं तथा हिंदी में रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। एटीएम स्क्रीन में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन देखने की व्यवस्था की गई है। एसएमएस के माध्यम से ग्राहकों को मानक शुभकामनाएं तथा संदेश हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भी भेजे जा रहे हैं। ग्राहक अब अपनी चुनी हुई भाषा में एसएमएस प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा क्यूपीआर यानी एसटीआर 18 जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पैकेज लाइव (एसएस पोर्टल में) किया गया है। कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं और यूनिकोड प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिकारियों द्वारा मौजूदा मैनुअल शाखा दौरा रिपोर्ट को डिजिटल कर दिया गया है। राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखा दौरा सरकारी विभागों और संसदीय समितियों आदि के दौरे / निरीक्षण का सामना करने में शाखाओं के लिए सहायक है। हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला और सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

हमारे बैंक का प्रधान कार्यालय बंगलूरु में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) की बैठकों का संयोजक है। हमारा बैंक देश भर के विभिन्न शहरों / नगरों में 21 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक भी है। बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पूरे भारत में कई शील्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बंगलूरु को देश में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति घोषित किया गया है। इसके अलावा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बंगलूरु ने संघ की राजभाषा कार्यान्वयन नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए दक्षिणी क्षेत्र के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता है।

हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से पुरस्कार प्राप्त किया है। राजभाषा कार्यान्वयन में बढ़ावा लाने के लिए,

at Circle Offices & Regional Offices are also providing the requisite translations in Hindi & English apart from ensuring implementation of OL in their respective areas.

Official Language Implementation Committees are constituted at all levels, where quarterly meetings are conducted promptly and review of status of OL implementation is effectuated. A Hindi inter-translator system has been introduced in CBS through which pass book / pass sheets could be generated in Hindi, including generation of Deposit receipts and DDs. CBS Screens (in Hindi) have been created and a facility to generate reports in Hindi are now made available. Provision has been made in ATM Screen to view the transactions in 11 Regional Languages. Standard greetings and messages to customers are being sent through SMS in Hindi & Regional Languages also. Customers can now opt to receive SMS in their opted language.

An online package has been made live (in SAS portal) for submission of QPR i.e., STR 18 by all branches and administrative offices. Hindi Workshops and Unicode trainings are being organized for staff. Existing manual branch visit report by OL Officers has been digitalised. Branch visits by OL Officers is helpful for branches to face visit / inspection by Govt. Depts. and Parliamentary Committees, etc., Hindi workshop and conference for Official Language Officers are conducted annually to ensure effective implementation of Hindi.

Our Bank's Head Office is the Convenor of Town Official Language Implementation Committee (Banks) meetings at Bengaluru. Our Bank is also the Convener of 21 TOLICs at various Cities / Towns across the Country. Bank has secured numerous Shields and Certificates Pan India, awarded by various TOLIC committees for the best implementation of OL. TOLIC (Bank) Bengaluru has been adjudged best performing TOLIC in the country Further, TOLIC (Bank) Bengaluru has also won the 1st prize under Southern Region for commendable performance in implementing the OL policy of the Union.

Our Bank has secured prizes from Regional Implementation Office for commendable performance in implementation of Official Language during the year.

‘राजभाषा अक्षय योजना’ के तहत कार्यालयों और शाखाओं को शील्ड प्रदान की जा रही है। कर्मचारियों को राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रेरित करने के लिए ‘राजभाषा पुरस्कार योजना’ की भी संकल्पना की गई है और इसे लागू किया गया है।

केनरा बैंक को राजभाषा अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए “राजभाषा सम्मान” शील्ड से सम्मानित किया गया है।

आज के समाचार शीर्षक के अंतर्गत हिंदी में बैंकिंग से संबंधित समाचारों को टुडेज टाइडिंग्स नामक दैनिक समाचार पत्र में शामिल किया जाता है। ‘एचआरडी (ई) लाइट’, ‘एनआरआई बुलेटिन’ और ‘स्टाफ मीटिंग लिटरेचर’ मासिक आधार पर हिंदी में भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। हमारे स्टाफ सदस्यों की साहित्यिक प्रतिभा को हिंदी में प्रदर्शित करने वाली त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका केनरा ज्योति को कई पुरस्कार मिले हैं। केनरा बैंक की गृह पत्रिका ‘श्रेयस’ और ‘केनरा ज्योति’ को वर्ष 2023-24 के लिए दिनांक 20.02.2025 को वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस द्वारा ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

क्षेत्रीय भाषा कक्ष अर्थात कन्नड़ कक्ष, तमिल कक्ष, तेलुगु कक्ष, मराठी कक्ष क्षेत्र ‘ख’ और ‘ग’ में स्थित अंचल कार्यालयों में गठित किए गए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के समन्वय के लिए मानव संसाधन विभाग के राजभाषा अनुभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा कक्ष को नोडल कक्ष के रूप में गठित किया गया है। बैंक की सभी प्रशासनिक इकाइयों द्वारा तिमाही आधार पर समकालीन बैंकिंग विषयों पर हिंदी में एक अभिनव चर्चा कार्यक्रम “हिंदी में परिचर्चा” का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक ने कर्मचारियों को हिंदी में पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की है। एक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सतर्कता व्यवस्था

बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अधीन कार्यरत प्रधान कार्यालय, बंगलूरु में सतर्कता विभाग का गठन किया गया है, जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एसीवीओ) और दिल्ली तथा मुंबई में दो सतर्कता इकाइयाँ हैं, जो दो एसीवीओ के अधीन

In order to accelerate OL implementation, Shields are being awarded to Offices and Branches under ‘Rajbhasha Akshay Yojana’. ‘Rajbhasha Puraskar Yojana’ has also been conceptualized and put in place to motivate the employees towards effective OL implementation.

Canara bank has been awarded with “Rajbhasha Sammaan” Shield for outstanding performance in the field of Official Language by Rajbhasha Academy, New Delhi.

Banking related news in Hindi under the title “Aaj Ke Samachar” are included in Today’s Tidings, a daily news brief. ‘HRD(e) light’s, ‘NRI Bulletin’ & ‘Staff Meeting Literature’ are being brought out in Hindi as well on a monthly basis. Canara Jyoti, a quarterly Hindi house magazine to showcase the literary talent of our staff members in Hindi has received many accolades. Canara Bank’s in-house magazines ‘Shreyas’ and ‘Canara Jyoti’ has been awarded the Global Brand Excellence Award by the World Brand Congress on 20.02.2025 for the year 2023-24.

Regional Language Cells i.e., Kannada cell, Tamil cell, Telugu cell, Marathi cell etc., are formed in Circle Offices located in Region ‘B’ & ‘C’. Regional Language Cell under OL Section, HR Wing has been formed as the Nodal Cell for coordinating the usage of Regional Languages. “Hindi Mein Paricharcha”, an innovative Discussion Programme in Hindi on contemporary banking subjects is being organized by all Administrative Units of the bank on a quarterly basis.

Bank has established Hindi library at HO, COs & ROs for motivating employees to read books in Hindi. A Digital Library portal has also been initiated and made available to all the employees.

VIGILANCE SETUP

The Vigilance administration in the Bank constitutes Vigilance Wing at Head Office, Bengaluru, functioning under the Chief Vigilance Officer (CVO), assisted by an Additional Chief Vigilance Officer (ACVO) and two vigilance units at Delhi and Mumbai, functioning under two ACVOs. This apart, all the three ACVOs also undertake

कार्यरत हैं। इसके अलावा, तीनों एसीवीओ बैंक के 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और 9 अनुषंगियों में सतर्कता प्रशासन का भी कार्यभार संभालते हैं।

बैंक में सतर्कता प्रशासन, अंचलों और क्षेत्रों में तैनात सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से बैंक के विभिन्न कार्यक्षेत्रों अर्थात् अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों तक फैला हुआ है।

बैंक में उक्त सतर्कता व्यवस्था बैंक में तीन प्रमुख सतर्कता कार्यों अर्थात् निवारक, सहभागी (निगरानी एवं पता लगाना) तथा दंडात्मक सतर्कता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है।

निवारक सतर्कता उपाय के रूप में, बैंक में सतर्कता व्यवस्था अंचल सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखाओं का औचक दौरा, शाखाओं में मासिक निवारक सतर्कता बैठकों का आयोजन, संदिग्ध कार्य वाले अधिकारियों की सहमत सूची तैयार करना और उनका रखरखाव, बैंक में संवेदनशील पोस्टिंग की आवधिक समीक्षा और संवेदनशील पदों पर अधिकारियों का समय पर रोटेशन आदि सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग, बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिए, बैंक में आयोजित सभी सतर्कता संबंधी गतिविधियों को कवर करते हुए "केनरा विजिल" के नाम से एक त्रैमासिक पत्रिका और निवारक सतर्कता पर एक मासिक बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग ने पीएसयू/पीएसबी के मुख्य सतर्कता अधिकारियों और सतर्कता अधिकारियों के लाभ के लिए त्रिवेंद्रम और बेंगलूरु में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तत्वावधान में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, विभाग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वावधान में त्रिवेंद्रम में केरल ग्रामीण बैंक (बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी में से एक) द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रम के लिए भी आवश्यक समर्थन दिया।

प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग और दिल्ली तथा मुंबई में दो सतर्कता इकाइयाँ क्रमशः आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों (डीए) द्वारा संदर्भित विभिन्न अनुशासनात्मक मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करती हैं तथा ऐसे मामलों में सीवीओ / एसीवीओ के निर्णयों से अवगत कराती हैं। साथ ही, सीवीसी / आरबीआई / डीएफएस / सीबीआई सहित विभिन्न तिमाहियों से प्राप्त शिकायतों की गहन जांच की जाती है

vigilance administration in the 4 Regional Rural Banks (RRBs) and 9 subsidiaries of the Bank.

The Vigilance Administration in the Bank extends to the different verticals of the Bank, viz., Circle Offices and Regional Offices, through the Vigilance Officers posted at the Circles and Regions.

The said Vigilance set-up in the Bank ensures carrying out of the three major Vigilance functions in the Bank, viz., Preventive, Participative (Surveillance & Detection) and Punitive Vigilance.

As a Preventive Vigilance measure, the Vigilance set-up in the Bank ensure conduct of Surprise visits by Circle Vigilance Officers to Branches, conduct of Monthly Preventive Vigilance Meetings in the branches, preparation and maintenance of agreed List and Officers of Doubtful Integrity, Periodic review of Sensitive Postings in Bank & timely rotation of officials in sensitive posts, etc. Further, the Vigilance Wing at Head Office, is publishing a Quarterly Magazine in the name of "Canara Vigil" covering all the vigilance related activities conducted in the Bank and a Monthly Bulletin on Preventive Vigilance, for the benefit of employees of the Bank.

During the financial year, the Vigilance Wing at Head Office, has conducted Capacity Building Programmes under the aegis of Central Vigilance Commission (CVC) at Trivandrum and Bengaluru for the benefit of the Chief Vigilance Officers & Vigilance Officers of PSUs / PSBs. Further, the Wing also extended necessary support for the said programme conducted by Kerala Gramin Bank (one of the RRB sponsored by the Bank) at Trivandrum, again under the aegis of Central Vigilance Commission.

The Vigilance Wing at Head Office and the two Vigilance Units at Delhi and Mumbai, respectively ensure timely processing of various disciplinary matters referred by the Internal Advisory Committee (IAC) and Disciplinary Authorities (DAs) and conveying of the decisions of the CVO / ACVO in such matters. Also, complaints received from various quarters including CVC / RBI / DFS / CBI, are examined thoroughly and dealt appropriately in

तथा सीवीसी दिशानिर्देशों और बैंक की कर्मचारी जवाबदेही नीति के अनुरूप उचित तरीके से निपटा जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार विभाग ने 28.10.2024 से 03.11.2024 तक “राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति” विषय के साथ “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया था और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सप्ताह के दौरान वॉकथॉन, क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार, निबंध लेखन प्रतियोगिता और कई आउटरीच कार्यक्रम जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गई थीं।

अंचल कार्यालयों / क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों के कार्यों की निगरानी के लिए, सतर्कता विभाग ने एक विशेष पैकेज, “निवारक सतर्कता प्रबंधन प्रणाली (पीवीएमएस)” विकसित किया है, जहां सतर्कता अधिकारियों द्वारा शाखा दौरा, उनकी टिप्पणियों और टिप्पणियों के सुधार का अनुवर्तन किया जाता है और उसी पर डेटा वास्तविक समय के आधार पर तैयार किया जाता है।

वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग ने विभिन्न सतर्कता जोखिम मापदंडों के आधार पर अंचल और क्षेत्रों में अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए “सतर्कता जोखिम धारणा सूचकांक (वीआरपीआई)” को लागू किया है।

विभाग मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में संभावित सुधारों के लिए प्रबंधन को लगातार सुझाव दे रहा है। विभाग द्वारा सुझाए गए 10 प्रणालीगत सुधारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा लागू किया गया है।

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (इंड एसएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। आरबीआई ने अपने संचार संदर्भ: डीबीआर.बीपी. बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड एसएस

line with the CVC guidelines and Staff Accountability Policy of the Bank.

During the financial year, the Wing as per the directions of the Central Vigilance Commission had observed, “Vigilance Awareness Week” from 28.10.2024 to 03.11.2024 with the theme, “Culture of Integrity for Nation’s Prosperity” and various activities such as Walkathon, Quiz contest, Seminars, Essay writing competition & several outreach programmes were conducted during the week to create awareness among the general public.

For monitoring the functions of Vigilance Officers in the Circle Offices / Regional Offices, the Vigilance Wing has developed an exclusive package, “Preventive Vigilance Management System (PVMS)”, where the Branch visits by the Vigilance Officers, their observations and rectification of observations are followed up and the data on the same are generated on a real time basis.

The Wing during the financial year has implemented “Vigilance Risk Perception Index (VRPI)”, for evaluating level of compliance at Circles and Regions based on various Vigilance Risk Parameters.

The Wing is continuously suggesting the Management on possible improvements in the existing systems & procedures by way of suggesting Systemic Improvements. As many as 10 systemic improvements suggested by the Wing has been implemented by the Bank during the financial year 2024-25.

Implementation of Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March, 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial

के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर आरबीआई को प्रो-फॉर्म वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों को 'वन स्टॉप बैंकिंग' की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 के दशक के अंत में अनुषंगी कंपनियाँ खोलकर विविध व्यावसायिक गतिविधियों में कदम रखा। आज, बैंक आठ घरेलू अनुषंगी कंपनियों, पाँच सहयोगी कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। बैंक की सभी घरेलू सहायक कंपनियों / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2024-25 के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन दर्ज किया। सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है। आरबीआई ने केनरा समूह को बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय समूह के रूप में और केनरा बैंक को समूह के लिए नामित इकाई के रूप में पहचाना है।

केन फिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल):

केनरा बैंक की प्रायोजित इकाई मेसर्स केन फिन होम्स लिमिटेड देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस संस्थाओं में से एक है। बैंक के पास कंपनी की 29.99% हिस्सेदारी है। मार्च 2025 तक कंपनी के बकाया ऋण ₹38,217 करोड़ थे। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹750.69 करोड़ के मुकाबले ₹857.16 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जिसमें 14.18% की वार्षिक वृद्धि हुई। 31.03.2025 तक कंपनी का सकल एनपीए ₹333 करोड़ (0.87%) और निवल एनपीए ₹174 करोड़ (0.46%) था। कंपनी ने 300% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 300% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:

मेसर्स केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सीएचएलआईसी) वर्ष 2007 में एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से बैंक द्वारा शुरू किया गया एक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम ने 16.06.2008 से अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया, जिसमें केनरा बैंक की 51% की बहुलांश हिस्सेदारी है, उसके बाद एचएसबीसी (26%) और पंजाब नेशनल बैंक (23%) हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹7,850.24 करोड़ का शुद्ध प्रीमियम दर्ज किया। कंपनी ने

Banks till further notice. Bank is submitting pro-forma financial Statements to RBI on half-yearly basis as per the guidelines of RBI.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with eight Domestic Subsidiaries, five associates and one joint venture. All the Domestic Subsidiaries / Associate / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2024-25. CRMF Trustee Private Limited is yet to commence its operations. RBI has identified Canara Group as a bank led Financial Conglomerate and Canara Bank as the designated entity for the group.

CAN FIN HOMES LIMITED (CFHL):

M/s Can Fin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 29.99% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2025 were ₹38,217 Crore. The Company earned a Net Profit of ₹857.16 Crore as against ₹750.69 Crore in the previous year, with y-o-y growth of 14.18%. Gross NPAs of the Company was ₹333 Crore (0.87%) and Net NPA was ₹174 Crore (0.46%) as on 31.03.2025. The Company has provided an interim dividend of 300% and also declared final dividend of 300% for FY 2024-25.

CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:

M/s Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (CHLIC) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Punjab National Bank in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Punjab National Bank (23%). The Company recorded net premium of ₹7,850.24 Crore during the year.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 116.98 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए 4% का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी):

मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड केनरा बैंक और मेसर्स ओरिक्स कॉर्पोरेशन, जापान का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है, जिसमें केनरा बैंक की 51% हिस्सेदारी है। कंपनी वर्तमान में इक्विटी, संतुलित और ऋण योजनाओं के मिश्रण के साथ 25 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ₹ 182.68 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है और 10% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल):

मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। सीबीएसएल ने 01.04.2017 से केनरा बैंक से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सेवाएं अपने हाथ में ले ली हैं। मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड डीमैट सेवाएं (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट), ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई-इंश्योरेंस और वित्तीय उत्पादों का वितरण कर रही है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों तरह के ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 7.90 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 12.5% का अंतिम लाभांश घोषित किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल):

मेसर्स केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की फैक्ट्रिंग अनुषंगी कंपनी है, जिसमें बैंक की 70% हिस्सेदारी है। 2024-25 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹ 1,196.25 करोड़ था, जिसमें ₹ 2.72 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल):

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड ट्रस्ट की ट्रस्टी और प्रबंधक है। कंपनी वर्तमान में फंड ऑफ फंड सहित 3 फंड का प्रबंधन कर रही है, जिसका वर्तमान कुल एयूएम ₹ 252.00 करोड़ है।

The Company registered Net Profit of ₹ 116.98 Crore for FY 2024-25. The company has declared final dividend of 4% for the year 2024-25.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED (CRAMC):

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) of Canara Bank and M/s Orix Corporation, Japan with Canara Bank holding 51% Stake. The Company is currently managing 25 Mutual Fund Schemes with a mix of equity, balanced and debt schemes. The Company has registered a net profit of ₹ 182.68 Crore and has provided an interim dividend of 10% and also declared final dividend of 15% for FY 2024-25.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL):

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd. is extending Demat Services (Depository Participant), Online Trading, e-Insurance and distribution of Financial products. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. The Company has registered a net profit of ₹ 7.90 Crore for the year 2024-25. The Company has declared final dividend of 12.5% for FY 2024-25.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL):

M/s Canbank Factors Limited is a factoring subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2024-25, the Company had a total business turnover of ₹ 1,196.25 Crore, registering net profit of ₹ 2.72 Crore.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL):

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank and the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund Trust. The company presently managing 3 funds including Fund of Fund with present total AUM of ₹ 252.00 Crore.

कंपनी ने वर्ष 2024-2025 के दौरान ₹0.28 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 400% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल):

मेसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक की 69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और आरएंडटी एजेंट में लगी हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹14.98 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 50% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (कैनफिना):

मेसर्स कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अपनी गतिविधियों को प्रतिभूतियों में पिछले लेन-देन से उत्पन्न कानूनी मामलों और डिक्री खातों के तहत बकाया राशि की वसूली तक सीमित कर रहा है। कंपनी ने लाभांश की प्राप्ति, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज और लंबित मुकदमों से संबंधित राशि के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए ₹21.75 करोड़ का लाभ पोस्ट किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 36.67% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ संयुक्त उद्यम शोयरधारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

एचईएफए की स्थापना शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए की गई है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना भी शामिल है, जिससे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 31.03.2025 तक, शिक्षा मंत्रालय ने क्रमशः ₹4,812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। 31.03.2025 तक स्वीकृत कुल ऋण ₹43,437.58 करोड़ है और सवितरण ₹22,600.83 करोड़ रहा।

एचईएफए ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विभिन्न संस्थानों को ₹2,632.58 करोड़ का ऋण वितरित किया है और बैंक को हेफा से ₹19.82 करोड़ का प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ है।

The Company recorded a net profit of ₹0.28 Crore during the year 2024-2025. The Company has provided interim dividend of 400% for FY 2024-25.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL):

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted net profit of ₹14.98 Crore for FY 2024-25. The Company has provided an interim dividend of 50% FY 2024-25.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a profit of ₹21.75 Crore for the year 2024-25 by way of receipt of dividends, interest received on Bank deposits and amount pertaining to pending litigations. The Company has provided an interim dividend of 36.67% for FY 2024-25.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA), is a not-for-profit organization, set up by the Bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Education (MoE), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. As on 31.03.2025, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 Crore respectively. The total loans sanctioned till 31.03.2025 is ₹43,437.58 Crore and disbursement stood at ₹22,600.83 Crore.

HEFA has disbursed ₹2,632.58 Crore of loans to different institutions during FY 2024-25 and Bank has received ₹19.82 Crore of Management Fee from HEFA.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2025 तक, बैंक के पास चार प्रायोजित आरआरबी थे, अर्थात् आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी), केरल में केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी), कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) और कर्नाटक में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी)।

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में 551 शाखाओं और 98 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹50,757 करोड़ (अनऑडिटेड) है। (जमा: ₹23,667 करोड़, अग्रिम: ₹27,090 करोड़)।

केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) केरल के सभी 14 जिलों में 634 शाखाओं और 269 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹54,989 करोड़ (अनऑडिटेड) है। (जमा: ₹27,427 करोड़, अग्रिम: ₹27,562 करोड़)।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (एंग्रुओ) कर्नाटक के 22 जिलों में 1122 शाखाओं और 172 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹66,137 करोड़ (अनऑडिटेड) है। (जमा: ₹35,129 करोड़, अग्रिम: ₹31,008 करोड़)।

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) कर्नाटक के 9 जिलों में 629 शाखाओं और 50 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹38,514 करोड़ (अनऑडिटेड) है। (जमा: ₹20,941 करोड़, अग्रिम: ₹17,573 करोड़)।

मार्च 2025 तक आरआरबी का कुल कारोबार बढ़कर 2,10,395 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें 1,07,162 करोड़ रुपये की जमा राशि और 1,03,233 करोड़ रुपये का अग्रिम शामिल है। बैंक के बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से, आरआरबी एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रायोजित आरआरबी 100% सीबीएस अनुपालन करते हैं और अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवाएं, अकाउंट एग्रीगेटर और आधार सक्षम सेवाएं और एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से धन प्रेषण सुविधाएं जैसे आईटी आधारित उत्पादों का विस्तार करके प्रौद्योगिकी के मामले में अपने समकक्ष आरआरबी से आगे हैं।

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2025, the Bank had four sponsored RRBs, viz., Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) in Andhra Pradesh, Kerala Gramin Bank (KeGB) in Kerala, Karnataka Gramin Bank (KaGB) and Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) in Karnataka.

Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) operates in 10 districts of Andhra Pradesh with 551 branches and 98 ATMs. Total business of the Bank as at March 2025 is ₹50,757 Crore (Unaudited). (Deposits: ₹23,667 Crore Advances: ₹27,090 Crore).

Kerala Gramin Bank (KeGB) operates in all 14 districts of Kerala with 634 branches & 269 ATMs. The total business of the Bank as at March 2025 is ₹54,989 Crore (Unaudited). (Deposits: ₹27,427 Crore, Advances: ₹27,562 Crore).

Karnataka Gramin Bank (KaGB) operates in 22 districts of Karnataka with 1122 branches & 172 ATMs. The total business of the Bank as at March 2025 is ₹66,137 Crore (Unaudited). (Deposits: ₹35,129 Crore, Advances: ₹31,008 Crore).

Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) operates in 9 districts of Karnataka with 629 branches & 50 ATMs. The total business of the Bank as at March 2025 is ₹38,514 Crore (Unaudited). (Deposits: ₹20,941 Crore, Advances: ₹17,573 Crore).

Aggregate business of the RRBs increased to ₹2,10,395 Crore as at March 2025 comprising of Deposits of ₹1,07,162 Crore and Advances of ₹1,03,233 Crore. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services, Account Aggregator and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमारा बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया जाता है, जैसे कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, मेधावी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, स्कूलों का जीर्णोद्धार करना तथा जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत तथा अन्य सामाजिक पहल प्रदान करना।

सीएसआर के तहत केनरा बैंक की प्रमुख पहलों में ट्रस्ट और संस्थानों की स्थापना करना शामिल है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों और समाज की सेवा करने में प्रभाव डाला है। बैंक आजीविका सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में सीएसआर गतिविधियों के लिए समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ साझेदारी कर रहा है और सार्थक गतिविधियों में भाग ले रहा है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत, केनरा बैंक ने विभिन्न सामाजिक पहल की हैं और कुल 9,181.78 लाख रुपये खर्च किए हैं। कुछ सामाजिक पहलों का विवरण नीचे दिया गया है।

- ✓ **शिक्षा:** बैंक ने देश में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। हमारे बैंक ने स्कूलों को बुनियादी ढांचा, छात्रों के लिए किताबें और स्कूल की आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदि की स्थापना करने में योगदान दिया है, खासकर हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में।
- ✓ **केनरा बैंक डॉ. अंबेडकर विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना** के तहत मेधावी एससी / एसटी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 43290 छात्राओं को 1,769.48 लाख रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
- ✓ वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Our Bank remains committed to Corporate Social Responsibility (CSR), towards betterment of the society at large through various activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, renovation of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swatch Bharat and other social initiatives.

Major initiatives of the Canara Bank under CSR have been the setting up of Trusts and Institutions which have created an impact in serving the people and society at large. Bank has also been partnering with like-minded organizations for CSR activities in the area of livelihood creation, education, health and environment and participated in meaningful activities.

Under Corporate Social Responsibility (CSR), Canara Bank has undertaken various social initiatives and have spent a total outlay of ₹ 9,181.78 lakhs. A few social initiatives are outlined below.

- ✓ **Education:** Bank has taken up initiatives to promote education and skill development in the country. Our Bank has contributed towards providing infrastructure to schools, books and school essentials for students, setting up of Digital classrooms, computer labs, libraries etc. especially in the rural areas of our country.
- ✓ **Canara Bank Dr.Ambedkar Vidya Jyothi Scholarship Scheme** to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2024-25, 43290 students have been provided with scholarships to the tune of ₹ 1,769.48 Lakhs.
- ✓ The details of major CSR projects under education sector sanctioned in the financial year 2024-25 are mentioned below:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	परिवार एजुकेशन सोसाइटी (कोलकाता पश्चिम बंगाल)	ग्राम – संदलपुर, जिला – देवास, मध्य प्रदेश में स्कूल भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण	270.85
2	स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवा केन्द्र – विवेका स्मारक, श्री रामकृष्ण आश्रम, मैसूर, कर्नाटक	600 सीटों वाले कवर्ड एम्फीथियेटर का निर्माण	50.00
3	फोर्टेस, मुंबई	सूचना युग संग्रहालय (मोबाइल संग्रहालय) परियोजना के लिए प्रदर्शन	30.00
4	सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, साउथ जोन, जयनगर, बेंगलूरु	मोबाइल लाइब्रेरी के लिए सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, साउथ जोन, जयनगर, बेंगलूरु तक बस की खरीद।	30.00
5	कर्नाटक पब्लिक स्कूल सिद्धरामनहुंडी, मैसूर तालुक, कर्नाटक।	विद्यार्थियों के लिए दो क्लास रूम का निर्माण।	29.50
6	सेंट पॉल मिशन स्कूल, कोलकाता	कक्षाओं के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 25 स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराना।	30.00
7	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल	अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वाहन, इलेक्ट्रिक बग्गी उपलब्ध कराना तथा प्लास्टिक से बिजली संयंत्र कार्यालय तक की स्थापना करना।	30.00

✓ **स्वास्थ्य:** बैंक ने अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, क्लीनिकों, प्रयोगशालाओं आदि सहित स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Parivaar Education Society (Kolkata West Bengal)	Construction of 2 nd floor of school Building in Village-Sandalpur, District-Dewas, MP	270.85
2	Swami Vivekananda Cultural youth Centre - Viveka Smarka, Sri Ramakrishna Ashrama, Mysuru, Karnataka	Construction of 600-seater covered amphitheatre	50.00
3	FORTESS, Mumbai	Exhibits towards Information Age Museum (mobile museum) project	30.00
4	City Central Library, South Zone, Jayanagar, Bengaluru	Purchase of bus to City Central Library, South Zone, Jayanagar, Bengaluru towards Mobile Library	30.00
5	Karnataka Public School Siddaramanahundi, Mysore Taluk, Karnataka	Construction of Two class rooms for the students	29.50
6	St. Paul Mission School, Kolkata	Providing 25 Smart Boards towards the Infrastructural development of Class rooms	30.00
7	National Institute of Technology, Calicut, Kerala	Providing vehicle for waste management, electric buggies and setting up of plastic to power plant office	30.00

✓ **Health:** Bank has undertaken various initiatives to support the health sector including hospitals, health centres, clinics, laboratories etc., The details of major

विभिन्न पहल की हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (सीएमडीआरएफ), केरल	केरल बाढ़ राहत के लिए आपातकालीन सहायता	100.00
2	कर्नाटक लिंगायत शिक्षा सोसायटी, बेलगाम	एम्बुलेंस उपलब्ध कराना (हार्ड टेक)	39.05
3	हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हसन	सामुदायिक स्वास्थ्य सहायता	30.00
4	विवेकानंद पॉलीक्लिनिक एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	02 वेंटिलेटर और 11 मॉनिटर की स्थापना	30.00
5	सेवाभारती तमिलनाडु	मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) उपलब्ध कराना	30.00
6	जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च, बेंगलूरु	40 सिरिंज पंप (एगिलिया एसपीएमसी) उपलब्ध कराना	30.00

- ✓ **गरीबी और पोषण:** बैंक ने देश में गरीबी को कम करने और पोषण में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल की हैं। बैंक ने मंदिरों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों आदि के माध्यम से वंचित लोगों को भोजन और पोषण प्रदान करने की पहल की है। **गरीबी और पोषण क्षेत्र के तहत की गई प्रमुख सीएसआर पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:**

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	केनरा बैंक रिलीफ वेलफेयर सोसाइटी [सीबीआरडब्ल्यूएस] बेंगलूरु	बुजुर्गों के लिए घर का निर्माण	200.00

CSR projects under health sector sanctioned in the financial year 2024-25 are mentioned below:

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Chief Minister's Disaster Relief Fund (CMDRF), Kerala	Emergency assistance for Kerala flood Relief	100.00
2	Karnataka Lingayat Education Society, Belgaum	Providing Ambulance (Hi tech)	39.05
3	Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan	Community health support	30.00
4	Vivekananda Polyclinic & Institute of Medical Sciences, Lucknow	Installation of 02 Ventilator & 11 Monitors	30.00
5	Sevabharathi Tamilnadu	To provide mobile medical Unit (MMU)	30.00
6	Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research, Bengaluru	To provide 40 Syringe Pumps (Agilia SPMC)	30.00

- ✓ **Poverty and Nutrition:** Bank has undertaken various initiatives to alleviate poverty and improve nutrition in the country. Bank has taken initiatives to provide food & nutrition to underprivileged people through temples, orphanages, old age homes etc. **Details of Major CSR initiatives taken under Poverty and Nutrition sector are given below:**

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Canara Bank Relief Welfare Society [CBRWS] Bengaluru	Construction of Home for Elders	200.00

2	मेसर्स अक्षय पात्र फाउंडेशन, बेंगलूरु	अवलाहल्ली में केंद्रीकृत रसोई परियोजना के लिए रसोई उपकरण का निर्माण और उपलब्ध कराना, जिससे प्रतिदिन 5,000 स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा सके, जिन्हें बेंगलूरु शहर में रखा जाएगा।	49.74

2	M/s. Akshaya Patra Foundation, Bengaluru	Construction & providing kitchen equipment's to Centralized Kitchen Project at Avalahalli for providing Mid-Day Meal to 5,000 school children on daily basis to be housed at Bengaluru city	49.74

- ✓ **पर्यावरण संरक्षण:** बैंक ने पर्यावरण की रक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। बैंक ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि में सौर पैनल, सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रीड, जल संचयन प्रणाली, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना जैसी हरित पहलों को लागू किया है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के तहत की गई प्रमुख सीएसआर पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन, चंद्रपुर, महाराष्ट्र	वन गश्ती और संरक्षण को बढ़ावा देना	10.00
2	कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड (सीएसएमएल)	कोच्चि में क्वीन्स वॉकवे का सौंदर्यीकरण	10.00
3	छाया पशु अस्पताल, पशुओं के सम्मान और देखभाल के लिए लोगों द्वारा प्रबंधित, अश्वथबेरिया, चंदनेश्वर, पश्चिम बंगाल।	छत पर सौर पी. वी. प्रणाली स्थापित करना।	9.82

- ✓ **स्वच्छ भारत:** बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन को समर्थन देने के लिए पहल की है, तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न अन्य गतिविधियों को समर्थन दिया गया है। स्वच्छ भारत क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख सीएसआर गतिविधियाँ नीचे उल्लिखित हैं:

- ✓ **Environmental Protection:** Bank has undertaken initiatives to protect the environment and promote sustainability. Bank has implemented green initiatives, such as installation of solar panels, solar power plants, grids, water harvesting systems, bio gas plants in Govt schools, Universities, Panchayats etc. to promote environment protection. Details of Major CSR initiatives taken under Environmental Protection sector are given below:

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Tadoba Andhari Tiger Reserve Conservation Foundation, Chandrapur, Maharashtra	Enhance the forest patrolling and conservation	10.00
2	Cochin Smart Mission Limited (CSML)	Beautification of Queen's Walkway, Kochi	10.00
3	Chhaya Animal Hospital, Managed by People for the Respect & Care of Animals, Aswathaberia, Chandaneswar, West Bengal	To install Roof Top Solar PV system	9.82

- ✓ **Swachh Bharat:** Bank has taken up initiatives to support the Swachh Bharat Mission, and various other activities have been supported under the sector. The major CSR activities under Swachh Bharat sector are mentioned below:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	भोपाल नगर निगम	शहर में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कूड़ा बीनने वाली मशीन उपलब्ध कराना	17.93
2	दावणगेरे स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कर्नाटक	ऑफिसर्स क्लब स्मार्ट सिटी में शौचालय सुविधा और पेंट्री का निर्माण	10.00
3	नगर निगम, पेरम्बलुर शहर, तमिलनाडु	स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चार बैटरी चालित वाहन उपलब्ध कराना	10.00
4	कोथनूर झील विकास एसोसिएशन, जे पी नगर, बेंगलूरु	आश्रय स्थल, बोरवेल, ग्रेनाइट बेंच उपलब्ध कराना और सार्वजनिक शौचालय का नवीनीकरण करना	10.00

- ✓ **दिव्यांगजनों को सहायता:** बैंक ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं और वर्ष के दौरान कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	केनरा बैंक रिलीफ वेलफेयर सोसाइटी	ब्रेल संसाधन केंद्र को सहायता	25.00
2	रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी), वेलिंगटन, नीलगिरी, तमिलनाडु	05 मोबिलिटी स्कूटर उपलब्ध कराना	7.53
3	बोक्सिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	दिव्यांगजनों के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराना	10.00

- ✓ **कौशल विकास:** बैंक ने 67 आरएसईटीआई एवं आरयूडीएसईटीआई, 5 सीबीआईआईटी, 3 एटीआई और 4 संयुक्त उद्यमों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित किया है, जिनके माध्यम से अब तक 12.68 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनकी निपटान दर 74% है।

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Bhopal Municipal Corporation	Providing Litter Picker Machine for effective waste management in the city	17.93
2	Davangere Smart City limited, Karnataka	Construction of Toilet facility and Pantry at Officers Club Smart City	10.00
3	Municipal Corporation, Perambalur City, Tamil Nadu	Providing four Battery Operated Vehicles for sanitation and solid waste management	10.00
4	Kothanur Lake Development Association, J P Nagar, Bengaluru	Providing shelters, bore-well, granite benches & refurbishing of public toilet	10.00

- ✓ **Assistance to Divyangjan:** Bank has taken various initiatives to empower Divyangjan and some of the major activities during the year are as under:

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Canara Bank Relief welfare society	Assistance to Braille Resources Centre	25.00
2	Defence Services Staff College (DSSC), Wellington, The Nilgiris, Tamil Nadu	Providing 05 Mobility Scooter	7.53
3	Boccia Sports Federation of India, New Delhi	Providing sports equipment's for the divyangjan	10.00

- ✓ **Skill Development:** The Bank has sponsored / co-sponsored 67 RSETIs & RUDSETIs, 5 CBIITs, 3 ATIs and 4 joint ventures which have trained more than 12.68 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.

- ✓ **ग्रामीण विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए बैंक ने विभिन्न पहल की हैं। प्रमुख गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं:

क्र.स.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	ग्रामीण जल आपूर्ति उप प्रभाग भीमावरम, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	4 मंडलों (यूएनडीआई, पलाकोडेरु, अकिविडु और कल्ला) के अंतर्गत 25 गांवों में आरओ माइक्रो वॉटर प्लांट (25 संख्या) प्रदान करना	118.00
2	अकीवीदु नगर पंचायत, पश्चिम गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश	अकिविडु में आम जनता, विशेषकर बच्चों, युवाओं और वृद्ध लोगों के लिए पार्क उपलब्ध कराने की सुविधाएं	50.00
3	एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, कोडागु जिला, मडिकेरी	अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाभ के लिए कोडागु जिले के विराजपेट और पोन्नमपेट तालुक में 14 घरों के लिए बिजली और पानी भंडारण प्रणाली जैसी सुविधाओं के लिए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, कोडागु जिला, मडिकेरी का समर्थन करना।	25.00
4	मैसर्स पांडुरंगा चैरिटीज़, गोविंदपुरम, अदुथुराई, तमिलनाडु	गोशाला के श्रमिकों को आश्रय प्रदान करना ताकि उनकी जीवन स्थिति में सुधार हो सके	20.00

- ✓ **Rural Development:** Bank has taken up various initiatives to support the Rural Areas. The major activities are given below:

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Rural Water Supply Sub Division Bheemavaram, West Godavari District, Andhra Pradesh	Providing RO micro water plant (25 Nos) in 25 Villages under 4 mandals (UNDI, Palakoderu, Akividu & Kalla	118.00
2	Akiveedu Nagar Panchayat, West Godavari district, Andhra Pradesh	Amenties to provide park at Akiveedu for the public especially Children, youth and old age people	50.00
3	Integrated Tribal Development Project, Kodagu District, Madikeri	To support Integrated Tribal Development Project, Kodagu District, Madikeri towards facilities like electrical & water storage system for 14 houses in Virajapet & Ponnampet Taluk of Kodagu District for the benefit of scheduled tribe families	25.00
4	M/s. Panduranga Charities, Govindapuram, Aduthurai, Tamil Nadu	Providing shelter for labours of Gosala to enhance their living condition	20.00

- ✓ खेल क्षेत्र को समर्थन देने के लिए खेल पहल की गई प्रमुख गतिविधियाँ नीचे उल्लिखित हैं

क्र.सं.	संगठन का नाम	उद्देश्य	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1	अंजू बॉबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन, बेंगलोर	अंजू बॉबी स्पोर्ट्स फाउंडेशन, बेंगलोर में 4थी इंडियन ओपन जम्प्स प्रतियोगिता का आयोजन	25.00
2	बोक्सिया स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली:	खेल उपकरण उपलब्ध कराना	10.00

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए सीएसआर गतिविधियों के तहत कुल क्षेत्रवार सहायता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सीएसआर के अंतर्गत क्षेत्रवार प्रस्ताव	स्वीकृत राशि [लाखों में]
1.	शिक्षा	3757.62
2.	खेल	186.49
3.	ग्रामीण विकास	484.76
4.	पर्यावरण संरक्षण	118.74
5.	स्वच्छ भारत	83.19
6.	स्वास्थ्य	843.48
7.	दिव्यांगजन	33.45
8.	गरीबी और पोषण	620.28
9.	अन्य	1686.27
10.	महिला सशक्तिकरण	92.34
11.	कौशल विकास	6300.98
12.	वित्तीय साक्षरता	734.73
	कुल	14942.33**

** इस राशि में आरएसईटीआई और आरयूडीएसईटीआई के मामले में पिछले वर्ष के बीपीएल प्रशिक्षण दावों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त प्रतिपूर्ति और अन्य आय शामिल है, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 में भी खर्च किया जाता है।

- ✓ Sports initiatives were undertaken to support the sports sector. The Major activities are mentioned below:

Sl. No.	Organisation Name	Purpose	Amount sanctioned [In Lakhs]
1	Anju Bobby Sports Foundation, Bangalore	Organizing the 4 th Indian Open Jumps Competition at Anju Bobby Sports Foundation, Bangalore	25.00
2	Boccia Sports Federation of India, New Delhi	Providing sports equipment's	10.00

Total sector wise assistance under CSR activities for the FY 2024-2025 is as under:

Sl No	Sector wise proposals under CSR	Amount Sanctioned [In Lakhs]
1.	Education	3757.62
2.	Sports	186.49
3.	Rural Development	484.76
4.	Environment Protection	118.74
5.	Swachh Bharat	83.19
6.	Health	843.48
7.	Divyangjan	33.45
8.	Poverty & Nutrition	620.28
9.	Other	1686.27
10.	Women Empowerment	92.34
11.	Skill development	6300.98
12.	Financial Literacy	734.73
	TOTAL	14942.33**

** The amount includes the reimbursement received from MoRD towards previous year BPL training claims in case of RSETIs & RUDSETI & other income which is also spend in the FY 2024 - 25.

पुरस्कार/प्रशंसा और उपलब्धियां

- ✓ केनरा बैंक को 17 मार्च, 2025 को ईज 6.0 बैंकिंग रिफॉर्म साइटेशन अवार्ड 2024 की शीर्ष सुधारक श्रेणी में दूसरे शीर्ष रनर-अप के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक को 08.05.2024 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित विश्व एचआरडी कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए "प्रशिक्षण में उत्कृष्टता" के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर पुरस्कार मिला है।
- ✓ केनरा बैंक को 19 अप्रैल 2024 को आईआईएम बैंगलोर में एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा आयोजित गोल्ड लोन में डिजिटल और पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के निष्पादन के लिए ग्रीन वॉरियर पुरस्कार मिला है।
- ✓ केनरा बैंक को दिनांक 13 फरवरी 2025 को आईबीईएक्स पुरस्कार 2025 के अंतर्गत "आईटी जोखिम और साइबर सुरक्षा पहल" श्रेणी में उपविजेता पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक की इन-हाउस पत्रिका "श्रेयस" और हिंदी पत्रिका "केनरा ज्योति" ने वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस द्वारा आयोजित ग्लोबल ब्रांड एक्सीलेंस अवार्ड्स के 32वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ इन-हाउस पत्रिका श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार समारोह 20.02.2025 को ताज लैंड्स एंड, मुंबई में आयोजित किया गया था।
- ✓ केनरा बैंक को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि उसे "पीएसयू डेटा क्वालिटी चैंपियन - वित्त वर्ष 25" से सम्मानित किया गया है और 12/02/2025 को मुंबई में ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा आयोजित सम्मेलन में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच समग्र सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता के लिए पुरस्कार जीता है। बैंक की ओर से यह पुरस्कार डीजीएम श्री आर वी आर एस सुब्बाराव ने स्वीकार किया।
- ✓ हमारे बैंक को 30 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच पुरस्कार समारोह में बीएफएसआई श्रेणी के अंतर्गत 'एपीआई बैंकिंग' के लिए रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक को 9 नवंबर 2024 को भारतीय जनसंपर्क परिषद के 18वें वैश्विक संचार सम्मेलन में इनहाउस पत्रिका "श्रेयस" - द्विभाषी प्रकाशन और "केनरा ज्योति" - हिंदी प्रकाशन के लिए संचार में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है।

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

- ✓ Canara Bank has received award with second top runner-up in the top improvers category of the Ease 6.0 Banking Reform Citation Award 2024 on dated March 17, 2025.
- ✓ Canara Bank has received The Golden Globe Tiger Award for "Excellence in Training" initiated by World HRD Congress held at Kuala Lumpur, Malaysia on 08.05.2024.
- ✓ Canara Bank has received Green Warrior award for Execution of Digital & Paperless documentation in Gold Loans organized by the NeSL (National e-Governance Services Limited) at IIM Bangalore on 19th April 2024
- ✓ Canara Bank has received runner-up award under the category "IT Risk & Cyber Security Initiatives" under IBEX Awards 2025 on dated 13th February 2025.
- ✓ Canara Bank In-House Magazine "Shreyas" and Hindi Magazine "Canara Jyoti" won award under the Best In-House Magazine category in the 32nd Edition of Global Brand Excellence Awards conducted by World Brand Congress. The award ceremony was held on 20.02.2025 at Taj Lands' End, Mumbai.
- ✓ Canara Bank is proud to announce that it has been conferred with the "PSU Data Quality Champion - FY 25" and won the Award for overall Best Data Quality amongst all Public Sector Banks in the conference organized by TransUnion CIBIL at Mumbai on 12/02/2025. The Award was accepted on behalf of the Bank by DGM Shri R V R S Subbarao.
- ✓ Our Bank has received Silver Award for 'API Banking' under BFSI Category at Skoch Award ceremony on 30th November 2024 at New Delhi.
- ✓ Canara Bank has been awarded at the 18th Global communication conclave of Public relation Council of India for Inhouse magazine "Shreyas" - bilingual publications and "Canara Jyothi" - Hindi publication for excellence in Communication on 9th November 2024.

- ✓ केनरा बैंक को 22.11.2024 को मुंबई में 6वें ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2024 में "आईबीएसआई ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स – एमएल का उपयोग करके खच्चर का पता लगाना" प्राप्त हुआ है।
- ✓ भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 14-16 नवंबर 2024 को बेंगलूर में 22वें ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2024 में विश्व जी.बी.सी. के दौरान ग्रीन बैंक शाखाओं को बड़े पैमाने पर अपनाने वाले अग्रणी वित्तीय क्षेत्र की श्रेणी में केनरा बैंक को आई.जी.बी.सी. ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया।
- ✓ केनरा बैंक को हिंदी दिवस समारोह के दौरान 14 सितंबर 2024 को आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा बैंक की त्रैमासिक आंतरिक पत्रिका 'केनरा ज्योति' के लिए क्षेत्र 'ग' में प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ✓ वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.08.2024 एवं 23.08.2024 को आयोजित दो दिवसीय सेमिनार में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक को क्षेत्र 'ग' में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक को 23 अगस्त 2024 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित दूसरे आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव 2024 में 'उत्कृष्ट प्रथाओं और ईएसजी पहलों को अपनाने' के लिए सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को पीएम स्वनिधि 2023-24 के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋणदाताओं (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र) की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ✓ केनरा बैंक को कर्नाटक राज्य में पीएम स्वनिधि 'प्राइज़' पुरस्कार 2023-24 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रतिष्ठित "द्वितीय रैंक" से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को 19 जून 2024 को 'केनरा डिजिटल रुपया' एप्लिकेशन के लिए फिनोविटी पुरस्कार मिला है।
- ✓ Canara Bank has received "IBSi Global Fintech Innovation Awards - Mule Detection using ML" at the 6th Global FinTech Innovation Awards 2024 on 22.11.2024 at Mumbai.
- ✓ The Indian Green Building Council felicitated Canara Bank with IGBC Green Champion Award 2024 in the category of leading Financial Sector with large-scale adoption of Green Bank Branches during World GBC on 14-16 November 2024 at the 22nd Green Building Congress 2024 in Bangalore.
- ✓ Canara Bank was conferred with the prestigious Rajbhasha Kirti Puraskar in region 'C' for the bank's quarterly in-house magazine 'Canara Jyoti' by Hon'ble Union Minister of Home Affairs & Cooperation Shri. Amit Shah during the 4th All India Official Language Conference held on 14th September 2024, during Hindi Diwas celebrations.
- ✓ Canara Bank has received the third prize in Region 'C' for excellent official language implementation in the 2-day seminar organized by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India on 22.08.2024 and 23.08.2024.
- ✓ Canara Bank has been awarded for 'Excellent Practices and Adoption of ESG Initiatives' at the 2nd ICC Emerging Asia Banking Conclave 2024, organized by the Indian Chamber of Commerce (ICC) on 23rd August 2024.
- ✓ Canara Bank was awarded First Prize under category of Best Lenders (both Public & Private sector) for outstanding achievement under PM SVANidhi 2023-24.
- ✓ Canara Bank has been felicitated with the prestigious "2nd Rank" in Public Sector Banks under PM SVANidhi 'PRAISE' Awards 2023-24" in Karnataka State.
- ✓ Canara Bank has received Finnoviti Award for 'CANARA Digital Rupee' application on 19th June 2024.

प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशकों में परिवर्तन:

क्र स	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	निवृत्ति की तिथि
1.	श्री आर. केसवन	आरबीआई नामित निदेशक	26.04.2019	04.08.2024
2.	श्री करुणाकर शेट्टी	शेयरधारक निदेशक	30.11.2021	29.11.2024
3.	सुश्री नलिनी पद्मनाभन#	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.12.2021	20.12.2024
4.	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21.03.2022	20.03.2025
5.	श्री अशोक चंद्र	कार्यपालक निदेशक	21.11.2022	15.01.2025

#सुश्री नलिनी पद्मनाभन को केंद्र सरकार द्वारा 11.04.2025 से बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

CHANGE IN DIRECTORS, INCLUDING MANAGING DIRECTOR / WHOLE-TIME DIRECTOR

SL NO.	NAME	DESIGNATION	DATE OF APPOINTMENT	DATE OF CESSATION
1.	Shri. R Kesavan	RBI Nominee Director	26.04.2019	04.08.2024
2.	Shri. Karunakara Shetty	Shareholder Director	30.11.2021	29.11.2024
3.	Ms Nalini Padmanabhan #	Part-Time Non-Official Director	21.12.2021	20.12.2024
4.	Shri. Dibakar Prasad Harichandan	Part-Time Non-Official Director	21.03.2022	20.03.2025
5.	Shri. Ashok Chandra	Executive Director	21.11.2022	15.01.2025

#Ms Nalini Padmanabhan has been re-nominated by Central Government as Part-Time Non-Official Director of the Bank w.e.f 11.04.2025.

निदेशक मंडल

(वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / निवृत्ति)

निवृत्ति:

- सुश्री नलिनी पद्मनाभन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 21.12.2021 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो। 20.12.2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

Board of Directors

(APPOINTMENT / CESSATION OF DIRECTORS DURING THE YEAR 2024-25)

Cessations:

- Ms. Nalini Padmanabhan, was appointed as Part-Time Non-Official Director w.e.f. 21.12.2021, by the Central Government under Clause (h) of Sub-Section (3) and Sub section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. She was ceased on 20.12.2024.

2. श्री आर. केसवन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 26.04.2019 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। 04.08.2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
3. श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) और उपधारा (3ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 21.03.2022 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो। 20.03.2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।
4. श्री करुणाकर शेट्टी को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन विविध प्रावधान) योजना 1970 / 1980, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के खंड 3 के उपखंड (1) के तहत 30.11.2021 से तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था। दिनांक 29.11.2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

नियुक्ति:

1. श्री रोहित दास को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 05.08.2024 से आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो अगले आदेश तक पद पर रहेंगे।
2. श्री हेमंत बुच को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत 30.11.2024 से 3 साल की अवधि के लिए यानी 29.11.2027 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया।
3. श्री एस के मजुमदार को बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 24.03.2025 से तीन साल की अवधि के लिए, पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले
2. Shri. R Kesavan, was appointed as RBI Nominee Director w.e.f. 26.04.2019, by the Central Government under clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders. He was ceased on 04.08.2024.
3. Shri. Dibakar Prasad Harichandan was appointed as Part-Time Non-Official Director w.e.f. 21.03.2022, by the Central Government under Clause (h) of Sub-Section (3) and Sub section (3A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. He was ceased on 20.03.2025.
4. Shri. Karunakara Shetty was elected as Shareholder Director w.e.f 30.11.2021, under clause (i) of Sub Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, read with Sub clause (1) of Clause 3 of the Nationalised Banks (Management Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 / 1980, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 for a period of three years. He was ceased on 29.11.2024.

Appointments:

1. Shri. Rohit Das was appointed as RBI Nominee Director w.e.f. 05.08.2024, by the Central Government under clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
2. Shri. Hemant Buch was elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 30.11.2024 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years. i.e. upto 29.11.2027.
3. Shri. S K Majumdar was appointed as Executive Director w.e.f 24.03.2025, by the Central Government under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years, with effect from the date of assumption of

आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशकगण, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- कि वार्षिक लेखों को तैयारी करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।
- उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- उन्होंने बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- उन्होंने वार्षिक खातों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया था।
- बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और कहा था कि ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 24ए और सेबी परिपत्र सीआईआर / सीएफडी / सीएमडी1 / 27 / 2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने केदारनाथ और कार्तिक, अभ्यासरत कंपनी सचिवों (आईसीएसआई

charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2024-25

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR / CFD / CMD1 / 27 / 2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Kedarnath & Karthik, Practicing Company Secretaries (ICSI FRN: P2023KR098600) as the Secretarial

एफआरएन: पी2023केआर098600) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अभिस्वीकृति

बोर्ड ग्राहकों को उनके संरक्षण के लिए, शेयरधारकों को उनके समर्थन के लिए, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, निदेशकों जिन्होंने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा किया, भारत और विदेशों में बैंक के प्रतिनिधियों को उनके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए और सभी स्टाफ सदस्यों को संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की खोज में उनके पूर्ण समर्थन के लिए ईमानदारीपूर्वक सराहना करता हूँ।

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Auditor for the financial year 2024-25 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[सेबी (सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम,
2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र: सीआईआर/सीएफडी/
सीएमडी1/27/2019 दिनांक: 08 फरवरी, 2019 से संबंधित]

सेवा में,
सदस्यगण,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल
बेंगलूरु
कर्नाटक
भारत - 560002

हमने केनरा बैंक (पैन- AAACC6106G) (इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है, जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 112, जेसी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु - 560 002, कर्नाटक, भारत में है।

केनरा बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत शासित है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया था।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और रिटर्न के हमारे सत्यापन के आधार पर, बैंक द्वारा अनुरक्षित और लेखापरीक्षा के लिए हमें उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन में, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, आम तौर पर यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और यह भी है, कि बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली उपलब्ध है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

हमने यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है, जो निम्नलिखित लागू प्रावधानों से संबंधित हैं:

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2025

[Pursuant to regulation 24A of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 and SEBI circular: CIR/CFD/
CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]

To,
The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall
Bengaluru
Karnataka
India - 560002

We have conducted the Secretarial Audit for the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by Canara Bank bearing (PAN: AAACC6106G) (hereinafter called 'the Bank') having its registered office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru - 560 002, Karnataka, India.

Canara Bank is a Nationalized Bank, governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and the Reserve Bank of India Act, 1934. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conduct / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that, in our opinion, during the audit period covering the financial year ended March 31, 2025, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2025, relating to the applicable provisions of:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, राष्ट्रीयकृत बैंक पर लागू सीमा तक
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार, यदि कोई हो, की सीमा तक
- (v) बैंकिंग विधान
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी') के अधीन निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015
- ख) सेबी (सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('एलओडीआर विनियम') जिसमें बैंक की वेबसाइट पर सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में अपेक्षाएं और वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों को अन्य प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं शामिल हैं;
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
- घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993
- ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बैंकर टू इश्यू) विनियम, 1994
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018
- झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008
- ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2015
- (i) The Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Nationalized Bank.
- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.
- (v) Banking Legislations
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI') and as amended from time to time:
- a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
- b) SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. (LODR Regulations) including the requirements with regard to the disclosure of information on Bank's website and other disclosure and reporting requirements to the Stock Exchanges during the Financial Year.
- c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)
- d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993
- e) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992
- f) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994
- g) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009
- h) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018
- i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of Debt Securities) Regulations, 2008
- j) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2015

वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई अवसर नहीं आया जिसके लिए निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत विशिष्ट अनुपालन की आवश्यकता हो:

- ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014, आज तक संशोधित;
- ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021; और
- ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2013 आज तक संशोधित;
- ढ) प्रतिभूति और भारतीय विनियम बोर्ड (गैर – परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021
- ण) सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

हमने बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर, केनरा बैंक पर लागू सीमा तक अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की समीक्षा की है और निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के तहत वर्गीकृत किया है:

1. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000
2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
3. बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970
4. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू किया है जो सामान्य कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं और यह लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने आकार और परिचालन की सीमा के अनुरूप हैं।

हमने निम्नलिखित के संबंध में भी अनुपालन की जांच की है :

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक, जो राष्ट्रीयकृत बैंक पर लागू हैं

There were no occasions during the financial year requiring specific compliance under the provisions of the following Regulations and Guidelines:

- k) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employees Benefits) Regulations, 2014, as amended till date;
- l) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity shares) Regulations, 2021; and
- m) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2013, as amended till date;
- n) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Debt Securities) Regulations, 2021
- o) The SEBI (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999

We have, basis the representation made by the Bank and its Officers, reviewed the systems and mechanisms established by the Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following industry specific laws:

1. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
2. The Banking Regulations Act, 1949
3. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
4. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
5. Reserve Bank of India Act, 1934
6. Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time.

We also report that the Bank has developed and implemented adequate systems and processes which are in place to monitor and ensure compliances with the General Laws and the same is commensurate with its size and extent of operations, to effectively ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We have also examined compliance with respect to:

- i. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India to the extent applicable to a Nationalized Bank.

- ii. बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक एक्सचेंज(ओं) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने सामान्यतः पूर्वगामी पैराग्राफों में उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन किए गए, वे प्रासंगिक अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बैंक के मामलों का प्रबंधन / शासन बोर्ड और बोर्ड की समितियों के माध्यम से किया जाता है।

बोर्ड / समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया था, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन आवश्यक प्रावधानों का पालन करके किया गया था। बोर्ड द्वारा अपनी बैठकों में बहुमत के फैसले लिए गए और असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो, के संबंध में बैठकों के कार्यवृत्त स्व-व्याख्यात्मक हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं / कार्रवाइयां हुईं:

1. यथा 29 अगस्त, 2024 को, बैंक ने 8.27% के कूपन पर 1 करोड़ रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के 3,000 करोड़ रुपये, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, स्थायी, अधीनस्थ, पूरी तरह से भुगतान, असुरक्षित बेसल III अनुपालक अतिरिक्त 1 बांड 2024-2025 श्रृंखला I जुटाए और आवंटित किए गए।
2. यथा 19 जुलाई 2024 को बैंक ने 7.40% की कूपन दर पर 1,00,000 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के ऋणपत्र के रूप में 10,000 करोड़ रुपये (आधार 5,000 करोड़ रुपये + ग्रीन शू विकल्प 5,000 करोड़ रुपये), गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय, असुरक्षित, पूरी तरह से चुकता दीर्घकालिक इन्फ्रा बांड जुटाए थे।
3. यथा 11 सितंबर, 2024 को, बैंक ने विनियमों (श्रेणी 1) के तहत 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, वरिष्ठ असुरक्षित फिक्स्ड

- ii. The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited Stock Exchange(s)

We report that during the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Acts, Rules, regulations, Guidelines, standards et cetera mentioned in the foregoing paragraphs.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with a proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board / Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Sub Committee of Board were reconstituted during the financial year by following necessary provisions governing the same. Majority decisions were carried through by the Board at its meetings and minutes of meetings are self-explanatory with regard to dissenting members views, if any.

We further report that, during the year under review, the Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank in pursuance of the above-mentioned laws, rules, regulations, guidelines, standards, et cetera:

1. On August 29, 2024, the Bank raised and allotted INR 3,000 Crore, Non-Convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Fully Paid Up, Unsecured Basel III Compliant Additional 1 Bonds 2024-2025 Series I of face value INR 1 Crore each at a coupon of 8.27%.
2. The Bank on July 19, 2024, had raised INR 10,000 Crore (Base INR 5,000 Crore + Green shoe option INR 5,000 Crore), Non-Convertible, Taxable, Redeemable, Unsecured, fully paid up Long-term Infra bonds as Debentures of face value of ₹1,00,000 each at coupon rate of 7.40%.
3. On September 11, 2024, the Bank raised and allotted US \$300 million, Senior Unsecured

रेट नोट्स जुटाए और आवंटित किए, पंजीकृत फॉर्म 4.896% फिक्स्ड, अर्ध-वार्षिक, 30 / 360 के कूपन दर पर।

4. यथा 18 मार्च 2025 को बैंक ने 4,000 करोड़ रुपये जुटाए और आवंटित किए (आधार: 1,000 करोड़ रुपये + ग्रीन शू: 3,000 करोड़ रुपये), असुरक्षित, अधीनस्थ, सूचीबद्ध, रेटेड, गैर-परिवर्तनीय, प्रतिदेय, पूरी तरह से भुगतान किया गया, कर योग्य, बेसल III अनुपालक टियर II बांड, ऋणपत्र के रूप में, अंकित मूल्य 1 करोड़ रुपये प्रत्येक, कूपन दर 7.46%।
5. बैंक ने 1,128 रुपये की कीमत पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआईएल) से 10,00,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो पूंजी का 2% है, इस प्रकार कुल संचयी शेयरधारिता 5.50% है।
6. बैंक ने 10 रुपये प्रति शेयर के नाममात्र मूल्य वाले अपने इक्विटी शेयरों को 2 रुपये प्रति शेयर के नाममात्र मूल्य वाले इक्विटी शेयरों में विभाजित (उप-विभाजित) किया है।
7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2025 को प्राप्त आदेश द्वारा, आरबीआई ने आरबीआई द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक पर कुल 1,63,60,000 रुपये (एक करोड़ तिरसठ लाख साठ हजार रुपये मात्र) का जुर्माना लगाया।
8. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए ऋण लिखतों (अतिरिक्त टियर I / टियर II बांड) के माध्यम से 8,500 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है।

Fixed Rate Notes under Regulations (Category 1), Registered Form at a coupon rate of 4.896% Fixed, semi-annual, 30 / 360.

4. The Bank on March 18, 2025 had raised and allotted INR 4,000 Crore (Base: INR 1,000 Crore + Green Shoe: INR 3,000 Crore), Unsecured, subordinated, Listed, Rated, Non-Convertible, Redeemable, fully paid-up, Taxable, Basel III Compliant Tier II Bonds in the nature of debentures of face value INR 1 Crore each at a coupon rate of 7.46%.
5. The Bank has purchased 10,00,000 equity shares having at a price of INR 1,128 amounting to 2% of the capital The Clearing Corporation of India ('CCIL'), amounting to cumulative shareholding of 5.50%.
6. The Bank has split (sub-divided) its equity shares of nominal value of INR 10 per share into equity shares having nominal value of INR 2 per share.
7. By an order received on January 24, 2025 by The Reserve Bank of India ('RBI') under the provisions of section 47A(1)(c) read with section 46(4)(i) and 51(1) of the Banking Regulation Act, RBI imposed an aggregate penalty of INR 1,63,60,000 (Rupees One Crore Sixty-Three Lakh Sixty Thousand only) on the Bank for non-compliance with certain guidelines issued by RBI.
8. The Bank has approved the capital raising plan of the bank for the financial year 2024-2025 amounting to INR 8,500 Crore by way of Debt Instruments (Additional Tier I / Tier II Bonds).

कृते एस केदारनाथ एंड कार्तिक
कार्तिक एस.एन.

साझेदार

एफसीएस नं.: एफ12078 | सीपी नं.: 17639

आईसीएसआई एफआरएन: P2023KR098600

आईसीएसआई पीआरएन: 5307/2023

आईसीएसआई यूडीआईएन: F012078G000224114

For S Kedarnath & Karthik
Karthik S N

Partner

FCS no.: F12078 | CP no.: 17639

ICSI FRN: P2023KR098600

ICSI PRN: 5307/2023

ICSI UDIN: F012078G000224114

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

Place : Bengaluru
Date : April 29, 2025

अनुलग्नक-ए

सेवामें,
सदस्यगण
केनरा बैंक
112, जे.सी. रोड, टाउन हॉल,
बेंगलूरु, कर्नाटक,
भारत - 560002

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय/ बैंकिंग रिकॉर्ड पर एक अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। सत्यापन, परीक्षण के आधाय पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, हमें हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है, जिसमें बैंक पर लागू माल और सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क और अन्य संबंधित अधिनियमों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और दृष्टांतों आदि के होने के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते एस केदारनाथ एंड कार्तिक

कार्तिक एस.एन.

साझेदार

एफसीएस नं.: एफ12078 | सीपी नं.: 17639

आईसीएसआई एफआरएन: P2023KR098600

आईसीएसआई पीआरएन: 5307/2023

आईसीएसआई यूडीआईएन: F012078G000224114

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

Annexure-A

To,
The Members
Canara Bank
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru, Karnataka,
India - 560002

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on a test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank including the records pertaining to Goods and Services Taxes, Income Tax, Customs and other related enactments applicable to the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, et cetera.
5. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S Kedarnath & Karthik

Karthik S N

Partner

FCS no.: F12078 | CP no.: 17639

ICSI FRN: P2023KR098600

ICSI PRN: 5307/2023

ICSI UDIN: F012078G000224114

Place : Bengaluru

Date : April 29, 2025

कारोबार उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर)

खंड-क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई/संस्था का विवरण

1	इकाई का कॉर्पोरेट पहचान नंबर (सीआईएन)	लागू नहीं
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	केनरा बैंक
3	निगमन का वर्ष	1906
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे.सी रोड बेंगलूरु - 560 002
5	कॉर्पोरेट पता	केनरा बैंक प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड बेंगलूरु - 560 002
6	ईमेल	hosecretarial@canarabank.com
7	टेलीफोन नंबर	080-22221581
8	वेबसाइट	www.canarabank.com
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	अप्रैल 2024 - मार्च 2025
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ, जहाँ शेयर सूचीबद्ध है	बीएसई लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	पैड-अप कैपिटल (चुकता पूँजी)	रु. 1814.13 करोड़
12	बीआर एस आर रिपोर्ट पर कोई भी प्रश्न पूछने की स्थिति में संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क विवरण (टेलीफोन व ईमेल पता)	श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव सचिवालय प्रभाग, 112 जे.सी. रोड, प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु - 560 002. फोन : 080 - 22100250 ईमेल पता : hosecretarial@ canarabank.com
13	रिपोर्टिंग-सीमा क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) किए गए हैं या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं को एक साथ मिलाकर, जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं)	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटन एकल आधार पर हैं। रिपोर्ट में विभिन्न बिजनेस वर्टिकल में बैंक के अखिल भारतीय परिचालन के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR)

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	NA
2	Name of the Listed Entity	Canara Bank
3	Year of Incorporation	1906
4	Registered Office Address	Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
5	Corporate Address	Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
6	E-mail	hosecretarial@canarabank.com
7	Telephone	080-22221581
8	Website	www.canarabank.com
9	Financial Year for which reporting is being done	April 2024 - March 2025
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Limited National Stock Exchange of India Limited
11	Paid-up Capital	INR 1814.13 Crores
12	Name and contact details (telephone, e-mail address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary, Secretarial Department, 112 J C Road, Head Office, Bengaluru - 560 002. Phone: 080 - 22100250 E-mail ID: hosecretarial@ canarabank.com
13	Reporting boundary Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together).	Disclosures made in this report are on a standalone basis. The Report presents information about the pan-India operations of the Bank across various business verticals.

14	आश्वासन (एन्शोरेंस) प्रदाता का नाम	मेसर्स केदारनाथ एंड कार्तिक
15	प्राप्त किया गया आश्वासन	बीआरएसआर कोर पर उचित आश्वासन, जैसा लागू है।

II. उत्पाद / सेवाएं

16. कारोबार-गतिविधियों का विवरण (जो कुल कारोबार (पण्यावर्त) का 90% हिस्सा है):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	कारोबार-गतिविधि का विवरण	इकाई के पण्यावर्त का (वित्तीय-वर्ष: 2024-25)
1	वित्तीय सेवाएं मुख्य बैंकिंग गतिविधि - जमाएं स्वीकार करना, गतिविधि - जमाएं स्वीकार करना	बचत जमा, चालू जमा, मीयादी जमा, आवर्ती जमा आदि	100%
2	बैंकिंग गतिविधि - क्रेडिट फाइनेंस (ऋण देना)	कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण व अन्य प्रकार के ऋण	

17. इकाई द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पाद / सेवाएं (जो इकाई के पण्यावर्त / टर्नओवर का 90% हिस्सा है) :

क्र. सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल पण्यावर्त / टर्नओवर का % योगदान
1	वित्तीय सेवाएं मुख्यतः बैंकिंग गतिविधि - जमाएं स्वीकार करना, गतिविधि - जमाएं स्वीकार करना	64191	100%
2	थोक बैंकिंग	-	
3	खुदरा बैंकिंग	-	
4	ग्रामीण और कृषि बैंकिंग	-	

नोट: केनरा बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूल पहलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को ऐसे वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर उनके रूपांतरण को मजबूती प्रदान करते हैं। 28 फरवरी, 2025 तक, केनरा ग्रीन डिपॉजिट तहत आउस्टैंडिंग राशि 133.27 करोड़ है।

14	Name of assurance provider	M/s. Kedarnath and Karthik
15	Type of assurance obtained	Reasonable Assurance on BRSR Core as applicable

II. Products / Services

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

Sl. No.	Description of main activity	Description of business activity	% of turnover of the entity (FY 2024-25)
1	Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit	Saving Deposit, Current Deposit, Term Deposit, Recurring Deposit etc.	100%
2	Banking Activity - Credit Finance	Agriculture Lending, MSME Lending, Retail Lending, Corporate Lending and Others	

17. Products / Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sl. No.	Product/Service	NIC Code	% of total turnover contributed
1	Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit	64191	100%
2	Wholesale Banking	-	
3	Retail Banking	-	
4	Rural and Agri Banking	-	

Note: The Green Deposit Policy Framework is implemented by Canara Bank to promote environmentally friendly initiatives. Its primary objective is to provide customers with access to financing options that support their transition to a more environmentally sustainable future. As of February 28, 2025, the outstanding balance for the Canara Green Deposit is 133.27 crore.

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और / या परिचालन / कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	शाखाओं की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	9604	238	9842
अंतर्राष्ट्रीय	4	-	4

नोट: अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में गिफ्ट सिटी, लंदन, न्यूयार्क और दुबई शामिल हैं।

19. इकाई द्वारा सेवित बाजार:

क) स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	4

*नोट: 1. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में गिफ्ट सिटी, लंदन, न्यूयार्क और दुबई शामिल हैं।

2. अनुषंगियाँ : द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (सीबीटीएल-केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड) दारेसलाम तंजानिया, जो विनिवेश की प्रक्रियाधीन है।

3. प्रतिनिधि कार्यालय – प्रतिनिधि कार्यालय – शारजहाँ, संयुक्त अरब अमीरात

ख. इकाई के कुल / टर्नओवर में निर्यात के योगदान का प्रतिशत कितना है?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी

बैंक कई तरह के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें कॉर्पोरेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वेतनभोगी और स्वरोजगार वाले व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, किसान, अनिवासी भारतीय और अन्य शामिल हैं। इसकी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, जो कृषि, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, माइक्रोक्रेडिट और समाज के कमजोर वर्गों और विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने पर केंद्रित हैं। इन गतिविधियों को सात खंडों में सुसंगठित किया गया है -

III. Operations

18. Number of locations where plants and / or operations / offices of the entity are situated:

Location	Number of branches	Number of offices	Total
National	9604	238	9842
International	4	-	4

Note: International locations include Gift City, London, New York and Dubai

19. Markets served by the entity:

a) Number of locations

Locations	Number
National (No. of States)	28 States & 8 Union Territories
International (No. of Countries)	4

*Note: 1. International locations include Gift City, London, New York and Dubai.

2. SUBSIDIARY: The United Republic of Tanzania (CBTL-Canara Bank Tanzania Limited) at Dar es Salaam, Tanzania which is under divestment process.

3. REPRESENTATIVE OFFICE: Representative office at Sharjah, United Arab Emirates.

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

NA

c. A brief on types of customers

The Bank caters to a wide range of customers, including corporates, micro, small, and medium enterprises, salaried and self-employed individuals, senior citizens, farmers, non-resident Indians, and others. Its principal business activities are aligned with national priorities, focusing on supporting agriculture, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, and lending to vulnerable sections of society and specified minority communities. These activities are organized into five segments -

1 **खुदरा-ग्राहक:** केनरा बैंक व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें बचत, चालू और सावधि जमा जैसे पारंपरिक जमा खाते शामिल हैं। बैंक, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों के माध्यम से निवेश के अवसर भी प्रदान करता है। खुदरा-ऋण उत्पाद घर खरीदने, शिक्षा वित्तपोषण और व्यक्तिगत खर्चों जैसी विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए, बैंक ग्राहकों के लिए लेनदेन दक्षता बढ़ाने के लिए फास्ट टैग और यूपीआई जैसे आधुनिक समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक, विशेष एनआरआई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जो अनिवासी भारतीयों के लिए निर्बाध वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

2 **कॉर्पोरेट ग्राहक :** बैंक, सम्मिश्र वित्तीय जरूरतों वाली बड़ी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ट्रेजरी सेवाएं, विदेशी मुद्रा, निवेश बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराता है। केनरा बैंक की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) बैंकिंग सेवा कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सहज डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करती है, जिससे सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच कुशल संचार संभव होता है और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा मिलती है।

3. **कारोबारी/बिजनेस ग्राहक-वर्ग:** छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) बैंक की व्यावसायिक बैंकिंग सेवाओं से लाभान्वित होते हैं, जिसमें क्रेडिट लाइन, पेरॉल प्रबंधन और व्यवसाय विकास और परिचालन दक्षता का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य वित्तीय समाधान शामिल हैं। प्रौद्योगिकी उन्नयन और आपूर्ति श्रृंखला वित्त प्रबंधन पर बैंक का ध्यान व्यवसाय परिचालनों को बढ़ाने में और अधिक सहायता प्रदान करता है।

4. **ग्रामीण एवं कृषक ग्राहक:** केनरा बैंक, 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई), स्टैंड-अप इंडिया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) जैसे सरकार-प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और कृषि समुदायों को सक्रिय रूप से सहायता प्रदान करता

1. **Retail Customers:** Canara Bank provides a wide range of personal banking services to individuals, including traditional deposit accounts like savings, current, and term deposits. The Bank also offers investment opportunities through mutual funds and insurance products. Retail loan products cater to various financial needs such as home buying, education financing, and personal expenses. Embracing digital innovation, the Bank offers modern solutions like FASTag and UPI, enhancing transaction efficiency for customers. Additionally, Canara Bank offers specialized NRI banking services, ensuring seamless financial management for non-resident Indians.

2. **Corporate Customers:** The Bank serves large corporations and multinational companies with complex financial needs, providing treasury services, foreign exchange, investment banking, and risk management solutions. Canara Bank's Application Programming Interface (API) Banking service offers seamless digital banking solutions for corporate clients, enabling efficient communication between software applications and facilitating secure transactions.

3. **Business Customers:** Small and medium enterprises (SMEs) benefit from the Bank's business banking services, which include credit lines, payroll management, and other financial solutions designed to support business growth and operational efficiency. The Bank's focus on technology upgradation and supply chain finance management further aids in enhancing business operations.

4. **Rural and Agricultural Customers:** Canara Bank actively supports rural and agricultural communities through government-sponsored programs like Prime Ministers Employment Generation Program (PMEGP), National Rural Livelihoods Mission (NRLM), National Urban Livelihoods Mission (NULM), Differential Rate

है। बैंक, चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है, जो बैंक की सेवाओं से वंचित व्यक्तियों को बुनियादी बचत जमा खाते, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं और विभेदक ब्याज दर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण स्वैपिंग योजना और स्वयं सहायता समूहों को सहायता करना जैसे ऋण-विकल्प प्रदान करते हैं।

5. **गैर-लाभकारी संगठन:** चैरिटी, फाउंडेशन और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को दान, अनुदान और परिचालन निधि के प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और अपने उद्देश्यों के समर्थन के लिए केनरा बैंक पर निर्भर हैं। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता विभिन्न सामुदायिक पहलों और कार्यक्रमों के लिए इसके समर्थन में परिलक्षित होती है।
6. **विदेशी ग्राहक :** बैंक, अनिवासी भारतीयों और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमा पार लेनदेनों, अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफर, मुद्रा-विनिमय और व्यापार वित्त की सुविधा प्रदान करता है। विदेशी शाखाएँ मुख्य रूप से थोक व्यापार गतिविधियों, सिंडिकेटेड टर्म लोन-प्रस्तावों, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
7. **डिजिटल बैंकिंग प्रयोक्ता :** डिजिटल रूपांतरण पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, केनरा बैंक ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे ग्राहक कहीं से भी अपने वित्त का कुशलतापूर्वक और सुरक्षित प्रबंधन कर सकते हैं। केनरा ai1 ऐप, एक व्यापक बैंकिंग-सुपर ऐप है, जो ग्राहक-सुविधा और पहुँच को बढ़ाता है, जो समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के बैंक के लक्ष्य को संबल प्रदान करता है।

वित्तीय सेवाओं की अपनी विस्तृत शृंखला और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से, केनरा बैंक अपने विविध ग्राहकों की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने, उनकी वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने और उनकी समग्र सफलता में योगदान देने के लिए समर्पित है। डिजिटल नवाचार और वित्तीय-समावेशन पर बैंक का रणनीतिक ध्यान आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।

of Interest (DRI), Stand-Up India, and Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). The Bank sponsors four Regional Rural Banks, providing basic savings deposit accounts, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana overdraft facilities, and credit options such as the Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, and Self Help Group support to unbanked rural individuals.

5. **Non-Profit Organizations:** Charities, foundations, and NGOs rely on Canara Bank for managing donations, grants, and operational funds, ensuring financial stability and support for their causes. The Bank's commitment to social responsibility is reflected in its support for various community initiatives and programs.
6. **Foreign Customers:** The Bank facilitates cross-border transactions, international wire transfers, currency exchange, and trade finance, catering to the needs of non-resident Indians and international clients. The overseas branches primarily focus on wholesale business activities, handling credit proposals for syndicated term loans, external commercial borrowings (ECBs), and trade credit.
7. **Digital Banking Users:** With a strategic focus on digital transformation, Canara Bank offers online and mobile banking services, enabling customers to manage their finances efficiently and securely from anywhere. The Canara ai1 app, a comprehensive banking super app, enhances customer convenience and accessibility, supporting the Bank's goal of fostering an inclusive digital economy.

Through its wide array of financial services and customer-centric approach, Canara Bank remains dedicated to meeting the evolving needs of its diverse clientele, ensuring their financial well-being, and contributing to their overall success. The Bank's strategic focus on digital innovation and financial inclusion underscores its role as a key player in fostering economic growth and social development.

IV. कर्मचारी :

20. यथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक का विवरण :

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग कर्मचारियों सहित) :

क्र. सं.	विवरण	कुल* (ए)	पुरुष		महिलाएं		अन्य	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (डी/ए)
कर्मचारी								
1	स्थायी (ई)	81260	55253	68.00%	26006	32.00%	1	0.001%
2	स्थायी के अलावा (एफ)	-	-	-	-	-	-	-
3	कुल कर्मचारी (ई+एफ)	81260	55253	68.00%	26006	32.00%	1	0.001%
कामगार / वर्कर्स								
4	स्थायी (जी)	लागू नहीं						
5	स्थायी के अलावा (एच)							
6	कुल कामगार (जी+एच)							

*बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत है।

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently-abled):

Employees and Workers (including differently abled):								
Sl. No.	Particulars	Total* (A)	Male		Female		Other	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)	No. (D)	% (D/A)
EMPLOYEES								
1	Permanent (E)	81260	55253	68.00%	26006	32.00%	1	0.001%
2	Other than Permanent (F)	-	-	-	-	-	-	-
3	Total employees (E + F)	81260	55253	68.00%	26006	32.00%	1	0.001%
WORKERS								
4	Permanent (G)	NA						
5	Other than Permanent (H)							
6	Total workers (G + H)							

*The Bank has one transgender employee working with us.

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिलाएं		अन्य	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (डी/ए)
दिव्यांग कर्मचारी								
1	स्थायी (ई)	2481	1915	77.19%	566	22.81%	0	0
2	स्थायी के अलावा (एफ)	-	-	-	-	-	-	-
3	कुल दिव्यांग कर्मचारी (ई+एफ)	2481	1915	77.19%	566	22.81%	0	0
दिव्यांग कामगार								
4	स्थायी (जी)	लागू नहीं						
5	स्थायी के अलावा (एच)							
6	कुल दिव्यांग कामगार (जी+एच)							

b. Differently-abled Employees and Workers:

Sl. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female		Other	
			No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)	No. (D)	% (D/A)
DIFFERENTLY-ABLED EMPLOYEES								
1	Permanent (E)	2481	1915	77.19%	566	22.81%	0	0
2	Other than Permanent (F)	-	-	-	-	-	-	-
3	Total differently-abled employees (E + F)	2481	1915	77.19%	566	22.81%	0	0
DIFFERENTLY-ABLED WORKERS								
4	Permanent (G)	NA						
5	Other than Permanent (H)							
6	Total differently-abled workers (G+H)							

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत	
		सं. (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	11	1	9.09 %
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	7	0	0

21. Participation/Inclusion/Representation of Women

	Total (A)	No. and Percentage of Females	
		No. (B)	% (B/A)
Board of Directors	11	1	9.09 %
Key Management Personnel	7	0	0

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों का टर्नओवर दर

	वित्तीय वर्ष 2024-25				वित्तीय वर्ष 2023-24				वित्तीय वर्ष 2022-23			
	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल	पुरुष	महिला	अन्य	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.68%	3.25%	0.00%	3.54%	3.73%	3.63%	0%	3.70%	4.37%	4.03%	0%	4.26%
स्थायी कामगार	लागू नहीं											

22. Turnover rate for Permanent Employees and Workers

	FY 2024-25				FY 2023-24				FY 2022-23			
	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total
Permanent Employees	3.68%	3.25%	0.00%	3.54%	3.73%	3.63%	0%	3.70%	4.37%	4.03%	0%	4.26%
Permanent Workers	NA											

V. होल्डिंग अनुषंगी और सहायक कंपनियाँ (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (ए) होल्डिंग / अनुषंगी / सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र. सं.	होल्डिंग / अनुषंगी / सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	क्या होल्डिंग / अनुषंगी / सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम है या नहीं	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ 'ए' में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	केनबैंक फेक्टर लिमिटेड	अनुषंगी	70	नहीं
2	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी	51	नहीं
3	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
4	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
5	केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी	51	नहीं
6	केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	100	नहीं
7	केनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	69.14	नहीं
8	सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	अनुषंगी	51	नहीं
9	केनफिन होम्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	29.99	नहीं
10	हायर एज्युकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	संयुक्त उद्यम	9.09	नहीं

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including Joint Ventures)

23. (a) Names of Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures

Sl. No.	Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures (A)	Indicate whether Holding / Subsidiary / Associate / Joint Venture	% of Shares held by Listed Entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1	Canbank Factors Ltd.	Subsidiary	70	No
2	Canara Robeco Asset Management Company Ltd.	Subsidiary	51	No
3	Canbank Venture Capital Fund Ltd.	Subsidiary	100	No
4	Canara Bank Securities Ltd.	Subsidiary	100	No
5	Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.	Subsidiary	51	No
6	Canbank Financial Services Ltd.	Subsidiary	100	No
7	Canbank Computer Services Ltd.	Subsidiary	69.14	No
8	CRMF Trustee Private Limited	Subsidiary	51	No
9	CanFin Homes Ltd.	Associate	29.99	No
10	Higher Education Financing Agency	Joint Venture	9.09	No

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है : (हाँ / नहीं)

कंपनी अधिनियम की धारा-135 के अनुसार केनरा बैंक पर सीएसआर लागू नहीं होता है। हालांकि, एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, केनरा बैंक ने सीएसआर के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है और समाज और पर्यावरण के उत्थान में अपना अमूल्य योगदान देता है।

(ii) टर्नओवर (रु.) : रु. 1,42,207.87 करोड़

(iii) निवल मालियत (रु.) : रु. 88,241.41 करोड़

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per Section 135 of Companies Act, 2013: (Yes / No) :

CSR is not applicable to Canara Bank as per Section 135 of Companies Act. However, as a responsible organization, Canara Bank has adopted a strategic approach towards CSR and contributes to the upliftment of the society and environment.

(ii) Turnover (in ₹) : 1,42,207.87 Cr

(iii) Net worth (in ₹) : 88,241.41 Cr

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन :

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें / नाराजगियाँ :

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	मौजूद शिकायत-निवारण प्रणाली (हाँ/नहीं) (यदि हाँ, तो शिकायत-निवारण प्रणाली का वेब लिंक उपलब्ध कराएं)	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय-वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय-वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्षांत में हल हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्षांत में हल हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	हाँ, https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/	-	-	-	-	-	-
निवेशकों से (शेयरधारकों के अतिरिक्त)	नहीं	-	-	-	-	-	-
शेयरधारक	हाँ, https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/	-	-	-	377	0	-
कर्मचारियों और कामगार से	हाँ (इंट्रानेट)	357	9	-	231	0	-
ग्राहकों से	हाँ https://www.canarabank.com/pages/complaints	397084	2332	शिकायतें 'समाधान पोर्टल' के माध्यम से प्राप्त हुई	524588	2343	शिकायतें 'समाधान पोर्टल' के माध्यम से प्राप्त हुई

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints / Grievances on any of the Principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance-Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/	-	-	-	-	-	-
Investors (other than shareholders)	No	-	-	-	-	-	-
Shareholders	Yes, https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/	-	-	-	377	0	-
Employees and workers	Yes (Intranet)	357	9	-	231	0	-
Customers	Yes, https://www.canarabank.com/pages/complaints	397084	2332	Complaints received through Samadhan Portal	524588	2343	Complaints received through Samadhan Portal

26. इकाई के महत्वपूर्ण 'जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण' संबंधी मुद्दों का अवलोकन

कृपया, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता संबंधी मुद्दों को इंगित करें, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें चिह्नित करने का औचित्य, जोखिम को कम करने या अनुकूलित करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ भी बताएं।

क्र. सं.	चिह्नित महत्वपूर्ण मुद्दा	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जोखिम / अवसर)	जोखिम / अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन संबंधी दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	कार्बन उत्सर्जन और संसाधन दक्षता	जोखिम	कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संसाधन दक्षता में सुधार लाने के लिए बढ़ते विनियामक और सामाजिक दबाव के कारण इसकी पहचान की गई है।	ऊर्जा-बचत उपायों को लागू करना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, तथा कार्बन पदचिह्नों / फुटप्रिंट्स का आकलन करना।	सकारात्मक: ऊर्जा दक्षता से लागत बचत; नकारात्मक: गैर-अनुपालन के लिए संभावित विनियामक जुर्माना।
2	जलवायु जोखिम	जोखिम	जलवायु परिवर्तन के कारण बैंक के ऋण पोर्टफोलियो और परिचालन पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के कारण इसे एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में मान्यता दी गई है।	जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचा विकसित करना, तनाव परीक्षण करना, तथा जलवायु संबंधी विचारों को जोखिम प्रबंधन में एकीकृत करना।	नकारात्मक: जलवायु-संबंधी घटनाओं से संभावित नुकसान; सकारात्मक: हरित वित्तपोषण में अवसर।
3	वित्तीय समावेशन (ऋण देने का सामाजिक प्रभाव)	अवसर	इसे बाजार पहुंच का विस्तार करने तथा वंचित समुदायों में आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचाना गया।	अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं विकसित करना, डिजिटल बैंकिंग पहुंच बढ़ाना और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित करना।	सकारात्मक: नए बाजारों से ग्राहक आधार और राजस्व में वृद्धि।
4	सीएसआर और सामुदायिक विकास	अवसर	बैंक की प्रतिष्ठा बढ़ाने और सामाजिक कल्याण में योगदान देने की इसकी क्षमता के लिए इसे मान्यता दी गई।	गैर सरकारी संगठनों और सरकारी कार्यक्रमों के साथ साझेदारी करें, सामुदायिक विकास परियोजनाएं संचालित करें और सीएसआर प्रभावों की निगरानी करें।	सकारात्मक: ब्रांड प्रतिष्ठा और सामुदायिक संबंध मजबूत हुए।
5	कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास	अवसर	कुशल कार्यबल को बनाए रखने तथा कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण को बढ़ाने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है।	व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करें, निरंतर सीखने को बढ़ावा दें और कर्मचारियों की उपलब्धियों को मान्यता दें।	सकारात्मक: कर्मचारी प्रदर्शन में सुधार और टर्नओवर लागत में कमी।

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues.

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format.

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the Risk / Opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the Risk or Opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Carbon Emission & Resource Efficiency	Risk	Identified due to the increasing regulatory and societal pressure to reduce carbon footprints and improve resource efficiency.	Implement energy-saving measures, increase use of renewable energy, and conduct carbon footprint assessments.	Positive: Cost savings from energy efficiency; Negative: Potential regulatory fines for non-compliance.
2	Climate Risk	Risk	Recognized as a significant challenge due to potential impacts on the Bank's lending portfolio and operations from climate change.	Develop a Climate Risk Management Framework, conduct stress tests, and integrate climate considerations into risk management.	Negative: Potential losses from climate-related events; Positive: Opportunities in green financing.
3	Financial Inclusion (Social Impact in Lending)	Opportunity	Identified as a key opportunity to expand market reach and support economic growth in underserved communities.	Develop tailored financial products and services, enhance digital banking access, and conduct financial literacy programs.	Positive: Increased customer base and revenue from new markets.
4	CSR & Community Development	Opportunity	Recognized for its potential to enhance the Bank's reputation and contribute to societal well-being.	Partner with NGOs and Government programs, conduct community development projects, and monitor CSR impacts.	Positive: Strengthened brand reputation and community relations.
5	Employee Training and Development	Opportunity	Identified as crucial for maintaining a skilled workforce and enhancing employee satisfaction and retention.	Implement comprehensive training programs, promote continuous learning, and recognize employee achievements.	Positive: Improved employee performance and reduced turnover costs.

6	प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण	जोखिम और अवसर	प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और संगठनात्मक विकास को बनाए रखने के लिए इसे आवश्यक माना गया है।	प्रतिस्पर्धी मुआवजा पैकेज विकसित करना, विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना, तथा कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ाना।	सकारात्मक: संगठनात्मक प्रदर्शन में वृद्धि; नकारात्मक: उच्च टर्नओवर से जुड़ी लागतें।
7	विविधता, समावेशन और समानता	अवसर	नवाचार और कर्मचारी सहभागिता के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में पहचाना गया।	विविधता कार्यक्रमों को लागू करना, समान अवसर नीतियों को सुनिश्चित करना, तथा समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देना।	सकारात्मक: नवाचार और कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि।
8	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं कल्याण	जोखिम और अवसर	कर्मचारी उत्पादकता और संगठनात्मक लचीलेपन पर इसके प्रभाव के लिए मान्यता प्राप्त।	स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, कल्याण कार्यक्रम संचालित करें, और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा दें।	सकारात्मक: अनुपस्थिति में कमी और उत्पादकता में वृद्धि; नकारात्मक: स्वास्थ्य कार्यक्रमों की लागत में कमी।
9	ग्राहक संबंध और संतुष्टि	अवसर	ग्राहक प्रतिधारण और व्यवसाय वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया।	ग्राहक सेवा को बेहतर बनाएं, फीडबैक एकत्र करें, तथा उत्पादों और सेवाओं में निरंतर सुधार करें।	सकारात्मक: ग्राहक निष्ठा और राजस्व में वृद्धि।
10	विनियामक अनुपालन	जोखिम	कानूनी दंड से बचने और परिचालन अखंडता बनाए रखने के लिए इसे आवश्यक माना गया है।	मजबूत अनुपालन ढांचे को लागू करना, नियमित ऑडिट करना, तथा विनियमों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।	नकारात्मक: गैर-अनुपालन के लिए संभावित जुर्माना; सकारात्मक: कानूनी मुद्दों से बचाव।
11	कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यावसायिक नैतिकता	जोखिम और अवसर	हितधारकों के विश्वास और संगठनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया।	स्पष्ट शासन संरचनाएं स्थापित करें, नैतिक आचरण को बढ़ावा दें, और परिचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।	सकारात्मक: हितधारकों का विश्वास बढ़ा और नैतिक उल्लंघन का जोखिम कम हुआ।
12	जोखिम प्रबंधन	जोखिम	बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसे आवश्यक माना गया।	व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे का विकास करना, नियमित जोखिम आकलन करना तथा शमन रणनीतियों का क्रियान्वयन करना।	नकारात्मक: अप्रबंधित जोखिमों से संभावित हानि; सकारात्मक: बेहतर जोखिम लचीलापन।

6	Talent Attraction and Retention	Risk & Opportunity	Recognized as essential for maintaining competitive advantage and organizational growth.	Develop competitive compensation packages, promote diversity and inclusion, and enhance workplace culture.	Positive: Enhanced organizational performance; Negative: Costs associated with high turnover.
7	Diversity, Inclusion, and Equity	Opportunity	Identified as a key driver for innovation and employee engagement.	Implement diversity programs, ensure equal opportunity policies, and promote an inclusive workplace culture.	Positive: Increased innovation and employee satisfaction.
8	Employee Health and Well-being	Risk & Opportunity	Recognized for its impact on employee productivity and organizational resilience.	Provide health benefits, conduct wellness programs, and promote work-life balance.	Positive: Reduced absenteeism and increased productivity; Negative: Costs of health programs.
9	Customer Relationship and Satisfaction	Opportunity	Identified as critical for customer retention and business growth.	Enhance customer service, gather feedback, and continuously improve products and services.	Positive: Increased customer loyalty and revenue.
10	Regulatory Compliance	Risk	Recognized as essential for avoiding legal penalties and maintaining operational integrity.	Implement robust compliance frameworks, conduct regular audits, and ensure staff training on regulations.	Negative: Potential fines for non-compliance; Positive: Avoidance of legal issues.
11	Corporate Governance and Business Ethics	Risk & Opportunity	Identified as crucial for maintaining stakeholder trust and organizational integrity.	Establish clear governance structures, promote ethical conduct, and ensure transparency in operations.	Positive: Enhanced stakeholder trust and reduced risk of ethical breaches.
12	Risk Management	Risk	Recognized as essential for safeguarding the Bank's assets and ensuring business continuity.	Develop comprehensive risk management frameworks, conduct regular risk assessments, and implement mitigation strategies.	Negative: Potential losses from unmanaged risks; Positive: Improved risk resilience.

13	पारदर्शिता और प्रकटीकरण	अवसर	हितधारकों का विश्वास बनाने और विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया।	समय पर और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें, संचार चैनलों को बढ़ाएं और हितधारकों के साथ खुली बातचीत को बढ़ावा दें।	सकारात्मक: हितधारक संबंध और अनुपालन मजबूत हुआ।
14	सतत आपूर्ति शृंखला	अवसर	परिचालन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की इसकी क्षमता के लिए इसे मान्यता दी गई है।	टिकाऊ खरीद प्रथाओं को लागू करना, स्थिरता पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ना, और आपूर्ति शृंखला प्रभावों की निगरानी करना।	सकारात्मक: लागत बचत और आपूर्ति शृंखला लचीलापन में सुधारा।
15	सूचना, डाटा, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	जोखिम	ग्राहक डेटा की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया।	मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करें, नियमित ऑडिट करें और डेटा सुरक्षा पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।	नकारात्मक: संभावित डेटा उल्लंघन लागत; सकारात्मक: ग्राहक विश्वास में वृद्धि।
16	डिजिटल नवोन्मेषिता / रूपांतरण	अवसर	व्यवसाय विकास और ग्राहक जुड़ाव के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में मान्यता प्राप्त।	डिजिटल प्रौद्योगिकियों में निवेश करें, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाएं और नवाचार को बढ़ावा दें।	सकारात्मक: बाजार हिस्सेदारी और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि।
17	उत्तरदायी वित्तीय साधन	अवसर	ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और टिकाऊ वित्त को बढ़ावा देने के लिए इसे आवश्यक माना गया।	हरित वित्तीय उत्पादों का विकास और प्रस्ताव करना, जिम्मेदार वित्त पर हितधारकों के साथ जुड़ना, तथा उत्पाद प्रभावों की निगरानी करना।	सकारात्मक: टिकाऊ वित्त उत्पादों से राजस्व में वृद्धि।

13	Transparency and Disclosures	Opportunity	Identified as key for building stakeholder trust and meeting regulatory requirements.	Ensure timely and accurate reporting, enhance communication channels, and promote open dialogue with stakeholders.	Positive: Strengthened stakeholder relations and compliance.
14	Sustainable Supply Chain	Opportunity	Recognized for its potential to enhance operational efficiency and reduce environmental impact.	Implement sustainable procurement practices, engage with suppliers on sustainability, and monitor supply chain impacts.	Positive: Cost savings and improved supply chain resilience.
15	Information, Data Privacy, and Cyber Security	Risk	Identified as critical for protecting customer data and maintaining trust.	Implement robust cybersecurity measures, conduct regular audits, and ensure staff training on data protection.	Positive: Enhanced customer trust; Negative: Potential data breach costs.
16	Digital Innovation/ Transformation	Opportunity	Recognized as a key driver for business growth and customer engagement.	Invest in digital technologies, enhance digital banking services, and promote innovation.	Positive: Increased market share and customer satisfaction.
17	Responsible Financial Instruments	Opportunity	Identified as essential for meeting customer needs and promoting sustainable finance.	Develop and offer green financial products, engage with stakeholders on responsible finance, and monitor product impacts.	Positive: Increased revenue from sustainable finance products.

खण्ड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खण्ड का उद्देश्य एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में व्यवसाय संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

क्र. सं.	सिद्धांत
पी1	व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और अभिशासन करना चाहिए।
पी2	व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो ।
पी3	व्यवसायों को अपनी मूल्य-शृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित, सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए तथा उसे बढ़ावा देना चाहिए।
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।
पी5	व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए।
पी7	व्यवसायों को, सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए।
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समतामूलक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

SECTION B : MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

Sl. No.	Principle Description
P1	Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.
P2	Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe
P3	Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders
P5	Businesses should respect and promote human rights
P6	Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment
P7	Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent
P8	Businesses should promote inclusive growth and equitable development
P9	Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

प्रकटीकरण प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति एवं प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. क. क्या आपकी संस्था/इकाई की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हाँ								
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हों।	सिद्धांत 1: शिकायत निवारण नीति1, आचार संहिता (सीओसी): कोर प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए2 सिद्धांत 2: सिद्धांत 3: शिकायत निवारण नीति1, सीओसी: कोर प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए2 सिद्धांत 4: शिकायत निवारण नीति1 सिद्धांत 5: सीओसी: कोर प्रबंधन के सभी सदस्यों के लिए2 सिद्धांत 6: ईएसजी नीति3, ग्रीन डिपॉजिट नीति और लेंडिंग फ्रेमवर्क4 सिद्धांत 7: कॉर्पोरेट अभिशासन नीति5, प्रकटीकरण नीति6, सीओसी: इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए7 सिद्धांत 8: सतत विकास और सीएसआर नीति8, ईएसजी नीति3, ग्रीन डिपॉजिट नीति और ऋण रूपरेखा 4 सिद्धांत 9: शिकायत निवारण नीति1, साइबर सुरक्षा नीति9 (आंतरिक नीति) https://canarabank.com/pages/Policies								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला साझेदारों तक विस्तारित की गई है? (हां/नहीं)	नहीं								
4. प्रत्येक सिद्धांत से मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) का नाम।									
सिद्धांत 1	-								
सिद्धांत 2	-								
सिद्धांत 3	-								
सिद्धांत 4	-								
सिद्धांत 5	-								
सिद्धांत 6	-								
सिद्धांत 7	-								
सिद्धांत 8	-								

Disclosure Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7*	P 8	P 9
Policy and management processes									
1. a. Whether your entity’s policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Yes								
c. Web Link of the Policies, if available	Principle 1: Grievance Redressal Policy ¹ , Code Of Conduct (COC): for all members of core management ² Principle 2: Principle 3: Grievance Redressal Policy ¹ , COC: for all members of core management ² Principle 4: Grievance Redressal Policy ¹ Principle 5: COC: For all members of core management ² Principle 6: ESG Policy ³ , Green Deposit Policy and Lending Framework ⁴ Principle 7: Corporate Governance Policy ⁵ , Disclosure Policy ⁶ , COC: for Prohibition of Insider Trading ⁷ Principle 8: Sustainable Development & CSR Policy ⁸ , ESG Policy ³ , Green Deposit Policy and Lending Framework ⁴ Principle 9: Grievance Redressal Policy ¹ , Cyber Security Policy ⁹ (Internal Policy) https://canarabank.com/pages/Policies								
2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes / No)	No								
4. Name of the national and international codes / certifications / labels / standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) mapped to each principle.									
Principle 1	-								
Principle 2	-								
Principle 3	-								
Principle 4	-								
Principle 5	-								
Principle 6	-								
Principle 7	-								
Principle 8	-								

सिद्धांत 9	बैंक को, डेटा सेंटर, नियर डेटा सेंटर, आपदा रिकवरी सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए ISO: 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है। संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और इसे ISO 27001: 2013 मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाया गया है। बैंक ने बेंगलूरु में डेटा सेंटर, मुंबई में आपदा रिकवरी सेंटर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर/सेवाओं को कवर करते हुए नवीनतम आईएसओ: 27001:2022 प्रमाणन ऑडिट पूरा कर लिया है।
5. इकाई द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने हेतु निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और टारगेट, यदि कोई हो।	
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट के संबंध में इकाई का कार्यनिष्पादन तथा इनके पूरा न होने की स्थिति में, कारण।	
अभिशंसासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7. व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है) केनरा बैंक ने अपने परिचालन में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशंसासन (ईएसजी) सिद्धांतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सततता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता अनुपालन से परे है, जो आर्थिक संवृद्धि, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण देखभाल को बढ़ावा देने के अपने मिशन का एक मुख्य हिस्सा एक मजबूत ईएसजी ढांचा सतत विकास के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख वैश्विक चुनौती के रूप में पहचानते हुए, बैंक ने अपने परिचालन को हरित भविष्य की ओर ले जाने के लिए विभिन्न पहलुओं को लागू किया है। सामाजिक कल्याण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता व्यापक सीएसआर गतिविधियों और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से स्पष्ट है, जो वंचित समुदायों का आर्थिक संबल प्रदान करते हैं। बैंक का लक्ष्य, अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से अपने कार्बन पदचिह्न को और कम करना है। 'ग्रीन व्हील्स लोन पहल' इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बैंक, सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को उन्नत करने हेतु प्रतिबद्ध है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जल-दक्षता सिंचाई प्रणालियों और वर्षा जल संचयन पहलों के वित्तपोषण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो पर्यावरण-जिम्मेदारियों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 7,000 से अधिक 'हाइब्रिड कियोस्क मॉडलों' की शुरुआत ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई है, समाज को सशक्त बनाया है और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। 'ग्रीन व्हील्स लोन' ने खुदरा उधारकर्ताओं में 111% की वृद्धि देखी है, जो टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में सफलता को दर्शाता है। बैंक ने हितधारकों का विश्वास बनाए रखते हुए, नैतिक आचरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अपने गवर्नेंस/ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया है। उच्चतम नैतिक मानकों को बनाये रखना, ईमानदारी, कॉर्पोरेट अभिशंसासन और विनियामक अनुपालन, बैंक की कॉर्पोरेट अभिशंसासन नीति के आधारभूत तत्व हैं। बैंक सक्रिय रूप से सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देता है और अपने मानकों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। ईएसजी के महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने ईएसजी-संबंधित अनुपालन उपायों को शुरू किया है, और उदम्र प्रथाओं के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए एक ईएसजी समिति और कार्यबल-समूह की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, एक बोर्ड-स्तरीय उप-समिति इन प्रयासों की निगरानी करती है। बैंक ने एक बोर्ड-अनुमोदित ईएसजी नीति विकसित की है, जिसे 'सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क' नाम से जाना जाता है, साथ ही यह एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी करता है। जैसे-जैसे बैंक आगे बढ़ेगा, यह ईएसजी सिद्धांतों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध बनेगा। नवाचार और सहयोग की परम्परा को बनाये रखते हुए, केनरा बैंक को एक ऐसे भविष्य को आकार देने का भरोसा है, जो सभी के लिए सतत, समावेशी और समृद्ध हो। ये सभी पहलें और इसके संस्थापक सिद्धांतों का संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप संरेखण, बैंक की प्रतिबद्धता को सारांशित करते हैं।	
8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	श्री के. सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Principle 9	Bank has been certified with ISO: 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery center and Department of Information Technology Wing / Technology Operations Wings. The Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001: 2013 standard. The Bank has conducted and completed latest ISO: 27001:2022 certification audit covering Data Centre in Bengaluru, Disaster Recovery center in Mumbai and Cloud Infrastructure/Services.
5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.	-
6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along with reasons in case the same are not met.	-
Governance, leadership and oversight	
7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure) Canara Bank has made significant progress in integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into its operations. The Bank's commitment to sustainability extends beyond compliance, forming a core part of its mission to promote economic growth, social well-being, and environmental care. A robust ESG framework underscores the Bank's dedication to sustainable development. Recognizing climate change as a major global challenge, the Bank has implemented various initiatives to guide its operations towards a greener future. Its commitment to societal welfare is evident through extensive CSR activities and rural training centers, which support underprivileged communities. The Bank aims to further reduce its carbon footprint through investments in renewable energy and eco-friendly projects. Expanding the Green Wheels Loans initiative is crucial for supporting the transition to electric vehicles, promoting cleaner transportation. Additionally, the Bank seeks to enhance its digital infrastructure to make services more accessible, promoting financial literacy and socio-economic development. Significant progress has been made in financing renewable energy projects, water-efficient irrigation systems, and rainwater harvesting initiatives, demonstrating the Bank's commitment to environmental responsibility. The introduction of over 7,000 hybrid kiosk models has increased access to financial services, empowering communities and fostering inclusive growth. The Green Wheels Loans have seen a 111% increase in retail borrowers, reflecting success in promoting sustainable practices. The Bank has strengthened its governance frameworks to ensure ethical conduct and transparency, maintaining stakeholder trust. Maintaining the highest ethical standards, integrity, corporate governance, and regulatory compliance is fundamental to the Bank's corporate governance policy. The Bank actively promotes good governance practices and continually strives to elevate its standards. Recognizing the importance, ESG-related compliance measures have been launched, and an ESG Committee and Working Group have been established to oversee the implementation of ESG practices. Additionally, a Board-level Sub-committee supervises these efforts. The Bank has developed a Board-approved ESG Policy, known as the Sustainability Framework, along with a Sustainability Report As the Bank moves forward, it remains committed to ESG principles. By continuing to innovate and collaborate, Canara Bank is confident in shaping a future that is sustainable, inclusive, and prosperous for all. These initiatives summarize the Bank's commitment, and alignment with its Founding Principles and in accordance with the United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs).	
8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy/policies	Shri K. Satyanarayana Raju, MD & CEO

9. क्या संस्था के पास सततता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।

सततता से संबंधित सभी मुद्दे सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी उप-समिति (एससी-एसडीसीएसआर) द्वारा प्रशासित होते हैं।

1. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/GRIEVANCE%20REDRESSAL%20POLICY%202025-26.pdf>
2. <https://www.canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel>
3. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Environmental%20Social%20and%20Governance%20Policy%202025-26.pdf>
4. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Green%20Deposit%20Policy%20and%20Lending%20Framework%202025-26.pdf>
5. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CG-Policy-2025-26.pdf>
6. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Disclosure%20Policy%202025-26.pdf>
7. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Sustainable%20Development%20and%20Corporate%20Social%20Responsibility.pdf>

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.

All the sustainability related issues are governed by the Sub-committee Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC-SDCSR).

1. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/GRIEVANCE%20REDRESSAL%20POLICY%202025-26.pdf>
2. <https://www.canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel>
3. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Environmental%20Social%20and%20Governance%20Policy%202025-26.pdf>
4. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Green%20Deposit%20Policy%20and%20Lending%20Framework%202025-26.pdf>
5. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CG-Policy-2025-26.pdf>
6. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Disclosure%20Policy%202025-26.pdf>
7. <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Sustainable%20Development%20and%20Corporate%20Social%20Responsibility.pdf>

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	इंगित करें कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी।									आवृत्ति / समयावधि (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई																		
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार																		
11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किसी बाहरी एजेंसी से करवाया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।																		

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board / Any other Committee									Frequency (Annually / Half-Yearly / Quarterly / Any other – please specify)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Performance against above policies and follow-up action																		
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances																		
11. Has the entity carried out independent assessment/evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency.																		

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात् सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं जाएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था, सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/ नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था, उस स्तर पर नहीं है, जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो। (हां/ नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/या मानवीय एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं? (हां/ नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है। (हां/ नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य कारण (कृपया विवरण दें)	-								

12. If answer to question (1) above is “No” i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/ No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
The entity does not have the financial or / human and technical resources available for the task (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Any other reason (please specify)	-								

खण्ड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ, संस्थाओं के सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को एकीकृत करने में उनके कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को “आवश्यक” और नेतृत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक इकाई से “आवश्यक संकेतकों” को प्रकट करना अपेक्षित है, जबकि “नेतृत्व संकेतकों” उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं, जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी चाह में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखती हैं।

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as “Essential” and “Leadership”. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally, and ethically responsible.

सिद्धांत 1:

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और परिचालन करना चाहिए

आवश्यक संकेतक			
1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:			
श्रेणी	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का%
निदेशक-मंडल	8	- वर्षिष्ठ बैंकों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम - परिचालन जोखिम प्रबंधन - बैंकिंग में जलवायु परिवर्तन - नेतृत्व विकास - जलवायु परिवर्तन जोखिम और सततता - निदेशक विकास कार्यक्रम - केवाईसी और एएमएल - अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन	69.00%

Principle 1:

Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators			
1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year:			
Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics / principles covered under the training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	8	- Advanced Management Programme for Senior Bankers - Operational Risk Management - Climate Change in Banking - Leadership Development - Climate Change Risk & Sustainability - Directors' Development Program - KYC & AML - International Banking Operations	69.00%

मुख्य प्रबंधन कार्मिक	8	1. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन 2. केवाईसी और एएमएल 3. निदेशक विकास कार्यक्रम 4. नेतृत्व विकास 5. सीएफओ के लिए कार्यक्रम 6. परिचालन जोखिम प्रबंधन 7. प्रबंधन विकास कार्यक्रम	86.00%
निदेशक-मंडल और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अतिरिक्त कर्मचारी	187	1. नैतिकता 2. ईमानदारी 3. सुशासन 4. निवारक सतर्कता 5. सार्वजनिक खरीद 6. हमारे बैंक के विभिन्न उत्पादों पर कार्यक्रम 7. डिजिटल जागरूकता 8. उत्पाद जागरूकता 9. नेतृत्व विकास 10. अभिप्रेरणा कार्यक्रम 11. पहली बार यूनिट हेड प्रशिक्षण 12. यौन उत्पीड़न की रोकथाम 13. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम 14. कार्य जीवन संतुलन 15. तनाव प्रबंधन 16. आईटी और साइबर सुरक्षा 17. ग्रीन फाइनेंसिंग 18. जलवायु स्मार्ट कृषि 19. ईएसजी फाइनेंसिंग 20. ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण 21. अनुपालन प्रशिक्षण 22. केवाईसी/एएमएल 23. वित्तीय समावेशन पर कार्यक्रम 24. एसएचजी/जेएलजी वित्तपोषण 25. सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ 26. ग्राहक सेवा पर कार्यक्रम	79.64%
कामगार	लागू नहीं		

Key Managerial Personnel	8	1. International Banking Operations 2. KYC & AML 3. Directors' Development Program 4. Leadership Development 5. Program for CFOs 6. Operational Risk Management 7. Management Development Programme	86.00%
Employees other than BoD and KMPs	187	1. Ethics 2. Integrity 3. Good Governance 4. Preventive Vigilance 5. Public Procurement 6. Programmes on Various Products of our Bank 7. Digital Awareness 8. Product Awareness 9. Leadership Development 10. Induction programmes 11. 1st Time Unit Head Training 12. Prevention of Sexual Harassment 13. Programmes for Persons With Disabilities 14. Work-Life Balance 15. Stress Management 16. IT & Cyber Security 17. Green Financing 18. Climate Smart Agriculture 19. ESG Financing 20. Energy Efficiency Financing 21. Compliance Trainings 22. KYC/AML 23. Programmes on Financial Inclusion 24. SHG/JLG Financing 25. Social Security Schemes 26. Programmes on Customer Service	79.64%
Workers	NA		

*नोट: विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण के चुनिंदा विषय नीचे दिए गए हैं।

- **सिद्धांत 1:** निदेशक विकास कार्यक्रम, वरिष्ठ बैंकरो के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम, उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, मुख्य वित्तीय अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, नैतिकता, व्यवसाय आचरण, ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण, केवाईसी, एएमएल और सीएफटी
- **सिद्धांत 2:** जिम्मेदार बैंकिंग पर बैंकिंग सम्मेलन – बैंकिंग में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन फाइनेंसिंग और ईएसजी फाइनेंसिंग
- **सिद्धांत 3:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम
- **सिद्धांत 4:** ग्राहक सेवा और शिकायत-निवारण
- **सिद्धांत 5:** तनाव प्रबंधन और कार्य-जीवन संतुलन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, श्रम-कानून और मानव संसाधन अनुपालना
- **सिद्धांत 6:** जिम्मेदार बैंकिंग पर बैंकिंग सम्मेलन – बैंकिंग में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन फाइनेंसिंग और ईएसजी फाइनेंसिंग
- **सिद्धांत 8:** ग्रीन फाइनेंसिंग और ईएसजी फाइनेंसिंग
- **सिद्धांत 9:** आईटी और साइबर सुरक्षा, केवाईसी, एएमएल और सीएफटी

*Note: Select topics of trainings covered under the various principles are provided below:

- **Principle 1:** Directors Development Program, Advanced Management Program for Senior Bankers, Advanced Leadership Program, Program for Chief Financial Officers, Management Development Program, Ethics, Business Conduct, Customer Service & Grievance Redressal, KYC, AML & CFT
- **Principle 2:** Banking Conference on Responsible Banking - Climate Change in Banking, Green Financing and ESG Financing
- **Principle 3:** Prevention of Sexual Harassment at Workplace
- **Principle 4:** Customer Service & Grievance Redressal
- **Principle 5:** Stress Management & Work-Life Balance, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, Labour Laws & HR Compliance
- **Principle 6:** Banking Conference on Responsible Banking - Climate Change in Banking, Green Financing and ESG Financing
- **Principle 8:** Green Financing and ESG Financing
- **Principle 9:** IT & Cyber Security, KYC, AML & CFT

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही में (इकाई द्वारा या निदेशकों / केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्माने / दंड / अवार्ड / कंपाउंडिंग-शुल्क/निपटान राशि का विवरण (नोट: इकाई / संस्था, सेबी के (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियमन, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई / संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार, भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (रुपयों में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/ नहीं)
दण्ड / जुर्माना	—	भारतीय रिज़र्व बैंक	1,63,60,000	आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के प्रावधानों का पालन न करने पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है।	—
निपटान – समझौता	—	—	—	—	—
कंपाउंडिंग – शुल्क	—	—	—	—	—
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (रुपयों में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	
जेल की सजा / कैद	—	—	—	—	—
दण्ड	—	—	—	—	—

2. Details of fines / penalties / punishment / award / compounding fees / settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies / judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory / Enforcement agencies / judicial institutions	Amount (in INR)	Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes / No)
Penalty / Fine	-	Reserve Bank of India	1,63,60,000	Penalty has been levied by RBI for non-compliance with the provisions of direction issued by RBI	-
Settlement	-	-	-	-	-
Compounding fee	-	-	-	-	-
Non-Monetary					
	NGRBC Principle	Name of the regulatory / Enforcement agencies / judicial institutions		Brief of the Case	Has an appeal been preferred? (Yes / No)
Imprisonment	-	-		-	-
Punishment	-	-		-	-

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में उजागर किए गए मामलों में से, उन मामलों में जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है, अपील / संशोधन का विवरण :

मामला का ब्यौरा	नियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं का नाम
-	-

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार-विरोधी या रिश्त-विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, केनरा बैंक की **व्हिसलर-ब्लोअर नीति** के तहत भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्त विरोधी नीति है। यह नीति बैंक के भीतर नैतिक आचरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कर्मचारियों और हितधारकों को किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने का एक सुरक्षित और गोपनीय तरीका प्रदान करती है।

नीति में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे मुद्दों की रिपोर्ट कैसे की जाए और यह सुनिश्चित किया गया है कि रिपोर्ट को जल्दी और गोपनीय तरीके से हैंडल किया जाए। यह रिपोर्ट करने वालों को किसी भी प्रतिशोध से भी बचाती है और उन्हें बिना किसी डर के बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्य नैतिकता अधिकारी के नेतृत्व में बैंक का 'नैतिकता और व्यावसायिक आचरण प्रकोष्ठ' इस नीति का प्रबंधन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मामले की

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal / Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

Case Details	Name of the regulatory / enforcement agencies / judicial institutions
-	-

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

Yes, Canara Bank has an anti-corruption and anti-bribery policy as part of its **Whistle-Blower Policy**. This policy is crucial for ensuring ethical conduct and transparency within the Bank. It provides a secure and confidential way for employees and stakeholders to report any suspected fraud or unethical behavior.

The policy clearly explains how to report such issues and ensures that reports are handled quickly and confidentially. It also protects those who report from any retaliation, encouraging them to speak up without fear. The Bank's Ethics & Business Conduct Cell, led by a Chief Ethics Officer, manages this policy, ensuring thorough investigations and appropriate actions are taken. The policy is regularly updated

पूरी जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग में सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखने के लिए इस नीति को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है, जो नैतिक अभीशासन के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस नीति को लागू करने का उद्देश्य परिचालन क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता हासिल करना, बैंक के हितों की रक्षा करना और वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना है।

<https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY%202025-26.pdf>

5. निदेशकों / केएमपी / कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्तखोरी / भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय-वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय-वर्ष
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	15	12
कामगार	शून्य	शून्य

to keep up with best practices in risk management and reporting, demonstrating the Bank's commitment to ethical governance. The objective of having the policy in place is to achieve greater transparency in the operational area, protect the interest of the bank and adhere to the statutory and regulatory requirements.

<https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/WHISTLE%20BLOWER%20POLICY%202025-26.pdf>

5. Number of Directors / KMPs / employees / workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery / corruption.

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Directors	NIL	NIL
KMPs	NIL	NIL
Employees	15	12
Workers	NIL	NIL

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण :

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय-वर्ष		वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय-वर्ष	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

	FY 2024-25 Current Financial Year		FY 2023-24 Previous Financial Year	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना / दंड / नियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक ने एक मजबूत सतर्कता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, जिसकी निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है। यह प्रणाली बैंक के भीतर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और हितों के टकराव की घटनाओं को सक्रिय रूप से संबंधित करने और रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। बैंक ने अपने परिचालन में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है।

कर्मचारियों को नैतिक प्रथाओं और अनुपालन के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें शामिल करने के लिए केनरा बैंक ने सेमिनार और कार्यशालाओं सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया है। ये पहल जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए बैंक के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं कि भ्रष्टाचार और हितों के टकराव से संबंधित किसी भी नियामक जुर्माना, दंड या कार्रवाई के जवाब में सुधारात्मक कार्रवाई तुरंत की जाए।

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties / action taken by regulators / law enforcement agencies / judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Canara Bank has established a robust vigilance management system, which is supervised by the Chief Vigilance Officer (CVO). This system is designed to proactively address and prevent instances of fraud, corruption, and conflicts of interest within the bank. The bank has implemented various policies and procedures aimed at maintaining transparency and integrity in its operations.

Canara Bank organized a series of activities, including seminars and workshops, to educate and engage employees on the importance of ethical practices and compliance. These initiatives are part of the bank's ongoing efforts to foster a culture of accountability and to ensure that corrective actions are taken promptly in response to any regulatory fines, penalties, or actions related to corruption and conflicts of interest.

8. निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों (अकाउंट्स पेयेबल) के दिनों की संख्या ((अकाउंट्स पेयेबल *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) का विवरण दें :

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या	लागू नहीं	

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods / services procured) in the following format:

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Number of days of accounts payables	NA	

9. व्यापार में खुलापन

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का ब्यौरा, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं :

	मेट्रिक्स	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खरीद का संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ से खरीदारी की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. व्यापारिक घरानों से की गई कुल खरीदारी के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से की गई खरीदारी	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों / वितरकों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. डीलरों / वितरकों की संख्या, जिन्हें बिक्री की गई	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलरों / वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में, शीर्ष 10 डीलरों / वितरकों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी में शेयर	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद / कुल खरीद)	0.67%	0.70%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	0.48%	0.39%
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	0.26%	0.21%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	0.41%	0.42%

नोट:

1. वित्त-वर्ष 2023-24 में उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपडेटेड हैं।
2. संबंधित पक्षों के साथ खरीद: आरपीटी पर बैंक का खर्च / बैंक का कुल खर्च
3. संबंधित पक्षों को बिक्री: आरपीटी से बैंक की आय / बैंक की कुल आय
4. संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम: आरपीटी को अग्रिम / बैंक के सकल वैश्विक अग्रिम
5. संबंधित पक्षों में निवेश: आरपीटी में बैंक का निवेश / बैंक का सकल निवेश

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format:

	Metrics	FY 2024-25	FY 2023-24
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	NA	NA
	b. Number of trading houses where purchases are made from	NA	NA
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	NA	NA
Concentration of Sales	a. Sales to dealers / distributors as % of total sales	NA	NA
	b. Number of dealers / distributors to whom sales are made	NA	NA
	c. Sales to top-10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors	NA	NA
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)	0.67%	0.70%
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)	0.48%	0.39%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	0.26%	0.21%
	d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made)	0.41%	0.42%

Note:

1. The figures provided in FY 2023-24 have been updated.
2. Purchases with Related Parties: Bank's Expenses to RPTs / Total Expenses of the Bank
3. Sales to Related Parties: Bank's Income from RPTs / Total Income of the Bank
4. Loans & Advances given to Related Parties: Advances to RPTs / Gross Global Advances of the Bank
5. Investments in Related Parties: Bank's Investments in RPTs / Gross Investments of the Bank

नेतृत्व-क्षमता संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य-श्रृंखला-भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किये गये विषय / सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य-श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)।
-	-	-

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year:

Total number of awareness programmes held	Topics / principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
-	-	-

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने / प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/ नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपने लिस्टिंग समझौते के भाग के रूप में सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 17 से 27 के अनुरूप एक विस्तृत आदर्श आचार संहिता स्थापित की है। यह संहिता निदेशक-मंडल और मुख्य प्रबंधन तंत्र के लिए बनाई गई है, जो विश्वास और सत्यनिष्ठा के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह ईमानदारी, नैतिक व्यवहार और कानूनों और विनियमों के पालन पर जोर देती है। संहिता आचरण के उच्च मानकों की अपेक्षा करती है, जिसमें उचित प्रकटीकरण और हितों के टकराव का प्रबंधन शामिल है। यह बैंक के भीतर और बाहर दोनों जगह गोपनीयता और निष्पक्ष व्यवहार बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है।

संहिता, आचरण के सामान्य मानक निर्धारित करती है, हितों के टकराव की स्थितियों को संबोधित करती है, तथा लागू कानूनों और प्रकटीकरण मानकों के अनुपालन पर जोर देती है। यह बैंक की आस्तियों और संसाधनों के उचित उपयोग को रेखांकित करती है तथा बैंक की सूचनाओं के बारे में गोपनीयता के महत्व को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, संहिता बैंक की आस्तियों और संसाधनों के उचित उपयोग को रेखांकित करती है, तथा बैंक की सूचनाओं के बारे में गोपनीयता की आवश्यकता को पुष्ट करती है। इसमें कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हैं, जिसमें बोर्ड के सदस्यों की जिम्मेदारियों और अपेक्षित आचरण का विवरण दिया गया है।

2. Does the entity have processes in place to avoid / manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes / No) If Yes, provide details of the same.

The Bank has established a detailed Model Code of Conduct in line with Regulations 17 to 27 of the SEBI LODR 2015, as part of its Listing Agreement with Stock Exchanges. This Code is intended for the Board of Directors and Core Management, reflecting the Bank's commitment to trust and integrity. It emphasizes honesty, ethical behavior, and adherence to laws and regulations. The Code expects high standards of conduct, including proper disclosure and the management of conflicts of interest. It also highlights the importance of maintaining confidentiality and fair dealings both within and outside the Bank.

The Code sets general standards of conduct, addresses conflict of interest situations, and stresses compliance with applicable laws and disclosure standards. It outlines the appropriate use of the Bank's assets and resources and underscores the importance of confidentiality regarding the Bank's information. Additionally, the Code outlines the appropriate use of the Bank's assets and resources, reinforcing the need for confidentiality regarding the Bank's information. It includes specific guidelines and best practices for corporate governance, detailing the responsibilities and expected conduct of Board members.

सिद्धांत 2:

कारोबारों को, वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए, जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक			
1. इकाई द्वारा क्रमशः अनुसंधान और विकास और पूँजीगत निवेश (कैपेक्स) पर किये गये कुल निवेश में से, उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों पर किये गये निवेश का प्रतिशत।			
	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय-वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान और विकास	-	-	-
कैपेक्स	-	-	-

Principle 2:

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators			
1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.			
	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	-	-	-
Capex	-	-	-

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां / नहीं)

हां, बैंक के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है, जो वस्तुओं की खरीद (गैर-आईटी) परामर्शदाताओं की नियुक्त, और अन्य सेवाओं जैसे-हाउसकीपिंग, सुरक्षा, परिवहन आदि को अनुबंधित करने के लिए प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को रूपायित करती हैं, ताकि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, दलाली का उन्मूलन, दक्षता, मितव्ययिता, जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और बैंक की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई जा सके।

नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयाँ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया में विवेक और एकरूपता का प्रयोग करें। नीति सीवीसी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है और प्रतिभागियों

2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes / No)

Yes, The Bank has in place Board approved Policy which outlines procedures and guidelines for purchasing goods (non-IT), engaging consultants, and also engaging other services such as housekeeping, security, transportation, to ensure transparency, competition, fairness, elimination of arbitrariness, bringing in efficiency, economy, accountability and uniformity in practice and procedure across the Bank.

The objective of the policy is to ensure that the various operating units of the Bank exercise prudence & uniformity in the procedure in procurement of various goods and services. The policy complies with guidelines of CVC thus promoting transparency, improving competition, and ensuring equity

के बीच समानता सुनिश्चित होती है, “मेक इन इंडिया” को प्रोत्साहित किया जाता है, आय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है और एमएसएमई अधिनियम छोटे और मध्यम उद्यमों और समाज के वंचित वर्गों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करके समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास में मदद करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करता है।

लिंक: <https://cannetss/NEWCANNET/includes/2025/Procurement%20Policy%202025-26.pdf>

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट सतत रूप से प्राप्त किए गए?

नहीं, वर्तमान में बैंक सोर्स किये गये इनपुट के प्रतिशत की गणना नहीं कर रहा है। बैंक सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं को सोर्स करता है।

3. अपने उत्पादों के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन-काल के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्ति के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट

क) प्लास्टिक: सेवा उद्योग का हिस्सा होने के कारण, बैंक अपेक्षाकृत कम मात्रा में कचरा उत्पन्न करता है, जिससे पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के अवसर सीमित हो जाते हैं। दैनिक कचरे का निपटान नगर निगम एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

ख) ई-कचरा : बैंक, पैनल में शामिल ई-कचरा विक्रेताओं, जिनके पास ई-कचरा एकत्र करने और निपटान करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र है, के बीच सीमित निविदा / आरएफपी जारी करके, ई-कचरे का निपटान कर रहा है।

ग) खतरनाक अपशिष्ट : लागू नहीं

घ) अन्य अपशिष्ट: कागज़ अपशिष्ट का निपटान तीसरे पक्ष के सेवा-प्रदाताओं द्वारा पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है

4. क्या संस्था/ इकाई की गतिविधियों पर ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ (ईपीआर) लागू है (हां / नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसका समाधान करने के लिए उठाए गए कदम बताएं

लागू नहीं

among participants, encouraging “Make in India”, promoting manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment and MSME Act to help inclusive national economic growth by providing long term support to small and medium enterprises and disadvantaged sections of society and to address environmental concerns.

Link: <https://cannetss/NEWCANNET/includes/2025/Procurement%20Policy%202025-26.pdf>

b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?

No, Currently, the Bank is not calculating the percentage of inputs sourced. The Bank sources items as per the CVC guidelines

3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

a) Plastic: Being part of the service industry, the Bank generates relatively small amounts of waste, limiting opportunities for reusing, recycling, and disposal. Daily waste is handled by municipal agencies.

b) E-waste: Bank is disposing e-wastes by issuing limited tender / RFP among empaneled e-waste vendors, who possess valid Certificate from Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board to collect and dispose the e-waste.

c) Hazardous Waste: Not Applicable.

d) Other Waste: Paper waste is disposed of for recycling by third-party service providers

4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.

Not applicable

नेतृत्व-क्षमता – संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए 'जीवन चक्र पर्सपेक्टिव / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	कुल कारोबार / में योगदान का %	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन आयोजित किया गया	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हां / नहीं)	क्या परिणाम सार्वजनिक किये गये (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेब लिंक दें

लागू नहीं

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format:

NIC Code	Name of Product / Service	% of total Turnover contributed	Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link

Not Applicable

2. यदि आपके उत्पादों / सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे कि 'जीवन चक्र पर्सपेक्टिव / मूल्यांकन' (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंताओं का विवरण	की गई कार्रवाई

लागू नहीं

2. If there are any significant social or environmental concerns and / or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along with action taken to mitigate the same.

Name of Product / Service	Description of the risk / concern	Action Taken

Not Applicable

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री का विवरण दें	कुल सामग्री में से पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष

लागू नहीं

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year

Not Applicable

- 4 उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग की मात्रा (मीट्रिक टन में) जिनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान किया गया :

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष		
	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	-	-	-	-	-	-
ई-कचरा	-	-	23.4 टन	-	-	-
खतरनाक अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-
अन्य अपशिष्ट	-	-	-	-	-	-

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed of.

	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Re-used	Recycled	Safely Disposed	Re-used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	-	-	-	-	-	-
E-Waste	-	-	23.4 tonnes	-	-	-
Hazardous Waste	-	-	-	-	-	-
Other Waste	-	-	-	-	-	-

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद-श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के प्रतिशत के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
	लागू नहीं

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

Indicate product category	Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category
	Not applicable

सिद्धांत 3 :

कारोबारों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित, सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक											
1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण।											
वर्ग	कवर किये गये कर्मचारियों का %										
	कुल* (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (ब/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	55253	55253	100%	55253	100%	0	0	55253	100%	4	0.00007%
महिलाएं	26006	26006	100%	26006	100%	26006	100%	0	0	29	0.001%
अन्य	1	1	100%	1	100%	0	0	0	0	0	0
कुल	81260	81260	100%	81260	100%	26006	100%	55253	100%	33	0.41 %
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं										
महिलाएं											
अन्य											
कुल											

* बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत है ।

Principle 3:

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators											
1. a. Details of measures for the well-being of employees.											
Category	% of employees covered by										
	Total*(A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent employees											
Male	55253	55253	100%	55253	100%	0	0	55253	100%	4	0.00007%
Female	26006	26006	100%	26006	100%	26006	100%	0	0	29	0.001%
Other	1	1	100%	1	100%	0	0	0	0	0	0
Total	81260	81260	100%	81260	100%	26006	100%	55253	100%	33	0.41 %
Other than Permanent employees											
Male	NA										
Female											
Other											
Total											

*The Bank has one transgender employee working

ख. वर्कर्स के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किये गये कामगारों का %											
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं		
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (इ)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)	
		स्थायी कामगार										
पुरुष	लागू नहीं											
महिलाएं												
अन्य												
कुल												
स्थायी कामगार के अलावा												
पुरुष	लागू नहीं											
महिलाएं												
अन्य												
कुल												

b. Details of measures for the well-being of workers:

Category	% of Workers covered by										
	Total (A)	Health Insurance		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
		Permanent Workers									
Male	NA										
Female											
Other											
Total											
Other than Permanent Workers											
Male	NA										
Female											
Other											
Total											

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों पर किये गये व्यय (स्थायी और अस्थायी सहित)का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	1.21%	1.19%

नोट: कर्मचारी कल्याण उपायों पर खर्च की गई कुल राशि/बैंक का कुल परिचालन लाभ। इसमें ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आईबीए मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों पर खर्च की गई राशि, हॉलिडे होम पर खर्च की गई राशि शामिल है।

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format :

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	1.21%	1.19%

Note: Total amount spent for staff welfare measures / Total Operating Profit of the Bank. This includes amount paid to Group Term Life Insurance, IBA Medical Insurance, Group Personal Accident Insurance, amount spent on various staff welfare measures, amount spent on Holiday Home.

2. सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण :

लाभ	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ और पेंशन	17.93%	लागू नहीं	हां	20%	लागू नहीं	हां
ग्रेच्युटी	100%	लागू नहीं	हां	100%	लागू नहीं	हां
ईएस आई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
अन्य, कृपया विवरण दें।	82.07%	लागू नहीं	हां	81.67%	लागू नहीं	हां

*नोट: अन्य: इसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (Defined Contributory Pension Scheme) शामिल है।

2. Details of retirement benefits:

Benefits	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF & Pension	17.93%	NA	YES	20%	NA	YES
Gratuity	100%	NA	YES	100%	NA	YES
ESI	NA	NA	NA	0	0	NA
Others - please specify	82.07%	NA	Yes	81.67%	NA	YES

*Note: Others: This includes the Defined Contributory Pension Scheme.

3. कार्यस्थलों तक पहुँच

क्या संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

केनरा बैंक सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है और भेदभाव का पुरजोर विरोध करता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए पहुँच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आसान पहुँच की सुविधा प्रदान करने के लिए, जहाँ भी संभव है, शाखाओं और एटीएम में रैंप लगाए गए हैं। अब तक, 6810 शाखाएँ और 7689 एटीएम रैंप से सुसज्जित हैं, जो सभी के लिए समावेशी और सुलभ वातावरण बनाने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

केनरा बैंक की समान अवसर नीति, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, निष्पक्ष व्यवहार और समावेशिता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नीति भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण को अनिवार्य बनाती है, जिससे कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। उम्मीदवारों को ट्रैक करने के लिए एक रोस्टर रजिस्टर बनाए रखा गया है और दिव्यांग व्यक्तियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी के कारण किसी भी रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उपयुक्त उम्मीदवार मिलने पर दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है।

बैंक भेदभाव-मुक्त कार्य वातावरण बनाए रखने, प्रभावी कार्य निष्पादन में सहायता के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव संसाधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक इन पहलों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्हें सरकारी नियमों के अनुसार लागू किया जाए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार और करियर में उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायक उपकरण उपकरण, एप्लाइंस और तरजीही पोस्टिंग जैसी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है।

संपर्क अधिकारी, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की देखरेख भी करता है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। शिकायत निवारण का प्रबंधन मानव संसाधन विभाग के उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। इन व्यापक उपायों के माध्यम से, केनरा बैंक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समानता और सशक्तिकरण का वातावरण निर्मित करता है, जो समावेशिता और समान अवसर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Canara Bank is dedicated to ensuring equal opportunities for all employees and actively opposes discrimination. In alignment with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the Bank has taken significant steps to enhance accessibility for differently-abled staff and customers. Ramps have been installed at branches and ATMs wherever possible to facilitate easier access. As of now, 6810 branches and 7689 ATMs are equipped with ramps, demonstrating the Bank's commitment to creating an inclusive and accessible environment for everyone.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Canara Bank's Equal Opportunity Policy, in alignment with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, underscores the Bank's commitment to fair treatment and inclusivity. The policy mandates a 4% reservation for persons with disabilities in recruitment and promotion processes, ensuring compliance with legal provisions. A roster register is maintained to track candidates, and any unfilled vacancies due to the lack of suitable candidates with disabilities are carried forward, with preference given to disabled individuals when feasible.

The Bank is committed to maintaining a discrimination-free work environment, providing necessary facilities and assistive devices to support effective job performance. The Chief General Manager / General Manager of the Human Resources Wing is responsible for overseeing these initiatives, ensuring they are implemented in accordance with Government regulations. Additional support, such as aids, appliances, and preferential postings, may be provided to facilitate employment and career advancement for persons with disabilities.

The Liaison Officer, who also oversees matters concerning SCs and STs, is responsible for issues related to persons with disabilities. Grievance redressal is managed by the Deputy General Manager of the Human Resources Wing. Through these comprehensive measures, Canara Bank fosters an environment of equality and empowerment for persons with disabilities, reinforcing its commitment to inclusivity and equal opportunity.

5. पैतृक अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी वर्कर्स/श्रमिक	
	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण-दर	काम पर वापसी की दर	प्रतिधारण-दर
पुरुष	100%	99.64%	लागू नहीं	
महिलाएं	100%	99.81%		
अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं		
कुल	100%	99.69%		

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to Work Rate	Retention Rate	Return to Work Rate	Retention Rate
Male	100%	99.64%	NA	
Female	100%	99.81%		
Other	NA	NA		
Total	100%	99.69%		

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

	(यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिक के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	बैंक के पास कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के साथ, एक कर्मचारी शिकायत निवारण नीति है। नीति में निवारण के लिए निर्धारित समय और अभिशासन संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बैंक, कर्मचारियों की चिंताओं और शिकायतों को पारदर्शिता और न्यायपूर्ण तरीके से दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए बैंक ने इंटरनेट पर 'केनराइट शिकायत निवारण प्रणाली' शुरू की है, ताकि कर्मचारी गुमनाम रूप से अपनी चिंताओं को उठा सकें। यह एक कागज रहित और कर्मचारी के अनुकूल दृष्टिकोण वाले नीति है, जिसमें निवारण का टर्न अराउंड टाइम कम है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

	(If yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	NA
Other than Permanent Workers	NA
Permanent Employees	The Bank has an Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a defined process to address the grievances of the employees in a timely manner. The policy has details on the stipulated time of redressal and the governance structure. The Bank is committed to address the concerns and grievances of the employees in a transparent and just manner. It has therefore introduced 'Canarite Grievance Redressal System' on the intranet, so that the employees can raise concerns anonymously. It is also a paperless and employee-friendly approach with reduced TAT of redressal.
Other than Permanent Employees	NA

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष : 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष : 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष		
	संबंधित श्रेणी में कुल* कर्मचारी / श्रमिक (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ(ओं) या यूनियनों का हिस्सा हैं (बी)	% (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल* कर्मचारी / श्रमिक (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संघ(ओं) या यूनियनों का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	81260	64618	79.52	82638	65607	79.39%
- पुरुष	55253	42829	77.51%	56399	43706	77.49%
- महिलाएं	26006	21788	83.78%	26238	21900	83.47%
- अन्य	1	1	100.00%	1	1	100.00%
कुल स्थायी श्रमिक	लागू नहीं					
- पुरुष						
- महिलाएं						
- अन्य						

*बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत है।

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognized by the listed entity:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Total* employees / workers in respective category (A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B)	% (B/A)	Total employees / workers in respective category (C)	No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	81260	64618	79.52	82638	65607	79.39%
- Male	55253	42829	77.51%	56399	43706	77.49%
- Female	26006	21788	83.78%	26238	21900	83.47%
- Other	1	1	100.00%	1	1	100.00%
Total Permanent Workers	NA					
- Male						
- Female						
- Other						

*The Bank has one transgender employee.

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय-वर्ष					वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष				
	कुल* (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		दक्षता उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		दक्षता उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/डी)	सं. (एफ़)	% (एफ़/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	55253	1211	2.19%	54714	99.00%	56399	956	1.70%	53193	94.32%
महिलाएं	26006	564	2.17%	24485	94.15%	26238	447	1.70%	23423	89.28%
अन्य	1	1	100%	1	100.00%	1	1	100%	1	100.00%
कुल	81260	1776	2.18%	79200	97.46%	82638	1404	1.70%	76618	92.72%
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं									
महिलाएं										
अन्य										
कुल										

नोट: संगठन में पुरुष और महिला अनुपात के आधार पर, पुरुष और महिला कर्मचारी- भागीदारी का प्रतिशत, अनुमानित है।

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year					FY 2023-24 Previous Financial Year				
	Total* (A)	On Health and Safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and Safety measures		On Skill upgradation	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Male	55253	1211	2.19%	54714	99.00%	56399	956	1.70%	53193	94.32%
Female	26006	564	2.17%	24485	94.15%	26238	447	1.70%	23423	89.28%
Other	1	1	100%	1	100.00%	1	1	100%	1	100.00%
Total	81260	1776	2.18%	79200	97.46%	82638	1404	1.70%	76618	92.72%
Workers										
Male	NA									
Female										
Other										
Total										

Note: Percentage of male & female employee participation is an estimate based on the male and female ratio in the organization.

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष		
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	55253	55253	100%	56399	56399	100%
महिलाएं	26006	26006	100%	26238	26238	100%
अन्य	1	1	100%	1	1	100%
कुल*	81260	81260	100%	82638	82638	100%
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं					
महिलाएं						
अन्य						
कुल						

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

Category	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Total (A)	No. (B)	% (B/A)	Total (C)	No. (D)	% (D/C)
Employees						
Male	55253	55253	100%	56399	56399	100%
Female	26006	26006	100%	26238	26238	100%
Other	1	1	100%	1	1	100%
Total*	81260	81260	100%	82638	82638	100%
Workers						
Male	NA					
Female						
Other						
Total						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

बैंक के संचालन की अंतर्निहित प्रकृति इसके कर्मचारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम पैदा नहीं करती है। बैंक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षित काम का वातावरण प्रदान करने के लिए एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इसमें हर शाखा और कार्यालय में अग्निशामक यंत्रों की स्थापना और नियमित रखरखाव शामिल है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें आवश्यकतानुसार जांचा और फिर से भरा जाए। कर्मचारियों के बीच तैयारी और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए अग्निशामक यंत्रों के उपयोग पर नियमित आपातकालीन निकासी अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये उपाय अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सेक्योर कार्यस्थल बनाए रखने के लिए केनरा बैंक के समर्पण को दर्शाते हैं।

ख. संस्था द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

केनरा बैंक कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित रूप से तथा आवश्यकतानुसार जोखिमों का आकलन करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक का सुरक्षा अधिकारी शाखाओं, मुद्रा तिजोरियों और कार्यालयों का निर्धारित सुरक्षा ऑडिट करता है। ये ऑडिट संभावित जोखिमों और खतरों की प्रभावी रूप से पहचान करने के लिए विशिष्ट चेकलिस्ट और निरीक्षण प्रारूपों का उपयोग करते हैं।

बैंक ने चोरी, संधमारी, डकैती या लूट के मामलों में कर्मचारियों के स्तर पर कार्रवाई के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिससे तत्परता और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। सभी स्थानों पर घटनाओं को रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक आंतरिक घटना रिपोर्टिंग पोर्टल भी मौजूद है। यह पोर्टल घटना के मूल कारणों को समझने में मदद करता है और घटनाओं का रिकॉर्ड रखता है, जिससे बैंक को जोखिमों का सक्रिय रूप से समाधान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। ये उपाय सुरक्षित और सेक्योर काम का वातावरण निर्मित करने के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएं मौजूद हैं?

लागू नहीं।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों / श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है?

लागू नहीं।

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, what is the coverage of such a system?

The inherent nature of the Bank's operations does not pose any significant health and safety risks to its employees. The Bank is committed to ensuring the safety and well-being of its employees. An occupational health and safety management system is in place to provide a secure work environment. This includes the installation and regular maintenance of fire extinguishers in every branch and office, ensuring they are checked and refilled as required. Regular emergency evacuation drills and training programs on the use of fire extinguishers are conducted to enhance preparedness and safety awareness among employees. These measures reflect Canara Bank's dedication to maintaining a safe and secure workplace for all its employees.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Canara Bank uses a clear process to identify work-related hazards and assesses risks regularly and as needed. The Bank's Security Officer conducts scheduled security audits of branches, currency chests, and offices. These audits use specific checklists and inspection formats to effectively identify potential risks and hazards.

The Bank has set detailed guidelines for staff actions in cases of theft, burglary, dacoity, or robbery, ensuring readiness and quick response. An internal incident reporting portal is also in place to record and analyze incidents across all locations. This portal helps in understanding the root causes and keeps a record of incidents, allowing the Bank to address and reduce risks proactively. These measures show Canara Bank's commitment to maintaining a safe and secure work environment.

c. Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks

NA

d. Do the employees / workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services?

NA

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण दें :

सुरक्षा संबंधी घटना / संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष
लॉस्ट टाइम इंज्यूरी फ्रिक्वेंसी दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति- काम के घंटे)	कर्मचारी	—	—
	श्रमिक	—	—
कुल रिकॉर्ड-योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	—	—
	श्रमिक	—	—
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	—	—
	श्रमिक	—	—
घातक परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	—	—
	श्रमिक	—	—

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident / Number	Category	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	Employees	—	—
	Workers	—	—
Total recordable work-related injuries	Employees	—	—
	Workers	—	—
No. of fatalities	Employees	—	—
	Workers	—	—
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	Employees	—	—
	Workers	—	—

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का विवरण दें ।

केनरा बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक ने सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शाखा सुरक्षा ऑडिट करने के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित की है, जिसका अनुपालन शाखा प्रबंधक सुनिश्चित करते हैं। इन ऑडिट में पाई जाने वाली किसी भी समस्या का समाधान शाखाओं द्वारा एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाता है।

आपातकालीन प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी सुविधाओं पर नियमित रूप से अग्निशमन-अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक शाखा में अग्निशमक यंत्र लगाए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे उपयोग के लिए तैयार हैं, नियमित रूप से उनकी जाँच की जाती है और उन्हें फिर से भरा जाता है।

बैंक की भौतिक सुरक्षा नीति का उद्देश्य सभी शाखाओं और कार्यालयों में सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना है, जिससे नकदी हानि की घटनाओं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंक की शाखा परिवेश पर एक नीति है, जिसमें कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए आराम और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है। ये उपाय सुरक्षित और सहायक कार्यस्थल बनाए रखने के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Canara Bank has taken several steps to ensure a safe and healthy workplace for its employees. The Bank has established a Standard Operating Procedure (SOP) for conducting branch security audits by Security Officers, with Branch Managers ensuring compliance. Any issues found in these audits are quickly addressed by the branches within a set timeframe.

Fire drills are regularly conducted at larger facilities to train staff on emergency procedures. Fire extinguishers are installed in every branch and are routinely checked and refilled to ensure they are ready for use.

The Bank's Physical Security Policy aims to create a safe and secure environment across all branches and offices, reducing the impact of cash loss incidents, unfortunate events, and natural disasters. Additionally, the Bank has a policy on branch ambience, which includes providing necessary amenities to ensure comfort and convenience for employees and customers. These measures demonstrate Canara Bank's commitment to maintaining a secure and supportive workplace.

13. कर्मचारियों एवं श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित	टिप्पणियाँ
काम की दशाओं पर	0	0	-	0	0	-
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर	0	0	-	0	0	-

नोट: शाखा स्तर पर कार्य स्थितियों से संबंधित अनुरोध जैसे: कार्यालय व्यवस्था (कुर्सी, एसी, आदि) को शाखा स्तर पर केंद्रीय टीम के समक्ष उठाया जाता है, जो ऐसे अनुरोधों पर तत्काल ध्यान देती है।

13. Number of complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	0	0	-	0	0	-
Health & Safety	0	0	-	0	0	-

Note: On branch level requests pertaining to the working conditions such as: office setup (chairs, ACs, etc) are raised as requests on a branch level to the central team which addresses such requests on immediate basis.

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	-
काम की दशाएं	-

14. Assessments for the year:

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	-
Working Conditions	-

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम के दशाओं के आकलन से पता लगने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं का विवरण दें :

लागू नहीं

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Not Applicable

नेतृत्व-क्षमता संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हाँ/नहीं) (ख) श्रमिकों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन-बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है।

हाँ

कर्मचारियों को 'ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (जीटीएलआई) पॉलिसी' के तहत कवर किया जाता है। किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी विभिन्न बीमा योजनाओं के माध्यम से उनके परिवार को सहायता प्रदान करती है। कर्मचारियों को लागू नियमानुसार ग्रेच्युटी मिलती है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा सांविधिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इस बारे में संस्था द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दें :

-

3. ऐसे कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य-संबंधित गंभीर चोट लगी है / बीमारी / मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों संबंधी प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त कार्य दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों / श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त काम दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष
कर्मचारी		-		
श्रमिक		-		

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).

Yes,

The employees are covered under Group Term Life Insurance (GTLI) Policy. In the event of an employee's death, the company provides assistance to their family through various insurance plans. Employees receive gratuity as applicable.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

-

3. Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total No. of affected employees / workers		No. of employees / workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment	
	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Employees		-		
Workers		-		

4. क्या संस्था, सेवानिवृत्ति या नियोजन की समाप्ति पर, नियोजनता को जारी रखने और कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए कोई ट्रांजिशन असिस्टेंस प्रोग्राम चलाती है? (हां / नहीं) नहीं।

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes / No) No

5. वैल्यू-चैन भागीदारों के मूल्यांकन का विवरण :

	वैल्यू चैन भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार), जिनका मूल्यांकन किया गया।	
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	-	-
काम की दशाएं	-	-

5. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed	
Health and safety conditions	-	-
Working conditions	-	-

6. वैल्यू-चैन भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम की दशाओं के आकलन से पता लगने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या की जा रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। लागू नहीं।

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.
Not Applicable

सिद्धांत 4:

व्यवसायियों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

Principle 4:

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करें

केनरा बैंक ने हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया लागू की है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि प्रत्येक समूह बैंक के कार्यनिष्पादन, संचालन और व्यवसाय के लिए समग्र मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। बैंक समय-समय पर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रमुख हितधारकों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संगठन प्रभावी रूप से संचालित हो और सेवाएँ कुशलता से प्रदान करे। हितधारक अंतर्दृष्टि का लागत, लाभ और सेवा संकेतकों पर अत्यधिक प्रभाव हो सकता है।

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Canara Bank has implemented a clear process for identifying stakeholder groups. This involves assessing how each group impacts the Bank's performance, operations, and overall value to the business. The Bank periodically identifies and recognizes key stakeholders, both internal and external, to ensure the organization operates effectively and delivers services efficiently. Stakeholder insights can have an immense impact on cost, benefit, and service indicators.

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूहों के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, बैठकें, परिपत्र, नोटिस, वेबसाइट) अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
सरकार एवं नियामक प्राधिकरण	नहीं	वेबसाइट, बैठकें, परिपत्र, ईमेल	जरूरत आधारित / आवश्यकतानुसार	नवीनतम विनियामक सांविधिक आवश्यकताएं और प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए
गैर सरकारी संगठनों	नहीं	सामुदायिक बैठकें	त्रैमासिक	सीएसआर गतिविधियों में सहभागिता
एकेडेमिया	नहीं	–	–	–
कर्मचारी	नहीं	ई-मेल, परिपत्र, ज्ञापन	त्रैमासिक	कर्मचारी कल्याण उपाय, नए विकास, दृष्टि, कार्यनीति, कार्यनिष्पादन
ग्राहकों	नहीं	अखबारों में विज्ञापन, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप्प	जरूरत आधारित / आवश्यकतानुसार	उत्पादों का प्रचार, व्यवसाय को गतिशील बनाना, खाता रखरखाव अलर्ट और दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना।
आपूर्तिकर्ताओं	नहीं	ई-मेल, नोटिस बोर्ड	त्रैमासिक	खरीद, कंपनी की सेवाओं में वृद्धि
स्थानीय समुदाय	आंशिक रूप से हाँ	सामुदायिक बैठक, समाचार पत्र	त्रैमासिक	सीएसआर परियोजनाओं पर चर्चा
निवेशकों	नहीं	वेबसाइट, बैठकें, ई-मेल	त्रैमासिक	प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, रणनीतिक पहल और निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना
शेयरधारकों	नहीं	ई-मेल	त्रैमासिक	प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, कार्यनीति पहल एवं निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना
मीडिया	नहीं	समाचार पत्र, पर्थे, सोशल मीडिया, वेबसाइट	जरूरत आधारित / आवश्यकतानुसार	कंपनी के नवीनतम विकास

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No)	Channels of communication (E-mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other	Frequency of engagement (Annually / Half-Yearly / Quarterly / others - please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
Government and regulatory authorities	No	Website, meetings, circulars, e-mails	Need-based / based on requirement	Latest regulatory statutory requirements and for representation purposes
NGOs	No	Community meetings	Quarterly	Engagement on CSR activities
Academia	No	-	-	
Employees	No	E-mail, circulars, memos	Quarterly	Staff welfare measures, new developments, vision, strategy, performance
Customers	No	Newspaper ads, E-mails, SMS, WhatsApp	Need-based / based on requirement	Publicity of products, mobilizing business, account maintenance alerts and non-compliance of guidelines.
Suppliers	No	E-mails, notice board	Quarterly	Procurement, enhancing services of the company
Local community	Partially Yes	Community meetings, newspaper	Quarterly	Discussions on CSR projects
Investors	No	Website, meetings, E-mails	Quarterly	Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans
Shareholders	No	E-mail	Quarterly	Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans
Media	No	Newspaper, pamphlets, social media, website	Need-based / as required	Latest developments of the company

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है, उस संबंध में विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक ने आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के लिए संरचित प्रक्रियाएं स्थापित की हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बोर्ड को फीडबैक प्रभावी ढंग से संप्रेषित किया जा सके:

निवेशक और शेयरधारक: निवेशकों और शेयरधारकों के साथ बातचीत तिमाही और वार्षिक बैठकों, सम्मेलनों और शिकायत पोर्टलों के माध्यम से होती है। चर्चाएं बैंक के कार्यनिष्पादन, कार्यनीति और स्थिरता पहलुओं पर केंद्रित होती हैं। बैठक के विवरण को दस्तावेजित किया जाता है और आवश्यक कार्रवाई निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है।

विनियामक: बैंक बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल पर चर्चा के माध्यम से सरकारी निकायों और अन्य नियामकों के साथ जुड़ता है। विभिन्न नियामक निकायों द्वारा जारी परामर्श या चर्चा पत्रों के आधार पर, कंपनी एक निर्धारित समय-सीमा में उस पर प्रतिक्रिया देती है या अपने विचार प्रदान करती है।

ग्राहक: बैंक बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ई-मेल के माध्यम से सरकारी निकायों और नियामकों के साथ जुड़ता है। चर्चा के विषयों में शिकायतें, नए उत्पाद और सेवाएँ, सामुदायिक भागीदारी और ग्राहक सेवा शामिल हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, जिस पर सेवा संवर्द्धन के लिए बोर्ड मीटिंग के दौरान चर्चा की जाती है। फीडबैक एकत्र करने के लिए ऑनलाइन चैनलों, शाखा दौरों, सोशल मीडिया, ई-मेल और एसएमएस के माध्यम से निरंतर ग्राहक सर्वेक्षण किए जाते हैं।

कर्मचारी: बैंक शिकायत निवारण, मूल्यांकन के दौरान फीडबैक सर्वेक्षण, आंतरिक समाचार पत्र, ईमेल, टाउन हॉल मीटिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। प्रासंगिक सुझावों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर फीडबैक का दस्तावेजीकरण और चर्चा की जाती है।

आपूर्तिकर्ता: बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ताओं को इसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाए। आपूर्तिकर्ता बैठकों और तकनीकी-वाणिज्यिक सत्रों के दौरान फीडबैक दर्ज किया जाता है, जिससे सहयोग और सुधार में सुविधा होती है।

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

Canara Bank has established structured processes for consultation with various stakeholders on economic, environmental, and social topics, ensuring that feedback is effectively communicated to the Board:

Investors & Shareholders: Interaction with investors and shareholders occurs through quarterly and annual meetings, conferences, and grievance portals. Discussions focus on the Bank's performance, strategy, and sustainability initiatives. Meeting minutes are documented and reviewed with the Board to determine necessary actions.

Regulators: The Bank engages with Government bodies and regulators through meetings, conferences, forums, and e-mails. It responds to consultation or discussion papers released by regulatory bodies within stipulated timelines, ensuring compliance and alignment with regulatory expectations.

Customers: The Bank interacts with customers via grievance redressal processes, surveys, and social media platforms. Topics include complaints, new products and services, community involvement, and customer care. Customer analytics provide insights from surveys and feedback, which are discussed in Board meetings to enhance services. Continuous customer surveys are conducted through online channels, branch visits, social media, emails, and SMS to gather feedback.

Employees: The Bank maintains ongoing engagement with employees through grievance redressal, feedback surveys during appraisals, internal newsletters, e-mails, town hall meetings, and awareness programs. Feedback is documented and discussed at various levels to implement relevant suggestions.

Suppliers: The Bank ensures suppliers are informed about its processes. Feedback is recorded during supplier meetings and techno-commercial sessions, facilitating collaboration and improvement.

समुदाय: सीएसआर टीम समुदायों के साथ नियमित संवाद बनाए रखती है, शिकायतों का समाधान करती है और परियोजनाओं पर फीडबैक एकत्रित करती है। समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस फीडबैक के आधार पर प्रासंगिक कदम उठाए जाते हैं।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं) (यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया)

हाँ, केनरा बैंक पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग करता है। बैंक विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी राय को इसकी नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया जाए:

क. निवेशक और शेयरधारक: बैंक मुख्य रूप से शिकायत चैनलों, त्रैमासिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों और शेयरधारकों के साथ संवाद करता है। ये चर्चाएं बैंक के कार्यनिष्पादन और कार्यनीति पर केंद्रित हैं तथा इसमें स्थायित्व और परिचालन में इसके एकीकरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इन बैठकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है, तथा आवश्यक कार्रवाई निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा की जाती है। प्रमुख पहलों में व्यावसायिक रणनीतियों में ईएसजी कारकों का एकीकरण और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना शामिल है।

ख. विनियामक: विनियामकों के साथ बैंकों की बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बैंक के लिए महत्वपूर्ण हितधारक हैं। बैंक उनके साथ बैठकों, सम्मेलनों और ई-मेल के माध्यम से नए दिशा-निर्देशों या आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए जुड़ता है। ये चर्चाएं आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसे विभिन्न विषयों को कवर करती हैं। इन चर्चाओं के विस्तृत रिकॉर्ड, जिन्हें कार्यवृत्त कहा जाता है, व्यवस्थित रखे जाते हैं और बाद में उचित कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है। प्रमुख पहलों में नियामक मानकों का अनुपालन और नीतिगत चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी शामिल है।

ग. कर्मचारी: कर्मचारी बैंक के लिए मूल्यवान संपत्ति हैं, और उनकी सहभागिता बनाए रखने के लिए कई मंच और संचार चैनल स्थापित किए गए हैं। इसमें शिकायतों का समाधान करना, फीडबैक एकत्र करना, निष्पादन

Communities: The CSR team maintains regular communication with communities, addressing grievances and collecting feedback on projects. Relevant steps are taken based on this feedback to ensure community needs are met.

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes, Canara Bank uses stakeholder consultation to support the identification and management of environmental and social topics. The Bank actively engages with various stakeholders to ensure their inputs are incorporated into its policies and activities:

a. Investors and Shareholders: The Bank communicates with investors and shareholders primarily through grievance channels, quarterly meetings, and conferences. These discussions focus on the Bank's performance and strategy, with a growing emphasis on sustainability and its integration into operations. Detailed records of these meetings are kept, and the minutes are reviewed with the Board to determine any necessary actions. Key initiatives include the integration of ESG factors into business strategies and the promotion of transparency in reporting.

b. Regulators: The Bank's interactions with regulators are crucial, as they are key stakeholders. The Bank engages with them through meetings, conferences, and e-mails to discuss new guidelines or requirements. These discussions cover various topics, including economic, social, and environmental concerns. Detailed records of these discussions, called minutes, are maintained and later reviewed with the Board to decide on appropriate actions. Key initiatives include compliance with regulatory standards and proactive engagement in policy discussions.

c. Employees: Employees are valued assets for the Bank, and several platforms and communication channels are established to maintain their engagement. This includes addressing grievances, gathering feedback,

मूल्यांकन करना और आंतरिक समाचार पत्र, ई-मेल, टाउन हॉल मीटिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विकास को साझा करना शामिल है। इन चैनलों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक का दस्तावेजीकरण किया जाता है और सुझाए गए सुधारों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है। प्रमुख पहलों में कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम, विविधता और समावेशन प्रयास, और स्वास्थ्य एवं कल्याण पहल शामिल हैं।

घ. आपूर्तिकर्ता: बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को समझें। उनकी राय बैठकों और अन्य सत्रों के दौरान प्राप्त की जाती है जहाँ तकनीकी और वाणिज्यिक विषयों पर चर्चा की जाती है। यह फीडबैक सहयोग बढ़ाने और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रमुख पहलों में टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और मजबूत विक्रेता संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।

ङ. ग्राहक: बैंक शाखाओं के दौरे, सर्वेक्षण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों और अन्य मामलों के बारे में ग्राहकों से बातचीत करता है। इन चर्चाओं में शिकायतें, नए उत्पाद और सेवाएँ, सामुदायिक भागीदारी और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न विषय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहक सेवा के लिए एक सतत फीडबैक प्रणाली लागू की है, जिसे ग्राहक बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के होमपेज पर देख सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के साथ अपने अनुभवों को रेटिंग दे सकते हैं। प्रमुख पहलों में डिजिटल नवोन्मेष और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाना शामिल है।

च. समुदाय: बैंक अपनी शाखाओं में सेवा प्रतिनिधियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर ग्राहकों से जुड़ता है, जो इन समुदायों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करते हैं। सीएसआर टीम, शाखा कर्मचारियों के साथ मिलकर सीएसआर पहलों की प्रगति की निगरानी करने और प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्र करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवा कार्यक्रम आयोजित करती है। शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया जाता है, और प्रासंगिक नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं। सीएसआर गतिविधियों, व्यय, प्रभावों, नवाचारों और सीखे गए सबक पर रिपोर्टें एसडी और सीएसआर समिति को त्रैमासिक रूप से

conducting performance appraisals, and sharing developments through internal newsletters, e-mails, town hall meetings, and awareness programs. Feedback received through these channels is documented and discussed at various levels to implement suggested improvements. Key initiatives include employee training and development programs, diversity and inclusion efforts, and health and well-being initiatives.

d. Suppliers: The Bank ensures that its suppliers understand the procedures used by the Bank. Their opinions are collected during meetings and other sessions where technical and commercial topics are discussed. This feedback is crucial for enhancing collaboration and improving processes. Key initiatives include sustainable supply chain management and fostering strong vendor relationships.

e. Customers: The Bank interacts with customers regarding grievances and other matters through branch visits, surveys, and social media platforms. These discussions cover various topics such as complaints, new products and services, community involvement, and customer care. Additionally, the Bank has implemented a continuous feedback system for customer service, accessible on the homepage of the Bank's corporate website. Through this system, customers can rate their experiences with net banking and mobile banking. Key initiatives include enhancing customer experience through digital innovation and financial inclusion programs.

f. Community: The Bank engages with socially and economically weaker customers through service representatives at branches who address issues faced by these communities. The CSR team, along with branch employees, organizes community volunteering programs to monitor the progress of CSR initiatives and collect feedback and suggestions. Grievances are documented, and relevant policies and processes are put in place. Reports on CSR activities, expenditures, impacts, innovations, and lessons learned are submitted to the SD and CSR Committee of the Board quarterly and to the Board of Directors annually. An annual audit of activities is conducted, with results

और निदेशक मंडल को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है। गतिविधियों का वार्षिक ऑडिट किया जाता है, जिसके परिणाम सतत विकास और सीएसआर पर बोर्ड की उप-समिति को प्रस्तुत किए जाते हैं। आवश्यक संशोधन या सुधार करने के लिए नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ये व्यापक परामर्श और पहल यह सुनिश्चित करते हैं कि हितधारकों की प्रतिक्रिया को बैंक की नीतियों और गतिविधियों में व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति इसके दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सके।

3. कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के माध्यम से कमजोर और सीमांत हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का व्यापक नेटवर्क उसे बैंकिंग सुविधा से वंचित और ग्रामीण ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाता है, इसकी 61% से अधिक शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। यह कार्यनीति मौजूदा वंचित समुदायों तक पहुँचने और उन्हें आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के बैंक के मिशन का समर्थन करती है।

इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, केनरा बैंक ने विरुधुनगर, कवरत्ती, एर्नाकुलम, कोयंबटूर, रायचूर और देवनहल्ली जैसे स्थानों पर छह डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की हैं। ये इकाइयाँ, आठ मौजूदा कैन्डी शाखाओं के साथ मिलकर कुल चौदह डिजिटल शाखाएँ बनाती हैं, जो इन क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाती हैं। डिजिटल समावेशन पर बैंक का ध्यान केनरा एआई1 मोबाइल एप्लिकेशन जैसी पहलों के माध्यम से स्पष्ट है, जो दूरदराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष उत्पाद और सेवाएं तैयार की जाती हैं, जो सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए सरकारी पहलों के साथ जुड़ती हैं। उदाहरण के लिए, बैंक मेगा क्रेडिट लिंकेज कैम्प आयोजित करने, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रियायती ऋण प्रदान करने और स्थानीय उद्यमिता का समर्थन करने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के साथ सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

presented to the Sub-committee of the Board on Sustainable Development and CSR. The policy is periodically reviewed to make necessary modifications or improvements. Key initiatives include community development projects and partnerships with NGOs to support local entrepreneurship and socio-economic growth.

These comprehensive consultations and initiatives ensure that stakeholder feedback is systematically integrated into the Bank's policies and activities, enhancing its approach to environmental and social responsibility while maintaining transparency and accountability.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholder groups.

Canara Bank is committed to addressing the concerns of vulnerable and marginalized stakeholder groups through various initiatives aimed at promoting financial inclusion and empowerment. The Bank's extensive network allows it to effectively serve unbanked and rural customers, with over 61% of its branches located in rural and semi-urban areas. This strategic presence supports the Bank's mission to reach underserved communities and provide them with essential financial services.

To further these efforts, Canara Bank has established six Digital Banking Units in locations such as Virudhunagar, Kavaratti, Ernakulam, Coimbatore, Raichur, and Devanahalli. These units, along with eight existing Candi branches, form a total of fourteen Digital branches, enhancing digital access and financial literacy in these regions. The Bank's focus on digital inclusion is evident through initiatives like the Canara ai1 mobile application, which offers a wide range of banking services to customers in remote areas.

Specialized products and services are tailored for socially and economically disadvantaged groups, aligning with Government initiatives to create a positive societal impact. For instance, the Bank collaborates with State Rural Livelihood Missions (SRLMs) to conduct mega credit linkage camps, providing concessional loans to Self-Help Groups (SHGs) and supporting local entrepreneurship.

बैंक वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ाने के लिए गैर सरकारी संगठनों और सरकार समर्थित कार्यक्रमों के साथ साझेदारी करता है, जो देश के सबसे दूर के कोने तक पहुँचता है। वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) और व्यापार संवाददाता एजेंट स्थानों के अपने नेटवर्क के माध्यम से, बैंक वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देकर लाखों लोगों को सशक्त बनाता है।

ये व्यापक प्रयास कमजोर और सीमांत समूहों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें वित्तीय सेवाओं और आर्थिक विकास के अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Additionally, Canara Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives play a crucial role in community development. The Bank partners with NGOs and Government-backed programs to enhance financial literacy and inclusion, reaching the farthest corners of the nation. Through its network of Financial Literacy Centres (FLCs) and business correspondent agent locations, the Bank empowers millions by fostering financial literacy and inclusion.

These comprehensive efforts demonstrate Canara Bank's dedication to engaging with and addressing the concerns of vulnerable and marginalized groups, ensuring they have access to financial services and opportunities for economic growth.

सिद्धांत 5:

व्यवसायियों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति(यों) पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी कर्मचारी	81260	75692	93.15%	82638	75704	91.60%
स्थायी कर्मचारी के अलावा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल कर्मचारी	81260	75692	93.15%	82638	75704	91.60%
कामगार						
स्थायी कामगार	लागू नहीं					
स्थायी कामगार के अलावा						
कुल कामगार						

नोट: अनुपालन एवं नैतिकता पर कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा एवं धोखाधड़ी जागरूकता पर कार्यक्रम, निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन, कार्य जीवन संतुलन पर वेबिनार, विकलांग अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम।

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Total (A)	No. of employees/workers covered (B)	% (B/A)	Total (C)	No. of employees/workers covered (D)	% (D/C)
Employees						
Permanent	81260	75692	93.15%	82638	75704	91.60%
Other than Permanent	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Total Employees	81260	75692	93.15%	82638	75704	91.60%
Workers						
Permanent	NA					
Other than Permanent						
Total Workers						

Note: Program on Compliance & Ethics, Program on Cyber Security & Fraud Awareness, Preventive Vigilance & Fraud Management, Webinar on Work-Life Balance, Program for Officials with Disability, Prevention of Sexual Harassment at Workplace.

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं कामगारों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण दिया गया है।

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024–25					वित्त वर्ष 2023–24				
	कुल (ए)*	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं (बी)	% (बी/ए)	सं (सी)	% (सी/ए)		सं (ई)	% (ई/डी)	सं (एफ़)	% (एफ़/डी)
कर्मचारी										
स्थायी कर्मचारी	81260	0	0.00 %	81260	100%	82638	0	0.00%	82638	100%
पुरुष	55253	0	0.00 %	55253	100%	56399	0	0.00%	56399	100%
महिला	26006	0	0.00 %	26006	100%	26238	0	0.00%	26238	100%
अन्य	1	0	0.00 %	1	100%	1	0	0.00%	1	100%
स्थायी कर्मचारी के अलावा	लागू नहीं									
कामगार										
स्थायी	लागू नहीं									
स्थायी के अलावा										
कुल कामगार										

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2024-25					FY 2023-24				
	Total (A)*	Equal to minimum wage		More than minimum wage		Total (D)	Equal to minimum wage		More than minimum wage	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		No. (E)	% (E/D)	No. (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	81260	0	0.00 %	81260	100%	82638	0	0.00%	82638	100%
Male	55253	0	0.00 %	55253	100%	56399	0	0.00%	56399	100%
Female	26006	0	0.00 %	26006	100%	26238	0	0.00%	26238	100%
Other	1	0	0.00 %	1	100%	1	0	0.00%	1	100%
Other than permanent	NA									
Workers										
Permanent	NA									
Other than Permanent										
Total Workers										

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का विवरण दिया गया है
क. औसत पारिश्रमिक / मजदूरी:

	पुरुष		महिला		अन्य	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	12	25,00,000	2	21,82,500	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	8	55,36,350	0	-	0	0
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	57110	12,19,377.40	26694	11,47,424.56	1	14,41,318.72
कामगार	लागू नहीं					

*नोट: निदेशक मंडल और केएमपी की संख्या अनुभाग ए क्यू21 में बताए गए आंकड़ों से भिन्न है, क्योंकि कुछ निदेशक मंडल और केएमपी वित्तीय वर्ष के बीच में बैंक से बाहर हो गए हैं। इसलिए उनको पारिश्रमिक वेतन की गणना में शामिल किया गया है।

3. Details of remuneration / salary / wages, in the following format:
a. Median remuneration / wages:

	Male		Female		Other	
	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category	Number	Median remuneration / salary / wages of respective category
Board of Directors (BoD)	12	25,00,000	2	21,82,500	0	0
Key Managerial Personnel	8	55,36,350	0	-	0	0
Employees other than BoD and KMP	57110	12,19,377.40	26694	11,47,424.56	1	14,41,318.72
Workers	NA					

*Note: The number of BoDs & KMP differs from data reported in Section A Q21, as some BoDs & KMP have exited the Bank between the financial year. Hence their remuneration is included in the calculation of wages.

- ख. निम्न प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल वेतन:

	वित्त वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2023-24 विगत वित्तीय वर्ष
महिलाओं को कुल वेतन के % के रूप में भुगतान किया गया सकल वेतन	30.03%	30.09%

नोट : वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों को संशोधित गणना दृष्टिकोण के आधार पर अद्यतन किया गया है।

- b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Gross wages paid to females as % of total wages	30.03%	30.09%

Note: FY 2023-24 data has been updated based on revised calculation approach.

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत / समिति) है जो व्यवसाय द्वारा मानवाधिकारों पर किए गए या योगदान किए गए प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

हां, बैंक की मानवाधिकार नीति और मानवाधिकारों से संबंधित अन्य प्रासंगिक नीतियों के अनुरूप, इसके परिचालनों के अंतर्गत इन पहलुओं को संभालने के लिए उचित प्रबंधन पर्यवेक्षण स्थापित किया गया है।

5. मानव अधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का विवरण दे।

बैंक ने प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के पद पर दो 'मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ)' नियुक्त किए हैं, जिनमें से एक 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों/पूर्व सैनिकों' के लिए और दूसरा 'ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)' के लिए है। प्रधान कार्यालय में एक विशेष आरक्षण कक्ष का गठन किया है और एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायतों को संपर्क अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है। जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की रोजगार और सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए सीएलओ सहित वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। यह समिति सुनिश्चित करती है कि शिकायतों का तुरंत और निष्पक्ष तरीके से समाधान किया जाए।

इसके अलावा, भेदभाव, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार या लेन-देन से संबंधित किसी भी चिंता या शिकायत को कर्मचारी व्हिसल ब्लोअर नीति, मानव संसाधन मैनुअल और आचार संहिता के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल कर्मचारियों को मुद्दे उठाने के लिए सुरक्षित और गोपनीय माध्यम प्रदान करते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका समाधान प्रभावी ढंग से तथा नैतिक मानकों और मानवाधिकारों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप किया जाए।

4. Do you have a focal point (Individual / Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes / No)

Yes, in line with the Bank's Human Rights Policy and other relevant policies addressing human rights, appropriate management oversight is established to handle these aspects within its operations.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

To ensure effective management of human rights concerns, the Bank has appointed two Chief Liaison Officers (CLO) at the rank of General Manager. One CLO is responsible for addressing issues related to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Differently-abled Persons, and Ex-Servicemen, while the other focuses on Other Backward Classes (OBC) and Economically Weaker Sections (EWS) at the Head Office. An exclusive Reservation Cell has been set up at the Head Office, with a dedicated Liaison Officer to handle representations and grievances from SCs, STs, OBCs, differently-abled persons, EWS, and minorities. Necessary inquiries are conducted, and appropriate actions are taken to address these concerns.

Additionally, the Bank has established an Internal Grievance Committee comprising Senior Officials, including the CLO, to redress employment and service grievances of SC / ST employees. This committee ensures that grievances are addressed promptly and fairly.

Furthermore, any concerns or grievances related to discrimination, harassment, unethical behavior, or dealings can be reported by employees through the Whistleblower Policy, Human Resource Manual, and the Code of Conduct. These channels provide a safe and confidential means for employees to raise issues, ensuring that they are addressed effectively and in accordance with the Bank's commitment to ethical standards and human rights.

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष			वित्त वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दाखिल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	20	3	शून्य	18	0	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव						
बाल श्रम						
बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम						
मजदूरी						
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे						

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

	FY 2024-25 Current Financial Year			FY 2023-24 Previous Financial Year		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	20	3	Nil	18	0	Nil
Discrimination at Workplace						
Child Labour						
Forced Labour / Involuntary Labour						
Wages						
Other Human Rights related Issues						

7. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2024-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2023-24 पिछला वित्तीय वर्ष
महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और रोकथाम) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें	20	18
कर्मचारियों / कामगारों की प्रतिशत के रूप में शिकायतें	0.08%	0.07%
पीओएसएच पर लंबित रखी गई शिकायतें	9	14

नोट : वित्त वर्ष 2024-25 में दर्ज पीओएसएच शिकायतों की संख्या अपडेट कर दी गई है

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए उठाए गए कदम।

केनरा बैंक भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने सभी कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र और नीतियां स्थापित की हैं। इन तंत्रों में शामिल हैं:

क) **आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):** यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए बैंक ने सभी अंचल कार्यालय स्तरों पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति का पूरा विवरण, इसके गठन सहित, संबंधित अंचलो के अंतर्गत प्रत्येक शाखा और कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है। यह जानकारी सभी ग्राहकों, जनता और कर्मचारियों की जागरूकता के लिए नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित होती है।

ख) **आरक्षण कक्ष :** प्रधान कार्यालय में स्थित यह कक्ष अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांग व्यक्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व और शिकायतों का निवारण करने के लिए समर्पित है। कक्ष यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों को संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ संबोधित किया जाए।

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	20	18
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.08%	0.07%
Complaints on POSH upheld	9	14

Note: The number of POSH complaints filed in FY 2024-25 have been updated.

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Canara Bank is committed to preventing adverse consequences to complainants in cases of discrimination and harassment. The Bank has established robust mechanisms and policies to ensure a safe and supportive environment for all employees, customers, and stakeholders. These mechanisms include:

a) **Internal Complaints Committee (ICC):** The Bank has formed an Internal Complaints Committee at all Circle Office levels to handle cases of sexual harassment. The committee's full details, including its constitution, are furnished to every branch and office under the respective circles. This information is displayed on notice boards for the awareness of all customers, the public, and employees, ensuring transparency and accessibility.

b) **Reservation Cell:** Located at the Head Office, this cell is dedicated to handling representations and grievances from Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs), Differently-abled Persons, Economically Weaker Sections (EWS), and minorities. The cell ensures that grievances are addressed with sensitivity and confidentiality.

ग) **आंतरिक शिकायत समिति:** इस समिति में मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ) सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं, और यह एससी/एसटी कर्मचारियों की रोजगार और सेवा संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतों का निष्पक्ष और बिना किसी प्रतिशोध के समाधान किया जाए।

घ) **व्हिसल ब्लोअर नीति और आचार संहिता:** बैंक अपनी व्हिसल ब्लोअर नीति, मानव संसाधन मैनुअल और आचार संहिता के माध्यम से भेदभाव, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार या लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए चैनल प्रदान करता है। ये चैनल कर्मचारियों को मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित और गोपनीय साधन प्रदान करते हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय भी मौजूद हैं।

इन व्यापक तंत्रों के माध्यम से, केनरा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शिकायतों को अत्यंत सावधानी और गोपनीयता के साथ निपटाया जाए, तथा शिकायतकर्ताओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जाए।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं? (हां/ नहीं)
नहीं

10. वर्ष का मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन / अनैच्छिक श्रम	
लैंगिक उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य - कृपया बताएं	

10. Assessments of the year

	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	Nil
Forced / Involuntary Labour	
Sexual Harassment	
Discrimination at Workplace	
Wages	
Others - please specify	

c) **Internal Grievance Committee:** This committee consists of Senior Officials of the Bank, including the Chief Liaison Officer (CLO), and is responsible for redressing employment and service grievances of SC / ST employees. The committee ensures that grievances are resolved fairly and without retaliation.

d) **Whistleblower Policy and Code of Conduct:** The Bank provides channels for reporting discrimination, harassment, unethical behavior, or dealings through its Whistleblower Policy, Human Resource Manual, and Code of Conduct. These channels offer a safe and confidential means for employees to report issues, with protections in place to prevent retaliation against complainants.

Through these comprehensive mechanisms, Canara Bank ensures that all complaints are handled with the utmost care and confidentiality, safeguarding the rights and well-being of the complainants.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes / No)
No

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

नेतृत्व संकेतक

- मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित / प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण
लागू नहीं
- किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण
लागू नहीं
- क्या संस्था का परिसर / कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

हां, केनरा बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके परिसर और कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुपालन में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों। बैंक ने जहाँ भी संभव हो, अपनी शाखाओं और एटीएम में रैंप स्थापित करके दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच को बढ़ाने के लिए 6810 शाखाओं और 7689 एटीएम में रैंप स्थापित किए गए हैं। ये प्रयास सभी ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए समान अवसर और स्वागत करने वाला माहौल प्रदान करने के लिए बैंक के समर्पण को दर्शाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई आसानी और सम्मान के साथ इसकी सेवाओं का उपयोग कर सके।

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Leadership Indicators

- Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances / complaints.
Not Applicable
- Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted
Not Applicable
- Is the premise / office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

Yes, Canara Bank is committed to ensuring that its premises and offices are accessible to differently-abled visitors, in compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The Bank has taken significant steps to accommodate differently-abled individuals by installing ramps at its branches and ATMs wherever feasible. As of the latest report, ramps have been installed at 6810 branches and 7689 ATMs, enhancing accessibility for differently-abled visitors. These efforts reflect the Bank's dedication to providing equal opportunities and a welcoming environment for all customers and employees, ensuring that everyone can access its services with ease and dignity.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
लैंगिक उत्पीड़न	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	-
बाल श्रम	-
जबरन / अनैच्छिक श्रम	-
वेतन	-
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	-

5. ऊपर दिए गए प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

-

4. Details on assessment of value chain partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed
Sexual Harassment	-
Discrimination at Workplace	-
Child Labour	-
Forced / Involuntary Labour	-
Wages	-
Others - please specify	-

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

सिद्धांत 6:

व्यवसायियों का सम्मान करना चाहिए एवं और पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करें

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है :

मापदंड:	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (ए)	4261.98 जीजे	6997.83 जीजे
कुल ईंधन खपत (बी)	0	0
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी)	0	0
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	4261.98 जीजे	6997.83 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (डी)	782065.38 जीजे	855986.45 जीजे
कुल ईंधन खपत (ई)	282981.49 जीजे	498321.45 जीजे
अन्य माध्यमों से ऊर्जा की खपत	0	0
स्रोत (एफ)	1065046.87 जीजे	1354307.90 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	1069308.86 जीजे	1361305.73 जीजे
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व)	0.0000007519336747	0.00000016947
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत / संचालन से राजस्व)	0.0000155349	0.0000238874
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	—	—
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रति एफटीई	12.88 जीजे/एफटीई	16.47 जीजे/एफटीई

*नोट :

1. फरवरी 2025 तक ऊर्जा खपत के आंकड़ों को रिपोर्टिंग के लिए माना जाता है।
2. डीजी सेट से डीजल की खपत और स्वामित्व वाले वाहनों (कार और दोपहिया वाहन) से पेट्रोल की खपत को गैर-नवीकरणीय ऊर्जा ईंधन खपत के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।
3. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 22.44 आईएनआर/युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना जाता है।
4. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 आईएनआर/युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना जाता है।

Principle 6:

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
From Renewable Sources		
Total electricity consumption (A)	4261.98 GJ	6997.83 GJ
Total fuel consumption (B)	0	0
Energy consumption through other sources (C)	0	0
Total energy consumption (A+B+C)	426198 GJ	6997.83 GJ
From Non-Renewable Sources		
Total electricity consumption (D)	782065.38 GJ	855986.45 GJ
*Total fuel consumption (E)	282981.49 GJ	498321.45 GJ
Energy consumption through other sources (F)		
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	1065046.87 GJ	1354307.90 GJ
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	1069308.86 GJ	1361305.73 GJ
Energy intensity per Rupee of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	0.0000007519336747	0.00000016947
Energy intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP)	0.0000155349	0.0000238874
Energy intensity in terms of physical output	-	-
Energy intensity (optional) - Per FTE	12.88 GJ/FTE	16.47 GJ/FTE

*Note:

1. Energy consumption data upto February 2025 is considered for reporting.
2. Diesel consumption from DG Sets and petrol from owned vehicles (cars and two-wheelers) reported as non-renewable energy fuel consumption
3. PPP conversion factor of 22.44 INR/USD considered for FY 2023-24
4. PPP conversion factor of 20.66 INR/USD considered for FY 2024-25.

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो प्रकटीकरण करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

लागू नहीं

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

Not applicable

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणी
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल	-	-	-
(ii) भूजल	-	-	-
(iii) तृतीय पक्ष जल (नगरपालिका जल आपूर्ति)	965368.8 किली	981739.44 किली	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल			-
(v) अन्य			-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	965368.8 किली	981739.44 किली	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	965368.8 किली	981739.44 किली	-
प्रति रुपए टर्नओवर पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व)	0.000000678843	0.000768356	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपए टर्नओवर पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	0.0000140249	0.0000172	-
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	-	-	-
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रति एफटीई	11.88 किलोलीटर / कर्मचारी	11.94 किलोलीटर / कर्मचारी	-

*नोट:

- एनबीसी (2016) के आधार पर कर्मचारी संख्या के आधार पर जल निकासी और खपत की मात्रा का अनुमान लगाया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 22.44आईएनआर/युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 आईएनआर/युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया है।

नोट: संकेत करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)	Remarks
Water withdrawal by source (in kilolitres)			
(i) Surface water	-	-	-
(ii) Groundwater	-	-	-
(iii) Third-party water (Municipal water supplies)	965368.8 KL	981739.44 KL	-
(iv) Seawater / desalinated water			-
(v) Others			-
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	965368.8 KL	981739.44 KL	-
Total volume of water consumption (in kilolitres)	965368.8 KL	981739.44 KL	-
Water intensity per Rupee of turnover (Total Water consumption / Revenue from operations)	0.000000678843	0.000768356	-
Water intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP)	0.0000140249	0.0000172	-
Water intensity in terms of physical output	-	-	-
Water intensity (optional) - Per FTE	11.88 KL/ Employee	11.94 KL/ Employee	-

***Note:**

1. The amount of water withdrawal and consumption is estimated based on employee headcount based on NBC (2016)
2. PPP conversion factor of 22.44 INR / USD considered for FY 2023-24
3. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निस्सरण (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल को	-	-
कोई उपचार नहीं	772295.04 किली	785391.55 किली
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(ii) भूजल को	-	-
कोई उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल को	-	-
कोई उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	-	-
कोई उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य	-	-
कोई उपचार नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	-	-

नोट: (नीति आयोग 2016) के अनुसार कुल जल खपत का 80% जल निस्सरण अनुमानित है।

4. Provide the following details related to water discharged:

Parameter	FY 2024-25	FY 2023-24
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To Surface water	NA	-
No treatment	772295.04 KL	785391.55 KL
With treatment - please specify level of treatment	-	-
(ii) To Groundwater	-	-
No treatment	-	-
With treatment - please specify level of treatment	-	-
(iii) To Seawater	-	-
No treatment	-	-
With treatment - please specify level of treatment	-	-
(iv) Sent to third-parties	-	-
No treatment	-	-
With treatment - please specify level of treatment	-	-
(v) Others	-	-
No treatment	-	-
With treatment - please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in kilolitres)	-	-

Note: Water Discharge estimated to be 80% of the total water consumption based on (NITI Aayog 2016)

नोट: संकेत करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

बैंक औद्योगिक अपशिष्ट जल उत्पन्न नहीं करता है। बैंक के सभी परिसर नगर निगम के अपशिष्ट जल संग्रह प्रणालियों या परिसर-मालिक के अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल को नगर निगम के अपशिष्ट जल संग्रह प्रणालियों या सुविधा-मालिक के अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों में भेजा जाता है, जहाँ इसे नगर निगम एजेंसियों / संस्थान का स्वामी (तीसरे पक्ष) के विवेक के अनुसार उचित तरीके से उपचारित किया जाता है।

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

The Bank does not generate industrial wastewater. The Bank's premises are all connected to municipal wastewater collection systems or to the premises-owner's wastewater treatment systems. The wastewater generated by the Bank's activities are therefore directed on to the municipal wastewater collection systems or facility-owner's wastewater treatment systems where it is treated appropriately as per the discretion of the municipal agencies / facility owner (third parties).

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एनओएक्स	लागू नहीं		
एसओएक्स			
कणिकीय पदार्थ (पीएम)			
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।
नहीं

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

Parameter	Please specify unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
NOx	Not Applicable		
SOx			
Particulate matter (PM)			
Persistent organic pollutants (POP)			
Volatile organic compounds (VOC)			
Hazardous air pollutants (HAP)			
Others – Please specify			

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	CO ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन	17262.96	35296.13
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	CO ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन	157897.79	195643.45
टर्नओवर के प्रति रुपए पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	CO ₂ के समतुल्य / रुपया मीट्रिक टन	0.000000123172	0.00000003427
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	पीपीपी में समायोजित CO ₂ समतुल्य / रुपये समतुल्य मीट्रिक टन (पीपीपी-राष्ट्रीय मुद्रा इकाइयाँ / अमेरिकी डॉलर)	0.00000254474	0.00000405239
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	-	-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	CO ₂ e / कर्मचारी	2.16	2.79

***नोट:**

1. स्कोप 1 उत्सर्जन: डीईएफआरए उत्सर्जन कारक का उपयोग करके डीजल और पेट्रोल की खपत से ऊर्जा की खपत की गणना की गई।
2. स्कोप 2 उत्सर्जन: सीईए-प्रकाशित ग्रिड उत्सर्जन कारक ने उत्सर्जन गणना का उपयोग किया।
3. रिपोर्टिंग के लिए फरवरी 2025 तक के डेटा पर विचार किया गया।
4. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 22.44 आईएनआर / युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया।
5. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 आईएनआर / युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया।

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

7. Provide details of Greenhouse Gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	17262.96	35296.13
Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent	157897.79	195643.45
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent/ Rupee	0.000000123172	0.00000003427
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent/ Rupee equivalent adjusted to PPP (PPP-National currency units/ US dollar)	0.00000254474	0.00000405239
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	-	-	-
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity	CO ₂ / employee	2.16	2.79

***Note:**

1. Scope 1 Emissions: Energy consumption from diesel & petrol consumption calculated using the DEFRA emissions factor
2. Scope 2 Emissions: CEA-published grid emission factor used the emissions calculation
3. Data upto February 2025 is considered for reporting.
4. PPP conversion factor of 22.44 INR / USD considered for FY 2023-24
5. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

***Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

हां, केनरा बैंक के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं हैं। बैंक अपने परिचालन में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसने अपने कार्यालयों और शाखाओं में ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम और विद्युत उपकरण स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, एलईडी लाइट फिक्स्चर, जो अपनी ऊर्जा दक्षता के लिए जाने जाते हैं, का उपयोग बैंक के पूरे परिसर में किया जा रहा है।

केनरा बैंक ने अपने स्वामित्व वाली 99 इमारतों में वर्षा जल संचयन प्रणाली लागू की है। बैंक अपनी कुल बिजली खपत में नवीकरणीय ऊर्जा के अनुपात को बढ़ाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने अपने स्वामित्व वाली 165 इमारतों पर ऑन-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं, जिनकी कुल क्षमता 4,132 किलोवाट है।

इसके अलावा, केनरा बैंक ने अपने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) ढांचे के हिस्से के रूप में हरिक प्रमाणीकरण के लिए 244 परिसरों को चिह्नित किया है। वर्तमान में, तीन परिसरों ने हरिक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है, और शेष 241 शाखाओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है। ये पहल स्थिरता और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

8. Does the entity have any project related to reducing Greenhouse Gas emission? If Yes, then provide details.

Yes, Canara Bank has several projects aimed at reducing Greenhouse Gas emissions. The Bank is committed to enhancing energy efficiency and increasing the use of renewable energy across its operations. It has installed energy-efficient air conditioning systems and electrical equipment in its offices and branches. Additionally, LED light fixtures, known for their energy efficiency, are being used throughout the Bank's premises.

Canara Bank has implemented rainwater harvesting systems in 99 of its owned buildings. The Bank is also focused on reducing its carbon emissions by increasing the proportion of renewable energy in its total electricity consumption. As part of this initiative, the Bank has installed on-grid rooftop solar power plants on 165 of its owned buildings, with a total capacity of 4,132 kW.

Furthermore, Canara Bank has earmarked 244 premises for Green Certification as part of its Environmental, Social, and Governance (ESG) framework. Currently, three premises have obtained Green Certification, and the certification process is underway for the remaining 241 branches. These initiatives reflect the Bank's commitment to sustainability and reducing its environmental impact.

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएँ:

मापदंड	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (ए)	-	45.35
ई-कचरा (बी)	23.4	38.18
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी)	-	0.00
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी)	-	337.21
बैटरी अपशिष्ट (ई)	-	444.50
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)	-	0.00
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया निर्दिष्ट करें। (जी)	-	0.00
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। यदि कोई हो तो कृपया निर्दिष्ट करें। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार विभाजन)	-	243.43
कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	23.4	1108.67
प्रति रुपए के टर्नओवर में अपशिष्ट की तीव्रता (उत्पन्न कुल अपशिष्ट/परिचालन से राजस्व)	0.0000000000164548 मीट्रिक टन / रुपया	0.0000008686 मीट्रिक टन / रुपया
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व)	0.000000000339956 मीट्रिक टन / युएसडी	0.0000000194543 मीट्रिक टन / युएसडी
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	0.000287965 मीट्रिक टन / एफटीई	0.01 मीट्रिक टन / एफटीई
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	-	-
(ii) पुनः उपयोग	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	-	-
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि के स्वरूप के अनुसार निपटारा गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) लैंडफिलिंग	-	-
(iii) अन्य निपटान कार्य	-	-
कुल	-	-

नोट :

- सभी सूचीबद्ध अपशिष्ट श्रेणियां बहुत कम हैं और चालू वित्तीय वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- उत्पन्न ई-कचरे को बाहरी अधिकृत विक्रेताओं को सूचीबद्ध करके पुनर्चक्रित किया जाता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 22.44 आईएनआर / युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 20.66 आईएनआर / युएसडी का पीपीपी रूपांतरण कारक माना गया।

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste (A)	-	45.35
E-waste (B)	23.4	38.18
Bio-medical waste (C)	-	0.00
Construction and demolition waste (D)	-	337.21
Battery waste (E)	-	444.50
Radioactive waste (F)	-	0.00
Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G)	-	0.00
Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e., by materials relevant to the sector)	-	243.43
Total (A + B + C + D + E + F + G + H)	23.4	1108.67
Waste intensity per Rupee of turnover (Total waste generated / Revenue from operations)	0.0000000000164548 metric tonne / Rupee	0.0000008686 metric tonne / Rupee
Waste intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated / Revenue from operations adjusted for PPP)	0.000000000339956 metric tonne / USD	0.0000000194543 metric tonne / USD
Waste intensity in terms of physical output	-	-
Waste intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity	0.000287965 metric tonne / FTE	0.01 metric tonne / FTE
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Recycled	-	-
(ii) Re-used	-	-
(iii) Other recovery operations	-	-
Total	-	-
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste		
(i) Incineration	-	-
(ii) Landfilling	-	-
(iii) Other disposal operations	-	-
Total	-	-

***Note:**

1. All the listed categories of waste are very minimal and not significant in the current financial year.
2. The E-Waste generated is recycled by empaneling external authorized vendors.
3. PPP conversion factor of 22.44 INR / USD considered for FY 2023-24
4. PPP conversion factor of 20.66 INR / USD considered for FY 2024-25.

***नोट:** बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का विवरण प्रदान करें।

- नगरीय अपशिष्ट: बैंक अपने परिचालन से प्रतिदिन एकत्रित अपशिष्ट का प्रबंधन नगरीय एजेंसियों के माध्यम से करता है।
- ई-कचरा:
- बैटरी अपशिष्ट:

***Note:** Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

- **Municipal Waste:** The Bank manages its waste collected on a daily basis from its operations through the Municipal agencies.
- **E-Waste:**
- **Battery Waste:**

11. यदि इकाई का परिचालन / कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रं सं.	परिचालन / कार्यालयों का स्थान	परिचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।
लागू नहीं			

11. If the entity has operations / offices in / around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

Sl. No.	Location of operations / offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y / N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
Not Applicable			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं).	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant Web link
Not applicable					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून / विनियम / दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्र. सं.	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/ दंड/ कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
लागू नहीं				

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law / regulations / guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y / N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Sl. No.	Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
Not Applicable				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं

(ii) परिचालन की प्रकृति: लागू नहीं

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन

मापदंड	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	-	-
(iii) तृतीय पक्ष का पानी	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर में जल की तीव्रता (पानी की खपत / टर्नओवर)	-	-
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है	-	-
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(ii) भूजल में	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iii) समुद्री जल में	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(iv) तृतीय पक्ष को भेजा गया	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(v) अन्य	-	-
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
कुल निकासी जल (किलोलीटर में)	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) Name of the area: Not applicable

(ii) Nature of operations: Not applicable

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: Not applicable

Parameter	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	-	-
(ii) Groundwater	-	-
(iii) Third-party water	-	-
(iv) Seawater / desalinated water	-	-
(v) Others	-	-
Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	-	-
Total volume of water consumption (in kilolitres)	-	-
Water intensity per Rupee of turnover (Water consumed / turnover)	-	-
Water intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity	-	-
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) Into Surface water	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment - please specify level of treatment	-	-
(ii) Into Groundwater	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment - please specify level of treatment	-	-
(iii) Into Seawater	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment - please specify level of treatment	-	-
(iv) Sent to third-parties	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment - please specify level of treatment	-	-
(v) Others	-	-
- No treatment	-	-
- With treatment - please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in kilolitres)	-	-

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	इकाई	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	-	-	-
प्रति रुपए टर्नओवर पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन		-	-
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है		-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2024-25 (Current Financial Year)	FY 2023-24 (Previous Financial Year)
Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available)	-	-	-
Total Scope 3 emissions per Rupee of turnover		-	-
Total Scope 3 emission intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity		-	-

Note: Indicate if any independent assessment / evaluation / assurance has been carried out by an external agency? (Y / N) If yes, name of the external agency.

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ-साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.

Not Applicable

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें

क्र. सं.	की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1.	ऑन-साइट सोलर इंस्टॉलेशन	बैंक ने अपने स्वामित्व वाली 165 इमारतों की छतों पर 4.13 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।	यह पहल बैंक के नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में योगदान देती है तथा इसके कार्बन उत्सर्जन को कम करती है।
2.	वर्षा जल संचयन	बैंक ने अपने स्वामित्व वाले 122 परिसरों में वर्षा जल संचयन के उपाय स्थापित किए हैं, जिससे जल दक्षता में वृद्धि हुई है और आंतरिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग किया जा रहा है।	बैंक के स्वामित्व वाले 122 परिसरों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना से जल दक्षता में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, इसने आंतरिक उद्देश्यों के लिए पुनर्चक्रित जल का उपयोग करने में सक्षम बनाया है, जिससे स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा मिला है।
3.	ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन	बैंक ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन ढांचे के तहत हरित पहल (गैर-ऋण) के रूप में हरित प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 244 परिसरों को चिन्हित किया है। 244 परिसरों में से, 4 परिसरों के लिए हरित प्रमाणन प्राप्त किया गया है और शेष 240 शाखाओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है।	यह स्थायी प्रथाओं, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

Sl. No.	Initiative Undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along with summary)	Outcome of the initiative
1.	On-site Solar Installation	Bank has installed on-grid roof top solar power plants on terrace of 165 Bank owned buildings with an aggregate capacity of 4.13 MW.	This initiative contributes to the Bank's renewable energy generation and reduces its carbon footprint.
2.	Rainwater Harvesting	Bank has installed rainwater harvesting measures at 122 Bank-owned premises which has lead to water efficiency and use of recycle water for internal use.	The installation of rainwater harvesting systems at 122 of the bank-owned premises has led to increased water efficiency. Additionally, it has enabled the use of recycled water for internal purposes, promoting sustainable water management practices.
3.	Green Building Certification	Bank has earmarked 244 premises to obtain Green Certification as one of green initiatives (Non-credit) under Environmental, Social & Governance framework. Out of 244 premises, Green certification is obtained for 4 premises and certification process is underway for remaining 240 more Branches.	This demonstrates the Bank's commitment to sustainable practices, enhance energy efficiency, and reduce its environmental impact.

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों / वेब लिंक में विवरण दें।

केनरा बैंक ने आपदा की स्थिति में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) योजना लागू की है। यह योजना व्यापक है, जिसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, बहाली और पुनर्प्राप्ति को बनाए रखने के लिए लोगों, नीतियों, मानकों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। बीसीएम योजना लोगों, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे पर आपदाओं के प्रभाव को सीमित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, साथ ही परिचालन, वित्तीय, विधि, नियामक और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों को भी कम से कम किया गया है। बैंक की व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301: 2019 मानक के अनुरूप है, जो व्यवसाय निरंतरता आवश्यकताओं को स्थापित करने और सुधारने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करती है। उक्त संरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि केनरा बैंक व्यवधानों को प्रभावी ढंग से निपटने, अपने परिचालन और हिताधारकों की सुरक्षा करने के लिए सक्षम है।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव प्रकट करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

लागू नहीं

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या खरीदे गए हैं:

बी. सूचीबद्ध इकाई द्वारा:

सी. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा:

-

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words / web link.

Canara Bank has implemented a robust Business Continuity Management (BCM) Plan to ensure preparedness in the face of disaster situations. This plan is comprehensive, covering people, policies, standards, and procedures to maintain the continuity, resumption, and recovery of critical business processes. The BCM Plan is designed to limit the impact of disasters on people, processes, and infrastructure, while also minimizing operational, financial, legal, regulatory, and reputational consequences. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is aligned with the ISO 22301: 2019 standard, which provides an international framework for establishing and improving business continuity requirements. This alignment ensures that Canara Bank is equipped to handle disruptions effectively, safeguarding its operations and stakeholders.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

Not Applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

Not Applicable

8. How many Green Credits have been generated or procured:

b. By the listed entity:

c. By the top ten (in terms of value of purchases and sales, respectively) value chain partners:

-

सिद्धांत 7 :

व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार एवं उद्योग मंडलों / एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या।
ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है / संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
2.	भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान	राष्ट्रीय
3.	बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान	राष्ट्रीय
4.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान	राष्ट्रीय
5.	भारतीय समाशोधन निगम	राष्ट्रीय
6.	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	राष्ट्रीय
7.	भारतीय हरित भवन परिषद	राष्ट्रीय

Principle 7:

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent.

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers / associations.
b. List the top 10 trade and industry chambers / associations (determined based on the total members of such a body) the entity is a member of / affiliated to.

Sl. No.	Name of the trade and industry chambers / associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State / National)
1.	Indian Bank's Association	National
2.	Indian Institute of Banking and Finance	National
3.	Institute of Banking Personnel Selection	National
4.	National Institute of Bank Management	National
5.	The Clearing Corporation of India	National
6.	National Payments Corporation of India	National
7.	Indian Green Building Council	National

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
-		

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
-		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्र. सं.	वकालत की गई सार्वजनिक नीति	इस तरह की वकालत के लिए अपनाई गई विधि	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां / नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
-					

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

Sl. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in the public domain? (Yes / No)	Frequency of Review by Board (Annually / Half-Yearly / Quarterly / Others - please specify)	Web Link, if available
-					

सिद्धांत 8 :

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का ब्यौरा

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

Principle 8:

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

- Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Name and brief details of project	SIA notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes / No)	Results communicated in public domain (Yes / No)	Relevant web link
Not Applicable					

- निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चालू है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	आर एंड आर के द्वारा किया गया परियोजना प्रभावित परिवारों का %	वित्तीय वर्ष में पीएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं						

- Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

Sl. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families (PAFs)	% of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not applicable						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का विवरण प्रस्तुत करें।

समुदाय आवश्यक हितधारक हैं, और केनरा बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) टीम नियमित रूप से उनके साथ मिलकर मामलों का समाधान करती है और बैंक की सामाजिक और पर्यावरणीय पहलों पर प्रतिक्रिया एकत्र करती है। बैंक सतत विकास और सीएसआर समिति को सीएसआर गतिविधियों, खर्च, प्रभावों और अंतर्दृष्टि का विवरण देने वाली तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, साथ ही निदेशक मंडल को व्यापक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

व्यय और प्रभाव आकलन का वार्षिक ऑडिट किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की रिपोर्ट सतत विकास और सीएसआर पर बोर्ड की उप-समिति को दी जाती है। आवश्यक परिवर्तन या सुधार को शामिल करने के लिए बैंक की नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कुछ मामलों में, एनजीओ भागीदार समुदायों और केनरा बैंक की सीएसआर टीम के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं, जिससे किसी भी मुद्दे का प्रभावी समाधान सुनिश्चित होता है।

इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया, जिसका विषय था "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें।" इस पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए, बैंक ने थीम को बढ़ावा देने और आम जनता को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एफएम रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया।

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Communities are essential stakeholders, and Canara Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) team engages with them regularly to address concerns and collect feedback on the Bank's social and environmental initiatives. The Bank submits quarterly reports detailing CSR activities, spending, impacts, and insights to the Sustainable Development and CSR Committee, with comprehensive annual reports presented to the Board of Directors.

Annual audits of expenditures and impact assessments are conducted, with findings reported to the Board's Sub-committee on Sustainable Development and CSR. The Bank's policy is periodically reviewed to incorporate necessary changes or improvements. In certain cases, NGO partners help facilitate communication between communities and Canara Bank's CSR team, ensuring effective resolution of any issues.

Additionally, Canara Bank observed Vigilance Awareness Week from October 30 to November 5, 2023, under the theme "Say No to Corruption, Commit to the Nation." This initiative aimed to raise awareness about the detrimental effects of corruption. To reach a broader audience, the Bank utilized social media platforms and FM radio stations to promote the theme and engage the general public.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एमएसएमई / लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	28%	17.59% (यथा दिनांक 16/01/2024 तक)
सीधे भारत से प्राप्त	100%	100%

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from Suppliers:

	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Directly sourced from MSMEs / small producers	28%	17.59% (as on 16/01/2024)
Sourced directly from within India	100%	100%

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	13.74%	15.25%
अर्ध शहरी	22.75%	20.92%
शहरी	36.54%	29.52%
महानगर	26.97%	34.31%

5. Job creation in smaller towns - Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost.

Location	FY 2024-25 Current Financial Year	FY 2023-24 Previous Financial Year
Rural	13.74%	15.25%
Semi-urban	22.75%	20.92%
Urban	36.54%	29.52%
Metropolitan	26.97%	34.31%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
-	-

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
-	-

2. सरकारी निकायों द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
		केनरा विद्या ज्योति	
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	24000
2	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	360000
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडप्पा	432000
4	असम	बक्सा	72000
5	असम	बारपेटा	69000
6	असम	दरांग	72000
7	असम	धुबरी	21000
8	असम	गोलपाड़ा	48000
9	असम	हैलाकांडी	21000
10	असम	उदलगुड़ी	24000
11	बिहार	अररिया	90000
12	बिहार	औरंगाबाद	192000
13	बिहार	बांका	96000
14	बिहार	बेगूसराय	147000
15	बिहार	गया	178000
16	बिहार	जमुई	120000
17	बिहार	कटिहार	69000
18	बिहार	खगरिया	72000
19	बिहार	मुजफ्फरपुर	510000
20	बिहार	नवादा	48000
21	बिहार	पूर्णिया	326000
22	बिहार	शेखपुरा	216000
23	बिहार	सीतामढ़ी	189000
24	छत्तीसगढ़	बस्तर	135000
25	छत्तीसगढ़	बीजापुर	24000
26	छत्तीसगढ़	दंतेवाड़ा	22000
27	छत्तीसगढ़	कोंडागांव	98000
28	छत्तीसगढ़	कोरबा	48000
29	छत्तीसगढ़	महासमुंद	153000
30	छत्तीसगढ़	नारायणपुर	24000
31	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	120000
32	छत्तीसगढ़	सुकमा	18000

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by Government bodies:

Sl. No.	State	Aspirational District	Amount spent (In INR)
Canara Vidya Jyothi			
1	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	24000
2	Andhra Pradesh	Vizianagaram	360000
3	Andhra Pradesh	Y.S.R. Cuddapah	432000
4	Assam	Baksa	72000
5	Assam	Barpeta	69000
6	Assam	Darrang	72000
7	Assam	Dhubri	21000
8	Assam	Goalpara	48000
9	Assam	Hailakandi	21000
10	Assam	Udalguri	24000
11	Bihar	Araria	90000
12	Bihar	Aurangabad	192000
13	Bihar	Banka	96000
14	Bihar	Begusarai	147000
15	Bihar	Gaya	178000
16	Bihar	Jamui	120000
17	Bihar	Katihar	69000
18	Bihar	Khagaria	72000
19	Bihar	Muzaffarpur	510000
20	Bihar	Nawada	48000
21	Bihar	Purnia	326000
22	Bihar	Sheikhpura	216000
23	Bihar	Sitamarhi	189000
24	Chhattisgarh	Bastar	135000
25	Chhattisgarh	Bijapur	24000
26	Chhattisgarh	Dantewada	22000
27	Chhattisgarh	Kondagaon	98000
28	Chhattisgarh	Korba	48000
29	Chhattisgarh	Mahasamund	153000
30	Chhattisgarh	Narayanpur	24000
31	Chhattisgarh	Rajnandgaon	120000
32	Chhattisgarh	Sukma	18000

33	गुजरात	दाहोद	24000
34	गुजरात	नर्मदा	24000
35	हिमाचल प्रदेश	चंबा	48000
36	जम्मू व कश्मीर	बारामुला	24000
37	जम्मू व कश्मीर	कुपवाड़ा	24000
38	झारखंड	बोकारो	346000
39	झारखंड	चतरा	24000
40	झारखंड	दुमका	66000
41	झारखंड	गढ़वा	110000
42	झारखंड	गिरिडीह	144000
43	झारखंड	गोड्डा	72000
44	झारखंड	गुमला	48000
45	झारखंड	हजारीबाग	157000
46	झारखंड	खूंटी	24000
47	झारखंड	लातेहार	70000
48	झारखंड	लोहरदगा	48000
49	झारखंड	पाकुर	29000
50	झारखंड	पलामू	143000
51	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	443000
52	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	560000
53	झारखंड	रामगढ़	163000
54	झारखंड	रांची	419000
55	झारखंड	साहिबगंज	48000
56	झारखंड	सिमडेगा	66000
57	कर्नाटक	रायचूर	594000
58	कर्नाटक	यादगीर	312000
59	केरल	वायनाड	456000
60	मध्य प्रदेश	बड़वानी	48000
61	मध्य प्रदेश	छतरपुर	128000
62	मध्य प्रदेश	दमोह	46000
63	मध्य प्रदेश	गुना	96000
64	मध्य प्रदेश	खंडवा	45000
65	मध्य प्रदेश	राजगढ़	102000
66	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	29000
67	मध्य प्रदेश	विदिशा	174000
68	महाराष्ट्र	गडचिरोली	24000

33	Gujarat	Dohad	24000
34	Gujarat	Narmada	24000
35	Himachal Pradesh	Chamba	48000
36	Jammu & Kashmir	Baramulla	24000
37	Jammu & Kashmir	Kupwara	24000
38	Jharkhand	Bokaro	346000
39	Jharkhand	Chatra	24000
40	Jharkhand	Dumka	66000
41	Jharkhand	Garhwa	110000
42	Jharkhand	Giridih	144000
43	Jharkhand	Godda	72000
44	Jharkhand	Gumla	48000
45	Jharkhand	Hazaribagh	157000
46	Jharkhand	Khunti	24000
47	Jharkhand	Latehar	70000
48	Jharkhand	Lohardaga	48000
49	Jharkhand	Pakur	29000
50	Jharkhand	Palamu	143000
51	Jharkhand	Pashchimi Singhbhum	443000
52	Jharkhand	Purbi Singhbhum	560000
53	Jharkhand	Ramgarh	163000
54	Jharkhand	Ranchi	419000
55	Jharkhand	Sahibganj	48000
56	Jharkhand	Simdega	66000
57	Karnataka	Raichur	594000
58	Karnataka	Yadgir	312000
59	Kerala	Wayanad	456000
60	Madhya Pradesh	Barwani	48000
61	Madhya Pradesh	Chhatarpur	128000
62	Madhya Pradesh	Damoh	46000
63	Madhya Pradesh	Guna	96000
64	Madhya Pradesh	Khandwa	45000
65	Madhya Pradesh	Rajgarh	102000
66	Madhya Pradesh	Singrauli	29000
67	Madhya Pradesh	Vidisha	174000
68	Maharashtra	Gadchiroli	24000

69	महाराष्ट्र	नंदुरबार	72000
70	महाराष्ट्र	वाशिम	48000
71	मेघालय	रिभोई	48000
72	ओडिशा	बलांगीर	120000
73	ओडिशा	ढेंकनाल	192000
74	ओडिशा	गजपति	120000
75	ओडिशा	कालाहांडी	144000
76	ओडिशा	कंधमाल	24000
77	ओडिशा	कोरापुट	72000
78	ओडिशा	मल्कानगिरी	24000
79	ओडिशा	नबरंगपुर	48000
80	ओडिशा	नुआपाड़ा	69000
81	ओडिशा	रायगढ़	48000
82	पंजाब	फिरोजपुर	160000
83	पंजाब	मोगा	144000
84	राजस्थान	बारां	48000
85	राजस्थान	धौलपुर	48000
86	राजस्थान	जैसलमेर	24000
87	राजस्थान	करौली	69000
88	राजस्थान	सिरोही	96000
89	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	183000
90	तमिलनाडु	विरुधुनगर	411000
91	तेलंगाना	कुमुराम भीम आसिफाबाद	48000
92	तेलंगाना	भद्राद्रि कोठागुडेम	48000
93	तेलंगाना	जयशंकर भूपलपल्ली	24000
94	त्रिपुरा	धलाई	24000
95	उत्तर प्रदेश	बहराईच	39000
96	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	69000
97	उत्तर प्रदेश	चंदौली	72000
98	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	24000
99	उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	101000
100	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	15000
101	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	195000
102	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	216000
103	उत्तराखंड	हरिद्वार	315000
104	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	372000
		कुल	12990000

69	Maharashtra	Nandurbar	72000
70	Maharashtra	Washim	48000
71	Meghalaya	Ribhoi	48000
72	Odisha	Balangir	120000
73	Odisha	Dhenkanal	192000
74	Odisha	Gajapati	120000
75	Odisha	Kalahandi	144000
76	Odisha	Kandhamal	24000
77	Odisha	Koraput	72000
78	Odisha	Malkangiri	24000
79	Odisha	Nabarangapur	48000
80	Odisha	Nuapada	69000
81	Odisha	Rayagada	48000
82	Punjab	Firozpur	160000
83	Punjab	Moga	144000
84	Rajasthan	Baran	48000
85	Rajasthan	Dhaulpur	48000
86	Rajasthan	Jaisalmer	24000
87	Rajasthan	Karauli	69000
88	Rajasthan	Sirohi	96000
89	Tamil Nadu	Ramanathapuram	183000
90	Tamil Nadu	Virudhunagar	411000
91	Telangana	Kumuram Bheem Asifabad	48000
92	Telangana	Bhadradi Kothagudem	48000
93	Telangana	Jayashankar Bhupalapally	24000
94	Tripura	Dhalai	24000
95	Uttar Pradesh	Bahraich	39000
96	Uttar Pradesh	Balrampur	69000
97	Uttar Pradesh	Chandauli	72000
98	Uttar Pradesh	Chitrakoot	24000
99	Uttar Pradesh	Fatehpur	101000
100	Uttar Pradesh	Shrawasti	15000
101	Uttar Pradesh	Siddharthnagar	195000
102	Uttar Pradesh	Sonbhadra	216000
103	Uttarakhand	Haridwar	315000
104	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	372000
		Total	12990000

सीएसआर			
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	297700
2	आंध्र प्रदेश	विजयनगरम	463728
3	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडप्पा	946911
4	बिहार	बेगूसराय	587235
5	बिहार	गया	573083
6	बिहार	जमुई	200000
7	बिहार	मुजफ्फरपुर	798215
8	बिहार	नवादा	149000
9	बिहार	पूर्णिया	125000
10	बिहार	शेखपुरा	36500
11	छत्तीसगढ़	बस्तर	30000
12	छत्तीसगढ़	कोरबा	44915
13	छत्तीसगढ़	राजनंदगांव	102500
14	हरयाणा	मेवात	13560
15	झारखंड	गोड्डा	186000
16	झारखंड	हजारीबाग	150000
17	झारखंड	लोहरदगा	254131
18	झारखंड	पश्चिमी सिंहभूम	53685
19	झारखंड	रामगढ़	104990
20	झारखंड	रांची	654279
21	केरल	वायनाड	10000000
22	पंजाब	मोगा	15000
23	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	540000
24	तेलंगाना	जयशंकर भूपलपल्ली	49950
25	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	25000
26	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	296980
27	उत्तराखंड	हरिद्वार	129180
28	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	30600
29	मध्य प्रदेश	विदिशा	50000
30	महाराष्ट्र	नंदुरबार	49950
31	ओडिशा	बलांगीर	49950
32	ओडिशा	गजपति	35050
33	ओडिशा	कालाहांडी	120100
34	ओडिशा	रायगढ़	36000
35	पंजाब	मोगा	15000

CSR			
1	Andhra Pradesh	Visakhapatnam	297700
2	Andhra Pradesh	Vizianagaram	463728
3	Andhra Pradesh	Y.S.R. Cuddapah	946911
4	Bihar	Begusarai	587235
5	Bihar	Gaya	573083
6	Bihar	Jamui	200000
7	Bihar	Muzaffarpur	798215
8	Bihar	Nawada	149000
9	Bihar	Purnia	125000
10	Bihar	Sheikhpura	36500
11	Chhattisgarh	Bastar	30000
12	Chhattisgarh	Korba	44915
13	Chhattisgarh	Rajnandgaon	102500
14	Haryana	Mewat	13560
15	Jharkhand	Godda	186000
16	Jharkhand	Hazaribagh	150000
17	Jharkhand	Lohardaga	254131
18	Jharkhand	Pashchimi Singhbhum	53685
19	Jharkhand	Ramgarh	104990
20	Jharkhand	Ranchi	654279
21	Kerala	Wayanad	10000000
22	Punjab	Moga	15000
23	Tamil Nadu	Ramanathapuram	540000
24	Telangana	Jayashankar Bhupalapally	49950
25	Uttar Pradesh	Balrampur	25000
26	Uttar Pradesh	Chitrakoot	296980
27	Uttarakhand	Haridwar	129180
28	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	30600
29	Madhya Pradesh	Vidisha	50000
30	Maharashtra	Nandurbar	49950
31	Odisha	Balangir	49950
32	Odisha	Gajapati	35050
33	Odisha	Kalahandi	120100
34	Odisha	Rayagada	36000
35	Punjab	Moga	15000

36	राजस्थान	सिरोही	126500
37	सिक्किम	पश्चिम जिला	30000
38	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	590000
39	तमिलनाडु	विरुधुनगर	517868
40	तेलंगाना	जयशंकर भूपलपल्ली	49950
41	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	25000
42	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	296980
43	उत्तराखंड	हरिद्वार	305354
44	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	47632
		कुल	26870275
सीईडी			
1	हरियाणा	मेवात	15999.00
2	झारखंड	रांची	147000.00
3	कर्नाटक	रायचूर	997072.55
4	तमिलनाडु	रामनाथपुरम	590000.00
5	तमिलनाडु	विरुधुनगर	517868.00
6	उत्तराखंड	हरिद्वार	305354.00
7	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	47632.00
		कुल	2620925.55
सीएसआर – ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान			
1	बिहार	शेखपुरा	5306992
2	झारखंड	रांची	6506178
3	आंध्र प्रदेश	कडपा	7442793
4	हरियाणा	मेवात	4017100
5	राजस्थान	बरान	6228860
		कुल	29501923
सीएसआर – वित्तीय साक्षरता शिविर			
1	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कडप्पा	341843
2	बिहार	शेखपुरा	521862
3	हरियाणा	पुन्हाना	373616
4	हरियाणा	मेवात	529706
5	कर्नाटक	रायचूर	408141
6	केरल	वायनाड	430945
		कुल	2606113

36	Rajasthan	Sirohi	126500
37	Sikkim	West District	30000
38	Tamil Nadu	Ramanathapuram	590000
39	Tamil Nadu	Virudhunagar	517868
40	Telangana	Jayashankar Bhupalapally	49950
41	Uttar Pradesh	Balrampur	25000
42	Uttar Pradesh	Chitrakoot	296980
43	Uttarakhand	Haridwar	305354
44	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	47632
		TOTAL	26870275
CED			
1	Haryana	Mewat	15999.00
2	Jharkhand	Ranchi	147000.00
3	Karnataka	Raichur	997072.55
4	Tamil Nadu	Ramanathapuram	590000.00
5	Tamil Nadu	Virudhunagar	517868.00
6	Uttarakhand	Haridwar	305354.00
7	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	47632.00
		TOTAL	2620925.55
CSR - Rural Training Institutes			
1	Bihar	Sheikpura	5306992
2	Jharkhand	Ranchi	6506178
3	Andhra Pradesh	Kadapa	7442793
4	Haryana	Mewat	4017100
5	Rajasthan	Baran	6228860
		TOTAL	29501923
CSR - Financial Literacy Camp			
1	Andhra Pradesh	Y.S.R. Cuddapah	341843
2	Bihar	Sheikhpura	521862
3	Haryana	Punhana	373616
4	Haryana	Mewat	529706
5	Karnataka	Raichur	408141
6	Kerala	Wayanad	430945
		TOTAL	2606113

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े / कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां / नहीं)

नहीं

(ख) आप किन हाशिए पर पड़े / कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

-

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

-

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized / vulnerable groups? (Yes / No)

No

(b) From which marginalized / vulnerable groups do you procure?

-

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

-

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्र.सं.	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व / अधिग्रहीत (हां / नहीं)	साझा किया गया लाभ (हां / नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं				

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

Sl. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned / Acquired (Yes / No)	Benefit shared (Yes / No)	Basis of calculating benefit share
Not Applicable				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाईयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

Name of Authority	Brief of the Case	Corrective action taken
Not applicable		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र.सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का %
1.	सीएसआर प्रस्ताव	9121677	80.32%
2.	सीएसआर – केनरा विद्या ज्योति (सीवीजे)	43290	100%
3.	सीएसआर – महिला उद्यमिता केंद्र (सीईडी)	14134	75.42%
4.	सीएसआर – ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान	-	-
	क. आरएसईटीआई	40005	100%
	ख. आरयुडीएसईटीआई (रुडसेटी)	28636	100
5.	सीएसआर-वित्तीय साक्षरता शिविर	101319	95

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

Sl. No.	CSR Project	No. of persons benefitted from CSR Projects	% of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups
1	CSR Proposals	9121677	80.32%
2	CSR - Canara Vidya Jyothi (CVJ)	43290	100%
3.	CSR - Centre For Entrepreneurship for Women (CED)	14134	75.42%
4.	CSR - Rural Training Institutes	-	-
	a. RSETI	40005	100%
	b. RUDSETI	28636	100
5.	CSR - Financial Literacy Camp	101319	95

सिद्धांत 9 :

व्यवसायियों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

बैंक ने शिकायत समाधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र लागू किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. कई पंजीकरण चैनल: ग्राहक शिकायत पोर्टल (CPGRS), इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, व्हाट्सएप, हमारे कॉल सेंटर, ईमेल, वेबसाइट और किसी भी शाखा/कार्यालय सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत को आसान ट्रैकिंग के लिए एक विशेष संदर्भ संख्या दी जाती है। यदि ग्राहक बैंक के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी शिकायतों को बैंकिंग लोकपाल (सीएमएस पोर्टल के माध्यम से), सीपीजीआरएएमएस और आईएनजीआरएएम तक बढ़ा सकते हैं।
2. एकीकृत समाधान प्लेटफॉर्म: यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक शिकायत की एक विशिष्ट आईडी हो, हमारा बैंक सभी शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। यह प्लेटफॉर्म शिकायतों को उनके स्वरूप और सहायक-स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करता है, जिससे पंजीकरण से लेकर समाधान तक शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाता है।
3. गुणवत्तापूर्ण समाधान: केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतों का समाधान किया जाए और गहन विश्लेषण और समीक्षा प्रक्रिया के बाद विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर पर समाधान कर दिया जाए।
4. समय मानदंडों का सख्त पालन: शिकायतों का समाधान निर्धारित शिकायत निवारण समय सीमा के भीतर किया जा रहा है।
5. पुनः आवेदन का विकल्प: बैंक ग्राहकों को शिकायतों को फिर से खोलने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यदि ग्राहक प्रारंभिक समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे इसे फिर से आवेदन कर अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं।
6. समाधान की समीक्षा: समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से निरंतर सुधार की सुविधा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ग्राहक सेवा वर्टिकल के भीतर बंद शिकायतों की यादृच्छिक समीक्षा की प्रक्रिया लागू की जाती है।
7. शिकायत वृद्धि का तंत्र: स्थिरता और उच्च-स्तरीय निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए, सभी पुनः खोली गई शिकायतों

PRINCIPLE 9 :

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Bank has implemented a centralized grievance redressal mechanism to streamline the complaint resolution process. Key features include:

1. Multiple Registration Channels: Customers can conveniently register complaints through various channels, including the Grievance Portal (CPGRS), Internet banking, mobile banking, WhatsApp, our Call Centre, e-mail, website, and any branch/office. Each complaint is assigned a unique reference number for easy tracking. If customers are not satisfied with the Bank's resolution, they can escalate their grievances to the Banking Ombudsman (via the CMS portal), CPGRAMS, and INGRAM.
2. Unified Resolution Platform: To ensure each complaint has a unique ID, our bank uses a single platform to manage all complaints. This platform classifies complaints based on their nature and sub-nature, streamlining the grievance redressal process from registration to resolution.
3. Quality Resolution: The centralized grievance redressal mechanism ensures that complaints are resolved and closed at head office by subject matter specialists after a thorough analysis and review process.
4. Strict adherence to time norms: Complaints are being resolved within the prescribed grievance redressal timeframe.
5. Reopening Option: Bank provides a process for customers to reopen complaints. Customers can escalate their complaint by reopening it if they are not satisfied with the initial resolution.
6. Review of the Resolution: A process of random review of closed complaints is implemented within the Customer Service Vertical by senior executives to ensure quality of resolution and to facilitate continuous improvement through the identification of areas requiring enhancement.
7. Grievance Escalation Mechanism: To ensure consistency and high-level oversight, all reopened

को प्रधान कार्यालय में ग्राहक सेवा वर्टिकल में आगे बढ़ाया जाता है और केवल वर्टिकल प्रमुख की सहमति से ही उनका समाधान किया जाता है।

8. आंतरिक लोकपाल निरीक्षण: शिकायत निवारण और आंतरिक लोकपाल ढांचे को नियंत्रित करने वाले आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से अस्वीकृत की गई सभी शिकायतों को विचार के लिए आंतरिक लोकपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, और शिकायतकर्ता को बाद में भेजे जाने वाले संचार में आंतरिक लोकपाल का निर्णय दर्शाया जाएगा।
9. शीर्ष प्रबंधन द्वारा ग्राहक-केंद्रित समीक्षा: शीर्ष प्रबंधन यादृच्छिक रूप से लगभग 20 बंद शिकायतों का चयन करता है और उनकी समीक्षा करता है। अलग से, एक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली एक त्रैमासिक समिति, ग्राहक सेवा, शिकायतों और उत्पाद/सेवा सुधार के लिए सुझावों पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए देश भर के ग्राहकों से सीधे जुड़ती है।
10. शिकायत समाधान पर ग्राहक प्रतिक्रिया: शिकायत के बंद होने पर, बैंक एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ता से संपर्क करता है, तथा प्रदान किए गए समाधान के आधार पर बैंक की शिकायत समाधान प्रणाली का मूल्यांकन करने का अनुरोध करता है। इसके अलावा, हमारे कॉल सेंटर द्वारा ग्राहक को उनकी प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए बाद में एक टेलीफोन कॉल किया जाता है। बैंक प्रणालीगत मुद्दों के मूल कारणों की पहचान करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया और ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है।
11. मूल कारण विश्लेषण (आरसीए): शिकायतों का लगातार, गहन मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) हितधारकों की भागीदारी के साथ किया जाता है ताकि संबंधित मामले का सटीक कारण निर्धारित किया जा सके और सभी अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए बैंक में सुधारात्मक उपायों को लागू किया जा सके।
12. शिकायत विश्लेषण, रिपोर्टिंग और सार्वजनिक प्रकटीकरण: बैंक ग्राहकों की शिकायतों का नियमित विश्लेषण करता है, सामरिक मार्गदर्शन के लिए शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को निष्कर्षों की रिपोर्ट करता है। पारदर्शिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर शिकायत डेटा भी प्रकाशित करता है।
13. उपरोक्त उपाय और तंत्र ग्राहक शिकायतों के समय पर और प्रभावी समाधान को प्राथमिकता देते हैं, स्थापित समय-सीमा का पालन करते हैं और शिकायत निवारण प्रक्रिया और ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार लाने के लिए ग्राहक प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से एकत्रित और विश्लेषण करते हैं।

complaints are escalated to the Customer Service Vertical at head office and are resolved only with the concurrence of the Vertical Head.

8. Internal Ombudsman Oversight: Pursuant to RBI guidelines governing grievance redressal and the Internal Ombudsman framework, all complaints marked as fully or partially rejected by Bank shall be submitted to the Internal Ombudsman for consideration, and the subsequent communication to the complainant shall reflect the decision of the Internal Ombudsman.
9. Customer-centric review by top management: Top management randomly selects and reviews around 20 closed complaints. Separately, a quarterly committee, headed by an Executive Director, engages directly with customers nationwide to gather feedback on customer service, grievances, and suggestions for product / service improvement.
10. Customer Feedback on Grievance Resolution: Upon the closure of a complaint, the Bank communicates with the complainant via SMS and / or e-mail, requesting an evaluation of the Bank's grievance resolution mechanism based on the provided resolution. Furthermore, a subsequent telephone call is made to the customer by our Call Centre to record their feedback responses. The Bank analyzes feedback received from complainants to identify root causes of systemic issues and implement corrective actions to enhance the grievance redressal process and customer service.
11. Root Cause Analysis (RCA): Frequent, in-depth root cause analysis (RCA) of complaints are conducted with stakeholder participation to determine the precise cause of concern and implement corrective measures across the Bank for all end-users.
12. Complaint analysis, reporting, and public disclosure: The Bank conducts regular analysis of customer complaints, reporting the findings to top management and the board for strategic guidance. In line with its commitment to transparency, the Bank also publishes complaint data in its annual report and on its website.
13. The above measures and mechanisms prioritize timely and effective resolution of customer grievances, adhering to established timeframes and actively collecting and analyzing customer feedback to drive continuous improvement in the grievance redressal process and customer service.

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	-
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	-
पुनर्चक्रण और /या सुरक्षित निपटान	-

2. Turnover of products and / services as a percentage of turnover from all products / service that carry information about:

	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	-
Safe and responsible usage	-
Recycling and / or safe disposal	-

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		टिप्पणी	वित्त वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
गोपनीय आँकड़ा	-	-	-	-	-	-
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-
साइबर सुरक्षा (डिजिटल शिकायतें)	-	-	-	-	-	-
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	397084	2332	-	524588	2343	-
प्रतिबंधक व्यापार आचरण	-	-	-	-	-	-
अनुचित व्यापार आचरण	-	-	-	-	-	-
अन्य: क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी) से संबंधित शिकायतें	9430	135	-	5165	175	-

नोट: आज से सभी शिकायतें हल हो गई हैं और बंद हो गई हैं।

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

	FY 2024-25 (Current Financial Year)		Remarks	FY 2023-24 (Previous Financial Year)		Remarks
	Received during the year	Pending resolution at end of year		Received during the year	Pending resolution at end of year	
Data privacy	-	-	-	-	-	-
Advertising	-	-	-	-	-	-
Cyber-security (Digital Complaints)	-	-	-	-	-	-
Delivery of essential services	397084	2332		524588	2343	-
Restrictive Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Unfair Trade Practices	-	-	-	-	-	-
Other: Credit Information Companies (CIC) related complaints	9430	135		5165	175	-

Note: All complaints are resolved and closed as of today.

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस मगाने का कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापसी		

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for Recall
Voluntary Recalls	Not Applicable	
Forced Recalls		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा / नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, केनरा बैंक के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर एक व्यापक रूपरेखा और नीति है। यह नीति सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति, सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश और साइबर संकट प्रबंधन योजना सहित दिशानिर्देशों के व्यापक सेट का हिस्सा है, जो सभी बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

बैंक साइबर सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है और धोखाधड़ी का पता लगाने और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा तैयार किया है। मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपने ग्राहक लेनदेन को एंड-टू-एंड सुरक्षित रखते हैं। बैंक के पास एक समर्पित सूचना सुरक्षा समूह (आईएसजी) और एक समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (जीसीआईएसओ) है जो देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता को गंभीरता से लेता है और इसकी एक अच्छी तरह से परिभाषित गोपनीयता नीति है जो इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित होती है। <https://www.canarabank.com/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / जुर्माना

केनरा बैंक विज्ञापन, आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने इन क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं:

- ग्राहक सेवा में सुधार:** आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए, केनरा बैंक ने एक समर्पित ग्राहक सेवा वर्टिकल की स्थापना की। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी इस पहल से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ग्राहकों की शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। ग्राहक सेवा वर्टिकल आवर्ती शिकायतों के लिए मूल कारण विश्लेषण करता है, आवश्यक उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा वितरण सुनिश्चित करता है और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है।

5. Does the entity have a framework / policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

Yes, Canara Bank has a comprehensive framework and policy on cybersecurity and risks related to data privacy. This policy is part of a broader set of guidelines, including the Information Security Policy, Cyber Security Policy, Information Security Guidelines, and Cyber Crisis Management Plan, all of which are Board-approved.

The Bank places cybersecurity as its top priority and has created a robust IT infrastructure to detect frauds and respond immediately. Strong Cyber Security measures guard its customer transactions end-to-end. The Bank has a dedicated Information Security Group (ISG) and a Group Chief Information Security Officer (GCISO) responsible for overseeing these efforts.

The Bank takes its customers' privacy seriously and has a well-defined privacy policy that is prominently displayed on its corporate website. <https://www.canarabank.com/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

Canara Bank is committed to maintaining high standards in advertising, delivery of essential services, cybersecurity, and data privacy. The Bank has implemented several measures in place to address these areas effectively:

- Customer Service Enhancement:** To improve the delivery of essential services, Canara Bank established a dedicated Customer Service Vertical. This initiative, effective from April 1st, 2023, has led to a significant reduction in customer complaints, compared to the previous fiscal year. The Customer Service Vertical conducts Root Cause Analysis for recurring complaints, working closely with relevant departments to implement necessary remedial measures. This proactive approach ensures high-quality service delivery and enhances customer satisfaction.

2. **साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता:** बैंक ने ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया है। इसने एक व्यापक साइबर सुरक्षा नीति लागू की है और डेटा सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करता है। बैंक कर्मचारियों को जोखिमों को कम करने और डेटा गोपनीयता उपायों को बढ़ाने के लिए निरंतर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

3. **विज्ञापन और उत्पाद सुरक्षा:** केनरा बैंक अपने संचार में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सख्त विज्ञापन दिशानिर्देशों का पालन करता है। बैंक ने अपने उत्पादों या सेवाओं की सुरक्षा के संबंध में नियामक प्राधिकरणों से उत्पाद वापस लेने या दंड के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है। इन मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी और अनुपालन जाँच की जाती है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क. डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या: 0
- ख. ग्राहक के व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत: 0%
- ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो: -

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल / प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

केनरा बैंक अपने ग्राहकों के लिए पहुँच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चैनलों और प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: बैंक की वेबसाइट बचत खातों, ऋण, डिजिटल बैंकिंग समाधान और अन्य सहित सभी उत्पादों और सेवाओं पर व्यापक विवरण प्रदान करती है।

मोबाइल बैंकिंग ऐप: "केनरा ai1" ऐप बैंकिंग ज़रूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है, जिसमें कई भाषाओं में 330 से अधिक सुविधाएँ हैं। यह ग्राहकों को अपने मोबाइल डिवाइस से जानकारी तक पहुँचने और अपने खातों को आसानी से प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

2. **Cybersecurity and Data Privacy:** The Bank has strengthened its cybersecurity framework to protect customer data. It has implemented a comprehensive Cyber Security Policy and conducts regular audits to ensure compliance with data protection standards. The Bank also provides ongoing cybersecurity training for employees to mitigate risks and enhance data privacy measures.

3. **Advertising and Product Safety:** Canara Bank adheres to strict advertising guidelines to ensure transparency and accuracy in its communications. The Bank has not reported any instances of product recalls or penalties from regulatory authorities concerning the safety of its products or services. Continuous monitoring and compliance checks are in place to maintain these standards.

7. Provide the following information relating to data breaches:

- a. Number of instances of data breaches: 0
- b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers: 0%
- c. Impact, if any, of the data breaches : -

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Canara Bank provides information on its products and services through various channels and platforms to ensure accessibility and convenience for its customers. These include:

Official Website: The Bank's website offers comprehensive details on all products and services, including savings accounts, loans, digital banking solutions, and more.

Mobile Banking App: The "Canara ai1" app provides a one-stop solution for banking needs, offering over 330 features in multiple languages. It allows customers to access information and manage their accounts conveniently from their mobile devices.

डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (डीबीयू) / केनडी शाखाएँ: ये इकाइयाँ डिजिटल चैनलों के माध्यम से कागज़ रहित और सुरक्षित वातावरण में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करती हैं, तथा विभिन्न बैंकिंग उत्पादों पर जानकारी और सहायता प्रदान करती हैं।

कॉल सेंटर और सीआरएम: 24/7 संचालित, कॉल सेंटर 17 भाषाओं में जानकारी और सहायता प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक किसी भी समय उत्पाद विवरण और सेवाओं तक पहुँच सकते हैं।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म: केनरा बैंक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ता है, नए उत्पादों और सेवाओं पर अपडेट और जानकारी प्रदान करता है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

केनरा बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए समर्पित है। वित्तीय समावेशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित करने के लिए केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट (सीएफएटी) के साथ सहयोग किया है। ये केंद्र हाशिए के समुदायों को मानार्थ वित्तीय शिक्षा और ऋण परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं।

वित्तीय साक्षरता में पारंगत वित्तीय परामर्शदाता, विभिन्न जनसांख्यिकी में व्यक्तिगत परामर्श सत्र आयोजित करते हैं। ये सत्र व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय ज्ञान से लैस करते हैं और उन्हें सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। कवर किए गए विषयों में शामिल हैं:

- **बैंकिंग ज्ञान:** विभिन्न बैंकिंग सेवाओं, खाता प्रकारों और प्रक्रियाओं के बारे में जनता को शिक्षित करना।
- **ऋण प्राप्त करना:** बैंकों से ऋण के लिए आवेदन करने और नियम और शर्तों को समझने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- **समय पर पुनर्भुगतान:** एक उपयुक्त साख पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए समय पर ऋण चुकाने के महत्व पर जोर देना।

Digital Banking Units (DBUs) / CANDI Branches: These units offer banking services through digital channels in a paperless and secure environment, providing information and assistance on various banking products.

Call Centre and CRM: Operating 24/7, the call centre provides information and support in 17 languages, ensuring customers can access product details and services at any time.

Social Media and Online Platforms: Canara Bank actively engages with customers through social media platforms, providing updates and information on new products and services.

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

Canara Bank is dedicated to informing and educating consumers about the safe and responsible usage of its products and services. As part of its commitment to financial inclusion, the Bank has collaborated with the Canara Financial Advisory Trust (CFAT) to establish Financial Literacy Centres (FLCs). These centres offer complimentary financial education and credit counseling services to marginalized communities.

Financial counsellors, well-versed in financial literacy, conduct personalized counselling sessions across diverse demographics. These sessions equip individuals with essential financial knowledge and empower them to make informed decisions. The topics covered include:

- **Banking Knowledge:** Educating the public about various banking services, account types, and procedures.
- **Accessing Loans:** Providing guidance on how to apply for loans from banks and understanding the terms and conditions.
- **Timely Repayment:** Emphasizing the importance of repaying loans on time to maintain a good credit history.

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना।
- **साइबर धोखाधड़ी को रोकना:** आम ऑनलाइन घोटालों और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- **डिजिटल लेनदेन:** लोगों को वित्तीय लेनदेन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना सिखाना।

इस ज्ञान को सक्रिय रूप से प्रसारित करके, वित्तीय परामर्शदाता वित्तीय साक्षरता बढ़ाने और समुदाय के भीतर जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) चरण I पहल, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया और तीन साल तक चलेगा, 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को लक्षित करता है। यह 5 गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करते हुए 114 ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करता है। चरण III इऊए परियोजना जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में परिचालन शुरू करते हुए, उन्हीं क्षेत्रों के 129 ब्लॉकों तक अपनी पहुँच बढ़ाती है, जो तीन साल की अवधि के लिए है। यह 9 गैर सरकारी संगठनों को शामिल करता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय ज्ञान को बढ़ावा देना है, जिसमें आर्थिक रूप से वंचित परिवारों और वित्तीय सेवाओं से वंचित व्यक्तियों पर विशेष जोर दिया जाता है।

इन व्यापक प्रयासों के माध्यम से, केनरा बैंक व्यक्तियों को सूचित वित्तीय निर्णय लेने और बैंकिंग उत्पादों का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाता है।

3. **आवश्यक सेवाओं में व्यवधान / बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए उठाए गए कदम**
केनरा बैंक ने उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं में व्यवधान या बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में सूचित करने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित किया है। बैंक स्पष्ट और समय पर संचार को प्राथमिकता देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहकों को अच्छी तरह से जानकारी हो और वे तदनुसार योजना बना सकें।
1. **अग्रिम सूचनाएँ:** ग्राहकों को किसी भी निर्धारित रखरखाव गतिविधियों के लिए अग्रिम एसएमएस सूचनाएँ प्राप्त होती हैं जो सेवा उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण ग्राहकों को अस्थायी सेवा रुकावटों की आशंका में आवश्यक व्यवस्था करने की अनुमति देता है।
2. **वास्तविक समय अलर्ट:** अप्रत्याशित व्यवधानों की स्थिति में, बैंक तुरंत ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से सूचित

- **Social Security Schemes:** Informing individuals about Government-sponsored social security programs.
- **Preventing Cyber Frauds:** Raising awareness about common online scams and best practices for secure digital banking.
- **Digital Transactions:** Teaching people how to use digital platforms for financial transactions.

By actively disseminating this knowledge, the financial counsellors play a crucial role in enhancing financial literacy and promoting responsible financial behavior within the community.

Furthermore, the RBI's Centre for Financial Literacy (CFL) Phase I initiative, launched in 2021 and spanning three years, targets 8 States and one Union Territory. It concentrates on 114 blocks, collaborating with 5 NGOs. The Phase III CFL Project extends its reach to 129 blocks within the same regions, commencing operations in January, February, and March 2024, also for a three-year duration. It engages 9 NGOs and aims to promote financial knowledge in rural and semi-urban areas, with a particular emphasis on economically disadvantaged families and individuals excluded from financial services.

Through these comprehensive efforts, Canara Bank empowers individuals to make informed financial decisions and use banking products safely and responsibly.

3. **Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption / discontinuation of essential services.**

Canara Bank has established robust mechanisms to inform consumers of any risk of disruption or discontinuation of essential services. The Bank prioritizes clear and timely communication to ensure that customers are well-informed and can plan accordingly.

1. **Advance Notifications:** Customers receive advance SMS notifications for any scheduled maintenance activities that might affect service availability. This proactive approach allows customers to make necessary arrangements in anticipation of temporary service interruptions.
2. **Real-Time Alerts:** In the event of unexpected disruptions, the Bank promptly informs

करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक किसी भी समस्या के बारे में जानते हैं और उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

3. **शाखा संचार:** बैंक की शाखाओं को आंतरिक संचार चैनलों के माध्यम से किसी भी व्यवधान के बारे में सूचित किया जाता है। यह शाखा कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से आने वाले ग्राहकों की सहायता करने में सक्षम बनाता है, उन्हें अद्यतित जानकारी और सहायता प्रदान करता है।

4. **डिजिटल चैनल:** सेवा व्यवधानों के बारे में जानकारी बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी दी जाती है, जिसमें इसकी वेबसाइट और मोबाइल बैंकिंग ऐप शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों के पास अपडेट प्राप्त करने के लिए कई चैनल हैं।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां / नहीं)

क) लागू नहीं

ख) ग्राहक सेवा का आकलन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए, बैंक एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से भेजे गए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग करके नियमित ग्राहक सर्वेक्षण करता है, साथ ही बाहरी एजेंसी द्वारा वार्षिक व्यक्तिगत सर्वेक्षण भी करता है। हाल ही में एक बाहरी एजेंसी की मदद से पूरे भारत में व्यक्तिगत ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया, जिसमें लगभग 70,000 प्रतिक्रियाएं एकत्र की गईं। उपरोक्त रिपोर्ट (बाहरी एजेंसी की ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट) ने हमारे बैंक के लिए 86.78% का सीएसएटी स्कोर दिखाया, जो हमारे उत्पादों और सेवाओं के साथ उच्च ग्राहक संतुष्टि को दर्शाता है। यह स्कोर उद्योग के मानदंडों से आगे निकल गया है।

प्रमुख बैंक उत्पादों / सेवाओं का सीएसएटी स्कोर इस प्रकार है :

- नियमित बचत खातों का तुष्टि स्कोर 84.28% है
- चालू खाता तुष्टि स्कोर 86.13% है
- मियादी जमा उत्पादों का तुष्टि स्कोर 93.99% है

customers via SMS. This ensures that customers are aware of any issues as they arise and can take appropriate action.

3. **Branch Communication:** The Bank's branches are kept informed of any disruptions through internal communication channels. This enables branch staff to assist customers who visit in person, providing them with up-to-date information and support.

4. **Digital Channels:** Information about service disruptions is also communicated through the Bank's digital platforms, including its website and mobile banking app, ensuring that customers have multiple channels to receive updates.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes / No)

a) Not Applicable

b) To assess and improve customer service, the bank conducts regular customer surveys using online forms sent via SMS and/or e-mail, as well as annual in-person surveys conducted by an external agency. A recent pan-India, in-person customer satisfaction survey, conducted by engaging an external agency, collected approximately 70,000 responses. The above report (external agency's customer satisfaction survey report) revealed a CSAT score of 86.78% for our Bank, indicating high customer satisfaction with our products and services. This score surpasses industry benchmarks.

CSAT score of major Bank products / services are as under:

- Regular Savings Accounts satisfaction score stands at 84.28%
- Current account satisfaction score stands at 86.13%
- Term Deposit products satisfaction score stands at 93.99%

निष्पक्ष आश्वासन रिपोर्ट

विषय: वित्त वर्ष 2024-2025 हेतु केनरा बैंक के बीआरएसआर (मुख्य संकेतक) पर निष्पक्ष आश्वासन रिपोर्ट

सेवा में
निदेशक मंडल
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल,
बेंगलूरु, - 560 002, कर्नाटक, भारत

आश्वासन का स्वरूप

हमने केनरा बैंक ("बैंक") के लिए 05 दिसंबर, 2024 की ईमेल पुष्टि के माध्यम से बैंक की कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग ("बीआरएसआर") ("रिपोर्ट") में बताए गए बीआरएसआर (मुख्य संकेतक) के लिए 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित एक निष्पक्ष आश्वासन आयोजित करने का दायित्व उठाया है। यह रिपोर्ट बीआरएसआर फ्रेमवर्क के जिम्मेदार कारोबार आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के बाद तैयार की गई है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन ("ईएसजी") संकेतकों में बैंक के प्रदर्शन को शामिल किया गया है और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (संशोधित) ("एलओडीआर विनियम") के विनियमन 34(2)(एफ) की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बीआरएसआर में दी गई जानकारी और उसका प्रस्तुतीकरण बैंक के निदेशकों या शासी निकाय और प्रबंधन की जिम्मेदारी है। रिपोर्ट में शामिल किसी भी सामग्री की तैयारी में हम शामिल नहीं रहे हैं।

हमारा उत्तरदायित्व आश्वासन के परिभाषित दायरे में मूलपाठ, डेटा, ग्राफ और अभिव्यक्तियों पर अपनी राय व्यक्त करना है, जिसका उद्देश्य बैंक के प्रबंधन को सूचित करना है, जो संदर्भ की सहमति शर्तों के अनुरूप है। हम इस विशिष्ट उद्देश्य से परे कोई जिम्मेदारी स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं, और इसका उद्देश्य बैंक के समग्र प्रदर्शन की व्याख्या करने के लिए उपयोग नहीं किया जाना है, सिवाय उन पहलुओं के जो स्पष्ट रूप से दायरे में उल्लिखित हैं। बैंक आश्वासन दायरे के निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को तैयार करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखता है।

INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

Independent Assurance Report to Canara Bank on its BRSR (Core Indicators) for the FY 2024-2025

To
The Board of Directors
Canara Bank
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru - 560 002, Karnataka, India

Nature of the Assurance

We have undertaken to conduct an independent assurance for Canara Bank (the "Bank") vide e-mail confirmation dated December 05, 2024, of its BRSR (Core Indicators) disclosed in the Bank's Business Responsibility and Sustainability Reporting ("BRSR") (the 'Report') pertaining to the reporting period of April 01, 2024, to March 31, 2025. The Report has been prepared following the National Guidelines for Responsible Business Conduct of the BRSR Framework, covering the performance of the Bank across Environmental, Social and Governance ("ESG") indicators and in accordance with requirement of Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (the "LODR Regulations").

Management's Responsibilities

The information in the BRSR and its presentation is the responsibility of the directors or governing body and the Management of the Bank. We have not been involved in the preparation of any of the material included in the report.

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs and statements within the defined scope of assurance, aiming to inform the Management of the Bank, and in alignment with the agreed terms of reference. We do not accept or assume any responsibility beyond this specific purpose, and it is not intended for use in interpreting the overall performance of the Bank, except for the aspects explicitly mentioned within the scope. The Bank holds the responsibility for preparing and ensuring the fair representation of the assurance scope.

व्यवसायियों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हमें प्रदान की गई जानकारी पर एक उचित / सीमित आश्वासन निष्कर्ष प्रकट करें।

हम अपने अनुबंध की योजना और क्रियान्वयन इस बात के बारे में उचित / सीमित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि क्या यह गंभीर लेखांकन त्रुटि से मुक्त है।

आश्वासन पद्धति

हमारी साक्ष्य-संग्रह प्रक्रियाएं आश्वासन का 'उचित' स्तर प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं, जो आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन पूर्ण निश्चितता नहीं है। इसमें इस निष्कर्ष के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है कि बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की गई है और इसमें कोई गंभीर लेखांकन त्रुटि नहीं है।

आश्वासन का दायरा

आश्वासन प्रक्रिया में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए बीआरएसआर के भीतर बीआरएसआर मुख्य संकेतकों की गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन करना शामिल है। रेपोर्टिंग का दायरा और सीमा भारत के सभी बैंक कार्यालयों को सम्मिलित करती है।

अंतर्निहित सीमाएं

गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित अभ्यास के एक महत्वपूर्ण निकाय की अनुपस्थिति अलग-अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, ग्रीनहाउस गैस ("जीएचजी") मात्रा निर्धारण अंतर्निहित अनिश्चितता के अधीन है क्योंकि उत्सर्जन कारकों और विभिन्न गैसों के उत्सर्जन को संयोजित करने के लिए आवश्यक मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अधूरे वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है।

आश्वासन पद्धति

हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था।

Practitioner's Responsibilities

Our responsibility is to express a reasonable / limited assurance conclusion on the information provided to us based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained.

We plan and perform our engagement to obtain reasonable / limited assurance about whether the same is free from material misstatement.

Assurance Standard

Our evidence-gathering procedures were designed to obtain a 'Reasonable' level of assurance, which is a high level of assurance but is not absolute certainty. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to support the conclusion that the information presented in the BRSR Report is fairly stated and is free from material misstatements.

Scope of Assurance

The assurance process involved assessing the quality, accuracy, and reliability of BRSR Core Indicators within the BRSR for the period spanning April 01, 2024 to March 31, 2025. The reporting scope and boundaries include the Bank's offices across India. The assurance verified consolidated data and control systems at the Head Office level.

Inherent Limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities. In addition, Greenhouse Gas ("GHG") quantification is subject to inherent uncertainty because of incomplete scientific knowledge used to determine emissions factors and the values needed to combine emissions of different gases.

Assurance Methodology

The procedures we performed were based on our professional judgement and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies and agreeing or reconciling with underlying records.

अनुबंध की परिस्थितियों को देखते हुए, ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हुए, हमने:

- प्रकट की गई बीपीएसआर मुख्य विषयवस्तु और संबंधित खुलासों की समझ प्राप्त की।
- विभिन्न संकेतकों के मूल्यांकन और/या माप के लिए मूल्यांकन मानदंडों और उनकी उपयुक्तता की समझ प्राप्त की।
- बैंक के प्रबंधन के बारे में पूछताछ की, जिसमें विभिन्न टीमों जैसे कि स्थिरता टीम, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") टीम, आदि और बैंक की वार्षिक रिपोर्टिंग के प्रबंधन की जिम्मेदारी रखने वाले लोग शामिल थे।
- बीआरएसआर के मुख्य तत्वों और संकेतकों के प्रबंधन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की और उनका मूल्यांकन किया, जिसमें साइटों और कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा भी शामिल था।
- रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एकल सीमा (जैसा कि बीआरएसआर में उल्लेख किया गया है) के लिए समेकन की जांच की।
- यह जांचने के लिए कि डेटा को रिकॉर्ड, संकलित और रिपोर्ट किए गए अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया है, एकल सीमा के भीतर सूचना के नमूने के आधार पर सीमित मूल परीक्षण किया गया।
- बीआरएसआर रिपोर्ट की तैयारी में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और निर्णयों की तर्कसंगतता और उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।
- जहां आवश्यक हो, बैंक प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया।

सीमाएँ

हमारा आश्वासन दायरा निम्नलिखित को बाहर रखता है और इसलिए हम इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं:

- आश्वासन दायरे में उल्लिखित प्रकटीकरणों के अलावा अन्य प्रकटीकरण।
- हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए डेटा और सूचना के अलावा किसी भी अन्य डेटा और सूचना का सत्यापन।
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के बाहर का डेटा और जानकारी।

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures referred to above, we:

- Obtained an understanding of the disclosed BRSR Core contents and related disclosures.
- Obtained an understanding of the assessment criteria and their suitability for the evaluation and / or measurements of the various indicators.
- Made enquiries about the Bank's Management, including the various teams such as Sustainability team, Corporate Social Responsibility ("CSR") team, etcetera, and those with the responsibility for managing Bank's Annual Reporting.
- Obtained an understanding and performed an evaluation of the key systems and processes for managing, recording, and reporting on the BRSR Core elements and indicators, including visiting the sites and corporate office.
- Checked the consolidation for the standalone boundary (as mentioned in the BRSR) to ensure the completeness of data being reported.
- Performed limited substantive testing on a sample basis of the information within the standalone boundary to check that data had been appropriately measured with underlying documents recorded, collated, and reported.
- Evaluated the reasonableness and appropriateness of significant estimates and judgements made by the Management in the preparation of the BRSR report.
- Obtained representations from the Bank's Management, where necessary.

Limitations

Our assurance scope excludes the following and therefore we do not draw a conclusion on the same:

- Disclosures other than those mentioned in the assurance scope.
- Validation of any data and information other than those presented into us.
- Data and information outside the defined reporting period i.e., April 01, 2024 to March 31, 2025.

सीमित आसवासन अभिग्रहण का दायरा जोखिम आकलन प्रक्रियाओं (जिसमें आंतरिक नियंत्रण की समझ शामिल है) और आकलित जोखिमों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाइयों के संदर्भ में यथोचित आश्वासन अभिग्रहण की तुलना में काफी कम होता है। रिपोर्ट के कुछ गुणात्मक पहलुओं के बारे में सीमित आश्वासन दिया गया है, जिन्हें इसकी अनिश्चितता तथा अपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष एवं परिणाम

अपनाई गई आश्वासन पद्धति और हमारे द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, हमारा मानना है कि निर्दिष्ट केपीआई (नीचे उल्लेखित) पर बैंक द्वारा अपने बीआरएसआर में प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, विश्वसनीय है, सभी भौतिक मामलों में निष्पक्ष रूप से सूचित की गई जानकारी सटीक, विश्वसनीय है, सभी भौतिक मामलों में निष्पक्ष रूप से सूचित की गई है और बीआरएसआर आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है।

इस आश्वासन अनुबंध के अंतर्गत सत्यापित किए गए बीआरएसआर कोर संकेतकों की सूची अनुलग्नक ल के रूप में संलग्न है।

अनुशंसा

आश्वासन प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर, केनरा बैंक को अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया और परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:

- सभी कार्यालयों और शाखाओं में ईएसजी से संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और समेकन के लिए एक मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू करें और एक नियंत्रण तंत्र स्थापित करें। यह प्रणाली न केवल रिपोर्टिंग दक्षता को बढ़ाएगी बल्कि गलत रिपोर्टिंग के जोखिम को भी कम करेगी।
- आसान पहुंच और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए, बिजली और ईंधन खपत के आंकड़ों के साथ-साथ कार्यालयों और शाखाओं में अपशिष्ट उत्पादन और निपटान के आंकड़ों सहित पर्यावरण संबंधी केपीआई का मासिक विवरण बनाए रखें।
- द्वितीयक स्रोतों पर आधारित अनुमानित अनुमानों पर निर्भर रहने के बजाय, कार्यालयों और शाखाओं में मासिक आधार पर वास्तविक जल खपत के आंकड़ों को रिकॉर्ड करना शुरू करें।
- सभी ईएसजी-संबंधित डेटा को एकत्रित करने और समेकित करने तथा गुणवत्ता जांच करने के लिए जिम्मेदार एक समर्पित पेशेवर की नियुक्ति करें।

A limited assurance engagement is substantially less in scope than a reasonable assurance engagement in relation to both the risk assessment procedures, including an understanding of internal control, and the procedures performed in response to the assessed risks. A limited assurance is provided to certain qualitative aspects of the report which cannot be determined due to its uncertainty and because of incomplete scientific knowledge.

Findings and Conclusions

Based on the assurance methodology adopted and the data that we have obtained, we believe that the information presented by the Bank in its BRSR, on the specified Key Performance Indicators ("KPI") listed below is accurate, reliable, has been fairly stated in all material respects, and is prepared in line with the BRSR requirements.

The list of BRSR Core Indicators that were verified within this assurance engagement is enclosed as Annexure I.

Recommendations

Based on the findings of the assurance process, Canara Bank should undertake the following actions to further improve its reporting process and outcome:

- Implement a robust data management system and establish a control mechanism for the systematic collection, analysis, and consolidation of ESG-related data across all offices and branches. This system will not only enhance reporting efficiency but also mitigate the risk of misreporting.
- Maintain a month-to-month breakdown of environmental KPIs, including electricity and fuel consumption data, as well as waste generation and disposal data across offices and branches, to ensure easy access and verification.
- Begin recording actual water consumption data on a monthly basis across offices and branches instead of relying on approximate estimations based on secondary sources.
- Appoint a dedicated professional responsible for collecting and consolidating all ESG-related data and conducting quality checks.

निर्पेक्षता एवं दक्षता का घोषणा पत्र

हम, कॉर्पोरेट विधि सलाहकारों की एक टीम और अभ्यासगत कंपनी सचिवों की एक टीम, यह पुष्टि करते हैं कि हम केनरा बैंक से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा संस्था, इसकी सहायक कंपनियों एवं हितधारकों के साथ किसी भी प्रकार के पक्षपात अथवा हितों के टकराव से मुक्त हैं। आश्वासन टीम के पास इस कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव है।

उपयोग पर प्रतिबंध

हमारा कार्य केवल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए किया गया था। यह प्रदेय केवल बैंक के निदेशक मंडल के अनुरोध पर जारी किया गया है, जिनके लिए यह संबोधित है। इसका उद्देश्य केवल बैंक की स्थिरता प्रदर्शन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता करना है, तथा इस प्रतिवेदन को वार्षिक रिपोर्ट (जिसमें बीआरएसआर शामिल है) में प्रकाशित करने हेतु प्रदान किया गया है। तदनुसार, हम बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य पक्ष के प्रति किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। हमारे प्रदेय का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए या आपके प्रदेय के पते के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। इस आश्वासन प्रदेय को यदि किसी अन्य उद्देश्य से या किसी अन्य व्यक्ती को दिखाया जाता है या उनके पास यह पहुँचता है, तो उसके लिए हम बिना हमारी पूर्व लिखित सहमति के कोई उत्तरदायित्व या दायित्व स्वीकार नहीं करते।

कृते केदारनाथ एंड कार्तिक

कार्तिक एस एन

साझेदार

एफसीएस नं.: एफ12078 | सीपी नं.: 17639

आईसीएसआई एफआरएन: पी2023केआर098600

आईसीएसआई पीआरएन: 5307/2023

आईसीएसआई यूडीआईएन: एफ012078जी000386056

दिनांक : 20 मई, 2025

स्थान : बेंगलूरु

Statement of Independence and Competence

We a team of Corporate Law Advisors and a team of Practising Company Secretaries affirm our independence from Canara Bank, being free from bias and conflicts of interest with the organization, its subsidiaries, and stakeholders. The assurance team have the required competencies and experience to conduct this engagement.

Restriction on Use

Our work was performed solely to assist you in meeting the reporting requirements. This deliverable has been issued solely at the request of the Board of Directors of the Bank to whom it is addressed, solely to assist the Bank in reporting on the Bank's sustainability performance and activities and for publishing the deliverable in the Annual Report, which includes the BRSR. Accordingly, we accept no liability to anyone other than the Bank. Our deliverable should not be used for any other purpose or by any person other than the addressees of our deliverable. We do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this assurance report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Kedarnath & Karthik

Karthik S N

Partner

FCS No.: F12078 | CP No.: 17639

ICSI FRN: P2023KR098600

ICSI PRN: 5307/2023

ICSI UDIN: F012078G000386056

Date: May 20, 2025

Place: Bengaluru

क्र. सं.	बीआरएसआर कोर विशेषता	बीआरएसआर कोर संकेतक
1	ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न	कुल स्कोप 1 उत्सर्जन कुल स्कोप 2 उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1 +2)
2	जल पदचिह्न	कुल जल खपत गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन जल खपत तीव्रता
3	ऊर्जा पदचिह्न	कुल खपत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % ऊर्जा तीव्रता
4	चक्रीयता को अपनाना	प्लास्टिक कचरा ई-कचरा बैटरी कचरा अन्य खतरनाक कचरा अन्य गैर-खतरनाक कचरा उत्पन्न कुल कचरा रीसाइक्लिंग, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति संचालन के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल कचरा
5	कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा	कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का विवरण
6	व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	महिलाओं को दिया गया सकल वेतन, भुगतान किए गए वेतन का % पॉश पर शिकायतें
7	समावेशी विकास को सक्षम बनाना	एमएसएमई / लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत छोटे शहरों में रोजगार सृजन
8	ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत में निष्पक्षता	ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित मामले कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में देय खातों के दिनों की संख्या
9	व्यापार का खुलापन	व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेन्द्रण ऋण एवं अग्रिम राशि तथा संबंधित पक्षों के साथ निवेश

Sl. No.	BRSR Core Attribute	BRSR Core Indicator
1	Greenhouse Gas (GHG) footprint	Total Scope 1 emissions Total Scope 2 emissions GHG Emission Intensity (Scope 1 +2)
2	Water footprint	Total water consumption Water Discharge by destination and levels of Treatment Water consumption intensity
3	Energy footprint	Total energy consumed % of the energy consumed from renewable sources Energy Intensity
4	Embracing circularity	Plastic waste E-waste Battery waste Other hazardous waste Other non-hazardous waste Total waste generated Total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations Total waste disposed by nature of disposal method
5	Employee well-being and safety	Spending on measures toward the well-being of employees Details of safety-related incidents for employees and workers
6	Enabling gender diversity in business	Gross wages paid to females as % of wages paid Complaints on POSH
7	Enabling Inclusive Development	% of input material directly sourced from MSMEs / small producers Job creation in smaller towns
8	Fairness in engaging with customers and suppliers	Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events Number of days of accounts payable
9	Open-ness of business	Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with related parties



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2024-2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का सिद्धांत

"कॉर्पोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर वार्तालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेहतरीन और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970(यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है।

क) निदेशकों की संरचना और श्रेणी, अन्य निदेशक मंडल या समितियों की संख्या जिसमें एक निदेशक सदस्य या अध्यक्ष है, यहां दिए गए हैं:

Report on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as the 'Best Bank to Bank With,' by pursuing industry benchmarks in Profitability, Operational Efficiency, Asset Quality, Risk Management and Digital Innovation with a mission to provide State-of-the-art Banking solutions, leveraging technology, aiding Ease of Doing Business and enhancing value for all stakeholders through inclusive growth. In its endeavour to attain the goal visualized, the Bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all Stakeholders - Depositors, Shareholders, Customers, Borrowers, Employees and Society through adherence to Corporate Values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the Bank.

a) composition and category of directors, number of other board of directors or committees in which a director is a member or chairperson are here under:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम एवं श्रेणी	कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यालय समाप्ति की तिथि तक)	शैक्षणिक योग्यता	सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित)	उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री विजय श्रीरंगन [बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष]	दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025 तक	बी.टेक, पीजीडीबीएम	0	1. इंडियन फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थेफ्ट - निदेशक
2.	श्री के सत्यनारायण राजु [एमडी व सीईओ]	दिनांक 07.02.2023 से 31.12.2025 तक	एमबीए, सीआईआईबी	0	1. केनफ्रिन होम्स लिमिटेड (सूचीबद्ध) (निदेशक) 2. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (निदेशक) 3. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (निदेशक) 4. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (निदेशक)
3.	श्री देबाशीष मुखर्जी [कार्यपालक निदेशक]	दिनांक 19.02.2018 से 31.05.2025 तक	बीएससी (ऑनर्स), बीए (एसपीएल), एमबीए (फाइनेंस), सीआईआईबी	2	1. केनफ्रिन होम्स लिमिटेड (सूचीबद्ध) (निदेशक) 2. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (निदेशक) 3. केनरा बैंक सिव्योरिटीज लिमिटेड (निदेशक) 4. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (निदेशक)
4.	श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया [कार्यपालक निदेशक]	दिनांक 07.02.2023 से 06.02.2026 तक	बी.एससी, सीआईआईबी	1	1. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (नामित निदेशक) 2. केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (निदेशक) 3. सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक)
5.	श्री भवेन्द्र कुमार [कार्यपालक निदेशक]	दिनांक 09.10.2023 से 08.10.2026 तक	बीए ऑनर्स, सीआईआईबी	1	शून्य
6.	श्री एस के मजुमदार [कार्यपालक निदेशक]	दिनांक 24.03.2025 से 23.03.2028 तक	बी.कॉम (ऑनर्स), सीए व सीएमए	1	शून्य
7.	श्री प्रशांत कुमार गौयल [भारत सरकार के नामित निदेशक]	दिनांक 25.10.2023 से अगले आदेश तक	एमबीबीएस	2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (नामित निदेशक)

Sl. No.	Name & Category of Directors	Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office)	Educational Qualification	No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Bank)	Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship
1.	Shri. Vijay Srirangan [Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman]	07.11.2022 to 06.11.2025	B.Tech, PGDBM	0	1. Indian Federation against Software Theft (Director)
2.	Shri. K Satyanarayana Raju [MD&CEO]	07.02.2023 to 31.12.2025	MBA, CAIIB	0	1. Can Fin Homes Limited (Listed) (Director) 2. Indian Institute of Banking and Finance (Director) 3. Canara Robeco Asset Management Company Limited (Director) 4. Canara HSBC Life Insurance Company Limited (Director)
3.	Shri. Debashish Mukherjee [Executive Director]	19.02.2018 to 31.05.2025	B.Sc. (Hons), B.A. (Spl), MBA (Finance), CAIIB	2	1. Can Fin Homes Limited (Listed) (Director) 2. Canara Robeco Asset Management Company Limited (Director) 3. Canara Bank Securities Limited (Director) 4. Canara HSBC Life Insurance Company Limited (Director)
4.	Shri. Hardeep Singh Ahluwalia [Executive Director]	07.02.2023 to 06.02.2026	B.Sc., CAIIB	1	1. Canbank Factors Limited (Nominee Director) 2. Canbank Computer Services Limited (Director) 3. CRMF Trustee Private Limited (Director)
5.	Shri. Bhavendra Kumar [Executive Director]	09.10.2023 to 08.10.2026	B.A. Hons, CAIIB	1	NIL
6.	Shri. S K Majumdar [Executive Director]	24.03.2025 to 23.03.2028	B.Com. (Hons), CA & CMA	1	NIL
7.	Shri. Parshant Kumar Goyal [GOI Nominee Director]	25.10.2023 to Until further Orders	MBBS	2	The New India Assurance Company Limited (Nominee Director)

क्र.सं.	निदेशकों का नाम एवं श्रेणी	कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यालय समाप्ति की तिथि तक)	शैक्षणिक योग्यता	सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित)	उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी
8.	श्री रोहित दास [आरबीआई नामित निदेशक]	दिनांक 05.08.2024 से अगले आदेश तक	एम.ए., एम. फिल. (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार), सीएआईआईबी	1	शून्य
9.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा [शेयरधारक निदेशक]	दिनांक 27.07.2019 से 26.07.2025 तक	बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी	2	शून्य
10.	सुश्री आभा सिंह यदुवंशी [शेयरधारक निदेशक]	दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 तक	बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स), पीजीडीबीए और एमए (अर्थशास्त्र)।	2	शून्य
11.	श्री हेमंत बुच [शेयरधारक निदेशक]	दिनांक 30.11.2024 से 29.11.2027 तक	बी.कॉम (ऑनर्स),	1	शून्य

Sl. No.	Name & Category of Directors	Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office)	Educational Qualification	No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Bank)	Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship
8.	Shri. Rohit Das [RBI Nominee Director]	05.08.2024 to Until further Orders	M.A., M.Phil. (Inter-national Trade), CAIIB	1	NIL
9.	Shri. Bimal Prasad Sharma [Shareholder Director]	27.07.2019 to 26.07.2025	B.Sc. (Hons.), MA, LLB	2	NIL
10.	Ms. Abha Singh Yaduvanshi [Shareholder Director]	27.07.2022 to 26.07.2025	B.A. Economics (Hons), PGDBA and MA	2	NIL
11.	Shri. Hemant Buch [Shareholder Director]	30.11.2024 to 29.11.2027	B.Com. Hons	1	NIL

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जिन निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनका विवरण है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम एवं श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता	कार्यालय की अवधि	कार्यालय समाप्ति की तिथि
1.	श्री आर केसवन (आरबीआई नामित निदेशक)	एमए, एमसीजे, सीएआईआईबी	दिनांक 26.04.2019 से 04.08.2024 तक	04.08.2024
2.	श्री करुणाकर शेट्टी शेयरधारक निदेशक	बी.कॉम, एफसीए	दिनांक 30.11.2021 से 29.11.2024 तक	29.11.2024
3.	सुश्री नलिनी पद्मनाभन [#] (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	बी. कॉम., एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए	दिनांक 21.12.2021 से 20.12.2024 तक	20.12.2024
4.	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	एम.कॉम, एफसीए, एलएलबी	दिनांक 21.03.2022 से 20.03.2025 तक	20.03.2025
5.	श्री अशोक चंद्र (कार्यपालक निदेशक)	एमए, सीएआईआईबी, एमएल और केवाईसी में डिप्लोमा	दिनांक 21.11.2022 से 15.01.2025 तक	15.01.2025

सुश्री नलिनी पद्मनाभन को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11.04.2025 से बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING THE FINANCIAL YEAR 2024-25

Sl. No.	Name & Category of Directors	Educational Qualification	Term of Office	DATE OF CESSATION OF OFFICE
1.	Shri. R Kesavan (RBI Nominee Director)	M.A., MCJ, CAIIB	26.04.2019 to 04.08.2024	04.08.2024
2.	Shri. Karunakara Shetty (Shareholder Director)	B.Com, FCA	30.11.2021 to 29.11.2024	29.11.2024
3.	Ms. Nalini Padmanabhan [#] (Part-time Non-Official Director)	B.Com., FCA, DISA, CISA	21.12.2021 to 20.12.2024	20.12.2024
4.	Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director)	M.Com., FCA, LLB	21.03.2022 to 20.03.2025	20.03.2025
5.	Shri. Ashok Chandra (Executive Director)	M.A., CAIIB, Diploma in AML & KYC	21.11.2022 to 15.01.2025	15.01.2025

Ms. Nalini Padmanabhan has been re-nominated by Central Government as Part-time Non-Official Director of the Bank w.e.f 11.04.2025.

ख) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और तिथियां निम्नानुसार हैं:

बैठकों की संख्या: 14

बैठक की तिथि : 08.05.2024, 31.05.2024, 27.06.2024,
25.07.2024, 29.08.2024, 27.09.2024, 29.10.2024,
27.11.2024, 19.12.2024, 27.01.2025, 10.02.2025,
28.02.2025, 19.03.2025 & 26.03.2025

b) Number of Meetings of the Board of Directors and dates are as under:

No. of Meetings: 14

Date of Meetings: 08.05.2024, 31.05.2024,
27.06.2024, 25.07.2024, 29.08.2024, 27.09.2024,
29.10.2024, 27.11.2024, 19.12.2024, 27.01.2025,
10.02.2025, 28.02.2025, 19.03.2025 &
26.03.2025

ग) निदेशक मंडल की बैठक और अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

तालिका - 2

निदेशकों का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या	निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया
श्री विजय श्रीरंगन [अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष]	14	14	हां
श्री के सत्यनारायण राजु [एमडी व सीईओ]	14	14	हां
श्री देबाशीष मुखर्जी [कार्यपालक निदेशक]	14	12	हां
श्री अशोक चंद्र* [कार्यपालक निदेशक]	9	9	हां
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया [कार्यपालक निदेशक]	14	14	हां
श्री भवेन्द्र कुमार [कार्यपालक निदेशक]	14	13	हां
श्री एस के मजुमदार# [कार्यपालक निदेशक]	1	1	हां
श्री प्रशान्त कुमार गोयल [कार्यपालक निदेशक]	14	10	हां
श्री आर. केसवन* [आरबीआई नामित निदेशक]	4	4	हां
श्री रोहित दास* [आरबीआई नामित निदेशक]	10	7	लागू नहीं
सुश्री नलिनी पद्मनाभन* [अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक]	9	9	हां
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन* [अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक]	13	13	हां
श्री बिमल प्रसाद शर्मा [शेयरधारक निदेशक]	14	14	हां
श्री करुणाकर शेटी* [शेयरधारक निदेशक]	8	8	हां
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी [शेयरधारक निदेशक]	14	14	हां
श्री हेमंत बुच* [शेयरधारक निदेशक]	6	5	लागू नहीं

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

* वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया

c) Attendance of each Director at the meeting of the Board of Directors and the last Annual General Meeting:

Table - 2

Name of Directors	No. of Meetings of Board of Directors held During their Tenure	No. of Meetings of Board of Directors Attended	Last Annual General Meeting Attended
Shri. Vijay Srirangan [Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman]	14	14	Yes
Shri. K Satyanarayana Raju [MD & CEO]	14	14	Yes
Shri. Debashish Mukherjee [Executive Director]	14	12	Yes
Shri. Ashok Chandra* [Executive Director]	9	9	Yes
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia [Executive Director]	14	14	Yes
Shri. Bhavendra Kumar [Executive Director]	14	13	Yes
Shri. S K Majumdar# [Executive Director]	1	1	Yes
Shri. Parshant Kumar Goyal [GOI Nominee Director]	14	10	Yes
Shri. R Kesavan* [RBI Nominee Director]	4	4	Yes
Shri. Rohit Das# [RBI Nominee Director]	10	7	Not Applicable
Ms. Nalini Padmanabhan* [Part-time Non-Official Director]	9	9	Yes
Shri. Dibakar Prasad Harichandan* [Part-time Non-Official Director]	13	13	Yes
Shri. Bimal Prasad Sharma [Shareholder Director]	14	14	Yes
Shri. Karunakara Shetty* [Shareholder Director]	8	8	Yes
Ms. Abha Singh Yaduvanshi [Shareholder Director]	14	14	Yes
Shri. Hemant Buch# [Shareholder Director]	6	5	Not Applicable

Joined as Member during the year

* Ceased as Member during the year

घ) दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है

ड) दिनांक 31.03.2025 तक गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास बैंक के 12005 इक्विटी शेयर थे

च) वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/22148_24-25.pdf

छ) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं:

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल/विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

- बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण, अग्रिम और जमा), नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उस उद्योग, का ज्ञान जिसमें बैंक संचालित होता है।
- व्यापार रणनीति, साख और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।
- व्यावहारिक कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं
- वित्तीय और प्रबंधन कौशल
- बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

d) None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se, as on 31.03.2025.

e) Non-executive Directors held 12005 equity shares of the Bank as on 31.03.2025.

f) The details of familiarization programmes imparted to Directors during FY 2024-25 are available on Bank's website at the following link: https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/22148_24-25.pdf

g) Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

The following are the list of core Skills / Expertise/ Competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

- Knowledge on Bank's businesses (especially loans, advances and deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.
- Business Strategy, Credit & Risk Management, Information technology/ Digitization, efficiency of capital use, growth of business, NPA management, financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.
- Behavioral skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank.
- Financial and Management skills.
- Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking's business.

निदेशकों का विवरण	कौशल / विशेषज्ञता / योग्यता
श्री विजय श्रीरंगन	अपने करियर के दौरान, उन्होंने कई तरह की जिम्मेदारियां निभाईं, जिनमें प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त प्रौद्योगिकी अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री, टर्नकी एगेंजमेंट और सिस्टम एकीकरण शामिल थे।
श्री के सत्यनारायण राजु	शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट ऋण, खुदरा ऋण, एमएसएमई, कृषि वित्तपोषण, ऋण निगरानी, वसूली, निरीक्षण, अनुपालन, लेखा परीक्षा, सामान्य प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल बैंकिंग आदि सहित बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में समृद्ध अनुभव।
श्री देबाशीष मुखर्जी	कॉर्पोरेट ऋण, ऋण निगरानी, दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन और वसूली में व्यापक अनुभव।
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया	भारत और विदेश (हांगकांग) में बैंकिंग प्रणाली (ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/मेट्रो भौगोलिक क्षेत्र) के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में तीन दशकों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव
श्री भवेन्द्र कुमार	बैंक के स्वर्ण ऋण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया तथा कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पहले 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले दिल्ली अंचल कार्यालय का नेतृत्व किया।
श्री एस के मजुमदार	पिछले कई वर्षों से वे प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाते रहे हैं, जिनमें बृहद कॉर्पोरेट शाखाओं, न्यूयॉर्क शाखा और बृहद कॉर्पोरेट साख विभाग का नेतृत्व शामिल है।
श्री प्रशांत कुमार गोयल	वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित विभिन्न विषयों पर काम किया था। उन्हें पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में काम करने का भी समृद्ध अनुभव है।
श्री रोहित दास	रिज़र्व बैंक में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मुंबई के विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों जैसे जोखिम विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग और पर्यवेक्षण विभाग में भी काम किया है। उन्होंने एआई-एमएल के माध्यम से ऑफ़साइट पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए एक परियोजना की भी देखरेख की है।
श्री बिमल प्रसाद शर्मा	जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	वे लोक सभा सचिवालय से अतिरिक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुईं। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने बैंकिंग मामलों, वित्त, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया।
श्री हेमंत बुच	वह पिछले लगभग 30 वर्षों से पारंपरिक जीवन के साथ-साथ समूह जीवन उत्पादों के विपणन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

Details of Directors	Skills / Expertise / Competence
Shri. Vijay Srirangan	During his career, he had a wide spectrum of responsibilities, including, inter alia, Training, Applied Technology Research, International Sales, Turnkey Engagements as well as Systems Integration.
Shri. K Satyanarayana Raju	Rich experience in all segments of banking including Branch Banking, Corporate Credit, Retail Credit, MSME, Agri Financing, Credit Monitoring, Recovery, Inspection, Compliance, Audit, General Administration, Information Technology & Digital Banking, etc.
Shri. Debashish Mukherjee	Vast experience in Corporate Credit, Credit Monitoring, Stressed Assets Management and Recovery.
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia	Rich banking experience for more than three decades in various functional areas of Banking system (Rural / Semi-Urban / Urban / Metro geographies) in India and abroad (HK).
Shri. Bhavendra Kumar	Worked as Gold Loan Wing Head of the Bank and was heading Delhi Circle Office with a business of more than 2.5 lakh Crore Rupees, until he was elevated to the post of Executive Director.
Shri. S K Majumdar	Over the years, he has held key leadership roles, heading Large Corporate Branches, New York branch and Large Corporate Credit Wing.
Shri. Parshant Kumar Goyal	During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC) and Regional Rural Banks (RRBs). He also has a rich experience of working in Education sector in the States of Punjab & Tripura.
Shri. Rohit Das	Pivotal in setting up the Enterprise Risk Management Framework in the Reserve Bank and has also worked in various Central Office Departments, Mumbai such as the Risk Department, Department of External Investments and Operations and the Department of Supervision. He also oversaw a project to strengthen offsite supervision through AI-ML.
Shri. Bimal Prasad Sharma	Risk Management, Executive Director of Bank of India.
Ms. Abha Singh Yaduvanshi	She retired as Additional Secretary from Lok Sabha Secretariat. During her service she acquired knowledge & experience in Banking matters, Finance, Agriculture, Information Technology etc.
Shri. Hemant Buch	He has been actively associated with marketing of Conventional Life as well as Group Life products for almost last 30 years.

ज) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

h) In the opinion of the Board, Independent Directors fulfill the conditions specified in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations, 2015] and are independent of the management.

झ) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र देने की कोई घटना नहीं है।

ज) बोर्ड / निदेशक का कार्य निष्पादन मूल्यांकन निम्नानुसार है:

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970" अर्थात् इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा अन्य श्रेयधारकों के बीच से चुने गए 3 निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। तीन श्रेयधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और गैर-आधिकारिक निदेशक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 (स्वतंत्र निदेशक) की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और ये प्रबंधन से भी स्वतंत्र हैं।

बोर्ड वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (मंत्रालय) के पत्र क्रमांक सं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 के अनुसार, मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के अनुरूप पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी ऋण मानदंड में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को कवर करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) के अभिशासन में सुधार संबंधी अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/20/2019-बीओ.आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने

i) There is no incidence of resignation of any Independent Director during the financial year 2024-25 before the expiry of his / her tenure.

j) The performance evaluation of Directors / Board is as under:

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors to be carried out on an annual basis. The Composition & Terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed by "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970".

All the Directors, except three Directors elected amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The three Shareholder Directors (Independent Directors) & Non-Official Directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act) (Independent Directors), fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the Management.

The Board evaluates the performance of Whole-Time Directors using an evaluation matrix as per the Key Performance Indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI ("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service excellence (EASE). The KPI indicators broadly cover Efficiency of Capital Use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in External Credit Rating, Initiative to improve Asset Quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

Government of India with a view to improve Corporate Governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019.

गैर-सरकारी निदेशकों को, बैंकिंग कंपनी की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशकों को (गैर-कार्यकारी उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970/1980 (अधिनियम), के तहत नामित करने के साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), 1970/1980 के तहत नियुक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जो कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित "स्वतंत्र निदेशकों" के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया है।

शेयरधारकों निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

3) बोर्ड समिति:

(क) लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन, बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।

(i) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:

क.	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना व सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
ख.	लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
ग.	बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना
घ.	बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

The Government referred the Non-Official Directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (Act), including non-executive chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 to be similar in nature to "Independent Directors" defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the Corporate Governance in PSBs.

The evaluation of Shareholder Directors / Independent Directors is being done on annual basis. Transparency and Independence in functioning of the Board is ensured.

3) Board Committees

(A) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted by the Bank as per guidelines of Reserve Bank of India, the Government of India and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time.

ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

(i) The major functions of the committee are as under:

a.	To oversee the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
b.	To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
c.	To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports.
d.	To review Bank's finance and risk management policies.

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा दीर्घ प्रारूप लेखा परीक्षा विवरणी(एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों /मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसीसंख्या: 4/08.91.20/ 2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा कैलेंडर आधारित समीक्षा के बारे में सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिज्ञासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें विधिवत रूप से कैलेंडर आधारित समीक्षा के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

(ii) दिनांक 31.03.2025 तक लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना:

सुश्री आभा सिंह यदुवंशी-समिति की अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक)
श्री प्रशांत कुमार गोयल (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)
श्री रोहित दास (आरबीआई नामित निदेशक)
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)

(iii) लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठकों की संख्या: 11

बैठक की तिथि: 08.05.2024, 17.05.2024, 24.06.2024, 25.07.2024, 30.08.2024, 27.09.2024, 29.10.2024, 14.11.2024, 27.01.2025, 10.02.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
सुश्री नलिनी पद्मनाभन, (उनका कार्यकाल दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ)	8	8

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/ 2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO.4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

(ii) The Composition of members of Audit Committee as on 31.03.2025:

Ms. Abha Singh Yaduvanshi Chairperson of the Committee (Shareholder Director)
Shri. Parshant Kumar Goyal (GOI Nominee Director)
Shri. Rohit Das (RBI Nominee Director)
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings: 11

Date of Meetings: 08.05.2024, 17.05.2024, 24.06.2024, 25.07.2024, 30.08.2024, 27.09.2024, 29.10.2024, 14.11.2024, 27.01.2025, 10.02.2025

Name of Director	No. of Meetings held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Ms. Nalini Padmanabhan (Her tenure completed on 20.12.2024)	8	8

श्री प्रशांत कुमार गोयल	11	9
श्री आर. केसवन, (वे दिनांक 05.08.2024 तक सदस्य थे)	4	4
श्री रोहित दास, (वे दिनांक 05.08.2024 से सदस्य हैं)	7	4
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, (उनका कार्यकाल दिनांक 20.03.2025 को पूरा हुआ)	4	4
श्री करुणाकर शेट्टी, (उनका कार्यकाल दिनांक 29.11.2024 को पूरा हुआ)	4	4
श्री बिमल प्रसाद शर्मा	11	10
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, अध्यक्ष, एसीबी	11	11
श्री हेमंत बुच, (वे दिनांक 30.11.2024 से 20.03.2025 तक सदस्य थे)	3	2

ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण संदर्भ संख्या एफ.सं.16/19/2019-बीओ.दिनांक 30.08.2019 के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को जारी किए गए निदेशक मंडल के आदेशों के अनुसार है।

(i) समिति के प्रमुख कार्य:

क) नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करें:

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी
(उपरोक्त सूची केवल उदाहरणस्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है)

ख) समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मानदंडों में से किसी का पालन न करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक/ प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न होगी।

ग) इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण / नियामक एजेंसी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने वाले या किसी बैंक या वित्तीय

Shri. Parshant Kumar Goyal	11	9
Shri. R Kesavan, (He was member upto 05.08.2024)	4	4
Shri. Rohit Das, (He is member from 05.08.2024)	7	4
Shri. Dibakar Prasad Harichandan (His tenure completed on 20.03.2025)	4	4
Shri. Karunakara Shetty (His tenure completed on 29.11.2024)	4	4
Shri. Bimal Prasad Sharma	11	10
Ms. Abha Singh Yaduvanshi Chairperson of ACB	11	11
Shri. Hemant Buch (He was member from 30.11.2024 to 20.03.2025)	3	2

B) Nomination and Remuneration Committee:

In terms of orders of the Board of Directors on 30.09.2019 based on DFS, MoF, GoI communication Ref.No F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019.

(i) The major functions of the committee are as under:

- Determine the 'Fit and Proper' status of the Existing Elected Directors / Proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:
 - Educational Qualification
 - Experience and Field of Expertise
 - Track Record and Integrity
(The above list is only illustrative and not exhaustive)
- The committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the board of the Bank.
- Further, the candidate coming to the adverse notice of any Authority / Regulatory agency

संस्थान से किसी भी ऋण की दिवालिया या चूक करने वाले उम्मीदवार, बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुचित करार दिए जाएंगे।

घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन

ड) समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में परिभाषित ऐसे अन्य कार्य

(ii) दिनांक 31.03.2025 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का गठन और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

श्री हेमंत बुच - समिति के अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक)
श्री प्रशांत कुमार गोयल (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)

(iii) बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठक की तिथियां: 14.11.2024

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री प्रशांत कुमार गोयल (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक)	1	1
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 20.03.2025 को पूरा हुआ)	1	1
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)	1	1

or insolvency or default of any loan from any bank or Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the board of the Bank.

d) Performance Linked Incentives to Whole-time Directors of Public Sector Banks.

e) Such other Functions as defined in SEBI (LODR) Regulations, 2015 amended from time to time.

(ii) The composition of members of Nomination and Remuneration Committee as on 31.03.2025:

Shri. Hemant Buch Chairperson of the Committee (Shareholder Director)
Shri. Parshant Kumar Goyal (GOI Nominee Director)
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meeting(s): 14.11.2024

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri. Parshant Kumar Goyal (GOI Nominee Director)	1	1
Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director) (His tenure completed on 20.03.2025)	1	1
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)	1	1

गैर-सरकारी निदेशक के कार्यनिष्पादन का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:

व्यावसायिक एवं नैतिक आचरण का पालन किया गया:

क्र. सं.	गुण
1	कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना
2	बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना
3	समुचित और भलीभाँति देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का अभ्यास
4	प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का परिहार हितों का टकराव
5	स्वयं या रिश्तेदारों, साझेदारों या सहयोगियों को अनुचित लाभ या लाभ से बचना
6	वाणिज्यिक गोपनीयता और अप्रकाश्य बाजार-संवेदनशील जानकारी सहित सूचना की गोपनीयता बनाए रखना

योगदान:

क्र. सं.	गुण
1	सभी बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने का प्रयास
2	जहां आवश्यक हो, उचित स्पष्टीकरण या सूचना का विस्तार करना
3	बैठकों और टिप्पणियों में बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का कार्यनिष्पादन
4	बैंक के मामलों में बेहतर निर्णय लेने और प्रबंधन के रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान
5	बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर प्रतिक्रिया की समयबद्धता

ग) शेयरधारक संबंध समिति

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

Board's evaluation of performance of Non-Official Directors is based on the following parameters:

Professional and Ethical Conduct observed:

Sl. No.	Attribute
1	Acting in accordance with provisions of laws, rules and regulations
2	Acting in the best interest of the Bank
3	Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement
4	Avoidance of direct or indirect conflicts of interest
5	Avoidance of undue gain or advantage either to self or relatives, partners or associates
6	Maintaining confidentiality of information, including commercial secrets and unpublished market - sensitive information

Contributions:

Sl. No.	Attribute
1	Striving to attend all Board and committee meetings
2	Seeking appropriate clarification or amplification of information where necessary
3	Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the Bank and external environment in meetings and comments
4	Contribution in terms of constructive ideas, guidance and knowledge of better decision making and management of Bank's affairs
5	Timeliness of feedback on decisions being taken by the Bank

C) Stakeholders Relationship Committee:

The committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related on transfer of shares, non- receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

(i) समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

क) बैंक के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिनमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए / डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

ख) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए उठाए गए उपायों की समीक्षा।

ग) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

घ) अदावाकृत लाभांश की मात्रा को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट/ वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

शेयरधारक निदेशक श्री हेमंत बुच समिति की अध्यक्ष हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार, श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2025 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयरधारकों की शिकायत के आंकड़े:

वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें / अभ्यावेदन	236
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का समाधान नहीं किया गया	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

ii) दिनांक 31.03.2025 तक हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना:

श्री हेमंत बुच - समिति के अध्यक्ष (शेयरधारक निदेशक)
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)

(i) The major functions of the committee are as under:

(a) Resolving the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new / duplicate certificates, general meetings etc.

(b) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders.

(c) Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent.

(d) Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports / statutory notices by the shareholders of the company.

Shri. Hemant Buch, Shareholder Director, is the chairperson of the Committee.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary is the Compliance Officer of the bank as on 31.03.2025.

Shareholder's Grievances Statistics:

Complaints / Representations received during the year	236
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

ii) The composition of members of Stakeholders Relationship Committee as on 31.03.2025:

Shri. Hemant Buch - Chairperson of the Committee (Shareholder Director)
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)

श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)

(iii) हितधारक संबंध समिति के सदस्यों के गठन और बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 2

बैठक की तिथियां: 29.08.2024, 28.02.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)	2	2
श्री अशोक चंद्र (कार्यपालक निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 15.01.2025 को पूरा हुआ)	1	1
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)	2	2
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)	2	2
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)	2	2
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)	2	2
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)	1	1
श्री करुणाकर शेट्टी (शेयरधारक निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 29.11.2024 को पूरा हुआ)	1	1

(घ) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन क्षेत्र के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियां बनाई हैं।

Shri. S K Majumdar (Executive Director)
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meeting(s) : 29.08.2024 & 28.02.2025

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)	2	2
Shri. Ashok Chandra (Executive Director) (His tenure completed on 15.01.2025)	1	1
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)	2	2
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)	2	2
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)	2	2
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)	2	2
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)	1	1
Shri. Karunakara Shetty (Shareholder Director) (His tenure completed on 29.11.2024)	1	1

(D) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति तैयार करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, इसलिए चार उच्च स्तरीय समितियाँ अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित की गई हैं, जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं, वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

समिति का समग्र उत्तरदायित्व बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति तय करना तथा तरलता, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और इक्विटी मूल्य जोखिमों की सीमा निर्धारित करना है।

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य ऋण जोखिम से संबंधित मामलों से निपटने वाली ऋण नीति समिति (सीपीसी) और बाजार जोखिम से निपटने वाली आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कामकाज का समन्वय, समीक्षा और निगरानी करना है।

समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें बैंक के विभिन्न जोखिम शामिल होंगे जिसमें ऋण जोखिम भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, समिति ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हो, के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय करेगी।

(i) समिति के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- क) जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों की देखरेख करना और बैंक की रणनीतियों और योजनाओं पर इन जोखिमों के वास्तविक और संभावित प्रभाव का आकलन करना।
- ख) सभी जलवायु-संबंधी जोखिम रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन की देखरेख करना तथा यह सुनिश्चित करना कि ऐसी रणनीतियाँ बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप हों।
- ग) जलवायु संबंधी नीति, रणनीति, उद्देश्य-निर्धारण और कार्यनिष्पादन निगरानी का मार्गदर्शन करना।

A Board level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated risk management system for the Bank.

As the risk management system is required to be implemented through a committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks.

The Committee will have the overall responsibility of deciding the Risk Management Policy of the Bank and set limits for liquidity, interest rate, foreign exchange and equity price risks.

The functions of the Risk Management Committee are to co-ordinate, review and monitor the functioning of Credit Policy Committee (CPC) dealing with credit risk related matters and Asset Liability Management Committee (ALCO) which is dealing with market risk.

The Committee shall devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the bank including the credit risk. For this purpose, the Committee shall effectively co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee and other Risk Committees of the Bank, if any.

(i) The major functions of the committee are as under:

- a) To oversee climate-related and environmental risks and opportunities and assessing the actual and potential impact of these risks on Bank's strategies and plans.
- b) To oversee development and implementation of all climate-related risk strategies and ensure that such strategies are in line with the vision of the Bank.
- c) Guiding climate-related policy, strategy, objective-setting, and performance monitoring.

घ) जलवायु-संबंधी और पर्यावरणीय जोखिमों और अवसरों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाओं को अनिवार्य बनाना।

ड) बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) (प्रारंभिक चेतावनी संकेत) ईडब्ल्यूएस और (खातों की रेड फ्लैगिंग) आरएफए के लिए ढांचे की प्रभावशीलता की देखरेख करेगी। वरिष्ठ प्रबंधन बैंक के भीतर ईडब्ल्यूएस और आरएफए के लिए एक मजबूत ढांचे के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

च) ऋण सुविधाओं / ऋण खातों और अन्य बैंकिंग लेन-देन की निगरानी के लिए पहचाने गए ईडब्ल्यूएस संकेतकों को आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस अलर्ट/ट्रिगर्स की जांच के लिए उचित टर्नअराउंड समय (टीएटी), अधिमानतः 30 दिनों से अधिक नहीं, आरएमसीबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

छ) आरएमसीबी, बोर्ड द्वारा अनुमोदित आवधिक अंतरालों पर ईडब्ल्यूएस अलर्ट / ट्रिगर, बैंक द्वारा शुरू की गई सुधारात्मक कार्रवाइयों आदि सहित लाल झंडी वाले खातों की स्थिति की समीक्षा करेगा।

ज) ईडब्ल्यूएस / आरएफए ढांचा आरएमसीबी के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सत्यापन के अधीन होगा ताकि इसकी अखंडता, मजबूती और परिणामों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

झ) बैंकों को इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी मौजूदा ईडब्ल्यूएस प्रणाली को लागू करना होगा / उचित रूप से अपग्रेड करना होगा।

(ii) दिनांक 31.03.2025 तक जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना नीचे दी गई है:

श्री के सत्यनारायण राजु (एमडी व सीईओ)
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक) - समिति के अध्यक्ष
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)

d) Mandating processes to identify and manage climate-related and environmental risks and opportunities.

e) The Risk Management Committee of the Board (RMCB) shall oversee the effectiveness of the framework for (Early Warning Signals) EWS and (Red Flagging of Accounts) RFA. The Senior Management shall be responsible for implementation of a robust Framework for EWS and RFA within the bank.

f) The EWS indicators identified for monitoring credit facilities / loan accounts and other banking transactions shall be approved by the RMCB. Appropriate Turnaround Time (TAT), preferably not more than 30 days, for examination of EWS alerts / triggers shall be prescribed by the RMCB.

g) RMCB shall review the status of Red Flagged Accounts, including the EWS alerts / triggers, remedial actions initiated by the bank, etc. at periodic intervals as approved by the Board.

h) The EWS / RFA framework shall be subject to suitable validation in accordance with the directions of RMCB so as to ensure its integrity, robustness and consistency of the outcomes.

i) Banks shall put in place / suitably upgrade their existing EWS system within six months from the date of issuance of these directions.

ii) The composition of members of Risk Management Committee as on 31.03.2025 is given below:

Shri. K Satyanarayana Raju (MD & CEO)
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director) - Chairman of the Committee
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)

(iii) बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 09

बैठक की तिथियां : 30.05.2024, 24.07.2024,
26.09.2024, 08.11.2024, 22.01.2025, 10.02.2025,
28.02.2025, 18.03.2025 व 26.03.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री के सत्यनारायण राजु (एमडी व सीईओ)	9	9
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)	6	4*
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)	2	2 [#]
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक) (वे दिनांक 15.01.2025 तक सदस्य थे)	4	3
सुश्री नलिनी पद्मनाभन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 20.12.2024 को पूरा हुआ)	4	4
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 20.03.2025 को पूरा हुआ)	8	8
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)	9	9
श्री करुणाकर शेट्टी (शेयरधारक निदेशक) (उनका कार्यकाल दिनांक 29.11.2024 को पूरा हुआ)	4	4
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)	9	9
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)	5	4

* पर्यवेक्षी कार्यपालक निदेशक के समवर्ती प्रभार के रूप में बैठक में भाग लिया।

पर्यवेक्षी कार्यपालक निदेशक के समवर्ती प्रभार के रूप में बोर्ड की अन्य समितियों / उप समितियों की बैठक में भाग लिया।

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 9

Dates of Meeting(s) : 30.05.2024, 24.07.2024,
26.09.2024, 08.11.2024, 22.01.2025, 10.02.2025,
28.02.2025, 18.03.2025 & 26.03.2025

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri. K Satyanarayana Raju (MD & CEO)	9	9
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)	6	4*
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)	2	2 [#]
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director) (He was member upto 15.01.2025)	4	3
Ms. Nalini Padmanabhan (Part-time Non-Official Director) (Her tenure completed on 20.12.2024)	4	4
Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director) (His tenure completed on 20.03.2025)	8	8
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)	9	9
Shri. Karunakara Shetty (Shareholder Director) (His tenure completed on 29.11.2024)	4	4
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)	9	9
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)	5	4

* Meeting Attended as Concurrent Charge of overseeing Executive Director.

Meeting Attended as Concurrent Charge of overseeing Executive Director other Committees / Sub Committees of the Board.

(ड) बोर्ड की अन्य समितियाँ/उप समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है।

(i) विचारणीय विषयों का संक्षिप्त विवरण:

प्रबंधन समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूरी देने, ऋणों के समझौते / निपटान बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव को पूंजीगत और राजस्व व्यय की मंजूरी, परिसर का अधिग्रहण और किराए पर लेने वाद / अपील दायर करने, निवेश, दान और बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित या सौंपे गए किसी भी अन्य मामले के संबंध में समिति में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करती है।

प्रबंधन निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की विवेकाधीन शक्तियों से परे ऋण / लोन समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों पर विचार करना, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, परिसर का अधिग्रहण एवं किराये पर लेना, वाद / अपील दायर करना एवं बचाव करना, सरकारी एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, कंपनियों के शेयरों एवं डिबेंचर में निवेश, जिसमें हामीदारी, दान आदि शामिल हैं।

(ii) दिनांक 31.03.2025 तक प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना:

श्री के सत्यनारायण राजु (एमडी व सीईओ) - समिति के अध्यक्ष
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)
श्री. रोहित दास (आरबीआई नामित निदेशक)
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)

(E) Other Committees/ Sub committees of the Board:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

(i) Brief description of Terms of Reference:

The Management Committee exercises all the powers vested with the committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise/ settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits/ appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the committee by the Board.

Considering credit / loan compromise / write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing and defending suits / appeals, investment in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting, donations, etc., beyond the discretionary powers of the Managing Director & Chief Executive Officer.

(ii) The Composition of members of the Management Committee as on 31.03.2025:

Shri. K Satyanarayana Raju (MD & CEO) Chairman of the Committee
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)
Shri. S K Majumdar (Executive Director)
Shri. Rohit Das (RBI Nominee Director)
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)

(iii) बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 24

बैठक की तिथियां: 15.04.2024, 30.04.2024, 15.05.2024, 30.05.2024, 11.06.2024, 24.06.2024, 16.07.2024, 30.07.2024, 16.08.2024, 28.08.2024, 12.09.2024, 27.09.2024, 10.10.2024, 28.10.2024, 13.11.2024, 28.11.2024, 11.12.2024, 24.12.2024, 09.01.2025, 22.01.2025, 10.02.2025, 20.02.2025, 12.03.2025 & 26.03.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री के सत्यनारायण राजु - समिति के अध्यक्ष (प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	24	24
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)	24	21
श्री अशोक चंद्र (कार्यपालक निदेशक)	19	18
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)	24	22
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)	24	23
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)	1	1
श्री रोहित दास (आरबीआई नामित निदेशक)	16	10
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)	1	1
श्री. आर केसवन (आरबीआई नामित निदेशक)	8	8

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 24

Dates of Meeting(s): 15.04.2024, 30.04.2024, 15.05.2024, 30.05.2024, 11.06.2024, 24.06.2024, 16.07.2024, 30.07.2024, 16.08.2024, 28.08.2024, 12.09.2024, 27.09.2024, 10.10.2024, 28.10.2024, 13.11.2024, 28.11.2024, 11.12.2024, 24.12.2024, 09.01.2025, 22.01.2025, 10.02.2025, 20.02.2025, 12.03.2025 & 26.03.2025

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of Meetings Attended
Shri. K Satyanarayana Raju - Chairman of the Committee (Managing Director & Chief Executive Officer)	24	24
Shri Debashish Mukherjee (Executive Director)	24	21
Shri. Ashok Chandra (Executive Director)	19	18
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)	24	22
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)	24	23
Shri. S K Majumdar (Executive Director)	1	1
Shri. Rohit Das (RBI Nominee Director)	16	10
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)	1	1
Shri. R Kesavan [RBI Nominee Director]	8	8

श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	15	15
श्री करुणाकर शेट्टी (शेयरधारक निदेशक)	8	8

Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director)	15	15
Shri. Karunakara Shetty (Shareholder Director)	8	8

(ख) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्य क्षेत्र निम्नांकित हैं:

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- बाजार जोखिम प्रबंधन
- व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) (पूर्ववर्ती एससी आईटी):

बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 के आदेश के माध्यम से डिजिटल लेनदेन संबंधी उपलब्धि के लिए आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों के आधार पर बैंक को आवंटित डिजिटल संव्यवहार (एससी-डीटी) के उपलब्धि की प्रगति की निगरानी के लिए उप-समिति के गठन की अनुमति दी गई है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2003 को दिए गए आदेश के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (एससीआईटी) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के गठन की अनुमति दी, ताकि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान किया जा सके। चूंकि उपरोक्त समितियों के कार्य समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक ने दिनांक 25.09.2019 को दोनों उप समितियों का विलय कर दिया है।

(b) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD & CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- Liquidity Risk Management
- Management of Market Risk
- Trading Risk Management
- Funding and Capital Planning
- Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net- Interest Income.

(c) Information Technology Strategy Committee (ITSC) (Erstwhile SC IT):

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of sub-committee for monitoring the progress of achievement in digital transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in digital transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of sub-committee of the Board for monitoring the progress in implementation of information technology (SCIT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement information technology in the Bank. As the functions of above committees are similar, the Bank has merged both the sub committees on 25.09.2019.

समिति के कार्य एक सलाहकार प्रकृति के होंगे और जहां कहीं भी नए नीतिगत दिशानिर्देश या प्रणाली और प्रक्रियाओं में परिवर्तन समिति द्वारा सुझाए / सिफारिश किए जाते हैं, उन्हें कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास रखा जाएगा।

(i) समिति के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।
- यह प्रमाणित करना कि व्यवसाय रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू की हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं।
- उस पद्धति की निगरानी करना जो प्रबंधन रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करने के लिए उपयोग करता है।
- बैंक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों पर प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के कार्यनिष्पादन का आकलन करना।
- उच्च-स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (उदाहरण के लिए जोखिम, फंडिंग या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)।
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुकला को डिज़ाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।

The functions of the Committee will be of an advisory nature and wherever new policy guidelines or change in systems and procedures are suggested / recommended by the Committee, the same are placed to the appropriate authority for approval, before implementation.

(i) The Broad functions of the Committee is as follows:

- Approving IT strategy and policy documents
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the method that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls. And evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding, or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.

- बैंक स्तर पर आईटी की कुल फंडिंग की निगरानी करना और यह पता लगाना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी कार्य निष्पादन माप और व्यवसायों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात, वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)।

ii) दिनांक 31.03.2025 तक सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति के सदस्यों की संरचना:

श्री विजय श्रीरंगन (अध्यक्ष)
समिति के अध्यक्ष
श्री के सत्यनारायण राजु (एमडी व सीईओ)
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)
सीआईओ – मुख्य सूचना अधिकारी

iii) बैठकों की संख्या और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 7

बैठक की तिथियाँ: 23.05.2024, 24.06.2024, 29.08.2024, 28.10.2024, 18.12.2024, 22.01.2025 & 18.03.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री विजय श्रीरंगन (अध्यक्ष)	7	7
श्री के सत्यनारायण राजु (एमडी व सीईओ)	7	7

- Overseeing the aggregate funding of IT at a Bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value).

ii) The composition of the members of Information Technology Strategy Committee as on 31.03.2025:

Shri. Vijay Srirangan (Chairman)
Chairman of the Committee
Shri. K Satyanarayana Raju (MD & CEO)
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)
Shri. S K Majumdar (Executive Director)
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)
CIO - Chief Information Officer

(iii) The details of No. of meetings and attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held:7

Dates of Meeting(s) : 23.05.2024, 24.06.2024, 29.08.2024, 28.10.2024, 18.12.2024, 22.01.2025 & 18.03.2025

Name of the Director	No. of Meetings held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri. Vijay Srirangan (Chairman)	7	7
Shri. K Satyanarayana Raju (MD & CEO)	7	7

श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)	7	6
श्री अशोक चंद्र (कार्यपालक निदेशक)	5	5
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)	7	7
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)	7	7
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)	-	-
सुश्री नलिनी पद्मनाभन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	5	5
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	2	2
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)	7	7
मुख्य सूचना अधिकारी	7	7

Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)	7	6
Shri. Ashok Chandra (Executive Director)	5	5
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)	7	7
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)	7	7
Shri. S K Majumdar (Executive Director)	-	-
Ms. Nalini Padmanabhan (Part-time Non-Official Director)	5	5
Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director)	2	2
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)	7	7
Chief Information Officer	7	7

(घ) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति:

मूलेतर आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य, अधिकार निर्गम के लिए बोर्ड की उप समिति (एससी-आरआई), अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (एससी-व्यूआईपी) के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की उप समिति और अन्य संस्थानों (एससीट्रुएसएच) में शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड की उप समिति है। ये सभी समितियां पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त सभी समितियों को पूंजी आयोजना प्रक्रिया (कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस) (एससीट्रुसीपी) के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान की है।

(i) समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं

1. पूंजी नियोजन प्रक्रिया की देखरेख करना
2. यह सुनिश्चित करना कि पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात निर्धारित मानदंडों के साथ न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से ऊपर बनाए रखा जाए।

(d) Sub Committee of the Board for Capital Planning Process:

The erstwhile Sub Committee of the Board for Monetization of Non-Core Assets, Sub Committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub Committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement (SC-QIP) and Sub Committee of the Board for Voting for Share Holder Directors in other Institutions (SC-SH) were merged with Sub Committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP) as per the orders of the Board of Directors.

(i) The Functions of the committee include;

1. To oversee the Capital Planning process
2. To ensure that Capital to Risk Weighted Assets Ratio is maintained above the minimum regulatory requirement along with the prescribed norms.

3. आवश्यकतानुसार पूंजी जुटाने की मात्रा, तरीके और प्रकार की सिफारिश करना।
4. पूंजी से संबंधित मामले में मंत्रालय / आरबीआई / किसी अन्य वैधानिक निकाय के अनुदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. योग्य संस्थागत प्लेसमेंट की रूपरेखा पर निर्णय लेना।
6. विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करना और बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेना, जहां बैंक की इक्विटी है।
7. सेबी के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक अधिकारों के निर्गम के (क) शर्तों (ख) समय (ग) मूल्य निर्धारण (घ) और अन्य तौर-तरीकों पर निर्णय लेना और अनुमति देना।
8. बैंक की अनुषंगी कंपनियों / सहयोगियों सहित बैंक की गैर-प्रमुख आस्तियों के मुद्रीकरण की सभी संभावनाओं का पता लगाना तथा योजना बनाना, रणनीति को अंतिम रूप देना तथा परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय मंजूरी सहित अनुमति / अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

(ii) यथा 31.03.2025 तक पूंजी नियोजन प्रक्रिया हेतु बोर्ड की उप समिति की संरचना :

श्री के सत्यनारायण राजु – समिति के अध्यक्ष (एमडी व सीईओ)
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)

(iii) बैठकों की संख्या और बैठक में उपस्थिति:

आयोजित बैठकों की संख्या : 1
आयोजित बैठकों की तिथियां : 22.01.2025

3. To recommend quantum, mode and types of Capital raising, as per the requirement.
4. To ensure compliance of instruction / directions of Ministry / RBI / any other statutory body in the matter relating to Capital.
5. To decide on Modalities of Qualified Institutional Placement.
6. To carefully consider the qualification, experience, profile and background of the various candidates and take a decision in supporting the candidates in the election as Share Holder Directors in various Companies including banks and Financial Institutions where the bank has equity.
7. To decide and permit on: (a) terms (b) timing (c) pricing (d) and other modalities of the rights issue as required under SEBI guidelines.
8. To explore all possibilities of monetization of Non-Core Assets of the bank including Subsidiaries / Associates of the Bank and to plan, finalize strategy and place to Board for permission/ approval including financial sanctions for engaging the services of Consultants.

(ii) The composition of Sub Committee of the Board for Capital Planning Process as on 31.03.2025:

Shri. K Satyanarayana Raju Chairman of the Committee (MD & CEO)
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)
Shri. S K Majumdar (Executive Director)
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)

(iii) The No. of meetings and attendance at the meeting:

No. of Meetings held:1
Dates of Meeting(s) : 22.01.2025

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री के सत्यनारायण राजु समिति के अध्यक्ष (एमडी व सीईओ)	1	1
श्री देबाशीष मुखर्जी (कार्यपालक निदेशक)	1	1
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (कार्यपालक निदेशक)	1	1
श्री भवेन्द्र कुमार (कार्यपालक निदेशक)	1	1
श्री एस के मजुमदार (कार्यपालक निदेशक)	-	-
श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन (अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक)	1	1
श्री बिमल प्रसाद शर्मा (शेयरधारक निदेशक)	1	1
सुश्री आभा सिंह यदुवंशी (शेयरधारक निदेशक)	-	-
श्री हेमंत बुच (शेयरधारक निदेशक)	1	1

Name of the Director	No. of Meetings held During their Tenure	No. of Meetings Attended
Shri. K Satyanarayana Raju Chairman of the Committee (MD & CEO)	1	1
Shri. Debashish Mukherjee (Executive Director)	1	1
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (Executive Director)	1	1
Shri. Bhavendra Kumar (Executive Director)	1	1
Shri. S K Majumdar (Executive Director)	-	-
Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Part-time Non-Official Director)	1	1
Shri. Bimal Prasad Sharma (Shareholder Director)	1	1
Ms. Abha Singh Yaduvanshi (Shareholder Director)	-	-
Shri. Hemant Buch (Shareholder Director)	1	1

इसके अलावा बैंक ने बैंक के कारोबार के संचालन के संबंध में निगरानी / मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए अन्य बोर्ड समितियों / उप-समितियों का गठन किया है। समितियों के सदस्यों की संरचना और बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति की संरचना	बैठकों की कुल संख्या	बैठकों की तिथियां
1.	वसूली निगरानी समिति (सीएमआर)	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री एस.के. मजुमदार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, श्री हेमंत बुच	12	23.04.2024, 23.05.2024, 27.06.2024, 24.07.2024, 28.08.2024, 26.09.2024, 28.10.2024, 26.11.2024, 18.12.2024, 22.01.2025, 20.02.2025, 19.03.2025
2.	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री एस.के. मजुमदार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	4	27.06.2024, 28.08.2024, 26.11.2024, 20.02.2025
3.	इरादतन चूककर्ताओं (एससीआरडब्ल्यू) के वर्गीकरण की समीक्षा के लिए बोर्ड की उप समिति	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	5	30.05.2024, 24.07.2024, 26.09.2024, 14.11.2024, 18.03.2025
4.	निदेशक समिति (सीडी)	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री रोहित दास	4	27.06.2024, 28.08.2024, 19.12.2024, 28.02.2025
5.	उप-समिति – सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एससी एसडीसीएसआर)	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री भवेन्द्र कुमार (अ.बै व वि. स.विभाग के पर्यवेक्षी कार्यपालक निदेशक), सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, श्री हेमंत बुच	5	30.05.2024, 26.09.2024, 22.01.2025, 19.03.2025, 26.03.2025

Further, the Bank has constituted other Board Committees / Sub-Committees to monitor / guide and advice regarding the conduct of business of the Bank. The composition of members of the Committees and the details of meetings are hereunder:

Sl. No.	Name of the Committee	Composition of the Committee	Total No. of Meetings	Dates of Meetings
1.	Committee for Monitoring Recovery (CMR)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. S K Majumdar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Shri. Hemant Buch	12	23.04.2024, 23.05.2024, 27.06.2024, 24.07.2024, 28.08.2024, 26.09.2024, 28.10.2024, 26.11.2024, 18.12.2024, 22.01.2025, 20.02.2025, 19.03.2025
2.	Customer Service Committee of the Board (CSC)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. S K Majumdar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi	4	27.06.2024, 28.08.2024, 26.11.2024, 20.02.2025
3.	Sub Committee of the Board to Review Classification of Willful Defaulters (SCRW)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi	5	30.05.2024, 24.07.2024, 26.09.2024, 14.11.2024, 18.03.2025
4.	Committee of Directors (CD)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Rohit Das	4	27.06.2024, 28.08.2024, 19.12.2024, 28.02.2025
5.	Sub Committee - Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC SDCSR)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Bhavendra Kumar (ED Overseeing LB&FI Wing), Ms. Abha Singh Yaduvanshi, Shri. Hemant Buch	5	30.05.2024, 26.09.2024, 22.01.2025, 19.03.2025, 26.03.2025

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति की संरचना	बैठकों की कुल संख्या	बैठकों की तिथियां
6.	कार्य निष्पादन मूल्यांकन पर बोर्ड समिति (बीसीपीई)	श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा,	2	26.09.2024, 18.03.2025
7.	उप-समिति मानव संसाधन (एससी एचआर)	श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री एस.के. मजुमदार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, श्री हेमंत बुच	6	31.05.2024, 24.07.2024, 26.09.2024, 14.11.2024, 22.01.2025, 18.03.2025
8.	उप-समिति कारोबार योजना कार्यनीति (एससी बीपी)	श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री एस.के. मजुमदार, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, श्री हेमंत बुच	4	23.04.2024, 29.08.2024, 27.11.2024, 20.02.2025
9.	धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)	श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री एस.के. मजुमदार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी,	11	23.04.2024, 31.05.2024, 24.07.2024, 29.08.2024, 26.09.2024, 28.10.2024, 26.11.2024, 18.12.2024, 22.01.2025, 20.02.2025, 19.03.2025
10.	बोर्ड की समिति (सीबी)	श्री प्रशांत कुमार गोयल (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, (वरिष्ठता क्रम के आधार पर, मानव संसाधन विभाग के पर्यवेक्षी कार्यपालक नहीं है) श्री भवेन्द्र कुमार, (वरिष्ठता क्रम के आधार पर, मानव संसाधन विभाग के पर्यवेक्षी कार्यपालक नहीं है) श्री हेमंत बुच	**	**

Sl. No.	Name of the Committee	Composition of the Committee	Total No. of Meetings	Dates of Meetings
6.	Board Committee on Performance Evaluation (BCPE)	Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma	2	26.09.2024, 18.03.2025
7.	Sub-Committee Human Resources (SC HR)	Shri. Vijay Srirangan, (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. S K Majumdar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Shri. Hemant Buch	6	31.05.2024, 24.07.2024, 26.09.2024, 14.11.2024, 22.01.2025, 18.03.2025
8.	Sub-Committee Business Plan Strategy (SC BP)	Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. S K Majumdar, Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi, Shri. Hemant Buch	4	23.04.2024, 29.08.2024, 27.11.2024, 20.02.2025
9.	Special Committee of the Board for Monitoring and Following-up Cases of Frauds (SCBMF)	Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. S K Majumdar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi	11	23.04.2024, 31.05.2024, 24.07.2024, 29.08.2024, 26.09.2024, 28.10.2024, 26.11.2024, 18.12.2024, 22.01.2025, 20.02.2025, 19.03.2025
10.	Committee of Board (CB)	Shri. Parshant Kumar Goyal (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, (Not overseeing HR, and in order of Seniority) Shri. Bhavendra Kumar, (Not overseeing HR, and in order of Seniority) Shri. Hemant Buch	**	**

क्र. सं.	समिति का नाम	समिति की संरचना	बैठकों की कुल संख्या	बैठकों की तिथियां
11.	उप-समिति – प्रतिकर समिति (एससी सीसी)	श्री हेमंत बंच (समिति के अध्यक्ष) श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	**	**
12.	विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)	श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक श्री रोहित दास	**	**
13.	बोर्ड की समूह अभिशासन समिति (जीजीसी)	श्री हेमंत बुच (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री एस.के. मजुमदार, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी,	1	22.01.2025

** बैठक आयोजित करने के लिए ऐसा कोई मामला नहीं आया

Sl. No.	Name of the Committee	Composition of the Committee	Total No. of Meetings	Dates of Meetings
11.	Sub-Committee - Compensation Committee (SC CC)	Shri. Hemant Bunch (Chairperson of the Committee) Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi	**	**
12.	Departmental Promotion Committee (DPC)	Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal, GOI Nominee Director Shri. Rohit Das	**	**
13.	Group Governance Committee of the Board (GGC)	Shri. Hemant Buch (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. S K Majumdar, Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi	1	22.01.2025

** No such instances occurred to hold the meeting

4) उच्च प्रबंधन:

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित उच्च प्रबंधन का विवरण।

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों की सूची			
क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	श्री उदय शंकर मजूमदार	समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (सीजीएम)	मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), आईसीडब्ल्यूआई कोर्स में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
2	श्री पुष्कर सिन्हा	प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षा (सीजीएम)	बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इंडियन एसोसिएट सर्टिफिकेट
3	श्री राकेश कश्यप	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीजीएम)	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
4	श्री अमित मित्तल	समूह मुख्य वित्त अधिकारी (जीएम)	बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), क्रेडिट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट, अकाउंट्स और ऑडिट में प्रमाण पाठ्यक्रम, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इंडियन एसोसिएट सर्टिफिकेट
5	श्री अरुण नागप्पन	मुख्य तकनीकी अधिकारी (जीएम)	बीएससी (कंप्यूटर साइंस), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), साइबर अपराध निवारण एवं धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र-आईआईबीएफ, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट परीक्षा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में सर्टिफिकेट एवं केवाईसी
6	श्री आदर्श एम एस	मुख्य सूचना अधिकारी (जीएम)	बीएससी (रसायन विज्ञान), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
7	श्री श्रीनाथ एच जोशी	मुख्य शिक्षण अधिकारी (जीएम)	बीएससी (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ
8	श्री टी के वेणुगोपाल (नए मुख्य नैतिकता अधिकारी श्री अमिताभ चटर्जी दिनांक 04/04/2025 से श्री टी.के. वेणुगोपाल के स्थान पर)	मुख्य नैतिकता अधिकारी (जीएम)	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), आईसीडब्ल्यूआई पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट

4) Senior Management:

Particulars of senior management including the changes therein since the close of the previous financial year.

List of Key Positions as on 31.03.2025			
Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
1	Shri. Uday Sankar Majumder	Group Chief Risk Officer (CGM)	Master of Commerce (M.Com.), Master of Business Administration (MBA), Certificate in ICWAI Course, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
2	Shri. Pushkar Sinha	Head Internal Audit (CGM)	B.A.(Hons), CAIIB-Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
3	Shri. Rakesh Kashyap	Group Chief Compliance Officer (CGM)	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
4	Shri. Amit Mittal	Group Chief Finance Officer (GM)	Bachelor of Science (B.Sc.), Chartered Accountant (CA), Certification in Credit Management, Certification Course in Accounts and Audit, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
5	Shri. Arun Nagappan	Chief Technology Officer (GM)	B.Sc. (Computer Science), Master of Computer Applications (MCA), Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination In Information Technology, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer
6	Shri. Adarsh M S	Chief Information officer (GM)	B.Sc.(Chemistry), Master of Computer Applications(MCA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
7	Shri. Shreenath H Joshi	Chief Learning Officer (GM)	B.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Trade Finance - IIBF
8	Shri. T K Venugopal (New Chief Ethics Officer Shri. Amitabh Chatterjee w.e.f. 04/04/2025 in place of Shri. T K Venugopal)	Chief Ethics Officer (GM)	Bachelor of Commerce (B.Com.), Certificate in ICWAI Course, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
9	श्री विशाल भाटिया	मुख्य डिजिटल अधिकारी	बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई), एमबीए फाइनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल में सर्टिफिकेट
10	श्री ए रमेश बाबू	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीजीएम)	प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम), प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए), सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एसोसिएट सदस्य (एएमआईई)
11	श्री संतोष कुमार बारिक	कंपनी सचिव (एजीएम)	एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी (एसीएस), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम)

List of Key Positions as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
9	Shri. Vishal Bhatia	Chief Digital Officer	Bachelor of Engineering (BE), MBA Finance, Certificate in Project Management Professional
10	Shri. A Ramesh Babu	Chief Information Security Officer (DGM)	Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Auditor (CISA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Associate Member of the Institution of Engineers (AMIE)
11	Shri. Santosh Kumar Barik	Company Secretary (AGM)	Associate Company Secretary (ACS), Master of Commerce (M.Com.), Bachelor of Commerce (B.Com.)

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
1	पुरुषोत्तम चंद	मुख्य महाप्रबंधक	विज्ञान स्नातक (बी.एससी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
2	के ए सिंधु	मुख्य महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, बैंकरों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
3	बी पी जाटव	मुख्य महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
4	पुष्कर सिन्हा	मुख्य महाप्रबंधक	बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
5	बी चन्द्रशेखर	मुख्य महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), सीएआईआईबी-प्रमाणित भारतीय बैंकर्स संस्थान के एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
6	राकेश कश्यप	मुख्य महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
7	आलोक कुमार अग्रवाल	मुख्य महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए) लेवल - III, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, साइबर अपराध निवारण एवं धोखाधड़ी प्रबंधन में प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा में सर्टिफिकेट कोर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ
8	राजेश कुमार सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स), मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम (पब्लिक मैनेजमेंट एंड पॉलिसी), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
9	के कल्याणी	मुख्य महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेशन (आईआरडीए), सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट
10	आर अनुराधा	मुख्य महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), होम लोन एडवाइजिंग में डिप्लोमा, सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट, बैंकर्स के लिए क्रेडिट कार्ड में सर्टिफिकेट
11	उदय शंकर मजूमदार	मुख्य महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), आईसीडब्ल्यूआई कोर्स में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
1	Purshottam Chand	Chief General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
2	K A Sindhu	Chief General Manager	B.Sc. (Agriculture), Diploma in Rural Banking - IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
3	B P Jatav	Chief General Manager	B.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
4	Pushkar Sinha	Chief General Manager	B.A. (Hons), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
5	B Chandra Sekhara	Chief General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
6	Rakesh Kashyap	Chief General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
7	Alok Kumar Agarwal	Chief General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Master of Commerce (M.Com.), Chartered Financial Analyst (CFA) Level - III, Master of Business Administration (MBA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certificate course in Foreign Exchange, Certificate In International Trade Finance - IIBF
8	Rajesh Kumar Singh	Chief General Manager	B.Sc. (Hons), Master of Arts (M.A.), Post-Graduate Programme (Public Management & Policy), CAIIB-Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
9	K Kalyani	Chief General Manager	Master of Commerce (M.Com.), Composite Insurance Certification (IRDA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
10	R Anuradha	Chief General Manager	Master of Arts (M.A.), Diploma in Home Loan Advising, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Credit Card for Bankers
11	Uday Sankar Majumder	Chief General Manager	Master of Commerce (M.Com.), Master of Business Administration(MBA), Certificate in ICWAI Course, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
12	गीतिका शर्मा	महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
13	जगदीश चंद्र	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
14	एचटी बाविस्कर	महाप्रबंधक	कला स्नातक (बीए), एमए (अर्थशास्त्र), एनआईएसएम सीरीज वीए: म्यूचुअल फंड वितरक प्रमाणन, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट, एमएसएमई में प्रमाण पत्र
15	अशोक कुमार दास	महाप्रबंधक	बी.एससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट
16	बिस्मय सामल	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में सर्टिफिकेट और केवाईसी
17	मनोज कुमार दास	महाप्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स) भौतिकी, एसएससी, इंटरमीडिएट, सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
18	भास्कर चक्रवर्ती एम	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
19	श्रीनाथ एच जोशी	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ
20	आर कृष्ण प्रसाद	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), हिंदी में सर्टिफिकेट प्रबोध, सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल
21	के बी गीता	महाप्रबंधक	कला स्नातक (बीए), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर (एमबीए), बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाण पत्र, जेएआईआईबी-भारतीय बैंकों के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-भारतीय बैंकों के प्रमाणित एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाण पत्र - आईआईबीएफ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में प्रमाण पत्र और केवाईसी
22	आर राजेश	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी), एमबीए (बैंकिंग और वित्त), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), पीयूसी, आईटी सुरक्षा में सर्टिफिकेट परीक्षा-आईआईबीएफ, डिजिटल बैंकिंग में सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, ग्राहक सेवा और बैंकिंग कोड और मानकों पर सर्टिफिकेट - आईआईबीएफ, व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं में सर्टिफिकेट परीक्षा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम में सर्टिफिकेट, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल, विदेशी मुद्रा में सर्टिफिकेट कोर्स, एमएसएमई में सर्टिफिकेट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
12	Geetika Sharma	General Manager	Master of Arts (M.A.), JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
13	Jagdish Chander	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
14	H T Baviskar	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), M.A. (Economics), NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors Certification, JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate in MSME
15	Ashok Kumar Dash	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), CAIB - Part I, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
16	Bismay Samal	General Manager	B.Sc. (Agriculture), PG Diploma in Business Administration, JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer
17	Manoj Kumar Das	General Manager	B.Sc. (Hons.) Physics, SSC, Intermediate, CAIB - Part I, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
18	Bhaskara Chakravarthy M	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
19	Shreenath H Joshi	General Manager	B.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), CAIB - Part I, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate In International Trade Finance - IIBF
20	R Krishna Prasad	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Master of Commerce (M.Com.), Master of Business Administration (MBA), Certificate in Hindi Prabodh, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional
21	K B Geetha	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), Master of Business Administration(MBA), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer
22	R Rajesh	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), Master of Science (M.Sc.), MBA (Banking & Finance), Master of Computer Applications(MCA), PUC, Certificate Examination in IT Security-IIBF, Certificate in Digital Banking-IIBF, CAIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate on Customer Service & Banking Codes and Standards-IIBF, Certificate Examination in Foreign Exchange Facilities for Individuals, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certified Credit Professional, Certificate course in Foreign Exchange, Certificate in MSME

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
23	डी एन वी श्रीनिवास राव	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.), मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.), बैंकर्स के लिए एसएमई फाइनेंस में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
24	एम विजय कुमार	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), इंटरनेशनल कंप्लायंस से विनियामक अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत प्रमाणपत्र, एनआईएसएम सीरीज वीए: म्यूचुअल फंड वितरक प्रमाणन, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
25	शंभू लाल	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज (बी.लिब.एससी.), बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी. कॉम), मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेशन
26	सुबोध कुमार	महाप्रबंधक	बीएससी (रसायन विज्ञान), एमएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (वित्तीय प्रबंधन), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
27	आर पी जायसवाल	महाप्रबंधक	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), एम.ए. (हिंदी)
28	श्रीकांत एम भांडीवाड	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
29	प्रमोद कुमार सिंह	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी-प्रमाणित भारतीय बैंकर्स संस्थान के एसोसिएट, कम्पोजिट इश्योरेंस सर्टिफिकेट
30	अमिताभ चटर्जी	महाप्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट - आईआईबीएफ, सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
31	रंजीव कुमार	महाप्रबंधक	विज्ञान स्नातक (बी.एससी), एम.एससी (गणित), साइबर अपराध एवं धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम में प्रमाणपत्र-आईआईबीएफ, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, आईटी सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल, एमएसएमई में प्रमाणपत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
23	D N V Srinivasa Rao	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), Master of Science (M.Sc.), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
24	M Vijaya Kumar	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), International Advanced Certificate in Regulatory Compliance from International Compliance, NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors Certification, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
25	Shambhu Lal	General Manager	Bachelor of Library Sciences (B.Lib.Sc.), Bachelor of Commerce (B.Com.), Master of Commerce (M.Com.), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
26	Subodh Kumar	General Manager	B.Sc. (Chemistry), M.Sc. (Chemistry), MBA (Financial Management), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
27	R P Jaiswal	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), M.A. (Hindi)
28	Shreekanth M Bhandiwad	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
29	Pramod Kumar Singh	General Manager	B.Sc. (Agriculture), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
30	Amitabh Chatterjee	General Manager	B.Sc. (Hons.), Master of Business Administration (MBA), Diploma in Treasury Investment and Risk Management- IIBF, CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
31	Ranjeev Kumar	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), M.Sc. (Mathematics), Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in IT Security, Certified Credit Professional, Certificate in MSME, Certificate In International Trade Finance - IIBF

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
32	जयप्रकाश सी	महाप्रबंधक	मत्स्य विज्ञान स्नातक (बीएफएससी), बैंकिंग में डिप्लोमा, सीएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट
33	कल्याण मुखर्जी	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट (आईआरडीए), सीएआईआईबी - भाग I, सीएआईआईबी- भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट
34	प्रभात किरण	महाप्रबंधक	बीए (ऑनर्स), बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन, एमएसएमई में सर्टिफिकेट
35	एस अनिल कुमार नायर	महाप्रबंधक	एलएलबी
36	रजनी कांत	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
37	बी के वेंकटेश प्रसाद	महाप्रबंधक	पीयूसी, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन में पीजी सर्टिफिकेट
38	सुजीत कुमार साहू	महाप्रबंधक	बीए (ऑनर्स), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन, एमएसएमई में सर्टिफिकेट
39	वी एस संतोष	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), प्रबंधन में डिप्लोमा, ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाण पत्र, सीएआईआईबी - भाग I, भारतीय बैंकर्स संस्थान के सीएआईआईबी-प्रमाणित एसोसिएट, एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाण पत्र - आईआईबीएफ, कैपिटल मार्केट डीलर्स मांड्यूल में प्रमाण पत्र - एनसीएफएम-एनएसडीएल
40	टी पी ज्योतिषक्ष्मी	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक), मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, एमएसएमई में सर्टिफिकेट
41	संजीव कुमार लाल दास	महाप्रबंधक	बी.एससी (गणित)
42	अरुण कुमार मिश्रा	महाप्रबंधक	बीएससी (नर्सिंग), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, कम्पोजिट इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन
43	अजीत कुमार मिश्रा	महाप्रबंधक	बीएससी (ऑनर्स), ट्रेजरी और फॉरेक्स मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
44	प्रदीप के एस	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
32	Jayaprakash C	General Manager	Bachelor of Fisheries Science (B.F.Sc.), Diploma In Banking, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
33	Kalyan Mukherjee	General Manager	B.Sc. (Agriculture), Composite Insurance Certification (IRDA), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
34	Prabhat Kiran	General Manager	B.A. (Hons), PG Diploma in Business Administration, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional, Composite Insurance Certification, Certificate in MSME
35	S Anil Kumar Nair	General Manager	LLB
36	Rajni Kant	General Manager	B.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
37	B K Venkatesh Prasad	General Manager	PUC, PG Certificate in International Sports Management
38	Sujit Kumar Sahoo	General Manager	B.A. (Hons), Master of Business Administration (MBA), Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional, Composite Insurance Certification, Certificate in MSME
39	V S Santosh	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), Diploma In Management, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Advance Management Programme, Certificate In International Trade Finance - IIBF, Certificate in Capital Market Dealers Module - NCFM-NSDL
40	T P Jyothilekshmi	General Manager	Bachelor of Technology (B.Tech), Master of Technology (M.Tech), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in MSME
41	Sanjiva Kumar Lal Das	General Manager	B.Sc. (Mathematics)
42	Arun Kumar Mishra	General Manager	B.Sc. (Nursing), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
43	Ajit Kumar Mishra	General Manager	B.Sc. (Hons), PG Diploma In Treasury & FOREX Management, PG Diploma in Business Administration, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
44	Pradeep K S	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
45	विजयलक्ष्मी सी जे	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ लॉ (बीएल), मास्टर ऑफ लॉ (एमएल), एसएससी, एचएससी, जूनियर टाइपिंग अंग्रेजी में सर्टिफिकेट, हिंदी में सर्टिफिकेट, जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
46	बरुण सिंह ठाकुर	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट
47	अरुण कुमार के आर	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), एम.एससी (कृषि), माइक्रो फाइनेंस में डिप्लोमा, ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, वित्तीय सेवा स्तर-I (आईआईबीएफ) में जोखिम में प्रमाणपत्र, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, एनआईएसएम श्रृंखला VI-डिपॉजिटरी ऑपरेशंस प्रमाणन, एनआईएसएम श्रृंखला V-A: म्यूचुअल फंड वितरक प्रमाणन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रमाणपत्र, जेएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट, विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
48	जी ए अनुपम	महाप्रबंधक	बीएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (वित्तीय प्रबंधन), सीएआईआईबी-प्रमाणित भारतीय बैंकर्स संस्थान के एसोसिएट, कम्पोजिट इंड्योरेंस सर्टिफिकेट
49	विक्रम दुग्गल	महाप्रबंधक	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इंड्योरेंस सर्टिफिकेट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ
50	सत्य प्रकाश सिंह	महाप्रबंधक	बी.कॉम (ऑनर्स), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, प्रमाणित क्रेडिट प्रोफेशनल
51	सुनील कुमार यादव	महाप्रबंधक	बीएससी (कृषि), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
52	विमला विजया भास्कर	महाप्रबंधक	बीएससी (रसायन विज्ञान), एमबीए (मार्केटिंग मैनेजमेंट), एम.फिल (प्रबंधन), जेएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
45	Vijayalakshmi C J	General Manager	Bachelor of Law (LLB), Master of Law (LLM), SSC, HSC, Certificate in Junior Typing English, Certificate In Hindi, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
46	Barun Singh Thakur	General Manager	B.Sc. (Agriculture), Master of Business Administration (MBA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
47	Arunkumar K R	General Manager	B.Sc. (Agriculture), M.Sc. (Agriculture), Diploma in Micro Finance, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in Risk in Financial Services Level-I (IIBF), Certificate in SME Finance for Bankers, NISM Series VI-Depository Operations Certification, NISM Series V-A: Mutual Fund Distributors Certification, Certificate in Computer Programming, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate course in Foreign Exchange
48	G A Anupam	General Manager	B.Sc. (Chemistry), MBA (Financial Management), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
49	Vikram Duggal	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Chartered Accountant (CA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification, Certificate In International Trade Finance - IIBF
50	Satya Prakash Singh	General Manager	B.Com. (Hons), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Credit Professional
51	Sunil Kumar Yadav	General Manager	B.Sc. (Agriculture), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
52	Vimala Vijaya Bhaskar	General Manager	B.Sc. (Chemistry), MBA (Marketing Management), M.Phil (Management), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
53	महेश एम पै	महाप्रबंधक	विज्ञान स्नातक (बी.एससी), सीआईआईबी - भाग I, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, प्रमाणित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ, कम्पोजिट इंड्योरेंस सर्टिफिकेट
54	अमित मित्तल	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), क्रेडिट मैनेजमेंट में प्रमाणन, अकाउंट्स और ऑडिट में प्रमाणन पाठ्यक्रम, जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इंड्योरेंस प्रमाणन
55	आदर्श एम एस	महाप्रबंधक	बीएससी (रसायन विज्ञान), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
56	चक्रवर्ती पी	महाप्रबंधक	बी.कॉम (ऑनर्स), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, बैंकर्स के लिए क्रेडिट कार्ड में सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल (पीएमपी) प्रमाणन, लीडरशिप और प्रबंधन में कार्यकारी कार्यक्रम (ईपीएलएम)
57	जी रदिल्लीबाबू	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी), एम.एससी (सांख्यिकी), ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, वित्तीय सेवा स्तर-I (आईआईबीएफ) में जोखिम में प्रमाणपत्र, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाणपत्र, जेआईआईबी - भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट, आईटी सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम में प्रमाणपत्र, विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में प्रमाणपत्र और केवाईसी, प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर
58	धनंजय सिंह	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), जेआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट, कम्पोजिट इंड्योरेंस सर्टिफिकेशन
59	निम्मगड्डा सीताराम सोमयाजी	महाप्रबंधक	कला स्नातक (बीए), विज्ञान स्नातक (बीएससी), कार्मिक प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, सीआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन पेशेवर

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
53	Mahesh M Pai	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), CAIIB - Part I, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Anti-Money Laundering Specialist, Composite Insurance Certification
54	Amit Mittal	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), Chartered Accountant (CA), Certification in Credit Management, Certification Course in Accounts and Audit, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
55	Adarsh M S	General Manager	B.Sc. (Chemistry), Master of Computer Applications (MCA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
56	Chakkaravarthy P	General Manager	B.Com. (Hons.), Master of Computer Applications (MCA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in Credit Card for Bankers, Project Management Professional (PMP) Certification, Executive Programme in Leadership & Management (EPLM)
57	G R Dillibabu	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), M.Sc. (Statistics), Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in Risk in Financial Services Level-I (IIBF), Certificate in SME Finance for Bankers, JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination in IT Security, Certificate in Prevention of Cyber Crimes and Fraud Management, Certificate Course in Foreign Exchange, Certificate in International Trade Finance - IIBF, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer, Certified Information System Banker
58	Dhananjay Singh	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Chartered Accountant (CA), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Composite Insurance Certification
59	Nimmagadda Sitarama Somayaji	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), PG Diploma in Personnel Management, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certified Banking Compliance Professional

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
60	बी सुधाकर कोटारी	महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए), सीएआईआईबी-प्रमाणित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के एसोसिएट
61	पी गोपीकृष्ण	महाप्रबंधक	कला स्नातक (बीए), एमबीए (बैंकिंग और वित्त), सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
62	टी वी के मोहन	महाप्रबंधक	बैचलर ऑफ आर्ट्स (बीए), जेएआईआईबी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
63	ममता ए जोशी	महाप्रबंधक	विज्ञान स्नातक (बीएससी), एलएलबी, ट्रेजरी निवेश और जोखिम प्रबंधन में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम में प्रमाण पत्र-आईआईबीएफ, बैंकों के लिए एसएमई वित्त में प्रमाण पत्र, भारतीय बैंकों के संस्थान के सीएआईआईबी-प्रमाणित एसोसिएट, ग्राहक सेवा और बैंकिंग कोड और मानकों पर प्रमाण पत्र - आईआईबीएफ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त में प्रमाण पत्र - आईआईबीएफ
64	राकेश नैनवाल	महाप्रबंधक	विज्ञान स्नातक (बीएससी), एमए (हिंदी), ग्रामीण बैंकिंग में डिप्लोमा - आईआईबीएफ, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और वित्त में डिप्लोमा- आईआईबीएफ, साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की रोकथाम में प्रमाणपत्र-आईआईबीएफ, प्रमाणित सूचना प्रणाली बैंकर - आईआईबीएफ, एनआईएसएम श्रृंखला ळल्ट- डिपॉजिटरी ऑपरेशन प्रमाणन, डिजिटल बैंकिंग में प्रमाणपत्र - आईआईबीएफ, ग्रामीण बैंकिंग में प्रमाणपत्र परीक्षा, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में प्रमाणपत्र, व्यक्तियों के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाओं में प्रमाणपत्र परीक्षा, आईटी सुरक्षा में प्रमाणपत्र परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र परीक्षा, विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
65	राम नार्क	महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम), जेएआईआईबी- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट
66	आई पांडुरंग मिथंथया	महाप्रबंधक	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), एमबीए (ट्रेजरी निवेश एवं जोखिम प्रबंधन), डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा), सीएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट
67	बी चंद्रशेखर राव	महाप्रबंधक	मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.), वित्तीय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
60	B Sudhakar Kotary	General Manager	Master of Arts (M.A.), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
61	P Gopikrishna	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), MBA (Banking & Finance), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
62	T V K Mohan	General Manager	Bachelor of Arts (B.A.), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
63	Mamatha A Joshi	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), LLB, Diploma in Treasury Investment and Risk Management - IIBF, Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, Certificate in SME Finance for Bankers, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate on Customer Service & Banking Codes and Standards - IIBF, Certificate In International Trade Finance - IIBF
64	Rakesh Nainwal	General Manager	Bachelor of Science (B.Sc.), M.A. (Hindi), Diploma in Rural Banking - IIBF, Diploma in International Banking & Finance- IIBF, Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, Certified Information System Banker-IIBF, NISM Series VI- Depository Operations Certification, Certificate in Digital Banking - IIBF, Certificate Examination in Rural Banking, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate in International Banking, Certificate Examination in Foreign Exchange Facilities for Individuals, Certificate Examination in IT Security, Certificate Examination In Information Technology, Certificate Course in Foreign Exchange
65	Rama Naik	General Manager	Master of Commerce (M.Com.), JAIIB-Junior Associate of Indian Institute of Bankers
66	I Panduranga Mithanthaya	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), MBA (Treasury Investment & Risk Management), Diploma (PG Diploma), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
67	B Chandrasekhara Rao	General Manager	Master of Science (M.Sc.), PG Diploma in Financial Management, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers

दिनांक 31.03.2025 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों तथा मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

क्र. सं.	नाम	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता
68	टी के वेणुगोपाल	महाप्रबंधक	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), आईसीडब्ल्यूआई पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट
69	प्रवीण डी काबरा	महाप्रबंधक	वाणिज्य स्नातक (बी.कॉम), चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में व्यावसायिक प्रमाणपत्र (सीए), सीएआईआईबी-भारतीय बैंकर्स संस्थान से प्रमाणित एसोसिएट
70	अरुण नागप्पन	महाप्रबंधक	बीएससी (कंप्यूटर साइंस), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), साइबर अपराध और धोखाधड़ी प्रबंधन की निवारण में सर्टिफिकेट-आईआईबीएफ, सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट, सूचना प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट परीक्षा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में सर्टिफिकेट और केवाईसी
71	सुधांशु सुमन	महाप्रबंधक	बीई (मैकेनिकल), प्रमाणित चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (सीएफए), सीएआईआईबी-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का प्रमाणित एसोसिएट

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2025

Sl. No.	NAME	DESIGNATION	EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
68	T K Venu Gopal	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Certificate in ICWAI Course, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
69	Pravin D Kabra	General Manager	Bachelor of Commerce (B.Com.), Professional Certificate in Chartered Accountancy (CA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers
70	Arun Nagappan	General Manager	B.Sc. (Computer Science), Master of Computer Applications (MCA), Certificate in Prevention of Cyber Crimes & Fraud Management-IIBF, CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers, Certificate Examination In Information Technology, Certificate in Anti-Money Laundering & Know Your Customer
71	Sudhanshu Suman	General Manager	BE (Mechanical), Certified Chartered Financial Analyst (CFA), CAIIB-Certified Associate of Indian Institute of Bankers

5) निदेशकों को पारिश्रमिक.

क) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। बैठक शुल्क का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसे बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार एवं आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है)

गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक:

सूचीबद्ध इकाई के साथ गैर- कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेनदेन;

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद का नाम	कुल भुगतान की गई बैठक शुल्क
1	श्री विजय श्रीरंगन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	₹ 25,00,000/-
2	श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	₹ 24,60,000/-
3	सुश्री नलिनी पद्मनाभन	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	₹ 18,65,000/-
4	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक	₹ 25,00,000/-
5	श्री करुणाकर शेट्टी	शेयरधारक निदेशक	₹ 15,75,000/-
6	सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	शेयरधारक निदेशक	₹ 25,00,000/-
7	श्री हेमंत बुच	शेयरधारक निदेशक	₹ 10,70,000/-

5) Remuneration to Directors.

a) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except sitting fees as fixed by Government of India. The sitting fees is paid as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fees paid to directors during the Year 2024-25 is given hereunder:

(No sitting fees is payable to Whole-time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

Remuneration paid to Non-Official Directors:

All pecuniary relationships or transactions of the Non-Executive Directors vis-à-vis the listed entity;

Sl. No.	Name of Director	Designation	Total Sitting Fees paid
1	Shri. Vijay Srirangan	Part-time Non-official Director and Non-Executive Chairman	₹ 25,00,000/-
2	Shri. Dibakar Prasad Harichandan	Part-time Non-official Director	₹ 24,60,000/-
3	Ms. Nalini Padmanabhan	Part-time Non-official Director	₹ 18,65,000/-
4	Shri. Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director	₹ 25,00,000/-
5	Shri. Karunakara Shetty	Shareholder Director	₹ 15,75,000/-
6	Ms. Abha Singh Yaduvanshi	Shareholder Director	₹ 25,00,000/-
7	Shri. Hemant Buch	Shareholder Director	₹ 10,70,000/-

ख) कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए गए वेतन का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम एवं अवधि	पद का नाम	वेतन	पीएलआई	सेवानिवृत्ति लाभ (एसपीएफ और ग्रेच्युटी)	कुल
1.	श्री के सत्यनारायण राजु (2024-2025)	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	42,41,160.00	21,07,440.00	-	63,48,600.00
2.	श्री देबाशीष मुखर्जी (2024-2025)	कार्यपालक निदेशक	39,12,885.00	19,82,880.00	-	58,95,765.00
3.	श्री अशोक चन्द्र (2024-2025)*	कार्यपालक निदेशक	30,57,596.13	18,96,480.00	ग्रेच्युटी- 2,52,833.33 पीएल नकदीकरण - 40,12,341.63	92,19,251.09
4.	श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया (2024-2025)	कार्यपालक निदेशक	34,66,935.00	17,10,000.00	-	51,76,935.00
5.	श्री भवेन्द्र कुमार (2024-2025)	कार्यपालक निदेशक	35,27,076.00	8,65,462.00	-	43,92,538.00
6.	श्री बृज मोहन शर्मा (2024-2025) [30.06.2023 को सेवानिवृत्त होंगे]	पूर्व कार्यपालक निदेशक (सेवानिवृत्त)	-	5,22,000.00	-	5,22,000.00
7.	श्री एस.के. मजुमदार (2024-2025)	कार्यपालक निदेशक	69,807.48	-	-	69,807.48

b) Remuneration to Executive Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time directors of the Bank, during the year 2024-25 are as under:

Sl. No.	Name & Period	Designation	Salary	PLI	Retirement Benefits (SPF & Gratuity)	Total
1.	Shri. K Satyanarayana Raju (2024-2025)	Managing Director & CEO	42,41,160.00	21,07,440.00	-	63,48,600.00
2.	Shri. Debashish Mukherjee (2024-2025)	Executive Director	39,12,885.00	19,82,880.00	-	58,95,765.00
3.	Shri. Ashok Chandra (2024-2025)*	Executive Director	30,57,596.13	18,96,480.00	GRATUITY - 2,52,833.33 PL ENCASHMENT - 40,12,341.63	92,19,251.09
4.	Shri. Hardeep Singh Ahluwalia (2024-2025)	Executive Director	34,66,935.00	17,10,000.00	-	51,76,935.00
5.	Shri. Bhavendra Kumar (2024-2025)	Executive Director	35,27,076.00	8,65,462.00	-	43,92,538.00
6.	Shri. Brij Mohan Sharma (2024-2025) [Superannuated on 30.06.2023]	Ex-Executive Director (Superannuated)	-	5,22,000.00	-	5,22,000.00
7.	Shri. S K Majumdar (2024-2025)	Executive Director	69,807.48	-	-	69,807.48

6) आम सभा की बैठकें:

क) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:

एजीएम (आईपीओ के बाद)	तिथि	समय	कार्यक्रम का स्थान
20 वीं वार्षिक आम बैठक	23.06.2022	11.00 पूर्वाह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित
21 वीं वार्षिक आम बैठक	28.06.2023	सुबह 10:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित
22 वीं वार्षिक आम बैठक	28.06.2024	सुबह 10:30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित

6. General Body Meetings:

a) The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
20 th AGM	23.06.2022	11.00 AM	Held through Video Conferencing/Audio Visual means
21 st AGM	28.06.2023	10:30 AM	Held through Video Conferencing/Audio Visual means
22 nd AGM	28.06.2024	10:30 AM	Held through Video Conferencing/Audio Visual means

22 वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की तालिका 2 में दिया गया है।

ख) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्ताव:

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों / डाक मतपत्रों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

बैठक की प्रकृति	दिन व तिथि	उद्देश्य / विशेष संकल्प
20 वीं वार्षिक आम बैठक	गुरुवार 23 जून 2022	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
21 वीं वार्षिक आम बैठक	बुधवार 28 जून 2023	1. श्री दिवाकर प्रसाद हरिचंदन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति 2. श्री विजय श्रीरंगन की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति
22 वीं वार्षिक आम बैठक	शुक्रवार 28 जून 2024	बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ।
ग. पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25) में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।		
घ. डाक मतपत्र प्रक्रिया संचालित करने वाला व्यक्ति: लागू नहीं		
ड. फिलहाल बैंक की पोस्टल बैलेट के जरिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना नहीं है। जब भी इसकी योजना बनेगी, शेयरधारकों को सूचित कर दिया जाएगा।		

7. संसूचना के साधन:

केनरा बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खाते, नकदी प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण और www.canarabank.com पर वेबसाइट के माध्यम से कार्यनिष्पादन इसके प्रदर्शन के बारे में सूचित किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ, संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित करता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, वित्तीय परिणाम और अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

Details of attendance of Directors at the 22nd Annual General Meeting are given in Table 2 of the Corporate Governance Report.

b) Special resolution passed in last three Annual General Meeting.

Details of Special Resolutions passed in the previous three Annual General Meeting / Postal Ballot:

Nature of Meeting	Day & Date	Purpose / Special Resolution
20 th Annual General Meeting	Thursday 23 rd June 2022	No Special Resolution Passed in the Meeting.
21 st Annual General Meeting	Wednesday 28 th June 2023	1. Appointment of Shri Dibakar Prasad Harichandan as Part-time Non-Official Director of the Bank 2. Appointment of Shri. Vijay Srirangan as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.
22 nd Annual General Meeting	Friday 28 th June 2024	No Special Resolution Passed in the Meeting.
c. No Special resolution was passed in the last year (FY 2024-25) through postal Ballot.		
d. Person who conducted the postal ballot exercise: N/A		
e. At present, the Bank has no plans to pass special resolution through Postal Ballot. The shareholders will be intimated as and when it will be planned.		

7. Means of Communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to analysts and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts in its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

(क) परिणामों का प्रकाशन:

तिमाही समाप्ति	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र	
		मातृभाषा	राष्ट्रीय
31.03.2024 (स्टैंडअलोन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)	09.05.2024	राजस्थान पत्रिका साक्षी आंध्र ज्योति नमस्ते तेलंगाना विजयवाणी जनसत्ता	इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट
30.06.2024 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	26.07.2024	विजय कर्नाटक आंध्र ज्योति	इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट दैनिक जागरण
30.09.2024 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	30.10.2024	विजयवाणी आंध्र ज्योति राजस्थान पत्रिका	इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट दैनिक जागरण
31.12.2024 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	28.01.2025	विजयवाणी आंध्र ज्योति राजस्थान पत्रिका	इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट दैनिक जागरण
31.03.2025 (स्टैंडअलोन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम)	09.05.2025	विजयवाणी आंध्र ज्योति राजस्थान पत्रिका	इकोनॉमिक टाइम्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट दैनिक जागरण

8) सामान्य शेयरधारकों की जानकारी:

क. वार्षिक आम बैठक – तिथि, समय व स्थान

प्राधिकृत प्रतिनिधि की प्राप्ति की अंतिम तिथि	21.06.2025
शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के अलावा अन्य कार्यसूची मदों के लिए ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि	19.06.2025

(a) Publication of Results:

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2024 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	09.05.2024	Rajasthan Patrika Sakshi Andhra Jyoti Namaste Telangana Vijayavani Jansatta	Economic Times Financial Express Business Line Business Standard Mint
30.06.2024 (Unaudited Reviewed Financial Results)	26.07.2024	Vijay Karnataka Andhra Jyothi	Economic Times Financial Express Indian Express Business Line Business Standard Mint Dainik Jagran
30.09.2024 (Unaudited Reviewed Financial Results)	30.10.2024	Vijayavani Andhra Jyoti Rajasthan Patrika	Economic Times Financial Express Indian Express Business Line Business Standard Mint Dainik Jagran
31.12.2024 (Unaudited Reviewed Financial Results)	28.01.2025	Vijayavani Andhra Jyoti Rajasthan Patrika	Economic Times Financial Express Indian Express Business Line Business Standard Mint Dainik Jagran
31.03.2025 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results)	09.05.2025	Vijayavani Andhra Jyoti Rajasthan Patrika	Economic Times Financial Express Indian Express Business Line Business Standard Mint Dainik Jagran

8) General Shareholders' Information:

a. Annual General Meeting - date, time and venue

Last Date for receipt of Authorised Representative	21.06.2025
e-Voting Cut-Off Date for agenda items other than election of Shareholder Directors	19.06.2025

शेयरधारक निर्देशकों के चुनाव की अंतिम तिथि	23.05.2025
लाभांश भुगतान की रिकार्ड तिथि, यदि कोई हो	13.06.2025
वार्षिक आम बैठक की तिथि	26.06.2025
वार्षिक आम बैठक का समय	प्रातः 11 बजे
वार्षिक आम बैठक का स्थान	वीसी/ओएवीएम

ख. वित्तीय वर्ष: 2024-25

ग. लाभांश का भुगतान / रिकार्ड तिथि:

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए शेयरधारकों को रु. 2 अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर (अर्थात 200%) पर रु. 4 का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह निर्णय लिया गया है कि उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा शुक्रवार, 13 जून 2025 (जिसे आगे रिकार्ड तिथि के रूप में संदर्भित) तक शेयरधारकों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक (26 जून 2025) में घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

अदावी लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट को भुनाया नहीं है / पिछले अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, अर्थात वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए, उनसे अनुरोध है कि वे केवाईसी / बैंक विवरण अपडेट करने और अवैतनिक लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। बैंक ने अपनी वेबसाइट यानी www.canarabank.com पर अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण पोस्ट किया है, ताकि शेयरधारक शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा कर सकें।

घ. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता (नाम और पता):

केनरा बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

Cut-off date for election of Shareholder Directors	23.05.2025
Record date for payment of dividend, if any	13.06.2025
Date of Annual General Meeting	26.06.2025
Time of Annual General Meeting	11:00 AM
Venue of Annual General Meeting	VC/OAVM

b. Financial Year: 2024-25

c. Payment of Dividend / Record Date:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹4/- per equity share (i.e. 200%) of face value of ₹2/- each to the Shareholders for the financial year 2024-25, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on Friday, 13th June 2025 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the Shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (26th June 2025).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The Shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2021-22, 2022-23 and 2023-24 are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for updating of KYC / Bank details and payment of unpaid dividend. The Bank has posted the details of the unclaimed/unpaid dividend warrants on its website i.e., www.canarabank.com to enable the Shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

d. Listing on Stock Exchanges (Name & Address):

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges:

एक्सचेंज का नाम	पता
बीएसई लिमिटेड	फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा [ई] मुंबई - 400 051

वर्ष 2024-25 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क निर्धारित नियत तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है।

ड. संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के स्टॉक कोड उनके नाम के सामने दिए गए हैं:

1	बीएसई लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	CANBK

Exchange Name	Address
BSE Limited	Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001
National Stock Exchange of India Limited	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] Mumbai - 400 051

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2024-25 has been paid within the prescribed due date.

e. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	BSE Limited	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

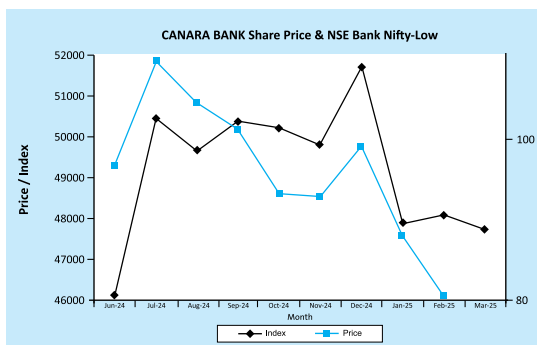
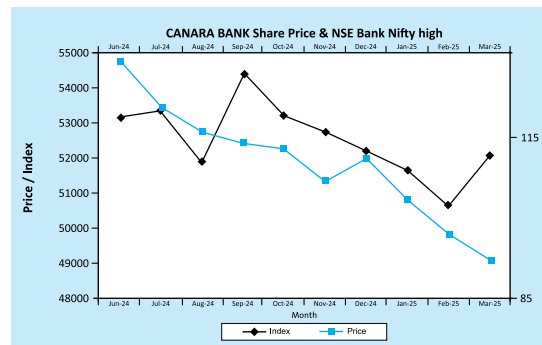
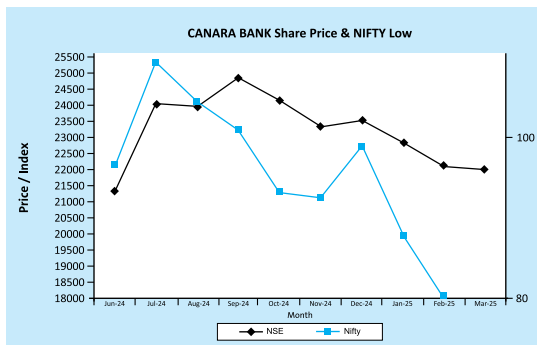
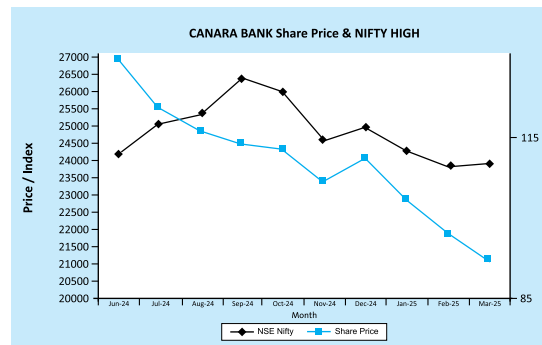
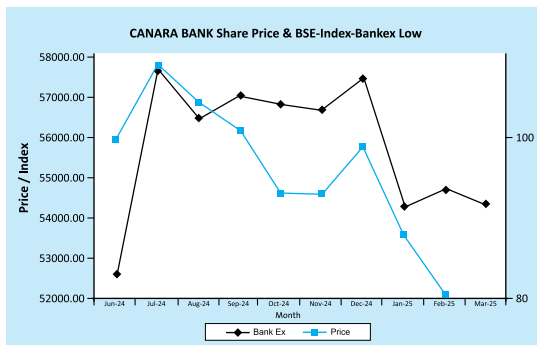
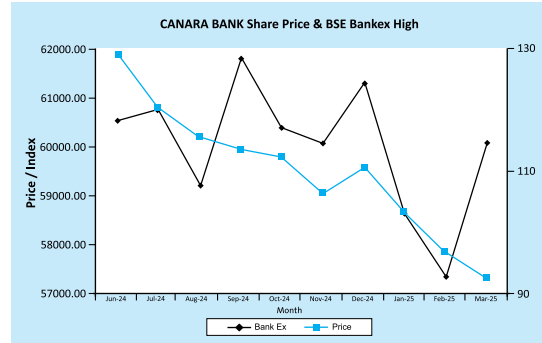
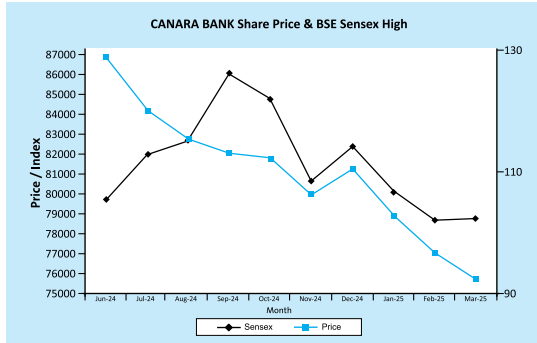
च. बाजार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न

माह	वर्ष	बीएसई लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड		
		उच्च (₹)	कम (₹)	वॉल्यूम संख्या	उच्च (₹)	निम्न (₹)	वॉल्यूम संख्या
अप्रैल	2024	629.65	562.9	5840788	629.70	562.70	130297000
मई	2024	632.65	111.85	37001060	623.85	111.80	837419000
जून	2024	129.35	99.6	59781453	128.90	96.20	1013503000
जुलाई	2024	120.2	109	40104363	120.19	109.00	657028000
अगस्त	2024	115.6	104	33277728	115.60	104.04	455994000
सितम्बर	2024	113.45	100.7	34432163	113.50	100.69	651924000
अक्टूबर	2024	112.45	93	26613452	112.46	92.98	520545000
नवंबर	2024	106.5	92.55	21875903	106.49	92.52	426567000
दिसंबर	2024	110.75	98.8	22048610	110.80	98.70	458031000
जनवरी	2025	103.1	87.75	26115495	103.14	87.79	549178000
फरवरी	2025	96.85	80.25	22829894	96.90	80.25	436621000
मार्च	2025	92.49	78.58	25216290	92.25	78.60	452921000

f. Market Price Data: high, low during each month in last financial year

Month	Year	BSE Limited			National Stock Exchange of India Limited		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2024	629.65	562.9	5840788	629.70	562.70	130297000
May	2024	632.65	111.85	37001060	623.85	111.80	837419000
June	2024	129.35	99.6	59781453	128.90	96.20	1013503000
July	2024	120.2	109	40104363	120.19	109.00	657028000
August	2024	115.6	104	33277728	115.60	104.04	455994000
September	2024	113.45	100.7	34432163	113.50	100.69	651924000
October	2024	112.45	93	26613452	112.46	92.98	520545000
November	2024	106.5	92.55	21875903	106.49	92.52	426567000
December	2024	110.75	98.8	22048610	110.80	98.70	458031000
January	2025	103.1	87.75	26115495	103.14	87.79	549178000
February	2025	96.85	80.25	22829894	96.90	80.25	436621000
March	2025	92.49	78.58	25216290	92.25	78.60	452921000

छ. व्यापक-सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन / G. Performance in Comparison to Broad-based Indices



ज. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया है

झ. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

इकाई: केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500 032

ञ. शेयर ट्रांसफर सिस्टम

(क) भौतिक शेयर:

सेबी ने 8 जून 2018 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के जरिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 के विनियमन 40 में संशोधन किया, जिसके तहत 5 दिसंबर 2018 से प्रतिभूतियों का हस्तांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि, केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए अनुपालन की तिथि के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, सेबी ने 3 दिसंबर, 2018 को अपनी "प्रेस विज्ञप्ति" पी.आर. संख्या 49/2018 के माध्यम से केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए समय सीमा 1 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दी। सभी निवेशक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, उन्हें जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

(ख) डीमैट फॉर्म में शेयर:

यदि शेयर डीमैट फॉर्म में हैं, तो शेयरों के हस्तांतरण के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को डिलीवरी निर्देश दिए जाने चाहिए।

h. The securities are not suspended from trading during FY 2024-25

i. Registrar and Transfer Agent

KFin Technologies Limited

Unit: Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad – 500 032

j. Share Transfer System

(a) Physical Shares:

SEBI vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

ट. शेयरधारिता का वितरण (यथा 31.03.2025)

क्र. सं.	विवरण	कुल शेयर	% इक्विटी
1	भारत के राष्ट्रपति	5708548390	62.93
2	म्यूचुअल फंड्स	423773082	4.67
3	वैकल्पिक निवेश निधि	45391839	0.50
4	बैंक	10813960	0.12
5	बीमा कंपनी	564832921	6.23
6	भविष्य निधि/पेंशन निधि	29954982	0.33
7	एनबीएफसी	93567	0.00
8	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी I	907139012	10
9	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी II	48168307	0.53
10	विदेशी संस्थागत निवेशक	1331795	0.01
11	निकाय कॉर्पोरेट्स	43390	0.00
12	निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर)	8016	0.00
13	निवासी व्यक्ति	1201324692	13.25
14	अप्रवासी भारतीय	26036304	0.29
15	विदेशी नागरिक	470	0
16	निकाय निगम	76440882	0.84
17	समाशोधन सदस्य	58517	0.01
18	एच यू एफ	24556374	0.27
19	ट्रस्ट	2122755	0.02
20	निदेशक और उनके रिश्तेदार	12005	0.00
	कुल	9070651260	100.00

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रु. 2/- है

k. Distribution of Shareholding (31.03.2025)

Sl. No.	Description	Total Shares	% Equity
1	President of India	5708548390	62.93
2	Mutual Funds	423773082	4.67
3	Alternative Investment Fund	45391839	0.50
4	Banks	10813960	0.12
5	Insurance Companies	564832921	6.23
6	Provident Funds/ Pension Funds	29954982	0.33
7	NBFC	93567	0.00
8	Foreign Portfolio Investors Category I	907139012	10
9	Foreign Portfolio Investors Category II	48168307	0.53
10	Foreign Institutional Investors	1331795	0.01
11	Bodies Corporates	43390	0.00
12	Directors (Excluding Independent Directors and Nominee Directors)	8016	0.00
13	Resident Individuals	1201324692	13.25
14	Non-resident Indians	26036304	0.29
15	Foreign Nationals	470	0
16	Bodies Corporates	76440882	0.84
17	Clearing Members	58517	0.01
18	H U F	24556374	0.27
19	TRUSTS	2122755	0.02
20	Directors and their Relatives	12005	0.00
	Total:	9070651260	100.00

Nominal value of each share is ₹2/-

मूल्य वार:

(31.03.2025)

शेयर होल्डिंग नाममात्र मूल्य (रुपये)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	कुल शेयर	राशि का %
1-5000	1772394	98.50	525017571	5.79
5001- 10000	15764	0.88	112670169	1.24
10001- 20000	6578	0.37	92038948	1.01
20001- 30000	1679	0.09	41481024	0.46
30001- 40000	668	0.04	23482797	0.26
40001- 50000	528	0.03	24240524	0.27
50001- 100000	768	0.04	54261380	0.60
100001 व इससे अधिक	1053	0.06	8197458847	90.37
कुल	1799432	100.00	9070651260	100.00

Value wise:

(31.03.2025)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	% of Shareholders	Total Shares	% of Amount
1-5000	1772394	98.50	525017571	5.79
5001- 10000	15764	0.88	112670169	1.24
10001- 20000	6578	0.37	92038948	1.01
20001- 30000	1679	0.09	41481024	0.46
30001- 40000	668	0.04	23482797	0.26
40001- 50000	528	0.03	24240524	0.27
50001- 100000	768	0.04	54261380	0.60
100001& Above	1053	0.06	8197458847	90.37
Total	1799432	100.00	9070651260	100.00

ठ. शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और तरलता:

बैंक के शेयरों का कारोबार केवल डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में ही किया जाता है। बैंक ने अपने शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। बैंक के शेयरों को आवंटित INE476A01022 है। शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

चूंकि बैंक के शेयरों का कारोबार डीमैट मोड में होता है, इसलिए भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को किसी भी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोलने होंगे और अपने मूल शेयर प्रमाणपत्रों को संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) को सौंपना होगा, ताकि शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करने के लिए बैंक के आर एंड टी एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हैदराबाद को भेजा जा सके।

डीमैट / भौतिक धारिता (31.03.2025)

31-03-2025 तक शेयरधारिता का सारांश			
श्रेणी	धारकों की संख्या	कुल शेयर	जारी की गई पूंजी का %
भौतिक	1,04,044	3,06,52,580	0.34
एन एस डी एल	5,23,572	284,42,37,133	31.36
सी डी एस एल	12,15,722	619,57,61,547	66.30
कुल	18,43,338	1,81,41,30,252	100.00

- ड. कोई भी जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।
- ढ. कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: विदेशी मुद्रा और अन्य बाजार से संबंधित जोखिम के अधीन
- ण. प्लांट स्थान: केनरा बैंक की देश भर में शाखाएँ हैं, स्थान विवरण वेबसाइट <https://canarabank.com/Locator> पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा बैंक की "डीआईएफसी शाखा, दुबई", "लंदन" और "न्यूयॉर्क" में तीन विदेशी शाखाएँ हैं।
- त. पत्र-व्यवहार के लिए पता

केनरा बैंक
सचिवीय विभाग
अनुपालन व आरबीएस विभाग
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूरु-560 002
ई-मेल आईडी: hosecretarial@canarabank.com

I. Dematerialisation of shares and liquidity:

The Bank's shares are traded in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01022. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat /Physical Holding (31.03.2025)

Summary of Shareholding As on 31-03-2025			
Category	No. of Holders	Total Shares	% of Issued Capital
Physical	1,04,044	3,06,52,580	0.34
NSDL	5,23,572	284,42,37,133	31.36
CDSL	12,15,722	619,57,61,547	66.30
Total	18,43,338	1,81,41,30,252	100.00

- m. There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.
- n. Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market related Risk.
- o. Plant locations: Canara Bank is having Branches across the Country, the location details are available in the Website <https://canarabank.com/Locator>. Apart from that the Bank is having three overseas Branches in "DIFC Branch, Dubai", "London" and "New York".
- p. Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
COMPLIANCE & RBS WING
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
E-MAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

थ. (i) क्रेडिट रेटिंग

क्र. सं.	आईएसआरएन	डिबेंचर शृंखला	राशि करोड़ों में (₹)	मोचन तिथि	क्रिसिल रेटिंग दिनांक 21.02.2025	आईसीआरए रेटिंग दिनांक 12.08.2024	इंडिया रेटिंग दिनांक 16.08.2024	केयर रेटिंग दिनांक 21.02.2025
1	INE476A08043	बेसल III टियर II सीरीज II - 2015-16	900.00	07-जनवरी-2026	क्रिसिल एए+/स्थिर	आईसीआरए (एएए) स्थिर	IND एए+/स्थिर	
2	INE476A08118	बेसल II एटी I एस- IV वित्त वर्ष 2020-21	120.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
3	INE476A08159	बेसल III एटी I 2021-22 एसआर III	1,000.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
4	INE476A08050	बेसल III टियर II 2016-17	3,000.00	27-अप्रैल-2026	क्रिसिल एए+/स्थिर	आईसीआरए (एएए) स्थिर	IND एए+/स्थिर	
5	INE476A08167	बेसल III एटी I 2022-23 सीरीज I	2,000.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
6	INE476A08175	बेसल III टियर II सीरीज I	2,000.00	26-अगस्त-2032		आईसीआरए (एएए) स्थिर	IND एए+/स्थिर	
7	INE476A08084	बेसल III एटी I बॉन्ड एस-1 2020-21	1,012.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
8	INE476A08183	बेसल III टियर II सीरीज II	2,000.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
9	INE667A08039	बेसल III टियर II	1,000.00	28 सितम्बर 2025	क्रिसिल एए+/स्थिर			केयर एए+/स्थिर
10	INE476A08092	बेसल III एटी I बॉन्ड एस-2 2020-21	169.10	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
11	INE476A08126	बेसल III एटी I 2021 एस 1	1,500.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
12	INE476A08134	बेसल III एटी I 2021-22 एसआर II	1,500.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
13	INE667A08047	बेसल III टियर II	750.00	18 दिसंबर 2025	क्रिसिल एए+/स्थिर			केयर एए+/स्थिर
14	INE476A08142	बेसल III टियर II एस 1	2,500.00	24-दिसंबर-36			IND एए+/स्थिर	केयर एए+/स्थिर
15	INE476A09264	बेसल III टियर II सीरीज I - 2015-16	1,500.00	31-दिसंबर-25	क्रिसिल एए+/स्थिर	आईसीआरए (एएए) स्थिर	IND एए+/स्थिर	
16	INE476A08100	बेसल III एटी I बॉन्ड एस-3 2020-21	1,635.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर		IND एए+/स्थिर	
17	INE476A08191	एलटीबी 2023 - 1	5,000.00	27-सितम्बर-33			IND एए+/स्थिर	केयर एए+/स्थिर
18	INE476A08209	एलटीबी 2023 - 2	5,000.00	29-नवम्बर-33			IND एए+/स्थिर	केयर एए+/स्थिर
19	INE476A08217	बेसल III एटी I 2023-24 सीरीज I	1,403.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर	आईसीआरए एए+/स्थिर		
20	INE476A08225	बेसल III एटी I 2023-24 सीरीज II	2,000.00	सतत	क्रिसिल एए+/स्थिर	आईसीआरए एए+/स्थिर		
21	INE476A08233	सीबी एलटीबी 2034	10,000.00	19-जुलाई-34	क्रिसिल एए+/स्थिर			केयर एए+/स्थिर
22	INE476A08241	बेसल III एटी I 2024-25 सीरीज I	3,000.00	सतत		आईसीआरए एए+/स्थिर	IND एए+/स्थिर	
23	INE476A08258	बेसल III टियर II 2024-25 सीरीज I	4,000.00	18-मार्च-2035	क्रिसिल एए+/स्थिर			केयर एए+/स्थिर
कुल			52989.10					
जमा प्रमाणपत्र			65,000.00		क्रिसिल ए1+			

q. (i) Credit Ratings

Sl. No.	ISIN	DEBENTURE SERIES	AMOUNT IN CRORE (in ₹)	REDEMPTION DATE	CRISIL RATING DATED 21.02.2025	ICRA RATING DATED 12.08.2024	INDIA RATING DATED 16.08.2024	CARE RATING DATED 21.02.2025
1	INE476A08043	BASEL III TIER II SERIES II - 2015-16	900.00	07-Jan-2026	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/Stable	
2	INE476A08118	BASEL III AT I S-IV FY 2020-21	120.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
3	INE476A08159	BASEL III AT I 2021-22 SR III	1,000.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
4	INE476A08050	BASEL III TIER II 2016-17	3,000.00	27-Apr-2026	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/Stable	
5	INE476A08167	BASEL III AT I 2022-23 Series I	2,000.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
6	INE476A08175	BASEL III TIER II Series I	2,000.00	26-Aug-2032		ICRA (AAA) Stable	IND AAA/Stable	
7	INE476A08084	BASEL III AT I Bonds S-1 2020-21	1,012.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
8	INE476A08183	BASEL III TIER I Series II	2,000.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
9	INE667A08039	BASEL III TIER II	1,000.00	28.Sep.2025	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Stable
10	INE476A08092	BASEL III AT I Bonds S-2 2020-21	169.10	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
11	INE476A08126	BASEL III AT I 2021 S1	1,500.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
12	INE476A08134	BASEL III AT I 2021-22 SR II	1,500.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
13	INE667A08047	BASEL III TIER II	750.00	18.Dec.2025	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Stable
14	INE476A08142	BASEL III TIER II S 1	2,500.00	24-Dec-36			IND AAA/Stable	CARE AAA/Stable
15	INE476A09264	BASEL III TIER II SERIES I - 2015-16	1,500.00	31-Dec-25	CRISIL AAA/Stable	ICRA (AAA) Stable	IND AAA/Stable	
16	INE476A08100	BASEL III AT I Bonds S-3 2020-21	1,635.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable		IND AA+/Stable	
17	INE476A08191	LTB 2023 - 1	5,000.00	27-Sep-33			IND AA+/Stable	CARE AAA/Stable
18	INE476A08209	LTB 2023 - 2	5,000.00	29-Nov-33			IND AA+/Stable	CARE AAA/Stable
19	INE476A08217	BASEL III AT I 2023-24 Series I	1,403.00	Perpetual	CRISIL AA+/Stable	ICRA AA+/Stable		
20	INE476A08225	BASEL III AT I 2023-24 Series II	2,000.00	Perpetual	CRISIL AAA/Stable	ICRA AA+/Stable		
21	INE476A08233	CB LTB 2034	10,000.00	19-Jul-34	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Stable
22	INE476A08241	BASEL III AT I 2024-25 Series I	3,000.00	Perpetual		ICRA AA+/Stable	IND AA+/Stable	
23	INE476A08258	BASEL III TIER II 2024-25 Series I	4,000.00	18-Mar-2035	CRISIL AAA/Stable			CARE AAA/Stable
Total			52989.10					
Certificate of Deposit			65,000.00		CRISIL A1+			

(ii) बैंक द्वारा जारी बांड के लिए ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

बॉन्ड ट्रस्टी का नाम	पता	आईएसआईएन नंबर
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई-400 028 टेलीफोन नं.: 022-62300451 फैक्स नं.: 022-6230 0700 वेबसाइट-www.axistrustee.com ईमेल: rahul.vaishya@axistrustee.in	INE476A08142 INE476A08175
एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	कॉर्पोरेट कार्यालय, एपीजे हाउस, 6वीं मंजिल, 3 दिनशां वाछा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020, टेलीफोन नंबर: 022-43025555, 5566 फैक्स: 022-22040465 ईमेल: helpdesk@sbicaptrustee.com	INE476A08043 INE476A08118 INE476A08159 INE476A08050 INE476A08167 INE476A08084 INE476A08183 INE667A08039 INE476A08092 INE476A08126 INE476A08134 INE667A08047 INE476A09264 INE476A08100
कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड	901, 9वीं मंजिल, टॉवर बी, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई- 400013 टेलीफोन : 022 49220555 ईमेल: dt@ctltrustee.com साइट- www.catalysttrustee.com	INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 INE476A08225 INE476A08233
बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड	5 डब्ल्यू, 5वीं मंजिल, मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, ई ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 फोन: 022-4606 0278 । वेबसाइट: https://beacontrustee.co.in/ । टोल-फ्री नंबर 9555449955	INE476A08241 INE476A08258

(ii) The Details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under:

Name of the Bond Trustee	Address	ISIN Numbers
Axis Trustee Services Limited	Axis Trustee Services Limited The Ruby, 2nd Floor, SW, 29 Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai-400 028 Tel No.: 022-62300451 Fax No.: 022-6230 0700 Website: www.axistrustee.com Email: rahul.vaishya@axistrustee.in	INE476A08142 INE476A08175
SBICAP Trustee Company Limited	Corporate Office, Apeejay House, 6th Floor, 3, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020, Tel No: 022-43025555, 5566 Fax: 022-22040465 E-mail: helpdesk@sbicaptrustee.com	INE476A08043 INE476A08118 INE476A08159 INE476A08050 INE476A08167 INE476A08084 INE476A08183 INE667A08039 INE476A08092 INE476A08126 INE476A08134 INE667A08047 INE476A09264 INE476A08100
Catalyst Trusteeship Limited	901, 9 th Floor, Tower B, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013 Tel : 022 49220555 E-mail: dt@ctltrustee.com Website: www.catalysttrustee.com	INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 INE476A08225 INE476A08233
Beacon Trusteeship Ltd.	5W, 5 th Floor, Metropolitan Building, E Block, Bandra-Kurla Complex (BKC), Bandra (East), Mumbai - 400 051 Phone : 022-4606 0278 Website: https://beacontrustee.co.in/ Toll Free No. 9555449955	INE476A08241 INE476A08258

द. पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से महत्वपूर्ण विकास:

शून्य

8) अन्य प्रकटीकरण:

- क) बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन दिनांक 31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूची 18 पर नोट्स में किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है।
- ख) बैंक ने अपने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य वैधानिक

r. Significant Developments since last Annual General Meeting:

Nil

8) Other Disclosures:

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2025. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2024-25.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other

प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

ग) बैंक ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है और व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी कार्मिक को बैंक की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

घ) **अनिवार्य आवश्यकताएँ:** बैंक ने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआई/वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण 31.03.2025 को तुलन पत्र की अनुसूची 18 के खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है।

विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 10 में विस्तृत है।

ङ) 'अंतर्वस्तु' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम देखा जा सकता है:

<https://canarabank.com/pages/Policies>

यथा 31.03.2025 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण अनुषंगी कंपनी नहीं है।

च) संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

<https://canarabank.com/pages/Policies>

छ) कमोडिटी मूल्य जोखिम और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: विदेशी मुद्रा और अन्य बाजार से संबंधित जोखिम के अधीन।

ज) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं।

झ) एस केदारनाथ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस नंबर 3031 और सीओपी नंबर 4422) ने प्रमाणित किया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31.03.2025 तक बोर्ड (सेबी) या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है – **उक्त प्रमाण पत्र रिपोर्ट के परिशिष्ट ए के बाद प्रदान किया गया है।**

statutory authorities on any matter related to Capital Markets, during the last three years.

c) The Bank has drawn a Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower(s). Further, no personnel have been denied access to the Audit Committee of the Bank.

d) **Mandatory Requirements:** The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI/Statutory authorities have been disclosed in the Notes to Accounts, Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2025.

The extent of implementation of Discretionary Requirements are detailed in Point No. 10 of this report.

e) The policy for determining 'material' subsidiaries can be viewed in the Bank's Website at the following Link:

<https://canarabank.com/pages/Policies>

There are no material subsidiaries of the bank as on 31.03.2025.

f) The policy on dealing with related party transactions can be viewed in the Bank's Website at the following Link:

<https://canarabank.com/pages/Policies>

g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market related risk.

h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015: Not Applicable for FY 2024-25.

i) S Kedarnath, Practicing Company Secretary (FCS No. 3031 & COP No. 4422) has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2025 - **The said Certificate is provided after the Appendix A to the report.**

ज) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

ट) लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल शुल्क (समेकित) का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय - 71 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य संबंधित व्यय का भुगतान और प्रावधान - 72.00 करोड़ रुपये।

ठ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 20

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 18

ग. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 02

9. बैंक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के उप-पैरा सी के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट अभिज्ञासन रिपोर्ट की आवश्यकता के अनुपालन में है।

j) During the FY 2024-25, there were no such instances, where the board did not accept recommendations of the Committee of the Board which is mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

k) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors:

Total Professional Fees and other expenses paid to Statutory Auditors for the Financial Year 2023-24: ₹ 71 Crore.

Total professional fees and other related expenses paid and made provision for financial year 2024-25: ₹ 72.00 Crore.

l) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. Number of complaints filed during the financial year - 20

b. Number of complaints disposed of during the financial year - 18

c. Number of complaints pending at the end of the financial year - 02

9. Bank is in compliance of requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Sub-Para C of Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

10. (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
क	बोर्ड: एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है।	बैंक ने इसे लागू भी कर दिया है
ख	शेयरधारक के अधिकार	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय गतिविधियों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।
ग	लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय	वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपरिवर्तित राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है।
घ	अध्यक्ष और सीईओ का अलग पद	भारत सरकार ने चेयरपर्सन और एमडी व सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्ति को नामित / नियुक्त किया है। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री विजय श्रीरंगन को 07.11.2022 से बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित "रिश्तेदार" शब्द की परिभाषा के अनुसार चेयरपर्सन प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं है।
ङ	आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) और उनके द्वारा नामित अधिकारियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तक पूर्ण और निःशुल्क पहुंच प्राप्त है।

10. The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	The Board: A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank has implemented the same.
B	Shareholder Rights	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The quarterly / half-yearly / annual financial results are updated on the website of the bank.
C	Modified opinion(s) in audit report	The Audit Report for the year 2024-25 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors report of the Bank.
D	Separate Post of Chairman and CEO	The Government of India has nominated / appointed separate person to the post of Chairperson and MD & CEO. The non-executive Chairman, Mr. Vijay Srirangan has been appointed on the Board of the Bank w.e.f. 07.11.2022. The chairperson is not related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.
E	Reporting of Internal Auditor	The Head of internal Audit (HIA) and the officials nominated by him, have full and free access to the Audit Committee of the Board.

11. बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

12. अन्य घोषणाएँ / अनुपालन / प्रकटीकरण:

क. बैंक ने 2002-03 में आईपीओ लाया और निवेशकों को भौतिक मोड और डीमैट मोड दोनों के तहत 10/- रुपये अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के आइटम एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के संबंध में बैंक के दावा न किए गए शेयरों को जारीकर्ता द्वारा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में से एक के साथ खोले गए डीमैट सस्पेंस खाते में जमा किया जाएगा। विवरण इस प्रकार है: (इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रोजन रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों का असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करता।)

खाते का नाम	डीपीआईडी / क्लाइंट आईडी	शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष की शुरुआत में सस्पेंस खाते में बकाया शेयर;	वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए सूचीबद्ध इकाई से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या;	वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर हस्तांतरित किए गए उनकी संख्या;	शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में सस्पेंस खाते में बकाया शेयर;
केनरा बैंक दावा न किया गया सस्पेंस अकाउंट शेयर	301356 / 20552606	223 10351	शून्य	शून्य	222 51755 (विभाजन के बाद)
सिंडिकेट बैंक – दावा न किया गया सस्पेंस खाता – भौतिक शेयर	13050600 00006721	526 14523	शून्य	शून्य	526 72615 (विभाजन के बाद)
सिंडिकेट बैंक – दावा न किया गया सस्पेंस खाता – डीमैट शेयर	13050600 00006734	331 3207	शून्य	शून्य	331 16035 (विभाजन के बाद)
केनरा बैंक – दावा न की गई प्रतिभूतियाँ – सस्पेंस एस्क्रो खाता	301356/2 1042631	63 7919-विभाजन के बाद-39595 (वर्ष 47-25710 के दौरान अतिरिक्त)	26 17855	26 17855	84 47450 (विभाजन के बाद)

11. Bank is in compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

12. Other Declarations / Compliance / Disclosures:

- a. The Bank went for IPO in 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹ 10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015 the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. The details are as under: (The Voting Rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

Name of the account	DPID / Client ID	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the beginning of the year	Number of shareholders who approached listed entity for transfer of shares from suspense account during the year	Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account lying at the end of the year
Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c. Shares	301356 / 20552606	223 10351	NIL NIL	NIL NIL	222 51755 (After Split)
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares	13050600 00006721	526 14523	NIL NIL	NIL NIL	526 72615 (After Split)
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Demat Shares	13050600 00006734	331 3207	NIL NIL	NIL NIL	331 16035 (After Split)
Canara Bank - Unclaimed Securities - Suspense Escrow Account	301356/2 1042631	63 7919-After Split-39595 (Addition during the year 47-25710)	26 17855	26 17855	84 47450 (After Split)

ख. हमारे बैंक के संबंध में निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति/ अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रियाएं / संबंधित पार्टी लेनदेन / व्हिसल ब्लोअर / प्रबंधन और अनुपालन बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इस संबंध में आरबीआई निर्देश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / सेबी और आईसीएआई-लेखा मानकों के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं।

ग. **सीईओ और जीसीएफओ प्रमाणन:** बैंक के एमडी व सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के तहत आवश्यक रूप से निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाणन दिया है।

घ. कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र **परिशिष्ट बी** में संलग्न है।

ङ. सेबी (सूचीबद्धता प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024 के विनियमन 36 के उप-विनियम (1), खंड (बी) के अनुसार, सेबी ने 12 दिसंबर, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से सटीक पथ सहित वेब-लिंक वाले श्रेयधारक को एक पत्र भेजना अनिवार्य कर दिया है, जहां वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उन श्रेयधारकों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। बैंक अपने श्रेयधारकों को उपर्युक्त विनियमन के अनुपालन से संसूचना भेजेगा।

च. आचार संहिता:

बैंक ने 'आचार संहिता' अपनाई है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू है, जिसमें प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र / श्रेयधारक निदेशक / सरकारी नामिती/ आरबीआई नामिती शामिल हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा जिसमें कहा गया है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन

b. The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / SEBI and ICAI-Accounting Standards in this regard.

c. **CEO and GCFO Certification:** The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2024-25 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

d. Compliance certificate from the auditors regarding compliance of conditions of corporate governance is annexed here with in the **Appendix B**

e. Pursuant to sub-regulation (1), clause (b) of Regulation 36 of SEBI (Listing Obligation Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2024, SEBI has mandated vide its circular dated December 12, 2024 to send a letter to shareholder having web-link, including the exact path, where the complete details of Annual Report are available to those shareholders who have not registered their e-mail id. The Bank will send communication to its shareholders in compliance with the aforesaid regulation.

f. Code of Conduct

The Bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the non-executive / independent / Shareholder Director / Govt. Nominee / RBI Nominee. Declaration signed by the Chief Executive Officer stating that the members of Board of Directors and Senior Management Personnel have affirmed compliance with

की पुष्टि की है, परिशिष्ट सी के रूप में संलग्न है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट <https://canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel> पर पोस्ट की गई है।

छ. इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध के लिए केनरा बैंक आचार संहिता

केनरा बैंक ("बैंक") के शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार, बैंक सेबी विनियमों द्वारा शासित है। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध विनियम), 2015 के अनुरूप, केनरा बैंक ने नामित व्यक्तियों द्वारा बैंक के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए आचार संहिता तैयार की है। इस आचार संहिता की समीक्षा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए "इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध के लिए केनरा बैंक आचार संहिता" की समीक्षा की गई और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.02.2025 की बैठक में इसे अनुमोदित किया गया।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 30(5) के अनुसार, बैंक का निदेशक मंडल किसी घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने तथा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से एक या अधिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को अधिकृत करेगा तथा ऐसे कार्मिकों के संपर्क विवरण स्टॉक एक्सचेंजों तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रकट किए जाएंगे। तदनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 04.11.2015 को आयोजित अपनी बैठक में मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, एस एंड डीए विभाग, प्र का, मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, वि प्र विभाग, प्र का तथा उप महाप्रबंधक एवं बोर्ड के सचिव (केनरा बैंक आचार संहिता के अनुसार, इनसाइडर ट्रेडिंग के निषेध के लिए) को किसी घटना या सूचना की महत्ता निर्धारित करने (नियमित / सांविधिक प्रकटीकरणों के अलावा अन्य मदों के लिए) तथा बैंक के कंपनी सचिव के माध्यम से एक्सचेंजों को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से अधिकृत किया है। अधिकृत कार्मिकों के संपर्क विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

the code of conduct of Board of Directors and Senior Management is annexed as **Appendix C**. The Code of conduct is posted on the Company's website at <https://canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel>

g. Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading:

Canara Bank ("the Bank") shares are listed on the Stock Exchanges. As such, the Bank is governed by the SEBI Regulations. In line with the SEBI (Prohibition of Insider Trading Regulations), 2015, Canara Bank has framed a Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading in the Bank's shares by Designated Persons. This Code of Conduct is reviewed annually by the Board of Directors of the Bank. "Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading" for the financial year 2025-26 has been reviewed and approved by the Board of Directors of the Bank in its meeting dated 28.02.2025.

In terms of Regulation 30(5) of SEBI (LODR), the Board of Directors of the Bank shall authorize one or more Key Managerial Personnel for the purpose of determining the materiality of an event or information and for the purpose of making disclosures to the stock exchanges and that the contact details of such personnel shall be disclosed to the stock exchange(s) and as well as on the Bank's Website. Accordingly, the Board of the Bank in its meeting held on 04.11.2015 has authorized the Chief General Manager / General Manager, S & DA Wing, HO the Chief General Manager / General Manager, FM Wing, HO and the Deputy General Manager & Secretary to the Board (as per the Canara Bank Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading) for the purpose of determination of materiality of an event or information (for the items other than the Regular / Statutory Disclosures) and making disclosures to the Exchanges through the Company Secretary of the Bank. The contact details of the authorized Personnel are available on the Bank's website.

ज. लाभांश वितरण नीति:

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 के विनियमन 43ए के तहत आवश्यक रूप से, बैंक के पास लाभांश वितरण नीति है जो उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर लिंक पर भी उपलब्ध है। <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Dividend%20Distribution%20Policy%202025-26.pdf>

झ. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीआई/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने श्री एस. केदारनाथ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी संख्या 4422) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। बैंक के सदस्यों को संबोधित रिपोर्ट जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

ञ. सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण

सेबी (एलओडीआर) में वर्णित सूचीबद्ध कंपनियों को बाध्य करने वाले ऐसे कोई अनुबंध या अनुबंध नहीं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है। इसलिए इन विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत प्रकट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

ह. Dividend Distribution Policy:

As required under Regulation 43A of the SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place, which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website: c at the link : <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Dividend%20Distribution%20Policy%202025-26.pdf>

i. Secretarial Audit for Financial Year 2024-25:

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDI/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. Kedarnath, Practicing Company Secretary (CP No. 4422) as the Secretarial Auditor for FY 2024-25. The report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

j. Disclosure of certain types of agreements binding listed entities

There are no such agreements or contracts binding listed companies as detailed in SEBI (LODR) which directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity. Hence Information required to be disclosed under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of these regulations is nil.

परिशिष्ट ए

सेबी [(सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियमन, 2018 - अनुसूची V (सी)(10)(i)] के अनुसार निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र

हम, केदारनाथ एंड कार्तिक, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म ने जांच की है, केनरा बैंक (इसके बाद "बैंक" नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणियाँ और प्रकटन को, जिसमें सीआईएन (लागू नहीं) है और जिसका पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560 002 में है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसकी मैंने जांच की है।

मेरे अभिमत में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी / बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और यथा निर्धारित आवश्यक [निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित] सत्यापन के अनुसार, मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति की तारीख
1	श्री विजय श्रीरंगन	गैर-कार्यकारी अध्यक्ष - स्वतंत्र निदेशक	01813891	07 नवंबर, 2022
2	श्री के. सत्यनारायण राजु	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	08607009	10 मार्च 2021
3	श्री देबाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	08193978	19 फरवरी, 2018
4	श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया	कार्यपालक निदेशक	09690464	07 फरवरी, 2023
5	श्री भवेन्द्र कुमार	कार्यपालक निदेशक	10401479	09 अक्टूबर, 2023
6	श्री शांतनु कुमार मजुमदार	कार्यपालक निदेशक	08223415	24 मार्च, 2025
7	श्री प्रशान्त कुमार गोयल	गैर-कार्यकारी - भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला नामित निदेशक	08652921	25 अक्टूबर, 2023
8	श्री रोहित दास	गैर-कार्यकारी - भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला नामित निदेशक	उपलब्ध नहीं है	05 अगस्त, 2024
9	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	06370282	27 जुलाई 2019
10	सुश्री आभा सिंह यदुवंशी	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	09608526	27 जुलाई, 2022
11	श्री हेमंत बुच	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	उपलब्ध नहीं है	30 नवंबर, 2024

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते केदारनाथ एंड कार्तिक
कार्तिक एस. एन.
साझेदार

दिनांक : 29 अप्रैल, 2025

स्थान : बेंगलूरु

एफसीएस नं.: एफ12078 । सीपी नं.: 17639
आईसीएसआई एफआरएन: पी2023केआर098600
आईसीएसआई पीआरएन: 5307/2023
आईसीएसआई यूडीआईएन: एफ012078जी000224158

Appendix A
CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF DIRECTORS
PURSUANT TO SEBI [LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2018 - SCHEDULE V(C)(10)(I)]

We, Kedarnath & Karthik, a firm of Practicing Company Secretary have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Canara Bank having PAN AAACC6106G and having Registered Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru, Karnataka - 560002 (hereinafter referred to as “the Bank”), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN)] as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2025 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other statutory authority.

Sl. No.	Name	Designation	DIN	Date of Appointment
1	Mr. Vijay Srirangan	Non-Executive Chairperson - Independent Director	01813891	November 07, 2022
2	Mr. K. Satyanarayana Raju	Managing Director & Chief Executive Officer	08607009	March 10, 2021
3	Mr. Debashish Mukherjee	Executive Director	08193978	February 19, 2018
4	Mr. Hardeep Singh Ahluwalia	Executive Director	09690464	February 07, 2023
5	Mr. Bhavendra Kumar	Executive Director	10401479	October 09, 2023
6	Mr. Santanu Kumar Majumdar	Executive Director	08223415	March 24, 2025
7	Mr. Parshant Kumar Goyal	Non-Executive - Nominee Director representing Government of India	08652921	October 25, 2023
8	Mr. Rohit Das	Non-Executive - Nominee Director representing Reserve Bank of India	Not available	August 05, 2024
9	Mr. Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director - Independent Director	06370282	July 27, 2019
10	Ms. Abha Singh Yaduvanshi	Shareholder Director - Independent Director	09608526	July 27, 2022
11	Mr. Hemant Buch	Shareholder Director - Independent Director	Not available	November 30, 2024

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Kedarnath & Karthik
Karthik S N
Partner

FCS No.: F12078 | CP No.: 17639

ICSI FRN: P2023KR098600

ICSI PRN: 5307/2023

ICSI UDIN: F012078G000224158

Date : April 29, 2025

Place : Bengaluru

परिशिष्ट II - निदेशकों द्वारा घोषणा

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु

विषय: पुष्टि का प्रमाण पत्र - आचार संहिता

यह 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशकों पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करता है।

के. सत्यनारायण राजु

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व सीईओ

ANNEXURE II - DECLARATION BY THE DIRECTORS

To,
The Board of Directors
Canara Bank
HO, Bengaluru

Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm compliance with the Code of Conduct as applicable to Directors of the Bank for the year ended 31.03.2025.

के. सत्यनारायण राजु

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

K. Satyanarayana Raju
Managing Director & CEO

परिशिष्ट बी

कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र।

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्यगण

1. यह प्रमाणपत्र हमारे अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
2. हम, मेसर्स अबरना एंड अनंथन, सनदी लेखाकार, केनरा बैंक ("बैंक") के संयुक्त वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की संवीक्षा की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियमन 46 के उप विनियमन (2) के खंड (बी) से (i) [और (टी)] और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्धारित है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

3. बैंक का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि बैंक लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करता है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

4. हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की संवीक्षा करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. हमने बैंक द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा बनाए गए खाता बहियों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

Appendix B

Auditor's Certificate on Corporate Governance

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015.

To,

The Members of Canara Bank

1. This Certificate is issued in accordance with the terms of our engagement letter.
2. We, M/s. Abarna & Ananthan, Chartered Accountants, the joint Statutory Central Auditors of Canara Bank ("the Bank") have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank, for the year ended on 31st March 2025, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) [and (t)] of sub regulation (2) of regulation 46 and para C, D and E of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Management's Responsibility

3. The Management of the Bank is responsible for ensuring that the Bank complies with the conditions of Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal controls and procedures to ensure compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
5. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.

- हमने अपनी परीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शन नोट और लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार आयोजित की, जहां तक इस प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए लागू है और आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार, जिसके लिए आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें।
- हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, आईसीएआई द्वारा जारी फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा और समीक्षा करते हैं, की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

राय

- उपरोक्त हमारी जांच और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान विनियम 17 से 27 और विनियम 46(2) के खंड (बी) से (i) और लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के पैराग्राफ सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
- हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

- यह प्रमाणपत्र बैंक के सदस्यों को संबोधित है और उन्हें केवल कॉर्पोरेट अभिशासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति, जिसे यह प्रमाणपत्र दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह हमारी लिखित पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या देखभाल के किसी कर्तव्य को स्वीकार या स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रमाणपत्र की तारीख के बाद होने वाली किसी भी घटना या परिस्थिति के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने की हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000003एस

(एस अनंथन)
साझेदार

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 08 मई 2025 यूडीआईएन: 25026379BNQJHG6016

एम नं.: 026379

- We conducted our examination in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance and the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"), in so far as applicable for the purpose of this Certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
- We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements issued by ICAI.

Opinion

- Based on our examination as above and to the best of the information and explanations given to us and representations provided by the management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and Paragraphs C and D of Schedule V to the Listing Regulations during the year ended 31st March 2025.
- We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Restriction on Use

- This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling them to understand the requirements of the Listing Regulations related to Corporate Governance, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this Certificate for any events or circumstances occurring after the date of this Certificate.

For Abarna & Ananthan
Chartered Accountants
FRN: 000003S

(S Ananthan)
Partner

Place : Bengaluru

Date : 08 May, 2025

M. No.: 026379

UDIN: 25026379BNQJHG6016

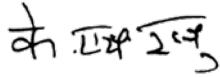
परिशिष्ट सी

आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रधान कार्यालय
बेंगलूरु

विषय: पुष्टि प्रमाणपत्र - आचार संहिता

यह पुष्टि की जाती है कि निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 08.05.2025

Appendix C

DECLARATION REGARDING COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT

The Board of Directors
Canara Bank
Head Office
Bengaluru

Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm that the members of the Board of Directors and Senior Management Personnel, have affirmed compliance with the Code of Conduct of Board of Directors and Senior Management for financial year ended March 31, 2025.



Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

K. Satyanarayana Raju
Managing Director & CEO



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकदी प्रवाह विवरण

2024-2025



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2024-2025**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमारी राय

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता व उस वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी ('एकल वित्तीय विवरण') के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों के लिए रिटर्न शामिल हैं:

- हमारे द्वारा प्रधान कार्यालय, 20 शाखाएँ, 1 एकीकृत कोष विभाग का लेखापरीक्षा किया गया।
- 2637 घरेलू शाखाओं का वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किया गया।
- संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखापरीक्षा किया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन पत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में 7192 घरेलू शाखाओं से प्राप्त विवरण भी शामिल किए गए हैं, जिनका लेखा परीक्षा नहीं किया गया है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं में अग्रिम राशि का 25.67%, जमा राशि का 50.34%, ब्याज आय का 25.32% और ब्याज व्यय का 48.95% हिस्सा है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा बैंक के लिए अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और:

- तुलनपत्र, उस पर दिए गए नोट्स के साथ पढ़ी जाए तो यह एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलनपत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे ठीक से तैयार किया गया है ताकि

Independent Auditors' Report

To

The Members of Canara Bank,

Report on Audit of the Standalone Financial Statements.

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprises of the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statement') in which are included the returns for the year ended on that date of:

- The Head Office, 20 Branches, 1 Integrated Treasury Wing audited by us.
- 2637 Domestic Branches audited by statutory branch auditors.
- 4 Foreign Branches audited by respective local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 7192 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 25.67% of advances, 50.34% of deposits, 25.32% of interest income and 48.95% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the Bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the

31 मार्च 2025 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके;

- ख) लाभ व हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन दिखाता है; और
- ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण देता है।

राय का आधार

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिन्हें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त है और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को एकल वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025;

- b) the Profit and Loss Account, read with notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended as on that date; and
- c) the statement of Cash Flows gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, prepared in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the ICAI, and the provisions of the Section 29 of Banking Regulations Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	मुख्य लेखापरीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया
1.	आय निर्धारण, संपत्ति का वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता अग्रिम बैंक की आस्तियों का सबसे बड़े वर्ग है। वर्गीकरण, आय की पहचान और उस पर प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप हैं। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग समाधान) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों के साथ – साथ विभिन्न अनुमानों, उधारकर्ताओं के कार्यनिष्पादन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण, मँउअल हस्तक्षेप सहित आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं, आय की पहचान और उस पर प्रावधान पर निर्भर है।	मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ: हमारी लेखापरीक्षा, शेष राशि की भौतिकता पर विचार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान की प्रक्रिया पर केंद्रित थी। हमने बैंक की प्रणाली की प्रभावकारिता और गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और ऐसी गैर-निष्पादित आस्तियों के विरुद्ध प्रावधान बनाने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था: - अग्रिमों के अनुमोदन, दस्तावेज़ीकरण, सवितरण और निगरानी के संबंध में नियंत्रण का आकलन करना। - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित और संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा। - अनर्जक आस्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन का मूल्यांकन। - भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान और उनके लिए प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा। - भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1.	Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon. Advances constitute the largest class of assets of the Bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.	Principal Audit Procedures: Our audit was focused on the process of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, considering the materiality of the balances. We assessed the efficacy of Bank's system and the processes in place to identify the non-performing assets and create provision against such non-performing assets. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the following: - Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement and monitoring of advances. - Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India. - Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. - Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. - Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms.

	• जहां भी हमारी जानकारी में आया, परीक्षण जांच के आधार पर भौतिक हस्तक्षेप की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की। • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा 600 के मानकों के अनुसार नियामक आवश्यकता के समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णयों पर निर्भर रहे। • समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और उनके विरुद्ध प्रावधान बनाने की प्रक्रिया और तर्क की जांच की गई और साथ ही दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र की भी जांच की गई। • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्टों पर भरोसा किया, जिनमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा मानकों 620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण रिपोर्ट / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट जहां भी उपलब्ध हो की समीक्षा की।
	• Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis. • Relied on the reports / returns/ judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance with the regulatory requirement in accordance with Standards on Auditing 600 issued by ICAI. • Test checked the process and logic of identification and creation of provision against non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the Bank in various capacities in conformity with Standards on Auditing 620 issued by ICAI. • Reviewed the internal audit/inspection reports/ Concurrent audit reports, wherever available.

2. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान: निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा अभिशासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में निवेशों का वर्गीकरण, निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उस पर प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा / सूचना एकत्र करना शामिल है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ: हमारा लेखापरीक्षा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास पर केंद्रित था। - हमने निवेश से संबंधित वर्गीकरण, मूल्यांकन, एनपीआई प्रावधान / मूल्यहास की पहचान के संबंध में प्रासंगिक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की प्रणाली को समझा और उसका मूल्यांकन किया। - हमने इन निवेशों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया। - मौजूद निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रत्येक श्रेणी की सुरक्षा के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन को पुनः निष्पादित करके भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। - हमने भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के लिए प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास को स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित मूल परीक्षण किए।
2. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments: Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directions of the RBI. These directions of RBI cover the classification of investments, valuation of investments, identification of Non-Performing Investments, the corresponding non-recognition of income and provision thereon. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data / information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies, etc.	Principal Audit Procedures: Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. - We understood and evaluated the Bank's system in place to comply with the relevant RBI Guidelines regarding classification, valuation, identification of NPIs provision / depreciation related to investments. - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. - For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing classification and valuation for each category of security. - We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI.

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएँ मुख्य रूप से आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, क्योंकि दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में लेनदेन संसाधित किए जाते हैं और इसलिए, इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर करती है। हमने निवेश, आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण और अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधानीकरण में लेनदेन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीबीएस और अन्य संबद्ध अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की सुसंगत कार्यप्रणाली पर भरोसा किया है, साथ ही विविध आस्तियों और विविध देयताओं के तहत विभिन्न मर्दों के समाधान और आयु निर्धारण के साथ-साथ अन्य खातों पर भी भरोसा किया है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ: हमने उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्यांकन किया जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और सीबीएस, वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग पैकेज, ट्रेजरी संचालन, आईआरएसी वर्गीकरण और सीआरएआर गणना के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की पहचान की है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था, जो निम्नानुसार है: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की। • आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • आईटी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में अपनाए गए सिस्टम लॉजिक के साथ व्यवसाय तर्क की मैपिंग का परीक्षण किया। • परीक्षण जांच के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित और व्यवसाय चक्र नियंत्रण और तर्क का परीक्षण किया।
3. Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes are predominantly dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a Key Audit Matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems. We have relied upon the consistent functioning of CBS and other allied application software with respect to transactions in Investments, Income Recognition, Classification of Assets and Provisioning against advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various items under Sundry Assets and Sundry Liabilities along with such other accounts.	Principal Audit Procedures: We conducted an assessment of key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified application software for CBS, Financial Statement Reporting Package, Treasury operations, IRAC Classification and CRAR calculation, which are primarily used for financial reporting. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with Inspection Wing on compliance with key IS Controls. • Tested the mapping of business logic with system logic adopted in the IT application software • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.

4. आस्थगित कर आस्थि बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक 4,891.04 करोड़ रुपये की निवल आस्थगित कर आस्थि को मान्यता दी है। आस्थगित कर आस्थि का वस्तुनिष्ठ आकलन, मान्यता और मापन विशेषज्ञ की राय, न्यायिक घोषणाओं और पूर्व घटना गया प्रबंधन के निर्णयों और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप भविष्य में लाभ की उपलब्धता के बारे में अनुमानों पर आधारित है। आस्थगित कर आस्थि को इस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है कि इस बात की उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्थि की वसूली की जा सकती है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया: हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ का पालन किया हैं: - आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22- आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आस्थगित कर आस्थि की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा। - विशेषज्ञ की राय, न्यायिक घोषणाओं और पूर्व घटना गया के संदर्भ में आस्थगित कर आस्थि की वसूली के बारे में प्रबंधन के निर्णय और अनुमानों की समीक्षा की। - लाभ की उपलब्धता और निश्चितता की संभावना का आकलन किया जिसके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर आस्थि की वसूली में सक्षम होगा।	4. Deferred Tax Asset The Bank has recognized a net deferred tax asset of ₹4,891.04 Crore as on March 31, 2025. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the expert opinion, judicial pronouncements and precedents, management judgements and estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. Deferred Tax Asset has been carried forward to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.	Principal Audit Procedures: We have performed the following procedures as part of our control testing: - Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets to ensure compliance with AS-22- Accounting for Taxes on Income issued by ICAI. - Reviewed the management judgement and estimates regarding the realisability of the Deferred Tax Assets, w.r.t. expert opinion, judicial pronouncements and precedents. - Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the Bank will be able to realize the Deferred Tax Asset in future.

5. विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयताएं करों और अन्य पक्षों द्वारा बैंक पर दायर विभिन्न अन्य दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देयताओं का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बैंक का आकलन विचाराधीन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव, स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह और जहाँ भी आवश्यक हो, कानूनी राय द्वारा समर्थित है। इसलिए, मुकदमे में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के लाभ और तुलन-पत्र में दर्शाई गई स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया: लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है: - कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। - विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई। - पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण-दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा।	5. Various Litigations & Contingent Liability Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations in relation to taxes and various other claims filed by other parties upon Bank, not acknowledged as debts. The Bank's assessment is supported by facts of matter under consideration, their own judgement, past experience, advises from independent experts and legal opinion, wherever necessary. Therefore, unexpected adverse outcomes in the litigation may impact the Bank's profit and state of affairs as reflected in the balance sheet.	Principal Audit Procedures: We have performed the following procedures as part of our control testing: - Reviewed the current status of the various credit and non-credit litigations and contingent liabilities, including tax related disputes. - Examined the communications received from various authorities and follow-up actions thereon. - Evaluated the merits of the subject matter under consideration with reference to the background and relied on the expert opinion, legal advice, judicial pronouncements and precedents thereon.

एकल वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर III प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं) कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट जारी करने से पहले प्राप्त किया था, प्रमुख वित्तीय संकेतक और श्रेयधारक की जानकारी, जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report and the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो जाए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत बयानी है तो हमें इस मामले को उन लोगों के साथ उठाने की आवश्यकता है, जिन पर अभिशासन का प्रकार है।

एकल वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी की जिम्मेदारियां:

6. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सही और

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this Other Information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Other Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements:

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and

निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण और लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व :

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसाए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयान का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

एसाए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिम की पहचान करना और उसका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ डिज़ाइन की जा सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों।

are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements:

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

ग) उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

घ) लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

ङ) प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करना, तथा यह देखना कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम अभिशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के

c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to

बारे में संवाद करने के लिए कहा है, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले माने जा सकते हैं, संबंधित सुरक्षा उपाय और जहां लागू हो।

अभिशासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

अन्य मामले:

- हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 2637 घरेलू शाखाओं और 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखापरीक्षा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 तक 4,91,642.52 करोड़ रुपये के कुल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 44,532.71 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। ये शाखाएँ और प्रसंस्करण केंद्र 43.01% अग्रिम, 45.39% जमा, 46.89% गैर-निष्पादित संपत्ति और 42.54% राजस्व को कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय में जहाँ तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

- तुलनपत्र और लाभ व हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
- उपरोक्त परिच्छेद में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें अपेक्षित

communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter:

- We did not audit the financial statements / information of 2637 domestic branches and 4 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of ₹4,91,642.52 Crore as at March 31, 2025 and total revenue of ₹44,532.71 Crore for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 43.01% of advances, 45.39% of deposits, 46.89% of non-performing assets and 42.54% of revenue. The financial statements / information of these branches has been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such Branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
- Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख) बैंक के लेन-देन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; और

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

11. आरबीआई के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या ईटद.अढक्र. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व, आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के परिच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग) 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक कोई भी निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

घ) लेखा का रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड.) आरबीआई के पत्र OS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता

a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. As required by RBI Letter No. DOS.ARG. No. 6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2025, none of the director is disqualified as on March 31, 2025 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the RBI Letter OS.ARG.No.6270/08.91.001/ 2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses

और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाता-बही उपयुक्त रूप से रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणी प्राप्त हुए हैं;
- ख) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण, खाता-बही तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं शाखाओं से प्राप्त विवरणी के अनुरूप हैं;
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका उचित तरीके से कार्रवाई किया है; तथा
- घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न हों।

13. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के संगत एकल वित्तीय विवरणों का बैंक के पांच संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, तथा उन्होंने 08 मई, 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एकल वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की थी।

an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as at March 31, 2025.

12. We further report that

- a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

13. The corresponding standalone financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2024, were audited by five joint auditors of the Bank, three of whom were predecessor audit firms, and they had expressed an unmodified opinion on standalone financial statements vide their report dated May 08, 2024.

कृते के. वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए. गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 018159
यूडीआईएन: 25018159BMOSRF8663

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस. अनंतन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 026379
यूडीआईएन: 25026379BNQJHG6016

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित विश्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052296
यूडीआईएन: 25052296BMNXFW3689

हस्ताक्षर का स्थान : बंगलूरु
रिपोर्ट की तिथि : 08.05.2025

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(रुषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114113
यूडीआईएन: 25114113BMKXCX8703

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 077201
यूडीआईएन: 25077201BMLJOH2035

For K VENKATACHALAM AIYER
& CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159
UDIN: 25018159BMOSRF8663

For ABARNA & ANANTHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000003S

(S. ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379
UDIN: 25026379BNQJHG6016

For M C BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 303002E

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296
UDIN: 25052296BMNXFW3689

Place of Signature : Bengaluru
Date of Report : 08.05.2025

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(RUSHIKESH VILAS DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113
UDIN: 25114113BMKXCX8703

For S R GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001537C

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201
UDIN: 25077201BMLJOH2035

अनुलग्नक “ए”
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (आरबीआई संसूचना) द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक केनरा बैंक (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जिसके साथ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ इसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का निवारण और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के

ANNEXURE “A”
TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

(Referred to in Paragraph 11(e) under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements’ Section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the “RBI”) Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the “RBI communication”)

We have audited the Internal Financial Controls over Financial Reporting of Canara Bank (“the Bank”) as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank’s branches.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank’s Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India

लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') के अनुसार किया है। (आईसीएआई) और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों (एसए) को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक लागू किया जाता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, आंतरिक नियंत्रणों के अस्तित्व, उन नियंत्रणों की प्रभावकारिता के संबंध में विशेषज्ञों और सलाहकारों की राय और रिपोर्ट की समीक्षा करना, उन नियंत्रणों का परीक्षण करना और आईसीएआई द्वारा जारी एसए 620 की आवश्यकता के अनुसार परीक्षण के परिणाम, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी बिना शर्त लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained, and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, reviewing the opinion and report of experts and consultants with regard to existence of internal controls, efficacy of those controls, testing those controls and results of the testing in accordance with requirement of SA 620 issued by ICAI, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो बैंक की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को उचित विवरण के साथ सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;
- (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरसाइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर थे।

- (1) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
- (2) Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and
- (3) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2025, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक 2641 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2641 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

**कृते के. वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 018159
यूडीआईएन: 25018159BMOSRF8663

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस. अनंथन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 026379
यूडीआईएन: 25026379BNQJHG6016

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित बिश्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052296
यूडीआईएन: 25052296BMNXFW3689

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु
रिपोर्ट की तिथि : 08.05.2025

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(रुशिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114113
यूडीआईएन: 25114113BMKXCX8703

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 077201
यूडीआईएन: 25077201BMLJOH2035

**For K VENKATACHALAM AIYER
& CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159
UDIN: 25018159BMOSRF8663

For ABARNA & ANANTHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000003S

(S. ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379
UDIN: 25026379BNQJHG6016

For M C BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 303002E

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296
UDIN: 25052296BMNXFW3689

Place of Signature : Bengaluru
Date of Report : 08.05.2025

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(RUSHIKESH VILAS DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113
UDIN: 25114113BMKXCX8703

For S R GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001537C

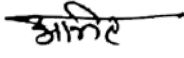
(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201
UDIN: 25077201BMLJOH2035

असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

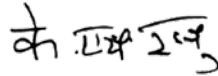
हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors' Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2025 contains unmodified opinion.



अमित मिश्र
महाप्रबंधक व समूह
मुख्य वित्तीय अधिकारी



के सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



AMIT MITTAL
GM & GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

**कृते के. वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए. गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(रुशिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114113

**For K VENKATACHALAM AIYER
& CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A. GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(RUSHIKESH VILAS DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस. अनंथन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 077201

For ABARNA & ANANTHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000003S

(S. ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

For S R GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001537C

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित बिश्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052296

For M C BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 303002E

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका: बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर)
विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- क) हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है यह हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से गलत बयान नहीं दिया गया है, न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है और न ही ऐसे कोई बयान दिए गए हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) उक्त विवरण बैंक की वित्तीय स्थिति का एक सुस्पष्ट, सत्य एवं निष्पक्ष तथ्य प्रस्तुत करते हैं तथा वे प्रचलित लेखांकन मानकों, प्रासंगिक विधिक प्रावधानों एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
- ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, गैरकानूनी या बैंक की आचार संहिता के प्रतिकूल हो।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण स्थापित केंद्र एवं अनुरक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा समिति को, यदि कोई हो, आंतरिक नियंत्रण तंत्र के डिजाइन या संचालन में पाई गई कमियों की जानकारी प्रकट की है तथा उन कमियों के समाधान हेतु उठाए गए या प्रस्तावित कदमों से भी अवगत कराया है।
- घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा समिति को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया है:
- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हुए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) लेखांकन नीतियों में हुए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, एवं उनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO: Bengaluru

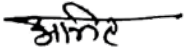
Sub : CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

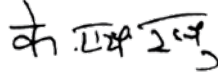
- a) We have reviewed Standalone financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
- (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें यदि प्रबंधन अथवा बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई कर्मचारी संलिप्त पाया गया हो।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



अमित मित्तल
महाप्रबंधक व समूह मुख्य
वित्तीय अधिकारी



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER
& GCFO



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च 2025 BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2025

	अनुसूची संख्या Schedule Number	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / CAPITAL	1	1814 13 03	1814 13 03
आरक्षित निधियां और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	98085 97 66	85140 46 05
जमा / DEPOSITS	3	1456883 17 65	1312366 61 27
उधार / BORROWINGS	4	89665 11 81	57592 27 73
अन्य देयताएं व प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	36401 19 73	34627 23 90
कुल / TOTAL		1682849 59 88	1491540 71 98
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	89998 56 75	71068 18 36
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	115341 60 89	79691 53 86
निवेश / INVESTMENTS	8	380343 39 65	357454 42 15
अग्रिम / ADVANCES	9	1049155 01 97	931612 83 31
अचल संपत्तियां / FIXED ASSETS	10	10215 14 94	12228 17 46
अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS	11	37795 85 68	39485 56 84
कुल / TOTAL		1682849 59 88	1491540 71 98
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	381622 82 30	198350 47 58
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		27020 09 32	24934 98 11

अंजनेयुलु चेरुकुरी
मंडल प्रबंधक
मोहम्मद मोइन
सहायक महाप्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
सहायक महाप्रबंधक

एस के मजुमदार
कार्यपालक निदेशक

भवेंद्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

अमित मित्तल
महा प्रबंधक व जीसीएफओ
हरदीप सिंह आहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

रोहित दास
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

हेमंत बुच
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस
(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू
(ऋषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता सं: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस
(एस.अनंतन)
साझेदार
सदस्यता सं: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी
(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई
(अमित विश्वास)
साझेदार
सदस्यता सं: 052296

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025

	अनुसूची संख्या Schedule Number	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	119755 06 90	108687 92 57
अन्य आय / OTHER INCOME	14	22452 80 27	18966 43 65
कुल / Total		142207 87 17	127654 36 22
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	82683 11 28	72121 98 87
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	28134 49 54	26119 79 61
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		14363 59 23	14858 25 82
कुल / Total		125181 20 05	113100 04 30
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) NET PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		17026 67 12	14554 31 92
IV. निम्नलिखित को अंतरित / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		4256 66 78	3638 57 98
आरक्षित पूंजी निधि / CAPITAL RESERVE		478 79 42	154 50 68
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT			281 59 59
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVES		293 58 83	319 61 30
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVES			
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		1000 00 00	850 00 00
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		3628 26 05	2920 74 97
लाभांश कर / DIVIDEND TAX			
लाभ/(हानि) शेष/ BALANCE OF PROFIT/(LOSS)		7369 36 04	6389 27 39
कुल / Total		17026 67 12	14554 31 91
प्रति शेयर आय / EARNINGS PER SHARE		18.77	80.23
परिचालन लाभ / OPERATING PROFIT		31390 26 34	29412 57 74

ANJANEYULU CHERUKURI
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
ASSISTANT GENERAL MANAGER

MOHD. MOIN
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER & GCFO

S K MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

ROHIT DAS
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

HEMANT BUCH
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 0046105

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN
Chartered Accountants
FRN : 0000035

For S R GOYAL & CO
Chartered Accountants
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(RUSHIKESH VILAS
DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital (₹2/- प्रति शेयर के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) / (1500,00,00,000 Equity Shares of ₹2/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित अभिदत्त, और प्रदत्त: / Issued,Subscribed and Paid-up:		
i) ₹2/- प्रत्येक के 570,85,48,390 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष धारित ₹10/-प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर i) 570,85,48,390 Equity Shares of ₹2/- each Previous year 1,14,17,09,678 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	1141 70 97	1141 70 97
ii) ₹10 प्रति शेयर के 67,24,20,574 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष अन्य द्वारा धारित रुपये 2/- प्रति शेयर के 336,21,02,870 इक्विटी शेयर ii) 336,21,02,870 Equity Shares of ₹2/- each Previous year 67,24,20,574 Equity Shares of ₹10/- each held by other.	672 42 06	672 42 06
TOTAL	1814 13 03	1814 13 03
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के संदर्भ में आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	19430 70 14	15792 12 16
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4256 66 78	3638 57 98
कुल / Total	23687 36 92	19430 70 14
II. पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क/अ पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	9104 30 79	7475 04 33
जोड़ें: अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन / Add : Revaluation during the year	10 84	1738 50 02
घटाएं: कटौती और राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित / Less : Deductions & Transferred to Revenue Reserve	2654 58 10	109 23 55
कुल / Total	6449 83 53	9104 30 80
ख. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि b. FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(47 87 50)	(43 93 94)
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the year	21 12 23	
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year		3 93 57
कुल / Total	(26 75 27)	(47 87 51)
ग/क समामेलित आरक्षित निधि / AMALGAMATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2240 69 47	2240 69 47
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-	-
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year	-	-
कुल / Total	2240 69 47	2240 69 47

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
घ./d. अन्य / OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4960 06 58	4805 55 90
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	478 79 42	154 50 68
कुल / Total	5438 86 00	4960 06 58
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	13919 00 82	13919 00 82
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE PERIOD		
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year		
कुल / Total	13919 00 82	13919 00 82
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क/अ आरक्षित राजस्व / REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	11992 48 02	11903 96 75
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	27 91 22	88 51 26
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR		
कुल / Total	12020 39 24	11992 48 01
ख/ब विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		
{आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के संदर्भ में} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
जोड़ें: / ADDITION	8386 46 92	7536 46 92
कुल / Total	1000 00 00	850 00 00
	9386 46 92	8386 46 92
ग/क निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	1359 75 69	1078 16 10
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR		281 59 59
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	1359 75 69	-
कुल / Total	-	1359 75 69
घ/द निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	1333 06 56	1013 45 26
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	293 58 83	319 61 30
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR		
कुल / Total	1626 65 39	1333 06 56
झ/ए लाभ और हानि खाते में शेष / BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	11880 62 17	5491 34 79
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE YEAR	17026 67 12	6389 27 38
घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE YEAR	9657 31 08	
कुल / Total	19249 98 21	11880 62 17
च/फ सामान्य आरक्षित निधि-प्रारंभिक शेष / GENERAL RESERVE OP BAL	581 16 40	581 16 40
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	3697 03 25	
अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	589 06 97	
कुल / Total	3689 12 67	581 16 40
छ/ग एफएस रिजर्व ओपी बल / AFS RESERVE OP BAL		
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: ADDITIONS DURING THE PERIOD	546 65 96	
अवधि के दौरान कटौतियां / LESS: DEDUCTIONS DURING THE PERIOD	142 32 21	
कुल / Total	404 33 75	
कुल / TOTAL	98085 97 66	85140 46 05

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क./A.I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	236 65 50	248 90 83
ii. अन्य से / FROM OTHERS	77678 30 78	63777 41 79
कुल / Total	77914 96 28	64026 32 62
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	337135 41 70	328378 78 50
कुल / Total	337135 41 70	328378 78 50
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	125150 95 41	98015 02 58
ii. अन्य से / FROM OTHERS	916681 84 27	821946 47 57
कुल / Total	1041832 79 68	919961 50 15
कुल / TOTAL	1456883 17 65	1312366 61 27
ख./B. शाखाओं की जमा राशि / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	1331137 02 69	1214951 21 69
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	125746 14 96	97415 39 58
कुल / Total	1456883 17 65	1312366 61 27
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिजर्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	9000 00 00	-
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	1311 91 74	101 61 51
iii. अन्य संस्थान और एजेंसियां / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	19480 87 62	13476 51 40
iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (टियर I और II पूंजी और इन्फ्रा बांड के लिए गौण ऋण) (SUB-ORDINATED FOR TIER I & II CAPITAL AND INFRA BONDS)	52989 10 00	41639 10 00
कुल / Total	82781 89 36	55217 22 91
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	4318 97 45	2375 04 82
ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS	2564 25 00	
कुल / Total	6883 22 45	2375 04 82
कुल उधार / TOTAL BORROWINGS	89665 11 81	57592 27 73

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2572 54 14	2527 06 66
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)		-
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	9223 21 42	9883 29 69
IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY		-
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	24605 44 17	22216 87 55
कुल / Total	36401 19 73	34627 23 90
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)	3161 22 62	3361 25 40
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	86837 34 13	67706 92 96
अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS		
कुल / Total	86837 34 13	67706 92 96
कुल / TOTAL	89998 56 75	71068 18 36
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	5751 69 57	2141 71 20
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS		
कुल / TOTAL	5751 69 57	2141 71 20
ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	29616 44 60	25975 22 30
ख. अन्य संस्थानों में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	3290 78 75	6583 10 99
कुल / Total	32907 23 35	32558 33 29
कुल / TOTAL	38658 92 92	34700 04 49
II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	40967 59 52	30966 17 28
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	24133 22 20	7056 83 31
iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	11581 86 25	6968 48 78
कुल / Total	76682 67 97	44991 49 37
कुल / TOTAL	115341 60 89	79691 53 86

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश: सकल:		
INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	381292 22 35	360742 51 31
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI	4322 64 09	6086 46 07
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	376969 58 26	354656 05 24
i. सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES	349355 42 00	342583 25 28
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES	93 59 78	2 40 37
iii. शेयर SHARES	4511 14 38	2424 15 74
iv. डिबेंचर और बांड DEBENTURES AND BONDS	9336 69 80	7884 85 26
v. अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	1483 37 18	956 33 94
vi. अन्य - म्युचुअल फंड, सीपी, सीडी आदि, OTHERS - MUTUAL FUNDS, CP, CD, ETC.	12189 35 11	805 04 65
कुल / Total	376969 58 25	354656 05 24
परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY	301806 98 29	290559 54 33
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	55931 56 23	63660 96 19
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य / FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS	14932 72 38	
ट्रेडिंग के लिए धारित / HELD FOR TRADING	2814 94 17	435 54 72
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम / SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	1483 37 18	
कुल / Total	376969 58 25	354656 05 24
II. भारत के बाहर निवेश - सकल		
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	3373 81 40	2808 44 65
घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI		10 07 74
भारत के बाहर निवल निवेश		
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	3373 81 40	2798 36 91
i. सरकारी प्रतिभूतियां / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	153 39 06	148 51 20
ii. अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES	93 08 63	93 08 63
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS	3127 33 70	2556 77 08
कुल / Total	3373 81 39	2798 36 91
परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY	153 39 06	241 59 83
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	3084 41 01	2556 77 08
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य / FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS	42 92 70	
ट्रेडिंग के लिए धारित / HELD FOR TRADING		
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम / SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES	93 08 62	
कुल / Total	3373 81 39	2798 36 91
कुल / TOTAL	380343 39 65	357454 42 15

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क./A. i. खरीदे गए और भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	13522 91 09	11780 39 56
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	446766 50 11	402982 71 31
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	588865 60 77	516849 72 44
कुल / Total	1049155 01 97	931612 83 31
ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूतित / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋण सहित) / (INCLUDING BOOK DEBTS)	774784 32 85	600838 57 01
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूतित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	48363 48 52	117604 36 42
iii. प्रतिभूतित रहित / UNSECURED	226007 20 60	213169 89 88
कुल / Total	1049155 01 97	931612 83 31
ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	431553 07 44	428754 12 95
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	78162 63 94	78717 40 84
iii. बैंक / BANKS	29 63 70	1 03 37
iv. अन्य / OTHERS	475068 92 46	372880 22 57
कुल / Total	984814 27 54	880352 79 73
II. भारत के बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अतिरिक्त अन्य से प्राप्य) (DUE FROM OTHER THAN BANKS)		
i. खरीदे और भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED		
ii. सामूहिक ऋण SYNDICATED LOANS	44740 83 82	31965 73 49
iii. अन्य / OTHERS	19599 90 61	19294 30 09
कुल / Total	64340 74 43	51260 03 58
कुल / TOTAL	1049155 01 97	931612 83 31

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / PREMISES		
पिछली तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	11748 18 80	9992 02 29
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	263 20 16	48 94 89
	12011 38 96	10040 97 18
अवधि दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	(3203 43 22)	1738 43 55
	8807 95 74	11779 40 73
अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	14 03 47	31 21 92
	8793 92 27	11748 18 81
अवधन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1081 36 33	1639 63 99
कुल / TOTAL	7712 55 94	10108 54 82
II. अन्य अचल आस्तियां / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		
पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	8488 40 12	7681 87 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1200 55 29	1113 24 11
	9688 95 41	8795 11 11
अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	318 79 70	306 70 99
	9370 15 70	8488 40 12
अवधन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	6867 56 71	6370 96 48
कुल / TOTAL	2502 59 00	2117 43 64
III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS		
पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29	71 77 29
अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	71 77 29	71 77 29
अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	71 77 29	71 77 29
अवधन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	71 77 29	70 15 78
		1 61 51
घटाएं: पट्टागत आस्तियां समायोजन खाता LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT		(57 49)
कुल / TOTAL		2 19 00
कुल / TOTAL	10215 14 94	12228 17 46

यथा 31.03.2025 तक के तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज - देय / INTEREST ACCRUED - due		
उपचित ब्याज - देय नहीं / INTEREST ACCRUED - not due	11222 08 24	8883 29 00
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	16089 45 45	17554 86 58
III. लेखन सामग्री और स्टॉप / STATIONERY AND STAMPS	3 48 97	3 35 43
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां NON-BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	15 68	72 28 11
V. अन्य / OTHERS	4906 75 61	6698 60 10
VI. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER-OFFICE ADJUSTMENT (NET)	682 86 82	565 66 28
VII. आस्थगित कर आस्तियां / DEFERRED TAX ASSETS	4891 04 89	5707 51 36
कुल / Total	37795 85 66	39485 56 86
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	19688 02 23	18468 44 22
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	44 00	44 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS*	275037 17 00	97494 79 97
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क./a. भारत में / IN INDIA	60937 48 04	57041 68 88
ख./b. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	175 42 22	190 12 73
	61112 90 26	57231 81 61
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	16860 71 88	18752 92 93
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE		
क. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED		
ख. / b. अन्य / OTHERS	8923 56 93	6402 04 85
कुल / Total	381622 82 30	198350 47 58

* डेरिवेटिव सहित ₹40651,91,00 हजार (पिछले वर्ष ₹7212,13,04 हजार)

* Includes Derivatives ₹40651,91,00 thousands (previous year ₹7212,13,04 thousands)

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	87789 29 99	78188 43 92
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS	24595 57 40	22672 51 84
III. भा. रि. बैं और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	4661 46 97	4246 08 26
IV. अन्य / OTHERS	2708 72 54	3580 88 55
कुल / Total	119755 06 90	108687 92 57
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	2052 13 16	1853 89 20
II. निवेश की विक्रय पर लाभ - निवल PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS - NET	2264 80 48	1121 04 45
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) PROFIT / (LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS	400 92 59	501 75 23
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS	2 26 96	16 31 18
V. विनिमय लेन-देन से लाभ - निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET	828 45 23	765 22 38
VI. विदेश में / भारत में अनुषंगी कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND, ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND/OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA	115 37 64	94 92 41
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME	16788 84 21	14613 28 80
कुल / Total	22452 80 27	18966 43 65
कुल आय / Total Income	142207 87 17	127654 36 22

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025**

	31.03.2025 (₹ in '000)	31.03.2024 (₹ in '000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	75709 50 79	66281 65 30
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTER BANK BORROWINGS	2970 29 68	2934 92 44
III. अन्य OTHERS	4003 30 81	2905 41 13
कुल / Total	82683 11 28	72121 98 87
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	17856 08 70	16434 18 14
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1084 84 88	1173 55 16
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	160 85 25	120 69 46
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	143 49 21	134 86 36
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	837 19 49	868 93 61
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	2 60 36	3 12 82
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS)	71 54 07	80 35 78
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	227 73 55	184 87 61
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	82 88 79	90 41 33
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	944 23 91	773 03 48
XI. बीमा / INSURANCE	1563 67 58	1380 16 53
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	5159 33 75	4875 59 33
कुल / Total	28134 49 54	26119 79 61
कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE	110817 60 82	98241 78 48
व्यय पर आय की अधिकता / EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	31390 26 34	29412 57 74

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. तैयार करने का आधार

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा वे अन्यथा सूचित को छोड़कर कार्यशील संस्थागत आधार पर लेखांकन के उपचय के आधार पर हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांविधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट नियामक मानदंड दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देवताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देवताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणियों की तारीख को अनुमान तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमान से अलग हो सकते हैं। अन्यथा सूचित को छोड़कर लेखांकन अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

2. विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा परिवर्तन

2.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

1. Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act – 1949, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by 'Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है। भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक साथ ही आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 11 - “विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के प्रभाव” के अनुरूप एवं भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में फेडआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होने वाले विनिमय लाभ हानि को विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनाने को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनान सहित असामयिक रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ / हानि यदि हैं तो, उसको समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को आरबीआई के मास्टर निर्देशों- वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। बैंक के पूरे निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे ‘परिपक्वता तक धारित’ (एचटीएम), ‘बिक्री के लिए उपलब्ध’ (एएफएस), ‘लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य’ (एफवीटीपीएल) और ‘सहायक

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - “The effect of Changes in Foreign Exchange rates” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

3. Investments

3.1 Investments

The Bank’s investment portfolio is classified as per RBI master directions- Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023. The entire investment portfolio of the bank is classified under following categories viz. ‘Held to Maturity’ (HTM), ‘Available for Sale’ (AFS),

कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उपश्रेणी होगी। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इस निर्णय का उचित दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

बैलेंस शीट में निवेशों का खुलासा छह वर्गीकरणों के तहत किया जाता है, जैसे: (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (सी) शेयर (डी) डिबेंचर और बॉन्ड (ई) सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी और (एफ) अन्य।

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार किया जाता है:

क. परिपक्वता तक धारित

एचटीएम में धारित प्रतिभूतियाँ लागत पर रखी जाएँगी तथा आरंभिक मान्यता के पश्चात उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा (एमटीएम)। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन काल में परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि वित्तीय विवरणों में अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत दर्शाई जाएगी: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में एक विपरीत के साथ: 'निवेश'।

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध

- एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में एक कॉन्ट्रा के साथ: 'निवेश'।
- एफएस के तहत रखे गए सभी प्रदर्शनकारी निवेशों (जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर आदि) में मूल्यांकन लाभ और हानि को एकत्रित किया जाएगा। शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एफएस रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या डेबिट किया जाएगा। पुनर्गठित प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज कर दिया जाता है और संचयी मूल्यहास को एफएस रिजर्व से डेबिट किया जाता है।

'Fair value through Profit and Loss' (FVTPL) and 'Subsidiaries, Joint Ventures and Associates'. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment shall be decided before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries, Joint Ventures & Associates and (f) Others.

The valuation of Investments is done in accordance with the master directions-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 issued by the RBI as under:

A. HELD TO MATURITY

Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

B. AVAILABLE FOR SALE

- The securities held in AFS are fair valued on daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account. In case of restructured securities, appreciation is ignored and cumulative depreciation is debited from AFS Reserve.

- एएफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा कि लागू हो। एएफएस-रिजर्व को कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एएफएस-रिजर्व में स्थानांतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

- एएफएस श्रेणी में किसी ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ / हानि को एएफएस रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित की जाएगी।

- हम उनके बैलेंस शीट पर लेवल 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध अवास्तविक लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते या एएफएस-रिजर्व में मान्यता प्राप्त लेवल 3 निवेशों पर ऐसे शुद्ध अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो SPPI मानदंड को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए 50% या उससे कम जोखिम भांति होना आवश्यक है। AFS-रिजर्व में स्थानांतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

एएफएस श्रेणी में किसी ऋण साधन की बिक्री या परिपक्वता पर, एएफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ / हानि को एएफएस रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता के समय एएफएस के तहत नामित इक्विटी उपकरणों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसा लाभ या हानि एएफएस-रिजर्व से पूंजी रिजर्व में स्थानांतरित की जाएगी।

- Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable. The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

- Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain/ loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

- We shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50% or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy. The unrealized gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain / loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

ग लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

FVTPL में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले शुद्ध लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। FVTPL के भीतर ऋऊफ उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि FVTPL में अन्य प्रतिभूतियों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। FVTPL के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13 के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई देगी: 'अर्जित ब्याज' अनुसूची 8 में एक विपरीत के साथ: 'निवेश'। FVTPL के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा लागू हो।

घ. सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के रूप में रखे जाएंगे, यानी ऐसे निवेशों के लिए अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक अलग श्रेणी में रखा जाएगा।

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाएंगे। SPPI मानदंड को पूरा करने वाली सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम, साधन के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी।

ऐसे मामले में जहां पहले से ही किसी ऐसी इकाई में निवेश है जो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित इकाई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित अग्रणीत मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- जहां निवेश एचटीएम के तहत रखा गया है, वहां स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य ही संशोधित वहन मूल्य होगा।
- जहां कोई निवेश एएफएस के अंतर्गत रखा जाता है, वहां एएफएस-रिजर्व में पूर्व में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को उलट दिया जाएगा और निवेश के मूल्य में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा, ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त किया जा सके।

C. FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL are fair valued on a quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'. Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable.

D. SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held subsidiaries & Joint Ventures i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures, meeting SPPI criteria, shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:

- Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
- Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

(iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशिती के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि को उचित मूल्य को अग्रणीत मूल्य के रूप में लिया जाएगा।

(घ) जब कोई निवेशिती सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाती है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फलस्वरूप किसी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) जहां निवेश को एफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। एफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एफएस-रिजर्व और लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण / बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/ मुनाफे को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी और फिर लाभ और हानि खाते से नीचे की रेखा में 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि करें और सांविधिक आरक्षित निधियों में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर शुद्ध की जाएगी।

3.2 प्रारंभिक मान्यता

सभी निवेशों को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न सुझाएँ कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। RBI द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच संचालन और खुले बाजार संचालन (OMO) के माध्यम से अधिग्रहित सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य होगा।

जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी दिन 1 लाभ / हानि को अनुसूची 14 के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी: उपशीर्षक 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय', जैसा भी मामला हो।

(iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.

(d) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under:

(i) Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.

(ii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

Any gain / profit arising on the reclassification / sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

3.2 Initial Recognition

All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain / loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिन 1 के नुकसान को तुरंत मान्यता दी जाएगी। लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिन 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाएगा। ऋण साधनों के मामले में, दिन 1 के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत साधनों के लिए सबसे प्रारंभिक कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी साधनों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि सुरक्षा सूचीबद्ध या मान्यता रद्द नहीं हो जाती।

श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण:

बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

अधिग्रहण लागत:

निवेश के अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज और कमीशन तथा ऋण उपकरणों पर टूटी अवधि के ब्याज सहित लागतों को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण की लागत में शामिल नहीं किया जाता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री के लेन-देन का हिसाब निपटान तिथि पर लगाया जाता है।

शॉर्ट सेल:

बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट पोजीशन को FVTPL-ऋऊफ-ठई श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से घटाया जाता है। FVTPL-ऋऊफ-ठई पोर्टफोलियो के अंतर्गत अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ शॉर्ट पोजीशन को बाजार के हिसाब से चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ / हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। शॉर्ट सेल पर लाभ / हानि को निपटान तिथि पर मान्यता दी जाती है।

निवेश का उचित मूल्य:

• उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें ऊऑलए द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या RBI / SEBI द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर

Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

Reclassification between categories:

Banks shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.

Acquisition cost:

Costs, including brokerage and commission paid at the time of acquisition of investments and broken period interest on debt instruments, are recognised in the Profit and Loss Account and are not included in the cost of acquisition. Cost of investments is determined based on the weighted average cost method. Purchase and sale transactions in securities are accounted on settlement date.

Short sale:

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short position is categorised under FVTPL-HFT-PD category and netted off from investments in government securities. The short position along with other government securities under FVTPL-HFT-PD portfolio is marked to market and the resultant gain / loss, if any, is charged to the Profit and Loss Account. Profit / Loss on short sale is recognised on settlement date.

Fair Value of investments:

• Quoted Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from

ट्रेड / कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फ़िक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (FIMMDA) द्वारा घोषित मूल्यों पर आधारित होगा।

• अनकोटेड एसएलआर प्रतिभूतियां

- क. ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
- ख. अनकोटेड केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों / वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।
- ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक ऊपर अंकित करके वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाएगा।

• अनकोटेड डिबेंचर और बांड

अनकोटेड निश्चित आय प्रतिभूतियों (जैसे बांड और डिबेंचर) और वरीयता शेयरों का मूल्यांकन उचित मार्क-अप के साथ किया जाता है, अर्थात् भारत सरकार की प्रतिभूतियों के लिए FBIL द्वारा प्रकाशित परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM) दरों पर लागू FIMMDA प्रकाशित क्रेडिट स्प्रेड।

- अनकोटेड इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, जो कंपनी की नवीनतम बैलेंस शीट से पता लगाया जाता है। जिस तारीख को नवीनतम बैलेंस शीट तैयार की जाती है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी 1 रुपये पर किया जाएगा।
- म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है।
- ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र छूट वाले साधन होने के कारण उनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।
- सुरक्षा रसीदों (एसआर) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की अनकोटेड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन क्रमशः जारी करने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और इनविट द्वारा प्रदान किए गए शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर समय-समय पर किया जाना चाहिए, जो रिकवरी रेटिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार द्वारा समर्थित एसआर

the trades / quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI/SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

• Unquoted SLR Securities

- a. Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- b. Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices / YTM rates published by the FBIL.
- c. Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

• Unquoted debentures and bonds

The valuation of other unquoted fixed income securities (viz. bonds and debentures), and preference shares, is done with appropriate mark-up, i.e. applicable FIMMDA published credit spread over the Yield to Maturity (YTM) rates for Government of India securities as published by FBIL.

- Unquoted equity shares are valued at the breakup value, ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹1 per company.
- Units of mutual funds are valued at the latest Net Asset Value (NAV) declared by the mutual fund.
- Treasury bills, commercial papers and certificate of deposits being discounted instruments, are valued at carrying cost.
- Investments in Security Receipts (SRs) and unquoted units of Infrastructure Investment Trust (InvIT) are valued as per the net asset value provided by the issuing Asset Reconstruction Company and InvIT respectively. Government-guaranteed SRs must be valued periodically based on the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC, which is determined by recovery ratings. Unrealized gains from fair valuation of government-backed SRs must be deducted

के उचित मूल्यांकन से अवास्तविक लाभ को कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी से घटाया जाना चाहिए, और ऐसे लाभों से कोई लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता है।

- एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की अनकोटेड यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा प्रकट किए गए एनएवी पर किया जाएगा। एनएवी सेबी (एआईएफ) विनियमों के अनुसार अर्धवार्षिक आवृत्ति पर एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने अंतर्निहित निवेशों के मूल्यांकन के आधार पर होगा। जहां एक एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी यूनिटों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा इसके निवेशों का नवीनतम प्रकट किया गया मूल्यांकन मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इसकी यूनिटों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान:

आय मान्यता:

- (क) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपार्जन आधार पर आय की पहचान करेंगे:
 - (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बांड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता हो और बकाया न हो।
- (ख) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल / सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर मान्यता दी जाएगी।

टूटी अवधि के ब्याज के लिए लेखांकन:

बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए टूटी अवधि के ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेंगे तथा इसे प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में मानेंगे।

गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई):

- (ए) एक बार जब निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि को शुद्ध करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- (बी) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेंगे। आय को केवल उसी की प्राप्ति पर मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, सुरक्षा में किसी भी एमटीएम प्रशंसा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

from Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, and no dividends can be distributed from such gains.

- Investments in unquoted units of Alternative Investment Fund (AIF) classified under FVTPL category shall be valued at the NAV as disclosed by the AIF. NAV shall be based on valuation of its underlying investments by an independent valuer on half yearly frequency as mandated by SEBI (AIF) Regulations. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1.

Income Recognition, Asset Classification and Provisioning:

Income recognition:

- (a) Banks shall recognize income on accrual basis for the following investments:
 - (i) Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
- (b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled / collective investment funds shall be recognized on cash basis.

Accounting for Broken Period Interest:

Banks shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

Non-Performing Investments (NPI):

- (a) Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- (b) Banks shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.

(सी) चाहे जिस श्रेणी (यानी, एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) में निवेश किया गया हो, हानि के लिए प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होगी।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को उलट दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व

बैंकों को निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाना होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए, निरंतर आधार पर, आईएफआर में निम्न में से कम से कम राशि स्थानांतरित करके:

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ।
- वर्ष के लिए शुद्ध लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

ब्याज का लेखा:

- बैलेंस शीट के प्रयोजन के लिए, ब्याज आय (लाभांश सहित) को तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् प्राप्त ब्याज, अर्जित और देय ब्याज तथा अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज।
- अर्जित ब्याज और देय न होने वाले ब्याज के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान के लिए, सभी सरकारी ऋणों और स्वीकृत प्रतिभूतियों / बांडों के लिए, वर्ष को 360 दिन और महीने को 30 दिन माना जाएगा। गैर-अनुमोदित और अन्य कॉर्पोरेट बॉन्ड / ऋणों के लिए वर्ष को 365 दिन और महीने को वास्तविक दिनों के रूप में माना जाएगा।
- शून्य कूपन बॉन्ड पर अर्जित छूट को शेष परिपक्वता अवधि में शून्य कूपन बॉन्ड के बुक वैल्यू और मोचन मूल्य के बीच अंतर लेकर परिशोधित किया जाएगा। इसके बाद, मूल्यांकन किया जाएगा।
- बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों और कॉर्पोरेट निकायों के डिबेंचर के लिए प्रोद्धव आधार पर आय की पहचान करेगा, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता है और बकाया नहीं है।

(c) Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account.

Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.

Investment Fluctuation Reserve

Banks shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- Net profit on sale of investments during the year.
- Net profit for the year, less mandatory appropriations.

Accounting of Interest:

- For the purpose of Balance Sheet, interest income (including dividend) shall be classified under three heads viz., Interest received, Interest Accrued & due and Interest Accrued but not due.
- For provision of interest under interest accrued and not due, for all Government debts and approved securities / bonds, year shall be reckoned as 360 days and month as 30 days. For non-approved and other corporate bonds / debts year shall be reckoned as 365 days and month as actual days.
- Accrued Discount on zero coupon bonds shall be amortized over the remaining maturity period by taking the difference between the book value and redemption value of zero coupon bonds. Thereafter, valuation shall be carried out.
- Bank shall recognize income on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.

- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और एनसीडी/एफसीडी/पीसीडी/पीएसयू बांड पर ब्याज का लेखा-जोखा प्रोद्घन आधार पर किया जाएगा यदि निवेश को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है, अन्यथा इसे केवल नकद आधार पर ही हिसाब में लिया जाएगा।
- डीप डिस्काउंट (जीरो कूपन) बॉन्ड पर छूट, प्रोद्घन आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में ली जाएगी।
- ट्रेजरी बिल / कैश मैनेजमेंट बिल / डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट पर अर्जित छूट को निवेश पर ब्याज आय के अंतर्गत अर्जित और हिसाब में लिया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बिक्री पर प्रोद्घन से अधिक आय को बिक्री पर लाभ के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- एमएफ इंस्ट्रूमेंट पर आय वितरण को नकद आधार पर हिसाब में लिया जाएगा। पुनर्निवेश योजना के संबंध में अर्जित लाभांश को प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन या मोचन तिथि, जो भी पहले हो, को आय के रूप में हिसाब में लिया जाएगा।

पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन

- पुनर्खरीद (रेपो) और रिवर्स पुनर्खरीद (रिवर्स रेपो) लेनदेन को क्रमशः उधार और उधार के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।
- रेपो लेनदेन पर उधार लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

MIBOR-OIS डेरिवेटिव अनुबंधों का लेखा:

सभी डेरिवेटिव को बैलेंस शीट पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि डेरिवेटिव अनुबंध एक संविदात्मक अधिकार या दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। MIBOR-OIS के मामले में, मूल राशि काल्पनिक प्रकृति की होती है।

अन्य प्रासंगिक बिंदु:

- निवेश श्रेणियों में परिशोधन साधन की शेष परिपक्वता पर सीधी रेखा के आधार पर होगा। दैनिक प्रीमियम परिशोधन और छूट परिशोधन क्रमशः व्यय शीर्ष और आय शीर्ष में परिलक्षित होगा।
- बैंक को लेखांकन की राजस्व पद्धति का पालन करना होगा। मूल कीमत को खरीद की लागत के रूप में माना जाएगा और निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा जबकि टूटी अवधि के ब्याज (खरीद की तारीख तक अर्जित ब्याज) को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा और इसे लाभ और हानि खाते के तहत व्यय के रूप में दर्ज

- Interest on other approved securities and NCDs/ FCDs/PCDs/PSU bonds shall be accounted on accrual basis if the investment continues to be classified as standard, other wise the same shall be accounted on cash basis only.
- Discount on Deep Discount (Zero Coupon) Bonds, shall be accounted pro-rata, on accrual basis.
- Discount accrued on Treasury Bills / Cash Management Bills / Discounted instruments shall be accrued and accounted under interest income on investments. On sale of such instruments the income over and above the accrual shall be booked as profit on sale.
- Income distribution on MF instruments shall be accounted on cash basis. In respect of reinvestment plan the dividend accrued shall be accounted as income on the last day of each quarter or the redemption date, whichever is earlier.

Repurchase and reverse repurchase transactions

- Repurchase (Repo) and reverse repurchase (Reverse Repo) transactions are reported as borrowing and lending respectively.
- Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

Accounting of MIBOR-OIS derivative contracts:

All derivatives are recognized on the balance sheet and measured at fair value since a derivative contract represents a contractual right or an obligation. In case of MIBOR-OIS, principal amount is notional in nature.

Other Relevant Points:

- Amortisation across the investment categories shall be on a straight-line basis over the residual maturity of the instrument. Daily premium amortisation and discount amortisation shall be reflected in expenses head and income head respectively.
- Bank shall follow Revenue Method of accounting. The basic price shall be treated as cost of purchase and debited to the investment account whereas the broken period interest (accrued interest up to the purchase date) shall be treated as revenue expenditure and is to be booked as an expense under Profit & Loss Account. Costs such as brokerage, commission, stamp duty, taxes etc. incurred at

क्रिया जाएगा। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण / बिक्री के समय ब्रोकरेज, कमीशन, स्टॉप चूटी, कर आदि जैसी लागतों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। प्राप्त ब्रोकरेज / अंडरराइटिंग कमीशन को आय के तहत दर्ज किया जाएगा।

- सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए 1 रुपये (बिना किसी प्रतिफल के) पर बुक किए गए शेयरों के मामले में, बैंक को संबंधित पोर्टफोलियो में अन्य प्रतिभूतियों के मामले की तरह ही प्राप्ति पर लाभ दर्ज करना चाहिए। हालांकि, बैंक को इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 1 रुपये पर जारी रखना चाहिए और अंतिम प्राप्ति के समय तक एमटीएम मूल्यवृद्धि पर विचार नहीं करना चाहिए।
- निवेश पर ब्याज आय में निवेश पोर्टफोलियो से ब्याज और लाभांश (सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश को छोड़कर) के रूप में प्राप्त सभी आय शामिल होगी।
- विदेश / भारत में सहायक कंपनियों, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय को अलग से लेखाबद्ध और प्रस्तुत किया जाएगा।
- गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान, प्रावधान और आकस्मिकताओं के अंतर्गत दर्शाए जाएंगे।

वायदा विनिमय संविदा

सभी वायदा विनिमय अनुबंधों की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। वायदा विनिमय अनुबंधों को रद्द करने पर होने वाले लाभ / हानि के साथ-साथ अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर स्वीकृति दी जाती है। ऐसे अनुबंधों पर विनिमय अंतर को लाभ व हानि खाते में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्वीकृति दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है।

बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों, गारंटी, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता को फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

व्युत्पन्नी संविदाएँ

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार किए जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नी क्रमशः रुपया ब्याज दर अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा कारोबार की जारी मुद्रा व्युत्पन्नियाँ ऑप्शन और मुद्रा की अदला-बदली है। ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है-

- क ट्रेडिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों का मूल्यांकन मार्क-टू-मार्केट आधार पर किया जाता है, जिसमें निवल मूल्यहास / मूल्यवृद्धि को लाभ और हानि खाते के रूप में चिह्नित किया जाता है।

the time of acquisition / sale of securities shall be treated as revenue expenditure. Brokerage / underwriting commission received shall be accounted under income.

- In case of shares which were taken into books at Re. 1/- (without paying any consideration) following the best practices, Bank should book profit on realization as in the case of other securities in the respective portfolio. However, Bank should continue to value these securities at Re. 1 and do not consider the MTM appreciation till the time of eventual realization.
- Interest income on investments shall include all income derived from the investment portfolio by way of interest and dividend (except dividend from subsidiaries, associates and joint ventures).
- Income earned by way of dividend etc. from subsidiaries, companies, joint ventures abroad / in India to be accounted and presented separately.
- Provision for non-performing investments (NPI) shall be reflected under Provisions and Contingencies.

Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Currency Options and Currency Swaps. Such derivative contracts are valued as under:

- a. Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation / appreciation is recognized in the Profit & Loss Account.

ख हेडिजिंग के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएँ निम्नानुसार हैं:

- व्युत्पन्नी संविदाओं को हेडिजिंग के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियाँ बाजार के लिए अंकित नहीं की गई हैं।
- हेडिजिंग अदला-बदली के लिए आय/व्यय को उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. अग्रिम

- अग्रिम को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अग्रिम को उधारकर्ता वार मानक, अवमानक संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार घरेलू अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान मेजबान देश के विनियम या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, जो भी अधिक सख्त है, उसके अनुसार किया जाता है।
- तुलन पत्र में वर्णित अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और बिल पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- अनर्जक अग्रिम में वसूलियों को पहले प्रभारों और ब्याज के रूप में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन के लिए समायोजित किया जाता है।

एकमुश्त निपटान (ओटीएस) / राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) और सरकारी गारंटियों जैसे सीजीटीएमएसई / ईसीजीसी / जीईसीएल / सीजीएमएसई और सब्सिडी (यदि कोई हो) द्वारा कवर किए गए खातों के मामले में एनपीए खातों में वसूली मूलधन, प्रभार और ब्याज के क्रम में समायोजित की जाएगी।

यदि उपरोक्त उल्लिखित के अलावा कोई मामला हो, दायर मुकदमे / डिक्री वाले खातों में वसूली न्यायालय/डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार समायोजित की जाएगी।

b. Derivative contracts undertaken for hedging are:

- Derivative contracts designated as hedges are also marked to market along with their underlying asset.
- Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

4. ADVANCES

- Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.
- Provisions for domestic advances are made for performing / non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and bill rediscount.
- Recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

Recovery in suit filed/ decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court / DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

7. प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण इत्यादि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।

8. एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

5. अचल आस्तियां

- बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भू संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूंजीकरण, इस्तेमाल हेतु शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।
- भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खाते में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया गया है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

मूल्यहास

- आस्तियों के जीवनकाल के आधार पर सभी आस्तियों के लिए, आस्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के तहत किया जाता है।
- आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों के अलावा परिभाषित किया गया है।
- विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

क्रमांक	आस्ति प्रकार	अनुमानित जीवन काल
1.	पूर्ण स्वामित्व वाला भवन	60 वर्ष
2.	पट्टाधारित भूमि व भवन	पट्टा अवधि
	क) पट्टाधारित भूमि	पट्टा अवधि
	ख) पट्टाधारित भवन	पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष

7. In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc., are done as per RBI guidelines.

8. In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines.

5. Fixed Assets

- The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

Depreciation

- Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
- The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipment's and Motor Vehicles.
- Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

Sl. No.	Type of Asset	Estimated Lifespan
1	Free hold Buildings	60 years
2	Leasehold Land & Building	Lease period
	A) Lease hold Land	Lease period
	B) Lease hold Building	Lower of lease period or 60 years

3.	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10 वर्ष
	ए) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि	5 वर्ष
	बी) इलेक्ट्रिकल उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर्स, पंखे आदि	8 वर्ष
	सी) इलेक्ट्रिकल फिक्स्चर: जैसे एलईडी / ट्यूब लाइट फिक्स्चर इत्यादि	10 वर्ष
4.	कम्प्यूटर	3 वर्ष
5.	सर्वर	5 वर्ष
6.	मोटर गाड़ी	5 वर्ष

दिनांक 01-04-2020 से मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) प्रभावी है।

- सॉफ्टवेयर / अमूर्त आस्ति 5 वर्षों में परिशोधित की जाती है।
- यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिन और उससे अधिक के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा। यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।
- 8 वर्ष और उससे अधिक उपयोगी जीवन अवधि वाली आस्ति के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य मूल लागत मूल्य का ₹5/- होगा।

3	Furniture & Fixtures	10 years
	A) Electronic Equipment: Televisions, Projectors, Refrigerators, etc., and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc.	5 years
	B) Electrical Equipment: Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc.	8 years
	C) Electrical Fixtures: Like LED / Tube light Fixtures, etc.	10 years
4	Computers	3 years
5	Servers	5 years
6	Motor Vehicles	5 years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.
- 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.

7. पट्टाधारित संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टा अवधि या प्रासंगिक आस्ति के जीवन / काल, जो भी पहले हो, पर प्रभारित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की लागत और पट्टा आधारित सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।
8. विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
9. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

आस्तियों का अपक्षयन

किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं, उसका मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को किया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है और इसे लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

6 राजस्व का परिकलन

निम्नलिखित को छोड़कर, आय एवं व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है:

- क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिम तथा अनर्जक निवेश पर ब्याज को मान्यता दिया जाता है।
- ख. अतिदेय बिल, कमीशन (सरकारी कारोबार और एलसी बीजी के लिए कमीशन के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया जाता है।
- ग. लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- घ. मुकदमा दायर किए गए खाते के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाती है।

7. कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया जाता है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना

7. Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.
8. In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries
9. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

6. Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a. Interest on non-performing advances and non-performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b. Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.
- c. Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

7. Employee Benefits

Defined Contribution Plans

Defined Contribution to Plans such as Provident/Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after

(एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्य मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ-साथ बैंक से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक अंशदान को तत्संबंधी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं

क. उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

ख. पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

अर्जित छुट्टी को दीर्घकालिक लाभ माना जाता है तथा इसे स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित लाभ के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को आस्थगित न करते हुए तुरंत लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

8. करगणन के लिए प्रावधान

क) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961

01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

Defined Benefit Plans

- Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
- Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

The privilege leave is considered as a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation.

The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

8. Provision for Taxation

- Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense

के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किए गए कर को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किए जाते हैं।

ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तिथि पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।

ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी प्राप्ति को यथोचित रूप से निश्चित या वस्तुतः निश्चित माना जाता है, जैसा भी मामला हो।

घ) आस्थगित कर आस्तियों को अनावशेषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध वसूल किया जा सकता है। उपर्युक्त मदों के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

9. निवल लाभ

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया जाता है, जब:

are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22—"Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.

d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

9. Net Profit

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the bank recognizes provision only when:

- क. पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो।
- ख. यह संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, तथा
- ग. बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

कोई प्रावधान नहीं किया गया:

- क. पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण में नहीं हो, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख. जहाँ यह संभव है कि दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, या
- ग. जब बाध्यता राशि का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे बाध्यता को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है तथा अत्यंत दुर्लभपरिस्थितियाँ जहाँ कोई उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है को छोड़कर बाध्यता के उस हिस्से को जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर्गमन संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है।

- i. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

निवल लाभ

लाभ व हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

- क) कराधान के लिए प्रावधान
- ख) अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान
- ग) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- घ) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान
- ड) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

- a. It has a present obligation as a result of past event.
- b. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c. A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized:

- a. For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c. When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- i. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Taxation
- (b) Provision on Non-Performing Advances
- (c) Provision on Standard Assets
- (d) Provision for Non-Performing Investments
- (e) Provision for other usual & necessary Items

10. प्रति शेयर अर्जन

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी एएस-20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार मूल और न्यून प्रति शेयर अर्जन को रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

11. नकद प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

10. Earnings Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

11. Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

12. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'लेखा संबंधी टिप्पणियां'

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी

क) विनियामक पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का कुल, यदि कोई है)	89040.15	77528.96
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	17339.10	15839.10
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii)	106379.25	93368.06
iv)	टियर 2 पूंजी	14536.05	15598.85
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	120915.30	108966.91
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	740389.67	669256.92
vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	12.03%	11.58%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	14.37%	13.95%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	1.96%	2.33%
x)	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.33%	16.28%
xi)	लीवरेज अनुपात	5.90%	5.88%
xii)	निम्न की श्रेयधारिता का अनुपात ए) भारत सरकार	62.93%	62.93%
xiii)	वर्ष में जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	शून्य	शून्य
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: (बेसल III अनुपालित)	3000.00	3403.00
	i) बेमीयादी गैर-संचयी अधिमात्री शेयर (पीएनसीपीएस)	0.00	0.00
	ii) बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई)	3000.00	3403.00
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से: (बेसल III अनुपालित)	4000.00	0.00
	i) ऋण पूंजी लिखत	4000.00	0.00

ख) आरक्षित निधियों से आहरण

प्रावधान के प्रति अन्य आरक्षित निधियों में कोई राशि नामे नहीं डाली गई है।

Disclosure in Financial Statements - 'Notes to Accounts'

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any)	89040.15	77528.96
ii)	Additional Tier 1 capital	17339.10	15839.10
iii)	Tier 1 capital (i + ii)	106379.25	93368.06
iv)	Tier 2 capital	14536.05	15598.85
v)	Total capital (Tier 1 + Tier 2)	120915.30	108966.91
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	740389.67	669256.92
vii)	CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	12.03%	11.58%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.37%	13.95%
ix)	Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	1.96%	2.33%
x)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	16.33%	16.28%
xi)	Leverage Ratio	5.90%	5.88%
xii)	Percentage of the shareholding of a) Government of India	62.93%	62.93%
xiii)	Amount of paid-up equity capital raised during the year (including Share Premium)	Nil	Nil
xiv)	Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant)	3000.00	3403.00
	i) Perpetual non-cumulative preference shares (PNCPS)	0.00	0.00
	ii) Perpetual Debt Instrument (PDI)	3000.00	3403.00
xv)	Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant)	4000.00	0.00
	i) Debt Capital instrument	4000.00	0.00

b) Draw down from Reserves

No amount has been debited to other reserves towards Provisions.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

क) 31.03.2025 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों पर परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देनदारियां
1 दिन	20142.52 (22292.75)	4117.31 (8849.89)	0.00 (41.62)	0.00 (0.00)	35375.82 (26138.65)	4604.57 (4645.40)
2 से 7 दिन	80184.65 (60299.74)	11221.15 (10698.50)	492.39 (44.45)	14753.10 (1600.82)	16005.88 (24237.86)	45675.29 (45453.89)
8 से 14 दिन	19479.57 (16225.78)	8063.24 (7023.45)	918.57 (638.98)	46.65 (583.84)	3100.46 (419.64)	4431.76 (1126.22)
15 से 30 दिन	36972.51 (29742.14)	28534.91 (28336.31)	644.23 (177.23)	299.16 (542.13)	13292.32 (4897.50)	13374.76 (5296.63)
31 दिनों से 2 महीने	47893.37 (54435.08)	35854.01 (31811.75)	2179.75 (733.63)	578.85 (291.92)	8250.79 (7261.93)	7354.71 (6703.17)
2 महीने से 3 महीने तक	46386.58 (46288.25)	42049.09 (45472.33)	4592.07 (2486.30)	641.27 (250.72)	7559.93 (8581.17)	7540.66 (9108.99)
3 महीने से 6 महीने तक	99726.92 (150338.02)	92518.70 (100017.43)	4088.49 (7993.50)	4714.98 (1260.96)	16054.04 (17821.42)	17174.91 (15881.32)
6 महीने से 1 वर्ष तक	249655.34 (165853.25)	189166.76 (164139.04)	12785.03 (7308.24)	10102.59 (4555.90)	12465.48 (7874.47)	9159.35 (7179.17)
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	461281.60 (416187.96)	301524.85 (243579.79)	45309.81 (45391.79)	22384.75 (24829.82)	17775.94 (22947.24)	11782.22 (23602.67)
3 वर्ष से 5 वर्ष तक	128570.20 (131889.13)	104241.73 (83862.60)	59255.71 (54841.11)	11585.62 (7643.18)	7786.86 (4351.10)	5376.75 (5445.99)
5 वर्ष से अधिक	266589.90 (218814.52)	231863.27 (207821.75)	250077.34 (237797.57)	24558.14 (16032.99)	2355.05 (15388.20)	1490.66 (25153.55)
कुल	1456883.18	1049155.02	380343.39	89665.11	140022.57	127965.64
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)	(1312366.62)	(931612.84)	(357454.42)	(57592.28)	(109142.78)	(99289.90)

- **नोट 1:** उपर्युक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों को अंतर-शाखा समायोजनों को समाप्त करने के बाद लिया जाता है। लेकिन विदेशी मुद्रा देनदारियों को अंतर शाखा ब्याज प्राप्तियों और देय समायोजनों के उन्मूलन से पहले लिया जाता है।

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025

(₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	20142.52	4117.31	0.00	0.00	35375.82	4604.57
	(22292.75)	(8849.89)	(41.62)	(0.00)	(26138.65)	(4645.40)
2 to 7 days	80184.65	11221.15	492.39	14753.10	16005.88	45675.29
	(60299.74)	(10698.50)	(44.45)	(1600.82)	(24237.86)	(45453.89)
8 to 14 days	19479.57	8063.24	918.57	46.65	3100.46	4431.76
	(16225.78)	(7023.45)	(638.98)	(583.84)	(419.64)	(1126.22)
15 to 30 days	36972.51	28534.91	644.23	299.16	13292.32	13374.76
	(29742.14)	(28336.31)	(177.23)	(542.13)	(4897.50)	(5296.63)
31 days to 2 months	47893.37	35854.01	2179.75	578.85	8250.79	7354.71
	(54435.08)	(31811.75)	(733.63)	(291.92)	(7261.93)	(6703.17)
Over 2 months to 3 months	46386.58	42049.09	4592.07	641.27	7559.93	7540.66
	(46288.25)	(45472.33)	(2486.30)	(250.72)	(8581.17)	(9108.99)
Over 3 months to 6 months	99726.92	92518.70	4088.49	4714.98	16054.04	17174.91
	(150338.02)	(100017.43)	(7993.50)	(1260.96)	(17821.42)	(15881.32)
Over 6 months to 1 year	249655.34	189166.76	12785.03	10102.59	12465.48	9159.35
	(165853.25)	(164139.04)	(7308.24)	(4555.90)	(7874.47)	(7179.17)
Over 1 year to 3 years	461281.60	301524.85	45309.81	22384.75	17775.94	11782.22
	(416187.96)	(243579.79)	(45391.79)	(24829.82)	(22947.24)	(23602.67)
Over 3 years to 5 years	128570.20	104241.73	59255.71	11585.62	7786.86	5376.75
	(131889.13)	(83862.60)	(54841.11)	(7643.18)	(4351.10)	(5445.99)
Over 5 years	266589.90	231863.27	250077.34	24558.14	2355.05	1490.66
	(218814.52)	(207821.75)	(237797.57)	(16032.99)	(15388.20)	(25153.55)
Total	1456883.18	1049155.02	380343.39	89665.11	140022.57	127965.64
(Figures in brackets relate to previous year)	(1312366.62)	(931612.84)	(357454.42)	(57592.28)	(109142.78)	(99289.90)

- **Note 1:** Above mentioned foreign currency assets are taken after elimination of inter-branch adjustments. But the foreign currency liabilities are taken before elimination of the inter-branch interest receivables and payables adjustments.

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि बैंक गैर-भारित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के पर्याप्त स्तर को बनाए रखे जिसे 30 कैलेंडर दिन के समय सीमा में अत्यंत गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

कैलेंडर वर्ष 2019 से आगे के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। आरबीआई ने व्यक्तिगत और समूह बैंक परिचालन के लिए एलसीआर के प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, बैंक एकल और समेकित स्तर पर एलसीआर को प्रकट कर रहा है। समेकित एलसीआर की गणना करते समय शामिल संस्थाएं केनरा बैंक एकल (घरेलू और विदेशी परिचालन), केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड हैं।

एचक्यूएलए में स्तर 1 आस्ति (0% हेयरकट), स्तर 2 ए आस्ति (15% हेयरकट) और स्तर 2 बी आस्ति (50% हेयरकट) शामिल है। स्तर 1 आस्तियां जिसमें नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो कि स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक (बैंक की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 2%) और चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएलसीआर) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा है (बैंक के एनडीटीएल का 16%)। स्तर 2 ए की आस्ति में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सांख्यिक विपणन योग्य प्रतिभूतियां, कॉर्पोरेट बॉण्ड या वाणिज्यिक पत्र शामिल हैं, जिन्हें एए – या उससे अधिक रेटिंग दी जाती है।

दबाव के तहत अपेक्षित निवल नकद बहिर्वाह अगले 30 दिनों में बहिर्वाह को घटाकर अंतर्वाह का भारित योग है। अंतर्वाह को पूर्व – निर्धारित मार्जिन के साथ लिया जाता है और बहिर्गमन को पूर्व – निर्धारित रन – ऑफ फैक्टर पर लिया जाता है। थोक निधीयन की तुलना में खुदरा और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से निधीयन में कम रन – ऑफ फैक्टर होता है।

एचक्यूएलए की संरचना : दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने ₹3,20,508.13 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा है। स्तर 1 की आस्ति एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 99.07% योगदान करती है। चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा एचक्यूएलए के उच्चतम हिस्से का गठन करती है, अर्थात् कुल एचक्यूएलए का लगभग 64.40% है। स्तर 2 आस्तियां जो स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 0.93% हैं, जबकि अधिकतम अनुमेय स्तर 40% है।

निधीयन प्रोफाइल: बेजमानती थोक निधीयन कुल भारित नकद बहिर्वाह का प्रमुख हिस्सा है। खुदरा जमा और छोटे व्यावसायिक ग्राहकों की जमाशियों को मिलाकर कुल भारित नकदी बहिर्वाह का लगभग 20.54% योगदान है। गैर – वित्तीय कॉर्पोरेट्स, सरकारी बैंकों, केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और

b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30-calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. RBI has mandated the management of LCR at solo and consolidated level.

HQLA comprises Level 1 assets (0% hair-cut), Level 2A assets (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising cash, excess CRR, excess SLR securities, Government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [2% of the Bank's Net Demand & Time Liabilities (NDTL)] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [16% of the Bank's NDTL]. Level 2A assets comprises sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and better, issued other than by non-financial institutions.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. The inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run off factors. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

Composition of HQLA: The Bank during the three months ended 31st March 2025 maintained average HQLA of ₹3,20,508.13 crore. Level 1 assets contribute to 99.07% of the total stock of HQLA. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e., around 64.40% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 0.93% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Funding Profile: Unsecured wholesale funding constitutes major portion of total weighted cash outflow. Retail deposits and deposits from small business customers put together contributed around 20.54% of the total weighted cash outflows. Deposits from non-financial corporates, sovereigns, central

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमा राशियों का कुल भारत नकदी बहिर्गमन में लगभग 32.42 % का योगदान था। बैंक का एक्सपोजर प्रमुख रूप से भारतीय रुपये में है।

बैंक का एलसीआर: बैंक ने निरंतर आधार पर एलसीआर को न्यूनतम नियामक स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक की समेकित एलसीआर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति इस प्रकार है:

समाप्त तिमाही	मार्च-23	जून-23	सितंबर-23	दिसंबर-23	मार्च-24	जून-24	सितंबर-24	दिसंबर-24	मार्च-25
दैनिक औसत एलसीआर (समेकित)	121.79%	129.48%	132.38%	135.78%	129.04%	146.54%	137.43%	123.11%	125.26%

Quarter Ended	Mar-23	Jun-23	Sep-23	Dec-23	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Dec-24	Mar-25
Daily Avg. LCR (Consolidated)	121.79%	129.48%	132.38%	135.78%	129.04%	146.54%	137.43%	123.11%	125.26%

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के लिए केनरा बैंक (समेकित) का दैनिक औसत एलसीआर 125.26% था। बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एलएसआर निवेश के रूप में एचव्यूएलए बनाए रखता है। बैंक ने जमा राशियों के माध्यम से निधीयन के एक बड़े हिस्से को लगातार एक आरक्षित निधीयन प्रोफाइल के रूप में रखा है। कुल निधीयन स्रोतों में खुदरा जमा राशियों का बड़ा हिस्सा है जो अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है। दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक विभिन्न नियामक विवरणों के माध्यम से चलनिधि स्थिति की निगरानी भी करता है उदाहरणार्थ, संरचनात्मक चलनिधि विवरण और स्टॉक अनुपात। अंतर्वाह और बहिर्वाह की स्थिति लगभग समान होने के कारण व्युत्पन्न एक्सपोजर को महत्वहीन माना जाता है। तिमाही के दौरान, यूएसडी के लिए एलसीआर (बैंक के तुलन पत्र के 5 % से अधिक का हिस्सा रखने वाली महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा) औसतन 137.77 % थी।

बैंक में चलनिधि प्रबंधन बैंक की एएलएम नीति और नियामक निर्देशों द्वारा संचालित होती है। एलसीओ को बैंक के बोर्ड द्वारा बैंक की निधीयन कार्यनीति तैयार करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन स्रोत अच्छी तरह से विविधतापूर्ण है और बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पर्याप्त आकस्मिक निधीयन योजना भी तैयार है, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी संकटग्रस्त चलनिधि की स्थिति से निपटने के लिए निधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत रूप से चलनिधि की निगरानी की जाती है और एकीकृत कोष विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित तालिका वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए एलसीआर घटकों के अभाजित और भारित मूल्य के औसत का सारांश प्रस्तुत करती है। तिमाही के तीन महीनों के लिए दैनिक मूल्यों के आधार पर साधारण औसत की गणना की गई है।

banks, multilateral development banks and PSEs contributed around 32.42% of the total weighted cash outflows. Bank's exposure is majorly in Indian Rupee.

LCR of the Bank: Bank has maintained LCR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated LCR of the Bank is as follows:

The daily average LCR of Canara Bank (Consolidated) for the quarter ended 31st March 2025 was 125.26%. The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. The Bank has consistently kept a healthy funding profile with a major portion of funding through deposits. Retail deposits constitute major portion of total funding sources which are well diversified. In addition to daily / monthly LCR reporting, Bank also monitors the liquidity position through various regulatory statements viz. Structural Liquidity Statement and Stock Ratios. Derivative exposures are considered insignificant due to almost matching inflows and outflows position. During the quarter, LCR for USD (significant foreign currency constituting more than 5% of the balance sheet of the Bank was 137.77% on average.

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well diversified and is consistent with the operational requirements of the Bank. Adequate Contingency Funding Plan is also in place, which is reviewed on periodic basis to ensure the availability of funds to meet any stressed liquidity event. Monitoring of liquidity is centralized at Risk Management Wing, Head Office and managed centrally at Integrated Treasury Wing, Head Office.

The following table summarizes the average of unweighted and weighted value of the LCR components for the 4th quarter of FY 2024-25. The simple average has been computed based on daily values for the three months of quarter.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 1		वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 2		वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 3		वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 4	
		कुल अपारिक्त मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अपारिक्त मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अपारिक्त मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अपारिक्त मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां									
1	उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियां (एचव्यूएलए)								
	नकद बहिर्वाह								
2	खुदरा जमाएं और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से:								
(i)	स्थिर जमाएं	7,54,219.80	67,987.00	7,34,438.12	66,164.32	7,23,744.45	7,09,199.31	7,09,199.31	64,419.79
(ii)	घटाएं - स्थिर जमाएं	1,48,699.51	7,434.98	1,45,589.83	7,279.49	1,26,529.30	6,326.47	1,30,002.76	6,500.14
		6,05,520.29	60,552.03	5,88,848.29	58,884.83	5,97,215.15	59,721.51	5,79,196.55	57,919.66
3	गैर-जमानती थोक निधियन, जिसमें से:	3,91,482.19	2,30,525.32	3,56,456.60	2,09,625.63	3,34,988.41	1,93,137.95	3,46,323.06	2,00,499.10
(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाएं (सभी प्रतिपक्षकार)	3,89,382.19	2,28,425.32	3,56,349.30	2,09,555.64	3,27,989.19	1,86,138.74	3,35,481.11	1,89,657.15
(iii)	गैर-जमानती ऋण	69.99	2100.00	107.30	69.99	6,999.21	6,999.21	10,841.95	10,841.95
4	जमानती थोक निधियन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं जिसमें से:	1,73,366.99	27,294.47	1,84,357.39	30,121.18	1,82,618.33	24,466.48	1,70,966.74	22,398.99
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपादिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	372.09	372.09	80.78	80.78	88.74	88.74	70.75	70.75
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और चलनिधि सुविधाएं	1,72,994.89	26,922.38	1,84,276.61	30,040.40	1,82,529.59	24,377.73	1,70,895.98	22,328.24
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	2,560.56	2,560.56	3,232.21	3,232.21	2,609.61	2,609.61	2,474.03	2,474.03
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	83,128.83	2,579.33	79,780.31	2,467.90	78,738.41	2,434.11	77,819.00	2,407.35
8	कुल नकद बहिर्वाह		3,30,946.68		3,11,611.23		2,88,696.13		2,92,199.27
नकद अंतर्वाह									
9	जमानती उधार (उदाहरण-प्रतिवर्ती रेपो)	1,380.20	0.00	1,820.87	0.00	3,374.40	0.00	6,719.86	0.00
10	पूरी तरह से अर्जक एक्सपोजर से अंतर्वाह	92,110.96	73,301.06	83,499.42	60,911.73	85,151.45	63,771.27	81,287.52	60,093.86
11	अन्य नकद अंतर्वाह	1,719.99	1,715.55	1,653.47	1,578.09	1,840.87	1,742.88	2,719.94	2,193.82
12	कुल नकद अंतर्वाह	95,211.16	75,016.61	86,973.76	62,489.82	90,366.72	65,514.15	90,727.33	62,287.68
	कुल समायोजित मूल्य								
13	कुल एचव्यूएलए		3,20,580.13		3,06,681.79		3,06,655.26		3,36,880.92
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		2,55,930.07		2,49,121.41		2,23,181.98		2,29,911.59
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		125.26%		123.11%		137.40%		146.53%

(₹ in Crore)

Sl. No.		FY 2024-25 Q 4		FY 2024-25 Q 3		FY 2024-25 Q 2		FY 2024-25 Q 1	
		Total Un-weighted Value (average)	Total weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		3,20,580.13		3,06,681.79		3,06,655.26		3,36,880.92
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:								
(i)	Stable deposits	7,54,219.80	67,987.00	7,34,438.12	66,164.32	7,23,744.45	66,047.98	7,09,199.31	64,419.79
(ii)	Less stable deposits	1,48,699.51	7,434.98	1,45,589.83	7,279.49	1,26,529.30	6,326.47	1,30,002.76	6,500.14
		6,05,520.29	60,552.03	5,88,848.29	58,884.83	5,97,215.15	59,721.51	5,79,196.55	57,919.66
3	Unsecured wholesale funding of which:	3,91,482.19	2,30,525.32	3,56,456.60	2,09,625.63	3,34,988.41	1,93,137.95	3,46,323.06	2,00,499.10
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	3,89,382.19	2,28,425.32	3,56,349.30	2,09,555.64	3,27,989.19	1,86,138.74	3,35,481.11	1,89,657.15
(iii)	Unsecured debt	69.99	2100.00	107.30	69.99	6,999.21	6,999.21	10,841.95	10,841.95
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements of which:	1,73,366.99	27,294.47	1,84,357.39	30,121.18	1,82,618.33	24,466.48	1,70,966.74	22,398.99
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	372.09	372.09	80.78	80.78	88.74	88.74	70.75	70.75
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,72,994.89	26,922.38	1,84,276.61	30,040.40	1,82,529.59	24,377.73	1,70,895.98	22,328.24
6	Other contractual funding obligations	2,560.56	2,560.56	3,232.21	3,232.21	2,609.61	2,609.61	2,474.03	2,474.03
7	Other contingent funding obligations	83,128.83	2,579.33	79,780.31	2,467.90	78,738.41	2,434.11	77,819.00	2,407.35
8	Total Cash Outflows		3,30,946.68		3,11,611.23		2,88,696.13		2,92,199.27
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1,380.20	0.00	1,820.87	0.00	3,374.40	0.00	6,719.86	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	92,110.96	73,301.06	83,499.42	60,911.73	85,151.45	63,771.27	81,287.52	60,093.86
11	Other cash inflows	1,719.99	1,715.55	1,653.47	1,578.09	1,840.87	1,742.88	2,719.94	2,193.82
12	Total Cash Inflows	95,211.16	75,016.61	86,973.76	62,489.82	90,366.72	65,514.15	90,727.33	62,287.68
	Total Adjusted Value								
13	TOTAL HQLA		3,20,580.13		3,06,681.79		3,06,655.26		3,36,880.92
14	Total Net Cash Outflows		2,55,930.07		2,49,121.41		2,23,181.98		2,29,911.59
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		125.26%		123.11%		137.40%		146.53%

416

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	FY 2023-24 Q 4		FY 2023-24 Q 3		FY 2023-24 Q 2		FY 2023-24 Q 1	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets									
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		3,05,386.54		2,92,245.62		2,89,026.70		2,90,822.38
Cash Outflows									
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	6,92,120.90	62,804.65	6,70,425.84	60,008.45	6,51,040.19	58,587.72	6,40,814.53	59,283.74
(i)	Stable deposits	1,28,148.81	6,407.44	1,40,682.67	7,034.13	1,30,326.03	6,516.30	95,954.25	4,797.71
(ii)	Less stable deposits	5,63,972.09	56,397.21	5,29,743.17	52,974.32	5,20,714.15	52,071.42	5,44,860.28	54,486.03
3	Unsecured wholesale funding, of which:	3,22,362.65	1,93,487.10	3,05,347.22	1,72,060.39	3,27,803.68	1,87,548.55	3,31,087.24	1,85,454.00
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	3,08,375.50	1,81,741.74	2,93,601.87	1,60,315.03	3,14,723.54	1,74,468.41	3,22,076.13	1,76,442.89
(iii)	Unsecured debt	13,987.15	11,745.35	11,745.35	11,745.35	13,080.14	13,080.14	9,011.11	9,011.11
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which:	1,56,421.54	20,139.49	1,42,952.92	16,529.27	1,31,944.04	14,360.58	1,14,104.70	18,321.46
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	69.02	69.02	73.28	73.28	126.06	126.06	146.22	146.22
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	1,56,352.52	20,070.47	1,42,879.64	16,455.99	1,31,817.98	14,234.52	1,13,958.48	18,175.24
6	Other contractual funding obligations	3,388.20	3,388.20	3,380.94	3,380.94	2,090.19	2,090.19	1,928.23	1,928.23
7	Other contingent funding obligations	78,842.07	2,436.60	74,413.30	2,296.19	72,435.29	2,236.58	85,253.24	2,788.72
8	Total Cash Outflows		2,82,256.04		2,54,275.23		2,64,823.62		2,67,776.15
Cash Inflows									
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1,114.52	0.00	356.77	0.00	20.54	0.00	46.28	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	61,822.11	44,756.06	56,842.51	38,139.18	62,695.28	45,830.80	60,485.42	42,132.65
11	Other cash inflows	860.08	839.79	1,062.99	897.92	699.70	655.79	1,526.26	1,024.57
12	Total Cash Inflows	63,796.71	45,595.85	58,262.27	39,037.10	63,415.52	46,486.59	62,057.95	43,157.22
	Total Adjusted Value								
13	TOTAL HQLA		3,05,386.54		2,92,245.62		2,89,026.70		2,90,822.38
14	Total Net Cash Outflows		2,36,660.18		2,15,238.13		2,18,337.03		2,24,618.93
15	Liquidity Coverage Ratio (%)		129.04%		135.78%		132.38%		129.47%

ग) निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशा-निर्देश भविष्य में निधीयन संबंधी दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को अपनी गतिविधियों को पर्याप्त रूप से स्थायी स्रोतों से वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि में निधीयन जोखिम को कम करना सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

आरबीआई ने मई 2018 में न्यूनतम 100% के बराबर की आवश्यकता के साथ स्थिर निधीयन अनुपात के क्रियान्वयन पर नियम जारी किए थे। यह क्रियान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के वैयक्तिक संचालन के साथ-साथ समूह संचालन पर भी लागू होता है और जिसकी गणना एकल और समेकित स्तर पर की जाती है। समेकित एनएसएफआर की गणना करते समय शामिल संस्थाएँ केनरा बैंक एकल (घरेलू और विदेशी परिचालन) और केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड हैं।

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) को कुल विनियामक पूंजी और देयताओं के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में एनएसएफआर द्वारा विचार किए गए समय के दौरान विश्वसनीय होने की उम्मीद है, जो एक वर्ष तक विस्तारित होता है, जिसे देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भागों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों को 100% भार प्राप्त होता है।

आवश्यक स्थिर निधीयन (आएसएफ) को तुलन पत्र और तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे निरंतर आधार पर वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं पर निर्भर करती है।

मुख्य कारक

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) के मुख्य कारक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्तपोषण है। प्रारंभिक भार लागू करने के बाद, कुल उपलब्ध स्थायी निधीयन में पूंजी आधार लगभग 11.52%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से प्राप्त जमाएँ सहित) 62.63% तथा शेष वित्तपोषण 25.85% रहा।

मुख्य रूप से ऋण और प्रतिभूतियों के निष्पादन के लिए आवश्यक स्थिर निधीयन प्रारंभिक भार लागू करने के बाद कुल आएसएफ का 84.13% था। उच्च गुणवत्तायुक्त चल आस्तियों का स्टॉक जिसमें मुख्य रूप से आरबीआई के पास नकदी और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण निर्गम अपनी उच्च गुणवत्ता और चलनिधि की विशेषता के कारण स्थिर निधीयन की कम या कोई राशि प्रभारित नहीं की है। तदनुसार, एचक्यूएलए के लिए आवश्यक स्थायी निधीयन प्रारंभिक भार लागू करने के बाद आवश्यक स्थिर निधीयन का 1.86% थी। अन्य आस्तियाँ और आकस्मिक निधीयन बाध्यता जैसे प्रतिबद्ध ऋण सुविधाएँ, गारंटी और साख पत्र आवश्यक स्थिर निधीयन का 13.73% थे।

बैंक का एनएसएफआर

Bank has maintained NSFR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated NSFR of the Bank is as follows:

समाप्त तिमाही	मार्च-23	जून-23	सितंबर-23	दिसंबर-23	मार्च-24	जून-24	सितंबर-24	दिसंबर-24	मार्च-25
एनएसएफआर (समेकित)	136.52%	121.05%	123.06%	123.09%	137.38%	133.76%	131.62%	133.29%	135.48%

बैंक ने निरंतर आधार पर एनएसएफआर को न्यूनतम विनियामक स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक के समेकित एनएसएफआर के पिछले आंकड़ें निम्नवत् हैं: समेकित स्तर पर बैंक का एनएसएफआर चतुर्थ तिमाही (वित्त वर्ष 2024-25) के अंत में 135.48% पर आ गया है जो 100% न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से अधिक है। दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) ₹. 11,50,659 करोड़ है जबकि दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति में आवश्यक स्थिर निधीयन (आएसएफ) ₹. 8,49,339 करोड़ था।

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)

QUALITATIVE DISCLOSURE

Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is applicable to Bank's individual operations as well as group operations and computed at standalone and consolidated level. The entities included while computing consolidated NSFR are Canara Bank Solo (Domestic & overseas operation) and Canara Bank (Tanzania) Limited.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of total regulatory capital and liabilities expected to be reliable over the time the which horizon considered by the NSFR, which extends to one year, which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Key drivers

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 11.52%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 62.63% and wholesale funding formed 25.85% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Stable Funding primarily required for performing loans and securities constituted 84.13% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, Government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, Stable Funding required for HQLA constituted 1.86% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 13.73% of the Required Stable Funding.

NSFR OF THE BANK

Bank has maintained NSFR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated NSFR of the Bank is as follows:

Quarter Ended	Mar-23	Jun-23	Sep-23	Dec-23	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Dec-24	Mar-25
NSFR (Consolidated)	136.52%	121.05%	123.06%	123.09%	137.38%	133.76%	131.62%	133.29%	135.48%

Bank's NSFR at consolidated level comes to 135.48% as at the end of the quarter Q4 (FY 2024-25) and the same is above the minimum regulatory requirement of 100%. The Available Stable Funding (ASF) as on 31st March 2025 stood at ₹ 11,50,659 Crore and amount of Required Stable Funding (RSF) as on 31st March 2025 was ₹ 8,49,339 Crore.

	वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 1					वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 2				
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य				
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
एएसएफ मद										
1 पूंजी : (2+3)	95,396	-	-	28,989	1,24,385	98,679	-	-	32,489	1,31,168
2 विनियामक पूंजी	95,396	-	-	23,269	1,18,665	98,679	-	-	27,569	1,26,248
3 अन्य पूंजीगत लिखत	-	-	-	5,720	5,720	-	-	-	4,920	4,920
4 छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं : (5+6)	3,05,026	2,15,779	1,40,811	95,594	6,96,884	3,08,491	1,57,673	1,49,439	1,49,289	7,09,522
5 स्थिर जमाएं	75,873	21,543	19,289	13,188	1,24,058	85,383	17,219	21,183	22,364	1,39,960
6 घटाएं - स्थिर जमाएं	2,29,153	1,94,235	1,21,522	82,407	5,72,826	2,23,107	1,40,454	1,28,257	1,26,925	5,69,562
7 थोक निधीयन : (8+9)	62,036	1,59,755	1,58,432	51,034	2,41,145	60,308	1,33,205	1,40,350	76,966	2,43,898
8 परिचालनगत जमाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 अन्य थोक निधीयन	62,036	1,59,755	1,58,432	51,034	2,41,145	60,308	1,33,205	1,40,350	76,966	2,43,898
10 अन्य देयताएं : (11+12)	40,350	1,61,684	18,482	417	-	42,446	2,07,051	14,995	3,918	-
11 एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
12 अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	40,350	1,61,662	18,482	417	-	42,446	2,07,051	14,995	3,918	-
13 कुल एएसएफ (1+4+7+10)	-	-	-	-	10,62,413	-	-	-	-	10,84,587
आरएसएफ मद										
14 उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्तियां (एचक्यूएलए)	-	-	-	-	15,733	-	-	-	-	15,343
15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमागणियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	828	3,08,231	1,73,851	4,59,584	5,79,948	1,210	3,03,582	1,98,388	4,85,918	6,01,993
17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 गैर- स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	-	53,286	12,052	-	14,019	-	76,829	17,024	-	20,036

QUANTITATIVE DISCLOSURE

(₹ in Crore)

ASF Item	FY 2024-25 Q1					FY 2024-25 Q2				
	Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
1 Capital: (2+3)	95,396	-	-	28,989	1,24,385	98,679	-	-	32,489	1,31,168
2 Regulatory capital	95,396	-	-	23,269	1,18,665	98,679	-	-	27,569	1,26,248
3 Other capital instruments	-	-	-	5,720	5,720	-	-	-	4,920	4,920
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,05,026	2,15,779	1,40,811	95,594	6,96,884	3,08,491	1,57,673	1,49,439	1,49,289	7,09,522
5 Stable deposits	75,873	21,543	19,289	13,188	1,24,058	85,383	17,219	21,183	22,364	1,39,960
6 Less stable deposits	2,29,153	1,94,235	1,21,522	82,407	5,72,826	2,23,107	1,40,454	1,28,257	1,26,925	5,69,562
7 Wholesale funding: (8+9)	62,036	1,59,755	1,58,432	51,034	2,41,145	60,308	1,33,205	1,40,350	76,966	2,43,898
8 Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Other wholesale funding	62,036	1,59,755	1,58,432	51,034	2,41,145	60,308	1,33,205	1,40,350	76,966	2,43,898
10 Other liabilities: (11+12)	40,350	1,61,684	18,482	417	-	42,446	2,07,051	14,995	3,918	-
11 NSFR derivative liabilities	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	40,350	1,61,662	18,482	417	-	42,446	2,07,051	14,995	3,918	-
13 Total ASF (1+4+7+10)					10,62,413					10,84,587
RSF Item										
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15,733					15,343
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	828	3,08,231	1,73,851	4,59,584	5,79,948	1,210	3,03,582	1,98,388	4,85,918	6,01,993
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	53,286	12,052	-	14,019	-	76,829	17,024	-	20,036
19 Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	2,54,945	1,61,799	4,21,341	5,35,668	-	2,26,753	1,81,364	4,45,445	5,49,623

(राशि ₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 1					वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 2				
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य				
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:	-	2,54,945	1,61,799	4,21,341	5,35,668	-	2,26,753	1,81,364	4,45,445	5,49,623
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बैसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	1,54,221	1,00,244	-	-	-	1,65,314	1,07,454
21 अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से	-	-	-	14,743	9,583	-	-	-	15,483	10,064
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बैसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	14,743	9,583	-	-	-	15,483	10,064
23 एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं	828	-	-	23,499	20,678	1,210	-	-	24,989	22,269
24 अन्य आस्तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)	78,817	38,752	11,367	4,65,641	1,87,512	83,516	26,609	6,171	4,69,907	1,96,231
25 स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान	-	229	-	7,824	6,845	-	249	-	874	955
27 एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
28 कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	-	40	-	-	40	-	33	-	-	33
29 अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	78,817	38,483	11,367	4,57,817	1,80,627	83,516	26,325	6,171	4,69,033	1,95,242
30 तुलन पत्रेतर मदें	-	-	2,53,943	-	11,179	-	-	2,40,569	-	10,517
31 कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	7,94,373	-	-	-	-	8,24,084
32 निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%)	-	-	-	-	133.74%	-	-	-	-	131.61%

(₹ in Crore)

	FY 2024-25 Q1						FY 2024-25 Q2					
	Un-weighted value by residual maturity						Un-weighted value by residual maturity					
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	1,54,221	1,00,244		-	-	-	1,65,314	1,07,454	
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	14,743	9,583		-	-	-	15,483	10,064	
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	14,743	9,583		-	-	-	15,483	10,064	
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	828	-	23,499	20,678		1,210	-	-	24,989	22,269	
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	78,817	38,752	11,367	4,65,641	1,87,512	83,516	26,609	6,171	4,69,907	1,96,231	
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	229	-	7,824	6,845	-	249	-	874	955	
27	NSFR derivative assets	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	40	-	-	40	-	33	-	-	33	
29	All other assets not included in the above categories	78,817	38,483	11,367	4,57,817	1,80,627	83,516	26,325	6,171	4,69,033	1,95,242	
30	Off-balance sheet items	-	-	2,53,943	-	11,179	-	-	2,40,569	-	10,517	
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	7,94,373	-	-	-	-	8,24,084	
32	Net Stable Funding Ratio (%)	-	-	-	-	133.74%	-	-	-	-	131.61%	

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 3		वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 4									
अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य		अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य									
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	
एसएफ मद											
1	पूंजी : (2+3)	1,01,097	-	-	31,739	1,32,836	1,03,772	1,181	1,755	25,903	1,32,611
2	विनियामक पूंजी	1,01,097	-	-	27,419	1,28,516	1,03,772	1,181	1,755	25,903	1,32,611
3	अन्य पूंजीगत लिखत	-	-	-	4,320	4,320	-	-	-	2,400	2,400
4	खुदरा जमाएं और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमाएं (5+6)	3,08,764	1,54,842	1,83,213	1,28,472	7,17,063	3,15,064	1,63,000	1,89,717	1,24,254	7,20,601
5	स्थिर जमाएं	86,743	17,414	24,916	20,883	1,43,501	94,369	21,382	23,824	15,827	1,47,631
6	घटाएं – स्थिर जमाएं	2,22,021	1,37,429	1,58,297	1,07,589	5,73,562	2,20,695	1,41,618	1,65,893	1,08,427	5,72,969
7	थोक निधीयन: (8+9)	58,262	1,67,978	1,50,985	81,084	2,69,697	97,462	3,31,974	2,13,550	90,006	2,97,448
8	परिचालनगत जमाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अन्य थोक निधीयन	58,262	1,67,978	1,50,985	81,084	2,69,697	97,462	3,31,974	2,13,550	90,006	2,97,448
10	अन्य देयताएं: (11+12)	29,622	1,91,517	364	4,709	-	24,668	476	-	-	-
11	एनएसएफआर डेसिगेटिव देयताएं		-	-	-			476	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपयोग के श्रेणियों में शामिल नहीं है	29,622	1,91,517	364	4,709	-	24668	-	-	-	-
13	कुल एसएफ (1+4+7+10)					11,19,595					11,50,659
आरएसएफ मद											
14	उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्तियां (एचक्यूएलए)					15,507					15,836
15	परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	3,415	2,80,409	2,06,443	5,08,443	6,14,910	25,949	2,62,661	1,85,226	5,98,591	7,14,511
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	-	-	-	-	-	-	9,102	-	-	1,365

(₹ in Crore)

	FY 2024-25 Q3					FY 2024-25 Q4				
	Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
ASF Item										
1 Capital: (2+3)	1,01,097	-	-	31,739	1,32,836	1,03,772	1,181	1,755	25,903	1,32,611
2 Regulatory capital	1,01,097	-	-	27,419	1,28,516	1,03,772	1,181	1,755	25,903	1,32,611
3 Other capital instruments	-	-	-	4,320	4,320	-	-	-	2,400	2,400
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	3,08,764	1,54,842	1,83,213	1,28,472	7,17,063	3,15,064	1,63,000	1,89,717	1,24,254	7,20,601
5 Stable deposits	86,743	17,414	24,916	20,883	1,43,501	94,369	21,382	23,824	15,827	1,47,631
6 Less stable deposits	2,22,021	1,37,429	1,58,297	1,07,589	5,73,562	2,20,695	1,41,618	1,65,893	1,08,427	5,72,969
7 Wholesale funding: (8+9)	58,262	1,67,978	1,50,985	81,084	2,69,697	97,462	3,31,974	2,13,550	90,006	2,97,448
8 Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Other wholesale funding	58,262	1,67,978	1,50,985	81,084	2,69,697	97,462	3,31,974	2,13,550	90,006	2,97,448
10 Other liabilities: (11+12)	29,622	1,91,517	364	4,709	-	24,668	476	-	-	-
11 NSFR derivative liabilities	-	-	-	-	-	-	476	-	-	-
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	29,622	1,91,517	364	4,709	-	24,668	-	-	-	-
13 Total ASF (1+4+7+10)					11,19,595					11,50,659
RSF Item										
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					15,507					15,836
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	3,415	2,80,409	2,06,443	5,08,443	6,14,910	25,949	2,62,661	1,85,226	5,98,591	7,14,511
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-	-	9,102	-	-	1,365

(राशि ₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 3					वित्त वर्ष 2024-25 तिमाही 4				
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य				
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य
एएसएफ मद										
18	गैर-स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	1,913	66,838	8,623	-	14,624	10,964	28,504	3,959	93,569
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्ट्रीय, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:	-	2,13,571	1,97,820	4,66,313	5,66,440	-	2,24,731	1,75,625	5,27,961
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	1,78,108	1,15,770	-	-	-	44,359
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिसमें से:	-	-	-	16,200	10,530	-	-	-	65,755
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	16,200	10,530	-	-	-	65,755
23	एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं	1,501	-	-	25,930	23,317	14,984	325	5,642	25,861
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)	75,011	43,453	11,210	4,64,265	1,98,519	49,694	96,540	7,572	1,07,616
25	स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रांशिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान	-	257	-	900	983	-	1,236	-	1,051
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	-	310	-	-	310	-	-	-	-
28	दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	-	46	-	-	46	-	-	-	1,324
29	अन्य सभी आस्तियों जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	75,011	42,840	11,210	4,63,365	1,97,179	48,370	95,305	7,572	1,05,242
30	तुलन-पत्र मंटे	-	-	2,51,341	-	11,002	-	-	-	11,276
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	8,39,937	-	-	-	8,49,238
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)	-	-	-	-	133.30%	-	-	-	135.49%

(₹ in Crore)

	FY 2024-25 Q3						FY 2024-25 Q4				
	Un-weighted value by residual maturity						Un-weighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
18	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	1,913	66,838	8,623	-	14,624	10,964	28,504	3,959	85,669	93,569
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	-	2,13,571	1,97,820	4,66,313	5,66,440	-	2,24,731	1,75,625	4,02,991	5,27,961
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	1,78,108	1,15,770	-	-	-	68,244	44,359
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	16,200	10,530	-	-	-	1,01,161	65,755
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	16,200	10,530	-	-	-	1,01,161	65,755
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,501	-	-	25,930	23,317	14,984	325	5,642	8,769	25,861
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	75,011	43,453	11,210	4,64,265	1,98,519	49,694	96,540	7,572	23,127	1,07,616
25	Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	257	-	-	900	983	-	1,236	-	-	1,051
27	NSFR derivative assets	310	-	-	-	310	-	-	-	-	-
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	46	-	-	-	46	-	-	-	-	1,324
29	All other assets not included in the above categories	75,011	42,840	11,210	4,63,365	1,97,179	48,370	95,305	7,572	23,127	1,05,242
30	Off-balance sheet items	-	-	2,51,341	-	11,002	-	-	-	-	11,276
31	Total RSF (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	8,39,937	-	-	-	-	8,49,238
32	Net Stable Funding Ratio (%)	-	-	-	-	133.30%	-	-	-	-	135.49%

(राशि ₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 1					वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 2					
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य					
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	
एएसएफ मद											
1	पूंजी : (2+3)	81,464	-	-	28,236	1,09,701	84,379	-	-	28,236	1,12,615
2	विनियामक पूंजी	81,464	-	-	23,026	1,04,491	84,379	-	-	22,826	1,07,205
3	अन्य पूंजीगत लिखत	-	-	-	5,210	5,210	-	-	-	5,410	5,410
4	खुदरा जमाएं और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त जमाएं (5+6)	2,89,724	93,277	1,13,367	1,66,440	6,18,224	2,93,593	1,04,090	1,74,637	1,07,212	6,28,605
5	स्थिर जमाएं	69,491	14,059	17,499	22,536	1,18,532	79,263	19,130	27,685	17,327	1,37,102
6	घटाएं – स्थिर जमाएं	2,20,233	79,219	95,868	1,43,904	4,99,692	2,14,330	84,960	1,46,953	89,885	4,91,503
7	शोक निधीयन: (8+9)	1,07,598	1,64,985	33,236	47,667	2,00,576	1,11,439	1,62,704	21,165	37,997	1,85,651
8	परिचालनगत जमाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अन्य शोक निधीयन	1,07,598	1,64,985	33,236	47,667	2,00,576	1,11,439	1,62,704	21,165	37,997	1,85,651
10	अन्य देयताएं: (11+12)	72,190	82,938	87,022	17,329	32,478	11,897	1,23,192	1,29,647	35,874	47,095
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		29	-	-			12	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	72,190	82,909	87,022	17,329	32,478	11,897	1,23,180	1,29,647	35,874	47,095
13	कुल एएसएफ (1+4+7+10)					9,60,979	0	0	0	0	9,73,965
आएसएफ मद											
14	उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर चल आस्तियां (एचव्यूएलए)					13,293					14,128
15	परिचालनगत उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	1,236	40,712	-	3,12,476	2,46,540	1,100	33,793	-	3,13,913	2,51,287
17	स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	गैर- स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	-	40,712	-	-	6,107	-	33,793	-	-	5,069

(₹ in Crore)

	FY 2023-24 Q1						FY 2023-24 Q2					
	Un-weighted value by residual maturity						Un-weighted value by residual maturity					
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	
ASF Item												
1 Capital: (2+3)	81,464	-	-	28,236	1,09,701		84,379	-	-	28,236	1,12,615	
2 Regulatory capital	81,464	-	-	23,026	1,04,491		84,379	-	-	22,826	1,07,205	
3 Other capital instruments	-	-	-	5,210	5,210		-	-	-	5,410	5,410	
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,89,724	93,277	1,13,367	1,66,440	6,18,224		2,93,593	1,04,090	1,74,637	1,07,212	6,28,605	
5 Stable deposits	69,491	14,059	17,499	22,536	1,18,532		79,263	19,130	27,685	17,327	1,37,102	
6 Less stable deposits	2,20,233	79,219	95,868	1,43,904	4,99,692		2,14,330	84,960	1,46,953	89,885	4,91,503	
7 Wholesale funding: (8+9)	1,07,598	1,64,985	33,236	47,667	2,00,576		1,11,439	1,62,704	21,165	37,997	1,85,651	
8 Operational deposits	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
9 Other wholesale funding	1,07,598	1,64,985	33,236	47,667	2,00,576		1,11,439	1,62,704	21,165	37,997	1,85,651	
10 Other liabilities: (11+12)	72,190	82,938	87,022	17,329	32,478		11,897	1,23,180	1,29,647	35,874	47,095	
11 NSFR derivative liabilities	-	29	-	-	-		-	12	-	-	-	
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	72,190	82,909	87,022	17,329	32,478		11,897	1,23,180	1,29,647	35,874	47,095	
13 Total ASF (1+4+7+10)					9,60,979						9,73,965	
RSF Item												
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					13,293						14,128	
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,236	40,712	-	3,12,476	2,46,540		1,100	33,793	-	3,13,913	2,51,287	
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	40,712	-	-	6,107		-	33,793	-	-	5,069	

(राशि ₹ करोड़ में)

	वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 1					वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 2				
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभारित मूल्य				
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भारित मूल्य
19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्‍ट्रिक, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से :	-	-	-	2,33,931	1,84,174	-	-	-	2,34,702	1,89,630
20 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	2,33,931	1,84,174	-	-	-	2,34,702	1,89,630
21 अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से	-	-	-	57,770	37,550	-	-	-	58,380	37,947
22 क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	-	57,770	37,550	-	-	-	58,380	37,947
23 एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं है	1,236	-	-	20,775	18,709	1,100	-	-	20,831	18,642
24 अन्य आस्‍तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)	51,794	2,21,464	1,49,621	2,64,928	5,25,829	5,759	1,98,663	1,92,362	2,86,770	5,16,490
25 स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्‍तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान	-	249	-	41,431	35,428	-	271	-	6,637	5,872
27 एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्‍ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देनदारियां	-	6,189	1	-	6,190	-	247	-	-	247
29 अन्य सभी आस्‍तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	51,794	2,15,026	1,49,620	2,23,497	4,84,210	5,759	1,98,145	1,92,362	2,80,133	5,10,371
30 तुलन पत्रेतर मदें	-	-	1,93,778	-	8,313	-	-	2,21,068	-	9,641
31 कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	7,93,975	-	-	-	-	7,91,545
32 निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%)	-	-	-	-	121.03%	-	-	-	-	123.05%

(₹ in Crore)

	FY 2023-24 Q1					FY 2023-24 Q2				
	Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
19 Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	-	2,33,931	1,84,174	-	-	-	2,34,702	1,89,630
20 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	2,33,931	1,84,174	-	-	-	2,34,702	1,89,630
21 Performing residential mortgages, of which:	-	-	-	57,770	37,550	-	-	-	58,380	37,947
22 With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	-	57,770	37,550	-	-	-	58,380	37,947
23 Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,236	-	-	20,775	18,709	1,100	-	-	20,831	18,642
24 Other assets: (sum of rows 25 to 29)	51,794	2,21,464	1,49,621	2,64,928	5,25,829	5,759	1,98,663	1,92,362	2,86,770	5,16,490
25 Physical traded commodities, including gold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	-	249	-	41,431	35,428	-	271	-	6,637	5,872
27 NSFR derivative assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	-	6,189	1	-	6,190	-	247	-	-	247
29 All other assets not included in the above categories	51,794	2,15,026	1,49,620	2,23,497	4,84,210	5,759	1,98,145	1,92,362	2,80,133	5,10,371
30 Off-balance sheet items	-	-	1,93,778	-	8,313	-	-	2,21,068	-	9,641
31 Total RSF (14+15+16+24+30)	-	-	-	-	7,93,975	-	-	-	-	7,91,545
32 Net Stable Funding Ratio (%)	-	-	-	-	121.03%	-	0	0	0	123.05%

एसएसएफ मद												
1	पूँजी : (2+3)	87,328	-	-	28,889	1,16,217	91,090	-	-	28,989	1,20,079	
2	विनियामक पूँजी	87,328	-	-	23,929	1,11,257	91,090	-	-	23,869	1,14,959	
3	अन्य पूँजीगत लिखत	-	-	-	4,960	4,960	-	-	-	5,120	5,120	
4	खुदरा जमाएं और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से जमाएं (5+6)	2,96,650	1,23,284	1,91,901	83,114	6,40,304	3,02,102	1,99,031	1,45,214	98,980	6,86,836	
5	स्थायी जमाएं	80,408	20,926	29,430	13,749	1,37,976	77,206	20,260	19,392	14,077	1,25,092	
6	घटाएं – स्थायी जमाएं	2,16,242	1,02,358	1,62,470	69,365	5,02,329	2,24,896	1,78,772	1,25,822	84,903	5,61,444	
7	शोक निधीयन: (8+9)	1,13,394	1,72,227	22,159	41,910	1,95,800	78,472	1,65,352	1,19,786	62,361	2,44,166	
8	परिचालन जमाएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	अन्य शोक निधीयन	1,13,394	1,72,227	22,159	41,910	1,95,800	78,472	1,65,352	1,19,786	62,361	2,44,166	
10	अन्य देयताएं: (11+12)	9,633	1,44,094	1,25,226	29,276	49,015	34,555	1,52,243	13,365	-	-	
11	एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		3	-	-			6	-	-	-	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है	9,633	1,44,091	1,25,226	29,276	49,015	34,555	1,52,238	13,365	-	-	
13	कुल एसएसएफ (1+4+7+10)					10,01,336					10,50,781	
आएएसएफ मद												
14	उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तरल आस्ति (एचक्यूएलए)					14,497					15,356	
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	अर्जक ऋण और प्रतिभूतियां (17+18+19+21+23)	1,005	47,595	-	3,21,685	2,55,848	987	2,95,652	1,53,727	4,43,087	5,47,274	
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण	-	-	-	-	-	-	3,297	-	-	330	
18	गैर- स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थानों को बेजमानती अर्जक ऋण	-	47,595	-	-	7,139	-	64,185	4,782	-	12,019	

(₹ in Crore)

ASF Item	FY 2023-24 Q3					FY 2023-24 Q4				
	Un-weighted value by residual maturity					Un-weighted value by residual maturity				
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value
1 Capital: (2+3)	87,328	-	-	28,889	1,16,217	91,090	-	-	28,989	1,20,079
2 Regulatory capital	87,328	-	-	23,929	1,11,257	91,090	-	-	23,869	1,14,959
3 Other capital instruments	-	-	-	4,960	4,960	-	-	-	5,120	5,120
4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,96,650	1,23,284	1,91,901	83,114	6,40,304	3,02,102	1,99,031	1,45,214	98,980	6,86,836
5 Stable deposits	80,408	20,926	29,430	13,749	1,37,976	77,206	20,260	19,392	14,077	1,25,092
6 Less stable deposits	2,16,242	1,02,358	1,62,470	69,365	5,02,329	2,24,896	1,78,772	1,25,822	84,903	5,61,444
7 Wholesale funding: (8+9)	1,13,394	1,72,227	22,159	41,910	1,95,800	78,472	1,65,352	1,19,786	62,361	2,44,166
8 Operational deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Other wholesale funding	1,13,394	1,72,227	22,159	41,910	1,95,800	78,472	1,65,352	1,19,786	62,361	2,44,166
10 Other liabilities: (11+12)	9,633	1,44,094	1,25,226	29,276	49,015	34,555	1,52,243	13,365	-	-
11 NSFR derivative liabilities	-	3	-	-	-	-	6	-	-	-
12 All other liabilities and equity not included in the above categories	9,633	1,44,091	1,25,226	29,276	49,015	34,555	1,52,238	13,365	-	-
13 Total ASF (1+4+7+10)					10,01,336					10,50,781
RSF Item										
14 Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					14,497					15,356
15 Deposits held at other financial institutions for operational purposes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	1,005	47,595	-	3,21,685	2,55,848	987	2,95,652	1,53,727	4,43,087	5,47,274
17 Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	-	-	-	-	-	-	3,297	-	-	330
18 Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	-	47,595	-	-	7,139	-	64,185	4,782	-	12,019

	वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 3					वित्त वर्ष 2023-24 तिमाही 4				
	अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य					अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा अभाति मूल्य				
	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य	परिपक्वता रहित	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	भाति मूल्य
19	नैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण और राष्त्रिक, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से:	-	-	2,38,105	1,89,303	-	2,28,169	1,48,945	4,06,192	5,05,570
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	2,38,105	1,89,303	-	-	-	1,41,254	91,815
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	62,456	40,597	-	-	-	14,216	9,240
22	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ	-	-	62,456	40,597	-	-	-	14,216	9,240
23	एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं	1,005	-	21,124	18,810	987	-	-	22,678	20,115
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग)	4,496	2,27,189	1,95,655	5,33,830	71,675	48,145	11,906	4,66,362	1,91,663
25	स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान	-	-	27,491	23,562	-	230	-	4,924	4,382
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती के पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं	37	-	-	37	-	61	-	-	61
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं	4,496	2,26,922	1,95,655	5,10,231	71,675	47,854	11,906	4,61,438	1,87,220
30	तुलन-पत्र मर्दे	-	-	2,18,179	9,426	-	-	2,41,978	-	10,579
31	कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)									7,64,872
32	निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%)									137.38%

(₹ in Crore)

	FY 2023-24 Q3						FY 2023-24 Q4					
	Un-weighted value by residual maturity						Un-weighted value by residual maturity					
	No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value		No maturity	< 6 months	6 months to < 1yr	≥ 1yr	Weighted value	
19	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which:	-	-	2,38,105	1,89,303		-	2,28,169	1,48,945	4,06,192	5,05,570	
20	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	2,38,105	1,89,303		-	-	-	1,41,254	91,815	
21	Performing residential mortgages, of which:	-	-	62,456	40,597		-	-	-	14,216	9,240	
22	With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	-	-	62,456	40,597		-	-	-	14,216	9,240	
23	Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	1,005	-	21,124	18,810		987	-	-	22,678	20,115	
24	Other assets: (sum of rows 25 to 29)	4,496	2,27,189	1,95,655	2,92,197	5,33,830	71,675	48,145	11,906	4,66,362	1,91,663	
25	Physical traded commodities, including gold					-					-	
26	Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		-	-	27,491	23,562		230	-	4,924	4,382	
27	NSFR derivative assets		-	-	-			-	-	-	-	
28	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		37	-	-	37		61	-	-	61	
29	All other assets not included in the above categories	4,496	2,26,922	1,95,655	2,64,706	5,10,231	71,675	47,854	11,906	4,61,438	1,87,220	
30	Off-balance sheet items	-	-	2,18,179	-	9,426	-	-	2,41,978	-	10,579	
31	Total RSF (14+15+16+24+30)					8,13,602					7,64,872	
32	Net Stable Funding Ratio (%)					123.07%					137.38%	

3. निवेश

क) (i) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में निवेश पोर्टफोलियो की संरचना:

(राशि ₹ करोड़ में)

	निवेश पोर्टफोलियो की संरचना						
	परिपक्वता तक थापित		विक्रय के लिए उपलब्ध	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य		अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम	
	लागत पर	उचित मूल्य		एचएफटी	गैर-एचएफटी	लागत पर	उचित मूल्य
I. भारत में निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूति	296733.45	297589.46	51178.61	1443.36	0.00		
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60		
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	1999.79	4101.34		
(iv) डिविडेंड और बॉण्ड	5073.54	5128.74	3870.56	0.00	2668.21		
(v) अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम						1483.37	8857.63
(vi) अन्य (वीसीएफ, एमएफ, एआरसी, सीपी, सीडी आदि)	0.00	0.00	968.35	0.00	11678.04		
कुल	301806.99	302718.20	56017.52	3443.15	18541.19	1483.37	8857.63
घटाएं : हानि के लिए प्रावधान/एनपीआई	0.00	0.00	85.96	628.21	3608.47	0.00	0.00
निवल निवेश	301806.99	302718.20	55931.56	2814.94	14932.72	1483.37	8857.63
II. भारत के बाहर निवेश							
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	153.39	153.39	1788.59	0.00	42.74		
(ii) अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम						93.08	0.00
(iii) अन्य निवेश	0.00	0	1295.78	0.00	0.19		
कुल	153.39	153.39	3084.37	0.00	42.93	0.00	0.00
घटाएं: हानि के लिए प्रावधान / एनपीआई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
निवल निवेश	153.39	153.39	3084.37	0.00	42.93	0.00	0.00
कुल निवल निवेश (I+II)	301960.38	302871.59	59015.93	2814.94	14975.65	1576.45	8957.63

3. Investments

a) i) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2025

(₹ in Crore)

COMPOSITION OF INVESTMENT PORTFOLIO									
	HELD TO MATURITY		AVAILABLE FOR SALE	FAIR VALUE THROUGH		SUBSIDIARIES ASSOCIATES			
	At Cost	Fair Value		HFT	Non-HFT	AT COST	FAIR VALUE		
I. Investments in India									
(i) Government Securities	296733.45	297589.46	51178.61	1443.36	0.00				
(ii) Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60				
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	1999.79	4101.34				
(iv) Debentures and Bonds	5073.54	5128.74	3870.56	0.00	2668.21				
(v) Subsidiaries, Associates & Joint Ventures						1483.37		8857.63	
(vi) Others (VCF, MF, ARC, CP, CD etc.)	0.00	0.00	968.35	0.00	11678.04				
Total	301806.99	302718.20	56017.52	3443.15	18541.19	1483.37		8857.63	
Less: Provisions for impairment/NPI	0.00	0.00	85.96	628.21	3608.47	0.00		0.00	
Net Investments	301806.99	302718.20	55931.56	2814.94	14932.72	1483.37		8857.63	
II. Investments outside India									
(i) Government Securities (Including local authorities)	153.39	153.39	1788.59	0.00	42.74				
(ii) Subsidiaries, Associates & Joint Ventures						93.08		0.00	
(iii) Other investments	0.00	0	1295.78	0.00	0.19				
Total	153.39	153.39	3084.37	0.00	42.93	0.00		0.00	
Less: Provisions for impairment/NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	
Net Investments	153.39	153.39	3084.37	0.00	42.93	0.00		0.00	
Total Net Investments (I+II)	301960.38	302871.59	59015.93	2814.94	14975.65	1576.45		8957.63	

(राशि ₹ करोड़ में)

(ii) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में निवेश पोर्टफोलियो संरचना

	भारत में निवेश					भारत से बाहर निवेश					कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	क्षेत्र	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगी कंपनियाँ और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	अनुषंगी कंपनियाँ और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	
परिपक्वता तक धारित											
सकल	296733.45	0.00	0.00	5073.54	0.00	0.00	301806.99	153.39	0.00	0.00	301960.38
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	296733.45	0.00	0.00	5073.54	0.00	0.00	301806.99	153.39	0.00	0.00	301960.38
विक्रय के लिए उपलब्ध											
सकल	51178.61	0.00	0.00	3870.56	0.00	968.35	56017.52	1788.59	0.00	1295.78	59101.89
घटाएं : मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	85.96	0.00	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00	85.96
निवल	51178.61	0.00	0.00	3784.60	0.00	968.35	55931.56	1788.59	0.00	1295.78	59015.93
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य											
सकल	0.00	93.60	4101.34	2668.21	0.00	11678.04	18541.19	0.00	0.00	0.19	18541.38
घटाएं : प्रावधान	0.00	0.00	961.78	2189.65	0.00	457.04	3608.47	0.00	0.00	0.00	3608.47
निवल	0.00	93.60	3139.56	478.56	0.00	11221.00	14932.72	0.00	0.00	0.19	14932.91
ट्रेडिंग के लिए धारित											
सकल	1443.36	0.00	1999.79	0.00	0.00	0.00	3443.15	0.00	0.00	42.70	3485.85
घटाएं : मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	628.21	0.00	0.00	0.00	628.21	0.00	0.00	0.00	628.21
निवल	1443.36	0.00	1371.58	0.00	0.00	0.00	2814.94	0.00	0.00	42.70	2857.64
अनुषंगी कंपनियाँ और/या संयुक्त उद्यम											
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.37	0.00	1483.37	0.00	93.08	0.00	1576.45
घटाएं : प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.37	0.00	1483.37	0.00	93.08	0.00	1576.45
कुल निवेश	349355.42	93.60	6101.13	11612.31	1483.37	12646.39	381292.22	1941.98	93.08	1338.67	384665.95
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	1589.99	2275.61	0.00	457.04	4322.64	0.00	0.00	0.00	4322.64
निवल	349355.42	93.60	4511.14	9336.70	1483.37	12189.35	376969.58	1941.98	93.08	1338.67	380343.31

(ii) Composition of Investment Portfolio as at 31.03.2025

(₹ in Crore)

	Investments in India						Investments outside India			
	Govern- ment Securities	Other Ap- proved Securi- ties	Shares	Deben- tures and Bonds	Subsid- ies and/ or joint ventures	Total in- vestments in India	Govern- ment securities (including local authorities	Subsidiar- ies and/ or joint ventures	Others	Total Invest- ments outside
Held to Maturity										
Gross	296733.45	0.00	0.00	5073.54	0.00	301806.99	153.39	0.00	0.00	153.39
Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	296733.45	0.00	0.00	5073.54	0.00	301806.99	153.39	0.00	0.00	153.39
Available for Sale										
Gross	51178.61	0.00	0.00	3870.56	0.00	56017.52	1788.59	0.00	1295.78	3084.37
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	51178.61	0.00	0.00	3784.60	0.00	55931.56	1788.59	0.00	1295.78	3084.37
Fair Value through profit and Loss										
Gross	0.00	93.60	4101.34	2668.21	0.00	11678.04	0.00	0.00	0.19	0.19
Less: Provision	0.00	0.00	961.78	2189.65	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	93.60	3139.56	478.56	0.00	11221.00	0.00	0.00	0.19	0.19
Held for Trading										
Gross	1443.36	0.00	1999.79	0.00	0.00	3443.15	0.00	0.00	42.70	42.70
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	628.21	0.00	0.00	628.21	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	1443.36	0.00	1371.58	0.00	0.00	2814.94	0.00	0.00	42.70	42.70
Subsidiaries & Joint Ventures										
Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.37	0.00	0.00	93.08	0.00	93.08
Less: Provision	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.37	0.00	0.00	93.08	0.00	93.08
Total Investments	349355.42	93.60	6101.13	11612.31	1483.37	381292.22	1941.98	93.08	1338.67	3373.73
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	1589.99	2275.61	0.00	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	349355.42	93.60	4511.14	9336.70	1483.37	376969.58	1941.98	93.08	1338.67	3373.73
										380343.31

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में निवेश पोर्टफोलियो संरचना

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश					भारत से बाहर निवेश					कुल निवेश	
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगी कंपनियां और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारी सहित)	अनुषंगी कंपनियां और / या संयुक्त उद्यम	अन्य		भारत से बाहर कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	288134.24	1.50	0.00	1236.67	956.34	230.78	290559.54	148.51	93.08	0.00	241.59	290801.013
घटाएं : अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) निवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विक्रय के लिए उपलब्ध												
सकल	54452.84	0.90	4135.69	9464.35	0.00	1693.65	69747.42	0.00	0.00	2566.85	2566.85	72314.27
घटाएं : मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	439.38	0.00	1711.53	2816.17	0.00	1119.38	6086.46	0.00	0.00	10.08	10.08	6096.54
निवल	54013.46	0.90	2424.15	6648.18	0.00	574.26	63660.96	0.00	0.00	2556.77	2556.77	66217.73
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55
घटाएं : मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55
कुल निवेश	343022.63	2.40	4135.69	10701.02	956.34	1924.43	360742.51	148.51	93.08	2566.85	2808.44	363550.95
सकल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएं : मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान	439.38	0.00	1711.53	2816.17	0.00	1119.38	6086.46	0.00	0.00	10.0	10.08	6096.54
निवल	342583.25	2.40	2424.16	7884.85	956.34	805.05	354656.05	148.51	93.08	2556.77	2798.36	357454.42

Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2024

(₹ in Crore)

	Investments in India						Investments outside India				Total Investments	
	Government Securities	Other Approved Securities	Shares	Debentures and Bonds	Subsidiaries and/or joint ventures	Others	Total investments in India	Government securities (including local authorities)	Subsidiaries and/or joint ventures	Others		Total Investments outside
Held to Maturity												
Gross	288134.24	1.50	0.00	1236.67	956.34	230.78	290559.54	148.51	93.08	0.00	241.59	290801.013
Less: Provision for non-performing investments (NP I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	288134.24	1.50	0.00	1236.67	956.34	230.78	290559.54	148.51	93.08	0.00	241.59	290801.13
Available for Sale												
Gross	54452.84	0.90	4135.69	9464.35	0.00	1693.65	69747.42	0.00	0.00	2566.85	2566.85	72314.27
Less: Provision for depreciation and NPI	439.38	0.00	1711.53	2816.17	0.00	1119.38	6086.46	0.00	0.00	10.08	10.08	6096.54
Net	54013.46	0.90	2424.15	6648.18	0.00	574.26	63660.96	0.00	0.00	2556.77	2556.77	66217.73
Held for Trading												
Gross	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	435.55
Total Investments	343022.63	2.40	4135.69	10701.02	956.34	1924.43	360742.51	148.51	93.08	2566.85	2808.44	363550.95
Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Provision for depreciation and NPI	439.38	0.00	1711.53	2816.17	0.00	1119.38	6086.46	0.00	0.00	10.0	10.08	6096.54
Net	342583.25	2.40	2424.16	7884.85	956.34	805.05	354656.05	148.51	93.08	2556.77	2798.36	357454.42

ख) तुलन पत्र पर उचित मूल्य पर मापे गए निवेश पोर्टफोलियो का उचित मूल्य पदानुक्रम

(₹ करोड़ में)

चालू वर्ष								
	विक्रय के लिए उपलब्ध				लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
I. भारत में निवेश								
(i) सरकारी प्रतिभूति	51178.61	0.00	0.00	51178.61	1443.36	0.00	0.00	1443.36
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	84.49	93.60
(iii) शेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.26	449.21	3561.67	6101.14
(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	2022.45	1848.11	0.00	3870.56	0.00	2668.21	0.00	2668.21
(v) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम								
(vi) अन्य (वीसीएफ, एमएफ, एआरसी, सीपी, सीडी आदि)	0.00	968.35	0.00	968.35	9169.51	0.00	2508.53	11678.04
कुल	53201.06	2816.46	0.00	56017.52	12712.24	3117.42	6154.69	21984.35
II. भारत के बाहर निवेश								
(i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	1745.89	0.00	0.00	1745.89	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम								
(iii) अन्य निवेश	1338.48	0.00	0.00	1338.48	0.02	0.00	42.95	42.97
कुल	3084.37	0.00	0.00	3084.37	0.02	0.00	42.95	42.97
कुल निवल निवेश (I+II)	56285.43	2816.46	0.00	59101.89	12712.26	3117.42	6197.64	22027.32

b) Fair Value Hierarchy of investment portfolio measured at fair value on balance sheet

(₹ in Crore)

CURRENT YEAR								
	AVAILABLE FOR SALE				FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
I. Investments in India								
(i) Government Securities	51178.61	0.00	0.00	51178.61	1443.36	0.00	0.00	1443.36
(ii) Other Approved Securities	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	84.49	93.60
(iii) Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.26	449.21	3561.67	6101.14
(iv) Debentures and Bonds	2022.45	1848.11	0.00	3870.56	0.00	2668.21	0.00	2668.21
(v) Subsidiaries, Associates & Joint Ventures								
(vi) Others (VCF, MF, ARC, CP, CD etc.)	0.00	968.35	0.00	968.35	9169.51	0.00	2508.53	11678.04
Total	53201.06	2816.46	0.00	56017.52	12712.24	3117.42	6154.69	21984.35
II. Investments outside India								
(i) Government Securities (Including local authorities)	1745.89	0.00	0.00	1745.89	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) Subsidiaries, Associates & Joint Ventures								
(iii) Other investments	1338.48	0.00	0.00	1338.48	0.02	0.00	42.95	42.97
Total	3084.37	0.00	0.00	3084.37	0.02	0.00	42.95	42.97
Total Net Investments (I+II)	56285.43	2816.46	0.00	59101.89	12712.26	3117.42	6197.64	22027.32

ग) एफएस-आरक्षित एवं लाभ व हानि खाते में चिह्नित वित्तीय लिखत स्तर 3 पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2025
क)	एफएस - रिजर्व में चिह्नित	0.00
ख)	सामान्य रिजर्व में चिह्नित	2023.39
ग)	लाभ और हानि खाते में चिह्नित	474.07

c) Net gains / (losses) on Level 3 financial instruments recognized in AFS-Reserve and Profit and Loss Account

(₹ in Crore)

Sl. No.	PARTICULARS	31.03.2025
a)	Recognised in AFS-Reserve	0.00
b)	Recognised in General Reserve	2023.39
c)	Recognised in Profit and Loss Account	474.07

घ) एचटीएम से किए गए विक्रय का विवरण

(₹ करोड़ में)

		31.03.2025	31.03.2024
क)	एचटीएम में प्रतिभूति का प्रारंभिक वहन मूल्य	293609.85	269361.65
ख)	वर्ष के दौरान सभी एचटीएम प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	42531.49	14240.17
ग)	घटाएं: विनियामक सीमा से छूट प्राप्त परिस्थितियों में विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य	28098.92	2028.91
	विक्रय की गई प्रतिभूतियों का वहन मूल्य (डी = बी-सी)	14432.57	12211.27
घ)	एचटीएम में प्रतिभूतियों के प्रारंभिक वहन मूल्य के प्रतिशत के रूप में विक्रय की गई प्रतिभूतियाँ (ई= डी/ए)	4.92%	4.54%
	एचटीएम प्रतिभूतियों के संबंध में पूंजी रिजर्व में अंतरित राशि, जिनका पुनःविक्रय किया गया है	853.12	237.56

d) Details of sales made out of HTM

(₹ in Crore)

		31.03.2025	31.03.2024
a)	Opening carrying value of securities in HTM	293609.85	269361.65
b)	Carrying value of all HTM securities sold during the year	42531.49	14240.17
c)	Less: Carrying values of securities sold under situations exempted from regulatory limit	28098.92	2028.91
	Carrying value of securities Sold (D=B-C)	14432.57	12211.27
d)	Securities sold as a percentage of opening carrying value of securities in HTM (E=D/A)	4.92%	4.54%
	Amount transferred to Capital Reserve in respect of HTM securities which were sold at a gain	853.12	237.56

ड) मूल्यहास और निवेश आरक्षित उतार-चढ़ाव के लिए प्रावधानों का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i) निवेश के मूल्यहास में धारित प्रावधानों का संचलन			
क)	प्रारंभिक शेष राशि	6096.54	5403.30
	एआरसीआईएल	-834.36	449.98
ख)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-292.10	1268.50
ग)	घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना / प्रतिलेखन करना	104.95	1025.24
घ)	अंतिम शेष राशि	4865.13	6096.54
ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन			
क)	प्रारंभिक शेष राशि	1333.06	1013.45
ख)	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि	293.59	319.61
ग)	घटाएं : ड्राडाउन	0.00	0.00
घ)	अंतिम शेष राशि	1626.65	1333.06
iii)	एफएस और एचएफटी/ वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि	2.00	2.00

e) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i) Movement of provisions held towards depreciation on investments			
a)	Opening balance	6096.54	5403.30
	ARCIL	-834.36	449.98
b)	Add: Provisions made during the year	-292.10	1268.50
c)	Less: Write-off / Write-back of excess provisions during the year	104.95	1025.24
d)	Closing balance	4865.13	6096.54
ii) Movement of Investment Fluctuation Reserve			
a)	Opening balance	1333.06	1013.45
b)	Add: Amount transferred during the year	293.59	319.61
c)	Less: Drawdown	0.00	0.00
d)	Closing balance	1626.65	1333.06
iii)	Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category	2.00	2.00

च) एचटीएम श्रेणी में / से बिक्री और हस्तांतरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियाँ बेचीं, जो एचटीएम श्रेणी के बुक वैल्यू के 5% से अधिक नहीं थी। (पिछले वर्ष, बिक्री एचटीएम श्रेणी के 5% से अधिक नहीं थी)

f) Sale and transfers to / from HTM category

During the financial year 2024-25, the Bank sold securities from HTM category not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year, the sale has not exceeded 5% of HTM category)

छ) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(₹ in Crore)

क्र सं	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
क)	प्रारंभिक शेष राशि	6056.41	6768.37
ख)	1 अप्रैल से 1 वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.07	204.06
ग)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	667.66	918.11
	उतार-चढ़ाव विनिमय	0.00	2.09
घ)	अंतिम शेष राशि	5388.82	6056.41
ज)	कुल धारित प्रावधान	7412.46	6056.41

ग) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing non-SLR investments

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
a)	Opening balance	6056.41	6768.37
b)	Additions during the year since 1st April	0.07	204.06
c)	Reductions during the above period	667.66	918.11
	Exchange Fluctuation	0.00	2.09
d)	Closing balance	5388.82	6056.41
e)	Total provisions held	7412.46	6056.41

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना: (राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान (प्लेसमेंट) की सीमा		'निवेश ग्रेड से कम' प्रतिभूतियों की सीमा		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा	
(1)	(2)	(3)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
ए)	पीएसयू	4256.88	4964.94	2053.82	0	0	0	0	0	0
बी)	वित्तीय संस्थाएं	7841.12	3660.02	2958.49	24.79	0	0	0	0	0
सी)	बैंक	2162.44	668.16	151.00	0.00	0	0	0	0	0
डी)	निजी कॉर्पोरेट	5712.48	6634.04	1918.11	75.60	264.17	0	0	254.79	0
ई)	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	1483.37	1049.43	956.34	0.00	0	0	0	0	0
एफ)	अन्य	13667.60	3549.33	1840.94	0.00	0	0	0	141.61	105
जी)	मल्टिहास के सापेक्ष प्रावधान	4322.64	5657.15	0	0.00	0	0	0	0	0
	कुल*	30801.25	14868.76	9878.71	100.39	264.17	0	0	396.40	105

नोट: उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अन्य नहीं हैं।

ii) Issuer composition of non-SLR investments: (₹ in Crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement		Extent of 'Below Investment Grade' Securities		Extent of 'Unrated' Securities		Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
a)	PSUs	4256.88	4964.94	2053.82	0	0	0	0	0	0
b)	FIs	7841.12	3660.02	2958.49	24.79	0	0	0	0	0
c)	Banks	2162.44	668.16	151.00	0.00	0	0	0	0	0
d)	Private Corporates	5712.48	6634.04	1918.11	75.60	264.17	0	0	254.79	0
e)	Subsidiaries / Joint Ventures	1483.37	1049.43	956.34	0.00	0	0	0	0	0
f)	Others	13667.60	3549.33	1840.94	0.00	0	0	0	141.61	105
g)	Provision held towards Depreciation	4322.64	5657.15	0	0.00	0	0	0	0	0
	Total *	30801.25	14868.76	9878.71	100.39	264.17	0	0	396.40	105

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

(राशि ₹ करोड़ में)

ज) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य और बाजार मूल्य के संदर्भ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया		वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया		वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत		दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में	
	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां								
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	5237.00	5300.17	1890.01	1920.43	1255.00	1271.44
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां								
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	0.00	45000.00	46206.00	1192.77	1201.19	3691.80	3769.87
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ in Crore)

h) Repo transactions (in Face value and Market value terms)

Particulars	Minimum outstanding during the year		Maximum outstanding during the year		Daily Average outstanding during the year		Outstanding as on 31.03.2025	
	Face Value	Market Value	Face Value	Market Value	Face Value	Market Value	Face Value	Market Value
Securities sold under repo								
i) Government Securities	0.00	0.00	5237.00	5300.17	1890.01	1920.43	1255.00	1271.44
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repo								
i) Government Securities	0.00	0.00	45000.00	46206.00	1192.77	1201.19	3691.80	3769.87
ii) Corporate Debt Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
iii) Any Other Securities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

इ) दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	चालू वर्ष के अधिकतम बकाया	पिछले वर्ष के अधिकतम बकाया	चालू वर्ष के औसत बकाया	पिछले वर्ष के औसत बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेनदेन की मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान लेनदेन की मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में बकाया	पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपादित के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

i) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at 31.03.2025

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum out-standing during the current year	Minimum out-standing during the previous year	Maximum out-standing during the current year	Maximum out-standing during the previous year	Daily average out-standing during the current year	Daily average out-standing during the previous year	Total volume of transactions during the current year	Total volume of transactions during the previous year	Out-standing as on March 31 st of the current financial year	Out-standing as on March 31 st of the previous financial year
Securities lent through GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities borrowed through GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities placed as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities received as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अ) दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष के न्यूनतम दौरान बकाया	पिछले वर्ष के न्यूनतम दौरान बकाया	चालू वर्ष के अधिकतम दौरान बकाया	पिछले वर्ष के अधिकतम दौरान बकाया	चालू वर्ष के औसत दौरान बकाया	पिछले वर्ष के औसत दौरान बकाया	चालू वर्ष के दौरान लेनदेन की मात्रा	पिछले वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा	चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में बकाया	पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति में बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

j) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at 31.03.2024

(₹ in Crore)

Particulars	Minimum out-standing during the current year	Minimum out-standing during the previous year	Maximum out-standing during the current year	Maximum out-standing during the previous year	Daily average out-standing during the current year	Daily average out-standing during the previous year	Total volume of transactions during the current year	Total volume of transactions during the previous year	Out-standing as on March 31 st of the current financial year	Out-standing as on March 31 st of the previous financial year
Securities lent through GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities borrowed through GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities placed as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities received as collateral under GSL transactions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

क) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	919998	9267	18113	13225	40605	960602
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					8544	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती*					17619	
अंतिम शेष राशि	1041802	7218	12772	11540	31530	1073332
*सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					672	
ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में वसूली को छोड़कर)					2597	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि					12095	
iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाली गई अन्य राशि					2255	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3449	1545	13993	13205	28743	32192
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					9586	
घटाएं: प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान/ बट्टे खाते में डाले गए ऋण					14178	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3785	2370	10253	11528	24151	27936
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि		7721	4102	0	11823	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					-1042	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3428	
अंतिम शेष राशि		4848	2505	0	7353	
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष राशि						0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि (ड्राडाउन)						0
अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष राशि						0
तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि						67661
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम						12150
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम से वसूली						10865
अंतिम शेष राशि						68946

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

As at 31.03.2025

(₹ in Crore)

	Standard	Non-Performing			Total Non-Performing Advances	Total
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss		
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	919998	9267	18113	13225	40605	960602
Add: Additions during the year					8544	
Less: Reductions during the year*					17619	
Closing balance	1041802	7218	12772	11540	31530	1073332
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					672	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					2597	
iii) Technical / Prudential Write-offs					12095	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					2255	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	3449	1545	13993	13205	28743	32192
Add: Fresh provisions made during the year					9586	
Less: Excess provision reversed / Write-off loans					14178	
Closing balance of provisions held	3785	2370	10253	11528	24151	27936
Net NPAs						
Opening Balance		7721	4102	0	11823	
Add: Fresh additions during the year					-1042	
Less: Reductions during the year					3428	
Closing Balance		4848	2505	0	7353	
Floating Provisions						
Opening Balance						0
Add: Additional provisions made during the year						0
Less: Amount drawn down during the year						0
Closing balance of floating provisions						0
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts						67661
Add: Technical / Prudential write-offs during the year						12150
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year						10865
Closing balance						68946

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

	मानक	गैर निष्पादित				कुल
	कुल मानक अग्रिम	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर-निष्पादित अग्रिम	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि	816622	8662	23237	14261	46160	862782
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन					10626	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां*					16181	
अंतिम शेष राशि	919998	9267	18113	13225	40605	960602
*सकल एनपीए में कमी के कारण:						
i) उन्नयन					1035	
ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों में वसूली को छोड़कर)					3320	
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि					10971	
iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टे खाते में डाली गई अन्य राशि					855	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष	3218	1508	16012	14246	31766	34984
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					9387	9387
घटाएं: प्रतिवर्ती अतिरिक्त प्रावधान / बट्टे खाते में डाले गए ऋण					12410	12179
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष	3449	1545	13993	13205	28743	32192
निवल एनपीए						
प्रारंभिक शेष राशि		7154	7195	0	14349	
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					1239	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती					3765	
अंतिम शेष राशि		7721	4102	0	11823	
अस्थायी प्रावधान						
प्रारंभिक शेष राशि						0
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान						0
घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि (डाडाउन)						0
अस्थायी प्रावधानों की अंतिम शेष राशि						0
तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली						
तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि						66643
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम						11612
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछली तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाली गई अग्रिम से वसूली						10594
अंतिम शेष राशि						67661

अनुपात (प्रतिशत में)	31.03.2025	31.03.2024
सकल एनपीए से सकल अग्रिम	2.94	4.23
निवल एनपीए से निवल अग्रिम	0.70	1.27
प्रावधान कवरेज अनुपात	92.70	89.10

As at 31.03.2024

(₹ in Crore)

	Standard	Non-Performing				Total
	Total Standard Advances	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total Non-Performing Advances	
Gross Standard Advances and NPAs						
Opening Balance	816622	8662	23237	14261	46160	862782
Add: Additions during the year					10626	
Less: Reductions during the year*					16181	
Closing balance	919998	9267	18113	13225	40605	960602
*Reductions in Gross NPAs due to:						
i) Upgradation					1035	
ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					3320	
iii) Technical / Prudential Write-offs					10971	
iv) Write-offs other than those under (iii) above					855	
Provisions (excluding Floating Provisions)						
Opening balance of provisions held	3218	1508	16012	14246	31766	34984
Add: Fresh provisions made during the year					9387	9387
Less: Excess provision reversed / Write-off loans					12410	12179
Closing balance of provisions held	3449	1545	13993	13205	28743	32192
Net NPAs						
Opening Balance		7154	7195	0	14349	
Add: Fresh additions during the year					1239	
Less: Reductions during the year					3765	
Closing balance		7721	4102	0	11823	
Floating Provisions						
Opening Balance						0
Add: Additional provisions made during the year						0
Less: Amount drawn down during the year						0
Closing balance of floating provisions						0
Technical write-offs and the recoveries made thereon						
Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts						66643
Add: Technical / Prudential write-offs during the year						11612
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year						10594
Closing balance						67661

Ratios (in per cent)	31.03.2025	31.03.2024
Gross NPA to Gross Advances	2.94	4.23
Net NPA to Net Advances	0.70	1.27
Provision Coverage Ratio	92.70	89.10

ख) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र*	31.03.2025			31.03.2024		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	239977.10	8334	3.47%	249337.01	8541	3.43%
बी)	उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लिए पात्र हैं	58994.12	2853	4.83%	55340.58	11234	20.30%
सी)	सेवा	80829.82	5062	6.26%	76528.31	1625	2.12%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	42959.74	816	1.90%	42006.16	0	0.00%
	उप-योग (i)	422760.78	17065	4.04%	423212.05	21400	5.06%
ii)	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र						
ए)	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	7165.70	41	0.57%	3869.06	0	0.00%
बी)	उद्योग	169141.41	10315	6.10%	172091.27	13321	7.74%
सी)	सेवा	293857.59	2736	0.93%	247022.28	5262	2.13%
डी)	व्यक्तिगत ऋण	180406.26	1373	0.76%	114407.74	622	0.54%
	उप-योग (ii)	650570.96	14465	2.22%	537390.35	19205	3.57%
	कुल (i + ii)	1073331.74	31530	2.94%	960602.40	40605	4.23%

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

Sl. No.	Sector*	31.03.2025			31.03.2024		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	Priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	239977.10	8334	3.47%	249337.01	8541	3.43%
b)	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	58994.12	2853	4.83%	55340.58	11234	20.30%
c)	Services	80829.82	5062	6.26%	76528.31	1625	2.12%
d)	Personal loans	42959.74	816	1.90%	42006.16	0	0.00%
	Sub-total (i)	422760.78	17065	4.04%	423212.05	21400	5.06%
ii)	Non-priority Sector						
a)	Agriculture and allied activities	7165.70	41	0.57%	3869.06	0	0.00%
b)	Industry	169141.41	10315	6.10%	172091.27	13321	7.74%
c)	Services	293857.59	2736	0.93%	247022.28	5262	2.13%
d)	Personal loans	180406.26	1373	0.76%	114407.74	622	0.54%
	Sub-total (ii)	650570.96	14465	2.22%	537390.35	19205	3.57%
	Total (i + ii)	1073331.74	31530	2.94%	960602.40	40605	4.23%

उद्योगों का उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10% से अधिक है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप क्षेत्र	31.03.2025			31.03.2024		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत
1	आधारभूत संरचना	124589.62	4080	3.27%	120325.55	5637	4.68%
2	थोक / खुदरा व्यापार	81929.90	2933	3.58%	67213.11	3906	5.81%
3	मूलभूत धातु और धातुगत उत्पाद	24055.45	412	1.71%	18147.50	568	3.13%

Sub-sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector

(₹ in Crore)

Sl. No.	Sub-sector	31.03.2025			31.03.2024		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Infrastructure	124589.62	4080	3.27%	120325.55	5637	4.68%
2	Wholesale/ Retail Trade	81929.90	2933	3.58%	67213.11	3906	5.81%
3	Basic Metal & Metal Products	24055.45	412	1.71%	18147.50	568	3.13%

ग) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
कुल आस्तियां	143303.09	112069.08
कुल एनपीए	2679.40	4825.77
कुल राजस्व	6701.09	6437.13

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total Assets	143303.09	112069.08
Total NPAs	2679.40	4825.77
Total Revenue	6701.09	6437.13

घ) समाधान योजना और पुनर्रचना का विवरण

(i) समाधान योजना का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार, बैंक के पास 9 खातों में ₹430.76 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण राशि (ए)	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि (बी)	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में कॉलम (बी) में एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण राशि (सी)	दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में प्रावधान (डी)	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त तिमाही/ अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिवर्तन) (ई)	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति में प्रावधान (एफ)
4726.05	4726.05	4726.05	832.11	-401.35	430.76

d) Particulars of resolution plan and restructuring

(i) Particulars of Resolution plan

As per the RBI Circular DBR. No. BP. BC. 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for Resolution of Stressed Assets, Bank holds an additional provision of ₹ 430.76 crore in 9 accounts as detailed below.

(₹ in Crore)

Amount of loans impacted by RBI Circular (a)	Amount of loans to be classified as NPA (b)	Amount of loans as on 31.03.2025 out of (b) classified as NPA (c)	Provision held as on 31.03.2024 (d)	Additional provision/ (Reversal) made during quarter / period ended 31.03.2025 (e)	Provision held as on 31.03.2025 (f)
4726.05	4726.05	4726.05	832.11	-401.35	430.76

ii) पुनर्चित खातों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (अन्य प्रणाली)		कॉरपोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) (सीडीआर प्रणाली)		एमएसएमई (एसएमई ऋण पुनर्चना)		खुदरा व अन्य (अन्य प्रणाली)		कुल	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक	खातों की संख्या	68	155	13	4	12476	22583	859	881	13416	23623
	सकल राशि	24.92	37.63	80.24	90.10	867.09	1263.41	2434.58	2493.24	3406.83	3884.38
	धारित प्रावधान	0.12	0.45	0.32	0.36	62.86	96.13	155.93	181.33	219.23	278.27
अवमानक	खातों की संख्या	45	38	0	0	4236	6332	293	175	4574	6545
	सकल राशि	5.87	3.90	0	0	50.04	171.44	31.91	52.15	87.82	227.49
	धारित प्रावधान	0.89	0.59	0	0	9.08	30.07	5.11	8.39	15.08	39.05
संदिग्ध	खातों की संख्या	3891	4121	0	2	37979	57720	19841	632	61711	62475
	सकल राशि	112.01	138.07	0	302.37	1009.15	1536.23	1362.03	1455.11	2483.19	3431.78
	धारित प्रावधान	106.10	124.47	0	302.37	840.71	972.18	1235.19	1428.06	2182.00	2827.08
हानि	खातों की संख्या	581	634	6	6	12037	12092	3336	3182	15960	15914
	सकल राशि	54.61	53.24	161.42	161.42	542.69	520.81	7121.90	7292.58	7880.62	8028.05
	धारित प्रावधान	54.61	53.24	161.42	161.42	542.29	520.81	7121.90	7292.58	7880.22	8028.05

ii) Details of restructuring accounts

(₹ in Crore)

		Agriculture & Allied Activities (Other Mechanism)		Corporate (excluding MSME) (CDR Mechanism)		MSME (SME Debt Restructuring)		Retail & Other (Other Mechanism)		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Standard	No. of Accounts	68	155	13	4	12476	22583	859	881	13416	23623
	Gross Amount	24.92	37.63	80.24	90.10	867.09	1263.41	2434.58	2493.24	3406.83	3884.38
	Provision Held	0.12	0.45	0.32	0.36	62.86	96.13	155.93	181.33	219.23	278.27
Sub-Standard	No. of Accounts	45	38	0	0	4236	6332	293	175	4574	6545
	Gross Amount	5.87	3.90	0	0	50.04	171.44	31.91	52.15	87.82	227.49
	Provision Held	0.89	0.59	0	0	9.08	30.07	5.11	8.39	15.08	39.05
Doubtful	No. of Accounts	3891	4121	0	2	37979	57720	19841	632	61711	62475
	Gross Amount	112.01	138.07	0	302.37	1009.15	1536.23	1362.03	1455.11	2483.19	3431.78
	Provision Held	106.10	124.47	0	302.37	840.71	972.18	1235.19	1428.06	2182.00	2827.08
Loss	No. of Accounts	581	634	6	6	12037	12092	3336	3182	15960	15914
	Gross Amount	54.61	53.24	161.42	161.42	542.69	520.81	7121.90	7292.58	7880.62	8028.05
	Provision Held	54.61	53.24	161.42	161.42	542.29	520.81	7121.90	7292.58	7880.22	8028.05

ड) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरण- प्रस्तुति और प्रकटीकरण, आस्ति वर्गीकरण में विचलन एवं प्रावधान पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश सं. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (दिनांक 01.04.2024 तक अद्यतित) के अनुसार, यदि निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो बैंकों को विचलनों का प्रकटीकरण करना चाहिए:

- आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक है और
- आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ के लिए जारी वृद्धिशील सकल एनपीए के पांच प्रतिशत से अधिक है।

हमारे बैंक में विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

च) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

- ऋण एक्सपोजर पर आरबीआई के मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 24.09.2021 के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंतरित/अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अंतरित/अधिग्रहित किए गए ऋणों का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	कृषि	खुदरा	एमएसएमई	कॉर्पोरेट/अन्य
अधिग्रहण का माध्यम	कोई नहीं	सह-उधार	सह-उधार	कोई नहीं
कुल बकाया (रूपए करोड़ में)		12.68	111.05	
भारित औसत धारिता अवधि (महीने में)	लागू नहीं	1.75	8.69	लागू नहीं
लाभकारी आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण		एचएल - 20%	20%	

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45 / 21.04.018 / 2021-22 dated 30.08.2021 (Updated as on 01.04.2024) on financial statements - presentation and disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- The additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds five percent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- The additional Gross NPAs identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceeds five percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

In our Bank, divergences are within the threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2024-25.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

- Details of loans transferred /acquired during the period ended 31.03.2025 under the RBI Master Direction on transfer of loan exposures dated 24.09.2021 are given below:

a) Bank has transferred/acquired Loans not in default during the year ended 31.03.2025.

(₹ in Crore)

Particulars	Agriculture	Retail	MSME	Corporate/Others
Mode of Acquisition	None	Co-Lending	Co-Lending	None
Aggregate Outstanding (₹ in crore)		12.68	111.05	
Weighted Average Holding Period (In months)	NA	1.75	8.69	NA
Retention of Beneficial Economic Interest		HL-20%	20%	

मूर्त प्रतिभूति कवरेज का कवरेज (%)	217.37	170.91%	लागू नहीं
रेटिंग किए गए ऋण का रेटिंग के आधार पर वितरण	कृपया नोट देखें (#)	कृपया नोट देखें (#)	लागू नहीं

#अंतरित ऋणों को रेटिंग नहीं दी जाती क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए हैं और इसलिए लागू नहीं होते हैं।

ख) दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने कोई दबावग्रस्त ऋण/ विशेष उल्लिखित खाते अधिग्रहित नहीं किए हैं।

ग) 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण:

Coverage of tangible security coverage (%)	217.37	170.91%	NA
Rating wise distribution of Rated Loans	See Note (#)	See Note (#)	NA

#The loans transferred are not rated as these are to non-corporate borrowers.

b) The Bank has not acquired any Stressed Loans (NPAs)/ Special Mentioned Accounts (SMA) during the year ended 31.03.2025.

c) Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended 31.03.2025.

विवरण	एआरसी को	अनुमति प्राप्त स्थानांतरितियों को	अन्य अंतरित व्यक्तियों को (कृपया निर्दिष्ट करें)
खातों की संख्या	12	शून्य	शून्य
अंतरित ऋणों का कुल बकाया मूलधन	1886.82		
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य		
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	1886.82		
कुल प्रतिफल	1786.91		
पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	---		
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋणों का विवरण			
(सभी राशि करोड़ रुपए में)	एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी सहित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) से		एआरसी से
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य		शून्य
कुल भुगतान किया गया प्रतिफल	शून्य		शून्य
प्राप्त ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य		शून्य

Particulars	To ARCs	To permitted Transferees	To Other Transferees (Please Specify)
No. of Accounts	12	NIL	NIL
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1886.82		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil		
Net book value of the loans transferred (at the time of transfer)	1886.82		
Aggregate consideration	1786.91		
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	---		
Details of loans acquired during the year			
(all amounts in ₹ Crore)	From SCBs, RRBs, UCBs, STCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)		From ARCs
Aggregate Principal outstanding of loans acquired	NIL		NIL
Aggregate consideration paid	NIL		NIL
Weighted average residual tenor of loans acquired	NIL		NIL

घ) 31.03.2025 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा रखे गए एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

रिकवरी रेटिंग बैंड	बही लागत
आरआर1	580.06
आरआर1+	90.78
आरआर2	99.00
आरआर3	6.95
आरआर4	---
आरआर5	90.73
एनआर	1077.22
वापस ली गई रेटिंग	52.69
कुल	1997.42

नोट करें: उपरोक्त तालिका में मेसर्स एसआरआईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एसआरआईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड को एनएआरसीएल में स्थानांतरित करने के लिए समाधान योजना के एक भाग के रूप में जारी किए गए 178.79 करोड़ रुपये के एसआर शामिल हैं। तालिका में मेसर्स हिटोदी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (गैर निष्पादित निवेश) के खाते में जारी किए गए 17.79 करोड़ रुपये के एसआर भी शामिल हैं, जो एनएआरसीएल को अंतरित किए गए हैं।

ड) दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ एवं हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा: 1,463.06 करोड़ रुपये

च) धोखाधड़ी वाले खाते

	31.03.2025	31.03.2024
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	366	157
धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़) (बकाया)	6692.39	1079.31
ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि (₹ करोड़)	2292.76	1079.31
वर्ष के अंत तक 'अन्य रिजर्व' से डेबिट की गई अमोर्टाइज्ड प्रावधान की राशि (₹ करोड़)	-	-

d) Distribution of the SRs held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2025 is given as under:

(₹ in Crore)

Recovery Rating Band	Book Cost
RR1	580.06
RR1+	90.78
RR2	99.00
RR3	6.95
RR4	---
RR5	90.73
NR	1077.22
Rating Withdrawn	52.69
Total	1997.42

Note: The above table includes SR of ₹178.79 Crore issued as a part of resolution plan in transfer of M/s SREI Infrastructure Finance Ltd & SREI Equipment Finance Ltd to NARCL. The table also includes SR of ₹17.79 Crore issued in the account of M/s. Hitodi Infrastructure Pvt Ltd (Non-Performing Investment) transferred to NARCL.

e) Quantum of excess provision reversed to the P & L account on account of sale of stressed loans: ₹ 1,463.06 Cr

g) Fraud Accounts

	31.03.2025	31.03.2024
Number of frauds reported	366	157
Amount involved in fraud (₹ crore)	6692.39	1079.31
Amount of provision made for such frauds (₹ crore)	2292.76	1079.31
Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore)	-	-

छ) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए)	(क) का	(क) का	(क) का	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - वर्तमान स्थिति
	(ए)	31.03.2025 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हुए कुल ऋण	31.03.2025 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि	31.03.2025 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	इस अर्ध-वर्ष का अंत 31.03.2025 को हुआ
व्यक्तिगत ऋण	6730.66	160.21	0.00	0.00	6007.30
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	729.65	0.00	0.00	347.07	382.58
एमएसएमई	2093.81	84.08	0.00	438.59	1597.96
अन्य	603.15	18.23	0.02	104.08	498.37
कुल	10157.27	262.52	0.02	1750.91	8486.21

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(₹ in Crore)

Type of borrower	Exposure to accounts classified as Standard, consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year	Of (A)	Of (A)	Of (A)	Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the
	(A)	aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended 31.03.2025	amount written off during the half-year ended 31.03.2025	amount paid by the borrowers during the half-year ended 31.03.2025	end of this half-year ended 31.03.2025
Personal Loans	6730.66	160.21	0.00	0.00	6007.30
Corporate Persons*	729.65	0.00	0.00	347.07	382.58
MSMEs	2093.81	84.08	0.00	438.59	1597.96
Others	603.15	18.23	0.02	104.08	498.37
Total	10157.27	262.52	0.02	1750.91	8486.21

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. एक्सपोजर:

क) रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2025	31.03.2024
i) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	135482.04	122605.66
क) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण देना, जो उधारकर्ता के कब्जे में है या होगी या जो किराए पर दी गई है।	112342.93	99102.26
ख) वाणिज्यिक अचल संपत्ति - वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी;	22924.40	23305.50
ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतकृत एक्सपोजर में निवेश		
क. आवासीय	214.71	197.90
ख. वाणिज्यिक अचल संपत्ति	104.23	105.47
ii) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम	118.48	92.43
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर।	34800.76	30466.98
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	170282.80	153072.64

5. Exposures:

a) Exposure to real estate sector

(₹ in Crore)

Category	31.03.2025	31.03.2024
i) Direct Exposure	135482.04	122605.66
a) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented.	112342.93	99102.26
b) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	22924.40	23305.50
c) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures		
a. Residential	214.71	197.90
b. Commercial Real Estate	104.23	105.47
ii) Indirect Exposure	118.48	92.43
Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies.	34800.76	30466.98
Total Exposure to Real Estate Sector	170282.80	153072.64

ख) पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2025	31.03.2024
i.	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेशित नहीं है;	4119.66	2053.76
ii.	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में या निर्बंध आधार पर अग्रिम;	0.23	0.22
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयां प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाती हैं;	1411.45	1414.55
iv.	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी भी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, यानी जहां शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह से कवर नहीं करती है;	0.00	0.00
v.	स्टॉकब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉकब्रोकरों और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियां;	190.07	311.90
vi.	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज़ में या निर्बंध आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
vii.	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के एवज़ में कम्पनियों को पूरक ऋण;	0.00	0.00
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	0.00	0.00
ix.	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
x.	वेंचर कैपिटल फंड्स (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में सभी एक्सपोजर	625.02	780.40
पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर		6346.44	4560.83

नोट: सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि के पुनर्गठन के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी के इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (निवल वर्तमान मूल्य शर्तों में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है। यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका प्रकटन वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'नोट्स टू अकाउंट्स' में किया जाएगा। बैंक रणनीतिक ऋण पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में बदलने के विवरण का अलग से प्रकटन करेंगे जो सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त हैं।

b) Exposure to capital market

(₹ in Crore)

Particulars		31.03.2025	31.03.2024
i.	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	4119.66	2053.76
ii.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.23	0.22
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	1411.45	1414.55
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e., where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	0.00
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	190.07	311.90
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
viii.	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix.	Financing to stock brokers for margin trading;	0.00	0.00
x.	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	625.02	780.40
Total Exposure to Capital Market		6346.44	4560.83

Note: For restructuring of dues in respect of listed companies, lenders may be ab initio compensated for their loss/sacrifice (diminution in fair value of account in net present value terms) by way of issuance of equities of the company upfront, subject to the extant regulations and statutory requirements. If such acquisition of equity shares results in exceeding the extant regulatory Capital Market Exposure (CME) limit, the same shall be disclosed in the 'Notes to Accounts' in the Annual Financial Statements. Banks shall separately disclose details of conversion of debt into equity as part of strategic debt restructuring which are exempt from CME limits.

ग) जोखिम श्रेणीवार किसी देश में किसी देश का एक्सपोजर

केवल उस देश के संबंध में जहां बैंक का निवल वित्तपोषित एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1% या उससे अधिक है, बैंक को देश के जोखिम के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। 31.03.2025 को यूएसए (कम जोखिम) के लिए निवल वित्तपोषित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक हो गया है। (31.03.2025 तक बैंक की कुल आस्तियों का 1% 16,828.49 करोड़ रुपये है) जिसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31 मार्च 2025 तक एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च 2025 तक प्रावधान	31 मार्च (31.03.2024) तक एक्सपोजर (निवल)	31 मार्च (31.03.2024) तक प्रावधान
महत्वहीन- ए1	17685.05	-	6836.82	-
कम जोखिम -ए2	83604.03	28.77	58334.19	42.57
मध्यम जोखिम- बी1	0.00	-	2044.08	-
उच्च जोखिम- बी2	1071.05	-	0.00	-
बहुत उच्च जोखिम - सी1	0.00	-	0.00	-
प्रतिबंधित- सी2	540.48	-	299.01	-
ऑफ क्रेडिट- डी	555.59	-	542.13	-
कुल	103456.20	28.77	68066.23	42.57

c) Risk category-wise country exposure

Only in respect of country where a bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for country Risk. On 31.03.2025, the net funded exposure to USA (Low Risk) has exceeded 1% of the total assets of the Bank. (1% of the total assets of the Bank as on 31.03.2025 is ₹16,828.49 crore) for which required provision is made.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31 2025	Provision held as at March 31 2025	Exposure (net) as at March 31 (31.03.2024)	Provision held as at March 31 (31.03.2024)
Insignificant - A1	17685.05	-	6836.82	-
Low Risk - A2	83604.03	28.77	58334.19	42.57
Moderate Risk - B1	0.00	-	2044.08	-
High Risk - B2	1071.05	-	0.00	-
Very High Risk - C1	0.00	-	0.00	-
Restricted - C2	540.48	-	299.01	-
Off Credit - D	555.59	-	542.13	-
Total	103456.20	28.77	68066.23	42.57

घ) प्रतिभूत अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	226007.21	230950.03
उपर्युक्त में से, अग्रिम राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियाँ जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि लिए गए हैं	शून्य	116.91
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	185.93

d) Unsecured Advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total unsecured advances of the Bank	226007.21	230950.03
Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	Nil	116.91
Estimated value of such intangible securities	Nil	185.93

ड) फैक्टoring एक्सपोजर: शून्य

e) Factoring exposures: NIL

च) अंतर-समूह एक्सपोजर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल मात्रा	4727.94	2636.16
शीर्ष-20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	4727.94	2636.16
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर में अंतर-समूह जोखिम का प्रतिशत	0.31%	0.19%
अंतर-समूह एक्सपोजर की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो।	शून्य	शून्य

f) Intra-group exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total amount of intra-group exposures	4727.94	2636.16
Total amount of top-20 intra-group exposures	4727.94	2636.16
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers / customers	0.31%	0.19%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के माध्यम से बैंक को अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं को बैंक के जोखिम के संबंध में वृद्धिशील प्रावधान और पूंजी प्रदान करने की सलाह दी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए 32.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6.60 करोड़ रुपये) का प्रावधान कर रहा है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम का प्रबंधन करने की नीति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी अधिसूचना डीओआर.एमआरजी. आरईसी.76/00-00- 007/2022-23 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार निपटाई जाती है।

प्रत्येक उधारकर्ता इकाई के लिए ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) से पहले अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीडी) और वार्षिक आय की गणना की जाती है। यूएफसीडी की गणना सबसे पहले इकाई के सकल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की गणना करके और फिर संचालन से नकदी प्रवाह (इकाई के) के कारण डेरिवेटिव अनुबंध और प्राकृतिक हेज के माध्यम से हेज की सीमा को घटाकर की जाती है। इकाई को संभावित नुकसान की सीमा की गणना पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी / आईएनआर दरों में देखी गई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता (एलएवी) के साथ यूएफसीडी को गुणा करके की जाएगी। विदेशी शाखाओं/सहायक कंपनियों के मामले में; यूएफसीडी के कारण संभावित नुकसान की गणना आईएनआर को उस क्षेत्राधिकार की घरेलू मुद्रा से और यूएसडी को उस विदेशी मुद्रा (यानी, उस क्षेत्राधिकार की घरेलू मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा) से बदलकर की जाएगी जिसमें इकाई का अधिकतम एक्सपोजर है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण संभावित नुकसान की तुलना वार्षिक ईबीआईडी (ब्याज और मूल्यहास से पहले की कमाई) से की जाती है और इसे ईबीआईडी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी संभावित नुकसान/ईबीआईडी प्रतिशत। विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, बैंक वृद्धिशील पूंजी धारण कर रहा है तथा निर्दिष्ट दरों पर ऐसी संस्थाओं को दिए गए कुल ऋण पर वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा मानक आस्तियों के प्रावधान के अतिरिक्त) कर रहा है।

g) Unhedged foreign currency exposure

Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85/21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to Bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the financial year 2024-25, Bank is holding a provision of ₹32.47 Crore (previous year ₹ 6.60 Crore) towards unhedged foreign currency exposure.

Policy to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure are dealt with as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their notification DOR.MRG REC.76/00-00- 007/2022-23 dated 11.10.2022

The Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and Annual Earnings are computed before Interest and Depreciation (EBID) for each borrower entity. UFCE is arrived at first by calculating the gross foreign currency exposure of the entity and then deducting the extent of hedge by way of derivative contract and natural hedge on account of cash flow from operations (of the entity). The extent of potential loss to the entity will be calculated by multiplying the UFCE with Largest Annualised Volatilities (LAV) seen in USD / INR rates during the last ten year period. In case of Overseas Branches / Subsidiaries; potential loss due to UFCE shall be computed by replacing INR with the domestic currency of that jurisdiction and USD with the foreign currency (i.e., currency other than domestic currency of that jurisdiction) in which the entity has maximum exposure. Potential loss on account of exchange rate movements are compared with annual EBID (Earnings Before Interest & Depreciation) and expressed as a percentage of EBID i.e., Potential loss / EBID percentage. As a prudential measure, Bank is holding incremental capital and make incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6. जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए का संकेन्द्रण

क) जमा का संकेन्द्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े वैश्विक जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	179822.72	147479.33
बैंक की कुल वैश्विक जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत	12.3%	11.2%

ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम राशि	169207.43	146380.11
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	11.54%	11.16%

ग) एक्सपोजर का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	172998.20	148202.87
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोजर का प्रतिशत	11.36%	10.93%

घ) एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	10395	13318
कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत	32.97	32.80

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total deposits of the twenty largest depositors	179822.72	147479.33
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total global deposits of the bank	12.3%	11.2%

b) Concentration of advances

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total advances to the twenty largest borrowers	169207.43	146380.11
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	11.54%	11.16%

c) Concentration of exposures

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total exposure to the twenty largest borrowers / customers	172998.20	148202.87
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the Bank on borrowers / customers	11.36%	10.93%

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Total exposure to the top twenty NPA accounts	10395	13318
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs	32.97	32.80

7. व्युत्पत्ती

क) व्युत्पन्न संविभाग का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
ब्याज दर व्युत्पन्न	3846.38	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.21	0.00
एमटीएम – देयताएं	32.66	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	0.00	0.21	0.00
विनिमय दर व्युत्पन्न	5481.91	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	44.96	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00
ऋण जोखिम व्युत्पन्न	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00
अन्य व्युत्पन्न	19.63	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.00	0.00
एमटीएम – संपत्ति	0.00	0.00	0.00
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00

7. Derivatives

a) Details of derivative portfolio

(₹ in Crore)

	Level 1	Level 2	Level 3
Interest Rate Derivatives	3846.38	0.00	0.00
MTM - Assets	0.00	0.21	0.00
MTM - Liabilities	32.66	0.00	0.00
Net Gain/Loss recognized in Profit & loss Account	0.00	0.21	0.00
Exchange Rate Derivatives	5481.91	0.00	0.00
MTM - Assets	44.96	0.00	0.00
MTM - Liabilities	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognized in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00
Credit Risk Derivatives	0.00	0.00	0.00
MTM - Assets	0.00	0.00	0.00
MTM - Liabilities	0.00	0.00	0.00
Net Gain/Loss recognized in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00
Other Derivatives	19.63	0.00	0.00
MTM - Assets	0.00	0.00	0.00
MTM - Liabilities	0.00	0.00	0.00
Net Gain / Loss recognized in Profit & Loss Account	0.00	0.00	0.00

ख) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i. स्वैप करारों का अनुमानित सिद्धांत	0.00	0.00
ii. यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे तो होने वाली हानियाँ	0.00	0.00
iii. स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	0.00	0.00
iv. स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v. स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

b) Forward rate agreement / Interest rate swap

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i. The notional principal of swap agreements	0.00	0.00
ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements	0.00	0.00
iii. Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv. Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v. The fair value of the swap book	0.00	0.00

ग) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i. वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की अनुमानित मूल राशि (लिखत वार)	330	210
ii. 31 मार्च 2024 तक एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की बकाया अनुमानित मूल राशि (लिखत वार)	461.71	210
iii. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न की बकाया अनुमानित मूल राशि जो 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के अनुसार)	शून्य	शून्य
iv. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर व्युत्पन्न का मार्क टू मार्केट मूल्य बकाया है और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं है (लिखत के अनुसार)	शून्य	शून्य

c) Exchange traded interest rate derivatives

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	330	210
ii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2024 (instrument wise)	461.71	210
iii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL
iv. Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)	NIL	NIL

सी) व्युत्पन्न में एक्सपोजर जोखिम पर प्रकटीकरण

1) गुणात्मक प्रकटीकरण

हेजिंग / ट्रेड के लिए व्युत्पन्न लिखतों के उपयोग पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू है।

क) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में नियत ब्याज दर, शून्य कूपन और अस्थिर ब्याज दरों जैसी विशेषताओं वाली आस्ति याँ शामिल हैं और यह ब्याज दर जोखिम के अधीन है। बैंक ने टियर I और टियर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजी लागत नियत दर पर है जिसमें कोई निकास विकल्प नहीं है। नीति इस देयता पर ब्याज दर जोखिम को भी बचाव करने की अनुमति देती है।

बैंक को वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का उपयोग करने की अनुमति है और केवल बिलकुल सादा लेनदेन की अनुमति है। इन लिखतों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, बल्कि मार्केट मेकिंग और ग्राहकों की ओर से बैंक-टू-बैंक आधार पर भी किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वामित्व पोर्टफोलियो के अंतर्गत तथा ग्राहकों की ओर से बैंक-टू-बैंक आधार पर आईआरएस में व्युत्पन्न ट्रेड किए हैं।

वर्ष के दौरान खरीद-बिक्री स्वैप (स्वामित्व) किए गए। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं किया गया।

ख) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ और प्रमुख नियंत्रण सीमाएँ जैसे स्टॉप लॉस सीमाएँ, काउंटरपार्टी एक्सपोजर सीमाएँ, पीवी01 आदि लागू हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। एमआईएस/रिपोर्ट समय-समय पर जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। बकाया व्युत्पन्न सौदों की बचाव प्रभावशीलता की निगरानी अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में पाक्षिक आधार पर की जाती है।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

1) Qualitative disclosures

The Credit Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge / trade is in place.

a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank has also issued Tier I & Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

The Bank is permitted to use Forward Rate Agreement (FRA) and Interest Rate Swap (IRS) and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio, but also for market making and on behalf of clients on back-to-back basis.

During the year the Bank has undertaken derivative trades in IRS under the Proprietary Portfolio and on behalf of clients on back-to-back basis.

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were undertaken during the year.

b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals is monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

ग) लेखांकन नीति

बचाव स्थितियां

- आईआरएस पर ब्याज व्यय / आय के कारण उपार्जन को आय / व्यय के रूप में दर्ज और मान्यता दी जाती है।
- बकाया व्युत्पन्न सौदों की बचाव प्रभावशीलता की निगरानी स्वैप और अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में की जाती है। बैंक ने अंतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य पर पहुंचने के लिए एफआईएमडीए द्वारा घोषित प्रासंगिक आईएनबीएमके यील्ड + स्प्रेड का उपयोग किया है। यदि बचाव प्रभावी नहीं है, तो बचाव स्वैप को ट्रेडिंग स्वैप के रूप में माना जाता है। यदि स्वैप को परिपक्वता से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो उस तिथि तक एमटीएम हानि / लाभ और उपार्जन को आईआरएस पर ब्याज भुगतान / प्राप्त के तहत आय / व्यय के रूप में माना जाता है।

ट्रेडिंग स्थितियां

- ट्रेडिंग स्वैप को लगातार अंतराल पर बाजार मूल्य पर चिह्नित किया जाता है और परिवर्तनों को आय विवरण में दर्ज किया जाता है।
- आईआरएस पर ब्याज व्यय / आय के कारण उपार्जन को आय / व्यय के रूप में दर्ज और मान्यता दी जाती है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत तत्काल आय या व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

c) Accounting Policy

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying Asset / Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps are accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as income / expense under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II मात्रात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025		31.03.2024	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
क)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
i)	हेजिंग के लिए	7923.89	3846.86	23.53	0
ii)	ट्रेडिंग के लिए	35215.70	461.71	7212.13	210
ख)	बाजार के लिए चिह्नित स्थिति				
i)	आस्ति(+)	0	0	0.14	0
ii)	देयता (-)	45.69	32.66	0	0
ग)	ऋण एक्सपोज़र	292.79	32.66	0	0
घ)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
i)	हेजिंग व्युत्पन्नी पर	45.82	116.13	0	0
ii)	ट्रेडिंग व्युत्पन्नी पर	0	0	0	0
ङ)	वर्ष के दौरान देखे गए अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
i)	हेजिंग पर	45.82	116.13	0	0
ii)	ट्रेडिंग पर	0	0	0	0

*31.03.2025 तक एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में बकाया करेंसी फ्यूचर्स

केवल ट्रेडिंग उद्देश्य हेतु ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि 461.71 करोड़ रुपये है।

घ) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप: शून्य

II Quantitative disclosures

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025		31.03.2024	
		Currency derivatives	Interest rate derivatives	Currency derivatives	Interest rate derivatives
a)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
i)	For hedging	7923.89	3846.86	23.53	0
ii)	For trading	35215.70	461.71	7212.13	210
b)	Marked to Market Positions				
i)	Asset (+)	0	0	0.14	0
ii)	Liability (-)	45.69	32.66	0	0
c)	Credit exposure	292.79	32.66	0	0
d)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
i)	On hedging derivatives	45.82	116.13	0	0
ii)	On trading derivatives	0	0	0	0
e)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
i)	On hedging	45.82	116.13	0	0
ii)	On trading	0	0	0	0

*Currency Futures outstanding in NSE, BSE and MCX as on 31.03.2025.

#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹ 461.71 Cr for trading purpose only.

d) Credit default swaps: NIL

8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए आस्ति या रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतिकरण जोखिमों से संबंधित एसपीवी की यहां रिपोर्ट की जाएगी)	-	-
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	-	-
3.	तुलन पत्र की तिथि पर एमआरआर का अनुपालन करने के लिए मूलकर्ता द्वारा रखे गए एक्सपोजर की कुल राशि	-	-
	क) ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
	प्रथम हानि	-	-
	अन्य		
	ख) ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
	प्रथम हानि	-	-
	अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	-	-
	क) ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर		
	प्रथम हानि	-	-
	अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) ऑन-बैलेंस शीट एक्सपोजर		
	i) स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर		
	प्रथम हानि	शून्य	शून्य
	अन्य		
	ii) तीसरे पक्ष के प्रतिभूतिकरण के प्रति एक्सपोजर		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त विक्रय प्रतिफल तथा प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ/हानि	-	-
6.	चलनिधि समर्थन, प्रतिभूतिकरण के बाद आस्ति सेवा आदि के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं का स्वरूप और मात्रा (बकाया मूल्य)।	-	-
7.	प्रदान की गई सुविधा का प्रदर्शन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से जानकारी प्रदान करें जैसे कि क्रेडिट वृद्धि, चलनिधि समर्थन, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के प्रतिशत को कोष्ठक में लिखें।	-	-
	क) भुगतान की गई राशि		
	ख) प्राप्त पुनर्भुगतान	-	-
	ग) बकाया राशि		
8.	पिछले समय में पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर देखी गई। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	-	-
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दिए गए अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें।	-	-
10.	निवेशक शिकायतें	-	-
	क) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;		
	ख) लंबित शिकायतें	-	-

8. Disclosures relating to securitization

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1.	No. of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	-	-
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPEs	-	-
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	First loss	-	-
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	First loss	-	-
	Others		
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss	-	-
	Others		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	First loss		
	Others		
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain / loss on sale on account of securitisation	-	-
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	a) Amount paid		
	b) Repayment received	-	-
	c) Outstanding amount		
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	-	-
9.	Amount and number of additional / top-up loan given on same underlying asset. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10.	Investor complaints	-	-
	a) Directly / Indirectly received and;		
	b) Complaints outstanding	-	-

9. प्रायोजित ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए फंड) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	डीईए फंड में अंतरित की गई राशि का प्रारंभिक शेष	5306.88	4603.78
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित की गई राशि	861.03	1241.82
iii)	घटाएँ: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	107.97	538.71
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	6059.93	5306.88

जैसा कि ऊपर बताया गया है, डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष भी 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं - अन्य' के अंतर्गत शामिल है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPVs Sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	5306.88	4603.78
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	861.03	1241.82
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	107.97	538.71
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	6059.93	5306.88

Closing balance of the amount transferred to DEA Fund as disclosed above is also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other.'

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

क) बैंक को ग्राहकों और लोकपाल कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों की संक्षिप्त जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	2343	3024
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या: क. सामान्य शिकायतें ख. डिजिटल शिकायतें	क. 108037 ख. 289047	क. 116936 ख. 407652
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: क. सामान्य शिकायतें ख. डिजिटल शिकायतें	क. 107600 ख. 289495	क. 117075 ख. 408194
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	29220	15571
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	2332	2343
लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतें			
5.	लोकपाल कार्यालय से बैंक को प्राप्त विचारणीय शिकायतों की संख्या	4983*	5660
5.1	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2222	2113
5.2	5 में से, लोकपाल कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	2761	3547
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0	0
6.	निर्धारित समय के भीतर क्रियान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए अवार्ड छोड़कर)	0	0

*इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विचारणीय शिकायतों के रूप में निष्कर्षित सभी बीओ शिकायतें शामिल हैं।

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

(₹ in Crore)

Sl. No.		Particulars	31.03.2025	31.03.2024
	Complaints received by the Bank from its customers			
1.		Number of Complaints pending at beginning of the year	2343	3024
2.		Number of complaints received during the year: a. General Complaints b. Digital Complaints	a.108037 b.289047	a.116936 b.407652
3.		Number of complaints disposed during the year: a. General Complaints b. Digital Complaints	a.107600 b.289495	a.117075 b.408194
	3.1	Of which, number of Complaints rejected by the Bank	29220	15571
4.		Number of Complaints pending at the end of the year	2332	2343
	Maintainable complaints received by the Bank from the Office of Ombudsman			
5.		Number of maintainable Complaints received by the Bank from the Office of Ombudsman	4983*	5660
	5.1	Of 5, number of Complaints resolved in favour of the Bank by the Office of Ombudsman	2222	2113
	5.2	Of 5, number of Complaints resolved through conciliation/ mediation / advisories issued by the Office of Ombudsman	2761	3547
	5.3	Of 5, number of Complaints resolved after passing of awards by the Office of Ombudsman against the Bank	0	0
6.		Number of awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

*It includes all BO Complaints concluded as Maintainable Complaints by RBI during FY 2024-25.

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

शिकायतों का आधार (यानी जिनसे शिकायतें संबंधित हैं)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	बिंदु 5 में से 30 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
31.03.2025					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	583	145076	-16.10%	294	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	310	76105	-52.76%	145	0
क्रेडिट कार्ड					
प्रभार / अतिरिक्त प्रभार लगाना	372	14703	0.06%	258	0
ऋण और अग्रिम	78	11798	60.69%	280	0
खाता खोलना / खाते के परिचालन में कठिनाई	24	9261	86.04%	158	0
अन्य	976	140141	-7.44%	1197	53
कुल	2343	397084	-24.30%	2332	53
31.03.2024					
इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	1187	172913	-22.63%	583	0
एटीएम / डेबिट कार्ड	353	161106	-36.99%	310	0
क्रेडिट कार्ड	54	13749	-38.38%	61	0
प्रभार / अतिरिक्त प्रभार लगाना	86	14694	100.51%	372	0
शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य समय का पालन	60	10718	15.77%	69	0
अन्य	1284	151408	-22.64%	948	22
कुल	3024	524588	-26.53%	2343	22

b) Top five grounds of Complaints received by the Bank from customers

Grounds of Complaints, (i.e. Complaints relating to)	Number of Complaints pending at the beginning of the year	Number of Complaints received during the year	% increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year	Number of Complaints pending at the end of the year	Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
31.03.2025					
Internet / Mobile / Electronic Banking	583	145076	-16.10%	294	0
ATM / Debit Cards	310	76105	-52.76%	145	0
Credit Cards					
Levy of Charges / Excess Charges	372	14703	0.06%	258	0
Loans and Advances	78	11798	60.69%	280	0
Account opening / difficulty in operation of accounts	24	9261	86.04%	158	0
Others	976	140141	-7.44%	1197	53
Total	2343	397084	-24.30%	2332	53
31.03.2024					
Internet / Mobile / Electronic Banking	1187	172913	-22.63%	583	0
ATM / Debit Cards	353	161106	-36.99%	310	0
Credit Cards	54	13749	-38.38%	61	0
Levy of Charges / Excess Charges	86	14694	100.51%	372	0
Facilities for customers visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch	60	10718	15.77%	69	0
Others	1284	151408	-22.64%	948	22
Total	3024	524588	-26.53%	2343	22

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड (मुद्रा तिजोरी और परिचालन मुद्दों को छोड़कर) का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और
- सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एस.जी.एल के बाउंस होने के लिए)

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Penalties imposed by the Reserve Bank of India (except for currency chest and operational Issues) under the following provisions during the Financial Year 2024-25 are detailed in the below table:

- Banking Regulation Act, 1949
- Payment and Settlement Systems Act, 2007 and
- Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र सं	विनियामक	अधिनियम	उदाहरणों की संख्या	लगाए गए जुर्माने की राशि
1	भारतीय रिजर्व बैंक	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35, 35ए 46, 47ए और 51(1)	-	-
2	भारतीय रिजर्व बैंक	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए, 51(1)	1	1.64
3	भारतीय रिजर्व बैंक	भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	-	-
4	भारतीय रिजर्व बैंक	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एस.जी.एल. के बाउंस होने के लिए)	-	-
कुल			1	1.64

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

नाम और अवधि	पदनाम	2024-25	2023-24
श्री के सत्यनारायण राजु (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्य करने की अवधि के लिए अक्टूबर 2023 में 3,43,258.29 रुपये का पीएलआई जमा किया गया)	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	42,41,160.00	38,61,277.58
श्री देबाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	39,12,885.00	36,18,756.00
श्री अशोक चंद्र (16.01.2025 तक)	कार्यपालक निदेशक	30,57,596.00	34,61,076.00
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया	कार्यपालक निदेशक	34,66,935.00	31,12,162.57
श्री भवेन्द्र कुमार (09.10.2023 से)	कार्यपालक निदेशक	35,27,076.00	15,72,693.17
श्री एस के मजुमदार (24.03.2025 से)	कार्यपालक निदेशक	69,807.48	-
श्री बृज मोहन शर्मा (30.06.2023 तक)	पूर्व कार्यपालक निदेशक	-	40,42,310.00
श्री एस के मजुमदार (23.03.2025 तक)	समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)	75,92,849.87	41,29,546.44
श्री अमित मिश्र (25.03.2025 से)	समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)	63,696.66	-
श्री संतोष कुमार बारिक (21.04.2023 से)	बैंक के कंपनी सचिव	25,01,214.81	23,72,882.88
श्री विनय मोहता (21.04.2023 तक)	बैंक के पूर्व कंपनी सचिव	-	1,40,595.05 (20 दिन का वेतन)
कुल		2,84,33,220.82	2,63,11,299.69

नोट: ऊपर दिए गए आंकड़ों में बैठक शुल्क, पीएलआई और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

एस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन-देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेन-देन शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है।

(₹ in Crore)

Sl. No.	Regulator	Act	No. of Instances	Amount of penalty levied
1	RBI	Sections 35, 35A 46, 47A and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949	-	-
2	RBI	Sections 47A, 51 (1) of Banking Regulation Act, 1949	1	1.64
3	RBI	Payments & Settlement Systems Act, 2007	-	-
4	RBI	Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)	-	-
Total			1	1.64

13. Disclosures on remuneration

(Amount in ₹)

NAME & PERIOD	DESIGNATION	2024-25	2023-24
Shri. K. Satyanarayana Raju (PLI of ₹3,43,258.29/- credited in Oct' 2023 for the period worked as Executive Director)	Managing Director & Chief Executive Officer	42,41,160.00	38,61,277.58
Shri. Debashish Mukherjee	Executive Director	39,12,885.00	36,18,756.00
Shri. Ashok Chandra (Till 16.01.2025)	Executive Director	30,57,596.00	34,61,076.00
Shri. Hardeep Singh Ahluwalia	Executive Director	34,66,935.00	31,12,162.57
Shri. Bhavendra Kumar From 09.10.2023	Executive Director	35,27,076.00	15,72,693.17
Shri. S K Majumdar (From 24.03.2025)	Executive Director	69,807.48	-
Shri. Brij Mohan Sharma Up to 30.06.2023	Ex-Executive Director	-	40,42,310.00
Shri. S K Majumdar (Till 23.03.2025)	Group Chief Financial Officer (GCFO)	75,92,849.87	41,29,546.44
Shri. Amit Mittal (From 25.03.2025)	Group Chief Financial Officer (GCFO)	63,696.66	-
Shri. Santosh Kumar Barik (From 21.04.2023)	Company Secretary of the Bank	25,01,214.81	23,72,882.88
Shri. Vinay Mohta (Till 21.04.2023)	Ex-Company Secretary of the Bank	-	1,40,595.05 (20 days' salary)
Total		2,84,33,220.82	2,63,11,299.69

Note: The figures mentioned above are excluding sitting, PLI and other fees.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

14. अन्य प्रकटीकरण

क) कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.65	7.54
ii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%)	1.43	1.32
iii.	जमा की लागत (%)	5.74	5.50
iv.	निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.80	3.05
v.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%)	2.01	2.04
vi.	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	1.09	1.01
vii.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशि और अग्रिम राशि) [करोड़ रुपये में]	29.30	25.97
viii.	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपये में)	0.21	0.18

ख) बैंकाश्योरेंस कारोबार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आय की प्रकार	31.03.2025	31.03.2024
1	जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचने के लिए	373.31	310.01
2	गैर-जीवन बीमा पॉलिसियाँ (सामान्य और स्वास्थ्य) बेचने के लिए	102.17	92.06
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	67.19	41.93
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ)	-	-
5	पीएमजेबीवाई	9.75	15.50
6	पीएमएसबीवाई	2.47	3.46
7	अन्य (ई_सिंडिकेट नवीनीकरण)	1.94	1.98
	कुल	556.83	464.94

14. Other Disclosures

a) Business ratios

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i.	Interest income as a percentage to Working Funds (%)	7.65	7.54
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.43	1.32
iii.	Cost of Deposits (%)	5.74	5.50
iv.	Net Interest Margin (%)	2.80	3.05
v.	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	2.01	2.04
vi.	Return on Assets (%)	1.09	1.01
vii.	Business (Deposits plus Advances) per employee [in ₹ crore]	29.30	25.97
viii.	Profit per employee (in ₹ crore)	0.21	0.18

b) Bancassurance business

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2025	31.03.2024
1	For selling Life Insurance Policies	373.31	310.01
2	For selling Non-Life Insurance Policies (General and Health)	102.17	92.06
3	For selling Mutual Fund Products	67.19	41.93
4	Other (Health Insurance Policies)	-	-
5	PMJBY	9.75	15.50
6	PMSBY	2.47	3.46
7	Others (e_Syndicate Renewal)	1.94	1.98
	TOTAL	556.83	464.94

ग) विपणन और वितरण:

उनके द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकर-योरेंस कारोबार को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक का ब्यौरा: शून्य

c) Marketing and distribution

The details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding Bancassurance business) undertaken by them: Nil

घ) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(I) बेचे गए पीएसएलसी (वित्त वर्ष 2024-25)

(₹ करोड़ में)

पीएसएलसी श्रेणी	तिमाही	बेची गई इकाइयाँ*	बेची गई राशि	अर्जित कमीशन
पीएसएलसी – लघु एवं सीमांत किसान	जून-2024	2,66,800	66,700	1328.81
	सितम्बर-2024	शून्य		
	दिसंबर-2024	12,000	3,000	87.00
	मार्च-2025	24,000	6,000	130.79
कुल (वित्त वर्ष 2024-25 मार्च 2025 तक)		3,02,800	75,700	1546.60

*एक यूनिट = 25 लाख रुपये

(II) खरीदी गई पीएसएलसी:

सीएफवाई के दौरान खरीदी गई पीएसएलसी सभी श्रेणियों के लिए शून्य है।

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(I) PSLC SOLD (FY 2024-25)

(₹ in Crore)

PSLC Category	Quarter	Units* Sold	Amount Sold	Commission Earned
PSLC - SMALL & MARGINAL FARMERS	Jun-2024	2,66,800	66,700	1328.81
	Sep-2024	Nil		
	Dec-2024	12,000	3,000	87.00
	Mar-2025	24,000	6,000	130.79
Total (FY 2024-25 as at Mar'25)		3,02,800	75,700	1546.60

*One unit = ₹25 lakhs

(II) PSLC PURCHASED:

The PSLC purchased during CFY is Nil for all categories.

ड) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रावधान लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया	31.03.2025	31.03.2024
निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	-1090.70	910.92
एनपीए के लिए प्रावधान	9586.4	9005.22
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया	336.13	231.19
कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)	5600.00	5150.65
डीएफवी के लिए प्रावधान	-128.17	-125.37
संपत्ति की वसूली के संदेह के लिए प्रावधान	44.86	47.01
देश जोखिम के लिए प्रावधान	0	0
एफआईटीएल और अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	15.02	-361.36
कुल	14363.59	14858.26

च) आईएफआरएस एकीकृत भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (IndAS) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संसूचना संदर्भ: डीबीआर. बीपी.बीसी.नं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए Ind AS के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक सितंबर 2021 से शुरू होने वाले प्रत्येक छमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को IndAS प्रो-फॉर्म वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

e) Provisions and contingencies

(₹ in Crore)

Provision debited to Profit and Loss Account	31.03.2025	31.03.2024
Provisions for Depreciation on Investment and NPI	-1090.70	910.92
Provision towards NPA	9586.4	9005.22
Provision made towards standard assets	336.13	231.19
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	5600.00	5150.65
Provision for DFV	-128.17	-125.37
Provision for Asset Doubtful of Recovery	44.86	47.01
Provision for Country Risk	0	0
Provision for FITL and other contingencies	15.02	-361.36
Total	14363.59	14858.26

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR. BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Ind AS Pro-Forma Financial Statements to RBI for every half year starting from September 2021 as per the guidelines of RBI.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान
(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	1696.22	1525.85
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

ज) चालू कर व्यय और स्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार किया जाता है, जिसमें विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को भी शामिल किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

झ) बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण - शून्य

ञ) बैंकों द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई भी चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के पक्ष में दिनांक 03/08/2009 को जारी केवल एक एल.ओ.सी. आज की तिथि तक बकाया है।

वित्तीय प्रभाव

चूंकि हमारा प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं कर रहा है, इसलिए सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के पक्ष में जारी एलओसी का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों के पक्ष में बैंक द्वारा जारी किए गए वचन-सह-क्षतिपूर्ति पत्र के संबंध में प्रकटीकरण:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने कैनबैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की पूर्ववर्ती कैनस्टार योजना से संबंधित एक लंबित मुकदमे के संबंध में ट्रस्टी केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के पक्ष में 13.05 करोड़ रुपये का वचन-सह-क्षतिपूर्ति पत्र जारी किया है।

बैंक ने इस संबंध में पहले ही 100% प्रावधान कर रखा है।

g) Payment of DICGC Insurance Premium
(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	1696.22	1525.85
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	Nil

h) The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22 "Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

i) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of Bank - Nil

j) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by Bank

Bank has not issued any Letters of Comfort during the financial year 2024-25.

Only one LOC issued vide dated 03/08/2009 in favour of Central Bank of UAE on behalf of Representative Office, Sharjah is outstanding as on date.

Financial Impact

As our Representative Office, Sharjah is not undertaking any commercial operations; there is no financial impact of LOC issued in favour of Central Bank of UAE.

Disclosure regarding Letter of Undertaking-cum-Indemnity issued by the Bank in favour of Trustees, Canara Robeco Mutual Fund:

During FY 2023-24, the Bank has issued Letter of Undertaking-Cum-Indemnity for ₹13.05 Cr. in favour of Trustees, Canara Robeco Mutual Fund with regards to one pending litigation pertaining to erstwhile Canstar Scheme of Canbank Investment Management Services.

The Bank is already holding 100% provision in this regard.

(ट) हरित जमा राशियों से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की जानकारी

विवरण	चालू वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	संचयी
जुटाई गई कुल हरित जमा (क)	134.71	लागू नहीं	134.71
हरित जमा निधि का उपयोग			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा	-	-	-
(2) ऊर्जा दक्षता	-	-	-
(3) स्वच्छ परिवहन	134.71	लागू नहीं	134.71
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन	-	-	-
(5) सतत जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन	-	-	-
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण	-	-	-
(7) हरित इमारतें	-	-	-
(8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन	-	-	-
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण	-	-	-
कुल आवंटित हरित जमा निधि (ख = 1 से 9 का योग)	134.71	लागू नहीं	134.71
आवंटित नहीं की गई हरित जमा निधि की राशि (ग = क - ख)	शून्य	लागू नहीं	शून्य
पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं को आवंटित किये जाने तक हरित जमा राशि के अस्थायी आवंटन का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(k) Portfolio-level information on the use of funds raised from Green Deposits

Particulars	Current Financial Year	Previous Financial Year	Cumulative
Total Green Deposits raised (A)	134.71	NA	134.71
Use of Green Deposit Funds**			
(1) Renewable Energy	-	-	-
(2) Energy Efficiency	-	-	-
(3) Clean Transportation	134.71	NA	134.71
(4) Climate Change Adaptation	-	-	-
(5) Sustainable Water and Waste Management	-	-	-
(6) Pollution Prevention and Control	-	-	-
(7) Green Buildings	-	-	-
(8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use	-	-	-
(9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation	-	-	-
Total Green Deposit Funds allocated (B = Sum of 1 to 9)	134.71	NA	134.71
Amount of Green Deposit Funds not allocated (C = A - B)	NIL	NA	NIL
Details of the temporary allocation of Green Deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities / projects	NA	NA	NA

15. लेखांकन मानक

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी विभिन्न लेखांकन मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित जानकारी का प्रकटन किया जाता है:

क) लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

इसमें पूर्व अवधि की कोई सामग्री नहीं है।

ख) लेखांकन मानक 11 - विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव

विदेशी मुद्रा से जुड़े लेन-देन का लेखा-जोखा आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है। एएस-11 के अनुसार, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को क) समाकलन परिचालन और ख) असमाकलन परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, विदेशी सहायक कंपनियों को असमाकलन परिचालन माना जाता है तथा विदेशी मुद्रा विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालय क्षेत्र में घरेलू परिचालन को समाकलन परिचालन माना जाता है।

ग) लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ:

बैंक के दायित्वों और अंशदानों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए ग्रेच्युटी, पेंशन और विशेषाधिकार अवकाश के संबंध में बीमांकिक धारणाएं विभिन्न मापदंडों को तय करके बनाई गई हैं।

- आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) में उल्लिखित मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि।
- विगत अनुभव और अपेक्षित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में अपवर्तन दर, तथा इसमें मृत्यु के अलावा सभी प्रकार की निकासी शामिल है, लेकिन इसमें विकलांगता के कारण होने वाली निकासी भी शामिल है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखा बहियों में बीमारी अवकाश का प्रावधान किया गया है।

15. Accounting Standards

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

a) **Accounting Standard 5 - Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:**

There are no material prior period items.

b) **Accounting Standard 11 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates**

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In the terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations.

All overseas branches, offshore banking units, overseas subsidiaries are treated as non-integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices area treated as integral operations.

c) **Accounting Standard 15 - Employee Benefits**

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the Bank, have been made by fixing various parameters for:

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15 (Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

प्रमुख बीमांकिक धारणाएं

	विवरण	ग्रेच्युटी	पेंशन	विशेषाधिकार अवकाश
1	छूट की दर (%)	6.98	6.73	6.98
2	पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल	6.98	6.73	--
3	वेतन वृद्धि	5.60	5.60	5.60
4	पेंशन वृद्धि	1.30	2.00	1.30
5	मृत्यु दर	आईएएलएम (2012-14)यूएलटी	आईएएलएम (2012-14)यूएलटी	आईएएलएम (2012-14)यूएलटी

Principal Actuarial Assumptions

	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
1	Discount Rate (%)	6.98	6.73	6.98
2	Expected Return on Capital	6.98	6.73	--
3	Salary Escalation	5.60	5.60	5.60
4	Pension Escalation	1.30	2.00	1.30
5	Mortality	IALM (2012-14) ULT	IALM (2012-14) ULT	IALM (2012-14) ULT

क) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में दायित्व और आस्तियों में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

क. परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन		ग्रेच्युटी		पेंशन		अर्जित अवकाश	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	वर्ष की शुरुआत में डीबीओ	3,964.02	2,941.46	28,991.74	27,656.53	2,830.01	2,311.11
2	सेवा लागत	292.51	263.64	2,125.86	2,007.79	696.69	627.60
3	ब्याज लागत	262.90	199.18	1,816.58	1,856.62	186.40	147.54
4	पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
5	बीमांकिक हानि/लाभ	912.18	925.12	1,986.51	1,139.33	-252.81	279.05
6	लाभ भुगतान	-395.00	-365.38	-3,999.00	-3,668.53	-319.00	-535.29
7	वर्ष के अंत में डीबीओ	5,036.61	3,964.02	30,921.69	28,991.74	3,141.29	2,830.01

A) Change in obligation and assets over the year ended 31st March 2025

(₹ in Crore)

A. Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	DBO at beginning of the year	3,964.02	2,941.46	28,991.74	27,656.53	2,830.01	2,311.11
2	Service Cost	292.51	263.64	2,125.86	2,007.79	696.69	627.60
3	Interest Cost	262.90	199.18	1,816.58	1,856.62	186.40	147.54
4	Past Service Cost	-	-	-	-	-	-
5	Actuarial Losses / (Gains)	912.18	925.12	1,986.51	1,139.33	-252.81	279.05
6	Benefit Payments	-395.00	-365.38	-3,999.00	-3,668.53	-319.00	-535.29
7	DBO at end of the year	5,036.61	3,964.02	30,921.69	28,991.74	3,141.29	2,830.01

(₹ करोड़ में)

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन		ग्रेच्युटी		पेंशन		अर्जित अवकाश	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,616.00	3,379.28	27,492.00	26,711.29	-	--
2	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	252.40	243.98	1,850.21	1,920.54	-	--
3	वास्तविक कर्मचारी योगदान	688.00	341.84	1,872.00	2,120.75	-	--
4	वास्तविक लाभ / हानि	477.60	16.28	992.79	407.95	-	--
5	लाभ भुगतान	-395.00	-365.38	-3,999.00	-3,668.53	-	--
6	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,639.00	3,616.00	28,208.00	27,492.00	-	--

(₹ in Crore)

B. Changes in Fair Value of Assets		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	3,616.00	3,379.28	27,492.00	26,711.29	-	--
2	Expected Return on Plan assets	252.40	243.98	1,850.21	1,920.54	-	--
3	Actual Employee contributions	688.00	341.84	1,872.00	2,120.75	-	--
4	Actuarial Gain / (Loss)	477.60	16.28	992.79	407.95	-	--
5	Benefits Payments	-395.00	-365.38	-3,999.00	-3,668.53	-	--
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,639.00	3,616.00	28,208.00	27,492.00	-	--

31 मार्च 2025 तक तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता

(राशि ₹ करोड़ में)

		ग्रेच्युटी		पेंशन		विशेषाधिकार अवकाश	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,036.60	3,964.02	30,921.68	28,991.74	-	--
2	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4,639.00	3,616.00	28,208.00	27,492.00	-	--
3	वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]	-397.60	-348.02	-2,713.68	-1,499.74	-	--
4	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	-397.60	-348.02	-2,713.68	-1,499.74	-	--

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31st March 2025

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Present Value of Defined Benefit Obligation	5,036.60	3,964.02	30,921.68	28,991.74	-	--
2	Fair Value of Plan Assets	4,639.00	3,616.00	28,208.00	27,492.00	-	--
3	Funded Status [Surplus / (Deficit)]	-397.60	-348.02	-2,713.68	-1,499.74	-	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	-397.60	-348.02	-2,713.68	-1,499.74	-	--

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय का प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

		ग्रेच्युटी		पेंशन		विशेषाधिकार अवकाश	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतः बीमित लाभों के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	292.51	263.64	2,125.85	2,007.79	696.69	627.60
2	ब्याज लागत	262.90	199.18	1,816.58	1,856.62	186.40	147.54
3	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	252.40	243.98	1,850.21	1,920.54	-	--
4	पिछली सेवा लागत	-	--	-	--	-	--
5	वास्तविक हानि / लाभ	434.57	908.84	993.72	731.38	-252.81	279.05
6	लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	737.58	1,127.68	3,085.25	2,675.25	630.28	1,054.19

बैंक के पास विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए 73.83 करोड़ रुपए का प्रावधान है, हालांकि कोई भुगतान नहीं किया जाता है।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31 March 2025

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	292.51	263.64	2,125.85	2,007.79	696.69	627.60
2	Interest Cost	262.90	199.18	1,816.58	1,856.62	186.40	147.54
3	Expected Return on Plan Assets	252.40	243.98	1,850.21	1,920.54	-	--
4	Past Service Cost	-	--	-	--	-	--
5	Actuarial Losses / (Gains)	434.57	908.84	993.72	731.38	-252.81	279.05
6	Total Employer Expense recognized in P&L	737.58	1,127.68	3,085.25	2,675.25	630.28	1,054.19

Bank is having a provision of ₹73.83 Cr. toward Sick Leave on prudential basis though there is no pay-out.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

		ग्रेच्युटी		पेंशन		अर्जित अवकाश	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	अवधि की शुरुआत में निवल आस्ति / (देयता)	348.02	-437.82	1,499.74	945.24	2,830.01	2,311.11
2	नियोक्ता व्यय	737.59	1,127.68	3,086.95	2,675.25	-	1,054.19
3	नियोक्ता योगदान	688.00	341.84	1,872.00	2,120.75	630.41	--
4	प्रदत्त लाभ	-	--	-	--	--	-535.29
5	अधिग्रहण / व्यावसायिक संयोजन	-	--	-	--	-	-
6	अवधि के अंत में निवल आस्ति / (देयता)	397.60	348.02	2,713.68	1,499.74	3,141.42	2,830.01

*ये आंकड़े पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनः बताए गए/पुनः समूहीकृत किए गए हैं।

Reconciliation of Net Assets / Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31st March 2025

(₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2025	2024	2025	2024	2025	2024
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	348.02	-437.82	1,499.74	945.24	2,830.01	2,311.11
2	Employer Expenses	737.59	1,127.68	3,086.95	2,675.25	-	1,054.19
3	Employer Contributions	688.00	341.84	1,872.00	2,120.75	630.41	--
4	Benefits Paid	-	--	-	--	--	-535.29
5	Acquisitions / Business Combinations	-	--	-	--	-	-
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	397.60	348.02	2,713.68	1,499.74	3,141.42	2,830.01

*The figures have been re-stated / re-grouped as per Audited Balance sheet for the Previous Year

नई पेंशन योजना अंशदान

बैंक के पास एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों पर लागू होती है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के तहत एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सेक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

भविष्य निधि

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	0.47	0.26

New Pension Scheme Contribution

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

Provident Fund

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Employer's contribution to Provident Fund	0.47	0.26

घ) लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग
भाग क - कारोबार क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र	कोष		कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग कारोबार		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
राजस्व	27686.00	24628.54	49260.16	42159.01	65261.71	60866.82	-	-	142207.87	127654.37
परिणाम	7839.68	4659.01	-981.51	-1408.38	15780.13	16454.35	-	-	22626.67	19704.98
आबंटित नहीं किए गए व्यय									-	-
परिचालन लाभ									-	-
आय कर									5600.00	5150.65
असाधारण लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल लाभ									17026.67	14554.33
अन्य सूचना:										
खंड संपत्ति	467087.65	408277.75	557950.21	520333.99	592632.60	528695.36	-	-	1617670.46	1457307.10
आबंटित नहीं किए गए संपत्ति									65179.14	34233.62
कुल संपत्ति									1682849.60	1491540.72
खंड देयता	419200.86	379860.28	550625.55	515776.21	579144.81	476773.56	-	-	1548971.22	1372410.04
आबंटित नहीं किए गए देयता									33978.27	32176.08
कुल देयता									1582949.49	1404586.12

भाग ख: भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

	घरेलू		अंतरराष्ट्रीय		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क) राजस्व	135506.77	121217.24	6701.10	6437.13	142207.87	127654.37
(ख) आस्तियां	1540299.14	1379471.64	142550.46	112069.08	1682849.60	1491540.72

d) Accounting Standard 17 - Segment Reporting
Part A - Business Segments

(₹ in Crore)

Business Segments Particulars	Treasury		Corporate / Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Business		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Revenue	27686.00	24628.54	49260.16	421159.01	65261.71	60866.82	-	-	142207.87	127654.37
Result	7839.68	4659.01	-981.51	-1408.38	15780.13	16454.35	-	-	22626.67	19704.98
Unallocated expenses									-	-
Operating profit									-	-
Income taxes									5600.00	5150.65
Extraordinary profit / loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Net profit									17026.67	14554.33
Other information:										
Segment assets	467087.65	408277.75	557950.21	520333.99	592632.60	528695.36	-	-	1617670.46	1457307.10
Unallocated assets									65179.14	34233.62
Total assets									1682849.60	1491540.72
Segment liabilities	419200.86	379860.28	550625.55	515776.21	579144.81	476773.56	-	-	1548971.22	1372410.04
Unallocated liabilities									33978.27	32176.08
Total liabilities									1582949.49	1404586.12

Part B: Geographic Segment

(₹ in Crore)

	Domestic		International		Total	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
(a) Revenue	135506.77	121217.24	6701.10	6437.13	142207.87	127654.37
(b) Assets	1540299.14	1379471.64	142550.46	112069.08	1682849.60	1491540.72

ड) लेखांकन मानदंड 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण
संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - मूल बैंक - केनरा बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

- i) श्री के. सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- ii) श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- iii) श्री अशोक चंद्र, कार्यपालक निदेशक (16 जनवरी 2025 तक)
- iv) श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यपालक निदेशक
- v) श्री भवेंद्र कुमार, कार्यपालक निदेशक
- vi) श्री एस के मजुमदार, कार्यपालक निदेशक (24 मार्च 2025 से)
- vii) श्री एस के मजुमदार, समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (24 मार्च 2025 तक)
- viii) श्री अमित मित्तल, समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (25 मार्च 2025 से)
- ix) श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव

मूल -

- i) केनरा बैंक

सहायक संस्थाएं -

- i) कैनेबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- ii) कैनेबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
- iii) कैनेबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- iv) केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- v) कैनेबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- vi) केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में गिल्ट सिक्क्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
- vii) केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- viii) केनरा (तंजानिया) लिमिटेड**
- ix) सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2024 से)

** बैंक की पूर्ण सहायक कंपनी केनरा तंजानिया लिमिटेड (परिसमापन में) (सीटीएल) ने अपनी प्रमुख आस्तियों और देनदारियों को मेसर्स एक्जिम बैंक तंजानिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है और लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इसके बाद कंपनी सीटीएल ने परिसमापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

संयुक्त उद्यम - शून्य

e) Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures
Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

Key Management Personnel -

- i) Shri. K. Satyanarayana Raju, Managing Director & Chief Executive Officer
- ii) Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director
- iii) Shri. Ashok Chandra, Executive Director (till 16th January 2025)
- iv) Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director
- v) Shri. Bhavendra Kumar, Executive Director
- vi) Shri. S K Majumdar, Executive Director (w.e.f. 24th March 2025)
- vii) Shri. S K Majumdar, Group Chief Financial Officer (24th March 2025)
- viii) Shri. Amit Mittal, Group Chief Financial Officer (w.e.f. 25th March 2025)
- ix) Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary

Parent -

- i) Canara Bank

Subsidiaries -

- i) Canbank Financial Services Ltd.
- ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- iii) Canbank Factors Ltd.
- iv) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
- v) Canbank Computer Services Ltd.
- vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)
- vii) Canara HSBC Life Insurance Company Ltd.
- viii) Canara (Tanzania) Ltd.**
- ix) CRMF Trustee Private Limited (From Nov 2024)

** Canara Tanzania Ltd. (In Liquidation) (CTL), a wholly-owned subsidiary of the Bank has transferred its major assets and liabilities to M/s. Exim Bank Tanzania Ltd., and surrendered the license. Thereafter the company CTL has started the process of liquidation.

Joint Ventures - Nil

एसोसिएट्स -

- i) केनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक#
 - क) कर्नाटक ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
 - ख) केरल ग्रामीण बैंक
(तत्कालीन दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक)
 - ग) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
 - घ) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 07.04.2025 के पत्र संख्या सीजीएच-डीएल-ई-07042025-262329 के माध्यम से 01.05.2025 से "एक राज्य-एक आरआरबी" की अवधारणा के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय का प्रस्ताव रखा है। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के विलय का विवरण इस प्रकार है:

राज्य	अंतरणकर्ता आरआरबी	अंतरणकर्ता आरआरबी के प्रायोजक बैंक	एकीकृत आरआरबी	अंतरित आरआरबी का प्रायोजक बैंक
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कर्नाटक	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
	कर्नाटक ग्रामीण बैंक			

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) (अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई)), भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत आस्तियों

Associates -

- i) Can Fin Homes Ltd.
- ii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank#
 - a) Karnataka Gramin Bank
(Erstwhile Pragati Krishna Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank
(Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
 - c) Andhra Pragathi Grameena Bank
 - d) Karnataka Vikas Grameena Bank

Vide letter No. CGH-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has proposed amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) under the concept "One State - One RRB" w.e.f. 01.05.2025. The Bank's investments in these RRBs are included in its financial statements as at 31st March 2025. Details of the amalgamation of RRBs sponsored by our Bank are as under:

State	Transferor RRB	Sponsor Bank of Transferor RRB	Amalgamated RRB	Sponsor Bank of Transferee RRBs
Andhra Pradesh	Andhra Pragathi Grameena Bank	Canara Bank	Andhra Pradesh Grameena Bank	Union Bank of India
Karnataka	Karnataka Vikas Grameena Bank	Canara Bank	Karnataka Grameena Bank	Canara Bank
	Karnataka Gramin Bank			

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of Ministry of Human Resources Development (MHRD) (now Ministry of Education (MoE)), Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%).

के निर्माण, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना, आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएमएस, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से एक मंच प्रदान करने के लिए वित्तपोषण करना है।

इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय (पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने 2000 करोड़ रुपये की आरंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है तथा केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

इसके बाद, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। 31.03.2025 तक, मंत्रालय ने 4,812.50 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने 481.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

The Objective is for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India, building world class educational institutes, setting up research facilities, intending to provide a platform through special purpose vehicle for improvement of infrastructure standards of IITs, IIMs, AIIMS, IISc, NIT, IIIT etc.

Based on this the MoE (erstwhile MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2025, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹481.25 Cr.

31.03.2025 तक अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगी कंपनियां	सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	केएमपी के रिश्तेदार	कुल
उधार -					
वर्ष के अंत तक बकाया	0.00 (0.00)	0.50 (0.00)	-	-	0.50 (0.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.00)	0.50 (0.00)	-	-	0.50 (0.00)
जमाराशि -					
वर्ष के अंत तक बकाया	234.86 (233.14)	305.75 (456.13)	-	-	540.62 (689.27)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	234.86 (235.69)	456.33 (456.13)	-	-	691.19 (691.82)
जमाराशि का स्थान -					
वर्ष के अंत तक बकाया	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (0.00)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (0.00)
अग्रिम राशि -					
वर्ष के अंत तक बकाया राशि	17.87 (510.57)	2765.75 (1480.20)	-	-	2783.61 (1990.77)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	17.87 (513.15)	2798.23 (1520.00)	-	-	2816.09 (2033.15)
अचल संपत्तियों की खरीद -					
वर्ष के अंत तक बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	-	-	-	-	-
चालू खाते में शेष राशि (निवल)					
वर्ष के अंत तक बकाया	153.72 (3.18)	168.17 (116.07)	-	-	321.89 (119.25)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	153.72 (3.18)	168.17 (116.07)	-	-	321.89 (119.25)
अन्य प्राप्य -					
वर्ष के अंत तक बकाया	16.51 (0.27)	0.00 (0.00)	-	-	16.51 (0.27)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	16.51 (0.27)	0.00 (0.00)	-	-	16.51 (0.27)
अंतर बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र - सहभागिता					
वर्ष के अंत तक बकाया	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	-	-	-	-	-

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Ventures as on 31.03.2025 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	0.00 (0.00)	0.50 (0.00)	-	-	0.50 (0.00)
Maximum outstanding during the year	0.00 (0.00)	0.50 (0.00)	-	-	0.50 (0.00)
Deposits -					
Outstanding as at the year end	234.86 (233.14)	305.75 (456.13)	-	-	540.62 (689.27)
Maximum outstanding during the year	234.86 (235.69)	456.33 (456.13)	-	-	691.19 (691.82)
Placement of Deposits -					
Outstanding as at the year end	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (0.00)
Maximum outstanding during the year	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (0.00)
Advances -					
Outstanding as at the year end	17.87 (510.57)	2765.75 (1480.20)	-	-	2783.61 (1990.77)
Maximum outstanding during the year	17.87 (513.15)	2798.23 (1520.00)	-	-	2816.09 (2033.15)
Purchase of Fixed Assets -					
Outstanding as at the year end	-	-	-	-	-
Maximum outstanding during the year	-	-	-	-	-
Balance in Current Account (Net)					
Outstanding as at the year end	153.72 (3.18)	168.17 (116.07)	-	-	321.89 (119.25)
Maximum outstanding during the year	153.72 (3.18)	168.17 (116.07)	-	-	321.89 (119.25)
Other Receivable-					
Outstanding as at the year end	16.51 (0.27)	0.00 (0.00)	-	-	16.51 (0.27)
Maximum outstanding during the year	16.51 (0.27)	0.00 (0.00)	-	-	16.51 (0.27)
Inter Bank Participation Certificate - Participated					
Outstanding as at the year end	-	-	-	-	-
Maximum outstanding during the year	-	-	-	-	-

यथा दिनांक 31.03.2024 को अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अनुषंगी कंपनियां	सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	केएमपी के रिश्तेदार	कुल
अन्य देय वर्ष के अंत तक बकाया	1.22 (1.55)	0.00 (0.00)	-	-	1.22 (1.55)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	1.22 (1.55)	0.00 (0.00)	-	-	1.22 (1.55)
गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएँ वर्ष के अंत तक बकाया	0.00 (4.05)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (4.05)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (4.05)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (4.05)
प्रदत्त ब्याज	14.70 (13.44)	33.83 (22.62)	-	-	48.53 (36.06)
प्राप्त ब्याज	27.30 (37.37)	145.89 (107.60)	-	-	173.20 (144.97)
प्राप्त लाभांश	45.69 (48.62)	15.98 (0.00)	-	-	61.67 (48.62)
प्रदत्त प्रीमियम	625.85 (598.92)	0.00 (0.00)	-	-	625.85 (598.92)
सेवा प्रदान करना	36.51 (1.16)	13.24 (0.89)	-	-	49.75 (2.05)
सेवाओं के लिए प्राप्ति	65.67 (52.85)	0.00 (0.00)	-	-	65.67 (52.85)
प्राप्त कमीशन	376.36 (303.94)	0.00 (0.00)	-	-	376.36 (303.94)
प्रदत्त लाभांश	0.00 (0.00)	0.21 (0.15)	-	-	0.21 (0.15)

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Ventures as on 31.03.2025 are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Other Payable					
Outstanding as at the year end	1.22 (1.55)	0.00 (0.00)	-	-	1.22 (1.55)
Maximum outstanding during the year	1.22 (1.55)	0.00 (0.00)			1.22 (1.55)
Non-Funded Commitments					
Outstanding as at the year end	0.00 (4.05)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (4.05)
Maximum outstanding during the year	0.00 (4.05)	0.00 (0.00)	-	-	0.00 (4.05)
Interest Paid	14.70 (13.44)	33.83 (22.62)	-	-	48.53 (36.06)
Interest Received	27.30 (37.37)	145.89 (107.60)	-	-	173.20 (144.97)
Dividend Received	45.69 (48.62)	15.98 (0.00)	-	-	61.67 (48.62)
Premium Paid	625.85 (598.92)	0.00 (0.00)	-	-	625.85 (598.92)
Rendering of Service	36.51 (1.16)	13.24 (0.89)	-	-	49.75 (2.05)
Receiving for Services	65.67 (52.85)	0.00 (0.00)	-	-	65.67 (52.85)
Commission Received	376.36 (303.94)	0.00 (0.00)	-	-	376.36 (303.94)
Dividend Paid	0.00 (0.00)	0.21 (0.15)	-	-	0.21 (0.15)

च) लेखांकन मानक 27 - संयुक्त उद्यमों में ब्याजों की वित्तीय रिपोर्टिंग

लागू नहीं, क्योंकि 31-03-2025 तक किसी भी संयुक्त उद्यम में कोई ब्याज नहीं है।

छ) लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि

वर्ष के अंत में आस्तियों की हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी ऐसी घटनाएं या परिस्थितियों में परिवर्तन हो कि आस्ति की अग्रणीत राशि वसूली योग्य न हो। किसी आस्ति की वसूली योग्यता को उस आस्ति की वहन राशि की तुलना करके मापा जाता है, जो आस्ति द्वारा उत्पन्न होने की उम्मीद वाले भविष्य के निवल छूट वाले नकदी प्रवाह से की जाती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो पहचानी जाने वाली हानि को आस्ति की वहन राशि द्वारा मापा जाता है, जो आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। हालाँकि, बैंक के प्रबंधन के विचार में, उस वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू होती है।

16. 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल ₹3,000 करोड़ के बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बांड और ₹4,000 करोड़ के टियर II बांड जारी किए हैं और परिपक्वता के कारण ₹4,150 करोड़ के बेसल III अनुपालक टियर II बांड और ₹1,500 करोड़ के अतिरिक्त टियर I बांड का मोचन किया है।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीओआर. एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13 दिसंबर, 2022 अनुसूची 5/11/14/16 के अंतर्गत मद का विवरण अर्थात् अन्य देयताएं / अन्य संपत्तियां/अन्य आय /कुल संपत्ति/कुल आय के 1% से अधिक अन्य व्यय निम्नानुसार हैं:

f) Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Not applicable, since no interest in any Joint Venture as on 31-03-2025.

g) Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

16. During the year ended 31.03.2025, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹3,000 Crore and Tier II Bonds of ₹4,000 Crore through private placement and redeemed of ₹4,150 Crore Basel III Compliant Tier II Bonds and ₹1,500 Crore Additional Tier I Bonds due to maturity.

17. As per RBI guidelines, DOR.ACC.REC. No.91/21.04.018/2022-23 dated December 13, 2022 the details of the item under Schedule 5/11/14/16 i.e. Other Liabilities/Other Assets/ Other Income / other expenses exceeding 1% of the total Assets/ Total income is as under:

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	उपशीर्षक / शीर्षक के अंतर्गत मद	राशि करोड़ में.	राशि % में
उपशीर्षक के अंतर्गत कोई भी मद	तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए खातों में प्रतिलेखन	6757.97	4.75%
विविध आय शीर्ष के अंतर्गत	अन्य विविध आय (मुख्यतः पीएसएलसी कमीशन)	3351.81	2.36%
अनुसूची 14 – अन्य आय” के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक है।	सेवा शुल्क	1546.60	1.09%
	अन्य विविध आय (मुख्यतः पीएसएलसी कमीशन)	1803.92	1.27%

For year ended 31.03.2025	Item under the Subhead / Head	Amount in Crore (₹)	Amount in %
Any Item under the subhead	Write Back in Technical Written Off Accounts	6757.97	4.75%
Miscellaneous Income under the head	Other Misc. Income (mainly PSLC Comm)	3351.81	2.36%
Schedule 14- Other Income exceeds one percent of the total income	Service Charges	1546.60	1.09%
	Other Misc. Income (mainly PSLC Comm)	1803.92	1.27%

18. वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिज़र्व में 1,000 करोड़ रुपये अंतरित किए हैं।
18. During the year, Bank has transferred ₹1,000 crore to Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961.
19. भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2024-25/135 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.72/21.04.048/ 2024-25 मार्च 29, 2025 के अनुसार; सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति प्राप्तियों के लिए दिशानिर्देशों पर, बैंकों को निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को ऋण अंतरण के वर्ष में लाभ और हानि खाते में किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को रद्द करने की अनुमति है, बशर्ते कि केवल नकदी और भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर पर विचार किया जाए। ऐसे लिखतों के लिए प्राप्त रिकवरी रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके ऐसे एसआर का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 25 की चौथी तिमाही में, बैंक ने एनएआरसीएल को अंतरित ऋणों पर रखे गए लाभ और हानि खाते में ₹1724.38 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को उलट दिया है। इसके अलावा बैंक ने 31.03.2025 तक सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के उचित मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में 97.02 करोड़ रुपये की अप्रति लाभ दर्ज किया है।
19. As per RBI circular RBI/DOR/2024-25/135 DOR. STR.REC.72/21.04.048/ 2024-25 March 29, 2025; on guidelines for government-guaranteed security Receipts, banks are permitted to reverse any excess provision to the profit and loss Account in the year of transfer of loan to Asset reconstruction company (ARC) for the value higher than the net book value (NBV), provided the consideration consists solely of cash and SRs guaranteed by the Government of India. Such SRs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments. In Q4 FY25, the Bank has reversed excess provision of ₹1724.38 Crore to the Profit and Loss Account held on loans transferred to NARCL. Further the Bank has accounted unrealized gain in the Profit & Loss account amounting to ₹97.02 crore on account of fair valuation of Security Receipts guaranteed by Government as on 31.03.2025
20. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
20. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged / reclassified wherever necessary.

अंजनेयुलु चेरुकुरी
मंडल प्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
सहायक महाप्रबंधक

मोहम्मद मोइन
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल
महाप्रबंधक व जीसीएफओ

एस के मजूमदार
कार्यपालक निदेशक

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह आहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

रोहित दास
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

हेमंत बुच
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस
(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू
(रुषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता सं: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस
(एस.अनंतन)
साझेदार
सदस्यता सं: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी
(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई
(अमित विश्वास)
साझेदार
सदस्यता सं: 052296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

ANJANEYULU CHERUKURI
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
ASSISTANT GENERAL
MANAGER

MOHD. MOIN
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER & GCFO

S K MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH
AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

ROHIT DAS
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

HEMANT BUCH
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN
Chartered Accountants
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO
Chartered Accountants
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(RUSHIKESH VILAS
DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:077201

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित) यथा 31.03.2025 तक

31 मार्च 2025 तक बेसल III – पिलर 3 प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर 'नियामक प्रकटीकरण अनुभाग' के अंतर्गत उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें - <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/DF%20TABLE%201%20TO%2018%2031032025.pdf>

इस अनुभाग में निम्नलिखित प्रकटीकरण हैं :

तालिका	विवरण
डीएफ - 1	आवेदन का दायरा और पूंजी पर्याप्तता
डीएफ - 2	पूंजी पर्याप्तता
डीएफ - 3	ऋण जोखिम : सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ - 4	क्रेडिट जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण
डीएफ - 5	क्रेडिट जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण
डीएफ - 6	प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण
डीएफ - 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
डीएफ - 8	परिचालन जोखिम
डीएफ - 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
डीएफ - 10	प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण
डीएफ - 11	पूंजी की संरचना
डीएफ - 12	पूंजी की संरचना- समाधान आवश्यकताएँ
डीएफ - 13	विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
डीएफ - 14	विनियामक पूंजी लिखतों की पूर्ण शर्तें और नियम
डीएफ - 15	पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ
डीएफ - 16	इक्विटीज़ - बैंकिंग बही की स्थिति के लिए प्रकटीकरण
डीएफ - 17	लेखांकन आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात जोखिम माप की सारांश तुलना
डीएफ - 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) AS AT 31.03.2025

Basel III - Pillar 3 disclosures as at 31st March 2025 is available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosure Section'. For details, please visit our Website <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/DF%20TABLE%201%20TO%2018%2031032025.pdf>

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
DF - 1	Scope of Application and Capital Adequacy
DF - 2	Capital Adequacy
DF - 3	Credit Risk: General Disclosures for All Banks
DF - 4	Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach
DF - 5	Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach
DF - 6	Securitisation: Disclosure for Standardised Approach
DF - 7	Market Risk in Trading Book
DF - 8	Operational Risk
DF - 9	Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)
DF - 10	General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk
DF - 11	Composition of Capital
DF - 12	Composition of Capital- Reconciliation Requirements
DF - 13	Main Features of Regulatory Capital Instruments
DF - 14	Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments
DF - 15	Disclosure Requirements for Remuneration
DF - 16	Equities – Disclosure for Banking Book Positions
DF - 17	Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure
DF - 18	Leverage Ratio Common Disclosure Template

यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2025 (लेखापरीक्षित / Audited)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर के बाद निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	17,026.67	14,554.33
जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान) ADD: PROVISION FOR TAX (INCL PROVISION FOR DEFERRED TAX)	5,600.00	5,150.65
कर पूर्व निवल लाभ / NET PROFIT BEFORE TAX	22,626.67	19,704.98
समायोजन: / Adjustments for:		
मूल्यहास / Depreciation	837.19	868.93
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(400.93)	(501.75)
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for NPAs	9,586.44	9,005.21
अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets	336.13	231.19
टियर I और टियर II बांड पर ब्याज / Interest paid on bonds	2,685.24	2,560.52
आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	(68.29)	(439.72)
अचल संपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	(2.27)	(16.31)
अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यम आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc	(115.38)	(94.92)
निवेश मूल्यहास / (अधिमूल्यन) और एनपीआई के लिए प्रावधान Provision for Non Performing Investments	(1,090.70)	910.92
कुल योग / Sub total	11,767.43	12,524.07
समायोजन: / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(17,993.74)	(38,779.84)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(1,27,128.63)	(1,09,820.10)
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	29,972.84	(1,400.51)
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits	1,44,516.56	1,33,148.01
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets	(571.04)	2,556.26
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	798.60	(850.03)
	29,594.59	(15,146.21)
घटाएं: निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / LESS: NET INCOME TAX (PAID) / REFUND	(4,042.12)	(2,828.72)
परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES	59,946.57	14,254.12
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगी कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries and/or JVs	115.38	94.91
संयुक्त उद्यम, अनुषंगी कंपनियों आदि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc	(527.03)	(45.73)
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets	(1,448.47)	(1,132.31)

निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES	(ख) (B)	(1,860.12)	(1,083.13)
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
बांड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on bonds		(2,685.24)	(2,560.52)
अधीनस्थ ऋण सहित बांडों का नया निर्गम Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts		7,000.00	3,403.00
अधीनस्थ ऋण सहित बांड का मोचन Redemption of bonds including sub-ordinated debts		(4,900.00)	(2,500.00)
पिछले वर्ष के लाभांश का भुगतान Payment of Dividend of Previous Year		(2,920.75)	(2,176.95)
पिछले वर्ष के लाभांश का भुगतान Fresh issue of capital & security premium			
वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES	(ग) (C)	(3,505.99)	(3,834.47)
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		54,580.46	9,336.52
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS		1,50,759.72	1,41,423.20
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS		2,05,340.18	1,50,759.72

नोट्स: / NOTES:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति (AS-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
1. The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures has been re-grouped wherever considered necessary
- नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
2. Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2025 (लेखापरीक्षित / Audited)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited)
आरबीआई में नकदी व शेषराशि / Cash & Balance with RBI	89,998.57	71,068.18
बैंकों में उपलब्ध शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1,15,341.61	79,691.54
कुल / Total	2,05,340.18	1,50,759.72

अंजनेयुलु चेरुकुरी
मंडल प्रबंधक

मोहम्मद मोइन
सहायक महाप्रबंधक

एस के मजुमदार
कार्यपालक निदेशक

भवेंद्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

अमित मिश्र
महा प्रबंधक व जीसीएफओ

हरदीप सिंह आहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

दीपक कुमार जेना
सहायक महाप्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

रोहित दास
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

हेमंत बुच
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस
(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू
(रुशिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता सं: 114113

कृते अबरना और अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस
(एस.अनंतन)
साझेदार
सदस्यता सं: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी
(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई
(अमित विश्वास)
साझेदार
सदस्यता सं: 052296

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

ANJANEYULU CHERUKURI
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD.
WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
ASSISTANT GENERAL
MANAGER

MOHD. MOIN
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER & GCFO

S K MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH
AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE EXECUTIVE
DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR
GOYAL
DIRECTOR

ROHIT DAS
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

HEMANT BUCH
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN
Chartered Accountants
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO
Chartered Accountants
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(RUSHIKESH VILAS
DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:077201

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी
2024-2025



**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2024-2025**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने केनरा बैंक ("बैंक") के साथ दिए गए समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स ("समेकित वित्तीय विवरण") शामिल हैं, जिसमें वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं:

क) बैंक के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण;

ख) 8 सहायक कंपनियों और 2 सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, जिनका अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है; तथा

ग) 1 सहायक कंपनी और 3 सहयोगी कंपनियों के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी।

बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' कहा जाता है।

- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों, गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारे विचार के आधार पर, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक समूह की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और उसके समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण दें।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Canara Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

- We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Canara Bank ("the Bank") which comprises of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2025, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Statement of Cash Flow for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information ("the Consolidated financial statements") in which are included the returns for the year

- Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
- Audited Financial Statements of 8 Subsidiaries and 2 Associates audited by other Auditors; and
- Un-audited Financial Statements / Financial information of 1 subsidiary and 3 Associates.

The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries, and associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Group as at 31st March, 2025, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

राय का आधार

- हमने अपना लेखापरीक्षण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों वाले अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं भी हैं जो भारत में समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

- मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है:

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दे	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया
1.	आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता अग्रिम बैंक की परिसंपत्तियों का सबसे बड़ा वर्ग है। वर्गीकरण, आय पहचान और उस पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप हैं। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग समाधान) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों पर निर्भर करता है, जिसमें विभिन्न अनुमान, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय पहचान और उस पर प्रावधान के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं सहित मैनुअल हस्तक्षेप शामिल हैं।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया: हमारी लेखापरीक्षा, शेष राशि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान की प्रक्रिया पर केंद्रित थी। हमने गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने तथा ऐसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान बनाने के लिए बैंक की प्रणाली तथा प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था: - अग्रिमों के अनुमोदन, दस्तावेजीकरण, सवितरण और निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का आकलन करना। - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित एवं संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा। - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और उनके लिए प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन। - आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और उनके लिए प्रावधान करने में प्रयुक्त प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1.	Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon. Advances constitute the largest class of assets of the bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.	Principal Audit Procedures: Our audit was focused on the process of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances, in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, considering the materiality of the balances. We assessed the efficacy of Bank's system and the processes in place to identify the non-performing assets and create provision against such non-performing assets. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the following: - Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement and monitoring of advances. - Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India. - Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. - Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines.

	• एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • जहां भी हमारी जानकारी में आया, परीक्षण जाँच के आधार पर मैनअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की गई। • गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों 600 के अनुसार विनियामक आवश्यकता के समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित न की गई शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णयों पर भरोसा किया गया। • समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और उनके विरुद्ध प्रावधान बनाने की प्रक्रिया और तर्क की जाँच की गई और साथ ही तनावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र की भी जाँच की गई। • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों 620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण रिपोर्ट / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जहां भी उपलब्ध हो, की समीक्षा की	
	• Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis. • Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance with the regulatory requirement in accordance with Standards on Auditing 600 issued by ICAI. • Test checked the process and logic of identification and creation of provision against non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts. • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the bank in various capacities in conformity with Standards on Auditing 620 issued by ICAI. • Reviewed the internal audit / inspection reports/ concurrent audit reports, wherever available.	

2. निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान: निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। आरबीआई के इन निर्देशों में निवेशों का वर्गीकरण, निवेशों का मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, आय की गैर-मान्यता और उस पर प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाए, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफआईएमडीए दर, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दर, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/सूचना का संग्रह शामिल है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया: हमारा लेखापरीक्षण मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास पर केंद्रित था। - हमने निवेश से संबंधित एनपीआई प्रावधान/मूल्यहास के वर्गीकरण, मूल्यांकन, पहचान के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए बैंक की प्रणाली को समझा और उसका मूल्यांकन किया। - हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन एवं मूल्यांकन किया। - निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने प्रत्येक श्रेणी की सुरक्षा के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन को पुनः निष्पादित करके आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। - हमने अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित मूलभूत परीक्षण किए, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना की जा सके।
2. Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments: Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directions of the RBI. These directions of RBI cover the classification of investments, valuation of investments, identification of Non-Performing Investments, the corresponding non recognition of income and provision thereon. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data / information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE / NSE, financial statements of unlisted companies, etc.	Principal Audit Procedures: Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments. - We understood and evaluated the Bank's system in place to comply with the relevant RBI Guidelines regarding classification, valuation, identification of NPIs provision / depreciation related to investments. - We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. - For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing classification and valuation for each category of security. - We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI.

3. वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं मुख्य रूप से आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, क्योंकि दैनिक आधार पर बड़ी मात्रा में लेनदेन संसाधित होते हैं और इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर करती है। हमने निवेश, आय निर्धारण, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधानीकरण में लेनदेन के संबंध में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सीबीएस और अन्य संबद्ध अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की सुसंगत कार्यप्रणाली पर भरोसा किया है, साथ ही विविध परिसंपत्तियों और विविध देयताओं के तहत विभिन्न मदों के समाधान और आयु निर्धारण के साथ-साथ अन्य खातों पर भी भरोसा किया है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया: हमने उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल्यांकन किया जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और सीबीएस, वित्तीय विवरण रिपोर्टिंग पैकेज, कोषागार परिचालन, आईआरएसी वर्गीकरण और सीआरएआर गणना के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की पहचान की है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था, जो इस प्रकार है: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण पर्यावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई। • आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की गई। • आईटी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में अपनाए गए सिस्टम लॉजिक के साथ व्यावसायिक लॉजिक के मानचित्रण का परीक्षण किया गया। • परीक्षण जांच के आधार पर लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित और व्यवसाय चक्र नियंत्रण और तर्क का परीक्षण किया गया।
3. Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process. The Bank's operational and financial processes are predominantly dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a Key Audit Matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems. We have relied upon the consistent functioning of CBS and other allied application software with respect to transactions in Investments, Income Recognition, Classification of Assets and Provisioning against advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various items under Sundry Assets and Sundry Liabilities along with such other accounts.	Principal Audit Procedures: We conducted an assessment of key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified application software for CBS, Financial Statement Reporting Package, Treasury operations, IRAC Classification and CRAR calculation, which are primarily used for financial reporting. Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with Inspection Wing on compliance with key IS Controls. • Tested the mapping of business logic with system logic adopted in the IT application software • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.

4.	आस्थगित कर परिसंपत्ति बैंक ने 31 मार्च, 2025 तक 4,937.81 करोड़ रुपये की शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता दी है। आस्थगित कर परिसंपत्ति का वस्तुनिष्ठ आकलन, मान्यता और मापन विशेषज्ञ की राय, न्यायिक घोषणाओं और मिसालों, प्रबंधन के निर्णयों और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप भविष्य में लाभ की उपलब्धता के बारे में अनुमानों पर आधारित है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को इस हद तक आगे बढ़ाया गया है कि इस बात की उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्राप्त किया जा सकता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं: - आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 - आयकर लेखांकन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान और माप के लिए प्रयुक्त नीतियों की समीक्षा। - विशेषज्ञ की राय, न्यायिक घोषणाओं और उदाहरणों के संदर्भ में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्राप्ति के संबंध में प्रबंधन के निर्णय और अनुमानों की समीक्षा की गई। - लाभ की उपलब्धता और निश्चितता की संभावना का आकलन किया गया जिसके आधार पर बैंक भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्ति को प्राप्त करने में सक्षम होगा।
4.	Deferred Tax Asset The bank has recognized a net deferred tax asset of ₹4,937.81 Crore as on March 31, 2025. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the expert opinion, judicial pronouncements and precedents, management judgements and estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. Deferred Tax Asset has been carried forward to the extent there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.	Principal Audit Procedures: We have performed the following procedures as part of our control testing: - Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets to ensure compliance with AS-22 - Accounting for Taxes on Income issued by ICAI. - Reviewed the management judgement and estimates regarding the realisability of the Deferred Tax Assets, w.r.t expert opinion, judicial pronouncements and precedents. - Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the bank will be able to realize the Deferred Tax Asset in future.

5. विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयता अन्य पक्षों द्वारा बैंक पर दायर किए गए करों और विभिन्न अन्य दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बैंक का मूल्यांकन विचाराधीन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव, स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह और जहां भी आवश्यक हो, कानूनी राय द्वारा समर्थित है। इसलिए, मुकदमे में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के लाभ और तुलन-पत्र में दर्शाई गई स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं: • कर संबंधी विवादों सहित विभिन्न ऋण एवं गैर-ऋण मुकदमों और आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। • विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच की गई तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई। • पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय-वस्तु के गुणों का मूल्यांकन किया गया तथा विशेषज्ञ की राय, कानूनी सलाह, न्यायिक घोषणाओं और उदाहरणों पर भरोसा किया गया।	5. Various Litigations & Contingent Liability Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations in relation to taxes and various other claims filed by other parties upon bank, not acknowledged as debts. The bank's assessment is supported by facts of matter under consideration, their own judgement, past experience, advises from independent experts and legal opinion, wherever necessary. Therefore, unexpected adverse outcomes in the litigation may impact the bank's profit and state of affairs as reflected in the balance sheet Principal Audit Procedures: We have performed the following procedures as part of our control testing: • Reviewed the current status of the various credit and non-credit litigations and contingent liabilities, including tax related disputes. • Examined the communications received from various authorities and follow up actions thereon. • Evaluated the merits of the subject matter under consideration with reference to the background and relied on the expert opinion, legal advice, judicial pronouncements and precedents thereon.

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत पिलर III प्रकटीकरण (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करने से पहले प्राप्त किया था, और निदेशकों की रिपोर्ट, मुख्य वित्तीय संकेतक और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon:

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report, and the Directors Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि से पहले प्राप्त अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

- बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। बैंक, समूह में शामिल कंपनियों और उसकी सहयोगी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए संबंधित अधिनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के

In connection with our audit of the consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the Other Information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

- The Bank's Board of Directors is responsible with the respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material

कारण, जिनका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसके सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी कंपनियों की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन समूह को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम इस तरह भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में

misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional

मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगी कंपनियों की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करना

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामला

8. (i) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:
 - क. आठ (08) अनुषंगी कंपनियाँ जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक कुल संपत्ति 44,136.78 करोड़ रुपये, कुल राजस्व 11,599.05 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल निवल लाभ

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matter

8. (i) The consolidated financial statements include audited financial statements and other financial information, in respect of:
 - a. Eight (08) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹44,136.78 Crore as at 31st March, 2025, total revenues of ₹11,599.05 Crore and total net profit after tax of ₹309.33 Crore for the year ended

309.33 करोड़ रुपये दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

ख. दो (02) सहयोगी कंपनियाँ जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद निवल लाभ में समूह के हिस्से को 480.85 करोड़ रुपये दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है।

उनके संबंधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने उनकी लेखापरीक्षा की है और इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर इन स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक वह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ii) समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम / विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी भी शामिल है:

क. एक (01) अनुषंगी कंपनी, जिसकी 31 मार्च, 2025 तक कुल परिसंपत्तियाँ 0.0963 करोड़ रुपये होंगी तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए राजस्व शून्य होगा और कर के बाद शुद्ध घाटा क्रमशः 0.0137 करोड़ रुपये होगा।

ख. तीन (03) सहयोगी कंपनियाँ, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः 102.19 करोड़ रुपये और 124.94 करोड़ रुपये के कर के बाद निवल लाभ/ (हानि) में समूह का हिस्सा शामिल है, जैसा कि विवरण में माना गया है।

ये वित्तीय विवरण गैर-लेखापरीक्षित हैं और हमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई और सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट जहाँ तक यह उपर्युक्त सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई और सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे बिना लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, तथा नीचे अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

31st March, 2025 as considered in consolidated financial statements.

b. Two (02) associates whose financial statements reflect Group's share of Net Profit after Tax of ₹480.85 Crore for the year ended 31st March, 2025, as considered in consolidated financial statements.

Their respective Independent Auditors have audited the same and these independent auditors' reports on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

(ii) The consolidated financial statements also include the unaudited financial results / statements and other financial information, in respect of:

a. One (01) subsidiary reflecting total assets of ₹0.0963 Crore as at 31st March, 2025, and nil revenue and net loss after tax of ₹0.0137 Crore for the quarter and year ended 31st March, 2025 respectively.

b. Three (03) associates, which include Group's share in net profit / (Loss) after tax of ₹102.19 Crore and ₹124.94 Crore for the quarter and year ended 31st March, 2025 respectively, as considered in the Statement.

These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary, jointly controlled entity and associates and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, jointly controlled entity and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

9. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) की सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने रिपोर्ट दी है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमांकिक (नियुक्त बीमांकिक) की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2025 तक लागू पॉलिसियों और जिन पॉलिसियों के संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन उस तिथि तक देयता मौजूद है, के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त बीमांकिक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि ऐसे मूल्यांकनों के लिए धारणाएँ भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा आईआरडीएआई के साथ सहमति से जारी दिशा-निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। इसके अलावा, संबंधित घटक लेखा परीक्षक ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया था और जहां तक बीमांकिक मूल्यांकन का संबंध है, उनकी राय पूरी तरह से नियुक्त बीमांकिक के प्रमाण पत्र पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
10. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'मामले पर जोर' पैरा के तहत रिपोर्ट की है कि, कंपनी आमतौर पर वेंचर कैपिटल फंड द्वारा जारी किए गए फॉर्म नंबर 64 और 64सी के आधार पर निवेश से अर्जित आय के संबंध में आयकर रिटर्न दाखिल करती है। हालांकि कंपनी खातों की पुस्तकों में वेंचर कैपिटल फंड से अर्जित आय को मान्यता नहीं देती है, लेकिन कंपनी अपनी आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा कर रही है और उस पर कर का भुगतान कर रही है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
11. केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'कार्यशील संस्था से संबंधित भौतिक अनिश्चितता' पैरा के अंतर्गत रिपोर्ट की है कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियों को नहीं कर रही है और कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का निपटान करने का भी प्रयास कर रही है। लेखा परीक्षक ने आगे बताया कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन ने नकदी प्रक्षेपण के समर्थन के साथ अपनी कार्यशील पूंजी पर्याप्तता पर एक आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी और
9. The auditors of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.), a subsidiary, have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2025 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, the concerned Component Auditor has reported that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary. Our opinion is not modified in respect of this matter.
10. The auditors of Canbank Venture Capital Fund Limited, a subsidiary, have reported under 'Emphasis of Matter' para of their Audit Report that, as a matter of practice the company files Return of Income in respect of accrued income from investment based on Form No 64 and 64C issued by the venture capital funds. Although the company does not recognize the accrued income from venture capital funds in the books of accounts, the company is declaring the same in their Return of Income and paying taxes thereon. Our opinion is not modified in respect of this matter.
11. The auditors of Canbank Financial Services Limited, a subsidiary, have reported under 'Material uncertainty relating to Going Concern' para of their Audit Report that the Company had prepared its financial statements on a going concern basis notwithstanding the fact that the Company is not carrying out the primary NBFC activities stipulated by RBI and the Company is also trying to dispose off its financial assets. The Auditor further reported that in the preparation of the financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of a cash projection. The management has concluded that the Company shall have sufficient working capital to finance their operations and the

प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की कार्यशील संस्था के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्ज परिसंपत्ति राशियों की वसूली और वर्गीकरण या देनदारियों की राशियों और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं है जो कंपनी के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने में असमर्थ होने पर आवश्यक हो सकते हैं। लेखा परीक्षक ने मामले के संबंध में अपनी राय को संशोधित नहीं किया है। इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12. बैंक का समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।
13. उपरोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन तथा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
 - (ख) बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं; तथा
 - (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;
- (ख) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, खाता पुस्तकों और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;

management believes that no material uncertainty exists over the ability of the Company to continue on a going concern basis. Accordingly, the financial statements do not include any adjustments relating to the recoverability and classification of recorded asset amounts or to the amounts and classification of liabilities that may be necessary if the Company is unable to continue as a going concern. The Auditor had not modified his opinion in respect of the matter. Our opinion is not modified in this regard.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
13. Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

14. We further report that:

- (a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- (b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

(ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है;

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

15. इस विवरण में शामिल 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के संबंधित समेकित वित्तीय आंकड़े बैंक के पांच संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे, जिनमें से तीन पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 08 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से समेकित वित्तीय विवरणों पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

(c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(d) in our opinion, the aforesaid consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

15. The corresponding consolidated financial figures of the bank for the year ended 31st March 2024, included in this statement, were audited by five joint auditors of the bank, three of whom were predecessor audit firms, and they had expressed an unmodified opinion on consolidated financial statements vide their report dated May 08, 2024.

**कृते के. वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 018159
यूडीआईएन: 25018159BMOSRG8804

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस.अनंथन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 026379
यूडीआईएन: 25026379BNQJHH4830

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित बिस्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052296
यूडीआईएन: 25052296BMNFX2979

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(रुषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114113
यूडीआईएन: 25114113BMKXC4106

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 077201
यूडीआईएन: 25077201BMLJOI8640

**For K VENKATACHALAM AIYER
& CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159
UDIN: 25018159BMOSRG8804

For ABARNA & ANANTHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000003S

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379
UDIN: 25026379BNQJHH4830

For M C BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 303002E

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296
UDIN: 25052296BMNFX2979

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(RUSHIKESH VILAS DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113
UDIN: 25114113BMKXC4106

For S R GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001537C

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201
UDIN: 25077201BMLJOI8640

हस्ताक्षर का स्थान : बंगलूरु
रिपोर्ट की तिथि : 08.05.2025

Place of Signature : Bengaluru
Date of Report : 08.05.2025

असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में असंशोधित राय शामिल है।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2025 contains unmodified opinion.

अमित मिश्र
महाप्रबंधक व समूह
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

AMIT MITTAL
GM & GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

**कृते के. वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(रुषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 114113

**For K VENKATACHALAM AIYER
& CO**
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(RUSHIKESH VILAS DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस. अनंथन)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 077201

For ABARNA & ANANTHAN
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 000003S

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

For S R GOYAL & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001537C

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित बिस्वास)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 052296

For M C BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 303002E

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

हस्ताक्षर का स्थान : बंगलूरु
रिपोर्ट की तिथि : 08.05.2025

Place of Signature : Bengaluru
Date of Report : 08.05.2025

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका: बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर)
विनियम, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

क) हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:

- (i) प्रस्तुत वित्तीय विवरणों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं दिया गया है, न ही कोई महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है और न ही ऐसे कोई कथन दिए गए हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) उक्त विवरण बैंक की वित्तीय स्थिति का एक सुस्पष्ट, सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा वे प्रचलित लेखांकन मानकों, प्रासंगिक विधिक प्रावधानों एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ख) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, गैरकानूनी या बैंक की आचार संहिता के प्रतिकूल हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र की स्थापना एवं अनुक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा समिति को, यदि कोई हो, आंतरिक नियंत्रण तंत्र के डिज़ाइन या संचालन में पाई गई कमियों की जानकारी प्रकट की है तथा उन कमियों के समाधान हेतु उठाए गए या प्रस्तावित कदमों से भी अवगत कराया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा समिति को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया है:

- (i) वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में हुए किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- (ii) लेखांकन नीतियों में हुए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन, एवं उनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी नोट में किया गया है;

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO: Bengaluru

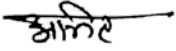
SUB: CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

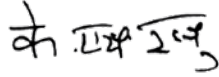
- a) We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
 - (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएं, जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें यदि प्रबंधन अथवा बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कोई कर्मचारी संलिप्त पाया गया हो।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.



अमित मित्तल
महाप्रबंधक व समुविअ



के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी



AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER &
GCFO



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

यथा 31.03.2025 तक समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / CAPITAL	1	1814 13 03	1814 13 03
आरक्षित और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	103602 62 98	90319 10 31
अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	1189 79 53	1000 43 30
जमा / DEPOSITS	3	1456495 03 14	1312242 47 18
उधारराशियां / BORROWINGS	4	89665 11 81	57537 56 36
अन्य देयताएं और प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	77924 64 41	72103 93 50
कुल / Total		1730691 34 90	1535017 63 68
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	90047 67 70	71134 88 26
बैंकों में शेष राशि एवं मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	115842 43 48	80029 80 73
निवेश / INVESTMENTS	8	426188 44 34	399207 00 13
अग्रिम / ADVANCES	9	1049332 05 57	931786 57 84
अचल आस्तियां / FIXED ASSETS	10	10301 58 52	12330 95 77
अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS	11	38979 15 29	40528 40 95
कुल / Total		1730691 34 90	1535017 63 68
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	380348 80 16	198873 84 42
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		27020 09 32	24934 98 11

अंजनेयुलु चेरुकुरी
मंडल प्रबंधक

मोहम्मद मोइन
सहायक महाप्रबंधक

एस के मजूमदार
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार

सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू

(ऋषिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार

सदस्यता सं: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस

(एस.अनंतन)
साझेदार

सदस्यता सं: 026379

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

अमित मित्तल
महा प्रबंधक व जीसीएफओ

हरदीप सिंह आहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

हेमंत बुच
निदेशक

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी

(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार

सदस्यता सं: 077201

दीपक कुमार जेना
सहायक महाप्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

रोहित दास
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई

(अमित विश्वास)
साझेदार

सदस्यता सं: 052296

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 08.05.2025

यथा 31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ और हानि खाता CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31.03.2025 (₹ '000)	31.03.2024 (₹ '000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	121601 11 36	110518 75 16
अन्य आय / OTHER INCOME	14	31056 77 42	28646 18 34
कुल / Total		152657 88 78	139164 93 50
II. व्यय / EXPENDITURE			
ब्याज व्यय / INTEREST EXPENDED	15	82680 67 53	72117 58 63
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	38188 55 56	37336 86 50
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS AND CONTINGENCIES		14452 66 74	14928 12 75
कुल / Total		135321 89 83	124382 57 88
सहयोगियों में आय की हिस्सेदारी SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	355 91 02	618 56 14
वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ अल्पांश ब्याज CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		17691 89 96	15400 91 76
कम: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		152 27 55	122 35 32
समूह को वर्ष के लिए समेकित लाभ CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		17539 62 41	15278 56 44
वर्ष का शुद्ध लाभ / (हानि) NET PROFIT / (LOSS) OF THE YEAR		17335 98 95	14782 35 62
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
अंतरित / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		4256 66 78	3638 57 98
आरक्षित पूंजी / CAPITAL RESERVE		478 79 42	154 50 68
आरक्षित निवेश / INVESTMENT RESERVE			281 59 59
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		293 58 83	319 61 30
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE		1000 00 00	850 00 00
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND			

प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND		3628 26 05	2920 74 97
लाभ / हानि का संतुलन BALANCE OF PROFIT / (LOSS)		7882 31 33	7113 51 92
कुल / Total		17539 62 41	15278 56 44
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) (रुपए में.) EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		19.34	84.22

ANJANEYULU CHERUKURI
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
ASSISTANT GENERAL
MANAGER

MOHD. MOIN
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER & GCFO

S K MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH
AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

ROHIT DAS
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

HEMANT BUCH
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 0046105

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN
Chartered Accountants
FRN : 0000035

For S R GOYAL & CO
Chartered Accountants
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(RUSHIKESH VILAS
DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

Place : Bengaluru

Date : 08.05.2025

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. अधिकृत पूंजी / Authorised Capital (₹ 2/- प्रति शेयर के 1500,00,00,000 इक्विटी शेयर) (1500,00,00,000 Equity Shares of ₹ 2/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त, प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) ₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर के 570,85,48,390 पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर के 1,14,17,09,678 केंद्र सरकार द्वारा धारित	1141 70 97	1141 70 97
i) 570,85,48,390 Equity Shares of ₹ 2/- each Previous year 1,14,17,09,678 Equity share of ₹ 10/- each held by Central Government		
ii) ₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर के 336,21,02,870 पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर के 67,24,20,574 अन्य द्वारा धारित	672 42 06	672 42 06
ii) 336,21,02,870 Equity Shares of ₹ 2/- each Previous year 67,24,20,574 Equity Shares of ₹ 10/- each held by other.		
iii) शेयर आवेदन राशि - आवंटन के लिए लंबित		
iii) Share application Money - Pending for Allotment		
	1814 13 03	1814 13 03
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित तिथि / Statutory Reserves	23725 46 21	19468 41 44
II. पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	5438 86 00	4960 06 58
III. समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 19	2 79 19
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	13983 84 71	13983 84 71
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	2 16 80	-21 90 90
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	6449 83 54	9118 49 97
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve		1359 75 70
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	9386 46 92	8386 46 92
IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	44208 85 86	33061 16 69
एएफएस आरक्षित निधि / AFS Reserve	404 33 75	
कुल / Total	103602 62 98	90319 10 31
अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज		
I. Minority Interest at the date on which the parent- Subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	1079 64 41	890 28 18
कुल / Total	1189 79 53	1000 43 30

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए. A. I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	1 79 02	248 90 83
ii. अन्य से / FROM OTHERS	77525 01 36	63737 67 06
कुल / Total	77526 80 38	63986 57 89
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	337135 41 70	328397 60 12
कुल / Total	337135 41 70	328397 60 12
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	125150 95 40	97797 93 03
ii. अन्य से / FROM OTHERS	916681 85 66	822060 36 14
कुल / Total	1041832 81 06	919858 29 17
कुल / TOTAL	1456495 03 14	1312242 47 18
बी. B. शाखाओं की जमा राशि / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	1331137 04 07	1214951 22 98
ii. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	125357 99 07	97291 24 20
कुल / Total	1456495 03 14	1312242 47 18
अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	9000 00 00	
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	1329 78 57	557 48 46
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	19463 00 79	13476 51 40
iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	52989 10 00	41639 10 00
कुल / Total	82781 89 36	55673 09 86
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	4318 97 45	1864 46 52
ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)	2564 25 00	
कुल / Total	6883 22 45	1864 46 52
कुल / TOTAL	89665 11 81	57537 56 36

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	2572 54 13	2523 70 36
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)		
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	9223 21 42	9903 98 55
IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	66128 88 86	59676 24 60
कुल / Total	77924 64 41	72103 93 50
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. नकद - शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)	3210 23 94	3427 95 29
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNT	86837 43 76	67706 92 96
कुल / Total	86837 43 76	67706 92 96
कुल / TOTAL	90047 67 70	71134 88 26
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष राशि / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	6173 15 52	2443 66 69
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-9 70 71	7 06 38
कुल / Total	6163 44 81	2450 73 07
ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंक में / a. WITH BANKS	29616 44 61	25975 22 30
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	3290 78 74	6583 10 99
कुल / Total	32907 23 35	32558 33 29
कुल / TOTAL	39070 68 15	35009 06 36
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	40971 19 37	30990 46 03
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	24133 22 21	7056 83 31
iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	11667 33 75	6973 45 03
कुल / Total	76771 75 33	45020 74 37
कुल / TOTAL	115842 43 48	80029 80 73

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA : GROSS	427230 40 76	402464 25 58
घटाएँ: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	4322 69 19	6086 46 07
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	422907 71 57	396377 79 51
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	358892 03 00	351016 77 20
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	7808 43 78	6698 46 45
iii. शेयर SHARES	17808 90 40	14630 92 70
iv. डिबेंचर व बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	18350 23 80	16121 32 95
v. सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	5693 81 20	4875 15 67
vi. अन्य (म्यूचुअल फंड, वीसीएफ, सीडी, सीपी, इत्यादि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP, ETC.)	14354 29 39	3035 14 55
कुल / Total	422907 71 57	396377 79 52
II. भारत के बाहर निवेश - सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	3280 72 79	2839 28 35
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION		10 07 73
भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	3280 72 79	2829 20 62
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	153 39 05	272 43 52
ii. अन्य OTHERS	3127 33 73	2556 77 09
कुल / Total	3280 72 78	2829 20 61
कुल / TOTAL	426188 44 34	399207 00 13

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए. A. i. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	19330 34 22	12324 58 69
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट, एवं मांग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	446748 63 28	402507 54 38
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	583253 08 08	516954 44 77
कुल / Total	1049332 05 58	931786 57 84
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (स्टॉक एवं बही ऋण के विरुद्ध अग्रिम सहित 2,04,925.16 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष 1,98,157.45 करोड़ रुपये) (INCLUDING ADVANCES AGAINST STOCK & BOOK DEBTS ₹ 2,04,925.16 Cr Previous Year ₹ 1,98,157.45 Cr)	774885 12 85	600937 78 87
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT.GUARANTEES	48363 48 52	117620 18 61
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	226083 44 21	213228 60 36
कुल / Total	1049332 05 58	931786 57 84
सी. C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	431553 07 44	428754 12 95
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	78162 63 94	78717 40 84
iii. बैंक / BANKS	29 63 70	1 03 37
iv. अन्य / OTHERS	475245 96 07	372913 83 38
कुल / Total	984991 31 15	880386 40 54
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / DUE FROM BANKS		
ii. दूसरों से देय / DUE FROM OTHERS		
(ए) खरीदे गए तथा भुनाए गए बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED		
(बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS	44740 83 83	31965 73 49
(सी) अन्य / (c) OTHERS	19599 90 59	19434 43 81
कुल / Total	64340 74 42	51400 17 30
कुल / TOTAL	1049332 05 57	931786 57 84

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)		यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	11748 18 80		9992 02 29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	263 20 16		48 94 89	
	12011 38 96		10040 97 18	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR	-3203 43 22		1738 43 55	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	14 03 48		31 21 91	
	8793 92 26		11748 18 82	
वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	1081 36 33	7712 55 93	1639 63 98	10108 54 84
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)		7712 55 93		10108 54 84
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	8648 01 54		7838 42 52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1214 42 85		1153 59 86	
	9862 44 39		8992 02 38	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	337 16 97		345 04 72	
	9525 27 42		8646 97 66	
वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	6961 98 22	2563 29 20	6458 19 87	2188 77 79
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS		2563 29 20		2188 77 79
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	85 92 59		84 78 00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	1 54 14		1 42 35	
	87 46 73		86 20 35	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	72 64 81		88	
	14 81 92		86 19 47	
वर्तमान तिथि तक मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE	10 54 20		79 31 82	
	4 27 72		6 87 65	
घटाएँ: पट्टेदारी अंतिम समायोजन खाता LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT		4 27 72	- 57 49	7 45 14
कुल / Total				
IV. पूँजीगत कार्य प्रगति पर अमूर्त आस्तियाँ CAPITAL WORK IN PROGRESS				
अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-प्रारम्भिक INTANGIBLE ASSETS-SUBSIDIARIES / JVs-Openings	145 81 99		133 16 42	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	6 58 00		13 68 47	
	152 39 99		146 84 89	
अमूर्त आस्तियाँ - अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-कटौतियाँ INTANGIBLE ASSETS - SUBSIDIARIES / JVs-Deductions	- 11 13			
	152 28 86		146 84 89	
अमूर्त आस्तियाँ - अनुषंगी / संयुक्त उद्यम-वर्तमान तिथि तक का मूल्यहास / INTANGIBLE ASSETS - SUBSIDIARIES / JVs-Depreciation to date	-130 83 19	21 45 67	-120 66 89	26 18 00
कुल / TOTAL		10301 58 52		12330 95 77

यथा 31.03.2025 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियाँ SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

	यथा 31.03.2025 तक (₹ '000) As at 31.03.2025 (₹ '000)	यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	11222 08 24	8883 29 00
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) / TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)	16094 41 82	17587 96 91
III. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS	3 48 97	3 35 43
IV. दावों के निपटान के लिए अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS	15 68	72 28 11
अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	702 16 95	580 29 26
V. अन्य / OTHERS	6019 02 18	7647 25 25
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS	4937 81 45	5753 96 97
कुल / Total	38979 15 29	40528 40 95
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS	19756 39 12	18533 83 18
II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS	44 00	3 51 17
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS	275040 11 00	97495 29 97
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS		
क. भारत में / a. IN INDIA	59089 83 56	57045 73 88
ख. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	165 56 70	197 25 85
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS	59255 40 26	57242 99 73
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE	16860 71 88	18752 92 93
क. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED		
ख. अन्य / b. OTHERS	9435 73 90	6845 27 44
	9435 73 90	6845 27 44
कुल / Total	380348 80 16	198873 84 42

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025

	यथा दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2025 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2024 (₹ '000)	
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिम / बिलों पर ब्याज / छूट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		87798 80 72		78205 66 86
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		26418 98 68		24517 18 88
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		4678 05 08		4249 45 59
IV. अन्य / OTHERS		2705 26 88		3546 43 83
कुल / Total		121601 11 36		110518 75 16
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और ब्रोकर शुल्क COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1312 52 71		2132 37 74
II. निवेश के विक्रय लाभ / PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS लाभ / PROFIT	3307 70 85		1918 59 01	
घटाएँ : हानि / LESS: LOSS		3307 70 85		1918 59 01
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	403 28 14		2779 39 51	
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		403 28 14		2779 39 51
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT	2 26 96		16 31 18	
घटाएँ : हानि / LESS: LOSS		2 26 96		16 31 18
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	835 04 31		765 62 98	
घटाएँ : हानि / LESS: LOSS		835 04 31		765 62 98
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित ब्याज INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		115 38 44		95 17 72
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		25080 56 01		20938 70 20
कुल / Total		31056 77 42		28646 18 34
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		75714 93 08		66278 83 42
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA/ INTERBANK BORROWINGS		2970 34 69		2898 34 20
III. अन्य / OTHERS		3995 39 76		2940 41 01
कुल / Total		82680 67 53		72117 58 63

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2025

	यथा दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2025 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	18605 76 18	17112 27 27
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	1110 45 35	1200 60 95
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	165 92 62	125 43 10
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	171 44 75	212 30 32
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	869 77 20	901 73 43
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता व व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	3 48 61	3 74 32
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)	72 43 87	81 27 82
VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES	254 47 77	208 57 26
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	106 00 47	143 25 39
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	961 21 14	787 91 24
XI. बीमा / INSURANCE	1564 87 32	1381 52 56
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	14302 70 28	15178 22 84
कुल / TOTAL	38188 55 56	37336 86 50
अनुसूची 17 - सहयोगियों में आय / (हानि) की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES		
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD.	257 06 39	225 13 46
II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS		
ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक A. KARNATAKA GRAMIN BANK	-276 93 06	-65 04 01
बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	107 95 62	140 39 42
सी. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक C. ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK	223 78 24	281 65 17
डी. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक D. KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK	44 03 83	36 42 10
कुल / Total	98 84 63	393 42 68
	355 91 02	618 56 14

	यथा दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2025 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2024 (₹ '000)
अनुसूची 18 - प्रावधान SCHEDULE 18 - PROVISIONS		
माफ किये गये बुरे ऋण टू घरेलू BAD DEBTS WRITTEN OFF - DOMESTIC		
खराब ऋणों के लिए प्रावधान - विदेश PROVISION FOR BAD DEBTS - OVERSEAS		
ऋण के लिए प्रावधान PROVISION FOR LOANS	9144 19 77	8804 41 02
आयकर का प्रावधान PROVISION FOR INCOME TAX	5689 02 99	5217 20 00
कर देयता से बचाव के लिए प्रावधान PROVISION FOR DEF.TAX LIABILITY		
निवेश मूल्यहास के लिए प्रावधान PROVISION FOR INVESTMENT DEPRECIATION	-3 95 86	39
असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए प्रावधान PROVISION FOR UNHEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE	25 87 00	-24 72 00
एनपीआई के लिए प्रावधान - निवेश - यूएनसीडीआर इन्वेस्टमेंट PROVISION FOR NPI - INVESTMENTS - UNCR INVNT	-1090 69 60	910 92 16
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान PROVISION FOR STANDARD ASSETS	335 96 12	232 36 92
मानक निवेश के लिए प्रावधान PROVISION FOR STANDARD INVESTMENT		
अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान PROVISION FOR OTHER CONTINGENCIES	90 96 00	-284 82 23
एफआईटीएल के लिए प्रावधान PROVISION FOR FITL	-256 44 45	-81 86 02
पुनर्गठित खातों के लिए प्रावधान PROVISION FOR RESTRUCTURED ACCTS	-128 17 46	-125 36 71
प्रावधान - एनपीए के लिए अतिरिक्त PROVISION - ADDITIONAL FOR NPA	446 42 00	202 94 00
फ्लोटिंग प्रावधान PROVISION FOR - FLOATING PROVISION		
संपत्ति संदेह वसूली के लिए प्रावधान PROVISION FOR ASSET DOUBT OF RECOVERY	44 86 49	47 01 34
देश जोखिम के लिए प्रावधान PROVISION FOR COUNTRY RISK		
एसए के तहत दिखाए गए निवेश के लिए प्रावधान PROVISION FOR INVNT. SHOWN UNDER SA		
बैंक के खिलाफ दावे के लिए प्रावधान PROVISION FOR CLAIM AGAINST BANK	154 63 72	30 03 90
अनुसंधान के लिए प्रावधान PROVISION FOR RESEARCH		
कुल / TOTAL	14452 66 72	14928 12 77

अनुसूची - 18

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार

(क) बैंक (मूल कंपनी), उसकी अनुषंगी कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम (समूह) के समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएपी), लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों / दिशानिर्देशों, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों और अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर संबंधित उद्योग / व्यवसाय में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, व्यय, आय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन मानता है कि ये अनुमान और धारणाएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालाँकि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में मान्य है।

2 समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह [जिसमें नौ (9) सहायक कंपनियां और पांच (5) सहयोगी शामिल हैं] का सीएफएस निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

(क) केनरा बैंक (मूल बैंक) के लेखापरीक्षित खाते।

(ख) सहायक कंपनियों की परिसंपत्ति / देयता / आय / व्यय के प्रत्येक मद का मूल कंपनी की संबंधित मद के साथ पंक्ति दर पंक्ति समूहन तथा सभी महत्वपूर्ण अंतर-समूह शेष / लेनदेन, अप्राप्त लाभ / हानि को समाप्त करने के बाद, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार सभी महत्वपूर्ण

SCHEDULE - 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

1 Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

(a) The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

2 Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Nine (9) Subsidiaries and Five (5) Associates have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as

गैर-समान लेखांकन नीतियों के लिए जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक समायोजन करना।

(ग) एसोसिएट्स (सहयोगियों) में दीर्घकालिक निवेश का लेखा-जोखा, एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार इक्विटी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। एसोसिएट्स के संचालन के परिणाम में निवेशक का हिस्सा समेकित लाभ और हानि खाते में अलग से दर्शाया जाता है।

2.2 सीएफएस में अल्पसंख्यक हित में सहायक कंपनियों की निवल इक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों का हिस्सा शामिल होता है।

2.3 सहायक कंपनियों में मूल कंपनी के आरंभिक निवेश की लागत और सहायक कंपनियों की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से के बीच के अंतर को सद्भावना / आरक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना जाता है।

[3] विदेशी मुद्रा रूपांतरण / विदेशी मुद्राओं का परिवर्तन

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को शुरू में काल्पनिक दर पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को प्रत्येक तिमाही के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन (एफईडीआई) द्वारा प्रकाशित दर पर पुनः दर्ज किया जाता है। तिमाही दरों पर ऐसी मदों के पुनः दर्ज किए जाने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

3.2 विदेशी शाखाओं के लेन-देन और शेष राशि को गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे लेन-देन और शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया जाता है।

3.3 परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देनदारियों दोनों) को प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीआई) द्वारा घोषित विनिमय की समापन हाजिर दर पर परिवर्तित किया जाता है और विदेशी शाखाओं की आय और व्यय मदों को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 (विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव) और उक्त मानक के अनुपालन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एफईडीआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।

per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामी विनिमय लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा रूपांतरण रिजर्व में जमा/डेबिट किया जाता है।

3.4 वायदा विनिमय अनुबंध

सभी अग्रिम विनिमय अनुबंधों के आरंभ में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रह होने पर होने वाले लाभ/हानि, साथ ही अशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर मान्यता दी जाती है। अग्रिम अनुबंधों पर विनिमय अंतर को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

3.5 बकाया अग्रिम विनिमय अनुबंधों, गारंटियों, स्वीकृतियों, अनुमोदनों और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को एफईडीआई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को आरबीआई के मास्टर निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे 'परिपक्वता तक धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस), 'लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य' (एफवीटीपीएल) और 'सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और अनुषंगी'। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उपश्रेणी होगी। निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

तुलन पत्र (अनुसूची-8-निवेश) में निवेश का खुलासा छह वर्गीकरणों के तहत किया जाता है, जैसे: (ए) सरकारी प्रतिभूतियाँ (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (सी) शेयर (डी) डिबेंचर और बॉन्ड (ई) सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी और (एफ) अन्य।

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देश – वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन (निर्देश), 2023 के अनुसार किया जाता है:

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Investments

The Bank's investment portfolio is classified as per RBI master directions- Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023. The entire investment portfolio of the bank is classified under following categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS), 'Fair value through Profit and Loss' (FVTPL) and 'Subsidiaries, Joint Ventures and Associates'. Held for Trading (HFT) shall be a separate investment subcategory within FVTPL. The category of the investment shall be decided before or at the time of acquisition and this decision shall be properly documented.

Investments are disclosed in the Balance Sheet (Schedule-8-Investments) under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) subsidiaries, Joint Ventures & Associates and (f) Others.

The valuation of Investments is done in accordance with the master directions- Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 issued by the RBI as under:

(क) परिपक्वता तक धारित

एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाएगा और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर नहीं बेचा जाएगा। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर किसी भी छूट या प्रीमियम का परिशोधन लिखत के शेष जीवनकाल में किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8 : 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13 : 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।

(ख) बिक्री हेतु उपलब्ध

- एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफएस के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत के शेष जीवन पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8: 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।
- एफएस के अंतर्गत रखे गए सभी निष्पादित निवेशों (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर आदि) के मूल्यांकन लाभ और हानि को, चाहे उनका वर्गीकरण कुछ भी हो, एकत्रित किया जाएगा। निवल मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते के माध्यम से रूट किए बिना सीधे एफएस रिज़र्व नामक रिज़र्व में जमा या डेबिट किया जाएगा। पुनर्गठित प्रतिभूतियों के मामले में, मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया जाता है और संचयी मूल्यहास को एफएस रिज़र्व से डेबिट किया जाता है।
- एफएस के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा कि लागू हो। एफएस-रिज़र्व को कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी) 1 के रूप में माना जाएगा। एफएस-रिज़र्व में स्थानांतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
- एफएस श्रेणी में ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिज़र्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिज़र्व से अंतरित कर दिया

(A) HELD TO MATURITY

Securities held in HTM shall be carried at cost and shall not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.

(B) AVAILABLE FOR SALE

- The securities held in AFS are fair valued on daily basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'.
- The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e., Government securities, Other approved securities, Bonds and Debentures, etc.), held under AFS shall be aggregated. The net appreciation or depreciation shall be directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve without routing through the Profit & Loss Account. In case of restructured securities, appreciation is ignored and cumulative depreciation is debited from AFS Reserve.
- Securities under AFS shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable. The AFS-Reserve shall be reckoned as Common Equity Tier (CET) 1. The unrealised gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.
- Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain / loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and

जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई भी लाभ या हानि एफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, ऐसे लाभ या हानि को एफएस-रिज़र्व से पूंजी रिज़र्व में स्थानांतरित किया जाएगा।

- हम उनके तुलन पत्र पर लेवल 3 निवेशों के उचित मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त निवल अवास्तविक लाभ से लाभांश का भुगतान नहीं करेंगे। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते या एफएस-रिज़र्व में मान्यता प्राप्त लेवल 3 निवेशों पर ऐसे निवल अवास्तविक लाभ को सीईटी 1 पूंजी से घटाया जाएगा।

बशर्ते कि यह खंड उन निवेशों पर लागू नहीं होगा जो एसपीपीआई मानदंड को पूरा करते हैं और पूंजी पर्याप्तता पर लागू नियामक निर्देशों के अनुसार क्रेडिट जोखिम के लिए 50% या उससे कम पर जोखिम भारित होना आवश्यक है। एफएस-रिज़र्व में अंतरित किए गए अवास्तविक लाभ अतिरिक्त टियर 1 पर लाभांश और कूपन जैसे किसी भी वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

एफएस श्रेणी में किसी ऋण लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिज़र्व में उस प्रतिभूति के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिज़र्व से अंतरित किया जाएगा और अनुसूची 14-अन्य आय के तहत निवेश की बिक्री पर मद II लाभ के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी। प्रारंभिक मान्यता के समय एफएस के तहत नामित इक्विटी लिखतों के मामले में, ऐसे निवेशों की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस-रिज़र्व से लाभ और हानि खाते में अंतरित नहीं की जाएगी।

(ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाएगा और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या डेबिट किया जाएगा। एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के तहत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में

recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

- We shall not pay dividends out of net unrealised gains recognised in the Profit and Loss Account arising on fair valuation of Level 3 investments on their Balance Sheet. Further, such net unrealised gains on Level 3 investments recognised in the Profit and Loss Account or in the AFS-Reserve shall be deducted from CET 1 capital.

Provided that this clause shall not apply to investments that meet the SPPI criteria and are required to be risk weighted at 50% or lower for credit risk as per applicable regulatory instructions on capital adequacy. The unrealized gains transferred to AFS-Reserve shall not be available for any distribution such as dividend and coupon on Additional Tier 1.

Upon sale or maturity of a debt instrument in AFS category, the accumulated gain / loss for that security in the AFS-Reserve shall be transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account under item II Profit on sale of investments under Schedule 14-Other Income. In the case of equity instruments designated under AFS at the time of initial recognition, any gain or loss on sale of such investments shall not be transferred from AFS-Reserve to the Profit and Loss Account. Instead, such gain or loss shall be transferred from AFS-Reserve to the Capital Reserve.

C. FAIR VALUE THROUGH PROFIT AND LOSS

The securities held in FVTPL shall be fair valued and the net gain or loss arising on such valuation shall be directly credited or debited to the Profit and Loss Account. Securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL are fair

अन्य प्रतिभूतियों का तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफवीटीपीएल के तहत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 8: 'निवेश' में एक प्रतिपक्ष के साथ अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के तहत वित्तीय विवरणों में दर्शाई जाएगी। एफवीटीपीएल के तहत प्रतिभूतियाँ आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों के अधीन होंगी, जैसा भी लागू हो।

(घ) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेशों को एक खास श्रेणी में रखा जाएगा, अर्थात् ऐसे निवेशों को अन्य निवेश श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा।

सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश (अर्थात् ऋण और इक्विटी सहित) अधिग्रहण लागत पर रखे जाएंगे। एसपीपीआई मानदंड को पूरा करने वाली सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम, लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाएगा। परिशोधित राशि अनुसूची 13: 'अर्जित ब्याज' के मद II 'निवेश पर आय' के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई जाएगी।

ऐसे मामले में जहाँ पहले से ही किसी ऐसी इकाई में निवेश है जो सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है और बाद में निवेशित इकाई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाती है, ऐसी निवेशित इकाई के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तिथि पर संशोधित अग्रणीत मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

- (i) जहाँ निवेश एचटीएम के तहत रखा गया है, वहाँ स्थायी क्षति को घटाकर वहन मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा।
- (ii) जहाँ कोई निवेश एएफएस के तहत रखा जाता है, एएफएस-रिज़र्व में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ और हानि को उलट दिया जाएगा और निवेश के मूल्य

valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL are fair valued on a quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned' with a contra in Schedule 8: 'Investments'. Securities under FVTPL shall be subject to income recognition, asset classification and provisioning norms as applicable.

(D) SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURES

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held sui generis i.e., in a distinct category for such investments separate from the other investment categories (viz. HTM, AFS and FVTPL).

All investments (i.e., including debt and equity) in subsidiaries, associates and joint ventures shall be held at acquisition cost. Any discount or premium on the acquisition of debt securities of subsidiaries, associates and joint ventures, meeting SPPI criteria, shall be amortised over the remaining life of the instrument. The amortised amount shall be reflected in the financial statements under item II 'Income on Investments' of Schedule 13: 'Interest Earned'.

In case where there is already an investment in an entity which is not a subsidiary, associate or joint venture and subsequently the investee entity becomes a subsidiary, associate or joint venture, the revised carrying value as at the date of such investee entity becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be determined as under:

- (i) Where the investment is held under HTM, the carrying value less any permanent impairment shall be the revised carrying value.
- (ii) Where an investment is held under AFS, the cumulative gains and losses previously recognised in AFS-Reserve shall be reversed and adjusted to the carrying value of the investment along with any permanent

में किसी भी स्थायी कमी के साथ निवेश के वहन मूल्य में समायोजित किया जाएगा ताकि संशोधित वहन मूल्य प्राप्त किया जा सके।

- (iii) जहां एफवीटीपीएल में निवेश किया जाता है, वहां निवेशिती के सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनने की तारीख पर उचित मूल्य को अग्रणीत मूल्य के रूप में लिया जाएगा।
- (v) जब कोई निवेशिती सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं रह जाती है, तो निवेश को संबंधित श्रेणी में निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा:
- (vi) जहां निवेश को एचटीएम में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, वहां वहन मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फलस्वरूप किसी लेखांकन समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (vii) जहां निवेश को एएफएस या एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर उचित मूल्य संशोधित वहन मूल्य होगा। एएफएस और एफवीटीपीएल में पुनर्वर्गीकरण के मामले में संशोधित और पिछले वहन मूल्य के बीच का अंतर क्रमशः एएफएस-रिज़र्व और लाभ और हानि खाते में अंतरित किया जाएगा।

किसी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के पुनर्वर्गीकरण/बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ/मुनाफे को सबसे पहले लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी और फिर लाभ और हानि खाते से नीचे की रेखा में 'पूँजी आरक्षित खाते' में विनियोजित किया जाएगा। इस प्रकार विनियोजित राशि कर्षों से मुक्त होगी और वह राशि होगी जो सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जानी आवश्यक है।

4.2 प्रारम्भिक मान्यता

सभी निवेशों को आरंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाएगा। जब तक तथ्य और परिस्थितियाँ यह न दर्शाएँ कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब तक यह माना जाएगा कि अधिग्रहण लागत ही उचित मूल्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी (हस्तांतरण सहित), स्विच परिचालन और खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में, जिस मूल्य पर प्रतिभूति आवंटित की जाती है, वह प्रारंभिक मान्यता प्रयोजनों के लिए उचित मूल्य होगा।

diminution in the value of the investment to arrive at the revised carrying value.

- (iii) Where an investment is held in FVTPL, the fair value as on the date of the investee becoming a subsidiary, associate or joint venture shall be taken as the carrying value.
- (v) When an investee ceases to be a subsidiary, associate or joint venture, the investments shall be reclassified to the respective category as under:
- (vi) Where the investment is reclassified into HTM, there shall be no change in the carrying value and consequently no accounting adjustment per se shall be required.
- (vii) Where the investment is reclassified into AFS or FVTPL, the fair value on the date of such reclassification shall be the revised carrying value. The difference between the revised and previous carrying value shall be transferred to AFS-Reserve and Profit and Loss Account in case of reclassification into AFS and FVTPL respectively.

Any gain/profit arising on the reclassification/sale of an investment in a subsidiary, associate or joint venture shall be first recognised in the Profit and Loss Account and then shall be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated shall be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserves.

4.2 Initial Recognition

All investments shall be measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, it shall be presumed that the acquisition cost is the fair value. In respect of government securities acquired through auction (including devolvement), switch operations and open market operations (OMO) conducted by the RBI, the price at which the security is allotted shall be the fair value for initial recognition purposes.

जहां प्रतिभूतियों को उद्धृत किया जाता है या उचित मूल्य बाजार अवलोकनीय इनपुट (जैसे कि उपज वक्र, क्रेडिट स्प्रेड, आदि) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, किसी भी दिवस 1 लाभ/हानि को अनुसूची 14: उपशीर्षक 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ' या 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि' के अंतर्गत 'अन्य आय' जैसा भी मामला हो, के तहत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी: लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिवस 1 के नुकसान को तुरंत मान्यता दी जाएगी। लेवल 3 निवेशों से होने वाले किसी भी दिवस 1 के लाभ को स्थगित कर दिया जाएगा। ऋण लिखतों के मामले में, दिवस 1 के लाभ को परिपक्वता तिथि (या सतत लिखतों के लिए सबसे पूर्व कॉल तिथि) तक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाएगा, जबकि गैर-उद्धृत इक्विटी लिखतों के लिए, लाभ को देयता के रूप में तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि प्रतिभूति सूचीबद्ध या मान्यता रह नहीं हो जाती।

श्रेणियों के बीच पुनर्वर्गीकरण:

बैंक अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना निवेश को श्रेणियों (जैसे एचटीएम, एएफएस और एफवीटीपीएल) के बीच पुनर्वर्गीकृत नहीं करेंगे। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण के लिए आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) की पूर्व मंजूरी की भी आवश्यकता होगी।

पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से भावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।

अधिग्रहण लागत:

निवेश के अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज और कमीशन तथा ऋण लिखतों पर टूटी अवधि के ब्याज सहित लागत को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है और अधिग्रहण की लागत में शामिल नहीं किया जाता है। निवेश की लागत भारित औसत लागत पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रतिभूतियों में खरीद और बिक्री लेन-देन का हिसाब निपटान तिथि पर लगाया जाता है।

शॉर्ट सेल:

बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल लेनदेन करता है। शॉर्ट पोজीशन को एफवीटीपीएल-एचएफटी-पीडी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से घटाया जाता है। एफवीटीपीएल-एचएफटी-पीडी पोर्टफोलियो के अंतर्गत अन्य सरकारी प्रतिभूतियों के साथ शॉर्ट पोজीशन को बाजार के हिसाब से चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि, यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। शॉर्ट सेल पर लाभ/हानि को निपटान तिथि पर मान्यता दी जाती है।

Where the securities are quoted or the fair value can be determined based on market observable inputs (such as yield curve, credit spread, etc.) any Day 1 gain / loss shall be recognised in the Profit and Loss Account, under Schedule 14: 'Other Income' within the subhead 'Profit on revaluation of investments' or 'Loss on revaluation of investments', as the case may be.

Any Day 1 loss arising from Level 3 investments shall be recognised immediately. Any Day 1 gains arising from Level 3 investments shall be deferred. In the case of debt instruments, the Day 1 gain shall be amortized on a straight-line basis up to the maturity date (or earliest call date for perpetual instruments), while for unquoted equity instruments, the gain shall be set aside as a liability until the security is listed or derecognised.

Reclassification between categories:

Banks shall not reclassify investments between categories (viz. HTM, AFS and FVTPL) without the approval of their Board of Directors. Further, reclassification shall also require the prior approval of the Department of Supervision (DoS), RBI.

The reclassification should be applied prospectively from reclassification date.

Acquisition cost:

Costs, including brokerage and commission paid at the time of acquisition of investments and broken period interest on debt instruments, are recognised in the Profit and Loss Account and are not included in the cost of acquisition. Cost of investments is determined based on the weighted average cost method. Purchase and sale transactions in securities are accounted on settlement date.

Short sale:

The Bank undertakes short sale transactions in Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short position is categorised under FVTPL-HFT-PD category and netted off from investments in government securities. The short position along with other government securities under FVTPL-HFT-PD portfolio is marked to market and the resultant gain/loss, if any, is charged to the Profit and Loss Account. Profit / Loss on short sale is recognised on settlement date.

निवेश का उचित मूल्य:

• उद्धृत प्रतिभूतियाँ

उद्धृत प्रतिभूतियों का उचित मूल्य फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्य होगा। जिन प्रतिभूतियों की कीमतें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती हैं, उनके लिए उद्धृत प्रतिभूति का उचित मूल्य मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म या आरबीआई/सेबी द्वारा अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेड/कोट्स से उपलब्ध उद्धृत मूल्य या फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित कीमतों पर आधारित होगा।

• गैर उद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियाँ

क. ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाएगा।
ख. गैर-उद्धृत केंद्रीय/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर किया जाएगा।
ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफबीआईएल द्वारा जारी समतुल्य परिपक्वता की केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफल से 25 आधार अंक अधिक मूल्य पर करके वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए किया जाएगा।

• गैर उद्धृत डिबेंचर और बॉन्ड

अन्य गैर उद्धृत (अनकोटेड) फिक्स्ड इनकम सिक्क्योरिटीज (जैसे बॉन्ड और डिबेंचर) और प्रेफरेंस शेयरों का मूल्यांकन उचित मार्क-अप के साथ किया जाता है, यानी भारत सरकार की सिक्क्योरिटीज के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी (वाईटीएम) दरों पर लागू एफआईएमएमडीए प्रकाशित क्रेडिट स्प्रेड, जैसा कि एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- अनकोटेड इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेकअप मूल्य पर किया जाता है, जो कंपनी की नवीनतम तुलन पत्र से पता लगाया जाता है। जिस तारीख को नवीनतम तुलन पत्र तैयार की जाती है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले की नहीं होनी चाहिए। यदि नवीनतम ऑडिटेड तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है या 18 महीने से अधिक पुरानी है, तो शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी 1 रुपये के हिसाब से किया जाएगा।
- म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है।
- ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्काउंटेड इंस्ट्रुमेंट होने के कारण उनका मूल्यांकन वहन लागत पर किया जाता है।

Fair Value of investments:

• Quoted Securities

The fair value for the quoted securities shall be the prices declared by the Financial Benchmarks India Private Ltd. (FBIL). For securities whose prices are not published by FBIL, the fair value of the quoted security shall be based upon quoted price as available from the trades / quotes on recognised stock exchanges, reporting platforms or trading platforms authorized by RBI / SEBI or prices declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

• Unquoted SLR Securities

- Treasury Bills shall be valued at carrying cost.
- Unquoted Central / State Government securities shall be valued on the basis of the prices / YTM rates published by the FBIL.
- Other approved securities shall be valued applying the YTM method by marking them up by 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by FBIL.

• Unquoted debentures and bonds

The valuation of other unquoted fixed income securities (viz. bonds and debentures), and preference shares, is done with appropriate mark-up, i.e. applicable FIMMDA published credit spread over the Yield to Maturity (YTM) rates for Government of India securities as published by FBIL.

- Unquoted equity shares are valued at the breakup value, ascertained from the company's latest balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available or is more than 18 months old, the shares shall be valued at ₹1 per company.
- Units of mutual funds are valued at the latest Net Asset Value (NAV) declared by the mutual fund.
- Treasury bills, commercial papers and certificate of deposits being discounted instruments, are valued at carrying cost.

- सिक्क्योरिटी रिसीट्स (एसआर) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) की अनकोटेड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन क्रमशः जारी करने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और इनविट द्वारा प्रदान किए गए नेट एसेट वैल्यू के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा गारंटीकृत एसआर का मूल्यांकन एआरसी द्वारा घोषित नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) के आधार पर समय-समय पर किया जाना चाहिए, जिसे वसूली रेटिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है। सरकार समर्थित एस.आर. के उचित मूल्यांकन से प्राप्त अवास्तविक लाभ को कॉमन इक्विटी टियर 1 (सी.ई.टी. 1) पूंजी से घटाया जाना चाहिए, तथा ऐसे लाभ से कोई लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता।
- एफवीटीपीएल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) की अनकोटेड इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन एआईएफ द्वारा बताए गए एनएवी पर किया जाएगा। एनएवी सेबी (एआईएफ) विनियमों के अनुसार अर्धवार्षिक आवृत्ति पर एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने अंतर्निहित निवेशों के मूल्यांकन के आधार पर होगा। जहां कोई एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) सेबी विनियम, 2012 के अनुसार एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा अपने निवेशों का मूल्यांकन करने और प्रकट करने में विफल रहता है, इन निर्देशों के प्रयोजन के लिए इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा। यदि एआईएफ सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत नहीं है और एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा इसके निवेशों का नवीनतम प्रकटित मूल्यांकन मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से अधिक पहले का है, तो इसकी इकाइयों का मूल्य ₹1 माना जाएगा।

आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानः

आय पहचानः

- (क) बैंक निम्नलिखित निवेशों के लिए उपार्जन आधार पर आय की पहचान करेंगे:
 - (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, कॉर्पोरेट निकायों के बांड और डिबेंचर, जहाँ इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित होती हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से दिया जाता हो और बकाया न हो।
- (ख) म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड और अन्य ऐसे पूल/सामूहिक निवेश फंड की इकाइयों से आय को नकद आधार पर पहचाना जाएगा।

खंडित अवधि के ब्याज के लिए लेखांकनः

बैंक विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज को लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं करेंगे तथा इसे प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में मानेंगे।

- Investments in Security Receipts (SRs) and unquoted units of Infrastructure Investment Trust (InvIT) are valued as per the net asset value provided by the issuing Asset Reconstruction Company and InvIT respectively. Government-guaranteed SRs must be valued periodically based on the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC, which is determined by recovery ratings. Unrealized gains from fair valuation of government-backed SRs must be deducted from Common Equity Tier 1 (CET 1) capital, and no dividends can be distributed from such gains.
- Investments in unquoted units of Alternative Investment Fund (AIF) classified under FVTPL category shall be valued at the NAV as disclosed by the AIF. NAV shall be based on valuation of its underlying investments by an independent valuer on half yearly frequency as mandated by SEBI (AIF) Regulations. Where an AIF fails to carry out and disclose the valuation of its investments by an independent valuer as mandated by SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012, the value of its units shall be treated as ₹1 for the purpose of these Directions. In case AIF is not registered under SEBI (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012 and the latest disclosed valuation of its investments by an independent valuer precedes the date of valuation by more than 18 months, the value of its units shall be treated as ₹1.

Income Recognition, Asset Classification and Provisioning:

Income recognition:

- (a) Banks shall recognize income on accrual basis for the following investments:
 - (i) Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
- (b) Income from units of mutual funds, alternative investment funds and other such pooled/ collective investment funds shall be recognized on cash basis.

Accounting for Broken Period Interest:

Banks shall not capitalize the broken period interest paid to the seller as part of cost and shall treat it as an item of expenditure under Profit & Loss Account in respect of investments in securities.

गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई):

- (क) एक बार जब निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया जाना चाहिए और मूल्यांकन लाभ और हानि के निवल राशि निर्धारण करने के लिए इसे नहीं लिया जाना चाहिए।
- (ख) बैंक एनपीआई पर कोई आय अर्जित नहीं करेंगे। आय को केवल उसकी प्राप्ति पर मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा, प्रतिभूति में किसी भी एमटीएम एप्रेसिएशन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
- (ग) चाहे जिस श्रेणी (यानी, एचटीएम, एफएस या एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित)) में निवेश किया गया हो, हानि के लिए प्रावधान के लिए व्यय हमेशा लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार खाते को अपग्रेड किए जाने पर, पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी प्रावधान को उलट दिया जाएगा और एमटीएम लाभ और हानि की सममित मान्यता फिर से शुरू हो सकती है।

निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व

बैंक आईएफआर में राशि स्थानांतरित करके जो निम्नलिखित कम न हो, एक निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाएंगे जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम दो प्रतिशत न हो जाए।

- वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ।
- वर्ष के लिए निवल लाभ, अनिवार्य विनियोजन को घटाकर।

ब्याज का लेखांकन:

- तुलन पत्र के उद्देश्य के लिए, ब्याज आय (लाभांश सहित) को तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात् प्राप्त ब्याज, अर्जित और देय ब्याज तथा अर्जित लेकिन गैर देय ब्याज।
- अर्जित और गैर देय ब्याज के अंतर्गत ब्याज के प्रावधान के लिए, सभी सरकारी ऋणों और अनुमोदित प्रतिभूतियों/बांडों के लिए, वर्ष को 360 दिन और महीने को 30 दिन माना जाएगा। गैर-अनुमोदित और अन्य कॉर्पोरेट बांड/ऋणों के लिए वर्ष को 365 दिन और महीने को वास्तविक दिन माना जाएगा।
- जीरो कूपन बांड पर अर्जित छूट को जीरो कूपन बांड के बही मूल्य और मोचन मूल्य के बीच अंतर लेकर शेष परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया जाएगा। इसके बाद, मूल्यांकन किया जाएगा।

Non-Performing Investments (NPI):

- Once an investment is classified as an NPI, it should be segregated from rest of the portfolio and not considered for netting valuation gains and losses.
- Banks shall not accrue any income on NPIs. Income shall be recognised only on realisation of the same. Further, any MTM appreciation in the security shall be ignored.
- Irrespective of the category (i.e., HTM, AFS or FVTPL (including HFT)) in which the investment has been placed, the expense for the provision for impairment shall always be recognised in the Profit and Loss Account.

Upon an account being upgraded as per IRACP norms, any provision previously recognised shall be reversed and symmetric recognition of MTM gains and losses can resume.

Investment Fluctuation Reserve

Banks shall create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) until the amount of IFR is at least two per cent of the AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, on a continuing basis, by transferring to the IFR an amount not less than the lower of the following:

- Net profit on sale of investments during the year.
- Net profit for the year, less mandatory appropriations.

Accounting of Interest:

- For the purpose of Balance Sheet, interest income (including dividend) shall be classified under three heads viz., Interest received, Interest Accrued & due and Interest Accrued but not due.
- For provision of interest under interest accrued and not due, for all Government debts and approved securities / bonds, year shall be reckoned as 360 days and month as 30 days. For non-approved and other corporate bonds / debts year shall be reckoned as 365 days and month as actual days.
- Accrued Discount on zero coupon bonds shall be amortized over the remaining maturity period by taking the difference between the book value and redemption value of zero coupon bonds. Thereafter, valuation shall be carried out.

- बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, बांड और कॉर्पोरेट निकायों के डिबेंचर के लिए प्रोद्धव आधार पर आय की पहचान करेगा, जहां इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें पूर्व निर्धारित हैं और बशर्ते कि ब्याज नियमित रूप से चुकाया जाता है और बकाया नहीं है।
- अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों और एनसीडी/एफसीडी/पीसीडी/पीएसयू बांड पर ब्याज का लेखांकन प्रोद्धव आधार पर किया जाएगा, यदि निवेश को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहता है, अन्यथा इसका लेखा-जोखा केवल नकद आधार पर किया जाएगा।
- डीप डिस्काउंट (जीरो कूपन) बांड पर छूट का लेखांकन प्रोद्धव आधार पर किया जाएगा।
- ट्रेजरी बिल/कैश मैनेजमेंट बिल/डिस्काउंटेड इंस्ट्रुमेंट्स पर अर्जित छूट का लेखांकन निवेश पर ब्याज आय के अंतर्गत किया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रुमेंट्स की बिक्री पर प्रोद्धव से अधिक आय को बिक्री पर लाभ के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- एमएफ इंस्ट्रुमेंट्स पर आय वितरण का लेखा-जोखा नकद आधार पर किया जाएगा। पुनर्निवेश योजना के संबंध में अर्जित लाभांश को प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन या मोचन तिथि, जो भी पहले हो, को आय के रूप में दर्ज किया जाएगा।

पुनर्खरीद और रिवर्स पुनर्खरीद लेनदेन

- पुनर्खरीद (रेपो) और रिवर्स पुनर्खरीद (रिवर्स रेपो) लेनदेन को क्रमशः उधार लेने और उधार देने के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।
- रेपो लेनदेन पर उधार लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में और रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

एमआईबीओआर-ओआईएस व्युत्पन्न अनुबंधों का लेखांकन:

सभी डेरिवेटिव को तुलन पत्र पर मान्यता दी जाती है और उचित मूल्य पर मापा जाता है क्योंकि डेरिवेटिव अनुबंध एक संविदात्मक अधिकार या दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। एमआईबीओआर-ओआईएस के मामले में, मूल राशि काल्पनिक प्रकृति की होती है।

अन्य प्रासंगिक बिंदु :

- निवेश श्रेणियों में परिशोधन लिखत की शेष परिपक्वता पर एक सीधी रेखा के आधार पर होगा। दैनिक प्रीमियम परिशोधन और छूट परिशोधन क्रमशः व्यय शीर्ष और आय शीर्ष में परिलक्षित होंगे।

- Bank shall recognize income on accrual basis for Government Securities, bonds and debentures of corporate bodies, where interest rates on these securities are predetermined and provided interest is serviced regularly and is not in arrears.
- Interest on other approved securities and NCDs / FCDs / PCDs / PSU bonds shall be accounted on accrual basis if the investment continues to be classified as standard, other wise the same shall be accounted on cash basis only.
- Discount on Deep Discount (Zero Coupon) Bonds, shall be accounted pro-rata, on accrual basis.
- Discount accrued on Treasury Bills / Cash Management Bills / Discounted instruments shall be accrued and accounted under interest income on investments. On sale of such instruments the income over and above the accrual shall be booked as profit on sale.
- Income distribution on MF instruments shall be accounted on cash basis. In respect of reinvestment plan the dividend accrued shall be accounted as income on the last day of each quarter or the redemption date, whichever is earlier.

Repurchase and reverse repurchase transactions

- Repurchase (Repo) and reverse repurchase (Reverse Repo) transactions are reported as borrowing and lending respectively.
- Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

Accounting of MIBOR-OIS derivative contracts:

All derivatives are recognized on the balance sheet and measured at fair value since a derivative contract represents a contractual right or an obligation. In case of MIBOR-OIS, principal amount is notional in nature.

Other Relevant Points:

- Amortisation across the investment categories shall be on a straight-line basis over the residual maturity of the instrument. Daily premium amortisation and discount amortisation shall be reflected in expenses head and income head respectively.

- बैंक लेखांकन की राजस्व पद्धति का पालन करेगा। मूल मूल्य को खरीद की लागत के रूप में माना जाएगा और निवेश खाते में डेबिट किया जाएगा जबकि खंडित अवधि का ब्याज (खरीद तिथि तक अर्जित ब्याज) राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा और इसे लाभ और हानि खाते के तहत व्यय के रूप में दर्ज किया जाएगा। प्रतिभूतियों के अधिग्रहण/बिक्री के समय होने वाली ब्रोकरेज, कमीशन, स्टॉप ड्यूटी, कर आदि जैसी लागतों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा। प्राप्त ब्रोकरेज/अंडरराइटिंग कमीशन को आय के तहत लेखांकित किया जाएगा।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए 1 रुपये (बिना किसी विचार के) पर बही में लिए गए शेयरों के मामले में, बैंक को संबंधित पोर्टफोलियो में अन्य प्रतिभूतियों के मामले की तरह प्राप्ति पर लाभ दर्ज करना चाहिए। तथापि, बैंक को इन प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 1 रुपए पर जारी रखना चाहिए तथा अंतिम प्राप्ति तक एमटीएम मूल्यवृद्धि पर विचार नहीं करना चाहिए।
- निवेश पर ब्याज आय में निवेश पोर्टफोलियो से ब्याज और लाभांश (सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश को छोड़कर) के माध्यम से प्राप्त सभी आय शामिल होगी।
- विदेशों/भारत में सहायक कंपनियों, कंपनियों, संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय को अलग से लेखांकित किया जाएगा और प्रस्तुत किया जाएगा।
- गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के लिए प्रावधान को प्रावधानों और आकस्मिकताओं के तहत दर्शाया जाएगा।

वायदा विनिमय अनुबंध

सभी अग्रिम विनिमय अनुबंधों की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या छूट को अनुबंध की अवधि में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। अग्रिम विनिमय अनुबंधों के रह होने पर होने वाले लाभ/हानि, साथ ही अशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर मान्यता दी जाती है। ऐसे अनुबंधों पर विनिमय अंतर को उस रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

बकाया अग्रिम विनिमय अनुबंधों, गारंटी, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता को फेडआई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

- Bank shall follow Revenue Method of accounting. The basic price shall be treated as cost of purchase and debited to the investment account whereas the broken period interest (accrued interest up to the purchase date) shall be treated as revenue expenditure and is to be booked as an expense under Profit & Loss Account. Costs such as brokerage, commission, stamp duty, taxes etc. incurred at the time of acquisition / sale of securities shall be treated as revenue expenditure. Brokerage/underwriting commission received shall be accounted under income.
- In case of shares which were taken into books at ₹1/- (without paying any consideration) following the best practices, Bank should book profit on realization as in the case of other securities in the respective portfolio. However, Bank should continue to value these securities at ₹1 and do not consider the MTM appreciation till the time of eventual realization.
- Interest income on investments shall include all income derived from the investment portfolio by way of interest and dividend (except dividend from subsidiaries, associates and joint ventures).
- Income earned by way of dividend etc. from subsidiaries, companies, joint ventures abroad/in India to be accounted and presented separately.
- Provision for non-performing investments (NPI) shall be reflected under Provisions and Contingencies.

Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

व्युत्पन्न अनुबंध

बैंक ब्याज दर स्वेप और मुद्रा व्युत्पन्न में काम करता है। बैंक द्वारा निपटाए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वेप और फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट हैं। बैंक द्वारा निपटाए जाने वाली करेंसी व्युत्पन्न करेंसी ऑप्शन और करेंसी स्वेप हैं। इसके अलावा, बैंक एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स में भी काम कर रहा है। ऐसे व्युत्पन्न अनुबंधों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है:

क. ट्रेडिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव अनुबंधों का मूल्यांकन मार्क टू मार्केट आधार पर किया जाता है, निवल मूल्यहास/मूल्यवृद्धि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

ख. हेजिंग के लिए किए गए डेरिवेटिव अनुबंध हैं:

- हेज के रूप में नामित व्युत्पन्न अनुबंधों को भी उनकी अंतर्निहित परिसंपत्तियों के साथ बाजार के अनुसार चिह्नित किया जाता है।
- हेजिंग स्वेप के लिए आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

[5] अग्रिम

- अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निष्पादित और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- अग्रिमों को उधारकर्ता के अनुसार मानक, उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है।
- घरेलू अग्रिमों के लिए प्रावधान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए किए जाते हैं।
- विदेशी शाखाओं के साथ निष्पादित / गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान मेजबान देश के नियमों के अनुसार या आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं, जो भी अधिक कठोर हो।
- तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और बिल डिडिस्काउंट के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर हैं।

वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) / नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्लूओ) और सरकारी गारंटी जैसे सीजीटीएमएसई / ईसीजीसी / जीईसीएल / सीजीएफएमयू और सब्सिडी (यदि कोई हो) के अंतर्गत आने वाले खातों में एनपीए खातों की वसूली मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित की जाएगी।

Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Currency Options and Currency Swaps. Other than this, Bank is also dealing with Exchange Traded Currency Futures. Such derivative contracts are valued as under:

- Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation/appreciation is recognized in the Profit & Loss Account.
- Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - Derivative contracts designated as hedges are also marked to market along with their underlying assets.
 - Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

[5] Advances

- Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and bill rediscount.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

दायर किए गए वाद/डिक्री किए गए खातों में वसूली न्यायालय/ डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाएगी, यदि यह ऊपर उल्लिखित के अलावा अन्य है।

- 5.6 एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, मूल्यांकन और आय की पहचान आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।
- 5.7 एनपीए पर विशिष्ट प्रावधान के अलावा, मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए जाते हैं।

[6] अचल आस्तियां

- 6.1 बैंक के परिसर में फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड संपत्तियां शामिल हैं। सभी अचल संपत्तियों को उपयोग में लाए जाने की तिथि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।
- 6.2. भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया गया है और अन्य अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे 'पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व' खाते में जमा किया जाता है। बढ़े हुए मूल्य के कारण होने वाले मूल्यहास/परिशोधन को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया है। समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से राजस्व रिज़र्व में स्थानांतरित किया गया है।

[7] मूल्यहास

मूल कंपनी :

- 7.1 सभी परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास विधि सीधी रेखा विधि पर आधारित है, जो परिसंपत्तियों के जीवन काल पर आधारित है।
- 7.2 परिसंपत्तियों का जीवन काल सॉफ्टवेयर/अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार परिभाषित किया गया है।
- 7.3 विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाया गया परिसंपत्तियों का अनुमानित जीवन काल निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परिसंपत्ति का प्रकार	अनुमानित जीवन काल
i	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	60 वर्ष
ii	ए) पट्टा भूमि	पट्टा अवधि
	बी) पट्टा भवन	पट्टा अवधि या 60 वर्ष में से जो भी कम हो।
iii	फर्नीचर और फिक्स्चर	10 वर्ष

Recovery in suit filed / decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court / DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

- 5.6 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.
- 5.7 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[6] Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 6.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] Depreciation

Parent

- 7.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on life span of the assets.
- 7.2 The life span of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipments and Motor Vehicles.
- 7.3 Estimated life span of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

Sl No.	Type of Asset	Estimated Lifespan
i	Free hold Buildings	60 years
ii	A) Lease hold Land	Lease period
	B) Lease hold Building	Lower of lease period or 60 years
iii	Furniture & Fixtures	10 years

	ए) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर, आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि।	5 वर्ष
	बी) विद्युत उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर, पंखे आदि।	8 वर्ष
	सी) विद्युत उपकरण: जैसे एलईडी / ट्यूब लाइट उपकरण, आदि।	10 वर्ष
iv	कंप्यूटर	3 वर्ष
v	सर्वर	5 वर्ष
vi	मोटर वाहन	5 वर्ष

मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) 01-04-2020 से प्रभावी रूप से लागू किया जाता है।

- 7.4 सॉफ्टवेयर/अमूर्त संपत्तियों का 5 वर्षों में परिशोधन किया जाता है।
- 7.5 यदि वस्तु अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों और उससे अधिक समय तक उपयोग में लाई जाती है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास लगाया जाएगा। यदि संपत्ति अधिग्रहण के वर्ष में 180 दिनों से कम समय तक उपयोग में लाई जाती है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास लगाया जाएगा।
- 7.6 8 वर्ष या उससे अधिक उपयोग के जीवन वाली परिसंपत्तियों के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत मूल्य का 5/- रुपये अवशिष्ट मूल्य है।
- 7.7 लीजहोल्ड संपत्तियों पर भुगतान किया गया प्रीमियम लीज अवधि या संबंधित परिसंपत्ति के जीवन काल में जो भी पहले हो, उस पर वसूला जाता है। लीजहोल्ड भूमि और लीजहोल्ड सुधारों की लागत लीज अवधि या संबंधित परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, उस पर परिशोधित की जाती है।

	A) Electronic Equipment: Televisions, Projectors, Refrigerators, etc and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc.	5 years
	B) Electrical Equipment: Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans, etc.	8 years
	C) Electrical Fixtures: Like LED / Tube light Fixtures, etc.	10 years
iv	Computers	3 years
v	Servers	5 years
vi	Motor Vehicles	5 years

The change in rates (based on life span) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- 7.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- 7.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.
- 7.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.
- 7.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or life span of relevant assets whichever is lower.

7.8 विदेशी कार्यालयों में रखी गई अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के नियमों/मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है

7.9 परिचालन लीज पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतान को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (लीज) के अनुसार लीज अवधि में लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

[8] सहायक कंपनियां

(क) घरेलू सहायक कंपनियों की अचल संपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीद/विकसित और लाइसेंसिंग लागत से युक्त अमूर्त संपत्तियों का मूल्यहास सॉफ्टवेयर के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर अधिकतम 3 वर्षों तक किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर के पहली बार उपयोग किए जाने की तिथि से शुरू होता है।

(ग) पट्टे पर दी गई संपत्तियों के संबंध में मूल्यहास या तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों के अनुसार या अनुबंधों के अनुसार, पट्टे की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टे के किराए के लिए वर्ष के दौरान अर्जित पट्टे के किराए के अनुपात में लगाया जाता है, जो भी अधिक हो।

[9] आस्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह आकलन किया जाता है कि क्या इस बात का कोई संकेत है कि आस्ति क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि कोई हानि होती है, तो उसका प्रावधान किया जाता है तथा उसे लाभ-हानि खातों में डाल दिया जाता है।

[10] राजस्व मान्यता

आय और व्यय का लेखा सामान्यतः उपार्जन आधार पर किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित के:

(क) गैर-निष्पादित अग्रिमों और गैर-निष्पादित निवेशों पर ब्याज की पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्ति के आधार पर की जाती है।

(ख) अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन (सरकारी व्यवसाय और एलसी बीजी के लिए कमीशन के अलावा), एक्सचेंज, ब्रोकरेज और लॉकरों पर किराए की वसूली पर लेखांकित

7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries

7.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

[8] Subsidiaries

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

[9] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to profit and loss accounts.

[10] Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by the RBI.

(b) Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange,

किया जाता है। लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है जब उसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

- (ग) बैंक के विदेशी कार्यालयों के संबंध में, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार पहचाना जाता है जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।
- (घ) मुकदमा दायर किए गए खातों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य व्यय लाभ और हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं और वसूली होने पर उन्हें आय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

[11] जीवन बीमा कंपनी

1 प्रीमियम आय:

गैर-सहबद्ध व्यवसाय के प्रीमियम को आय (माल और सेवा कर ("जीएसटी") के बाद) के रूप में मान्यता दी जाती है, जब पॉलिसीधारकों से देय होता है, जहां अनुग्रह अवधि (आईआरडीआई द्वारा अनुमोदित उत्पाद नियमों और शर्तों के अनुसार) समाप्त नहीं हुई है। यूनिट लिंक्ड व्यवसाय के लिए, प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब संबंधित इकाइयाँ बनाई/आवंटित की जाती हैं। परिवर्तनीय बीमा उत्पादों और अन्य निधि आधारित समूह उत्पादों के मामले में, प्रीमियम को निधियों की प्राप्ति की तिथि पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

समाप्त हो चुकी पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब ऐसी पॉलिसियाँ फिर से चालू की जाती हैं।

सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि और/या पूर्व-निर्धारित पॉलिसी अवधि के साथ नियमित प्रीमियम भुगतान योजना वाले उत्पादों को पहले वर्ष और नवीनीकरण में प्रीमियम के उचित वर्गीकरण के साथ नियमित व्यवसाय के रूप में माना जाता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य उत्पादों पर प्रीमियम आय को एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

यूनिट लिंक्ड पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना जाता है और संबंधित इकाइयों के बनाए / आवंटित होने पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2. सहबद्ध व्यवसाय से आय

फंड प्रबंधन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, मृत्यु दर शुल्क और उत्पाद सुविधाओं के अनुसार अन्य शुल्क पॉलिसी की शर्तों के अनुसार लिंक्ड फंड से वसूल किए जाते हैं और देय और वसूली योग्य होने पर पहचाने जाते हैं। आवंटन शुल्क तब वसूल किए जाते हैं जब संबंधित

Brokerage and rent on lockers is accounted on realization. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

- (c) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- (d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] Life Insurance Company

1 Premium Income:

Premium of non-linked business is recognised as income (net of Goods and Services Tax ("GST") when due from policyholders, where the grace period (as per the product terms & conditions, as approved by IRDAI) has not expired. For unit linked business, premium is recognised as income when the associated units are created / allocated. In case of variable insurance products and other fund based group products, premium is recognised as income on the date of receipt of funds.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and / or pre-determined policy term are treated as regular business with due classification of premium into first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as single premium.

Top-up premium paid by the unit linked policyholders' is considered as single premium and recognized as income when the associated units are created / allocated.

2. Income from Linked Business:

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product features are recovered from linked funds in accordance with the terms and conditions of policies and are recognised when due and recoverable. Allocation

यूनिट पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बनाई/आबंटित की जाती हैं।

उपरोक्त यूनिट लिंक्ड शुल्कों पर वसूला गया माल और सेवा कर ("जीएसटी") आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में "यूएलआईपी शुल्कों पर वसूला गया माल और सेवा कर ("जीएसटी") के अंतर्गत दिखाया गया है।

3. पुनर्बीमा प्रीमियम:

पुनर्बीमा प्रीमियम का लेखा पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि या सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार उचित आधार पर किया जाता है।

4. भुगतान किए गए लाभ (दावों सहित):

दावों की लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत शामिल होती है, जहाँ लागू हो। मृत्यु दावों और राइडर दावों का लेखांकन सूचना प्राप्त होने पर बैलेंस शीट की तिथि तक किया जाता है।

उत्तरजीविता लाभ दावों, वार्षिकी दावों और परिपक्वता दावों का लेखांकन तब किया जाता है जब ये देय हो जाते हैं।

यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों के अंतर्गत समर्पण और निकासी (शुल्कों के बाद) का लेखांकन तब किया जाता है जब संबद्ध यूनिट रद्द कर दी जाती हैं। गैर-लिंक्ड पॉलिसियों के अंतर्गत, इनका लेखा-जोखा तब किया जाता है जब समर्पण की सूचना प्राप्त होती है और तुलन पत्र की तिथि तक स्वीकार कर ली जाती है।

यूनिट-लिंक्ड बीमा उत्पादों के मामले में, जिसमें जीवन प्रस्तावक की मृत्यु पर शेष भविष्य के प्रीमियमों को माफ करने की सुविधा होती है, माफ किए गए संपूर्ण भविष्य के प्रीमियम को जीवन प्रस्तावक की मृत्यु की घटना पर भुगतान किए गए लाभों के अंतर्गत देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। जब बाद का मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है, तो उक्त प्रीमियम को पूर्वोक्त देयता को कम करके वित्तपोषित किया जाता है और उसके लिए प्रीमियम आय को मान्यता दी जाती है।

न्यायिक अधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को आकस्मिक देयता के रूप में प्रदान किया जाता है/ प्रकट किया जाता है, जो प्रबंधन के विवेक के आधार पर, ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करता है।

charges are recovered when associated units are created / allocated in accordance with the terms and conditions of policies.

Goods and Services Tax ("GST") recovered on above Unit Linked charges are shown under "Goods and Services tax ("GST") recovered on ULIP charges" in the Revenue account as required by IRDAI guidelines.

3. Reinsurance Premium:

Re-insurance premium ceded is accounted on due basis in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

4. Benefits paid (including claims):

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation up to the balance sheet date.

Survival benefit claims, annuity claims and maturity claims are accounted when these become due.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under non linked policies, these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted up to the balance sheet date.

In case of Unit-Linked insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for / disclosed as contingent liability, based on management prudence, considering the facts and evidences available in respect of such claims.

दावों पर पुनर्बीमा वसूली का लेखा उसी लेखा अवधि में किया जाता है, जिसमें संबंधित दावे होते हैं।

5. अधिग्रहण की लागत:

अधिग्रहण लागत (जैसे कमीशन, चिकित्सा जांच शुल्क आदि) ऐसी लागतें हैं जो बीमा अनुबंधों के अधिग्रहण के साथ बदलती रहती हैं और मुख्य रूप से उनसे संबंधित होती हैं और जिस अवधि में वे खर्च के लिए निर्धारित होती हैं, उसी अवधि में व्यय की जाती हैं। भुगतान किए गए कमीशन की वापसी के कारण भविष्य में वसूली, यदि कोई हो, उस वर्ष में की जाती है जिसमें इसकी वसूली देय होती है।

6.ए) पॉलिसी देयता मूल्यांकन

लागू पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए जिनके लिए प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक देयता मौजूद है, देयताओं का मूल्य भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) विनियम, 2024, बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्रों/विनियमों, भारतीय एक्चुअरीज संस्थान द्वारा जारी एक्चुरियल प्रैक्टिस मानकों (एपीएस 2 और एपीएस 7) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत एक्चुरियल सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

एक्चुरियल देयता की गणना के लिए एक संक्षिप्त पद्धति नीचे दी गई है:

- पॉलिसी देनदारियों का मूल्यांकन पॉलिसी दर पॉलिसी आधार पर किया जाता है, यानी प्रत्येक पॉलिसी का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाता है।
- यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों पर लिंक्ड भाग का निर्धारण विभिन्न यूनिट-लिंक्ड फंडों में यूनिटों की संख्या को मूल्यांकन तिथि पर प्रति यूनिट नेट एसेट वैल्यू से गुणा करके किया जाता है।
- यूनिट-लिंक्ड पॉलिसियों की गैर-यूनिट देनदारी और गैर-लिंक्ड पॉलिसियों (फंड आधारित समूह उत्पादों और एक वर्षीय नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के अलावा) के लिए देयता का निर्धारण संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।
- एक वर्षीय नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के लिए, देयता का निर्धारण अनर्जित प्रीमियम पद्धति या

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same accounting period as the related claims.

5. Acquisition Costs:

Acquisition costs (such as commission, medical examination fees etc.) are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of clawback of the commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due

6.a) Policy liability valuation:

The value of liabilities, for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as on reporting date, is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) Regulations, 2024, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 and other relevant circulars/regulations issued by IRDAI, as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

A brief methodology for calculating the actuarial liability is given below:

- The policy liabilities are valued on policy by policy basis, i.e. each policy is valued separately
- The linked portion on unit-linked policies is determined by multiplying the number of units in various unit-linked funds with the Net Asset Value per unit as at the valuation date.
- The non-unit liability of unit-linked policies and liability for non-linked policies (other than fund based group products and one year renewable group term assurance plans) is determined using the prospective gross premium valuation methodology.
- For one year renewable group term assurance plans, the liability is determined using the unearned premium method or prospective

संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो भी उच्च रिज़र्व की ओर ले जाता है।

- फंड आधारित समूह उत्पादों के मामले में, देयता का निर्धारण योजना खाता मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो घोषित या गारंटीकृत ब्याज के लिए उचित रूप से अनुमति देता है।
- परिवर्तनीय समूह बीमा उत्पादों के मामले में, देयता की गणना तिमाही के आरंभ में घोषित गारंटीकृत ब्याज दर का उपयोग करते हुए, चालू तिमाही के अंत तक प्रासंगिक योजना के खाता मूल्य का अनुमान लगाकर की जाती है और फिर प्रतिकूल विचलन के लिए उचित मार्जिन लागू करने के बाद सकल अपेक्षित रिटर्न का उपयोग करते हुए, मूल्यांकन तिथि तक इस मूल्य को घटाया जाता है।

कंपनी अतिरिक्त समग्र जोखिम रिज़र्व (जैसे कि उपगत परंतु रिपोर्ट न किए गए रिज़र्व, नए व्यवसाय रिज़र्व का बंद होना, फ्री-लुक रिज़र्व आदि) भी रखती है, ताकि उन जोखिमों को ध्यान में रखा जा सके, जिन्हें विशिष्ट नीतियों या कारोबार सीमाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

बीमाकिक देयता में परिवर्तन को राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

बी) भविष्य के विनियोजन के लिए निधि

भावी विनियोजन हेतु निधि (संबद्ध व्यवसाय)

यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों के मामले में, जिन समाप्त पॉलिसियों के पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है, उनसे काटे गए समाप्ति प्रभार को, पुनरुद्धार अवधि की समाप्ति या बीमित व्यक्ति की मृत्यु या लागू लॉक-इन अवधि की समाप्ति के कारण पॉलिसी के बहीखातों से बाहर निकलने तक तुलन पत्र में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि के रूप में रखा जाता है।

भावी विनियोजन के लिए निधि (गैर-संबद्ध व्यवसाय)

भावी विनियोजन के लिए निधियां उस अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे भाग लेने वाले खंड में पॉलिसीधारकों/शेयरधारकों को अभी तक विनियोजित नहीं किया गया है।

निधि में और निधि से होने वाले हस्तांतरण भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों के कोष में प्रत्येक लेखा अवधि में व्यय और विनियोजन पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाते हैं। भाग लेने वाली पॉलिसियों के संबंध में, पॉलिसीधारक को कोई भी

gross premium valuation methodology, whichever leads to a higher reserve.

- In case of fund based group products, the liability is determined on the basis of scheme account value allowing appropriately for the interest declared or guaranteed.
- In case of Variable group insurance products, the liability is calculated by projecting the account value of the relevant scheme till the end of the current quarter using the guaranteed interest rate declared at the beginning of the quarter and then discounting this value to the valuation date using the gross expected return after applying an appropriate margin for adverse deviation.

The Company also holds additional aggregate risk reserves (such as Incurred But Not Reported Reserves, Closure to New Business Reserves, Free-Look Reserve etc.) to allow for the risks that cannot be attributed to specific policies or lines of businesses.

Change in actuarial liability is charged to the Revenue account.

b) Funds for future appropriations

Funds for future appropriations (Linked business)

In case of unit linked policies, the discontinuance charges deducted from the lapsed policies which are not expected to be revived are held as Funds for Future Appropriations in Balance Sheet until the exit of the policy from books due to expiry of revival period or due to death of the life assured or expiry of the lock-in period as applicable.

Funds for future appropriations (Non-Linked business)

The Funds for Future Appropriations represents the surplus which is yet to be appropriated to policyholders / shareholders, in the participating segment.

Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the participating policyholders' fund. In respect of participating policies, any allocation to the policyholder would

आवंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक हस्तांतरण को भी जन्म देगा।

[12] कर्मचारी लाभ

(क) **परिभाषित अशंदांन योजनाएँ:** प्रोविडेंट / पेंशन फंड जैसी परिभाषित अशंदांन योजनाओं को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ-हानि खाते में जमा किया जाता है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो एक परिभाषित अशंदांन पेंशन योजना है, ऐसे नए कर्मचारी मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% इस योजना में योगदान करते हैं, साथ ही बैंक की ओर से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर का योगदान भी मिलता है। बैंक ऐसे वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है, जिससे वे संबंधित हैं।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

(i) **ग्रेच्युटी:** कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है जो बदले में दिशानिर्देशों के अनुसार अपने फंड का प्रबंधन करता है। ग्रेच्युटी के तहत बैंक के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में एक्च्युअरी के आधार पर पहचाना जाता है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सकल दायित्व से घटाकर निवल आधार पर दायित्व को मान्यता दी जाती है।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन फंड योजना बैंक द्वारा वित्तपोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। पेंशन के तहत बैंक के दायित्वों का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में एक्च्युअरी की रिपोर्ट के आधार पर पहचाना जाता है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को सकल दायित्व से घटाकर निवल आधार पर दायित्व को मान्यता दी जाती है।

(ग) विशेषाधिकार अवकाश को दीर्घकालिक लाभ माना जाता है और इसे प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर 'प्रोजेक्टेड यूनिट

also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

[12] Employee Benefits

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joiners not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) Defined Benefit Plans:

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on

क्रेडिट विधि' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(घ) परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में तुरंत मान्यता दी जाती है और उन्हें स्थगित नहीं किया जाता है।

'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

(d) The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

[13] करधान के लिए प्रावधान

क) आयकर व्यय बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22- "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखा जाता है, जो संबंधित क्षेत्राधिकारों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, जो बाद की अवधि में उलटने में सक्षम हैं, उन्हें कर दरों और कानूनों का उपयोग करके पहचाना जाता है जो तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि उनकी प्राप्ति यथोचित रूप से निश्चित मानी जाती है या आभासी रूप से निश्चित, जैसा भी मामला हो।

घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने पर तभी मान्यता दी जाती है जब इस बात की वास्तविक निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को भविष्य के मुनाफे के विरुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त मदों के अलावा अन्य मदों पर

[13] Provision for Taxation

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.

d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां

(क) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और अनुषंगी आस्तियां) के अनुरूप, बैंक (मूल) प्रावधान को तभी निर्धारित करता है जब:

- (i) अतीत की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है।
- (ii) यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और
- (iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) निम्न के लिए कोई प्रावधान नहीं है:

- (i) कोई संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।
- (ii) यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी, या
- (iii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जाता है और दायित्व के केवल उस हिस्से के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank recognizes provision only when:

- (i) It has a present obligation as a result of past event.
- (ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- (iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

- (i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank.
- (ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- (iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

[15] निवल लाभ

लाभ और हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित है:

- (क) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान।
- (ख) कराधान के लिए प्रावधान।
- (ग) ऋण घाटे पर प्रावधान।
- (ज) मानक परिसंपत्तियों पर प्रावधान।
- (च) गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान।
- (छ) अन्य सामान्य और आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रावधान।

[16] प्रति शेयर आय:

बैंक लेखांकन मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार प्रति शेयर मूल और मन्दित आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

[17] नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

[18] खंड रिपोर्टिंग:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Depreciation on Investments.
- (b) Provision for Taxation.
- (c) Provision on Loan Losses
- (d) Provision on Standard Assets.
- (e) Provision for Non-Performing Investments.
- (f) Provision for Other usual & necessary items.

[16] Earnings per share:

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

[17] Cash Flow Statement:

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

[18] Segment Reporting:

The Bank recognise the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (मूल बैंक / संस्था) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों व सहयोगी संस्थानों का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणी को, मूल बैंक की संस्था यथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	निगमन का प्रकार	निगमिति देश	स्वामित्व हित का प्रतिशत
1	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	100%
2	केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	100%
3	केनरा बैंक सिन्डिकेटीज लिमिटेड (पूर्व में गिल्ट सिन्डिकेटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	अनुषंगी	भारत	100%
4	केनबैंक फैंक्टर्स लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	70%
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	69.14%
6	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	अनुषंगी	भारत	51%
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)	अनुषंगी	भारत	51%
8	केनरा तंजानिया लिमिटेड (परिसमापन में)	अनुषंगी	तंजानिया	100%
9.	(पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड) सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2024 से)	अनुषंगी	भारत	51%

बैंक की अनुषंगी कंपनी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड अपने वित्तीय परिणाम अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एस) के अनुसार तैयार करती है। बैंक अपने वैधानिक अनुपालन के प्रयोजनों के लिए भारतीय जीएपी के तहत अपने वित्तीय परिणाम तैयार करता है और प्रस्तुत करता है। इसलिए बैंक की अनुषंगी कंपनियाँ, बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों के प्रयोजनों के लिए, भारतीय जीएपी के अनुसार मान्यता और माप सिद्धांतों के आधार पर समेकन के लिए उपयुक्त जानकारी तैयार करती है।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (गैर-लाभकारी) के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। बाद में एमएचआरडी का नाम परिवर्तित कर एमओई (शिक्षा मंत्रालय) कर दिया गया।

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent), and following Subsidiaries & Associates. The financial statements of the Subsidiaries / Associates are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended on March 31, 2025.

1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited Financial Statements:

Sl. No.	Name of Company	Type of Incorporation	Country of Incorporation	Percentage of Ownership Interest
1	Canbank Venture Capital Fund Ltd	Subsidiary	India	100%
2	Canbank Financial Services Ltd	Subsidiary	India	100%
3	Canara Bank Securities Ltd (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)	Subsidiary	India	100%
4	Canbank Factors Ltd	Subsidiary	India	70%
5	Canbank Computer Services Ltd	Subsidiary	India	69.14%
6	Canara Robeco Asset Management Company Ltd	Subsidiary	India	51%
7	Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (Formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd)	Subsidiary	India	51%
8	Canara Tanzania Ltd (In Liquidation) (Formerly Canara Bank Tanzania Ltd)	Subsidiary	Tanzania	100%
9	CRMF Trustee Private Ltd (From Nov 2024)	Subsidiary	India	51%

The Bank's subsidiary Canara Robeco Asset Management Company Ltd prepares its financial results in accordance with the notified Indian Accounting Standards ('Ind-AS'). The Bank for the purposes of its statutory compliance prepares and presents its financial results under Indian GAAP. Hence the Bank's subsidiary companies, for the purposes of the consolidated financial results of the Bank, prepare 'fit-for-consolidation information' based on the recognition and measurement principles as per Indian GAAP.

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt company and as Non-deposit taking NBFC with RBI. Later on MHRD has been renamed as MoE (Ministry of Education).

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार का उद्देश्य विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना और अनुसंधान सुविधाएं स्थापित करना है, जिसका उद्देश्य देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईआईटी आदि जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष प्रयोजन हेतु एक मंच प्रदान करना है।

इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने 2,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने 1,000 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

इसके बाद, इसके बाद, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। दिनांक 31.03.2025 तक, मंत्रालय ने 4,812.50 करोड़ रुपये की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने 481.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बैंक के सीएफएस में एचईएफए की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है:

- क) समेकन के पीछे का इरादा अनुषंगी / संयुक्त उद्यम के मुनाफे, आय और संपत्ति को होल्डिंग / वेंचर कंपनी में अपने होल्डिंग / वेंचर के आधार पर विलय करना है। होल्डिंग / उद्यम कंपनी तकनीकी रूप से अपनी अनुषंगी / उद्यम की आनुपातिक संपत्ति (लाभ सहित) का मालिक है। जब हम उद्यम कंपनी को धारा 8 कंपनी के साथ समेकित करते हैं, हालांकि यह उद्यम कंपनी की संपत्ति की गलत अवधारणा दर्शाएगी, क्योंकि उद्यम कंपनी धारा 8 कंपनी के मुनाफे पर कभी भी किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। इसलिए समेकन का सवाल ही नहीं उठता।
- ख) एस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

The Ministry of Human Resources Development (MHRD) now Ministry of Education (MoE), Govt with an object to build world class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT, IIITs etc of the country.

Based on this the MoE (erstwhile MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2,000 Cr. MoE (erstwhile MHRD) has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2025, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹.481.25 Cr.

The financials of HEFA is not considered in the CFS of the Bank based the following facts:

- a) The intent behind consolidation is to merge the profits, income and wealth of the subsidiary / JV into the holding / Venture company by the virtue of its holding / Venture. The holding / Venture company technically owns the proportionate wealth (including the profit) of its subsidiary / Venture, When we consolidate the Venture company with a Section 8 company, it will however depict a wrong picture of the wealth of the venture company, as the venture company can never claim any right over the profits of a Section 8 Company. Therefore, the question of consolidation does not arise.
- b) AS 21 (Consolidated Financial Statement) would not be applicable in the current case as this does not satisfy the definition of Control.

स्वीकार किए जाने हेतु शर्तें	केनरा बैंक की स्थिति	प्रयोज्यता
1. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनी (यों) के माध्यम से, एक उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व	संयुक्त उद्यम सह शेयर धारक करार के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार केनरा बैंक के पास केवल 9.09% हिस्सेदारी है जो मतदान शक्ति के एक-आधे की सीमा से बहुत कम है।	पूरी नहीं है।
2. किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना या संबंधित शासन की संरचना का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक करार के अनुच्छेद 9.1.1 के अनुसार, एतईएफए के निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से केनरा बैंक के केवल दो निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (एमडी) होंगे, बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार, उक्त करार के पैरा 8.2 के अनुसार, एमडी निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के अधीन कार्य करेगा।	चूंकि, बैंक के पास बोर्ड की संरचना में नियंत्रणकारी हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं होती।

Conditions to satisfy	Canara Bank's position	Applicability
1. The ownership, directly or indirectly through subsidiary(ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise	As per Para 4.1 of the JV Cum Share holder Agreement Canara Bank is holding only 9.09% which is much below the threshold of one-half of the voting power.	Not Satisfied
2. Control of the composition of the board of directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing	As per Para 9.1.1 of the JV cum shareholder Agreement, Board of Directors of HEFA consists of 7 directors out of which only two directors of Canara Bank, one of whom will be Managing Director(MD), will represent in the Board. Similarly, as per Para 8.2 of the said agreement, MD shall function under the control, supervision and directions of the Board of Directors.	Since, the Bank is not having controlling stake in composition of Board the condition is not satisfied.

ग) एस 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) एस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण लागू नहीं होगा जो निम्नानुसार है:

संयुक्त उद्यम की प्रकृति के कारण, यदि यह आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, तो संयुक्त उद्यम को एस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत दिए गए प्रतिबंध के कारण सीएफएस के लिए नहीं माना जाएगा, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा (बी) एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में हित जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत संचालित होती है जो उद्यमकर्ता को धन हस्तांतरित करने की इसकी क्षमता को काफी कम कर देती है।

ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में हित को लेखांकन मानक (एसएस) 13, निवेशों के लिए लेखांकन के अनुसार निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के गठन का उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 (संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक समझौते के पृष्ठ 2 के खंड सी) के प्रावधानों के

c) AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) would not be applicable due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as under:

Due to the nature of the JV, even if registered as NBFC with RBI, which is a not for profit company registered U/s 8 of Companies Act, 2013 the JV would not be considered for CFS due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as (b) an interest in a jointly controlled entity which operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the venturer.

Interest in such a jointly controlled entity should be accounted for as an investment in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments.

The intent of forming of the JV is incorporating a Section 8 Company under the provisions of Companies Act, 2013

तहत धारा 8 कंपनी को शामिल करना है। इसके अलावा, उक्त समझौते के पैरा 4.4 और पैरा 8.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ इक्विटी का हिस्सा होगा और यह दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रतिबंध हैं जो बैंक को धन हस्तांतरित करने की इसकी क्षमता को काफी हद तक बाधित करते हैं।

इसके अलावा, एएस 27 के पैरा 12 और 13 में कहा गया है: 12. संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन में अपने हितों के संबंध में, एक उद्यमी को अपने अलग-अलग वित्तीय विवरणों में और इसके परिणामस्वरूप अपने समेकित वित्तीय विवरणों में पहचान करनी चाहिए:

- (i) वे संपत्तियां जिन पर यह नियंत्रण रखता है और जिन देनदारियों पर यह खर्च करता है; और
- (ii) वह खर्च जो वह करता है और आय का उसका हिस्सा जो वह संयुक्त उद्यम से कमाता है।

चूंकि उद्यमकर्ता के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में आस्ति, देयताओं, आय और व्यय पहले से ही पहचाने जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों में, इन मदों के संबंध में कोई समायोजन या अन्य समेकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जब उद्यमी समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

चूंकि बैंक अपनी आय में उद्यम से प्राप्त शुल्क को उद्यम के प्रबंधन, उसकी श्रमशक्ति और अन्य संसाधनों की लागत के रूप में शामिल करता है तथा निवेश के रूप में अभिदत्त शेयर पूंजी को भी मान्यता देता है, इसलिए समेकन की आगे की प्रक्रिया / समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

उपर्युक्त कारणों को देखते हुए बैंक ने सीएफएस में एएस 21 या एएस 27 के तहत संयुक्त उद्यम पर विचार नहीं किया है।

(Clause C of page 2 of the JV cum share holder Agreement). Further, Para 4.4 and Para 8.4 of the captioned agreement it clearly mentioned that the profit shall form part of the equity and which demonstrates that there is long term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the Bank.

Also, para 12 and 13 of AS 27 states as under: 12. In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer should recognise in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements:

- (i) The assets that it controls and the liabilities that it incurs; and
- (ii) The expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the joint venture.

Because the assets, liabilities, income and expenses are already recognised in the separate financial statements of the venturer, and consequently in its consolidated financial statements, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements.

Since the bank accounts in its income the fees received from the Venture towards the cost of managing the venture with its manpower and other resources and also recognizes the subscribed share capital as investment, the further procedure / adjustment of consolidation is not required.

In view of the above reasons the Bank has not considered the JV in CFS either under AS 21 or AS 27.

1.2. सहयोगी संस्थाएँ:

1. निम्नलिखित सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकन के उद्देश्य से माना गया है:

क्रम सं.	सहयोगी संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित	निगमित देश	यथा 31.03.2025 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2024 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1.	केन फिन होम्स लि.	लेखापरीक्षित	भारत	29.99%	29.99%
2.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)	अलेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
3.	केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साउथ मलबार ग्रामीण बैंक)	अलेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
4.	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	अलेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
5.	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक	लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates:

- i. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Associate	Audited/ Unaudited	Country of Incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2025	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2024
1.	Can Fin Homes Ltd.	Audited	India	29.99%	29.99%
2.	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
3.	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	Unaudited	India	35.00%	35.00%
4.	Karnataka Vikas Grameena Bank	Unaudited	India	35.00%	35.00%
5.	Andhra Pragathi Grameena Bank	Audited	India	35.00%	35.00%

2. अनुषंगी और सहयोगी संस्थाएँ प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार लगातार लेखांकन नीतियों का पालन कर रहे हैं, जो संबंधित उद्योग / व्यवसाय / देश की आवश्यकताओं के कारण कुछ मामलों में मूल कंपनी से अलग हैं। प्रबंधन की राय में, चूंकि इसका प्रभाव भौतिक नहीं है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियाँ/ (गुडविल) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2025	31.03.2024
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियाँ	2.79	2.79

4. अंतर शाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण

मूल बैंक के अंतर-शाखा/कार्यालय लेनदेन के अंतर्गत प्रविष्टियों का मिलान और सेटिंग, अंतर-कार्यालय समायोजन लेखा के माध्यम से पूरे बैंक के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पर आधारित प्रणाली द्वारा ही किया जाता है।

2. The Subsidiaries and Associates are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The break-up of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(Amount ₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2025	31.03.2024
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Ltd.	0.25	0.25
Net Capital Reserve	2.79	2.79

4. Inter-branch transactions and confirmation of balances:

The matching and setting of entries under Inter-Branch/office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

समूह की कुछ कंपनियों में विविध लेनदारों, विविध देनदारों, ऋणों और अग्रिमों आदि में शेष राशि की पुष्टि की जानी आवश्यक है।

5. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिना)

कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करती है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है, जिसे (कंपनी लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियां नहीं चला रही है, लेखों को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

कंपनी अदालत में लंबित मामलों में वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन ने नकदी प्रक्षेपण के समर्थन से अपनी कार्यशील पूंजी पर्याप्तता का आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की चालू संस्था के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

6. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

6.1 संबंधित पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध टूल संस्था - केनरा बैंक

6.1.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्री. के. सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- श्री अशोक चंद्रा, कार्यपालक निदेशक (16 जनवरी 2025 तक)
- श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यपालक निदेशक
- श्री भवेंद्र कुमार, कार्यपालक निदेशक
- श्री एस के मजुमदार, समूह मुख्य वित्त अधिकारी (24 मार्च 2025 से)

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

The company has registered as NBFC under Sec 45-IA of the Reserve Bank of India ACT, 1934. The company follows mercantile system of accounting and comply with generally accepted accounting policies in India and Accounting Standards specified u/s. 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the (Companies Accounts) Rules 2014. Accounts are prepared on going concern basis in spite of the fact that the company is not carrying out the primary NBFC activities.

The company is concentrating on recovery in pending court cases. In the preparation of financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of cash projection. The management has concluded that the company shall have sufficient working capital to finance their operations and the management believe that there is no material uncertainty exists over the ability of the company to continue on a going concern basis.

6. Related Party Disclosures:

6.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

6.1.1 Key Management Personnel

- Shri. K. Satyanarayana Raju, Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director
- Shri. Ashok Chandra, Executive Director (till 16th January 2025)
- Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director
- Shri. Bhavendra Kumar, Executive Director
- Shri. S K Majumdar, Executive Director (w.e.f from 24th March 2025)

vii) श्री अमित मित्तल, समूह मुख्य वित्त अधिकारी
(25 मार्च 2025 से)

viii) संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव

vii) Shri. Amit Mittal, Group Chief Financial Officer
(w.e.f from 25th March 2025)

viii) Santosh Kumar Barik, Company secretary

6.1.2 मूल संस्था

i) केनरा बैंक

6.1.3 अनुषंगियाँ

1	केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
2	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
3	केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
4	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
6	केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड (पूर्व में गिल्ट सिक्क्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
7	केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8	केनरा तंजानिया लिमिटेड** (पूर्व में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड)
9	सीआरएमएफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नवंबर 2024 से)

** बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केनरा तंजानिया लिमिटेड (परिसमापन में) (सीटीएल) ने अपनी प्रमुख परिसंपत्तियों और देनदारियों को मेसर्स एक्विजिड बैंक तंजानिया लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है और लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। इसके बाद कंपनी सीटीएल ने परिसमापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

संयुक्त उद्यम - शून्य

6.1.4 सहयोगी संस्थाएँ

1	केन फिन होम्स लिमिटेड
	बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक #
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
3	केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व दक्षिण मलबार ग्रामीण बैंक)
4	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
5	आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक

6.1.2 Parent

i) Canara Bank

6.1.3 Subsidiaries

1	Canbank Financial Services Ltd.
2	Canbank Venture Capital Fund Ltd.
3	Canbank Factors Ltd.
4	Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
5	Canbank Computer Services Ltd.
6	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corp. Ltd)
7	Canara HSBC Life Insurance Company Ltd
8	Canara Tanzania Ltd** (formerly Canara Bank Tanzania Ltd)
9	CRMF Trustee Private Limited (From Nov 2024)

** Canara Tanzania Ltd (In Liquidation) (CTL), a wholly owned subsidiary of the Bank has transferred its major assets and liabilities to M/s Exim Bank Tanzania Ltd and surrendered the license. Thereafter the company CTL has started the process of liquidation.

Joint Ventures - NIL

6.1.4 Associates

1	Can fin Homes Ltd.
	Regional Rural Banks sponsored by the Bank #
2	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)
3	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
4	Karnataka Vikas Grameena Bank
5	Andhra Pragathi Grameena Bank

#वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 07.04.2025 के पत्र संख्या सीजीएच-डीएल-ई-07042025-262329 के माध्यम से 01.05.2025 से “एक राज्य-एक आरआरबी” की अवधारणा के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के विलय का प्रस्ताव दिया है। इन आरआरबी में बैंक के निवेश को 31 मार्च 2025 तक के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के विलय का विवरण इस प्रकार है:

#Vide letter No. CGH-DL-E-07042025-262329 dated 07.04.2025, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India has proposed amalgamation of Regional Rural Banks (RRBs) under the concept “One State-One RRB” w.e.f. 01.05.2025. The Bank’s investments in these RRBs are included in its financial statements as at 31st March 2025. Details of the amalgamation of RRBs sponsored by our Bank are as under:

राज्य	आरआरबी का अंतरण	हस्तांतरणकर्ता आरआरबी का प्रायोजक	समामेलित आरआरबी	हस्तांतरिती आरआरबी का प्रायोजक
आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कर्नाटक	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	केनरा बैंक
	कर्नाटक ग्रामीण बैंक			

State	Transferor RRB	Sponsor Bank of Transferor RRB	Amalgamated RRB	Sponsor Bank of transferee RRBs
Andhra Pradesh	Andhra Pragathi Grameena Bank	Canara Bank	Andhra Pradesh Grameena Bank	Union Bank of India
Karnataka	Karnataka Vikas Grameena Bank	Canara Bank	Karnataka Grameena Bank	Canara Bank
	Karnataka Gramin Bank			

6.1.5 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(राशि ₹ में)

नाम और अवधि	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2024-25	2023-24
श्री के सत्यनारायण राजु (कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत अवधि के लिए अक्टूबर 2023 में 3,43,258.29/- रुपये का पीएलआई जमा किया गया)	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी	42,41,160.00	38,61,277.58
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	39,12,885.00	36,18,756.00
श्री अशोक चंद्र (16.01.2025 तक)	कार्यपालक निदेशक	30,57,596.00	34,61,076.00
श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया	कार्यपालक निदेशक	34,66,935.00	31,12,162.57
श्री भवेन्द्र कुमार (09.10.2023 से)	कार्यपालक निदेशक	35,27,076.00	15,72,693.17
श्री एस के मजुमदार (24.03.2025 से)	कार्यपालक निदेशक	69,807.48	-
श्री बृज मोहन शर्मा (30.06.2023 तक)	पूर्व कार्यपालक निदेशक	-	40,42,310.00
श्री एस के मजुमदार (23.03.2025 तक)	समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)	75,92,849.87	41,29,546.44
श्री अमित मित्तल (25.03.2025 से)	समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ)	63,696.66	-
श्री संतोष कुमार बारिक (21.04.2023 से)	बैंक का कंपनी सचिव	25,01,214.81	23,72,882.88
श्री विनय मोहता (21.04.2023 तक)	भूतपूर्व - बैंक का कंपनी सचिव	-	1,40,595.05 (20 दिन का वेतन)
	कुल	2,84,33,220.82	2,63,11,299.69

नोट: ऊपर दिए गए आंकड़ों में बैठक शुल्क, पीएलआई और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति के लेन-देन, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदारों के साथ लेन-देन शामिल हैं, का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

6.1.5 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under::

Remuneration to Key Management Personnel is as under:

(Amount in ₹)

NAME & PERIOD	DESIGNATION	2024-25	2023-24
Shri. K SATYANARAYANA RAJU (PLI of ₹3,43,258.29/- credited in Oct 2023 for the period worked as ED)	Managing Director & Chief Executive Officer	42,41,160.00	38,61,277.58
Shri. DEBASHISH MUKHERJEE	Executive Director	39,12,885.00	36,18,756.00
Shri. ASHOK CHANDRA (Till 16.01.2025)	Executive Director	30,57,596.00	34,61,076.00
Shri. HARDEEP SINGH AHLUWALIA	Executive Director	34,66,935.00	31,12,162.57
Shri. BHAVENDRA KUMAR (From 09.10.2023)	Executive Director	35,27,076.00	15,72,693.17
Shri. S K MAJUMDAR (From 24.03.2025)	Executive Director	69,807.48	-
Shri. BRIJ MOHAN SHARMA (Upto 30.06.2023)	Ex-Executive Director	-	40,42,310.00
Shri. S K MAJUMDAR (Till 23.03.2025)	Group Chief Financial Officer (GCFO)	75,92,849.87	41,29,546.44
Shri. AMIT MITTAL (From 25.03.2025)	Group Chief Financial Officer (GCFO)	63,696.66	-
Shri. SANTOSH KUMAR BARIK (From 21.04.2023)	Company Secretary of the Bank	25,01,214.81	23,72,882.88
Shri. VINAY MOHTA (till 21.04.2023)	Ex-Company Secretary of The Bank	-	1,40,595.05 (20 Days Salary)
	Total	2,84,33,220.82	2,63,11,299.69

Note: The figures mentioned above are excluding sitting fee, PLI and other fees.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

7. प्रति शेयर आय:

7.1 मूल और मिश्रित प्रति शेयर आय:

विवरण	2024-25	2023-24
मूल और मिश्रित ईपीएस (₹)	19.34	84.22

7. Earnings per Share:

7.1 Basic and Diluted Earnings per Share:

Particulars	2024-25	2023-24
Basic and Diluted EPS (₹)	19.34	84.22

7.2 ईपीएस की गणना:

	विवरण	2024-25	2023-24
क	इक्विटी शेयरधारकों के फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) (रुपये करोड़ में)	17539.64	15278.56
ख	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़)	907.06	181.43
ग	31 मार्च तक बकाया शेयरों की संख्या (करोड़)	907.06	181.43
घ	प्रति शेयर मूल और पतला आय (क / ख) (रुपये में)	19.34	84.22
ड	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रुपये में)	2.00	10.00

7.2 Computation of EPS:

	Particulars	2024-25	2023-24
A	Net Profit / (Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	17539.64	15278.56
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	907.06	181.43
C	No. of Shares outstanding as on 31 st March (Crore)	907.06	181.43
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A / B) (₹)	19.34	84.22
E	Nominal Value per Share (₹)	2.00	10.00

8. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	-1090.70	910.92
एनपीआई के लिए प्रावधान	9590.62	9007.35
मानक संपत्ति के लिए प्रावधान	335.96	232.36
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	5689.03	5217.20
उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-128.17	-125.36
संदिग्ध आस्तियों की वसूली के लिए प्रावधान	44.86	47.01
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएँ – निवल	11.06	-361.35
कुल	14452.66	14928.12

8. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025	31.03.2024
Provision for Depreciation on Investment and NPI	-1090.70	910.92
Provision towards NPA	9590.62	9007.35
Provision towards Standard Asset	335.96	232.36
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	5689.03	5217.20
Provision for Diminution in Fair Value	-128.17	-125.36
Provision for assets doubtful of recovery	44.86	47.01
Other Provision and Contingencies – Net	11.06	-361.35
TOTAL	14452.66	14928.12

9. समेकित खंड रिपोर्टिंग

पार्ट ए - कारोबार खंड

(₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	31.03.2025 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(1)	राजस्व खंड		
क	राजकोषीय परिचालन	27,686.00	24,628.54
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	64,972.82	60,870.89
	(i) डिजिटल बैंकिंग	4.42	1.55
	(ii) अन्य खुदरा बैंकिंग	64,968.40	60,869.34
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	49,042.10	42,161.82
घ	जीवन बीमा परिचालन	10,956.97	11,503.69
ड	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
च	गैर-आबंटित	-	-
	कुल	152657.89	139164.94
	घटाएँ: अंतर खंड राजस्व परिचालन से आय	152657.89	139164.94
(2)	परिणाम खंड		
क	राजकोषीय परिचालन	7,839.68	4,659.00
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	15,931.70	16,652.59
	(i) डिजिटल बैंकिंग	(3.31)	(4.31)
	(ii) अन्य खुदरा बैंकिंग	15,935.01	16,656.90
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	(878.74)	(1,425.35)
घ	जीवन बीमा परिचालन	132.38	113.32
ड	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
	कुल	23025.02	19999.56
च	गैर-आबंटित आय/व्यय (प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित)		
	कर पूर्व कुल लाभ	23025.02	19999.56
	आय कर	5,689.03	5,217.20
	निवल लाभ	17,335.99	14,782.36
	जोड़ें: सहयोगी संस्था के लाभ का हिस्सा	355.91	618.56
	घटाएँ: एम आई	152.28	122.35
	समेकित निवल लाभ	17,539.62	15,278.57
(3)	आस्ति खंड		
क	राजकोषीय परिचालन	4,67,087.75	4,08,277.75
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	5,92,632.60	5,28,695.36
	(i) डिजिटल बैंकिंग	47.08	23.43
	(ii) अन्य खुदरा बैंकिंग	5,92,585.51	5,28,671.93
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	5,57,950.21	5,20,333.99
घ	जीवन बीमा परिचालन	42,914.28	38,750.83
ड	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
च	गैर-आबंटित आस्तियाँ	70,106.61	38,959.71
	कुल आस्तियाँ	1730691.35	1535017.64

9. Consolidated Segment Reporting

Part A - Business Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2025 (Audited)	31.03.2024 (Audited)
(1)	Segment Revenue		
a	Treasury Operations	27,686.00	24,628.54
b	Retail Banking Operations	64,972.82	60,870.89
	(i) Digital Banking	4.42	1.55
	(ii) Other Retail Banking	64,968.40	60,869.34
c	Wholesale Banking Operations	49,042.10	42,161.82
d	Life Insurance Operation	10,956.97	11,503.69
e	Other Banking Operations	-	-
f	Unallocated	-	-
	Total	152657.89	139164.94
	Less: Inter-Segment Revenue		
	Income from Operations	152657.89	139164.94
(2)	Segment Results		
a	Treasury Operations	7,839.68	4,659.00
b	Retail Banking Operations	15,931.70	16,652.59
	(i) Digital Banking	(3.31)	(4.31)
	(ii) Other Retail Banking	15,935.01	16,656.90
c	Wholesale Banking Operations	(878.74)	(1,425.35)
d	Life Insurance Operation	132.38	113.32
e	Other Banking Operations	-	-
	Total	23025.02	19999.56
f	Unallocated Income/ Expenses (including Provisions and Contingencies)		
	Total Profit Before Tax	23025.02	19999.56
	Income Tax	5,689.03	5,217.20
	Net Profit	17,335.99	14,782.36
	Add Share of Associate Profit	355.91	618.56
	Less: MI	152.28	122.35
	Consolidated Net profit	17,539.62	15,278.57
(3)	Segment Assets		
a	Treasury Operations	4,67,087.75	4,08,277.75
b	Retail Banking Operations	5,92,632.60	5,28,695.36
	(i) Digital Banking	47.08	23.43
	(ii) Other Retail Banking	5,92,585.51	5,28,671.93
c	Wholesale Banking Operations	5,57,950.21	5,20,333.99
d	Life Insurance Operation	42,914.28	38,750.83
e	Other Banking Operations	-	-
f	Unallocated Assets	70,106.61	38,959.71
	Total Assets	1730691.35	1535017.64

(4) देयता खंड		
क राजकोषीय परिचालन	4,19,200.86	3,79,860.28
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	5,79,144.82	4,76,773.56
(i) डिजिटल बैंकिंग	25.33	17.89
(ii) अन्य खुदरा बैंकिंग	5,79,119.48	4,76,755.66
ग थोक बैंकिंग परिचालन	5,50,625.55	5,15,776.21
घ जीवन बीमा परिचालन	41,397.42	37,331.95
ड अन्य बैंकिंग परिचालन		
च गैर-आबंटित देयताएँ	33,716.14	32,141.96
कुल देयताएँ	16,24,084.79	14,41,883.96
(5) नियोजित पूँजी		
क राजकोषीय परिचालन	47,886.79	28,417.47
ख खुदरा बैंकिंग परिचालन	13,487.78	51,921.81
(i) डिजिटल बैंकिंग	21.75	5.54
(ii) अन्य खुदरा बैंकिंग	13,466.03	51,916.27
ग थोक बैंकिंग परिचालन	7,324.66	4,557.78
घ जीवन बीमा परिचालन	1,516.86	1,418.88
ड अन्य बैंकिंग परिचालन		
च गैर-आबंटित	36,390.47	6,817.74
कुल नियोजित पूँजी	1,06,606.56	93133.68

(4) Segment Liabilities		
a Treasury Operations	4,19,200.86	3,79,860.28
b Retail Banking Operations	5,79,144.82	4,76,773.56
(i) Digital Banking	25.33	17.89
(ii) Other Retail Banking	5,79,119.48	4,76,755.66
c Wholesale Banking Operations	5,50,625.55	5,15,776.21
d Life Insurance Operation	41,397.42	37,331.95
e Other Banking Operations		
f Unallocated Liabilities	33,716.14	32,141.96
Total Liabilities	16,24,084.79	14,41,883.96
(5) Capital Employed		
a Treasury Operations	47,886.79	28,417.47
b Retail Banking Operations	13,487.78	51,921.81
(i) Digital Banking	21.75	5.54
(ii) Other Retail Banking	13,466.03	51,916.27
c Wholesale Banking Operations	7,324.66	4,557.78
d Life Insurance Operation	1,516.86	1,418.88
e Other Banking Operations		
f Unallocated	36,390.47	6,817.74
Total Capital Employed	1,06,606.56	93133.68

भाग ख - भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2025	31.03.2024
क	राजस्व		
	घरेलू	1,45,931.19	1,32,696.85
	अंतर्राष्ट्रीय	6,726.70	6,468.09
	कुल	1,52,657.89	1,39,164.94
ख	आस्तियाँ		
	घरेलू	15,88,040.64	14,22,643.35
	अंतर्राष्ट्रीय	1,42,650.71	1,12,374.29
	कुल	17,30,691.35	15,35,017.64

Part B - Geographical Segment:

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2025	31.03.2024
A	Revenue		
	Domestic	1,45,931.19	1,32,696.85
	International	6,726.70	6,468.09
	Total	1,52,657.89	1,39,164.94
B	Assets		
	Domestic	15,88,040.64	14,22,643.35
	International	1,42,650.71	1,12,374.29
	Total	17,30,691.35	15,35,017.64

10. अनुषंगी, सहयोगी संस्थाएँ और संयुक्त उद्यम के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था के हिस्से की गणना के बाद समूह का समेकित आरक्षित निधियाँ ₹1,03,602.63 करोड़ है, जिसमें से ₹98,085.98 करोड़ मूल संस्था से संबंधित है और शेष ₹5,516.65 करोड़ अनुषंगी और सहयोगी संस्थाओं से संबंधित है (पिछले वर्ष ₹90,319.10 रुपये जिसमें से ₹85,140.46 रुपये मूल संस्था से संबंधित हैं और शेष ₹5,178.64 रुपये अनुषंगी, सहयोगी संस्था और संयुक्त उद्यम से संबंधित हैं)।

10. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹1,03,602.63 Crore of which ₹98,085.98 Crore relate to the Parent and the balance ₹5,516.65 Crore relates to the Subsidiaries & Associates (Previous year ₹90,319.10 Crore of which ₹85,140.46 Crore relate to the Parent and the balance ₹5,178.64 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सत्य एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए वैसे मदों की सूचना, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

11. समेकित वित्तीय परिणाम "समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 21, "सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" पर लेखांकन मानक 23, सहयोगी संस्थाओं के लिए इक्विटी पद्धति और अनुषंगी संस्थाओं के लिए आनुपातिक पद्धति का उपयोग करते हुए, तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" पर लेखांकन मानक 27 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

12. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि:

वर्ष के अंत में जब भी ऐसी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती, तो आस्तियों की हानि की समीक्षा की जाती है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना कर मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और तदनुसार मापा जाना है। यद्यपि, बैंक के प्रबंधन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 "आस्तियों की हानि" लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है।

13. दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बेसल III अनुपालित कुल ₹3,000 करोड़ के अतिरिक्त टियर I बाण्ड तथा ₹4,000 करोड़ के टियर II बाण्ड जारी किए हैं और परिवर्तन के कारण बेसल III अनुपालित ₹4,150 करोड़ के टियर II बाण्ड तथा ₹1,500 करोड़ के अतिरिक्त टियर I बाण्ड का मोचन किया है।
14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

11. The consolidated financial results are prepared in accordance with Accounting Standard 21 on "Accounting for Consolidated Financial Statements", Accounting Standard 23 on "Accounting for Investment in Associates", using equity method for associates and proportionate method for subsidiaries and Accounting Standard 27 on "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the RBI.

12. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

13. During the year ended 31.03.2025, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹3,000 Crore and Tier II Bonds of ₹4,000 Crore through private placement and redeemed of ₹4,150 Crore Basel III Compliant Tier II Bonds and ₹1,500 Crore Additional Tier I Bonds due to maturity.
14. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

यथा 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

Particulars	31.03.2025 (लेखापरीक्षित / Audited)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited)
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर-पश्चात निवल लाभ / NET PROFIT AFTER TAX	17,539.62	15,278.57
जोड़े: कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर हेतु प्रावधान सहित) / ADD: PROVISION FOR TAX (INCL PROVISION FOR DEFERRED TAX)	5,689.03	5,217.20
कर-पूर्व निवल लाभ / NET PROFIT BEFORE TAX	23,228.65	20,495.77
समायोजन : / ADJUSTMENTS FOR:		
मूल्यहास / Depreciation	869.77	901.73
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(403.28)	(2,779.39)
एनपीए के लिए प्रावधान / Provision for NPAs	9,590.62	8,881.98
अवमानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets	335.96	207.64
बांड पर दिया गया ब्याज / Interest paid on bonds	2,685.24	2,560.52
आकस्मिकताओं एवं अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others	(68.29)	(289.63)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on sale of Investment	(3,307.71)	(1,918.59)
अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय / (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	(2.27)	(16.31)
अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Investments	(1,094.65)	949.92
कुल योग / Sub total	8,605.39	8,497.87
समायोजन: / ADJUSTMENTS FOR:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(18,480.56)	(41,976.88)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(1,27,136.10)	(1,09,739.38)
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	30,027.57	(1,438.61)
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits	1,44,252.56	1,33,155.99
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets	(760.45)	2,316.14
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	4,845.52	6,529.76
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest	189.36	96.65
	32,937.90	(11,058.33)
घटाएँ: निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदान / LESS: NET INCOME TAX (PAID) / REFUND	(4,103.36)	(2,890.81)
परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकदी NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES	(अ) (A) 60,668.58	15,046.50
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
सहयोगी कंपनियों में निवेश से आय (Increase) / Decrease in investment in Associates	(818.66)	(589.41)
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in other reserves	(2,804.46)	94.56
अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets	1,161.87	(1,253.15)
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES	(ख) (B) (2,461.24)	(1,748.00)

वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
लाभांश का भुगतान / Payment of Dividend	(2,920.75)	(2,176.95)
बांड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on bonds	(2,685.24)	(2,560.52)
अधीनस्थ ऋणों सहित बांडों का नया निर्गम Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts	7,000.00	3,403.00
अधीनस्थ ऋणों सहित बांडों का मोचन / Redemption of bonds including sub-ordinated debts	(4,900.00)	(2,500.00)
पूंजी व प्रतिभूति प्रीमियम का नया निर्गम / Fresh issue of capital & security premium	0.00	
वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकदी NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES	(3,505.99)	(3,834.47)
विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flows on Account of Exchange Fluctuation	24.07	(2.16)
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग+घ) NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D)	54,725.42	9,461.87
प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य / OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	1,51,164.69	1,41,702.82
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य / CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	2,05,890.11	1,51,164.69

नोट्स / Notes:

- नकद प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष पद्धति (AS-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक समझा गया है, आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया या है।
 - नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेष राशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है:
- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures has been re-grouped wherever considered necessary
 - Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

नकदी प्रवाह विवरण हेतु नोट्स / NOTES TO CASH FLOW STATEMENT

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2025 (लेखापरीक्षित / Audited)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited)
आरबीआई में नकदी एवं शेषराशि / Cash & Balance with RBI	90,047.68	71,134.88
बैंकों में उपलब्ध शेषराशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1,15,842.43	80,029.81
कुल / Total	2,05,890.11	1,51,164.69

अंजनेयुलु चेरुकुरी
मंडल प्रबंधक

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
सहायक महाप्रबंधक

मोहम्मद मोइन
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्रल
महा प्रबंधक व जीसीएफओ

एस के मजुमदार
कार्यपालक निदेशक

भवेंद्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी
अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

रोहित दास
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

हेमंत बुच
निदेशक

नलिनी पद्मनाभन
निदेशक

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड
कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610एस
(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं: 018159

कृते रोडी दबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846डब्ल्यू
(रुशिकेश विलास देशपांडे)
साझेदार
सदस्यता सं: 114113

कृते अबरना एंड अनंथन
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000003एस
(एस.अनंतन)
साझेदार
सदस्यता सं: 026379

कृते एस आर गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001537सी
(अजय कुमार अटोलिया)
साझेदार
सदस्यता सं: 077201

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 303002ई
(अमित विश्वास)
साझेदार
सदस्यता सं: 052296

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2025

ANJANEYULU CHERUKURI
DIVISIONAL MANAGER

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
ASSISTANT GENERAL
MANAGER

MOHD. MOIN
ASSISTANT GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
GENERAL MANAGER & GCFO

S K MAJUMDAR
EXECUTIVE DIRECTOR

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH
AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

ROHIT DAS
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

HEMANT BUCH
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

For ABARNA & ANANTHAN
Chartered Accountants
FRN : 000003S

For S R GOYAL & CO
Chartered Accountants
FRN : 001537C

For M C BHANDARI & CO
Chartered Accountants
FRN : 303002E

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(RUSHIKESH VILAS
DESHPANDE)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 114113

(S.ANANTHAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 026379

(AJAY KUMAR ATOLIA)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 077201

(AMIT BISWAS)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 052296

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2025

नामांकन पत्र

सेवा में,
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केनरा बैंक,
प्रधान कार्यालय: बेंगलूरु

क्र. सं.

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

आपके ईजीएम सूचना दिनांक 30.05.2025 के संदर्भ में मैं, _____ केनरा बैंक का शेयरधारक, जो शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2025 को (अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि) को 2 रुपये प्रति शेयर के _____ इक्विटी शेयर रखता हूँ, श्री / श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ जो _____ में रहते हैं, को **गुरुवार, 26 जून 2025** को होने वाली बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) में प्रावधान के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए केनरा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या एवं क्लाइंट आईडी संख्या (यदि अमूर्तीकृत है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

1. किसी निगमित निकाय द्वारा नामांकन के मामले में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ होनी चाहिए जिस पर इसे पारित किया गया था।
2. उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाना चाहिए।
3. यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाया जाता है, तो नामांकन रद्द कर दिया जा सकता है।

NOMINATION FORM

To
The Managing Director & CEO,
CANARA BANK
Office: Bengaluru

Sr. No.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your AGM Notice dated 30.05.2025 I, _____ a shareholder of Canara Bank holding _____ equity shares of ₹2/- each as on Friday the 23rd May 2025 (i.e.,) the specified date for participating in the Election do hereby nominate Shri / Smt. _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Canara Bank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Thursday, the 26th June, 2025.**

Name	
Signature	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

1. In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed..
2. Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

घोषणाएं

मैं _____ श्री / श्रीमती _____ का पुत्र / पुत्री / पत्नी _____ निवासी _____ एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि :

- क मैं एक शेरधारक हूँ और मेरे पास शुकवार 23 मई 2025 तक बैंक के 2 रुपये मूल्य के इक्विटी शेयर हैं अर्थात्, चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि, और कार्यकाल के अंत तक शेयरों को रखने का वचन देते हैं, यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाते हैं;
- ख 'मेरे पास (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहयोग, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है जो आईटी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान है और व्यावहारिक अनुभव जिसका भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) और मैं जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों को अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए के संदर्भ में और उसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसापत्र प्रस्तुत करता हूँ, और (***जो भी लागू न हो उसे हटा दें**)
- ग मैं नामांकन संख्या स्वीकार करता हूँ; और
- ध मैं केनरा बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ; और
- ड मैं बैंक का निदेशक बनने से अयोग्य नहीं हूँ, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2000 (संशोधित रूप में), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचनाएं और भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उल्लेखित है और
- च मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; और
- छ मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी समनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

- ज मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मैंने भुगतान निलंबित नहीं किया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता नहीं किया है; तथा; और
- झ मुझे विक्षिप्त दिमाग का नहीं पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है और एक आपराधिक न्यायालय द्वारा एक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; और
- ञ मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है; और
- ट मैं निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, तुरन्त समाप्त कर दूंगा तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; और
- ठ मैं किसी बैंक या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्था या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक की धारक एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ।
- ड मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा नहीं हूँ;

DECLARATIONS

I, _____ son / daughter / wife of Shri / Smt _____ resident of _____
_____ hereby confirm that::

- a. I am a Shareholder holding equity shares of ₹2/- each of the Bank as on **Friday 23rd May, 2025**, i.e., the Specified / Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. *I have special knowledge or practical experience in (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of IT/ Payment & Settlement Systems / Human Resources/Risk Management/Business Management etc., and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and **(*Delete whichever is not applicable.);**
- c. I accept the nominations numbering _____; and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Canara BANK; and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks and
- f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- g. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- l. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.
- m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para-Banking activities;
- n. I have not served as director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

- ढ मैंने विगत में किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनी के निदेशक मंडल में छह वर्षों तक लगातार या रुक-रुक कर किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है।
- ण मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में शामिल नहीं हूँ।
- त मैं संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के पद पर नहीं हूँ।
- थ मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- द मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में केनरा बैंक, जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाता है, की सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है।
- ध मेरा केनरा बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप केनरा बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- न मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक में स्वामित्व रखने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है और यदि मैं निर्वाचित होता हूँ तो निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता हूँ।
- प मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋणदाता संस्थान का चूककर्ता नहीं हूँ।
- फ मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले अनुबंध पत्र (आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ;
- ब मैं वचन देता हूँ कि मैं इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं, यदि कोई हों, जो यहां दी गई सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सूचित करूंगा तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर संविदा विलेख निष्पादित करूंगा; तथा
- भ मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ; तथा मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं, तथा
- म मैं नीचे अन्य कंपनियों / बैंकों में अपने वर्तमान एवं पिछले निदेशक पद का विवरण दे रहा हूँ:

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक विवरण अर्थात् कार्यकाल, निदेशक का स्वरूप, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ / पृष्ठ)

मैं अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण हैं; तथा

नाम	
हस्ताक्षर	
मोबाइल नंबर	
ईमेल आईडी	
शेयरों की संख्या	

- p. I am not engaging in the business of stock broking.
- q. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized Bank or State Bank of India.
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Canara Bank in which nomination for election is filed.
- t. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Canara Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Canara Bank.
- u. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- v. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority / agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- w. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- x. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- y. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies / Banks:

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, nature of directorship, period etc.

(add additional rows / sheets if necessary)

I enclose my personal details which are to the best of knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name	
Signature	
Mobile Number	
E-mail ID	
No. of Shares	

पंजीकृत फोलियो नं. (यदि अमूर्तीकृत नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या व क्लाइंट आईडी संख्या (यदि मूर्तीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट : उम्मीदवार इस घोषणा में निहित कथन को हटा / संशोधित कर सकते हैं।

उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासन के उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या केनरा बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।

Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

Note: Candidates may delete / modify the statement/s contained in this declaration.

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Canara Bank or any Nationalized Bank.

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचन पत्र (उपयुक्त संलग्नक के साथ)

कृपया नवीनतम
पासपोर्ट आकार की
तस्वीर यहां चिपकाएं

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत की गई जानकारी		
I. व्यक्तिगत विवरण:				
1.	पूरा नाम	मूल नाम	मध्य नाम	उपनाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पुरुष / महिला / अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता व वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिन / माह / वर्ष) और आयु	---/---/----- आयु: -- वर्ष -- महीने		
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (ख) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्राधिकार) / आयकर सर्कल / वार्ड का नाम और पता (ग) विवरणियां दाखिल करने का ब्यौरा और पिछले 3 वर्षों के करों का भुगतान	दायर करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (आईएनआर)	
12.	स्थायी पता			
13.	लेखाशास्त्र, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सह परिचालन, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य मामले में से एक या अधिक के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा।			

Declaration and Undertaking by a Proposed Director (with appropriate enclosures)

Please affix latest
passport size
photograph here

Sr No	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal Details				
1	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M / F/ others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd / mm / yyyy) and Age	--- / --- / ----- Age: -- years -- months		
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle / Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	Date of filing	Amount of Tax Paid (INR)	
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			

14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)				
15.	पिछले व्यवसाय में कम से कम पिछले दस वर्षों को शामिल किया गया है, जिसमें काम करने वाले संगठन का पूरा पता, शामिल होने की तारीख, कार्यमुक्त होने की तारीख (कारणों सहित), पदनाम, आदि शामिल हैं।				
16.	यदि आप लेखापरीक्षक हैं, तो निम्नलिखित जानकारी दें: भारतीय लेखापरीक्षक संस्थान (आई.सी.ए.आई) की सदस्यता संख्या: (क) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि: (ख) पंजीकृत फर्म / फर्मों का नाम और पता: (ग) फर्म / फर्मों द्वारा या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए लेखा परीक्षा(परीक्षाओं) का विवरण:				
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) सहित बैंकर का नाम, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	यदि आपके, आपके पति / पत्नी तथा आपके नाबालिग बच्चे के पास किसी संस्था में भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारिता है, तो उसका विवरण। (डीमैट / शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:				
II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध:					
20.	रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें] यदि कोई हो, जो किसी बैंक से जुड़े हों:				
21.	उन संस्थाओं की सूची जिनमें: (क) हितबद्ध [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]: (ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम देखें]: (ग) न्यासी (न्यास के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):				

14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (a) Date of registration with the ICAI: (b) Name and Address of the registered firm/s: (c) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the Banker(s) with Branch and Account Numbers (savings / current / loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat / shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the Bank:				
II. Relevant Relationships of proposed director:					
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which: (a) Interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) Beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				

22.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई)* के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखने वाली मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची।	कंपनी/फ़र्म का नाम निगमन देश शेयरों की संख्या प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य कुल चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में शेयर होल्डिंग लाभप्रद हित (मूल्य के साथ-साथ प्रतिशत के संदर्भ में) क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी है
23.	विदेश में निगमित तथा भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं को धारिताओं का विवरण।	
24.	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड के सदस्य / सलाहकार आदि रहे हैं (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा पद रहा हो/था)।	
25.	यदि किसी ऐसी संस्था से जुड़े हों जो किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती हों (संगठक के स्वरूप का उल्लेख किया जाना चाहिए), तो उसका विवरण दें।	
26.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संबद्ध किसी इकाई से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
27.	निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो, जो वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं।	
28.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां किसी व्यक्ति या उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की हो या इशदतन चूककर्ता घोषित किए गए हों।	
29.	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां।	
*कंपनी के संबंध में पर्याप्त हित का अर्थ है (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिक बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो; ii) एक फर्म के संबंध में, अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या नाबालिक बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।		
iv प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हों:		
30.	(क) किसी पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित है या शुरू हुई है या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई है या किसी भी समय किसी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसका विवरण।	
	(ख) यदि किसी व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।	

22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the Banking Regulation Act, 1949.	Name of the Company / Firm	
		Country of Incorporation	
		Number of Shares	
		Face Value of each Share	
		Total Face Value of Shareholding	
		Shareholding as % of total Paid-up Capital	
		Beneficial Interest (in value as well as % terms)	
		Whether the Entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
24.	Name of Bank / NBFC / any other company in which currently or in the past a member of the Board / Advisor etc. (giving details of period during which such office is being / was held).		
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para-Banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.		
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.		
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a Bank / NBFC / any other lending institution.		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.		
*substantial interest (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds Two Crore Rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.			
IV. Proceedings, if any, against the proposed director:			
30.	(a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession / occupation at any time, details thereof.		
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.		

31.	आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले, यदि कोई अभियोजन हो तो उसका विवरण।	
32.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित है या शुरू हुआ है या जिसके परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया हो।	
33.	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो उसका विवरण।	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करता है, तो उसका विवरण।	
35.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया गया है, तो उसका विवरण।	
36.	यदि विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण।	
37.	(क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण।	
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, तो उसका विवरण।	
38.	पूर्णकालिक निदेशक के पद के अलावा यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हो, तो उसका विवरण।	
39.	यदि किसी व्यक्ति या उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में से किसी इकाई के रूप में किसी भी पिछले नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी भी जांच / सतर्कता / जांच के मामलों के अधीन रहे हैं, तो उसका विवरण।	
40.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/ संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।	
41.	यदि किसी विनियामक जैसे कि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा व्यावसायिक संचालक गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिबंध, निलंबन, रोक, निषेध या अन्यथा मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण दें। (हालांकि किसी उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह कॉलम में उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करें जिन्हें बाद में पूरी तरह से बदल दिया गया है / पूर्णतया रद्द किया गया है, लेकिन यदि बदलने / पूर्णतया रद्द करने का कारण सीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी जैसे तकनीकी कारण हैं, और योग्यता के आधार पर नहीं है, तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।	
v सामान्य जानकारी :		
42.	यदि आप सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में कोई पेशेवर कार्य कर रहे हैं / कर चुके हैं, तो बैंक का नाम और बैंक के साथ जुड़ाव की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि आप वर्तमान में सांसद / विधायक / एमएलसी हैं या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद पर हैं, तो उसका विवरण प्रदान करें।	

31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML / CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised Bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation / vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
40.	If found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by Customs / excise / Income Tax / foreign exchange / other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, Government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V. General Information:		
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking / undertaken any professional work in any Bank, provide details thereof including the name of the Bank and period of association with the Bank.	
43.	If a sitting MP / MLA / MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	

VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि 'उपयुक्त और समुचित' का मूल्यांकन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।		
घोषणा		
मैं पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूरी जानकारी देने का वचन देता हूँ, जो ऊपर दी गई जानकारी से प्रासंगिक हैं।		
स्थान : दिनांक :		प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) के हस्ताक्षर
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / बोर्ड की टिप्पणी कि वह इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।		
स्थान : दिनांक :		एनआरसी / बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'Fit and Proper,' provide details thereof.		
Undertaking		
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		
Place : Date :		Signature of proposed Director (Candidate)
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) / Board of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place : Date :		Signature of the Chair of the NRC / Board

लाभांश वितरण नीति

पात्रता मानदंड

बैंक में होना चाहिए:

- ✓ पिछले दो पूर्ण वर्षों तथा उस लेखा वर्ष के लिए, जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है, पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) कम से कम 9% होना चाहिए।
- ✓ निवल एनपीए 7% से कम।

यदि कोई बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन जिस लेखा वर्ष के लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, उसके लिए उसका सीआरएआर कम से कम 9% है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

बशर्ते, बैंकों को 9% की विनियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से ऊपर, कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी से युक्त 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है। बैंकों पर पूंजी वितरण प्रतिबंध तब लगाए जाएंगे जब उनके पूंजी स्तर इस सीमा के भीतर होंगे। नीचे दी गई तालिका न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात दिखाती है जिसे बैंक को कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर पूरा करना होगा।

अलग-अलग बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक

वर्तमान अवधियों को शामिल करने के बाद कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात ने आय को बरकरार रखा	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के % के रूप में व्यक्त)
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात में 5.5% की न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि शामिल है, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

Dividend Distribution Policy

Eligibility Criteria

The Bank should have:

- ✓ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- ✓ Net NPA less than 7%.

In case any Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend, provided its Net NPA ratio is less than 5%.

Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The capital distribution constraints will be imposed on Banks when their capital levels fall within this range. The below table shows the minimum capital conservation ratios a Bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios.

Minimum Capital Conservation Standards for Individual Bank

Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

The Common Equity Tier 1 (CET1) ratio includes amounts used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.

बशर्ते यह भी कि, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले भारत में निगमित बैंकों को काउंटरसाइकिलकल पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंक विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंधों के अधीन होंगे (लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और कर्मचारी बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिचक्रिय पूंजी बफर की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के लिए आवश्यकता का विस्तार है। कुल आरडब्ल्यूए के 2.5% के सीसीबी और 2.5% के सीसीसीबी की समवर्ती आवश्यकता को मानते हुए, सीईटी1 पूंजी के विभिन्न स्तरों पर बैंक के आवश्यक संरक्षण अनुपात (विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध) को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

अलग-अलग बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी में से प्रत्येक की 2.5% की आवश्यकता मानते हुए	
सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात बैंड	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

सीईटी 1 अनुपात बैंड को उस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित किया जाता है।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा 2 नवंबर 2021 को जारी परिपत्र DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 के तहत “अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे” पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक किए जाने वाले संकेतक दिए गए थे। परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम सीमाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और अनिवार्य कार्रवाई जो बैंक द्वारा उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर की जाएगी।

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence is required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on countercyclical capital buffer which is an extension of the requirement for capital conservation buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total Risk Weighted Assets (RWAs), the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following table:

Individual Bank - Minimum Capital Conservation Ratios, Assuming a Requirement of 2.5% each of Capital Conservation Buffer and CCCB	
Common Equity Tier 1 Ratio Bands	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a % of earnings)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG.SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 2nd 2021 on “Prompt Corrective Action (PCA) Framework for Scheduled Commercial Banks”. The provisions of the revised PCA framework will be effective from January 1, 2022.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for Capital, Asset Quality and Profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular, risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a bank breaches the said risk threshold.

पीसीए मैट्रिक्स – पैरामीटर, संकेतक और जोखिम सीमाएं:

पीसीए मैट्रिक्स – पैरामीटर, संकेतक और जोखिम सीमा				
पैरामीटर	संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पूंजी (सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन)	सीआरएआर – पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम विनियामक निर्धारण + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और / या सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी 1 पीएसटी) + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के विनियामक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर	कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 250 बीपीएस के नीचे तक कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 162.50 बीपीएस के नीचे तक	कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के नीचे 250 बीपीएस से अधिक लेकिन 400 बीपीएस से अधिक नहीं कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से नीचे 162.50 बीपीएस से अधिक लेकिन 312.50 बीपीएस से अधिक नहीं	कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 400 बीपीएस से अधिक कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 312.50 बीपीएस से अधिक
	पीसीए को ट्रिगर करने के लिए सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन			
आस्ति गुणवत्ता	निवल गैर-निष्पादित अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात	$\geq 6.0\%$ लेकिन $< 9.0\%$	$\geq 9.0\%$ लेकिन $< 12.0\%$	$\geq 12.0\%$
लीवरेज	विनियामक न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात	विनियामक न्यूनतम से 50 बीपीएस तक	50 बीपीएस से अधिक लेकिन विनियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक नहीं	विनियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक

The various indicators for classifying under risk thresholds:

PCA Matrix – Parameters, Indicators and Risk Thresholds				
Parameter	Indicator	Risk Threshold 1	Risk Threshold 2	Risk Threshold 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capital (Breach of either CRAR or CET 1 ratio)	CRAR - Minimum regulatory prescription for Capital to Risk Assets Ratio + applicable Capital Conservation Buffer (CCB) and/or Regulatory Pre-specified Trigger of Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 PST) + applicable Capital Conservation Buffer (CCB)	Up to 250 bps below the Indicator prescribed at column (2) Up to 162.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)	More than 250 bps but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) More than 162.50 bps below but not exceeding 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)	In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) In excess of 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2)
	Breach of either CRAR or CET 1 ratio to trigger PCA			
Asset Quality	Net Non-Performing Advances (NNPA) ratio	$\geq 6.0\%$ but $< 9.0\%$	$\geq 9.0\%$ but $< 12.0\%$	$\geq 12.0\%$
Leverage	Regulatory minimum Tier 1 Leverage Ratio	Up to 50 bps below the regulatory minimum	More than 50 bps but not exceeding 100 bps below the regulatory minimum	More than 100 bps below the regulatory minimum

विभिन्न जोखिम सीमाओं के आधार पर बैंकों के प्रति कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। अनिवार्य कार्रवाइयों में दूसरों के बीच लाभांश वितरण पर प्रतिबंध शामिल है, भले ही किसी बैंक को जोखिम सीमा के तहत वर्गीकृत किया गया हो।

- बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।
- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रचलित विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें संपत्ति की हानि और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना, लाभ को वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होना चाहिए।
- रिजर्व बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था।
- लाभांश की घोषणा आरबीआई / भारत सरकार / वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संसूचना के अधीन होगी।

लाभांश भुगतान के बाद सभी बैंक लागू न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे। इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करते समय, आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता की तुलना में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करना निदेशक मंडल की जिम्मेदारी होगी।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution, irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

- The Bank should comply with the provisions of Sections 15 and 17 of the Banking Regulation Act, 1949.
- The Bank should comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.
- The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.
- The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI / Government of India / Ministry of Finance from time to time.

All banks shall continue to meet the applicable minimum regulatory capital requirements after dividend payment. While declaring dividend on equity shares, it shall be the responsibility of the Board of Directors to inter-alia consider the current and projected capital position of the bank vis-à-vis the applicable capital requirements and the adequacy of provisions, taking into account the economic environment and the outlook for profitability.

देय लाभांश की मात्रा

लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा:

Quantum of Dividend Payable

The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished herein below:

श्रेणी	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से अधिक 5% से कम	5% से अधिक 7% से कम
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
क	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
ख	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
ग	पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
घ	चालू वर्ष में 9% या उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

[लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के लिए 'एक वर्ष में देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी]

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero, but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7%
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the current year	Up to 10		Up to 5	Nil

[Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year']

यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई असाधारण लाभ / आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण वस्तुओं को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होने चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस आशय की किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का न्यूनतम 20% (अर्थात् प्रदत्त पूंजी) का न्यूनतम लाभांश या कर-पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

लाभांश की मात्रा उपरोक्त बिंदु संख्या 6.1 में उल्लिखित मानदंडों की पूर्ति और सीमा (अधिकतम/न्यूनतम) के अधीन होगी; यदि कोई; जैसा कि भारत सरकार/आरबीआई/सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है।

लाभप्रदता के आधार पर बैंक अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश की घोषणा करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 04 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान आरबीआई द्वारा जारी नियामक दिशानिर्देशों के अधीन है और इसलिए, विशिष्ट पूर्व अनुमति केवल तभी मांगी जा सकती है जब भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित लाभांश दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम से कम हो और साथ ही नियामक दिशानिर्देशों/निर्देशों के तहत स्वीकार्य हो।

प्रक्रियाएं

तुलन पत्र व केंद्रीय लेखा (बीएससीए) अनुभाग, वित्तीय प्रबंधन (एफएम) विभाग और शीर्ष प्रबंधन उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में बताए गए नीति दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन निदेशक मंडल को लाभांश भुगतान अनुपात की सिफारिश करेंगे।

बैंक को लाभांश घोषित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

✓ अंतरिम लाभांश का भुगतान;

The financial statements pertaining to the financial year for which the Bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e. paid-up capital) or 20% of their post-tax profits, whichever is higher.

The quantum of the dividend shall be subject to the fulfillment of the criteria as enumerated in Point No. 6.1 above and the limit (Maximum/Minimum); if any; as stipulated by GOI / RBI / SEBI from time to time.

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case, it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

Further, in terms of the instructions received from Ministry of Finance, Govt. of India, vide letter dated 04th June, 2021, it has been clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and, therefore, specific prior permission may be sought only if the dividend proposed to be paid is less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under regulatory guidelines/instructions.

Procedures

Balance Sheet and Central Accounts (BSCA) Section, Financial Management (FM) Wing and Top Management shall recommend the Dividend Payout Ratio to the Board of Directors subject to the fulfillment of policy guidelines as explained in Point No. 6 above.

Bank should take into account the following aspects while deciding on the proposals for declaring dividend:

✓ The interim dividend paid;

- ✓ एनपीए की पहचान में भिन्नता, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में आरबीएस, आरबीआई के निष्कर्ष
- ✓ खातों के विवरण से संबंधित लेखा परीक्षक की योग्यता
- ✓ बैंकों की दीर्घकालिक विकास योजना
- ✓ बेसल और अन्य नियामक आवश्यकताएं

कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 में उल्लिखित लाभांश वितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रकटीकरण

सेबी अधिसूचना (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2016 के विनियम 43ए के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

बैंक अपनी वेबसाइट पर लाभांश वितरण संबंधी नीति को प्रगट करेगा तथा वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

लाभांश के प्रकटीकरण और वितरण से संबंधित अभिलेख

लाभांश वितरण और प्रकटीकरण से संबंधित सभी अभिलेखों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आठ वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा और उन्हें कंपनी सचिव, सचिवालय विभाग या बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

व्याख्या

किसी भी परिस्थिति में, जहां इन नीतियों और प्रक्रियाओं की शर्तें बैंक को नियंत्रित करने वाले किसी मौजूदा या नए अधिनियमित कानून, नियम, विनियमन या मानक से भिन्न होती हैं, कानून, नियम, विनियमन या मानक को इन नीतियों और प्रक्रियाओं पर तब तक वरीयता दी जाएगी जब तक कि इन नीतियों और प्रक्रियाओं को कानून, नियम, विनियमन या मानक के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जाता है।

- ✓ The RBS, RBI findings with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc.
- ✓ The auditor's qualification pertaining to statement of accounts.
- ✓ The bank's long-term growth plan.
- ✓ Basel and other regulatory requirements.

Company Secretary, Secretarial Department, shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend as enumerated in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80.

Disclosure

Necessary disclosures shall be made in the Annual Report as required under Regulation 43A of SEBI Notification on Listing Obligations and Disclosure Requirements (Second Amendments) Regulations, 2016.

The Bank shall disclose the policy on Dividend Distribution on its website and a web link thereto shall be provided in the Annual Report.

Records relating to Disclosure and Distribution of Dividend

All records pertaining to distribution of Dividend and disclosures shall be preserved for a period of eight years from the end of the financial year to which it relates and shall be kept in the custody of the Company Secretary, Secretarial Department or any other person authorized by the Board for the purpose.

Interpretation

In any circumstances where the terms of these policies and procedures differ from any existing or newly enacted law, rule, regulation or standard governing the Bank, the law, rule, regulation or standard will take precedence over these policies and procedure until such time as these policies and procedures are changed to conform to the law, rule, regulation or standard.

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि : वे अपने डीमैट खाते में एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि : कृपया वे अपनी सहमति इस संसूचना पत्र के छिद्रित भाग को भरकर तथा हस्ताक्षर कर हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके नीचे दिए गए पते पर भेजें :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

प्रिय महोदय,

मैं / हम _____ केनरा बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में धारण करता हूँ, और केनरा बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, मेरे / हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से केनरा बैंक से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं।

फोलियो संख्या: _____
ईमेल आईडी _____ @ _____
मोबाइल नंबर _____

मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरी / हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त संसूचना को केनरा बैंक द्वारा मुझे / हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, विधिक और पर्याप्त सुपुर्दगी के रूप में माना जाएगा। मैं/हम यह भी वचन देता हूँ कि किसी भी तकनीकी / अन्य विफलताओं के कारण मेरी / हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित संसूचना ठीक से न प्राप्त होने की स्थिति में मैं/हम केनरा बैंक, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके किसी भी कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे।

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an e-mail ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com
Toll Free No: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date :

Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Dear Sir,

I / We _____ holding _____ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our e-mail ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number: _____
E-mail ID _____ @ _____
Mobile No. _____

I / We also undertake that the communication received through my / our e-mail ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to me / us by Canara Bank. I / We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my / our e-mail ID due to any technical / other failures.

Signature of the First / Sole Shareholder

कुशल और त्वरित सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयरों को अमूर्तीकृत (डीमैट) करें
2. कृपया अपने बैंक खाते में लाभांश राशि के इलेक्ट्रॉनिक / प्रत्यक्ष क्रेडिट के लिए अपना अधिदेश पंजीकृत करें
3. ई-मेल के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें

अमूर्तीकरण के लाभ

1. शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने का कोई खतरा नहीं
2. कोई शेयर हस्तांतरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क व्यय नहीं
3. आसान / परेशानी मुक्त ट्रांसफर / ट्रांसमिशन
4. नामांकन किया जा सकता है
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है
6. एएसबीए / आईपीओ आवेदन संभव है

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश पंजीकृत करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान तिथि पर सीधे लाभांश का क्रेडिट
2. लाभांश वारंट के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार (जीओआई) की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. एजीएम और ईजीएम / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य संसूचनाओं की सूचना सहित कॉर्पोरेट सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares.
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c.
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail.

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c.
6. ASBA / IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of Dividend on Dividend payment date itself.
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants.

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of the Green Initiative of Government of India (GOI).
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.



बोर्ड रणनीति बैठक, जयपुर, राजस्थान - 2024
Board Strategy Meet, Jaipur, Rajasthan - 2024



केनरा बैंक मैराथन - 2024
Canara Bank Marathon - 2024



केनरा बैंक Canara Bank 

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

Together We Can



1 Bank Number **1800 1030**

